

DUE DATE SLIP**GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

KOTA (Raj)

Students can retain library books only for two weeks at the most

BORROWER'S No.	DUE DATE	SIGNATURE

भाषिकी और संस्कृत भाषा

लेखक

डॉ० देवीदत्त शर्मा

प्रोफेसर एमरेटम संस्कृत विभाग

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र

हरियाणा साहित्य अकादमी, चण्डीगढ़

ॐ हरियाणा माहिल्य अकादमी, चण्डीगढ़-1990

प्रकाशन वर्ष : 1990

प्रतियां : 1100

मूल्य : पचास रुपये (Rs 50 00)

सम्पादन/प्रकाशन

डॉ० पुष्पीराम बालिया

बिजेन्द्र : असराम

मुद्रण : पवन प्रिण्टर्स, जे-9 मवीन शाहदरा, दिल्ली 110032

प्रस्तावना

भादिकी और सस्कृत भाषा पुस्तक का प्रकाशन भारत सरकार की हिन्दी तथा प्रादेशिक भाषाओं में विश्वविद्यालय स्तरीय ग्रन्थ निर्माण योजना के अन्तर्गत किया गया है। विश्वविद्यालय स्तर की पढ़ाई हिन्दी माध्यम से संभव कराने के लिए विभिन्न विषयों की पुस्तकें तैयार करवाने की यह योजना वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के तत्वावधान में विभिन्न ग्रन्थ अकादमियों व पाठ्य पुस्तक प्रकाशन बोर्डों द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। पुस्तक योजना के अन्तर्गत हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा अब तक 155 पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं तथा प्रस्तुत पुस्तक इस योजना का 156वां प्रकाशन है।

प्रस्तुत पुस्तक के लेखक मुप्रसिद्ध विद्वान डॉ० देवोदत्त शर्मा, प्रोफसर, भूतपूर्व अध्यापक, सस्कृत विभाग, पत्राव विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़ हैं।

विद्वान् लेखक ने पुस्तक के सम्पूर्ण विषय को पांच भागों में उपस्थित किया है। भाग-एक में भाषा की उत्पत्ति, स्वरूप एवं प्रकृति, भाग-दो में आपभाषा परिवार, भाग-तीन में सस्कृत का स्वन प्रक्रियात्मक विश्लेषण, भाग-चार में सस्कृत का रूप संरचनात्मक विश्लेषण तथा भाग-पांच में अर्थ विज्ञान पर विद्वतापूर्ण विचार किया है। गत दो-तीन शताब्दियों में विद्वानों तथा चिन्तकों ने

भाषा के मन्त्र में अनेक नवीन दृष्टिकोण एवं विश्लेषण पद्धतियाँ तो प्रस्तुत की हैं लेकिन संस्कृत के भाषिक विश्लेषण पर कार्य का अभाव रहा है। प्रस्तुत पुस्तक का लेखन इस अभाव की पूर्ति के लिए ही किया गया। पुस्तक में संस्कृत के कई पक्षों—स्वन प्रक्रिया, उपस्वनिमिक प्रक्रिया, ह्रस्व स्वनिमिक प्रक्रिया—पर प्रथम बार वर्णनात्मक पद्धति के आधार पर विचार किया गया है। अतः इस ग्रन्थ से संस्कृत के छात्र को आधुनिक भाषा विज्ञान की सभी मान्य पद्धतियों में परिचित कराने के साथ-साथ वर्णनात्मक तथा तुलनात्मक पद्धति के माध्यम से उभे संस्कृत के मरचनान्मक तथा ऐतिहासिक स्वरूप में अवगत कराने का महत्व प्रयत्न किया गया है। विषय का प्रतिपादन सरल एवं प्रभावपूर्ण ढंग में मोदाहरण किया गया है।

प्रस्तुत पुस्तक हरियाणा साहित्य अकादमी की साहित्य समालोचना ग्रन्थ निर्माण माला के अन्तर्गत तैयार करवाई गई है। इस योजना के विशेष मनाहवार अकादमी की ग्रन्थ प्रभाग समिति के सदस्य तथा मुख्यमन्त्री समालोचक डॉ० नामवर सिंह हैं। भाषा है प्रस्तुत पुस्तक का संस्कृत के छात्र एवं पाठकों द्वारा ध्यानपूर्वक स्वागत किया जाएगा।

अध्यक्ष

निदेशक

डा. नारायण शर्मा

A. N. Ch. 121 Ch.

हरियाणा साहित्य अकादमी,
चण्डीगढ़

हरियाणा साहित्य अकादमी
चण्डीगढ़

प्राक्कथन

संस्कृत भाषा के महत्त्व पर यहां पर विशेष रूप से कुछ कहने की अपेक्षा नहीं। सभी जानते हैं कि इस उप महाद्वीप में संस्कृत का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि स्वयं आर्य जाति का। उनके लिए संस्कृत केवल विचारों के आदान-प्रदान का माध्यम अथवा साहित्यिक एवं सांस्कृतिक धरोहर का माध्यम मात्र नहीं था। यह तो प्राणतत्त्व के समान उनके जीवन में ओत-प्रोत रही है और अब भी है। हां, बीच में कुछ समय ऐसा अवश्य आया जबकि इसका क्षेत्र भारतीय जनमानस में सीमित हो गया था, इसके महत्त्व एवं स्वरूप के सम्बन्ध में दृष्टियों में धुंधलापन छा गया था। सौभाग्य से इसके साथ होने, वाले पाश्चात्य विद्वानों के सम्पर्क ने उसे दूर कर दिया। फलतः इस सम्बन्ध में पूयक्-पूयक् तथा सम्मिलित रूप से नवीन प्रयास किए गए और संस्कृत को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखने, परखने का शुभारम्भ हुआ।

हमें यह स्वीकार करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए कि यद्यपि हमारे ब्याकरणों के द्वारा ईसा से कई सौ वर्ष पूर्व ही संस्कृत का सूक्ष्मतम भाषा वैज्ञानिक विश्लेषण कर डाला गया था, पर इसके वैज्ञानिक महत्त्व की ओर हमारा ध्यान पाश्चात्य विद्वानों ने ही आकृष्ट किया। उन्होंने ही हमें इसे नवीन वैज्ञानिक

विद्याओं एवं पद्धतियों ने विश्वेयित करने की दृष्टि प्रदान की। विश्व की अनेक प्रमुख भाषाओं की शोधपत्रिकाओं में प्रकाशित लेख तथा पुस्तकें इसकी प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। इन्हीं से प्रेरणा लेकर अनेक भारतीय विद्वानों ने भी इसमें महत्त्वपूर्ण योगदान किया।

हमारी आधुनिक शिक्षा पद्धति में 'भाषा-विज्ञान' जैंग विषय का समावेश भी पाश्चात्य शिक्षा-पद्धति की देन है। कहने की आवश्यकता नहीं कि सर्वप्रथम संस्कृत की उच्च शिक्षा के विषयों में ही इसका शुभारम्भ किया गया था जो बाद में धीरे-धीरे अन्य आधुनिक भाषाओं के पाठ्यक्रमों में भी प्रवेश पा गया और अब तो यह एक स्वतंत्र विषय के रूप में भी स्थान पा चुका है।

पाठ्यक्रमों में नवीन विषयों के निर्धारण के साथ पाठ्य सामग्री की आवश्यकता तो होती ही है। अतः भाषा-विज्ञान की शिक्षा के प्रारम्भ के साथ उसके लिए तत्सम्बन्धी ग्रन्थों का प्रणयन भी प्रारम्भ हुआ। प्रारम्भ में कतिपय आधारभूत ग्रन्थ लिखे गये जिनमें भाषा-विज्ञान की तत्कालीन धारणा के अनुरूप पर्याप्त ठोस सामग्री सामने आयी। पर बाद में अन्य भाषाओं के पाठ्यक्रमों में भी इस विषय का समावेश हो जाने से विद्यार्थियों की परीक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं को सम्मुख रखकर हम विषय पर छद्मछद्म पुस्तकें लिखी जाने लगी जिनमें कि अधिकतर पूर्व कृतियों की सामग्री को ही देशी भाषाओं के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। क्योंकि भारत में हिन्दी का क्षेत्र सबसे अधिक विस्तृत है अतः हिन्दी के माध्यम से सर्वाधिक पुस्तकों का प्रकाशन हुआ। इनमें से अधिकतर लेखकों का भाषा-विज्ञान में विशेष प्रशिक्षण न होने तथा उनका भाषा-वैज्ञानिक अध्ययनों की आधुनिकतम पद्धतियों से परिचित न होने के कारण अधिकांश में एक दूसरे की तरफ ही पलती रही।

ऐसे ही संस्कृत के विद्यार्थियों के लिये गए भाषा-विज्ञान सम्बन्धी कृतियों में भी ये लेखक गुण, ताराकेर वाला, मगलदेव शास्त्री तथा भण्डारकर से आगे कुछ नहीं दे पाये। वहाँ भी वे अधिकतर ऐतिहासिक तथा तुलनात्मक भाषा-विज्ञान तक ही अटक रहे। तथा जहाँ भाषा-विज्ञान की अन्य शाखाओं के विषय में कुछ लिखा भी वहाँ हिन्दी, अंग्रेजी आदि में दिए गए उदाहरणों में ही काम खसाने रहे। फलतः अभी तक हिन्दी में संस्कृत भाषा विज्ञान पर कोई भी ऐसा ग्रन्थ नहीं है जो कि संस्कृत भाषा को आधार बनाकर लिखा गया हो। कहने की आवश्यकता नहीं कि संस्कृत के विद्यार्थियों को भाषा-विज्ञान के नाम पर जो कुछ दिया जा रहा है वह या तो ऐतिहासिक भाषा-विज्ञान है, जो कि भाषा-विज्ञान की ऐतिहासिक यात्रा में अब बहुत पीछे छूट चुका है, या हिन्दी अथवा किसी अन्य आधुनिक भाषा का भाषा-वैज्ञानिक विश्लेषण। अतः संस्कृत का विद्यार्थी इतना-इतना परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने पर भी संस्कृत के भाषा-वैज्ञानिक विश्लेषण से उनका ही अनभिज्ञ रहना है जितना कि वह इस विषय को पढ़ने से पूर्व था।

प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रणयन का उद्देश्य संस्कृत भाषा-विज्ञान के क्षेत्र की इसी कमी की पूर्ति है। लेखक को अपने इस प्रयास में कितनी सफलता मिली, यह तो सुधी पाठक ही बतला सकेंगे, पर उसका यह प्रयास अवश्य रहा है कि संस्कृत के भाषा-विज्ञान के छात्रों को एक ऐसा ग्रन्थ दिया जाए जो कि एक ओर तो उन्हें सरस भाषा में आधुनिक भाषा-विज्ञान के अग्र्ययनीय विषयों तथा उनकी विशेषण पद्धतियों में तथा दूसरी ओर संस्कृत की भाषिक संरचना से परिचित करा सके। पर यह हम दिशा में मोचे गए लक्ष्य का प्रारम्भ है, अन्त नहीं। इस ग्रन्थ के द्वारा संस्कृत के विद्यार्थियों को भाषा-वैज्ञानिक पृष्ठभूमि पर संस्कृत की संरचना को समझने में कुछ सहायता मिल सके तो लेखक अपने प्रयास को सफल समझेंगे।

पुस्तक के मुद्रण के विषय में भी यहाँ पर इस बात का उल्लेख कर देना आवश्यक है कि शुद्ध मुद्रण का आग्रह होने पर भी मुद्रण की अशुद्धियाँ रह गयी हैं, विशेषकर प्रथम चार पन्नों (64 पृष्ठों) में जिनके प्रूफ लेखक स्वयं न देख सका। इसका हमें खेद है और पाठकों से अनुरोध है कि वे उन्हें शुद्ध करके पढ़ें। एतदर्थं शुद्धिपत्र पुस्तक के अन्त में जोड़ दिया गया है।

अन्त में मैं इस ग्रंथ की 'ग्रंथ सूची' में निर्दिष्ट उन सभी विद्वानों के प्रति अपना हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ जिनकी कृतियों से मुझे इस ग्रंथ के प्रणयन में प्रकाश मिला तथा जिनसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में कोई महायता ली गयी।

इसके अतिरिक्त मैं हरियाणा साहित्य अकादमी के निर्देशक डॉ० जयनारायण कौशिक तथा उनके सहयोगियों का विशेष रूप से हार्दिक धन्यवाद करना चाहूँगा जिनकी प्रेरणा तथा उन्मुक्त सहयोग के फलस्वरूप इस ग्रंथ का प्रणयन एवं प्रकाशन सम्भव हो सका है।

विदुषाविधेय :
देवीदत्त शर्मा

विषय सूची

भाग—एक भाषिकी का परिचय

1 भाषा की उत्पत्ति, स्वरूप एवं प्रकृति	3
(1) भाषा की उत्पत्ति,	
(2) भाषा का स्वरूप,	
(3) भाषिक आयाम,	
(4) भाषा की प्रकृति,	
(5) भाषा के रूप,	
(6) भाषा की उपलब्धि,	
2. भाषिकी की परिभाषा एवं विषय	19
3. भाषिकी की उपयोगिता	25
(1) व्यावहारिक अनुप्रयोग	
4 भाषिकी के विश्लेष्य विषय	33
5. भाषिक विश्लेषण के उपगम	37

6 भाषिकी के अन्तर्विधेयक सम्बन्ध	44
7. भाषिकी के उपफल	55
(1) भाषिकी वर्गीकरण	
क. आधुनिक वर्गीकरण	
ख. पारिवारिक वर्गीकरण	
(2) छवनिनियमों की योजना	

भाग—दो : आर्यभाषा परिवार

1. आर्य भाषा परिवार	87
(1) भारतीय की एकलपना	
(2) पारिवारिक नामकरण	
(3) भारतीय परिवार का महत्त्व	
(4) भारतीय भाषाओं का वर्गीकरण	
2 भारतीय परिवार की भाषाओं की सर्वसामान्य विशेषताएँ	105
(1) भारतीय की आर्य शाखा	
(2) संस्कृत तथा प्राचीन-ईरानी का पारिवारिक सम्बन्ध	
3 संस्कृत का कथिक विकास	121
(1) वैदिक भाषा	
(2) लौकिक संस्कृत	
(3) क्षेत्रीय विभेदों का विकास	
(4) संस्कृत का मानकीकरण	
(5) वैदिक तथा लौकिक संस्कृत में अन्तर	
(6) रूप रचनात्मक विभेद	

भाग—तीन : स्वन प्रक्रिया

- 1 भाषिक विकास (ध्वन्यात्मक) 155
 - (1) ध्वनि परिवर्तन के कारण
 - (2) ध्वनि परिवर्तन की दिशाएँ
2. स्वन विज्ञान : सामान्य परिचय 173
 - (1) स्वन विज्ञान . सामान्य परिचय
 - (2) उच्चारणात्मक स्वन विज्ञान का महत्त्व
 - (3) वाक् ध्वनियों की उत्पादन प्रक्रिया
 - (4) स्वन प्रक्रियात्मक विश्लेषण
- 3 भारतीय व्याकरणों द्वारा संस्कृत का स्वन-प्रक्रियात्मक विश्लेषण 190
- 4 स्वनिम विज्ञान . सामान्य परिचय 195
 - (1) स्वनिम विज्ञान . सामान्य परिचय
 - (2) स्वनिमिक विश्लेषण का महत्त्व
 - (3) स्वनिम की परिभाषा
 - (4) स्वनिम निर्धारण की आवश्यकता एवं आधार
 - (5) स्वनिमों का वर्गीकरण
 - (6) स्वनिमों के सम्बन्ध में विशेष ज्ञातव्य
 - (7) स्वनिमों की उपयोगिता
5. संस्कृत की स्वनिम व्यवस्था 208
 - (1) संस्कृत स्वनिमों के तुलनीय विरोधी युग्म
 - (2) स्वर स्वनिमों के तुलनीय विरोधी युग्म
 - (3) स्वर ध्वनियों का मुक्त विकल्पन
 - (4) व्यंजन स्वनिमों के तुलनीय विरोधी युग्म
 - (5) व्यंजन स्वनिमों का मुक्त विकल्पन
6. उपस्वनिमात्मक विवेचन (Allophonic Description) 223
 - (1) परिपूरक वितरण
 - (2) मुक्त वितरण
 - (3) वर्गीकृत उपस्वन

भाग—चार संस्कृत का रूप रचनात्मक विश्लेषण

1 रूपिम प्रक्रिया (Morphology)

249

- (1) रूपिम विज्ञान एक परिचय
- (2) पद रचना
- (3) पदों का वर्गीकरण
- (4) रूपरचना की दृष्टि से पद-विभाग
- (5) संस्कृतपद-रचना के घटक तत्त्व
- (6) नामपद रचना
- (7) नामपद रचना के घटक तत्त्व
- (8) कृत् प्रत्ययों का पद-रचनात्मक स्वरूप
- (9) नञिन् प्रत्ययों का पद-रचनात्मक रूप
- (10) तुलनाबोधक प्रत्यय
- (11) स्त्री प्रत्ययों का पद-रचनात्मक रूप
- (12) ममस्त पद-रचना
- (13) मसकृत ममाम रचना की ऐतिहासिक वृष्टभूमि
- (14) ममामों का वर्गीकरण तथा उसका आधार
- (15) ममस्त पदरचना में विभक्ति प्रत्यय योजना
- (16) नाम पदों की रूपरचना प्रक्रिया
- (17) विभक्ति प्रत्ययों की योजना का सिद्धान्त
- (18) सर्वनामों का रूप रचनात्मक वैशिष्ट्य
- (19) मध्यादाचक पदों की रूपरचना

2 आख्यात पदों की रूप-रचना-प्रक्रिया

289

- (1) धातुमूल
- (2) पद-रचनात्मक आधार पर धातुओं का वर्गीकरण
- (3) क्रिया के फल भोजन पर आधारित वर्गीकरण
- (4) मकार
- (5) तिङन्त रूपरचना प्रक्रिया
- (6) प्रत्ययान्त धातुओं की रूप-रचना
- (7) कृत् प्रत्ययान्त आख्यात पद-रचना

भाग—पाँच अर्थ-विज्ञान

1. अर्थविज्ञान

313

- (1) अर्थ विकास के कारण
- (2) अर्थ परिवर्तन की दिशाएं

भाग—छः भाषिकी और संस्कृत भाषा

1. भारत में भाषा वैज्ञानिक अध्ययन की परम्परा

335

- (1) यास्क पूर्वकाल
- (2) पाणिनिकाल
 - पारिभाषिक शब्दावली 343
 - प्रथ सूची 349
 - मंदभे संकेत सूची 350
 - SELECT BIBLIOGRAPHY 353

भाग : एक

भाषिकी का परिचय

I

भाषा की उत्पत्ति, स्वरूप एवं प्रकृति

भाषा की उत्पत्ति

भाषा का सर्वप्रथम उद्भव कब और कैसे हुआ होगा, यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका सर्वस्वीकृत उत्तर पा सकता लगभग असम्भव है। पिछली दो शताब्दियों में पौराणिक तथा पाश्चात्य विद्वानों ने इस सम्बन्ध में पर्याप्त बौद्धिक व्यायाम करके अनेक सम्भाव्य सिद्धान्तों को प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया, किन्तु उन्हें कपोल कल्पनाओं से अधिक महत्त्व नहीं दिया जा सकता है। यहाँ तक कि इन बढ़ती हुई निराधार सिद्धान्त सरणियों को देखकर फ्रांस की भाषा अकादमी को यह व्यवस्था देनी पड़ी कि ऐसा कोई भी व्यक्ति उस अकादमी का सदस्य नहीं बन सकता है जो कि भाषा की उत्पत्ति के सिद्धान्त की बात करता हो। केवल कल्पनाओं पर आधारित होने के कारण आज इनका मात्र ऐतिहासिक महत्त्व शेष रह गया है। इस वैज्ञानिकता के युग में आज का भाषा विज्ञानी अब इनकी चर्चा करना भी व्यर्थ समझता है। भाषा जैसे जटिल एवं बहुआयामी विषय का उद्भव किसी एक घटना या सकल्पना से मानना किसी प्रकार भी समझ नहीं ठहराया जा सकता है। इसलिए हम भी भाषा-सम्बन्धी प्रस्तुत विशेषणों पर कोई चर्चा करना उपयुक्त नहीं समझते।

भाषा का स्वरूप

भाषा की उत्पत्ति चाहे जब भी जिस प्रक्रिया से भी हुई हो, व्यवहार-क्षेत्र में उसका प्रत्यक्षीकरण हमें जिन दो प्रतीकात्मक रूपों में होना है उन्हें हम ध्वनि प्रतीक तथा लिपि प्रतीक कह सकते हैं। इनमें से ध्वनि प्रतीको को उत्पत्ति एवं प्रत्यक्षीकरण में मानव शरीर के वनिपय अंगों (वागमों), वायु के भौतिक गुण घर्षों तथा कान के प्रारीरिक गुण घर्षों का उपयोग होता है तथा लिपि प्रतीको में किसी आधार भूमि (फलक, वागज आदि) पर अंकित विशेष चिह्नों के साथ हमारी चक्षु इन्द्रिय के मन्त्रिक्यं से उत्पन्न उसका प्रत्यक्षीकरण होता है। यहा पर यह बतना देना आवश्यक है कि ये प्रतीक चाहे ध्वन्यात्मक हो चाहे लिप्यात्मक, होते हैं यादृच्छिक ही। इसीलिए भाषा के स्वरूप को परिभाषित करने वाले सभी भाषा-शास्त्रियों ने अपनी परिभाषाओं में भाषा की इस विशेषता को आवश्यक रूप से समाहित किया है, उदाहरणार्थ, स्त्रुत्वा के द्वारा दी गई तथा अधिनतर भाषा-शास्त्रियों द्वारा स्वीकृत परिभाषा—“भाषा उन यादृच्छिक ध्वन्यात्मक प्रतीको की व्यवस्था है जिनके माध्यम से किसी सामाजिक (भाषाई) समूह के सदस्य परस्पर अपने विचारों का आदान-प्रदान करते हैं।” (A language is a system of arbitrary vocal symbols by means of which members of a social group cooperate and interact) आश्चर्य की बात है कि इनमें लगभग 1200 वर्ष पूर्व हमारे भारतीय आचार्य भाषा ने भाषा की जो परिभाषा दी थी उसी की प्रतिध्वनि उपर्युक्त परिभाषा में गुनाई देती है, वे कहते हैं—

इत्यन्तः ईदृशाः शब्दाः ईदृगर्षाभिधायिनः।

व्यवहाराय लोकरूप प्राणिक्यं समयः कृतः॥

वाक्यालकार 6/13

अर्थात् लोक व्यवहार की आधारभूत भाषा की शब्दावली की गणना मुनिर्घाणित वर्णान्मक प्रतीको तथा उनमें निहित अर्थों के द्वारा की जाती है।

भाषिक आयाम

आधुनिक भाषा विज्ञान के जन्मदाता फ्रांसीसी विद्वान सैन्ट-एन्ड्रे द समूर ने भाषा के जिन तीन आयामों की स्थापना की है, वे हैं। 1. वैयक्तिक, 2. सामाजिक, 3. सामान्य, सर्वव्यापक।

1. वैयक्तिक—उन्नी शब्दावली में इसे पैरोल (Parole) कहा गया है जिसका सामान्यार्थ शब्द अंग्रेजी में स्पीच कहा गया है। जिसे हिन्दी में वाक् के अभिहित किया जा सकता है। भाषा के इस शेषांश रूप में व्यक्ति तत्त्व को अधिक महत्त्व दिया जाता है। उन्ने अनुसार यद्यपि भाषा एक सामाजिक वस्तु है किन्तु

उसके व्यवहार का आधार व्यक्ति ही होता है। व्यक्ति विशेष के द्वारा उच्चरित ध्वनियाँ ही भाषा का रूप धारण करती हैं। किन्तु समाज का अग होने के कारण व्यक्ति और समाज के बीच अधिक आदान-प्रदान, क्रिया-प्रतिक्रिया होती ही रहती है जिसके प्रमुख रूप होते हैं—बोध और अभिव्यंजन। बोध के रूप में व्यक्ति अन्य व्यक्ति के द्वारा अभिव्यक्त भाषिक तत्त्वों का आदान करता है तथा अभिव्यंजन के रूप में उन्हें अभिव्यक्त करता है। समाज के अंगभूत मानव प्राणियों के बीच वक्ता और श्रोता के रूप में बोध और अभिव्यंजन का यह क्रम बराबर चलता रहना है। परिस्थितियों के अनुसार वक्ता और श्रोता की स्थिति में परिवर्तन होता रहता है। एक स्थिति में जो व्यक्ति वक्ता होता है दूसरी स्थिति में वही श्रोता बन जाता है। इस भाषिक अभिव्यंजन में देखा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति की वाचिक अभिव्यक्ति में कतिपय ऐसे तत्त्व होते हैं जो कि उसे अन्य व्यक्तियों से पृथक् करते हैं। इसे ही भाषा का वैयक्तिक रूप कहा जाता है।

2. सामाजिक वस्तु भाषा एक सामाजिक वस्तु होती है। इसका जन्म समाज में तथा सामाजिक कार्य व्यवहार के लिए होता है। किसी भाषिक समुदाय विशेष में भाषा का जो सर्वमान्य रूप होता है वही उस समुदाय की भाषा होती है। भाषा के इस रूप को समूर ने लाग (Langue) के नाम से अभिहित किया है। इसमें भाषा के दोनों ही रूपों—ध्वनन एवं श्रवण—का समावेश होता है। भाषा की यह स्थिति मात्र समाज में ही सम्भव हो सकती है। क्योंकि इसमें ध्वनन क्रिया के लिए वक्ता तथा श्रवण क्रिया के लिए श्रोता का होना आवश्यक होता है जब कि वैयक्तिक अभिव्यक्ति के लिए ऐसा होना सर्वथा अनिवार्य नहीं। ध्वनन एवं श्रवण की इस प्रक्रिया में किन-किन शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं का योगदान होना है, इस पर हम अन्यत्र विचार करेंगे।

भाषा और समाज के अन्योन्याश्रय सम्बन्ध को अधिक स्पष्ट करने के लिए कहा जा सकता है कि भाषा की उत्पत्ति तथा विकास दोनों समाज की स्थिति पर ही निर्भर होते हैं। भाषा का अधिग्रहण व उसकी व्यवहार-क्षमता समाज में रह कर ही सम्भव हो सकती है। इसकी सामाजिकता का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि बच्चा जिस प्रकार के भाषिक समाज के बीच रहता है उसी प्रकार की भाषा का अधिग्रहण करता है। समाज से पृथक् पोषित मानव-शिशु किसी भी भाषा में अपनी अभिव्यक्ति नहीं कर सकता। यहां तक कि हम जिसे मातृभाषा कहते हैं वह भी उस समाज की भाषा होती है जिसका कि वह सदस्य होता है। समाज से पृथक् मातृभाषा या किसी अन्य भाषा की सत्ता ही सम्भव नहीं। समाज ही भाषा के सभी रूपों—वैयक्तिक, माहिलात्मक, सांस्कृतिक, यांत्रिक आदि—का मूलधार होता है। समाज ही भाषा का उत्पादक व पोषक होने के कारण इसकी समाज सापेक्षता स्वयं सिद्ध है।

भाषा एक सामाजिक वस्तु है तथा उसका रूप समाज-सापेक्ष होता है—इसका एक प्रबल प्रमाण यह भी है कि किसी भाषा समुदाय में पाये जाने वाले सामाजिक स्तरों के अनुरूप ही भाषा के भी विभिन्न स्तर पाये जाते हैं। भारतीय परिवेश में शैक्षणिक, आर्थिक, व्यावसायिक स्तरों के अतिरिक्त जातीय व वर्गीय स्तरों पर भी भाषा के रूपों में अन्तर पाये जाते हैं। समाज भाषा वैज्ञानिक विश्लेषणों के आधार पर देखा गया है कि समाज के विभिन्न स्तरों व वर्गों के बक्ताओं की भाषा के रूपों में इतना स्पष्ट अन्तर होता है कि कभी-कभी तो सामान्य श्रोता भी मात्र भाषा के आधार पर व्यक्ति विशेष की जाति, वर्ग व पेशे का अविलम्ब पूर्वानुमान लगा लेता है।

सामाजिक वातावरण के अतिरिक्त भाषा अपने विविध रूपों में अपने भौगोलिक एवं ऐतिहासिक वातावरण से भी प्रभावित होती है जो कि अपेक्षाकृत न्यून मात्रा में हुआ करता है।

भाषा की प्रकृति भाषा की प्रकृति के सम्बन्ध में निम्नलिखित बातें विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं :

3 सर्वव्यापकता : भाषा की सर्वव्यापकता का प्रश्न भी इसकी सामाजिकता के प्रश्न के साथ जुड़ा हुआ है। द गमूर ने भाषा के इस रूप को सांगत (Language) के नाम से परिभाषित किया है। इसमें उनका अभिप्राय है मानव-मान की भाषा। इसमें तथा भाषा के सामाजिक रूप में मुख्य अन्तर यह है कि भाषा का यह रूप उसके समाज सापेक्ष रूपों—सस्कृत, अरबी, फारसी या हिन्दी, अंग्रेजी, बंगला आदि—की भाँति वर्गीकृत नहीं होता है। यह सर्वव्यापक रूप से सम्प्रेषण के सर्वसामान्य साधन के रूप में भाषा की सभी प्रक्रियाओं का बोध कराता है। भाषा के इस रूप को जो कि किसी भी प्रकार के भेदक तत्वों में ऊपर होना है। अधिभाषा (Supra-language) कहा जा सकता है। हमारा कोई भी व्यक्तिगत या सामाजिक कार्य-काल ऐसा नहीं जो कि प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से भाषा के साथ जुड़ा हुआ नहीं। इस प्रसंग में भाषा का रूप आगिक भी हो सकता है और धार्मिक या लिखित भी। भाषा के महत्त्व के प्रसंग में वाचामेव प्रसाधेन लोकपरत्रा प्रवर्तते की बात कही जाती है। इसे और पुष्ट करने के लिए यहाँ पर व्याकरण दर्शक के प्रकाण्ड आचार्य भर्तृहरि की भी उद्धृत किया जा सकता है। उनका वचन है : इति कर्तव्यता लोके सर्वे शब्द व्युत्पद्यन्ते । अर्थात् एक सामाजिक प्राणी के रूप में क्या करना चाहिए, वैसे करना चाहिए इत्यादि की निर्भरता हमारे गान्धिक व्यवहार पर ही होना है। इसके आगे फिर वे कहते हैं

न सोऽस्ति प्रथमो लोके यः शब्दानुगामाकुरुते ।

अनुचितमिदं ज्ञानं सर्वकालेन भासते ॥ वाच्य० पृष्ठा० 124

इस दृश्यमान जगत् का कोई ऐसा कार्यकलाप नहीं जो कि भाषा के बिना सम्भव हो। इस जगत् का ममस्त ज्ञान शब्द (भाषा) से ओतप्रोत प्रतीत होता है। "अर्थात् भाषा ही हमारी समस्त वाचिक अभिव्यक्तियों व हमारे मानसिक चिन्तनों की एक मात्र आधार है, यह हमारे आन्तरिक व बाह्य जीवन के सभी व्यक्त और अव्यक्त कार्यकलापों का परिसंचालन करती है।

सम्प्रेषणीयता : सभी जानते हैं कि भाषा भाव सम्प्रेषण के अन्य सभी साधनों आंगिक मकेंतों, लिपि या चिन्तन मकेंतों की अपेक्षा अधिक पूर्ण एवं सशक्त साधन है। कहने की आवश्यकता नहीं कि भाषा की वाचिक अभिव्यक्ति में खड़ीय ध्वनियों के माध्यम से व्यक्त संदेश के साथ अधिखड़ीय ध्वनियों एवं कायिक चेष्टाओं का योग उसे अधिक स्पष्ट एवं प्रभावकारी रूप में ग्राह्य बना देता है। भाषा की सम्प्रेषणीयता के ये विशिष्ट तत्त्व मात्र उसके मौखिक रूप में ही सम्भव हो सकते हैं, लिखित रूप में नहीं। यहाँ तक कि लिखित रूप में अक्षर भावों के सम्बन्ध सम्प्रेषण में भी इन तत्त्वों का आश्रय लेना पड़ता है, यथा नाटक आदि के मंचन में अथवा किसी गद्य-पद्य के वाचन में।

सातत्य : हिमालय से प्रवाहित होने वाली गंगा की जलधारा के समान भाषा का रूप गतिशील अथवा प्रवाहमान होते हुए भी अपने मूल से जुड़ा रहता है। इस विषय में यह तो सम्भव है कि कोई भाषा किसी लघु नदी की धारा के समान काफी दूरी तक बह कर किसी महान् नदी की धारा में विलीन हो जाये या किसी मत्स्थल में विलीन हो जाये किन्तु अपने उद्गम स्थल में लेकर विलयन के स्थल में पूर्व ही विच्छिन्न हो जाये, यह सम्भव नहीं। अपने पूरे जीवनकाल में उसकी वह धारा नियत रूप में प्रवाहमान रहती है। यह उसकी अपनी सहजात विशेषता होती है।

परिवर्तनशीलता : अपने प्रवाह में अविच्छिन्न होते हुए भी भाषा अपनी यात्रा के विभिन्न पड़ावों पर देश-काल की परिस्थितियों में प्रभावित होती रहती है। भाषिक परिवर्तनों की गति यद्यपि बहुत मन्द होनी है, पर वह चलती रहती है निरन्तर ही। काफी मार्ग तय कर लेने के बाद जब यह किसी नये मोड़ पर पहुँचती है तो वहाँ पर हमें इन परिवर्तनों का प्रत्यक्षीकरण होता है। अज्ञात रूप से होने वाले ये परिवर्तन न्यूनाधिक मात्रा में, इसके सभी तत्त्वों—ध्वनि, रूप, अर्थ—को प्रभावित करते रहते हैं। उदाहरणार्थ, गृह में घर या लघुक से हल्का में दिखाई देने वाला ध्वन्यात्मक परिवर्तन अथवा 'अरि' पढोनी से 'अरि' शत्रु में या राजा 'नृपति' से राजा 'नाई' में होने वाला अर्थपरक परिवर्तन किसी एक दिन में नहीं हुआ। इन्हें इन रूपों में विकसित होने के लिए शताब्दियों का समय लगा। ब्राह्मणों के जातिवाचक शब्दों—उपाध्याय का भोज्या या ला, चतुर्वेदी का चौदे, चट्टोपाध्याय का चटर्जी होना—इसी ध्वन्यात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया के फल हैं।

जिन भाषाओं की हमारे पास ऐतिहासिक सामग्री उपलब्ध है उनके विभिन्न कालों के रूपों में सभी प्रकार के होने वाले परिवर्तनों को सहज ही देखा जा सकता है। भारत में ही वैदिक संस्कृत, साहित्यिक संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, आधुनिक आर्य भाषाओं में उपलब्ध होने वाले परिवर्तित रूप इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं।

इस सम्बन्ध में यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि परिवर्तनशीलता भाषा का सहज स्वभाव है उसके जीवन तत्त्व का चिह्न है और स्थिरीकरण उसकी मृत्यु। भाषा की गति ही अवरुद्ध नहीं होती, अपितु उसकी जीवनी-शक्ति भी नष्ट हो जाती है। आचार्य पाणिनि के द्वारा संस्कृत भाषा का मानकीकरण कर दिये जाने पर उसमें स्थिरता तो आ गयी किन्तु उसका वह प्रवाह वही रुक गया जो कि ऋग्वेद काल में शक्तिष्ठन्न रूप से अनेक देशकालगत परिवर्तनों को आत्ममान करता हुआ अबोध गति में अप्रसरित हो रहा था।

परिवर्तन की प्रक्रिया के सम्बन्ध में यह बतला देना भी आवश्यक है कि यद्यपि यह भाषा के सभी रूपों एव स्तरों में होता है किन्तु इसका प्रारम्भ भाषा के उच्चरित रूपों से होना है जोकि पर्याप्त काल तक न्यूनाधिक मात्रा में विभिन्न स्तरों पर चलता रहता है। साहित्यिक दृष्टि से विकसित भाषाओं में अन्ततोगत्वा ये परिवर्तन उनके लिखित रूपों में भी स्वीकार कर लिये जाते हैं। क्योंकि भाषा के उच्चरित रूप की तुलना में उसका लिखित रूप अधिक स्थिर एवं परम्परावादी होता है और भाषा में होने वाले परिवर्तनों को काफी प्रतिरोध के बाद स्वीकार करता है। उदाहरणार्थ, हिन्दी में ऋषि, ऋतु, परमात्मा, स्थायी आदि का उच्चारण रिशि, रिनु, पर्मात्मा, स्थाई आदि हो चुका है किन्तु उगरी लिखित परम्परा अभी उगरी पुरानी वर्तनी का ही अनुसरण कर रही है। अंग्रेजी में तो यह प्रवृत्ति और भी प्रबल रूप में दृष्टिगोचर होती है, यहाँ पर Write, wrong know, knife, daughter, colour आदि सैकड़ों ही शब्द हैं जो कि अपने उच्चरितरूप में वर्तनी में काफी दूर निकल गये हैं किन्तु अंग्रेजी अपने लिखित रूप में अब भी उन्हीं के साथ चिपकी हुई है यद्यपि अमेरिकन लेखक इस परिवर्तन को स्वीकार करने लगे हैं।

स्वायत्तता : भाषिक तत्त्वों की दृष्टि में सभी भाषाओं के बीच कतिपय रूपों में समानताओं के रहते हुए भी, (जैसा कि इनके आधुनिक वर्गीकरण में देखा जा सकता है) प्रत्येक भाषा का अपना एक स्वतन्त्र रूप भी होता है जो कि इसे अपने ही वर्ग की अन्य भाषाओं से पृथक्ता प्रदान करता है। यह विशेषता विभिन्न ध्वनि तत्त्वों—पोंपता, महाप्राणता, नासिका रजन, गुरु, खानाघान आदि—की विभिन्नमानता या अविद्यमानता, व्यन्तरेकी विन्तरेण पर आधारीत गृहीत ध्वनियों—स्वर एव व्यन्तरो—की गह्यता, उनके विन्तरेण, अति-गृहीत ध्वनियों की विन्तरेण, स्थावरणिक शब्दियों—निग, वचन, पुरय, कान, पश आदि की न्यूनाधिकता

आदि—अनेक रूपों में भी पायी जा सकती है। किन्हीं भी दो भाषाओं की संरचना का तुलनात्मक अध्ययन करने पर यह विभेद स्वयं ही स्पष्ट हो जाता है। उदाहरणार्थ, उर्दू में क, ख, ग की दो-दो ध्वनियाँ हैं जो कि सार्यक भी है किन्तु हिन्दी में ऐसा नहीं। ध्वनि संयोग की दृष्टि से अंग्रेजी में स्+ट+र का संयोग शब्द के प्रारम्भ में सर्वसामान्य रूप से पाया जा सकता है, यथा—स्ट्रीट, स्टेट आदि में। यह भारतीय भाषाओं में नहीं। इसी प्रकार संस्कृत में एक साथ र्+त+स्+न्+य जैसा पाँच शब्दों का संयोग सम्भव है, यथा कात्स्न्य में किन्तु अन्य अनेक भाषाओं में ऐसा सम्भव नहीं हो सकता। आधुनिक भाषाओं में भी लाहल की दो बोलियों चिनाली तथा पट्टणी में तीनों वचनों व पुरुषों की स्थिति पायी जाती है जबकि अधिकतर आधुनिक भारतीय भाषाओं में इसका लोप हो चुका है।

भाषा के रूप

पिछले पृष्ठों में हमने भाषिकी की विश्लेषणीय भाषा के सम्बन्ध में उसके स्वरूप एवं बहुआधामीयता का उल्लेख किया है। निम्नलिखित पक्तियों में हम उसके इसी एक रूप पर विचार करेंगे।

सिद्धान्त. भाषा के ध्वन्यात्मक एवं रूपात्मक तत्त्वों को प्रभावित करने वाली इकाइयों—व्यक्ति, समाज तथा उसकी विभिन्न वर्गीकृत इकाइयों—इतिहास, भूगोल आदि के आधार पर किसी भी भाषा के अनन्त रूपों की स्थापना की जा सकती है, किन्तु व्यावहारिक दृष्टि से किसी भी भाषा के रूपों में सख्या सीमित होती है। इस दृष्टि से भाषा विज्ञानियों द्वारा मान्यता प्राप्त रूप कुछ इस प्रकार ठहरते हैं।

भाषा—(परिनिष्ठित एवं साहित्यिक भाषा)—कुछ लोग भाषा को मूल प्रकृति एवं कार्यक्षमता से अनभिज्ञता के कारण लोक-व्यवहार की आधारभूत वाक् से उन रूपों में नामात्मक अन्तर करते हैं जिनमें से एक का प्रयोग किन्हीं सुसंबद्ध क्षेत्रों में सीमित सख्या के व्यक्तियों द्वारा सीमित प्रयोजनों, यथा—साहित्यिक रचनाओं, संचार एवं प्रसार माध्यमों, आदि के लिए किया जाता है, या हिन्दी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी आदि के रूप में जो कि अपने में सर्वसाधारण की व्यवहार प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व न करके स्थान विशेष तथा वर्ग विशेष के वाग्व्यवहारों का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये लोग भाषा के इस साहित्यिक या मानकीकृत रूप को ही भाषा का दर्जा देने के पक्षपाती हैं। इस प्रकार के आधारों पर भाषा के पद पर प्रतिष्ठापित भाषा का भौगोलिक क्षेत्र तथा प्रयोग क्षेत्र इसके अन्य रूपों की अपेक्षा विस्तृत होता है। इसमें स्थिरता एवं एकरूपता का तत्त्व भी अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में पाया जाता है। उदाहरणार्थ, साहित्यिक संस्कृत का रूप लगभग ढाई

हजार वर्षों में अपनी एकरूपता बनाये हुए है तथा इसका प्रयोग क्षेत्र भी अटक-से-कटक तक ब काश्मीर से बन्गालुमारी तक रहा है। इसी प्रकार परिनिष्ठित हिन्दी भी आज भारत के सान बड़े-बड़े राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों की राजभाषा तथा गारे देज की व्यवहार भाषा है तथा अपने साहित्यिक रूप में वह पर्याप्त स्थिरता की भी प्राप्त कर चुकी है।

विभाषा (बोली)—इसके विपरीत ये लोग भाषा के उन रूपों को बोली (dialect) या उपभाषा (sub-dialect) कहना अधिक उपयुक्त समझते हैं जो कि सीमित क्षेत्रों में, सीमित जनसंख्या द्वारा बोली जाती है तथा जिनका उपयोग साहित्यिक रचनाओं तथा प्रशासकीय प्रयोजनों के लिए नहीं किया जाता है। यद्यपि भाषिक अभिव्यक्तियों की दृष्टि से उनमें भी बड़ी क्षमता होती है जो कि भाषा के पद पर प्रतिष्ठापित भाषा में होती है। यह एक बड़ी विचित्र बात है कि कभी-कभी वैज्ञानिक आधारों की अपेक्षा राजनीतिक आधार इस भाषिक विभाजन के कारण बन जाते हैं। इस देश में ही सभी (मध्य काल में) अवधी, ब्रज, एवं राजस्थानी को भाषा पद में अभिहित किए जाने का पूर्ण गौरव प्राप्त था किन्तु आज ये इस पद में च्युत होकर हिन्दी की बोलिया या विभाषाएँ बन गयी हैं और हिन्दी जोकि हिन्दवी के नाम में अभिहित की जाने वाली एक विभाषा थी, वह भाषा के पद पर आगे बढ़ी है। आचार्य पाणिनि के समय भी विभाषाओं (क्षेत्रीय भाषाओं) की स्थिति थी और उन्होंने अपनी अष्टाध्यायी में कई स्थानों पर भाषा के क्षेत्रीय विभेदों को दिखाने के लिए इस शब्द का प्रयोग भी किया है। किन्तु वहाँ इस शब्द का मकेंन-बोध उगी रूप में नहीं है जिसमें कि आज तक इसका प्रयोग किया जा रहा है। वहाँ पर प्रश्न परिनिष्ठित व अपरिनिष्ठित का नहीं, अपितु स्वरूप भेद का है, यथा—विभाषा दिक्त्तमासे बहुव्रीहि हो। (1 | 28)। इसमें उन्होंने पद प्रयोग की दृष्टि से एक ही समस्त पद के दो रूपों—उत्तर पूर्वस्य तथा उत्तर पूर्वसि के दो क्षेत्रीय प्रयोगों की दिखलाया गया है। इन रूपों में क्षेत्रीय दृष्टि से रूप भेद होने पर भी दोनों ही मस्कृत भाषा के लिए समान रूप में मान्य हैं। स्मरण रहे कि यहाँ पर 'विभाषा' का अर्थ सामान्य 'विवक्ष्य' नहीं, अपितु क्षेत्रीय विवक्ष्य है। इनमें परिनिष्ठित भाषा तथा अपरिनिष्ठित (बोली) जैसा कोई भेद नहीं।

यसतुन भाषा और बोली का यह भेद भाषा वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित न होकर व्यावहारिक परिवर्तनाओं पर आधारित होता है। भाषिक गरचना के तत्वों की दृष्टि में दोनों के बीच कोई मौलिक अन्तर नहीं होता।

परिच्छिष्ट (व्यावहारिक) भाषा—जिनी भाषाई समुदाय में विभिन्न वर्गों व व्यवसायों समुदायों के लोग सम्मिलित होने हैं। प्रत्येक व्यवसाय की अपनी व्यावसायिक शब्दावली भी होती है जिनके माध्यम में वे परस्पर भाषिक आदान-

प्रदान करते हैं। यह कोई पृथक् भाषा नहीं होती। अधिकांश में यह स्थान विशेष की भाषा या बोली के अनुरूप ही होती है। उनमें अन्तर होता है व्यवसाय विशेष में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाली शब्दावली का, यथा डॉक्टरों के द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली भाषा में विभिन्न प्रकार की दवाओं, रोगों या उनकी उपचार विधि से सम्बद्ध तकनीकी पारिभाषिक शब्दावली का आधिक्य होगा। ऐसे ही वकीलों और मुत्तियों की भाषा में विधि व्यवहार सम्बन्धी शब्दावली का, पण्डितों की भाषा में संस्कृत मूलक शब्दावली का, व्यापारियों की भाषा में तत् तत् व्यापार सम्बन्धी शब्दावली का आधिक्य हो सकता है।

समाज भाषा वैज्ञानिक अध्ययनों में इसके अतिरिक्त जाति भाषाओं (Cast Languages) की सत्ता भी स्वीकार की जाती है। विशेषकर वर्णों और जातियों में विभक्त भारतीय समाज में बोलने वालों के वर्ण और जाति के आधार पर भाषिक विभेदा की स्थिति पायी जाती है जिसे ब्राह्मणों की भाषा, जाटों की भाषा, बनियों की भाषा, जुलाहों की भाषा, चमारों की भाषा, अहीरों की भाषा, गूजरों की भाषा आदि के नाम से अभिहित किया जाता है।

इतना ही नहीं, व्यक्तिनिष्ठ तथा स्थितिनिष्ठ भाषिक रूपों के सम्भाव्य उप-विभाजनो की सीमा का तो कोई अन्त ही नहीं। प्रत्येक व्यक्ति की वाक् प्रवृत्तियों में भी काल विशेष में विद्यमान स्थितियों की भिन्नता तथा उसकी सामाजिक भूमिकाओं की भिन्नता के आधार पर उसकी भाषा के रूपों में भिन्नता पायी जाती है। एक ही व्यक्ति के व्यवहार में, अन्तरंग पारिवारिक समुदाय के प्रसंगों में, अपरिचितों अथवा भिन्न प्रकार की सामाजिक स्थिति से सम्बद्ध व्यक्तियों के प्रसंग में, व्यावसायिक वार्तालाप में अथवा पाठित्यपूर्ण प्रवचनों में या इसी प्रकार के अन्यान्य प्रसंगों में भिन्न-भिन्न प्रकार के भाषिक रूपों के दर्शन होते हैं। एक ही व्यक्ति के भाषाई परिवार में पाये जाने वाले इन विभेदों को प्रायः शैलियाँ कहा जाता है।

कूटभाषा (Code Language)—सभी जानते हैं कि भाषा का प्रमुख कार्य है भावों का सम्प्रेषण। किन्तु सम्प्रेषण का रूप सर्वजन व्यक्त भी हो सकता है और कतिपय जन सीमित भी। भाषिक अभिव्यक्ति का यह उत्तरवर्ती रूप है जिसके लिए कूट भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसे वृत्ति भाषा या गुप्त भाषा भी कहा जाता है। इस भाषिक पद्धति में श्रोता वर्ग को 'अन्तरंग' एवं 'बहिर्ग' इन दो वर्गों में विभक्त कर दिया जाता है तथा तदनुसार ही भाषा के भी दो रूप होते हैं एक अन्तरंग वर्ग के लिए तथा दूसरा बहिर्ग वर्ग के लिए। इसका प्रयोग आमतौर पर अपराध जगत (Crime world) की घुणित वृत्तियों, (चोरी, डाका, हत्या आदि) को अपनाने वाले लोगों के द्वारा किया जाता है। संस्कृत में इसका सुन्दर उदाहरण है विभक्ति श्लेष के प्रसंग में उदाहृत साहित्य दर्पण का

निम्न श्लोक—

सर्वस्वंहर सर्वस्यत्वं भवच्छेदतत्परः ।
नपोपकार साम्मुख्यमायासि तनुवर्तनम् ॥

जिसमें कि चोरो के मरदार के द्वारा प्रत्यक्ष भाषा में भगवान शकर की स्तुति की जा रही है तथा कूट भाषा में अपने वर्ग के लोगों को आवश्यक संकेत दिए जा रहे हैं (जैसे शकर के पक्ष में—हे हर त्वं सर्वस्य सर्वस्वं" हे भगवान शकर तुम ही सबके सब-कुछ हो, और चोरो के पक्ष में—त्वं सर्वस्य सर्वस्वं हर "तुम इन सभी के पास जो कुछ भी है सब लूट लो" आदि ।

अपराध जगन में कार्य करने वाले लोगों के अतिरिक्त और भी कई ऐसे वृत्ति वर्ग हैं जिनमें वृत्ति भाषा के रूप में कूट भाषा का प्रयोग किया जाता है, जैसे तीर्थों पर पीरोहित्य करने वाले पाण्डे किमी व्यवसाय विशेष (यथा बनारसी मिल्क का व्यवसाय विशेष) में कार्य करने वाले दलाल आदि ।

संरचना की दृष्टि से तथा कतिपय अधिक शब्दों में भी भाषा सामान्य के अनुरूप होने पर भी अपनी शब्दावली तथा उमसे संकेतित अर्थों की अभिव्यक्ति में यह उमसे पर्याप्त भिन्न होती है । अर्थात् कभी तो इसमें अभिप्रेत अर्थ का सम्प्रेषण करने के लिए सर्वथा अपरिचित शब्दावली गड़ ली जाती है और कभी सामान्य रूप से अन्य अर्थों के अभिव्यजन शब्दों को अन्य अर्थ प्रदान कर दिए जाते हैं जो कि अविश्वस्य मान्य होते हैं, यथा—बनारस के पाण्डे की बोली "मिघाडा (तीन) गगजल (मादक पेय) घातिरदारी (अच्छी पिटाई), जीजा जी (पुलिस मैन) आदि ।

इसका कोई निश्चित रूप नहीं होता । समुदाय विशेष अपने 'अंतरंग' व्यवहार के लिए विभिन्न शब्दों के अभिप्रेत संकेत निर्धारित कर लेता है तथा उन्हीं के माध्यम से अपने वर्ग या वृत्ति के लोगों के बीच अपना भाव सम्प्रेषण करता है । इससे भाव सम्प्रेषण के अतिरिक्त उन्हें जो अन्य लाभ होता है, वह है अपने वर्ग के सदस्यों की पहचान । इन कूट संकेतों के द्वारा वे उमी प्रकार 'अंतरंग' व 'बहिरंग' वर्ग का पता लगा लेते हैं जैसे किमी 'कोड' मन्त्र में सेना की टुकड़िया 'म्व' तथा 'पर' पक्ष के सैनिकों की पहचान कर लेती हैं ।

वर्ग विशेष या वृत्ति विशेष के द्वारा प्रयोग में लायी जाने वाली कूट भाषा में सामान्यतः ध्वनि परिवर्तन या पद-परिवर्तन नहीं होता, मात्र उन्हें अभिप्रेत अर्थ संकेतों के साथ जोड़ा जाता है किन्तु कभी-कभी अति प्रचलित को भी अबोधगम्य बनाने के लिए उममें ध्वनि-परिवर्तन को भी स्थान दिया जाता है किन्तु जब कभी उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि उनके द्वारा निर्धारित अर्थ-अर्थ बहिरंग वर्ग के लोगों

को ज्ञात हो गया तो वे तुरन्त उसे अपनी व्यावसायिक शब्दावली से निकालकर उसके स्थान पर किसी अन्य शब्द को प्रतिष्ठापित कर लेते हैं।

कूट भाषा का एक अन्य रूप कतिपय साम्प्रदायिक भाषिक व्यवहारों में भी देखा जाता है। यथा—पंजाब में निहंग सिक्खों की भाषा सामान्य पंजाबी भाषा से अनेक अंशों में भिन्न है। उदाहरणार्थ छावनी (डैरा), तंबू (कच्छा), परसादे (रोटी) आदि। वे लोग पारस्परिक व्यवहार में इसी भाषा का प्रयोग करते हैं।

कृत्रिम भाषा (Artificial language)—पीछे भाषा की प्रवृत्तियों पर विचार करते हुए सकेत किया गया था कि भाषा का प्रवाह अनादिकाल से अविच्छिन्न रूप में चलता रहता है तथा अपनी इम यात्रा के दौरान वह सहज रूप से होने वाले परिवर्तनों के फलस्वरूप अपने नये-नये रूपों में विकसित होती रहती है। किन्ती भी प्रचलित भाषा को किसी काल विशेष में किसी व्यक्ति विशेष की या व्यक्ति समुदाय ने बँठकर बनाया हो, ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता। भाषा के इस नैसर्गिक विकास के विपरीत यदि किन्ती विशेष लक्ष्य को सामने रखकर कोई व्यक्ति या समुदाय भाषिक प्रतीकों की रचना करे तो वह भाषा का कृत्रिम रूप कहा जायेगा। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में एक प्रसिद्ध भाषाविद् डॉ० जामेन हाफ (Zamen hof) ने वैज्ञानिक साधनों एवं विकसित संचार व्यवस्था के फल-स्वरूप विश्व के विभिन्न भाषाभाषी जनो को एक-दूसरे के निकट सम्पर्क में आने पर जो भाषिक, आदान-प्रदान की कठिनाइयाँ आती हैं, उन्हें सामने रखकर पार-स्परिक व्यापार, राजनीति आदि की सुविधा के लिए एक ऐसी विश्वभाषा के निर्माण का सकल्प किया जो कि विभिन्न भाषाई तत्त्वों के सम्मिश्रण से बनायी जाय तथा जिनके माध्यम से भाषा-भेद जनित समस्त अंतर्राष्ट्रीय कठिनाइयों को दूर कर दिया जाय। भाषिक व्यवहार के इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए उन्होंने जिस भाषा का निर्माण किया उसे उन्होंने 'एस्पिरांतो' (Aspiranto) के नाम से अभिहित किया। 19वीं शताब्दी के आठवें दशक में इसका प्रचार भी हुआ। अनेक विश्वविद्यालयों में इसका विधिवत् पठन-पाठन भी प्रारम्भ किया गया तथा जिनेवा, लिवरपूल और क्रेको (Cracow) आदि कुछ विश्वविद्यालयों में इसके लिए आचार्यपीठों की स्थापना भी की गई, किंतु अनेक व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण न तो यह लोकप्रिय हो सकी और न स्थायित्व ही पा सकी। इतिहास की एक स्मरणीय घटना मात्र बनकर रह गयी। स्मरणीय है कि एस्पिरांतो के निर्माण में इस बात का विशेष ध्यान रखा गया था कि रूप-रचना की दृष्टि से यह बहुत सरल हो, इसलिए इसे विशिष्ट प्रत्यययोगी भाषाओं के साथे पर ढाला गया, उदाहरणार्थ—लाईतेल्लिजेन्ता, स्तूदेन्तो लंगाम बोनातन लोबातन (मिथावी छात्र पढ़ता है अच्छी पुस्तकें) इसमें ला पद अंग्रेजी के द का स्थानापन्न है, विशेषणों की रचना 'आ' प्रत्यय के योग से होने के कारण 'इन्तोलिजेन्त' का 'इन्तेलिजेन्ता

रूप हो गया, सजा रूपों की संरचना के लिए 'ओ' प्रत्यय का विधान होने से 'सूदेन्' का 'सूदेन्तो' हो गया, वर्तमान काल—'बोधक' बाम के योग से बेग का 'नेषाम' हो गया तथा बहुवचन बोधक प्रत्यय 'तन' के योग से 'वोना' (अच्छा) का 'वोनोनन' तथा निम्नो (पुस्तक) का 'तिन्नानन' हो गया। 'विश्वभाषा' निर्माण की दिशा में डॉ० जेमिन हाफ के अनिरीक्षण और भी कई भाषा विज्ञानियों ने प्रयत्न किये किन्तु कोई भी सफलता को प्राप्त नहीं कर सका।

मिश्रित भाषा (Pidgin)—पिजिन या मिश्रित भाषा, भाषा का यह रूप है जो कि किन्हीं विरोध परिस्थितियों में ऐसे भिन्न-भिन्न भाषा भाषीजनों के अल्प-कालिक सम्पर्क में विकसित हो जाती है जिनकी कोई एक सर्वव्यवहार भाषा नहीं होती। विभिन्न प्रकार के सम्पर्कों—यथा, किमी व्यापारिक केन्द्र में भिन्न-भिन्न भाषा भाषी व्यापारियों के व्यापारिक सम्पर्कों, भिन्न-भिन्न भाषा-भाषी पर्यटकों तथा गाइडों के सम्पर्कों, भिन्न-भिन्न भाषाभाषी मालिकों तथा मेवकों के सम्पर्कों में जिन काम चलाऊ या बाजारू भाषा का जन्म होता है वही पिजिन कहलाती है। इसमें अभिप्रेत भावों का संप्रेषण करने के लिए किमी भी भाषिक व्यवस्था का पूरी तरह में पालन न करके केवल कनिष्ठ शब्दों के सहारे काम चलाने का यत्न किया जाता है। जैसे कोई हिंदुस्तानी नौकर किमी अंग्रेज मालिक से बड़े—“साहब, अन्न बनाना 'ईट' और बह बहे 'दम' हम खाना माँगता है। या कोई अहिंदीभाषी किमी हिंदीभाषी से बम्बईया हिंदी में बड़े “आपुन को देखना माँगता है।” इस प्रकार की भाषा का न तो कोई व्यवस्थित रूप होता है और न इसमें किमी प्रकार के साहित्य की सृजना ही की जाती है। इसमें मात्र काम चलाने के लिए दोनों ही भाषाओं के शब्दों को लेकर उनकी व्याकरणिक व्यवस्थाओं का पालन किये बिना भावाभिप्रेत का माध्यम बनाया जाता है। यह उम अपभ्रंश की भाँति होती है जो कि मजबूती में चलता तो है पर उनकी दोनों टाँगों में से कोई भी टाँग स्वस्थ एवं सुदृढ़ नहीं होती।

भारत के रूप में पिजिन का विकास किन्हीं दो भिन्न-भिन्न भाषा-भाषियों के बीच कभी-नभार होने वाले सम्पर्क में नहीं अतिसु निरंतर या प्रायिक सम्पर्कों के फलस्वरूप होता है। इसमें प्रत्येक पक्ष दूसरे की भाषा का अनुकरण करने का अमरक प्रयत्न करता है और दूसरा पक्ष यथार्थ अनुकरण में उसकी अक्षमता को स्वीकार करके उगवे टूटे-फूटे अनुकरण की ही स्वीकार कर लेता है। साधारण सुझना पर किमी का भी आपह नहीं होता है। इस प्रकार किमी भी मिश्रित या पिजिन भाषा के मूल में दो भिन्न-भिन्न भाषाएँ होती हैं और उन्हीं के अलग-अलग मिश्रण में इनका विकास होता है। इसका एक सुन्दर रूप चीन की अपेची मिश्रित पिजिन में देखा जाता है। अन्य प्रवासी जनो में मुस्त द्वीपों व बन्दरगाहों में भी इसके रूप पाये जाते हैं।

क्रेओलित भाषा (Creolized languages)—किसी क्षेत्र विशेष की पिजिन व मिश्रित भाषा ही कालांतर में क्रेओलित भाषा बन जाती है। दो भिन्न-भिन्न भाषिक स्रोतों से पोषित होने वाली पिजिन की स्थिति तभी तक रहती है जब तक कि उसे उत्पन्न करने वाली भाषिक स्थिति बनी रहती है और वह क्रेओलित भाषा की स्थिति को प्राप्त नहीं हो जाती। यह स्थिति तब आती है जबकि उस भाषा को बोलने वाले लोगों को आगामी पीढ़ियाँ उसे अपनी प्रथम भाषा के रूप में सीखती व उसका उसी रूप में प्रयोग करती हैं। ऐसा तब होता है जब कि इस नयी पीढ़ी के बच्चों के माता-पिता भिन्न-भिन्न भाषिक समुदायों से संबद्ध रहते हैं तथा पारस्परिक आदान-प्रदान के लिए उनके पास पिजिन के अतिरिक्त और कोई भाषिक माध्यम नहीं होता है। प्रायेण देखा जाता है कि जब क्षेत्र विशेष के किसी एक परिवार में नहीं अपितु अधिकतम परिवारों में ऐसी ही भाषिक स्थिति उत्पन्न होती है तभी क्रेओलित भाषा की सत्ता संभव होती है। क्योंकि इसी स्थिति में वानर न केवल अपने माता-पिता के वाग्व्यवहार में अपितु अपने सामाजिक परिवेश में भी भाषा के इसी रूप से परिचय प्राप्त करता व इसका अर्जन करता है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण दक्षिण अमेरिका तथा कैरिबिअन क्षेत्र के वागानों में काम करने वाले उन अफ्रीका के दासों की बोलियों में पाया जाता है जिन्हें कि एक योजनाबद्ध रूप से अपने कबीलों के लोगों के साथ इसलिए नहीं रखा गया था कि वे कभी सम्मिलित होकर अपने प्रभुओं के विरुद्ध किसी प्रकार का विद्रोह खड़ा न कर सकें। उस समय उन लोगों में परस्पर आदान-प्रदान की भाषा के रूप में मात्र पिजिन ही प्रयुक्त हो पानी थी किंतु इनकी आने वाली पीढ़ियों के बच्चों ने इसे ही अपनी प्रथम भाषा के रूप में पाया व अर्जित किया। इसी प्रकार मलेशिया में द्वितीय महायुद्ध के उपरान्त अनेक भाषिक समुदायों में स्वेच्छा से पारस्परिक समागम हो जाने से वे तोग नव-मलेशियन भाषा के नाम से अपने सभी प्रकार के आदान-प्रदानों के लिए इसी का प्रयोग करते हैं। किन्तु ये क्रेओलित भाषाएं अपनी मूल भाषाओं के अनेक ध्वन्यात्मक एवं रूपात्मक रूपों का परित्याग करके अपना स्वतंत्र ढांचा खड़ा कर लेती हैं, जोकि किसी भी अन्य भाषा के समान अपना एक स्वतंत्र संरचनात्मक अस्तित्व रखता है।

विकृत भाषा (Slang)—विकृत भाषा सामान्य व्यवहार भाषा का ही एक रूप है जब किसी भाषा समूह के वक्ताओं के भाषिक व्यवहारों में कुछ ऐसे रूपों का आम प्रचलन हो जाता है जोकि या तो शिष्ट समाज में स्वीकृत भाषा के रूपों का विकृत रूप होता है या उनकी दृष्टि में अग्राह्य होता है तो उसे विकृत भाषा या घुट भाषा कहा जाता है। अंग्रेजी में इसके लिए अति प्रचलित शब्द है 'स्लैंग'। अमेरिकन अंग्रेजी में इस प्रकार का भाषिक व्यवहार काफी मात्रा में पाया

जाना है, 'यम', के लिए या 'हलो।' तथा 'हाव् आर यू!' के लिए 'हाय', 'मदर' के लिए 'कैट' मम्मी के स्थान पर 'मोम्' या डैडी के स्थान पर 'डैड' आदि आम-तौर पर सुना जा सकता है। इसमें भाषा की व्याकरणिक प्रतिबद्धता, शिष्टजन सम्मतता आदि को विशेष महत्त्व नहीं दिया जाता है। व्याकरणिक व्यवस्थाओं के विपरीत भी शब्द निर्माण कर लिया जाता है। हिन्दी में भी इस प्रकार के प्रयोग आम सुनने को मिल जाते हैं—मकड़न लगाना, गुल्ली करना, किमी की बजाना, जैसे शिष्ट समाज में अस्वीकृत एवं अस्वीकृतबोधक शब्दों का व्यवहार भाषा के इसी रूप को व्यक्त करना है।

इसके अनिश्चित इस प्रकार की भाषा में अनेक बार शब्दों को उनके सामान्य अर्थों में भिन्न अर्थों में प्रयुक्त करने का भी प्रयत्न किया जाता है। उपर्युक्त अप्रेजी के उदाहरण में मां को 'ओल्ड कैट' (बूढ़ी बिल्ली) कहना, किमी व्यक्ति को गधा या औरत को 'छिन्नली' कहना अथवा किमी बूढ़ व्यक्ति को 'छुसट' कहना भाषा के इसी रूप के परिचायक है।

वस्तुतः विकृत भाषा का प्रयोग करने वाला एक ऐसा विशिष्ट वर्ग होता है जो कि या तो लोक मर्यादा एवं शिष्टजनों की अभिरुचि की कोई परवाह नहीं करता या जान-बूझकर उसके विकृत आचरण करने का यत्न करता है। यह अपनी उच्छृंखलता एवं सम्कारहीनता का भी द्योतक होता है। कभी-कभी ये प्रयोग इतने अधिक प्रचलित होते हैं कि अनायास ही शिष्टजनों की भाषा में भी उन्हें स्थान प्राप्त हो जाता है।

विशेषक भाषा (Distinctive Language)—अनेक भाषा समुदायों में विभिन्न प्रकार की द्विभाषिणा (dichotomy) की स्थिति पायी जाती है। कभी इसका आधार वर्ण-भेद होता है जिसमें कि उच्च या शिष्ट वर्ग की भाषा निम्न अर्थात् सामान्य जन वर्ग की भाषा से भिन्न होती है, यथा—संस्कृत नाटकों में जहाँ कि राजा, ब्राह्मण, ऋषि, मुनि आदि संस्कृत भाषा का प्रयोग करते हैं तथा अन्य जन भिन्न-भिन्न प्राणियों का। आधुनिक भाषाओं में इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण निम्ननी तथा इस वर्ग की भाषाओं में देखने को मिलता है जिनमें कि सामान्य जनो के लिए व्यवहृत होने वाली भाषा का रूप शिष्ट जनो के लिए व्यवहृत होने वाली भाषा के रूप में सर्वथा भिन्न होता है। यथा सहागी 'गिर' गो (सामान्य) ऊ (शिष्ट) 'आय' (मिक्) (सामान्य) श्वन (शिष्ट) 'हाय' सगपा (सामान्य) छग (शिष्ट), 'गाना' जाचेस (सामान्य) रोनचेस, (शिष्ट) आदि। बताया जाता है कि प्राचा की भाषा में भी यह वर्णभेद पाया जाता है। उसमें शिष्टजनों के द्वारा व्यवहृत भाषा को 'शोशो' तथा सामान्य जनो की भाषा को 'शोमो, बहा' जाता है।

वर्ण-भेद पर आधारित भाषा को विविधता के समान ही निष्-भेद पर

आधारित भाषाओं की स्थिति भी पायी जाती है। दक्षिण अमेरिका में रहने वाली 'कराया इण्डियन' नामक जनजाति में पुरुष तथा स्त्रियों की भाषा एक-दूसरे से सर्वथा भिन्न प्रकार की होती है। साहित्यिक तथा सामान्य व्यवहार की भाषा की द्वैधता तो प्रायः सभी भाषाओं में पायी जाती है।

भाषा की उपलब्धि—भाषा के स्वरूप के सम्बन्ध में चर्चा की जा चुकी है। इसकी उत्पादन प्रक्रिया के सम्बन्ध में आगे विचार किया जायेगा। यहाँ पर हम संक्षेप में इस बात का उल्लेख करेंगे कि व्यक्ति भाषा की उपलब्धि कैसे करता है तथा उसके प्रमुख गुण-धर्म क्या हैं।

यद्यपि भाषा की प्रकृति एवं प्रक्रियाओं से अनभिज्ञ जन-साधारण यही समझता है कि प्रकृति-प्रदत्त अन्य कार्यकलापों—हसना, रोना, खाना, पीना, सोना आदि के समान ही भाषा की कला भी उसे प्रकृति से सहज रूप में प्राप्त हुई है किन्तु अनेक परीक्षणों तथा प्रत्यक्ष अनुभूतियों से यह स्पष्ट है कि भाषा हमें उसी रूप में प्राप्त नहीं होती जिस रूप में कि उपर्युक्त अन्य चीजें। मानव में बुद्धि-तत्त्व की प्रधानता के कारण विभिन्न वातावरणों के योग से वाग्ध्वनियों को उत्पन्न कर सकने की क्षमता तो प्रकृतिप्रदत्त हो सकती है किन्तु हम अपने वाग्ध्वन्यवहार के लिए जिस भाषा या जिन भाषाओं का उपयोग करते हैं वह प्रकृतिप्रदत्त नहीं। कहने का अभिप्राय यह है कि कोई भी व्यक्ति अपने जन्म के साथ ही भाषा विशेष में भावाभिव्यक्ति की क्षमता लेकर उत्पन्न नहीं होता है। उसे अनेक अन्य वस्तुओं के समान ही इसे भी अपने आसपास के वातावरण से अर्जित करना पड़ता है। इसीलिए कोई भी मानव-शिशु जिस भाषिक वातावरण में जन्म लेता है और पोषित होता है वह उसी की भाषा को अपने प्रयासों से सीखता है। जन्मतः उसकी कोई भाषा नहीं होती है। वह अपने शारीरिक विकास के साथ-साथ उन ध्वनियों एवं ध्वनि संकेतों का अनुकरण करता है जिन्हें कि वह बार-बार सुनता रहता है। अपनी इस अनुकरण की प्रक्रिया में ध्वनि यंत्रों की कोमलता व लचीलेपन के कारण ऐसी ध्वनियों या सुरों का भी अभ्यास कर लेता है कि जिनका यथा तथ्य उच्चारण अन्य भाषाभाषी बयस्को के लिए कठिन होता है। अपनी शैशवावस्था में ही वह अपने आसपास की भाषा/भाषाओं के पूरे ढाँचे से भली-भाँति परिचित हो जाता है तथा अपने भाषाई आदान-प्रदान के लिए विविध रूपों में उनका उपयोग करने की क्षमता भी प्राप्त कर लेता है। हम देखते हैं कि कोई भी सामान्य मानव-शिशु मा-मा, पा-पा जैसे सर्व मरल ध्वनियों के उच्चारण की क्षमता के अर्जन के उपरान्त शन-शनः अपने सामाजिक सम्पर्क के विस्तार के साथ-साथ उसके जटिलतम रूपों के प्रयोग में कुशल हो जाता है। अपनी भाषिक क्षमता के अर्जन में किसी शिशु को कितना सघर्ष व अभ्यास करना पड़ता है, इसका अनुमान लगा पाना मरल नहीं। यदि हम वाचिक अभिव्यक्ति के लिए प्रयत्नशील किसी

शिशु को वाचिक क्रियाओं का सूक्ष्म रूप से अध्ययन व विश्लेषण करें तो देख सकेंगे कि किमी एक ध्वनि या ध्वनि-क्रम को सीखने या आत्मसात करने के लिए उसे कितना अभ्यास करना पड़ता है। वह उन ध्वनियों या ध्वनिक्रमों (शब्दों) को बार-बार अनगणन रूप से दुहराता है और भूल जाने की स्थिति में पुनः समीपस्थ आत्मीय जनो से पूछता है। हम देखते हैं कि कई बार कोई शिशु एक ही शब्द को बार-बार पूछता है। वह ऐसा इसलिए करता है कि उसके मस्तिष्क में श्रुत ध्वनियों का स्वरूप स्पष्टतया अंकित नहीं हो पाता है। वह बार-बार सुनकर तथा उतनी ही बार दुहरा कर उसके निकटतम रूप को तथा उससे संवेदित अर्थ को भी आत्मसात कर लेना चाहता है। उसका प्रयत्न होता है कि वह बम से बम उन ध्वनि प्रतीकों पर तो अधिकार कर ले जो कि उनके जीवन धारण के लिए आवश्यक भौतिक पदार्थों, दूध, पानी, अथवा किमी विशेष खाद्य सामग्री का संकेत बोध कराती हैं। इसके बाद उसकी आत्माभिव्यक्ति की भावना उसे भाषा के अन्यान्य रूपों को अर्जन करने के लिए प्रेरित करती है। इस प्रकार ज्यो-ज्यो उसका शारीरिक एवं बौद्धिक विकास होता है त्यों-त्यों उसकी भाषिक क्षमता का भी विकास होता जाता है।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भाषिक क्षमता के अर्जन में अविवेकित अनुकरण तथा विवेकित प्रयत्न दोनों का योगदान होता है। इसमें जहां तक मातृ-भाषा के अर्जन का प्रश्न है उसमें बौद्धिक प्रयत्न का योगदान रहत हुए भी सहज अनुकरण का प्राधान्य रहता है किन्तु मातृभाषा या परिवेशीय भाषा के अनिश्चित किमी अन्य भाषा का ज्ञान प्राप्त करने में बौद्धिक प्रयत्न का ही विशेष योग रहता है। यद्यपि तात्त्विक दृष्टि से दोनों ही प्रकार का भाषाअर्जन प्रयत्न-मापेश होता है किन्तु शिशु काल में भाषाअर्जन के लिए किए गए प्रयत्न की अनुभूति में हम अनभिज्ञ रहते हैं जबकि अन्य भाषा के अर्जन के लिए किए गए प्रयत्न की हमें स्पष्ट अनुभूति होती है।

2

भाषिकी की परिभाषा एवं विषय

यह तो निर्विवाद है कि भाषिकी का सम्बन्ध मानवीय भाषा के साथ है किन्तु इसकी परिभाषा एवं विषय-क्षेत्र के सम्बन्ध में विद्वानों में मतभेद पाया जाता है। किसी मानव-समूह की भाषा का विविध पक्षों से वैज्ञानिक विवेचन करने के कारण इसे 'भाषा का विज्ञान' अर्थात् 'साइंस ऑफ लैंग्वेज' कहा जा सकता है तथा इस नाम में ही इसका प्रचलन हो भी रहा है। 'भाषा का विज्ञान' कहे से इसकी व्याख्या तो हो जाती है किन्तु यह पारिभाषिक पद नहीं बनता। इसी दृष्टि में आधुनिक विद्वानों ने इसके लिए प्रचलित नामों फिलॉलॉजी, तुलनात्मक भाषा विज्ञान, भाषा-विज्ञान आदि—की अपेक्षा 'भाषिकी' (लिग्विस्टिक्स) को अधिक उपयुक्त समझा है। इसमें पारिभाषिक शब्दावली की दोनों अपेक्षाओं—मंशिलता तथा मय्यक् अर्थ शोषकता—की पूर्ति हो जाती है। यह पर यह रचना देना भी अपेक्षित है कि भाषा के विज्ञान के लिए 'भाषिकी' का प्रयोग उभी प्रकार किया जाता है जिस प्रकार की जीव विज्ञान के लिए 'जैविकी', भौतिक विज्ञान के लिए 'भौतिकी' अथवा रसायन विज्ञान के लिए 'रासायनिकी' जैसे पारिभाषिक पदों का प्रयोग किया जा रहा है।

इसकी परिभाषा के सम्बन्ध में यह स्पष्ट कर देना भी अपेक्षित है कि ज्ञान के अन्य अनुशासनो के समान ही भाषिकी का अध्ययन-क्षेत्र भी स्थिर एवं गतिहीन नहीं है। समय की गति के साथ इसके भी अध्ययनीय पक्षों का भिन्न-भिन्न रूपों में विस्तार होता रहा है तथा अध्ययन के दृष्टिकोणों में भी अन्तर होता रहा है। अतः किसी भी विक्रामशील विषय के समान ही भाषिकी के सम्बन्ध में भी कोई ऐसी परिभाषा प्रस्तुत नहीं की जा सकती जो कि सभी विद्वानों को उसी रूप में स्वीकार्य हो तथा सदा के लिए अपरिवर्तनीय हो।

जैसा कि ऊपर मकेन किया गया है कि भाषिकी के लिए अंग्रेजी के 'फिलॉलॉजी' पद का प्रयोग भी किया जाता रहा है किन्तु यह शब्द कई दृष्टियों में ग्राह्य नहीं, एक तो बतियव योरोपीय भाषाओं तथा फ्रेंच, जर्मन (Philologic) आदि में इस शब्द का प्रयोग भाषा-विज्ञान से भिन्न अर्थों में भी किया जाता है तथा अंग्रेजी में इसका प्रयोग भाषिकी की अन्ततम शाखा 'तुलनात्मक भाषा विज्ञान' के अर्थ में किया जाता रहा है। जर्मन भाषा में इस शब्द का प्रयोग मुख्यतः ग्रीक एवं रोमन के पुरातन साहित्यिक ग्रन्थों के पाण्डित्यपूर्ण अध्ययनों के लिए तथा सामान्यतः साहित्यिक प्रलेखों के माध्यम से किये गये सामूहिक अध्ययनों के लिए किया जाता है तथा अंग्रेजी के शब्द फिलॉलॉजी के लिए उसका अपना शब्द है जिसका अर्थ होता है 'तुलनात्मक भाषा विज्ञान' (फ्लोराइडोण्डे स्ट्राय विज्ञानशापट)।

इस सम्बन्ध में इतना और भी समझ लेना चाहिए कि 'फिलॉलॉजी' शब्द का प्रयोग उन अध्ययनों के विषय में अवश्य ही सगत कहा जायेगा जिनमें कि यह या तो सामूहिक अनुसन्धानों के लिए भाषिकी के द्वारा मिट्ट तथ्यों को आधार बनाया जा रहा हो या विज्ञान के रूप में स्वीकृत भाषिकी के तथा साहित्य के मौन्दर्यपरक एवं मानवपरक अध्ययनों के बीच के योजनीय सन्दर्भ में किया जा रहा हो।

पारिभाषिक शब्दावली के रूप में भाषिकी एवं भाषा विज्ञान शब्दों में एक उल्लेख्य अन्तर यह भी माना जाता है कि भाषिकी अपने सर्वांग अर्थ में किसी भाषा के आन्तरिक विप्लेपण एवं विवरण पर अधिक केन्द्रित होती है जबकि भाषा-विज्ञान में इसका विस्तार अर्थ विचार तथा अन्य अनुशासनो तक जाता है।

विज्ञान के रूप में भाषिकी—भाषा के व्यावहारिक रूप पर विचार करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि भाषा मानव विज्ञान के क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाला अन्ततम विषय है। किन्तु इसकी प्रकृति व विशेषताएँ इसे एक विशेष विज्ञान अर्थात् सामान्य भाषिकी के रूप में पृथक् रूप से मान्यता दिये जाने को सगत उहकती हैं, किन्तु यहाँ पर यह भी स्पष्ट कर दिया जाना अपेक्षित है कि भाषिकी या भाषा विज्ञान में प्रयुक्त होने वाला विज्ञान शब्द टीक उसी अर्थ में विज्ञान (Science) नहीं जिन अर्थ में गणित, भौतिकी या जैविकी को लिया जाता है।

क्योंकि इसमें नियमों की वह नावदेशिकता व सावंधीमिवता उमी व्यवस्थित रूप में नहीं पायी जाती है जिन रूप में कि इन विज्ञानों में। अतः यहाँ पर विज्ञान शब्द सोइंस का समानार्थी न होकर मात्र 'विशिष्ट ज्ञान' का संकेतक है। यहाँ इसका प्रयोग लगभग उसी प्रकार किया जाता है जिस प्रकार कि राजनीति-विज्ञान, पुस्तकालय-विज्ञान, गृह-विज्ञान आदि में किया जाता है।

सीमित अर्थ में भाषिकी को विज्ञान कहने का अभिप्राय यह है कि इसमें भी इसकी उपादान सामग्री-भाषा के उच्चरित एवं लिखित रूपों का एक नियमित व्यवस्था के अधीन विश्लेषण किया जा सकता है और अन्य विज्ञानों के समान ही उनका सूचीकरण किया जा सकता है तथा उनमें पूर्वानुमेयता (Predictability) लायी जा सकती है। इसके फलस्वरूप भाषण एवं लेखन में सम्बद्ध अनन्त रूपों को व्यवस्थित प्रक्रियाओं के माध्यम से पूरी सुस्पष्टता (Precision) के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रसिद्ध भाषाविद् राबिन्स का कथन है कि अपनी कार्य-प्रक्रिया एवं तथ्य-कथनों में यह विज्ञान के तीन अधिनियमों से भ्रष्ट होता है—

1. निशेषता अर्थात् प्रसंग समस्त सामग्री का सागोपांग विवेचन।

2. सामंजस्य या अविरोध, अर्थात् सम्पूर्ण तथ्य-कथनों के विभिन्न अंगों के बीच परस्पर विरोध का अभाव तथा दो पूर्वानुमेय विद्वान्तों द्वारा आरोपित सीमा के अन्तर्गत सामंजस्य।

3. लाघव, अर्थात् सभी बातों के समान होने पर दीर्घतर एवं उलझे हुए कथनों की अपेक्षा लघुतर कथनों या अपेक्षाकृत थोड़े शब्दों का प्रयोग करने वाला विश्लेषण (सामान्य भाषिकी, पृ० 8)

इसके साथ ही यह भी उल्लेख्य है कि भाषिकी स्वयं में एक ऐसा प्रयोगाश्रित विज्ञान है जिसकी विषय-सामग्री का विभिन्न इन्द्रियों द्वारा प्रत्यक्षीकरण किया जाता है। अर्थात् वाग्ध्वनियों का श्रवण के रूप में, उच्चारण से सम्बद्ध वागव्यवहों की गतिविधि का प्रत्यक्ष दर्शन के रूप में अथवा यांत्रिक प्रत्यक्षीकरण के रूप में, भाषण से उद्भूत सवेदनो का वक्ता द्वारा की जाने वाली अनुभूति के रूप में, लिखित रूपों का देखने या पढ़ने के रूप में। प्रयोगाश्रित सामाजिक विज्ञानों में भाषिकी की वैज्ञानिक स्थिति का मूलाधार समाज के जगभूत मानवों की वाचिक क्रिया-प्रतिक्रिया हुआ करती है, क्योंकि भाषा के प्रयोगों की विविध स्थितियों के लिए कम-से-कम दो व्यक्तियों की स्थिति अनिवार्य होती है। किन्तु भाषिकी को एक विशुद्ध विज्ञान की कोटि में नहीं रखा जा सकता है। ऐसा करने पर हमारे मग्न जो एक प्रत्यक्ष कठिनाई उपस्थित होती है वह यह कि इस रूप में हमें इसे मानविकी एवं अन्य सांस्कृतिक विषयों से पृथक् रखना पड़ेगा। इस रूप में यह न तो साहित्य के अध्ययनों के साथ संगति रख सकती है और न उसके रसास्वादन अथवा उमके परिशीलन से प्राप्त होने वाले आनन्द की सहयोगिनी,

भाषा एव साहित्य के पारस्परिक सम्बन्धों पर हम आगामी पृष्ठों में चर्चा करेंगे ही, किन्तु यहाँ पर इस सम्बन्ध में इतना कहना ही पर्याप्त होगा कि भाषिकी को विज्ञान के अन्तर्गत रखने पर भी इसमें कोई ऐसी असंगति नहीं आती है जो कि अध्ययनीय या लिखित साहित्य के साहित्यिक मूल्यांकन या रसास्वादन में बाधक बनती हो। वस्तुतः स्थिति इसके विपरीत हुआ करती है।

वैज्ञानिकता सम्बन्धी भ्रमनिवारण—यद्यपि भाषिकी में भी अन्य विज्ञानों के समान ही पूर्ण व्यवस्था एवं नियमितताएँ हुआ करती हैं किन्तु कभी-कभी कतिपय उदाहरणों में किन्हीं नियमित रूपों की सत्ता न पाये जाने के कारण अथवा तत्सम्बन्धी अज्ञान के कारण इसे विज्ञान मानने के सम्बन्ध में आपत्ति उठाई जाती है। जबकि गौर से विचार करने पर देखा जाता है कि इस प्रकार अपेक्षित रूपों का अभाव किसी प्रकार की अनियमितताओं के फलस्वरूप नहीं अपितु प्रयोगों के अस्तरक्षण के कारण होता है। उदाहरणार्थ, ससृत शब्दों की ध्वनि विकास परम्परा में हमें कर्म > कम्म, काम/करम जैसे रूपों की स्थिति नियमित रूप में मिलती है, किन्तु चर्म, > चम्म, > चाम/चरम, अथवा धर्म > धम्म > धाम/धरम जैसे शब्दों में 'चरम, चर्म' और 'धाम, धर्म' की स्थिति उसी रूप में नहीं मिल पाती, जबकि वस्तुस्थिति यह है कि 'चर्म' से 'चरम' व 'धर्म' से 'धाम' रूप भी उठने ही नियमित है जितने कि 'कर्म' से बनने वाले 'काम' और 'करम' अर्थात् धर्म से विकसित 'धाम' शब्द का प्रयोग 'काम' के समान स्वतन्त्र रूप में न होने पर भी 'काम-धाम' 'वीर्य-धाम', जैसे समस्त रूपों में चलता ही है। ऐसे ही 'चर्म' का 'चरम' रूप भले ही हिन्दी क्षेत्रों में न चलता हो किन्तु पंजाबी जैसे क्षेत्रों में 'चरम-उद्योग' जैसे प्रयोगों में इसे मुना जाता है। अतः वही पर किन्हीं शब्द रूपों का अभाव उम भाषा को ध्वनि-विकास की प्रक्रिया की अनियमितताओं या अव्यवस्थाओं के कारण नहीं अपितु कतिपय प्रयोगों के अस्तरक्षण के कारण भी हो सकता है।

इसकी सार्वभौमिकता व सार्वकालिकता के सम्बन्ध में भी कुछ ध्यात्मक प्रश्न उठा कर इसे अवैज्ञानिक मिथ्या करने का जो धरन किया जाता है वह भी संगत नहीं, सामान्यतः कह दिया जाता है कि इसमें गणित या भौतिकी के नियमों की भाँति 'दो और दो चार' होने अथवा उष्णता के प्रभाव में पानी का वाष्प बनने जैसे शाश्वत एवं सार्वभौमिक नियमों का अभाव पाया जाता है, क्योंकि इसमें सभी देशों व सभी कालों की भाषाओं के परिवर्तनों में उगी प्रकार की एकरूपता नहीं होती जैसी कि उपर्युक्त विज्ञानों में पायी जाती है। इस तर्क में ऊपरी तौर पर तथ्य की सत्यक दिशाई देने हुए भी उनके मौलिक अन्तरो की उपाधा की गई है। अर्थात् दो+दो=चार होने अथवा जन का वाष्प बनने की प्रक्रिया में सर्वत्र मूलभूत तत्त्व एक ही रहता है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया में मूलभूत जन-अणु तथा

उष्णत्व में कोई अन्तर नहीं होता है जबकि दो भिन्न-भिन्न प्रदेशों या कालों की भाषा के भाषिक तत्त्वों में मूलभूत अन्तर होता है। उसमें पृथक्-पृथक् भाषिक उपादानों की सत्ता के कारण सभी में एक ही प्रकार की प्रतिक्रिया की अपेक्षा नहीं की जा सकती। स्पष्ट है कि पोषण, तालाब, नदी व समुद्र के जल की रासायनिक प्रतिक्रिया शत-प्रतिशत एक रूप नहीं हो सकती।

इसकी सार्वभौमिक एकरूपता के सम्बन्ध में भी कहा जा सकता है कि जिस प्रकार विभिन्न कालों (दिनों) के अन्तराल से लिये गये तथा विभिन्न प्रकार की स्थितियों (खुले, बन्द) आदि में रखे गये जल या रक्त के विश्लेषण परिणाम एकरूप नहीं हो सकते उसी प्रकार विभिन्न क्षेत्रों की विभिन्न भाषाओं में होने वाले भाषिक परिवर्तन भी सर्वथा एकरूप नहीं हो सकते। प्रकृति के अन्य पदार्थों में पाये जाने वाले काल-सापेक्ष परिवर्तनों के समान ही भाषा भी अपने स्थान व पर्यावरण से प्रभावित होकर विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाओं को व्यक्त करती रहती है। किसी स्थान विशेष तथा काल विशेष की भाषा का विश्लेषण करने पर हम देख सकते हैं कि उनमें होने वाले परिवर्तन सर्वथा नियमित एवं व्यवस्थित होते हैं, यह एक भिन्न प्रश्न है कि हम उन नियमों का पता लगा सकने में समर्थ होते हैं या नहीं। उन व्यवस्थाओं का पता न लगा पाना हमारी अपनी सीमितता हो सकता है, भाषा के नियमों की अनियमितता नहीं।

इस सम्बन्ध में यह भी स्मरणीय है कि भाषा-विज्ञान सम्बन्धी नियमों की अनियमितता व अवैज्ञानिकता की बात कतिपय ध्वनि-परिवर्तन सम्बन्धी नियमों को समक्ष रखकर 19वीं सदी के उन भाषा-शास्त्रियों ने उठाई थी जिनके समक्ष न तो सम्बद्ध भाषाओं की अखिल भाषिक सामग्री ही थी और न भाषिक विश्लेषणों से सम्बद्ध वैज्ञानिक यंत्र। अनेक भाषिक अनुसन्धानों व विश्लेषणों से इन भाषाओं के सम्बन्ध में अनेक नवीन तथ्यों के प्रकाश में आ जाने से आज वह अस्पष्ट स्थिति नहीं रह गयी है। प्रयोगात्मक भाषाविज्ञान की प्रयोगशालाओं में ध्वनियंत्रों की सहायता से किये जा रहे अनुसन्धानों के फलस्वरूप आज का भाषाविज्ञानी विभिन्न ध्वनित तत्वों का विश्लेषण करके उसी प्रकार के सुनिश्चित निष्कर्ष प्रस्तुत कर सकता है जिस प्रकार कि एक भौतिक विज्ञानी अपनी प्रयोगशाला के माध्यम से विभिन्न भौतिक तत्वों के विश्लेषण से। परिकलक (कम्प्यूटर) के आविष्कार के उपरान्त तो भाषा की वैज्ञानिकता का यह पक्ष और भी अधिक पुष्ट हो गया है। अब भाषा के सम्बन्ध में इस प्रकार की आशंकाएँ प्रस्तुत करना इस विज्ञान की आधुनिक तबनीकी प्रगति सम्बन्धी अज्ञानता का ही परिचायक कहा जायेगा।

स्वनविज्ञान के क्षेत्र में ही नहीं अपितु रूप विज्ञान व वाक्यविज्ञान के क्षेत्र में भी इसकी अभूतपूर्व वैज्ञानिक प्रगति हो चुकी है। प्रजनक व्याकरण (Generative Grammar) तथा सर्वभाषा व्याकरण (Universal Grammar) की

उपलब्धियाँ इसकी वैज्ञानिकता की पुष्टि के लिए पर्याप्त सबल प्रमाण है। इन विश्लेषणों से भाषा के अनेक ऐसे नियमों की खोज कर ली गई है जिन्हें नि-सन्दिग्ध रूप में मार्बदेशिक व मार्बकालिक कहा जा सकता है।

हटवादी लोगों के मनमोह के लिए थोड़ी देर के लिए भले ही यह मान भी लिया जाये कि इसमें उन्नी कोटि की वैज्ञानिक सूक्ष्मता व यथार्थता नहीं है जैसी कि गणित या भौतिकी में पायी जाती है फिर भी इसे विज्ञान की परिधि में रखने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसके नियम भी तो उन्नी के समान कार्य-कारण भाव पर आधारित होने हैं। नामा की प्रयोगशाळा के वैज्ञानिकों ने नागेश द्वारा प्रस्तुत मिडालों के आधार पर यह निष्कर्ष दे दिया है कि संस्कृत में इतनी वैज्ञानिकता है कि वह कम्प्यूटर की भाषा के लिए शत-प्रतिशत खरी बँठती है।

अन निरापद रूप में कहा जा सकता है कि भाषिकी भी अन्य वस्तुनिष्ठ विज्ञानों के समान ही एक विज्ञान है, जोकि किसी भाषा के मूलभूत तत्वों की संरचना प्रक्रिया, प्रयोग आदि का वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

भाषिकी की उपयोगिता

संस्कृत में प्रायः प्रत्येक शासन के प्रारम्भ में उसके अध्ययन के लाभ या प्रयोजन की बात उठाई जाती है। क्योंकि कहावत है कि नहि प्रयोजनं विना मन्दोऽपि प्रवर्तते' अर्थात् मूढ़ व्यक्ति भी किसी प्रयोजन के बिना किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता। जब मूढ़ व्यक्ति के विषय में भी यह कथन तथ्यपूर्ण है तो फिर क्योंकर एक विद्वान् व्यक्ति किसी प्रयोजन के बिना किसी शासन के अध्ययन में प्रवृत्त हो। बिल्कुल यही बात भाषिकी के अध्ययन के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है।

यद्यपि विद्याध्ययन के सम्बन्ध में हमारे प्राचीन आचार्यों ने स्पष्ट कहा है—
ब्राह्मणेन निष्कारण. यडंगवेदोऽध्येयो ज्ञेश्च (महाभाष्य पत्यपशाह्निक)।
जिसका अर्थ है ब्राह्मण अर्थात् जिज्ञासु को बिना किसी कारण के, अर्थात् बिना किसी भौतिक उपलब्धि की कामना के छोटे अंगों (अर्थात् शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छन्द और ज्योतिष) सहित वेद (ज्ञान) का उपाजन कराना चाहिए।

आज के भौतिकता प्रधान युग में ऐसी बात कहना यद्यपि हास्यास्पद समझा जायेगा फिर भी यह तो एक प्रत्यक्ष सत्य है कि उच्च शिक्षा के नाम पर हम जिन

विषयो—इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, वाणिज्य आदि का अध्ययन करते हैं उनमें हमें मझ ही प्रत्यक्ष रूप में कोई भौतिक लाभ होता ही हो, ऐसा आवश्यक नहीं। इतिहास, भूगोल या गणित में एम० ए० करने के उपरान्त भी एक व्यक्ति दुकानदारी, सेना या किसी कार्यालय में क्लर्क या किसी अन्य विभाग में सेवा करके अपनी आजीविका कमाना है। यह आज का एक प्रत्यक्ष तथ्य है। इसमें जहाँ एक ओर यह तथ्य है कि उनके अधरत विषयो का ज्ञान प्रत्यक्ष रूप में उसकी भौतिक उपलब्धियों में से किसी प्रकार भी सहायक नहीं होता, वहीं यह भी तथ्य है कि उनके अध्ययन में उनके तद्विषयक ज्ञान की वृद्धि होती है और यदि वह व्यक्ति जिज्ञासु है तो इसमें उसकी बौद्धिक जिज्ञासा की तृप्ति भी होती है। फिर भी प्रस्तुत प्रसंग को मानने रखते हुए इस शास्त्र के अध्ययन के प्रयोजन तथा इसकी उपयोगिता के सम्बन्ध में निम्नलिखित बातें कही जा सकती हैं।

भाषिकी ही नहीं अपितु किसी भी शास्त्र व विषय के अध्ययन की सर्वसामान्य उपयोगिता तो यह होती है कि वह उस विषय के सम्बन्ध में हमारे ज्ञान अथवा ज्ञानद्वारी में वृद्धि करता है तथा उससे सम्बद्ध वस्तुस्थिति का मही-सही ज्ञान कराने में सहायक होता है। हम जब से अपने आमपान के वातावरण के सम्बन्ध में अपना हाँस मम्भालते हैं तब से लेकर जब तक सर्वथा चेतनाशून्य नहीं हो जाते तब तक हमारे जीवन मन्चालन में सम्बद्ध जितने भी कार्यकलाप हैं उनमें भाषा का क्या महत्त्व है यह बतलाने की आवश्यकता नहीं। किसी शिक्षु के द्वारा प्रथम बार अपने उच्चारणव्यवहारों का उपयोग करके अपनी शारीरिक भ्रूष-व्याग की आवश्यकताओं की पूर्ति में लेकर अपनी विविध बौद्धिक उपलब्धियों तब उसे भाषा की अपरिहार्य आवश्यकता पड़ती ही रहती है। मञ्च है यदि हमारे ऊपर वाग् देवी (भाषा) की कृपा न होती तो हम पार्थिव स्थिति से ऊपर नहीं उठ पाते। इसी की कृपा में मानव अपने समाज का संगठन करने तथा अपने वैज्ञानिक चिन्तन में उसे प्रगति के पथ पर ले जाने में सफल हो सका है। सामान्य लोच-व्यवहार में भाषा के इसी महत्त्व को स्वीकार करने हुए आचार्य दण्डी कहते हैं—

षाचामैष प्रसादेन लोचयात्रा प्रवर्तते (वाक्या० 1/3) अर्थात् मानव जाति के समस्त कार्य-व्यवहार अथवा लोचयात्रा भाषा के माध्यम में ही सम्पन्न होती है। इतना ही नहीं अपितु उन्होंने तो यहाँ तक उद्घोषित किया कि हमें सम्मान्यक भाषा का प्रकाश न मिलना तो यह मारा विश्व अन्धकारमय बना रहता।

इदमन्धतमं कृत्स्नं जायते भुवनत्रयम् ।

यदि शब्दाह्वय ज्योतिराममार न दीयते ॥ (वही, 1/4)

किन्तु यह एक बड़ी विचित्र बात है कि जिस चीज का हमारे जीवन में इतना महत्त्वपूर्ण स्थान है, जिसके बिना हमारी जीवन-यात्रा ही अमम्भव होती है उसके

स्वरूप तथा प्रक्रिया के सम्बन्ध में हम उसी प्रकार अनजान रहते हैं जिस प्रकार कि हम अपने शरीर की त्वचा-प्रक्रिया तथा उसकी कार्यप्रणाली के विषय में। अतः इस सादृश्यपरक उदाहरण के आधार पर कहा जा सकता है कि जिस प्रकार मानव की शारीरिक-रचना को तथा उसके विभिन्न अवयवों के प्रकारों को समझने के लिये शरीर विज्ञान को जानने की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार मानव की कण्ठध्वनियों पर आधारित भाषा की प्रकृति, स्वरूप, संरचना-प्रक्रिया एवं उसके विभिन्न प्रकारों को समझने के लिए भाषा विज्ञान के अध्ययन की आवश्यकता होती है। यह शारङ्ग हमें भाषा के सम्बन्ध में विस्तृत एवं वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करता है। इसके अध्ययन से कोई भी अध्येता यह जान सकता है कि भाषा के सामान्य प्रमुख तत्त्व क्या होते हैं, किन्हीं भाषा विशेष की विभिन्न ध्वनियों का उच्चारण किन-किन उच्चारणावयवों की सहायता से किन-किन प्रक्रियाओं के द्वारा हुआ करता है उनकी विभिन्न-ध्वनियों में ध्वनियों के भेदक तत्त्व कौन-कौन से हो सकते हैं। उसमें मूलतः कितनी अर्पणभेदक ध्वनियाँ पायी जाती हैं। किसी अन्य भाषा की समकक्ष ध्वनियों से उनमें किन-किन अंशों में अन्तर पाया जाता है। यदि उनका पूर्ववर्ती इतिहास उपलब्ध है तो उनके विभिन्न कालों के स्वरूपों में क्या-क्या अन्तर पाये जाते हैं? और क्यों? उन ध्वनियों से शब्द कैसे और किस व्यवस्था के अन्तर्गत बना करते हैं। यदि कालक्रम से किन्हीं शब्दों के अर्थों में अन्तर आ गया है तो वह क्यों तथा किस प्रकार का है। दो भिन्न भाषाओं में कोई सम्बन्ध है या नहीं। यदि है तो किस प्रकार का। ऐसे ही यदि उनमें कोई अन्तर है तो क्यों? उसका रूप क्या है? पारस्परिक व्यवहार में भाषा का कब-कब किन-किन रूपों में व्यवहार किया जाता है? आदि, आदि।

भाषिकी के अध्ययन से भाषा के सम्बन्ध में अध्येता में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। वह भाषा के स्वरूप एवं प्रयोग आदि में समय के साथ-साथ होने वाले परिवर्तनों को भाषा की विकृतियाँ या अशुद्धियाँ न मानकर उसमें होने वाले स्वाभाविक विकास का रूप मानता है। उसका दृष्टिकोण रुढ़िवादी न रहकर प्रगतिवादी हो जाता है। प्रयोग और विकास की दृष्टि से उसके लिए संस्कृत के तद्भव मूल 'अन्तः+राष्ट्र' तथा 'राजनीति' से विकसित हिन्दी के 'अन्तः-राष्ट्रीय' एवं 'राजनीतिक' रूप संस्कृत के व्याकरण के नियमों से बनने वाले 'अन्तरराष्ट्रीय' तथा 'राजनीतिक' की अपेक्षा अधिक बाह्य होंगे। इसी प्रकार 'उपर्युक्त' के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला 'उपरोक्त' रूप भी उसकी दृष्टि से सर्वथा शुद्ध होगा। वह भाषा के रूपों को परम्परागत गृहलाओं में जकड़े रखने की अपेक्षा उसके प्रयोगसिद्ध रूपों को अधिक महत्त्व देता है। क्योंकि कोई भी जीवित भाषा निरन्तर प्रयोग में आते रहने के कारण दीर्घ काल तक एक ही रूप में बधी हुई नहीं रह सकती। उसमें सभी स्तरों पर परिवर्तनों का आना एक

स्वाभाविक प्रक्रिया है। भाषा में होने वाले इन परिवर्तनों को रुढ़िवादी व्यक्ति भाषा के विकार कहकर उन्हें स्वीकार करने का विरोध करता है और भाषा विज्ञान इन्हीं परिवर्तनों को भाषा का स्वाभाविक विकास मानकर स्वागत करता है।

इस सम्बन्ध में यहाँ पर इतना और भी उल्लेख्य है कि भाषा विज्ञानी स्वयं नये प्रकार के शब्दों का निर्माण करके उन्हें प्रचलित करने का यत्न नहीं करता है, किन्तु यदि लोक-व्यवहार में कोई शब्द परम्परागत व्याकरण के नियमों के आधार पर बतने वाले शब्द के अनुरूप न होकर यत् किञ्चित् भिन्न रूप में प्रचलित हो जाता है तो वह उसे भाषा का एक विकसित रूप मानकर स्वीकार्य समझता है। उसे 'अपभ्रंश' कहकर उमका बहिष्कार नहीं करता है। हा, आवश्यकता पड़ने पर वह सम्बद्ध भाषा की प्रकृति के अनुरूप पारिभाषिक शब्दों का निर्माण अवश्य करता है।

भाषिकी के अध्ययन की एक अन्यतम उपयोगिता यह है कि यह हमें भाषा या भाषाओं के विषय में एक उदार तटस्थ दृष्टिकोण प्रदान करती है। इससे यह भाषाओं के सम्बन्ध में प्रचलित सकीर्ण विचारधाराओं—अपनी-गराई, उन्नत-अउन्नत, पावन-भ्लेच्छ से ऊपर उठकर उन सबको समान दृष्टि से देखता है तथा समान रूप से उनका आदर करता है। क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टि से देखने पर उसे सभी भाषाएँ अपने आप में पूर्ण एवं समर्थ दिखाई देती हैं। क्योंकि किसी भी भाषा का मूल प्रयोजन होता है उस समाज के मानवों के बीच वाच्यव्यवहार के माध्यम से भावाभिव्यक्ति। यदि वह भाषा अपने इस प्रकार्य को पूरा करने में समर्थ है तो वह उतनी ही पूर्ण व समर्थ है जितनी की कोई अन्य भाषा। एक सच्चे भाषा विज्ञानी के लिए विश्व के किसी भी मानव-समाज की भाषा उतनी ही मान्य व अध्ययन का विषय है जितनी की उतनी अपनी मातृभाषा। स्पष्ट है कि मानव-समाज में इस प्रकार के दृष्टिकोण का विकास भाषा के नाम पर उत्पन्न होने वाली अनेक प्रकार की बटुताओं का परिमार्जन कर सकता है।

व्यावहारिक अनुप्रयोग :

व्यावहारिक दृष्टि में देखने पर भी देखा जा सकता है किसी अन्य भाषा का ज्ञान अर्जित करने में भाषिकी के अध्ययन में प्राप्त दृष्टि सर्वाधिक महायुक्त होती है। भाषा चाहे कोई भी क्यों न हो, उमका अपना ही एक व्यवस्थित ढांचा होता है जो कि उसके अपने भाषाई नियमों एवं विधानों में संचालित होता है। दूरी और भाषा चाहे किन्ते ही छोटे तथा पिछड़े वर्ग की क्यों न हो, उमका प्रयोग-क्षेत्र यहाँ विस्तृत होता है। पृथक्-पृथक् रूप में उमके गणी रूपों का उपार्जन किसी भी मानव के लिए सर्वथा अशक्य होता है किन्तु एक बार उमकी व्यवस्था में परिचित हो

जाने पर उसके लिए उसका सम्यक् व्यवहार करना सरल हो जाता है। अर्थात् उसकी ध्वनि-प्रक्रिया अथवा रूप-रचना-प्रक्रिया के किसी एक नियम से परिचित हो जाने पर वह उसी प्रकार के असह्य रूपों का प्रयोग कर सकने में समर्थ हो जाता है। उसे पृथक्-पृथक् रूपों को जानने की आवश्यकता नहीं रहती।

भाषिकी की आधारभूमि पर किया गया किसी भी भाषा का अध्ययन व प्रयोग सामान्य अध्ययन की अपेक्षा कहीं अधिक शुद्ध एवं सुदृढ़ हुआ करना है। व्यावहारिक दृष्टि से किसी अन्य भाषा का ज्ञान उपार्जन कर लेने के बाद भी अधिकतर लोग ऐसे होते हैं जो कि उसकी मूलभूत ध्वनि-प्रक्रिया से परिचित न होने के कारण न तो उनसे मूल उच्चारण को पकड़ पाते हैं और न भाषा प्रयोग में ही सर्वथा निश्चित हो पाते हैं। हमारे देश में तो स्वयं अपनी मातृभाषा के शुद्ध उच्चारण के लिए ध्वनि-विज्ञान का अध्ययन आवश्यक समझा जाता था। 'शिक्षा' ग्रन्थों के नाम से अभिहित होने वाला हमारा पुरातन साहित्य इसी का रूप था। क्योंकि प्राचीन काल में हमारे ज्ञान के भंडार वैदिक साहित्य का अध्ययन एवं अध्यापन मौखिक परम्परा से हुआ करता था अतः उसकी ध्वनियों एवं ध्वनि संयोगों का सम्यक् ज्ञान परमावश्यक था। तत्कालीन शिक्षा में इसका इतना महत्त्व समझा गया कि आचार्यों ने ज्ञान की इस प्रक्रिया को ही शिक्षा कहना प्रारम्भ कर दिया। आज, के संवीर्ण होने हुए दिग्गजों में जबकि सभी प्रकार के व्यक्तियों को अपनी मातृभाषा के अतिरिक्त अन्य अनेक स्ववर्गीय व अन्य वर्गीय भाषाओं का व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करना होता है तो ऐसी स्थिति में भाषिकी के साथ थोड़ा-बहुत परिचय उसे अन्य भाषा के सम्यक् ज्ञानार्जन में बहुत सहायक हो सकता है। अन्यथा लक्ष्मीभूत भाषा की मूलभूत विशेषताओं को जाने व आत्मसात् किये बिना उनका प्रयोग करने पर उसका विदेगीपन या परायापन तो इलकेशा ही, कभी-कभी वह हास्य या नाराजगी का पात्र भी बन सकता है।

भाषिकी की प्रयोगात्मक शाखा (Applied Linguistics) का उपयोग भाषा एवं साहित्य के शिक्षण के क्षेत्र में बड़ी सफलता के साथ किया जा रहा है। इतर भाषा शिक्षण में दोनों ही भाषाओं की भाषिक संरचनाओं का ज्ञान शिक्षण में बहुत सहायक होता है। दोनों के व्यतिरेकी विश्लेषण (Contrastive Analysis) तथा त्रुटि विश्लेषण (Error Analysis) की सहायता से शिक्षक पहले से ही शिक्षार्थी को सतर्क कर सकता है कि वह लक्ष्यीकृत भाषा के उपार्जन में कहां-कहां त्रुटियां कर सकता है। उनका पूर्वाभाम करा कर वह उसकी उन त्रुटियों का परिमार्जन कर सकता है।

इसके अतिरिक्त भाषा-शिक्षण से सम्बद्ध पाठ्य सामग्री को तैयार करने में भी भाषिकी अत्यधिक सहायता कर सकती है। अन्य भाषा-भाषियों के लिए तैयार की जाने वाली पाठ्य पुस्तकों को तैयार करने में ही नहीं, अपितु मातृभाषा के रूप

मे भी अध्पयन करने वाले छात्रों के लिए तैयार की जाने वाली पाठ्य पुस्तकों के निर्माण मे भी सहायक हो सकती है अर्थात् यदि इस भाषा की प्रकृति को सामने रखकर ये पाठ्य पुस्तकें तथा अन्य सामग्री तैयार की जाये तो वह अधिक सरल, वैज्ञानिक और उपयोगी होगी ।

इसी प्रकार भाषिकी की एक अन्य शाखा शैली विज्ञान के द्वारा, जिसका विकास पिछले कुछ दशकों मे हो हुआ है, किसी साहित्यिक कृति का वस्तुनिष्ठ साहित्यिक मूल्यांकन करने मे बड़ी सहायता मिल सकती है ।

पाठ-निर्धारण—प्राचीन पाण्डुलिपियों तथा ग्रन्थों के पाठ-निर्धारण मे भी भाषिकी का महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है । तत्कालीन भाषा के स्वरूप एवं साहित्यकार द्वारा प्रयुक्त भाषा के विविध रूपों के परीक्षण व विश्लेषण के बाद विवादास्पद रूपों के सम्बन्ध मे निर्णायक परिणाम निकाले जा सकते हैं । इन ग्रन्थों मे प्रतिलिपिकारों के द्वारा लिप्यांकन मे की गयी अशुद्धियों का पता लगाकर पाठ-शोधन के कार्य मे भी भाषिकी का सहयोग प्राप्त किया जा सकता है और प्राचीन ग्रन्थों के अनेक सम्पादकों ने इसी पद्धति से कुछ पाठों का निर्धारण किया भी है ।

उपर्युक्त शिक्षा या ज्ञानार्जन सम्बन्धी क्षेत्रों के अतिरिक्त और भी कई ऐसे व्यावहारिक विषय हैं जिनमे भाषिकी का ज्ञान हमारे समाज के सभी वर्गों के लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है तथा हो रहा है । इनमे से कुछ का संकेत इस प्रकार है ।

संचार-व्यवस्था—भाषा वैज्ञानिक अध्पयनों का उपयोग बड़ी सफलतापूर्वक स्वचालित अथवा यांत्रिक अनुवादों की व्यावहारिक समस्याओं तथा भाषा के प्रयोग मे सम्बद्ध सांख्यिकीय प्राविधियों के लिए किया जा रहा है । इसी प्रकार संचार अभियांत्रिकी (Communication engineering) के क्षेत्र मे भी भाषा सत्यों के आधारभूत मसूतों का ज्ञान बड़ा उपयोगी सिद्ध होता है जिनका कि सम्श्लेषण व अधिग्रहण इसके माध्यम से सम्पन्न किया जाता है ।

अभियांत्रिकी के क्षेत्र मे भाषिकी का सर्वोत्तम उपयोग होता है संचार-व्यवस्था में, विशेष कर दूर-संचार-सेवाओं के क्षेत्रों मे अथवा यांत्रिकी अनुवादों के क्षेत्रों मे । इनके उपयोग मे आने वाले विविध प्रकार के ध्वनि यन्त्रों के निर्माण मे स्वन प्रतिया का ज्ञान बड़ा उपयोगी सिद्ध होता है, यांत्रिकी सम्प्रसारण मे किन-किन ध्वनियों का किन-किन रूपों मे प्रत्यक्षीकरण होता है तथा किन-किन भाषिक परिवर्तनों मे उनका प्रमात्मक प्रत्यक्षीकरण हो सकता है या होता है, प्रेषणीयता की दृष्टि से उन्हें स्वाभाविक रूपों मे प्राप्त करने के लिए सम्बद्ध यन्त्रों मे किन प्रकार के परिवर्तन अपेक्षित होंगे, इत्यादि प्रश्नों का उत्तर ध्वनि विज्ञान के अध्पयन से ही प्राप्त किया जा सकता है । बेतार के तार मे भेजे जाने वाले संकेतों तथा

कम्प्यूटर आदि के कोडों का निर्माण भी भाषिकी के सहयोग से ही किया जा सकता है।

वाक्-चिकित्सा—हकलाने तुतलाने जैसी वाक् विकृतियों का सम्बन्ध साक्षात् रूप से हमारे वागवयवों तथा उच्चारण प्रक्रिया के साथ होता है। अतः वाक् चिकित्सा के लिए प्रयोगात्मक भाषिकी का ज्ञान अत्यन्त आवश्यक होता है। वह अपने रोगी की उच्चारण सम्बन्धी कठिनाइयों का अभिरचनात्मक विश्लेषण करके तदनुसृत उपचार की व्यवस्था करके उसे ठीक कर सकता है।

लिपि-चिह्न-निर्धारण—अपरिष्कृत भाषाओं के लिए लिपि-चिह्नों के निर्धारण तथा परिष्कृत भाषाओं की लिपि-व्यवस्था के सुधार के कार्य में भाषिकी का महत्त्वपूर्ण योगदान हो सकता है। जो भाषाएँ अभी साहित्यिक रूप को प्राप्त नहीं हो सकी हैं और जिनकी अपनी कोई लिपि भी नहीं है ऐसी अपरिष्कृत भाषाओं के लिए वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर प्रतीकों (लिपि-चिह्नों) के निर्धारण व उनकी व्यवस्था का कार्य उक्त भाषा की वाग्-ध्वनियों के सम्यक् विश्लेषण के उपरान्त ही हो सकता है। क्योंकि किसी भी भाषा की लिपि की वैज्ञानिकता एवं पूर्णता के लिए यह आवश्यक है कि उसमें केवल उतने ही ध्वनि-चिह्नों का निर्माण किया जाये जितनी की उसकी सार्थक अर्थात् अर्थ-भेदक ध्वनियाँ हों, अर्थात् एक लिपि-चिह्न एक ही सार्थक ध्वनि का प्रतिनिधित्व करे और प्रत्येक सार्थक ध्वनि के लिए एक पृथक् ध्वनि चिह्न हो। ऐसा नहीं कि अंग्रेजी की भाँति—एक 'क' ध्वनि के लिए एकाधिक लिपि चिह्न (की, के, सी-एच, न्यू आदि) हों तथा च (ts) या ज (dz) आदि के लिए कोई लिपि-चिह्न नहीं है। ध्वनि विज्ञान की सहायता से यह कार्य पूरे वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित रूप से किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त भाषिकी की सहायता से उन भाषाओं की लिपियों को भी व्यवस्थित एवं उपयोगी बनाया जा सकता है जिनकी अपनी पुरानी लिपियाँ हैं तो सही, किन्तु विकास-क्रम में निरर्थक हो चुकी हैं, यथा हिन्दी में अब मूर्धन्य 'य' तथा 'ऋ' का उच्चारण न होने से उनका प्रयोग अब केवल परम्परा का पालन मात्र रह गया है जो कि भाषा के ऊपर एक व्यर्थ का बोझ बना हुआ है।

भाषा के अनुप्रयोग की दृष्टि से एक अन्य महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है भाषिक साधनों का प्रचार के लिए उपयोग। शक्ति भाषा (Power language) का ज्ञान व उपयोग उन लोगों के लिए एक शक्तिशाली शस्त्र के रूप में सिद्ध हो रहा है जो कि व्यापक प्रचार साधनों (Mass media) के रूप में अपने विचारों को फैलाने, लोगों की विचारधारा को मोड़ने में अथवा राजनीतिक, व्यावसायिक या सामाजिक दृष्टियों से जनता पर अपना प्रभाव जमाना चाहते हैं अथवा अपने उत्पादों का विज्ञापन करना चाहते हैं।

इसी प्रकार के अन्य अनेकानेक प्रयोजनों की सिद्धि के लिए विशेष रूप से प्रयुक्त किये जाने वाले भाषा-विज्ञान के सभी प्रयोग उगके व्यावहारिक अनुप्रयोगों की परिधि के अन्तर्गत परिगणित किये जा सकते हैं और किये जा रहे हैं।

इस सम्बन्ध में प्रो० राबिन्स का परामर्श है कि भाषा वैज्ञानिक अध्ययनों से प्राप्त होने वाले उपफलों (By products) के महत्त्व को स्वीकार करना सर्वथा उपयुक्त होते हुए भी भाषा विज्ञानियों को चाहिए कि वे स्वयं को प्रयोगात्मक भाषा-विज्ञान में न उलझाए। उनका विषय अपनी पृथक् सत्ता के साथ उसी प्रकार अभिरचिपूर्ण स्वतंत्र महत्त्व रखता है जिस प्रकार कि उद्यान विज्ञान के मन्दर्भ में बिना वनस्पति विज्ञान या कीटोद्भूत रोगों अथवा कृषिनाशक जीव-जन्तुओं के नियन्त्रण के सकेत के बिना कीट विज्ञान।

इसके अतिरिक्त बहुभाषा-भाषी क्षेत्रों में भाषा विज्ञानी कई बार अपनी भाषा सम्बन्धी विश्लेषणात्मक योग्यता के आधार पर भाषा सम्बन्धी विवादों को सुलझाने में भी सहायक हो सकता है। हमारे देश में ही भाषावार प्रान्तों के विभाजन के सिद्धान्त को स्वीकार करने के बाद अनेक राज्यों के इस प्रकार के विवाद उत्पन्न हुए हैं और हो रहे हैं। सम्बद्ध क्षेत्रों की भाषाओं का वैज्ञानिक ढंग में अध्ययन करके ही इनका सर्वमान्य हल ढूँढा जा सकता है। क्योंकि दो मीमावर्ती क्षेत्रों की भाषाओं में विद्यमान सूक्ष्म भाषिक विभेदों को भाषा-विज्ञानों के अनिश्चित और कोई-नहीं पकड़ पाता है।

भाषिकी की अन्यतम शाखा समाज-भाषिकी के आधार पर किसी समुदाय की भाषा का विश्लेषण करने पर उग समुदाय के सम्पूर्ण सामाजिक ढाँचे, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि एवं चिन्तन प्रक्रिया का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। इतना ही नहीं अपितु कभी-कभी तो उनकी भाषा के विश्लेषणों के माध्यम से ही उनके अज्ञान अतीत के इतिहास का भी पता लगाया जा सकता है। आधुनिक अनुसन्धान के मन्दर्भ में समाजशास्त्री तथा नेतृत्व विज्ञानी के लिए भाषिकी की यह शाखा एक महत्त्वपूर्ण आधार बनती जा रही है।

इसी प्रकार भाषिकी की एक अन्य शाखा ऐतिहासिक भाषिकी के अध्ययन में किसी भी भाषा के इतिहास तथा उसके परिवार की अन्य अनेकानेक भाषाओं के साथ उसी सम्बन्धों को जानने में विरवमनीय सूचनाएँ प्राप्त हो सकती हैं। यहाँ तब कि विभिन्न महाद्वीपों में बोली जा रही भाषाओं के बीच पायी जाने वाली अगममान्य समानताओं के आधार पर भाषा विज्ञानी उनके पारम्परिक सम्बन्धों तथा पुरातन रूपों की पुनर्रचना करके उनके मूल रूपों तक पहुँच सकता है। इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण ई 19वीं शताब्दी में प्रो०, सीटिन, राग्टून, स्लाव तथा उनसे विरगित आधुनिक यूरोपीय एवं एशियाई आदि भाषाओं की तुलना के आधार पर 'मारोपीय' नामक भाषा परिवार की खोज। इसके सम्बन्ध में अधिक प्रकाश इस ग्रन्थ के द्वितीय भाग में दाला जायेगा।

भाषिकी के विश्लेष्य विषय

किसी भी भाषा का विश्लेषण करने पर यह सहज ही देखा जा सकता है कि उसकी व्यवस्था व संरचना कितनी जटिल होती है किन्तु यह एक बड़े आश्चर्य की बात समझी जाती है कि मानव अनायास ही उसकी इन जटिलताओं को आत्ममात् करके उसके प्रयोग में प्रवीणता प्राप्त कर लेता है। भाषा की इन जटिलताओं का आभास हमें तब होता है जबकि हम किसी विदेशी भाषा को सीखने लगते हैं अर्थात् अपनी भाषा के व्यवहार काल में भले ही हमें भाषा की उच्चारण या प्रयोग सम्बन्धी कठिनाइयों की अनुभूति न होती हो किन्तु जब हम स्वयं किसी अन्य भाषा के उच्चारणों या प्रयोगों का अभ्यास करते हैं या किसी अन्य को उसका व्यवहार करते हुए सुनते हैं तब हमें उसकी संरचनात्मक कठिनाइयों की अनुभूति होती है। भाषाविज्ञानी भाषा विशेष की इन्हीं संरचनात्मक और प्रयोगात्मक विशेषताओं का विश्लेषण करके उन्हें सूत्रबद्ध एवं पूर्वानुमेय (predictable) बना देता है। जिससे एक ओर तो उस भाषा विशेष के बोलने वालों को अपनी भाषा के स्वरूप तथा उसकी विशिष्टताओं का बोध होता है तथा

दूसरी ओर उम भाषा के अध्ययन एवं अध्यापन के सम्बन्ध में अनेक प्रकार की भाषिक कठिनाइयों का परिहार हो जाता है।

भाषिक विश्लेषणों के सम्बन्ध में यहाँ पर यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि मानवीय वाग्य व्यवहार का कोई भी रूप ऐसा नहीं जो कि भाषिक विश्लेषण का विषय न बन सकता हो। भाषा चाहे साहित्यिक हो या असाहित्यिक, जीवित हो या मृत, एककालिक हो या अनेककालिक, एक देशीय हो या अनेकदेशीय, उच्च वर्ग की हो या निम्न वर्ग की, किसी एक पेशे से सम्बद्ध हो या दूसरे से, पन्थात्मक हो या सामान्य, सभी का विश्लेषण एवं विवेचन भाषिकी के विवेच्य विषय के अन्तर्गत आ जाता है।

विश्लेषण के स्तर (Levels of Analysis)—सामान्य भाषिकी में सम्बद्ध विश्लेषण के स्तरों के सम्बन्ध में यह ध्यान रखने की बात है कि किसी भाषा या भाषाओं के वैज्ञानिक विवरणों को प्रस्तुत करने के लिए भाषा-विज्ञानी अपने आपनों किसी काल विशेष पर केन्द्रित करके तथा अपनी विवेच्य सामग्री का विभिन्न रूपों में परीक्षण करके उसके परस्पर सम्बद्ध भाषिक स्तरों पर विचार करता है, जिन्हें पारिभाषिक रूप में विश्लेषण के स्तर कहा जाता है।

जिम प्रकार किसी भी विद्योचित (अकादमिक) विषय की सीमाओं तथा परिज्ञान के सम्बन्ध में विद्वानों में मतभेद हो सकता है उगी प्रकार भाषिक विश्लेषणों के स्तरों के विषय में भी हो सकता है। फिर भी मोटे तौर पर कल्पित भाषिक तत्व ऐसे हैं जिनके स्तरों के सम्बन्ध में अधिकतर विद्वानों में सहमति पायी जाती है। उल्लेख्य है कि भाषिकी के प्रमुख अंग, जिनका विवेचन किसी भी भाषा के भाषिक विश्लेषण में किया जा सकता है, उनका सम्बन्ध भाषा के मूल घटक शब्दों-ध्वनि, शब्द (पद), वाक्य एवं अर्थ के माप होता है। हमारे सामान्य भाषिक व्यवहार में भी भाषा के ये रूप इन्हीं क्रम में हमारे सम्मुख आते हैं। ध्वनियों से पद, पदों से वाक्य, तथा वाक्य से अर्थ की अभिव्यक्ति भी इसी रूप में होती है। विस्तार के माप गहन रूप में इनका अध्ययन एवं विश्लेषण करने के लिए जिन प्रक्रियाओं, पद्धतियों का विकास किया गया है उन्हें पारिभाषिक रूप में—1. स्वन प्रक्रिया या स्वानिमिकी (Phonology), 2. रूप-प्रक्रिया (Morphology), 3 वाक्य-विचार (Syntax) तथा 4 अर्थविज्ञान या शब्दार्थ-विज्ञान (Semantics) के नाम से अभिहित किया जाता है।

सामान्यतः भाषिक विश्लेषणों का रूप निम्नलिखित प्रकारों में से किसी एक अथवा एकाधिक प्रकार का हो सकता है।

1. स्वन-प्रक्रिया—सामान्य भाषिकी में मात्र मानव कण्ठ से निकलने वाली ध्वनियों पर आधारित भाषा का ही अध्ययन किया जाता है। भाषा का यही वह तरंग होता है जिसका कि उसके उच्चरित रूप में सर्वप्रथम प्रयत्नीकरण होता है। यही

किन्ती भी भाषा की भाषिक संरचना का मूलाधार तत्त्व होता है। भाषा विशेष की ये ध्वनियाँ किन्-किन वागवयवों के द्वारा किन्-किन स्थानों से तथा उच्चारण की किन्-किन प्रक्रियाओं में उत्पन्न होती हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक उनका सम्प्रेषण किस प्रक्रिया से होता है, एक ध्वनि दूसरी ध्वनि से क्यों भिन्न होती है, उन दोनों में कौन से तत्त्व ऐसे होते हैं जो कि उनमें भेदकता उत्पन्न करते हैं, उन भेदक तत्वों के आधार पर भाषा विशेष के कुल कितने स्वनिम हो सकते हैं, उन्हें कितने-कितने वर्गों तथा उपवर्गों में विभाजित किया जा सकता है, भेदकता के आधार पर निर्धारित ध्वनियों में कितनी खण्डीय तथा कितनी खण्डेतर ध्वनियाँ हो सकती हैं, आदि विषयों का अनुसन्धान या निरूपण किया जाता है।

इसके अतिरिक्त भाषिकी के कालक्रमिक पक्ष से अध्ययन या विवेचन करने पर जिन अतिरिक्त पक्षों पर विचार किया जाना है वे हैं—मूलतः उस भाषा की ध्वनियाँ कितनी और कौन-कौन थीं? समय के साथ-साथ उनमें कब-कब व किस-किस प्रकार के परिवर्तन या विकार उत्पन्न होते रहे? उनके कारण व दिशाएँ क्या-क्या रहीं? आदि। भारत की आर्य भाषाओं में ही वैदिक काल की भाषा से लेकर आधुनिक भाषाओं तक किस प्रकार के ध्वन्यात्मक या स्वनिमात्मक परिवर्तन हुए, यह इसी प्रकार के विश्लेषण में देखा जा सकता है। भाषिक विश्लेषण की इसी पृष्ठभूमि पर ही विभिन्न ध्वनि-नियमों का अनुसन्धान व निर्धारण किया जाता है।

2. रूप-प्रक्रिया—ध्वनि के बाद भाषा की अगली स्थूल इकाई पद या शब्द होती है जो कि प्रायः एकाधिक ध्वनियों के संयोग में बनती है। इसके अन्तर्गत भाषा विशेष में पाये जाने वाले शब्द-भेदों, भ्रया—संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय, निपात आदि की स्थापना एवं उनकी संरचनात्मक प्रक्रिया पर प्रकाश डाला जाता है अर्थात् शब्द निष्पत्ति में सम्बद्ध उपसर्ग, प्रकृति, प्रत्यय आदि तत्त्वों का विवेचन किया जाता है। साथ ही भाषा विशेष में पायी जाने वाली व्याकरणिक कोटियों, यथा—लिंग, वचन, पुरुष, काल, आदि का विवेचन किया जाता है।

3. वाक्य-विचार—अर्थबोध की दृष्टि से भाषा की न्यूनतम इकाई माने जाने पर भी संरचनात्मक दृष्टि से वाक्य को उसकी स्थूलतम इकाई कहा जाता है। इसमें भाषा विशेष के संरचनात्मक नियमों के अनुसार एकाधिक पदों का सघटन होता है जो कि अपने ममीपी सघटकों के आधार पर उमसे अभिप्रेत अर्थ की अभिव्यक्ति करते हैं। वाक्यावयवीभूत पदों का परस्पर क्या सम्बन्ध होता है, अर्थात् वे किस रूप में अन्वित हो सकते हैं तथा किस रूप में नहीं हो सकते? वाक्य के गठन में किस कोटि के पद (अर्थात् कर्ता, क्रिया, कर्म, विशेषण) का कौन-सा स्थान होगा? अर्थ के प्रयोग के आधार पर भाषा विशेष में कितने प्रकार के वाक्यों की रचना सम्भव हो सकती है तथा उनकी पद संरचना के क्या

रूप हो सकते हैं आदि विषयों का विवेचन ही वाक्य-विचार का मुख्य विषय हुआ करता है ।

4 अर्थ विज्ञान/शब्दार्थ विज्ञान—किसी भाषा के भाषिक विश्लेषण में उसके शब्दों के अर्थों का विश्लेषण भी महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि मात्र सायंक ध्वनियों या ध्वनि समूहों (पदों) पर ही भाषिक वाग्व्यवहार सम्भव हो सकता है । ध्वनि एवं पद यदि भाषा के स्थूल शरीरावयव हैं तो अर्थ उसकी आत्मा । शब्द एवं उसमें अभिप्रेत अर्थ के बीच का सम्बन्ध होता है, किसी शब्द का कोई अर्थ क्या एवं कैसे निर्धारित होता है, कालान्तर में किसी शब्द का अर्थ क्यों बदल जाता है, उप-परिवर्तन की क्या-क्या दिशाएँ हो सकती हैं, इत्यादि विषयों का विवेचन अर्थ-विचार के अन्तर्गत किया जाता है ।

इस सम्बन्ध में यहाँ पर इतना और भी समझ लेना चाहिए कि ऊपर निर्दिष्ट तत्त्व समस्त रूप में अथवा एक या दो तत्त्वों के रूप में किसी भाषा के विवेचन के लिए चुने जा सकते हैं, यद्यपि उसके मागोंभाग विश्लेषण के लिए इन सभी उप-व्यवस्थाओं के अन्तर्गत अध्ययन अपेक्षित होगा ।

भाषिक विश्लेषण के उपगम

सामान्यतः अभी तक भाषिक अध्ययनों के जो रूप सामने आये हैं तथा उन्हें जिन वर्गों में विभक्त किया जा सकता है, उनके नाम हैं —

1. वर्णनात्मक 2. ऐतिहासिक 3. तुलनात्मक, 4. प्रायोगिकी (Applied) 5. समाज भाषिकी (Socio-linguistic), मनोभाषिकी (Psycho-linguistic) आदि। तथा इन अध्ययनों में भाषा के जिन रूपों को आधार बनाया जाता है तथा विश्लेषण के लिए जिन प्रक्रियाओं को अपनाया जाता है उनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है—

1. वर्णनात्मक भाषिकी—वर्णनात्मक भाषिकी को साकालिक भाषिकी भी कहा जाता है क्योंकि इसमें भाषा के उस रूप का अध्ययन किया जाता है जो कि समय के किसी एक बिन्दु अथवा काल विशेष में प्रचलित होता है। इसमें भाषा के समकालीन रूपों को लेकर ध्वनि, रूप, वाक्य आदि के स्तर पर उनका विश्लेषण किया जाता है। भारतवर्ष में इस प्रकार के अध्ययन का उत्कृष्टतम उदाहरण है आचार्य पाणिनि द्वारा अष्टाध्यायी में प्रस्तुत तत्कालीन संस्कृत भाषा का मागोपाग विवरण। इस प्रकार के अध्ययन में न तो भाषा के

विक्रम के सम्बन्ध में विचार किया जाता है और न ही किसी अन्य भाषा में रूपों के साथ उमकी तुलना ही की जाती है। इसमें भाषा विज्ञानी का मुख्य लक्ष्य मात्र उम भाषा में प्रयुक्त हो रही ध्वनियों तथा रूप-रचनात्मक प्रक्रियाओं का विश्लेषण प्रस्तुत करना होता है। यहाँ तक कि प्रारम्भ में तो भाषा विज्ञान की इस शाखा के अग्रणियों ने अर्थतत्त्व का भी इस प्रकार के विश्लेषणों में बहिष्कार कर दिया था किन्तु अब वह स्थिति नहीं रही। क्योंकि अर्थतत्त्व की स्वीकृति के अभाव में तो 'अर्थ भेदकता' पर आधारित स्वनिम (Phoneme) की भी स्थापना सम्भव नहीं हो सकती। इसी प्रकार रूप-रचना में भी अर्थ तत्त्व के अभाव में प्रकृति-प्रत्यय आदि का विश्लेषण कठिन हो जायेगा। अब तो ध्वनि स्तर पर अर्थभेदक तत्त्वों का अध्ययन करने वाली एक स्वतन्त्र शाखा ही विकसित हो गयी है जिसे 'ग्लामिमी' कहा जाता है।

2 ऐतिहासिक भाषिकी—ऐतिहासिक भाषिकी को कालक्रमिक भाषिकी के नाम से भी अभिहित किया जाता है क्योंकि इसमें भाषा के किसी काल विशेष के रूपों का अध्ययन न करके उमकी सम्पूर्ण ऐतिहासिक यात्रा का विवरण प्रस्तुत किया जाता है। इसमें बताया जाता है कि अध्ययनीय भाषा का प्रादुर्भाव कब तथा कहाँ हुआ था या हुआ होगा, उम समय उसके भाषिक तत्त्वों—ध्वनि, रूप आदि की क्या स्थिति थी या रही होगी, इस यात्रा के दौरान विभिन्न कालों में उसके भाषिक तत्त्वों में क्या-क्या विकार (विक्रम) या परिवर्तन होते रहे, अपने वर्तमान रूप को प्राप्त करने से पूर्व उमका क्या रूप था, आदि-आदि। उदाहरणार्थ, भारतीय भाषा वर्ग की किसी आधुनिक भाषा का कालक्रमिक विश्लेषण प्रस्तुत करते समय हमें दिग्गम्य होगा कि उसे अपने वैदिक-कालीन भाषा के रूप में लेकर आधुनिक रूप को प्राप्त करने तक कितने-कितने रूपों को प्राप्त करना पड़ा अर्थात् ध्वनि, पद तथा अर्थ की दृष्टि से विभिन्न कालों में लौकिक, मस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश आदि में क्या-क्या परिवर्तन आने रहे। भाषा की विक्रम-यात्रा के इन काल-क्रमिक रूपों को देखने के लिए यह आवश्यक है कि अनुसन्धान को तत्काल की लिखित प्रामाणिक सामग्री, यथा पुरातन साहित्य, निलालेख आदि उपलब्ध हो। यों तो प्रत्येक काल के भाषिक तत्त्वों के विश्लेषण का रूप वर्णनात्मक प्रक्रिया में ही किया जाता है अतः इस अध्ययन में भी वर्णनात्मक भाषिकी की प्रक्रिया का पालन होता है, किन्तु यह अध्ययन निरपेक्ष न होकर पूर्वापरमापेक्ष होता है तथा भाषा विशेष की सम्पूर्ण विक्रम-यात्रा का शृंगलाबद्ध इतिहास प्रस्तुत करता है इसलिए इसमें वर्णनात्मकता की अपेक्षा ऐतिहासिकता को अधिक महत्त्व दिया जाता है। वस्तुतः भाषिकी की एक स्वतन्त्र अध्ययन एवं अनुसन्धान के विषय के रूप में भाष्यता प्रदान कराने का ध्येय ऐतिहासिक भाषिकी की ही है। उर्नीमवी शतों में इस क्षेत्र में इतना अधिक

व महत्वपूर्ण कार्य हुआ है कि इसे ऐतिहासिक भाषा विज्ञान का स्वर्णयुग माना जाता है।

3. तुलनात्मक भाषिकी :—जैसाकि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि इस प्रकार के अध्ययन में तुलना पर अधिक बल दिया जाता है, साथ ही यह भी स्पष्ट है कि तुलना के लिए एकाधिक इकाइयों का होना आवश्यक है। ये इकाइया कम-से-कम दो तथा अधिक-से-अधिक असंख्य भी हो सकती हैं। इस प्रकार के अध्ययन में सांक्रांतिक तथा कालक्रमिक दोनों ही पद्धतियों का योग हुआ करता है। इसके अतिरिक्त तुलना का आधार समकालीन भाषाएँ भी हो सकती हैं तथा पूर्वापर कालिक भाषाएँ भी। तुलना भाषाओं के किन्हीं भी तत्त्वों—ध्वनि, पद, वाक्य या अर्थ को आधार बनाकर की जा सकती है।

इस प्रणाली को यदि भाषाविज्ञान की जन्मदात्री कहा जाय तो कोई अत्युक्ति न होगी। क्योंकि सस्कृत, ग्रीक तथा लैटिन की तुलना करने पर उनमें देखी गई असामान्य समानताओं ने ही भाषाशास्त्रियों को इस दिशा में अधिकाधिक गहन अनुसंधान के लिए प्रेरित किया था। एक प्रकार से ऐतिहासिक तथा वर्णनात्मक भाषाविज्ञान इसी के ही उपफल (by-product) हैं जिन्हें बाद में स्वतन्त्र रूपों में विकसित किया गया। स्मरणीय है कि प्रारम्भ में भाषा विज्ञान का सामान्य सकेत बोध 'तुलनात्मक भाषा-विज्ञान' (Comparative Philology) के नाम से ही किया जाता था। बाद में इसकी अन्य प्रणालियों के विकसित हो जाने तथा उन्हें स्वतन्त्र रूप से मान्यता दे दी जाने से इसके विशेषक 'तुलनात्मक' शब्द को पृथक् कर दिया गया तथा उसे इसकी अन्यतम शाखा का पद दे दिया गया।

4. प्रायोगिक भाषिकी —भाषिक विश्लेषणों की दृष्टि से यद्यपि इसे कोई स्वतन्त्र प्रणाली नहीं कहा जा सकता, किन्तु इसकी प्रयोग पद्धति उपर्युक्त पद्धतियों से भिन्न होने के कारण आधुनिक युग में इसने एक स्वतन्त्र पद्धति के रूप में अपना स्थान बना लिया है। इसका उपयोग मुख्यतः भाषा शिक्षण (प्रथम या द्वितीय), भाषा सर्वेक्षण तथा अनुवाद आदि के क्षेत्र में किया जाता है। भाषा-शिक्षण में ध्वनियों के शुद्ध उच्चारण की शिक्षा, व्यतिरेकी विश्लेषण के आधार पर भाषोपाजर्जन में सम्भाव्य त्रुटियों, दोषों का पूर्वानुमान, अनुवाद की शैली व तकनीक आदि के अतिरिक्त इसमें भाषा शिक्षण तथा अनुवाद से सम्बद्ध विविध यन्त्रों, उपकरणों आदि के प्रायोगिक पक्ष पर विशेष बल दिया जाता है।

5. समाज भाषिकी :—समाज भाषिकी का एक अन्य अभिधान मानव जाति भाषा-विज्ञान (Ethno-linguistics) भी है। राबिन्स, आर० एच० के अनुसार भाषिकी तथा मानव विज्ञान के बीच सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक दोनों ही प्रकार के अन्तःशास्त्रीय सम्बन्धों के विशेष अध्ययन को मानव-जाति भाषा-विज्ञान कहा जाता है।

समाज भाषिकी का मुख्य विवेच्य विषय है—भाषिक व्यवहार के मन्दर्भों में किसी मानव समुदाय की सामाजिक व्यवस्था एवं संस्कृति का अध्ययन करना। यह एक बहु-आयामी अध्ययन प्रक्रिया है तथा इसका महत्त्व दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हमारे समाज के अन्य अनेक कार्यकलापों के समान हमारा भाषिक वाग्व्यवहार भी सामाजिक व्यवस्थाओं से नियमित होता है। किम विशेष सामाजिक मन्दर्भ में किम व्यक्ति के साथ भाषा की किम विशेष शब्दावली का प्रयोग अपेक्षित होता है इसका निर्धारण समाज विशेष के वाग्व्यवहार के नियमों द्वारा ही होगा। इसलिए समाज भाषाविज्ञानों इस तथ्य को समझ रखकर चलना है कि सामाजिक दृष्टि से निर्धारित विभिन्न स्थितियों में अपनी भाषा का उपयुक्ततम रूप में प्रयोग करने की कुशलता भी भाषिक क्षमता (Linguistic competence) का उनका ही महत्त्वपूर्ण अंग है जितना कि व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्यों का प्रयोग। अपेक्षाकृत दृष्टि में यह भाषिकी की नवीनतम शाखा है तथा अभी पूर्ण तरह में अपने रूप और क्षेत्र का निर्धारण भी नहीं कर सकी है। विशेषणीय विषयों की दृष्टि में उसमें तथा वर्णनात्मक भाषिकी में जो मुख्य अन्तर पाया जाता है वह यह है कि समाज-भाषिकी में विश्लेषण का ध्यान मुख्य रूप से सामाजिक वाग्व्यवहार की उपयुक्तता पर केन्द्रित होता है जब कि वर्णनात्मक भाषिकी में उसका ध्यान उसकी भाषिक संरचना पर। समाज-भाषिकी के मूल में जो धारणा कार्यशील रहती है वह यह है कि यद्यपि स्पष्ट रूप में भाव-संचार के लिए भाषा का व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध होना आवश्यक है किन्तु सामाजिक वाग्व्यवहार के लिए भाषा का शुद्ध होना मात्र ही पर्याप्त नहीं। क्योंकि उसमें बचना को सामाजिक दृष्टि में स्वीकार्य भाषिक प्रयोगों के लिए भिन्न-भिन्न सामाजिक मन्दर्भों में समाज विशेष की मान्यताओं के अनुरूप भिन्न-भिन्न भाषिकी रूपों का ध्यान करना होता है अर्थात् एक ही भाव की अभिव्यक्ति के लिए प्रचलित अनेक शब्दों में से सामाजिक मान्यता की दृष्टि में किम शब्द का प्रयोग किम विशिष्ट मन्दर्भ में करना है, इसका निर्णय भी उसके लिए अपेक्षित होता है—अतः कहना होगा कि समाज भाषिकी का मुख्य विवेच्य विषय है—“कौन व्यक्ति किसे, किम सामाजिक मन्दर्भ में, किम प्रकार के भाषिक प्रयोगों के माध्यम से वाग्व्यवहार करता है।”

इसमें अन्तर्गत आने वाले अन्य विवेच्य विषय हैं—समाज में स्तर-भेद तथा पाये जाने वाले भाषिक विभक्तियों का अध्ययन, वाग्व्यवहार के स्तर पर सम्बोधन-परक व्यवसाय-भेद में अथवा बहूना वाक्य शब्दावली का समाज मन्दर्भीय विश्लेषण, समाज विशेष की सामूहिक शब्दावली के विश्लेषण के द्वारा उस समाज के सामूहिक पक्षों का निरूपण, अशुभ या बर्जित समझी जाने वाली शब्दावली का विवेचन तथा उन भाषाओं को व्यवहार करने के लिए अपनाई जाने

जाने वाली पर्यायोक्तियों का विश्लेषण, उस भाषाई समुदाय के द्वारा विभिन्न पदार्थों व मकल्पनाओं के लिए प्रयुक्त की जाने वाली शब्दावली अथवा उनकी अभिव्यक्ति के प्रकारों में निहित भाषिक समुदाय की सांस्कृतिक एवं सामाजिक धारणाओं का विश्लेषण, समाज के विभिन्न वर्गों तथा प्रत्येक वर्ग के अन्तर्गत उसके विभिन्न सदस्यों के बीच वाग्व्यवहार की परम्परागत मान्यताओं का विश्लेषण तथा समाज के बदलते हुए सन्दर्भों में भाषिक परिवर्तनों का अध्ययन ।

6 मनोभाषिकी—भाषा तथा मनोविज्ञान के अन्तःशास्त्रीय (Inter disciplinary) अध्ययन को मनोभाषिकी के नाम से अभिहित किया जाता है । यह भी भाषिक विश्लेषण की एक आधुनिकतम शाखा के रूप में सामने आयी है ।

मनोभाषिकी के अन्तर्गत मुख्य रूप से जिन विषयों का अध्ययन व विवेचन किया जाता है वे हैं—भाषा का स्नायविक एवं मानसिक पक्ष, मन स्थित का एवं शाब्दिक व्यवहार का अन्तःसम्बन्ध, ध्वनिउच्चारण, ध्वनिवाहकता एवं मानसिक वृत्तियों का पारस्परिक सम्बन्ध, अर्थतत्त्व का निर्धारण तथा उसके ग्रहण की प्रक्रिया, चिन्तन प्रक्रिया के भाषिक आयाम, भाषिक सम्पर्क तथा तदनुगत प्रभाव, शिशुओं में भाषिक उपाजन की प्रक्रिया, उच्चारण तथा ग्रहणगत वाचिक विकृतियाँ आदि ।

हमारे मनोभावों तथा अनुभूतियों का हमारी भाषिक अभिव्यक्तियों के साथ गहरा सम्बन्ध होता है । आमतौर पर हमारे वागुच्चारों अथवा वाचिक क्रियाकलापों से हमारी मानसिक स्थिति का सकेत भी मिला करता है । यह भी एक अद्भुत तथ्य है कि हमारी मनःस्थिति के अन्तरो के कारण हमारे वागुच्चारों एवं वाचिक अभिव्यक्तियों के रूपों में भिन्नता आ जाया करती है । इच्छित या अनिच्छित रूप में मानव की वागात्मक अभिव्यक्तियाँ उसकी मन स्थिति को तथा उसके व्यक्तित्व को सकेतक हुआ करती हैं ।

वस्तुतः भाषा के माध्यम हमारी अति निकटता तथा एक अविच्छिन्न संबंध होने के कारण हम यह देख भी नहीं पाते हैं कि भाषा स्वयं में एक साधन भी है और साध्य भी । साधन रूप में यह हमारे अव्यक्त व्यक्तित्व का व्यक्त रूपान्तरण है । हमारे वास्तविक तथा वैचारिक तथ्य के सारे क्रिया-कलाप किमी न किती रूप में हमारे भाषिक माध्यमों के माध्यम जुड़े हुए होते हैं । भाषिक प्रक्रिया में ही हमारे बोधात्मक व क्रियात्मक अवयवों की सामूहिक सक्रियता का विद्यमान घटित होता है । भाषा विज्ञान तथा मनोविज्ञान दोनों ही मानव जाति में सम्बद्ध विज्ञान हैं । हमारे वाचिक व्यवहार की प्रतिक्रिया हमारे मन पर होती है और मन-स्थिति की प्रतिक्रिया हमारी वाचिक अभिव्यक्तियों पर । सुखद एवं मशुर शब्दों को सुनकर मन का पुलकित होना तथा दुःखद एवं कटु शब्दों को सुनकर मानसिक चिन्ता का होना अथवा भिन्न-भिन्न प्रकार के मानसिक आवेगों की स्थिति में तदनुसृत भिन्न-

भिन्न मानगिव प्रतिक्रियाओ का होना यह हम सबके लिए एक अनुभवमिड प्रसग है। और अपने इन दैनन्दिन अनुभवों के आधार पर हम महज ही देख सकते हैं कि 'मन' व 'भाषा' के बीच एक घनिष्ठ सम्बन्ध होता है। यहां तक कि हमारी वाणी का प्रस्कृटन भी मानगिक प्रेरणा से ही हुआ करता है। पाणिनीय शिक्षा (69) में इसी बान को इस प्रकार दर्शाया गया है—

आत्मा बुद्ध्या समेत्यार्थान् मनो पुड्ते धिवक्षया
मन कायान्निमाहन्ति स प्रेरयति मादतम् ॥6॥
मादतस्तूरसि चरन् मन्द्रं जनयते स्वरम् ।
?

सोदीर्णो मूर्धन्यभिहतो वक्त्रपापद्य मादत ।
वर्णाञ्जनयते तेषां विभागः पञ्चधा स्मृतः ॥ 9 ॥

अर्थात् किसी वाग्ध्वनि के उच्चारण की कामना करने वाले व्यक्ति का चेतन तत्त्व (आत्मा) उनके विवेक तत्त्व (बुद्धि) के साथ समुक्त होकर जिन अर्थों का माधात्कार करना चाहता है उनकी अभिव्यक्ति की कामना से (विवक्षया) मन-शक्ति को उद्बोधित करता है तथा इस प्रेरणा को पाकर मनःशक्ति, शारीरिक शक्ति (प्राणवायु) को प्रेरित करती है। इसके फलस्वरूप वह वायु श्वास-नलिका के मार्ग में चलती हुई स्वर यन्त्र से टकरा कर मन्द्र ध्वनि को जन्म देती है और वहीं वायु मुखदिवर में भिन्न-भिन्न स्थानों पर अवस्ट्ट होकर पांच प्रकार की व्यक्त ध्वनियों (वर्णों) को जन्म देती है।

उपर्युक्त बचन में स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किया गया है कि मन ही हमारे उच्चारणों की मूल प्रेरक शक्ति है, अतः हमारे उच्चारणों पर उसका व्यक्त प्रभाव रहता है।

इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि भाषाओं में प्रायः ध्वनि परिवर्तन या अर्थ परिवर्तन हो जाया करता है अथवा एक ही शब्द का अनेक अर्थों में प्रयोग किया जाने लगता है। ऐसा क्यों होता है, इसका उत्तर ढूढने में भी मनोविज्ञान हमारी पूरी सहायता करता है।

भाषिकी का कतिपय अन्य विद्वानों से सम्बन्ध—शास्त्रीय विश्लेषणों के रूप में मार्कभौम रूप से मान्यताप्राप्त भाषिकी भी उपर्युक्त शाखाओं के अतिरिक्त अनुसन्धान एवं व्यावहारिक उपयोगिता के कतिपय अन्य विषय भी है जिनमें कि भाषिकी का जान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में सहायक होता है। इनमें से प्रमुख है बोली-विज्ञान तथा लोग-विज्ञान।

बोली विज्ञान (Dialectology)—इसके अन्तर्गत भाषा के जिन परतों का अध्ययन किया जाता है, वे हैं—किसी विस्तृत भाषा क्षेत्र में बोली जा रही अनेक भाषाओं या उपभाषाओं के प्रसार-क्षेत्रों का निर्धारण करना, उनमें से प्रत्येक के

व्यवहार-क्षेत्र का तथा उनमें व्यवहृत होने वाले भाषिक रूपों का विवरण प्रस्तुत करना, उनका भौगोलिक वितरण करना अथवा विभिन्न भाषिक तत्त्वों—ध्वनि, रूप, शब्दार्थ में साम्य एवं वैषम्य को निरूपित करने वाले मानचित्रों (Maps) तथा समभाषाश सीमारेखाओं (Isoglosses) को प्रस्तुत करना, उनके सीमा क्षेत्रों में पाये जाने वाले पारस्परिक प्रभावों का तथा उनकी भाषिक निकटता अथवा दूरी के आधार पर उनका वर्गीकरण करना आदि-आदि । इसे बोली भूगोल (Linguistic Geography) भी कहा जाता है । किन्तु बोली-भूगोल की अपेक्षा बोली-विज्ञान का क्षेत्र अधिक विस्तृत होने से इसे बोली-विज्ञान कहना ही अधिक उपयुक्त होगा ।

कोशविज्ञान—भाषा विशेष में प्रयुक्त होने वाले सभी सार्यक शब्दों का वर्णानुक्रम में सकलित रूप ही कोश कहलाता है । इसके संकलन तथा व्यवस्थापन के सम्बन्ध में वैज्ञानिक जानकारी प्रस्तुत करना कोश विज्ञान का कार्य होता है और इसका विवेच्य होता है—शब्दों के मूल स्रोतों का, उनकी व्युत्पत्तियों का तथा उनके अर्थों की पूर्वपरता का निर्धारण करने के प्रकारों तथा उनके आधारों का सैद्धान्तिक विवेचन । इन विषयों का परिगणन यद्यपि भाषिकी के प्रमुख विवेच्य विषयों में नहीं किया जाता है फिर भी इसका सम्बन्ध भाषा के साथ होने तथा इसकी प्रवृत्तियों का सम्बन्ध भाषा के ऐतिहासिक, तुलनात्मक तथा सामाजिक, सांस्कृतिक सभी रूपों में होने के कारण भाषिकी की इन शाखाओं का ज्ञान इसे वैज्ञानिक रूप में प्रस्तुत करने में सहायक हो सकता है । उल्लेख्य है कि कोश रचना के क्षेत्र में वैदिक शब्दकोशों (निघण्टुओं) का निर्माण विश्व के कोश-निर्माण-कला का प्राचीनतम रूप माना जाता है ।

भाषिकी के अन्तर्विधिक सम्बन्ध

मानव के माय भाषा का अन्यान्याश्रित सम्बन्ध होने तथा अधिकांश शास्त्रों एवं विज्ञानों के अध्ययन का केन्द्र बिन्दु मानव ही होने के कारण भाषिकी का सम्बन्ध अन्य शास्त्रों के माय मज्ज ही जुड़ जाता है। किन्तु भाषिकी तथा अन्य शास्त्रों के माय पाये जाने वाले ये सम्बन्ध नया किन्हीं स्थितियों में मापेस किन्हीं में निरपेक्ष तथा किन्हीं में पूरक दृश करते हैं। इन्हीं में से उन कतिपय सम्बन्धों के विषय में हम ऊपर चर्चा कर ही चुके हैं जहाँ पर कि वे अध्ययन की एक विशेष शाखा के रूप में स्वतन्त्र रूप में विकसित हो चुके हैं। यहाँ पर अब हम कतिपय उन सम्बन्धों पर प्रकाश डालने का पान करेंगे जो कि पूरक रूप में एक-दूसरों के माय महयोग करते हैं।

1. व्याकरण—भाषिकी और व्याकरण के बीच अति निकट का एवं घनिष्ठ सम्बन्ध है जिसे प्रगाणी भाव सम्बन्ध के नाम से परिभाषित किया जा सकता है अर्थात् भाषिकी अर्थात् है और व्याकरण उगता एक अंग। इसीलिए भाषिकी को कभी-कभी 'व्याकरण का व्याकरण' भी कह दिया जाता है। भाषिकी के बिना व्याकरण अर्थात् एक विवेकहीन होता है। वह भाषा के वाच्य विशेष के स्वरूप का

व उसे व्यवहार सगत बनाने वाले नियमों की व्यवस्था तो कर सकता है तथा उस भाषा का प्रयोग करने वालों के लिए आख मूदकर उनका अनुसरण करने का आदेश भी करता है किन्तु वह यह नहीं बता सकता कि भाषिक व्यवहार के लिए मान्य वे रूप कब, क्यों, कैसे प्रयोग में आये। इसीलिए व्याकरण को वर्णनात्मक भाषा विज्ञान भी कहा जाता है क्योंकि उसका कार्य है भाषा के निष्पन्न रूपों का विवरण प्रस्तुत करना। किन्तु भाषिकी का कार्य है भाषा के इन रूपों की निष्पन्नता के पीछे कार्यशील भाषिक नियमों का पता लगाना। कहना न होगा कि यदि व्याकरण भाषा विशेष की अभिरचनाओं में कार्यशील भाषिक नियमों की खोज व व्यवस्था करता है तो भाषिकी उन नियमों के मूल में कार्यशील भाषिक प्रवृत्तियों के इतिहास की व सिद्धान्तों की व्याख्या करती है। प्रत्येक भाषा में अनेक ऐसे शब्दरूप प्रयुक्त होते हैं जिनके सम्बन्ध में व्याकरण उनकी साधुता का प्रमाण पत्र तो दे देता है किन्तु उनमें पायी जाने वाली विसंगतियों का उसके पास कोई उत्तर नहीं होता। यह उत्तर मिल सकता है भाषिकी से। उदाहरणार्थ, संस्कृत में सामान्य धातु-प्रत्यय व्यवस्था के अनुसार अस् धातु के लट् लकार अन्य पुहप के रूप बनने चाहिए थे—अस्ति, अस्तः, अस्तन्ति, किन्तु बनते हैं अस्ति, स्तः, सन्ति। इसी प्रकार प्रथम पुरुष सर्वनाम के कर्त्ता के तीनों रूपों में तीन पृथक्-पृथक् मूल देखे जाते हैं अहम्, आवाम्, वयम्। इसी प्रकार अन्य पुरुष सर्वनाम का कर्त्ता एक वचन में तो रूप बनता है सः किन्तु द्वि० व० और बहु० व० में तौ, ते। व्याकरण के पास इन दृश्यमान विसंगतियों का कोई तर्क-सगत उत्तर नहीं। आगम, लोप आदि का विधान एक अर्वाज्ञानिक व्यवस्था मात्र है। इसका वैज्ञानिक एवं तर्क-सगत उत्तर पाने के लिए हमें इनके ऐतिहासिक विकास को तथा समय-समय पर कार्यशील ध्वनि नियमों को देखना होगा जो कि भाषिकी का अपना विषय है। इसीलिए भाषिकी को भाषा की आंख भी कहा जाता है।

इस सम्बन्ध में यह भी स्मरणीय है कि व्याकरण का क्षेत्र सीमित तथा दृष्टिकोण रुढ़िवादी होता है, जबकि भाषिकी का क्षेत्र अत्यन्त विस्तृत तथा दृष्टिकोण प्रगतिवादी अर्थात् व्याकरण का क्षेत्र किसी भाषा विशेष तक तथा उसके परम्परागत रूपों तक ही सीमित होता है, परम्परा से हटकर बने हुए रूपों को वह अशुद्ध एवं अपभ्रंश कहकर उनका बहिष्कार कर देता है; किन्तु भाषिकी का विवेच्य विषय क्षेत्र विश्व की कोई भी भाषा या भाषाएँ हो सकती हैं। वह व्याकरण की भाँति भाषाओं में साधु-असाधु, सम्भ्य-असम्भ्य आदि का भेद नहीं करती। उसका दृष्टिकोण उदार एवं सार्वभौम होता है, उसकी दृष्टि में भाषा में विवक्षित रूप भी उतने ही ग्राह्य होते हैं जितने कि मूल रूप। उदाहरणार्थ, भाषिकी के लिए 'उपरोक्त' शब्द भी उतना ही ग्राह्य है जितना कि उपर्युक्त,

विन्तु रुद्रिवादी व्याकरण 'उपरुक्त' रूप को मान्यता-देने के लिए तैयार नहीं होगा ।

2 भाषिकी और साहित्य—साहित्य तथा भाषिकी के विषय क्षेत्रों में पर्याप्त अन्तर होने हुए भी दोनों काफ़ी मात्रा में एक-दूसरे के सहायक हो सकते हैं । साहित्य का स्पूल आधार भाषा है और भाषा का शुद्ध एवं सगत प्रयोग करने के लिए भाषिकी की एक प्रमुख शाखा वर्णनात्मक भाषिकी का ज्ञान अपेक्षित होता है । हमने अनिश्चित भाषिकी की ऐतिहासिक एवं काल-क्रमिक दृष्टि से तुलनात्मक शाखाओं का अध्ययन तो साहित्य की आधारभूत सामग्री के बिना हो ही नहीं सकता । यदि हमारे पास वैदिक मसूत, साहित्यिक मसूत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि का साहित्य न होता तो हमारे लिए भारतीय आर्य भाषाओं का या भारत-ईरानी वर्ग की भाषाओं का ऐतिहासिक एवं तुलनात्मक अध्ययन करना कठिन ही नहीं अपितु असम्भव भी होता । भारत में ही आग्नेय व तिब्बत-बर्मी परिवार की अनेक भाषाएँ ऐसी हैं जिनका कोई पिछला साहित्य उपलब्ध न होने से उनके ऐतिहासिक या तुलनात्मक अध्ययन की बात मोची भी नहीं जा सकती है ।

वस्तुतः भाषिकी के इतिहास पर दृष्टिपात करने पर सहज ही देखा जा सकता है कि विज्ञान की इस शाखा के विकास के मूल में मसूत, प्रोक, लैटिन आदि का साहित्य ही था जिनसे कि सर्वप्रथम इसकी तुलनात्मक शाखा (Comparative philology) को जन्म दिया या तथा इसी साहित्य के सहारे इसकी ऐतिहासिक शाखा का विकास हुआ । जिनके फलस्वरूप हम भारतीय भाषा परिवार की स्थापना तथा उसके मूल रूप की पुनर्रचना के कार्य में सफल हुए । -

यदि साहित्य उपरुक्त रूप में भाषिक अध्ययनों में सहायक होता है तो भाषिकी भी अनेकत्र साहित्यिक अध्ययनों व विश्लेषणों में उसकी सहायक बनती है । भाषा के अनेक रूप व अर्थ ऐसे हैं जो कि अपने पुरातन रूपों एवं अर्थों से पर्याप्त भिन्न रूपों में और कभी-कभी तो विपरीत रूपों में भी विकसित हो गये हैं, यथा वैदिक 'अमुर' प्राणवान् (अमु + र) का अर्थ बाद के साहित्य में 'राशम' हो गया या 'अरि' पहोमी का अर्थ 'शत्रु' हो गया । अर्थ परिवर्तन की इस प्रकार की समस्याओं का समाधान मात्र भाषिकी की अन्ततम शाखा 'अर्थविचार' के द्वारा ही हो सकता है । इसी प्रकार की स्थिति अनेक शब्द-रूपों की भी है । इनके अतिरिक्त कई बार हम भाषिकी की सहायता से पुरातन साहित्य के ध्रष्ट पाठों का समोधन भी कर सकते हैं । इस प्रकार हम देख सकते हैं कि साहित्य तथा भाषिकी दोनों ही अनेक दृष्टियों से एक-दूसरे के साथ पूरी तरह सम्बन्ध तथा एक-दूसरे के लिए उपयोगी भी हैं ।

3. भाषिकी और बर्तन शास्त्र—द्वन्द्वशास्त्र के साथ यद्यपि भाषिकी का बँधा रहन एवं अन्योन्याश्रित सम्बन्ध नहीं है जैसा कि व्याकरण व साहित्य शास्त्र

के साथ, फिर भी एक तो सम्पूर्ण दार्शनिक विज्ञान व तर्क-वितर्क का कार्य भाषा के ही माध्यम से चलता है तथा दूसरे प्राचीन काल में भाषा, विशेष कर शब्दार्थ सम्बन्ध, का तात्त्विक विवेचन दर्शन शास्त्रीय अध्ययनों से ही प्रारम्भ हुआ था। ग्रीक विद्वानों—प्लेटो, अरस्तू आदि—ने सर्वप्रथम शब्दार्थ के सम्बन्धों के विषय में गहन विवेचन की शुरुआत की थी। भारतीय दार्शनिक चिन्तन-परम्परा में भी वैयाकरणों के स्फोटवाद, बौद्धों के अपोहवाद, नैयायिकों के जातिवाद, मीमांसकों के शब्द के नित्यानित्यत्व के चिन्तन का सम्बन्ध शब्दार्थ सम्बन्ध के विवेचन के साथ ही जुड़ा हुआ है। आचार्य पतञ्जलि और भर्तृहरि ने तो व्याकरण को भी दर्शन की परिधि में खड़ा कर दिया है।

भारतीय तंत्र शास्त्रियों ने तो भाषिकी के अन्यतम रूप स्वनिकी के पक्ष को ही विशेष महत्त्व दिया है। विभिन्न ध्वनियों का अनुक्रमिक विन्यास ही इसका मूलाधार है। उनके अनुसार एक विनिष्ट अनुक्रम से उच्चरित ध्वनिया अभिप्रेत कार्य की मिद्धि में समर्थ अलौकिक प्रभावों को उत्पन्न करने में समर्थ होती हैं।

4. भाषिकी और काव्यशास्त्र—इस देश के मनीषियों द्वारा किये गये भाषिक चिन्तनों और अनुसन्धानों के विषय में जो विशेष रूप से उल्लेखनीय बात है वह यह कि यहाँ पर इस विषय का चिन्तन केवल वैयाकरणों व दार्शनिकों तक ही सीमित नहीं रहा वरन् विचारकों के सभी सम्प्रदायों ने अपने-अपने दृष्टिकोण से भाषा के स्वरूप एवं प्रकार्य के रहस्य का उद्घाटन करने का यत्न किया। फलतः यहाँ पर भाषाशास्त्रीय चिन्तनों के विकास में सभी शास्त्रीय परम्पराओं का योगदान रहा है।

इस दिशा में भारतीय काव्यशास्त्रियों का योगदान भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं। साहित्य का विज्ञान होने के नाते काव्यशास्त्र भी अपने विवेच्य विषयों के विविध मन्दर्भों में उनमें सम्बद्ध भाषिक तत्त्वों पर विचार करता रहा है। शब्द और अर्थ के समुचित प्रयोग को काव्यतत्त्व का मूलाधार मानने वाले काव्यशास्त्रियों के लिए अनेक भाषिक तत्त्वों को अपने विवेचनों का आधार बनाना सर्वथा अपरिहार्य कार्य था। उनके द्वारा विवेचित विभिन्न काव्य तत्त्वों का निकट से परीक्षण करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि उन्होंने भाषा के प्रश्न को कभी भी काव्यालोचन के पक्ष से पूरक रूप में नहीं देखा। उनके तो शास्त्रों का प्रारम्भ ही 'शब्दार्थ' की चर्चा से होना है वह चाहे छठी शताब्दी के आचार्य भामह का 'शब्दार्थो सहितो काव्यम्' हो या सोलहवीं शताब्दी के आचार्य पण्डितराज जगन्नाथ का 'रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम्' हो।

इन आचार्यों ने केवल काव्यभाषा पर ही विचार किया हो, ऐसी बात नहीं। अपितु उसके सामान्य व्यावहारिक पक्ष पर भी पूरा ध्यान दिया है। आचार्य

दण्डो ने भाषा के सर्वमान्य महत्त्व को उद्घोषित करते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा—

वाचामेव प्रसादेन लोकायात्रा प्रवर्तते (काव्यादर्श 1/3)

अर्थात् भाषा की आवश्यकता हमें केवल उच्च दार्शनिक चिन्तन एवं काव्यात्मक रसान्वादे के लिए ही नहीं, अपितु अपनी सामान्य लोक-यात्रा के लिए भी आवश्यक है। इतना ही नहीं अपितु इस सम्बन्ध में उनका यह भी कहना है कि यदि शब्द रसात्मक भाषा का प्रकाश न होना तो यह मारा विश्व ही अन्धकार के गर्त में डूबा रहता।

इदमन्धतमः कृस्त्वं जायेत भुवनप्रथम् ।

यदि शब्दाह्वयं ज्योतिरासंसारं न दीप्यते ॥

भाषा के सम्बन्ध में जन आचार्यों ने किन्तना गहन चिन्तन एवं विवेचन किया है, इतका अनुमान तो इसी बात से लगाया जा सकता है कि भाषा के सम्बन्ध में आधुनिक विद्वान् स्मृत्वा के द्वारा प्रदत्त तथा विश्व के अधिकतम भाषाशास्त्रियों द्वारा स्वीकृत परिभाषा में लगभग 1200 वर्ष पूर्व ही आचार्य भामहू निम्नलिखित परिभाषा दे चुके थे, त्रिमूकैः प्रकाश में स्मृत्वा द्वारा प्रदत्त परिभाषा उसकी छाया-सी लगती है। देखो पृष्ठ...

वाक्याशास्त्रियों ने भाषा के मूलभूत अंगों—पद, वाक्य आदि—की जो परिभाषा दी हैं वे इतनी पूर्ण तथा युक्तिमग्न हैं कि उनमें अधिक सगन परिभाषाएँ नहीं दृष्टिगोचर भी नहीं होती हैं। आचार्य विश्वनाथ ने पद के विषय में लिखा है कि—
 'वर्णा पदं प्रयोगार्हानन्वितंकार्यबोधका' तथा वाक्य को परिभाषित किया है—
 'वाक्यं स्याद्योग्यताज्ञानात्मकियुक्तः पदोपधयः। आज का कोई भी भाषाशास्त्री प्रमाणित कर सकता है कि अभी तक कोई भी इनमें अधिक उपयुक्त परिभाषाएँ प्रस्तुत नहीं कर सका है। यही बात वाक्यार्थ विचार तथा पद-सदार्थ सम्बन्ध विचार के विषय में भी देरी जाती है। वाक्यशास्त्रियों के द्वारा अर्थ के सम्बन्ध में दिया गया शब्दशास्त्र-विचार तो विश्व-विश्रुत है ही, किन्तु रस, छवि, गीति, गृण, अलंकार आदि के प्रथम में भाषा की पृथग्व्य छवियों तथा उपयुक्त काव्य-नस्त्रों के बोध पाये जाने वाले जिन आन्तरिक सम्बन्धों का रहस्योद्घाटन इन वाक्य शास्त्रीय ग्रन्थों में हुआ है, वह उनके भाषा सम्बन्धी सूक्ष्म पर्यवेक्षणों का ही परिणाम है।

इस सम्बन्ध में सर्वाधिक उन्नेयनीय प्रमाण है भाषिणी के श्रीमती वैज्ञानिक पक्ष का विवेचन। गीतियों के विवेचन के प्रथम में इन आचार्यों ने वाक्यभाषा के वैज्ञानिक विवेचन को जो विषय प्रस्तुत की है वे आज के शैली विज्ञान के लिए मार्गदर्शक हो सकती हैं। श्रीमती विज्ञान के क्षेत्र को भारतीय वाक्यशास्त्र की यह एक अमूल्य देन है। अर्थात् विचार के लिए देखिए—रगिणाया माहिय्य अनादमी

द्वारा प्राणशित लेखक का शोध पत्र—'संस्कृत काव्यशास्त्र का भाषा शास्त्रीय आधार।'

95305

15 भाषिकी और इतिहास—भाषिकी और इतिहास दोनों ही परस्पर एक-दूसरे के उपकारक होते हैं। यो तो पुरातन इतिहास के निर्माण में भाषा के माध्यम से सुरक्षित अभिलेखों, शिलालेखों तथा मुद्रालेखों का महत्त्वपूर्ण स्थान होता ही है किन्तु इनके अतिरिक्त भी किसी देश या काल की भाषा का विश्लेषण उसके अज्ञात इतिहास पर प्रकाश डालने का महत्त्वपूर्ण कार्य करता है। अनेक बार भाषा विशेष में सुरक्षित शब्दावली का विश्लेषण ऐसे ऐतिहासिक तथ्यों पर प्रकाश डालता है जो कि अन्यथा सुलभ नहीं हो सकते। उत्तरी गीरिया में अचिरपूर्व में प्राण हित्ती भाषा के अभिलेखों की भाषा के विश्लेषण ने प्रथम बार इतिहास के इस पृष्ठ का उद्घाटन किया कि वैदिक आर्यों तथा हित्ती भाषिकों के पूर्वज एक ही थे। वे दोनों ही सूर्य, इन्द्र, अग्नि, मित्र, अर्यमा आदि के उपासक थे। इसी प्रकार अवेस्ता और वैदिक संस्कृत की असाधारण समता ने यह व्यक्त किया कि वैदिक आर्य तथा अवेस्ता के मानने वाले ईरानी एक ही भाषाई परिवार के व्यक्ति थे और वैदिक काल से अतिर पूर्व में ही एक-दूसरे से पृथक् हुए थे। संस्कृत भाषा की पुरातन शब्दावली में द्रविड तथा मुण्डा भाषा के अनेकानेक शब्दों का पाया जाना भी इस बात का द्योतक है कि आर्य, द्रविड, कोल आदि वर्ग के लोग अति प्राचीन काल में ही एक-दूसरे के सम्पर्क में आ चुके थे। प्रत्येक भाषा के भाषिक व्यवहारों में ऐसे अनेक शब्द-रूप सुरक्षित होते हैं जो कि उक्त भाषा के बोलने वाले जन-समूह के ऐतिहासिक एवं भौगोलिक सम्बन्धों पर अद्भुत प्रकाश डालने में समर्थ होते हैं। संस्कृत का 'चीनांशुक' भारत चीन सम्पर्क को तथा 'यवनिका' 'ज्यामिनि', होडाचक आदि शब्द भारत यूनान सम्बन्धों को व्यक्त करने में सर्वथा सशक्त हैं।

यदि भाषिक विश्लेषण ऐतिहासिक विश्लेषणों के लिए उपादेय हो सकता है तो ऐतिहासिक तथ्य भाषिक विश्लेषणों में सहायक हो सकते हैं। किसी एक दूरवर्ती भाषा में किसी अन्य दूरवर्ती भाषा के शब्द कब (किन काल में) तथा कैसे आये, इसका समाधान इतिहास ही करता है। अपने ज्ञात भारतीय इतिहास के सम्बन्ध में हम बताने सकते हैं कि यहाँ पर ह्यारी भाषाओं में अरबी, फारसी, फ्रेंच, पुर्तगाली, अंग्रेजी आदि के शब्दों का आदान-विनि-विन शताब्दियों में हुआ होगा। इसी प्रकार बृहत्तर भारत के इतिहास के प्रकाश में हम देख सकेंगे कि हिन्देशिया की बृहत्-सी भाषाओं जावा, बाली, सुमात्रा आदि—में संस्कृत शब्दावली कब और कैसे पहुँची। ऐसे ही निचरनी भाषा में सिंह, पद्म जैसे अनेक शब्दों की विद्यमानता भारत विन्धन के प्राचीन सम्बन्धों तथा इन सम्बन्धों की स्थापना के

काल पर प्रकाश डालती है। इसे किसी भी देश के इतिहास के एक विश्वस्तनीय एवं प्रामाणिक पक्ष का पोषक तत्व कहा जा सकता है।

6 भाषिकी और भूगोल—भाषिकी और भूगोल के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध तो है पर उनकी स्थिति वही नहीं जो कि इतिहास एवं भाषिकी की है। यह सम्बन्ध अधिकांश में एक पक्षीय है अर्थात् भौगोलिक स्थितियों भाषिक तत्वों को तो प्रभावित करती हैं किन्तु भाषा भौगोलिक स्थितियों को नहीं। यथा—उष्ण, शीत आदि भौगोलिक परिवर्तनों में प्रयुक्त की जाने वाली अनेक भाषाओं के विचलन में देखा गया है कि उनमें पाये जाने वाले इत्यन्त्यात्मक विभेदों, यथा—मवृत्ता, महाप्राणता, अल्पप्राणता, स्पष्टोच्चार-अभिनिधान, निर्वाधोच्चार, कण्ठावरोध आदि का कारण उन स्थानों की भौगोलिक स्थिति एवं तत्सम्बन्ध वातावरण ही होता है। ममस्त हिमालयीय क्षेत्र की भाषाओं में विद्वृत ध्वनियों एवं महाप्राण ध्वनियों का अभाव, शब्दान्त ध्वनियों के अस्पष्ट या कण्ठावरोधी उच्चारण आदि के पीछे इन प्रदेशों का शीत प्रधान भौगोलिक वातावरण ही प्रमुख कारण होता है। इसके विपरीत उष्ण प्रधान क्षेत्रों में इनसे भिन्न रूपों की सत्ता भी वहाँ की भौगोलिक स्थितियों के कारण ही कही जा सकती है, यद्यपि उष्ण प्रदेशीय द्रविड़ भाषाओं में भी महाप्राण ध्वनियों के अभाव का कारण भौगोलिक स्थितियों में नहीं, ऐतिहासिक स्थितियों में ढूँढ़ना होगा।

दूसरी प्रकार मैदानी भाषों की भाषाओं की अपेक्षा पर्वतीय क्षेत्रों की भाषाओं में थोड़ी-थोड़ी दूरी पर अत्रोच्चम्य भाषाई विभेदों की स्थिति का कारण भी वहाँ की भौगोलिक स्थितियाँ ही होती हैं, जिनमें बीच-बीच में आ पड़ने वाले अल्प पर्वतों, तीव्रगामी नदियों एवं सघन वनों के कारण पारस्परिक आदान-प्रदान ब मवार की संभावनाएँ न्यूनतम हो जाती हैं।

इसके अनिश्चित अनेक भाषिक प्रयोग उनके प्रयोक्ताओं की भौगोलिक स्थिति के परिचायक होते हैं। यथा—हिमालय की कतिपय बोलियों में पके हुए चारनों (भान) को 'अन्न' कहा जाता है जबकि मैदानी क्षेत्रों में अन्न से सभी प्रकार के अन्नो (अनाजों) का सहेन बोध होता है। उसका कारण यह है कि इन क्षेत्रों में चारन ही मुख्य भोज्य पदार्थ होता है। इसी प्रकार संस्कृत के 'उद्' शब्द के सम्बन्ध में भी मयता जाता है कि वैदिक काल में आर्य जिन प्रदेश में रहते थे उनमें धूरे रस का बहुत्वान और भैसा होता था अतः वहाँ यह उमी का सहेन था, किन्तु जब वे उष्ण प्रदेशों के सम्पर्क में आये तो उन्हें इन वर्णों का एक अन्य दीर्घभाव जोड़ भी देखने को मिला अतः उन्होंने ऊट को भी इसी नाम से अभिहित करना प्रारम्भ कर दिया। संस्कृत में नमक को 'मैन्धव', केसर को 'कमोरव', रोगम को 'वीनागुक' या 'वीगुक', चन्दन को 'मन्धव', उड़द को

'कम्बोज' आदि के नामों से अभिहित करना भाषा एवं भूगोल के इसी पारस्परिक आदान-प्रदान के परिणाम हैं।

कभी-कभी भाषा दो निकटवर्ती प्रदेशों की भौगोलिक सीमाओं के निर्धारण में भी महत्त्वपूर्ण योगदान करती है, उदाहरणार्थ, उत्तर प्रदेश का पर्वतीय क्षेत्र उत्तराखण्ड एक भौगोलिक इकाई है और इसके दो उपखण्ड हैं जिन्हें प्राचीन काल में कंदराखण्ड तथा मानसखण्ड के नाम से जाना जाता था, किन्तु आधुनिक काल में गढ़वाल मण्डल तथा कुमाऊ मण्डल के नामों से जाना जाता है। इन दोनों के बीच कोई प्राकृतिक व सांस्कृतिक सीमा के न होने से भाषा ही वह आधार है जिसमें इनकी भौगोलिक सीमाओं का निर्धारण किया जाता है। यही स्थिति हरियाणा और पंजाब की भी है। यहां पर भी भाषिक विभेद ही दोनों की सीमाओं का सही-मही निर्णय देने में समर्थ हो सकते हैं। राजीव-भोगोवाल समझौते को लागू करने के लिए परस्पर भूमि के आदान-प्रदान के लिए इसी को आधार बनाया गया था। अनेक राज्यों की सीमा सम्बन्धी विवादों को हल करने के लिए भी विवादास्पद क्षेत्रों की भाषा को ही सबसे अधिक निर्णायक आधार माना जाता है।

7 भाषिकी और नृविज्ञान—भाषिकी के समान ही नृविज्ञान का विवेचन क्षेत्र भी बहुआयामी और मानव-केन्द्रित है। भाषिकी की भांति उसकी भी अनेक शाखाएं हैं। उसकी जिस शाखा के साथ भाषिकी का निकट सम्बन्ध बनता है वह है उसकी सांस्कृतिक शाखा, जिसे सांस्कृतिक नृविज्ञान (Cultural Anthropology) कहा जाता है। भाषिक तथा नृविज्ञानिक अध्ययनों का परस्पर इतना निकट सम्बन्ध है कि सांस्कृतिक नृविज्ञान के अनुसन्धाता या अध्यापक के लिए भाषाविज्ञानी होना भी अनिवार्य है। और इन अन्तःशास्त्रीय (Interdisciplinary) अध्ययनों के फलस्वरूप भाषिकी की एक पृथक् शाखा नृविज्ञान भाषिकी (Anthropolinguistics) का विकास हो गया है। जिसके अन्तर्गत भाषिक सामग्री के आधार पर किसी भाषिक जनसमुदाय के विकास की विभिन्न अवस्थाओं, एवं उनकी सभ्यता, संस्कृति आदि का अध्ययन किया जाता है। असभ्य एवं आदिम जनजातियों की जीवन-पद्धति, चिन्तन-प्रक्रिया, सामाजिक संगठन आदि को समझने में उनकी भाषिक सामग्री से बड़ी महत्त्वपूर्ण एवं अधिकृत सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं। अनेक वानों में पृथक्ता रखते हुए भी इस प्रकार के अध्ययन समाज भाषिकी के साथ कई क्षेत्रों में एक रूप हो जाते हैं।

भाषिकी और समाज विज्ञान तथा भाषिकी और मनोविज्ञान के सम्बन्धों के विषय में हम भाषिकी की प्रमुख शाखाओं के विवेचन के प्रसंग में पर्याप्त प्रकाश डाल ही चुके हैं। उसकी पुनरावृत्ति की आवश्यकता नहीं। इसे उन्हीं प्रसंगों में देख लेना चाहिए।

8. भाषिकी और गणित—भाषिकी और गणित के बीच परस्पररोपकारता या अन्योन्याश्रय सम्बन्ध तो नहीं, फिर भी एक पक्षीय सम्बन्ध अवश्य है। आधुनिक युग में गणितीय अध्ययन प्रणाली का प्रभाव भाषिकी पर इतना अधिक हो चुका है कि भाषिकी की एक नवीनतम शाखा गणितीय भाषिकी (Mathematical linguistics) का विकास हो चुका है। गणितीय सूत्रों की सहायता से भाषा विज्ञान के नियमों व सिद्धान्तों को सक्षिप्त प्रतीकात्मक रूपों में अभिव्यक्त करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रजनक व्याकरण में सम्बद्ध प्रणालियों में इसका विशेष रूप से उपयोग किया जा रहा है। भाषिकी की एक आधुनिकतम शाखा भाषा काल-क्रम-विज्ञान (Glottochronology) का सम्बन्ध भी गणितीय आवृत्तियों से ही होता है।

9 भाषिकी और अभियांत्रिकी—ये दोनों ही परस्पररोपयोगी ज्ञान हैं। विशेष कर संचार अभियान्त्रिकी में संचार यन्त्रों—रेडियो, टेलीफोन आदि—के निर्माण के लिए स्वनिविज्ञान का ज्ञान अत्यन्त सहायक होता है। ध्वनिगुणों की अभिरचनाओं का ज्ञान इन यन्त्रों के विकास में तथा उनमें निरन्तर किये जा रहे सुधारों के सम्बन्ध में बड़ा उपयोगी सिद्ध हुआ है। दूसरी ओर अभियान्त्रिकी ने भाषिकी को बने-बने ऐसे यन्त्र सुलभ कराये हैं जिनकी सहायता से ध्वनियों के उत्पादन, ग्रहण, तथा ध्वनि गुणों के वैज्ञानिक विश्लेषण की प्रक्रियाओं को समझने में बड़ी सहायता मिली है यथा एकमरे, सैरेंजोस्कोप, टोनएनेलाइजर, स्पेक्ट्रोग्राफ, कम्प्यूटर, आदि। यांत्रिक अनुवाद के लिए आविष्कृत किये जा रहे यन्त्रों के निर्माण में भाषिकी का दूर-दूर उपयोग किया जा रहा है। इसके बिना इन यन्त्रों का निर्माण शभव ही नहीं।

10 भाषिकी और भौतिकी—भाषिकी और भौतिकी के मध्य सम्बन्ध जोड़ने वाला मुख्य विषय है ध्वनि-संचार। ध्वनि-तरंगों के संचरण व ग्रहण की प्रक्रियाओं का अध्ययन व विश्लेषण एक ऐसा विषय है जिसमें इन दोनों विज्ञानों की समान अभिवृत्ति होती है। बक्ता के कण्ठ से निम्न वाग्ध्वनिया किंग प्रकार श्रोत्र तक पहुंचती हैं, इसका विश्लेषण भौतिकी के विषय क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। यही हमें बतानी है कि आकाश में वह कौन-सा तत्व है जो कि ध्वनि-तरंगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है, उसका संचरण किंग प्रकार होता है, उसकी गति का नियन्त्रण हो सकता है या नहीं? सामान्यतः जो ध्वनियां थोड़ी दूर के बाद विलीन हो जाती हैं वे किंग प्रकार सांवाहिकी में सम्बद्ध यन्त्रों—बेतार केंतार, टेलीफोन, रेडियो आदि—के द्वारा हजारों मीलों की दूरी पर स्पष्ट सुनाई देती हैं। अतः स्पष्ट है कि भाषा के सम्प्रेषण पक्ष का ज्ञान भौतिकी की सहायता के बिना नहीं हो सकता, दूसरी ओर भौतिकी के कार्य की भाषा विज्ञान ने जो साहाय्य

किया वह यही कि इमने उसे ध्वनि-संचार से सम्बद्ध यन्त्रों के निर्माण में ध्वनियों के गुणों व प्रकृति के ज्ञान से अवगत कराकर उन्हें अधिक वैज्ञानिक एवं उपयोगी बनाने में योग दिया है।

11. भाषिकी और शरीर विज्ञान—भाषिकी और शरीर विज्ञान का निकट का सम्बन्ध तो है किन्तु यह केवल उसकी स्वन वैज्ञानिकी (phonetics) तक ही सीमित है। भाषिक वाग्व्यवहार में वक्ता तथा श्रोता दोनों के द्वारा की जाने वाली वाचिक क्रिया-प्रतिक्रियाओं का सम्बन्ध हमारे शरीर के वागगो के साथ हुआ करता है, अर्थात् भाषा के मौखिक व्यवहार अथवा उच्चारण में वक्ता के शरीर के कौन-कौन से अंग किन-किन रूपों में कार्यशील होकर ध्वनियों की अभिव्यक्ति करते हैं तथा श्रोता के कौन से अंग उन ध्वनियों को ग्रहण करके उन्हें बोधगम्य बनाते हैं, इस सबका विवरण शरीर वैज्ञानिक अध्ययनों की सहायता से ही प्राप्त किया जा सकता है। इन सबका विशेष विवरण स्वन विज्ञान के विवेचन के प्रसंग में दिया जायेगा। यहां पर तो इस प्रक्रिया के सम्बन्ध में बस इतना जान लेना पर्याप्त है कि भाषा की व्यक्त ध्वनियों (Articulated Sounds) के उत्पादन एवं ग्रहण में जिन एकाधिक विज्ञानों का योग अपेक्षित होता है वे हैं मनोविज्ञान, शरीर विज्ञान तथा भौतिकी। हम जानते हैं कि ध्वनि वागुच्चारण से पूर्व वक्ता के मन में तत्संबंधी विचार उत्पन्न होता है। इसी विचार को श्रव्यात्मक अभिव्यक्ति प्रदान करने के लिए वह अपनी वागिन्द्रियों को कार्यशील करता है जिसके फलस्वरूप भाषिक ध्वनियां उत्पन्न होती हैं और वे वायु-तरंगों को तरंगित करके उसके माध्यम से श्रोता के कर्ण-कुहर तक पहुंचने में सफल होती हैं। तदनन्तर उसके कर्ण-कुहर से सम्बद्ध स्नायु-मंडल उन्हें मस्तिष्क तक पहुंचाता है जहां पर उन ध्वनियों से संकेतित अर्थ का बोध होता है और तदनु रूप ही श्रोता की प्रतिक्रिया की अभिव्यक्ति भी। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि वक्ता से श्रोता तक ध्वनियों के पहुंचने में जो मुख्य क्रियाएं होती हैं वे हैं—ध्वनन, प्रेषण एवं ग्रहण। ध्वनन की इस सम्पूर्ण प्रक्रिया को समझने तथा भिन्न-भिन्न व्यक्त ध्वनियों में भिन्न-भिन्न मात्राओं में भिन्न-भिन्न प्रकार के ध्वनि गुणों—घोषत्व, अपोषत्व, महाप्राणत्व, ह्रस्वत्व, दीर्घत्व, तारत्व, मन्द्रत्व, आदि—के रहस्य को समझने के लिए हमारे शरीर के प्रकृति-प्रदत्त अंगों की बनावट तथा उनकी कार्य-प्रक्रिया को समझना आवश्यक है और यह ज्ञान हमें प्राप्त हो सकता है शरीर विज्ञान के अध्ययन से ही।

जिस प्रकार व्यक्त ध्वनियों की ध्वनन-प्रक्रिया को समझने के लिए वागुच्चारण से सम्बद्ध शरीरांगों का ज्ञान आवश्यक है उसी प्रकार ध्वनि-ग्रहण की प्रक्रिया को समझने के लिए श्रवणेन्द्रिय की बनावट तथा मस्तिष्क के साथ उनकी संचार-व्यवस्था का ज्ञान भी आवश्यक है। कहना न होगा कि यह ज्ञान भी हमें शरीर के

द्वारा ही प्राप्त होता है । यहा यह स्मरणीय है कि इन दोनों शारीरिक क्रियाओ मे योजन का कार्य करने वाली प्रक्रिया प्रेरण के ज्ञान का सम्बन्ध शरीर विज्ञान के साथ न होकर भौतिकी के साथ होता है ।

उपर्युक्त विवेचनो से यह स्पष्ट है कि भाषिकी के सभी पक्षो का विस्तृत ज्ञान प्राप्त करने के लिए इन सभी शास्त्रो का षोडा-बहुत ज्ञान नितान्त आवश्यक है ।

भाषिकी के उपफल

पटो बटा जा चुका है कि भाषिकी का उपयोग भाषाओं के साधन के रूप में किया जाता है अर्थात् इन अध्ययनों में भाषिकी साधन तथा भाषिक विशेषण साध्य होता है, किन्तु इन साधनों को प्राप्त कर लेने मात्र से ही भाषिकी को उप-सम्बन्धित पूर्ण नहीं हो जाती, बट इसके साथ-साथ हमें उस बृहत्तर साध्य की उपसम्बन्धि में भी सहायक होती है जो कि भिन्न-भिन्न साधनों के उपपत्तों (by-products) के रूप में हमें प्राप्त होते हैं।

भाषिकी की भिन्न-भिन्न अध्ययन प्रणालियों के माध्यम से किए गये अध्ययनों के फलस्वरूप हमें जिन उपपत्तों की प्राप्ति हुई है उनमें से प्रमुख हैं भाषिक वर्गीकरण, भाषिक पुनर्रचना तथा ध्वनि-विशेषों की खोज। इनमें से भाषिक वर्गीकरण हमें दो रूपों में प्राप्त होता है, एक आवृत्तिमूलक वर्गीकरण जो कि वर्णानुक्रमक अध्ययनों का उपपत्त है, तथा दूसरा पारिवारिक वर्गीकरण जो कि ऐतिहासिक अध्ययनों का उपपत्त है, इसी प्रकार भाषिक पुनर्रचना तथा ध्वनि-विशेषों की खोज का क्षेत्र तुलनात्मक अध्ययनों को जाता है।

भाषिकी की वर्णानुक्रमक तथा ऐतिहासिक अध्ययन प्रणालियों के आधार पर

विद्ये गये अध्ययनो के फलस्वरूप भाषा विज्ञानियों के लिए यह देखा जाना सम्भव हो सका है कि विश्व की कौन-कौन-सी भाषाएँ ऐसी हैं जो कि अपनी भाषिक सामग्री में समरूपी या अनुरूपी रूपात्मक तथा अर्थात्मक तत्त्वों का उपयोग करती हैं।

भाषिक वर्गीकरण

यहाँ पर यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि भाषाओं का वर्गीकरण भाषिकी का साक्षात् रूप में विवेच्य विषय नहीं, किन्तु उसके अध्ययनो का एक महत्त्वपूर्ण उपफल है। इसी दृष्टि में भाषिकी के विवेच्य विषयों के साथ इसका विवेचन किया जाता है।

उपर्युक्त प्रकार के भाषिक अध्ययनो में प्राप्त परिणामों के आधार पर भाषा विज्ञानियों ने विश्व की भाषाओं को जिन रूपों में विभाजित करने का यत्न किया है उनमें से एक का नाम है—आकृतिमूलक वर्गीकरण, तथा दूसरे का पारिवारिक वर्गीकरण, प्रत्येक वर्ग के अनेक उपवर्ग बनाये गये हैं। जिनका सक्षिप्त विवरण निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है।

(क) आकृतिमूलक वर्गीकरण (Morphological classification)

इस वर्गीकरण का मुख्य आधार है भाषा के अवयवीभूत पदों में पाया जाने वाला मरचनात्मक सादृश्य। पदों के सघटक—तत्त्वों रूपतत्त्वों (morphemes) पर आधारित होने के कारण इसे रूपरचनात्मक वर्गीकरण भी कहा जाता है। इसमें सन्दर्भगत भाषाओं के आन्तरिक तत्त्वों (अर्थतत्त्वों) को विशेष महत्त्व न देकर उनकी पदरचनात्मक प्रक्रियाओं पर ही मुख्य रूप से विचार किया जाता है, अर्थात् पद-रचना में (उपवर्ग) प्रकृति प्रत्यय के संयोग की प्रक्रिया व स्वरूप को ही वर्गीकरण का आधार बनाया जाता है। पदाकृति ही वर्गीकरण का मुख्य आधार होने के कारण उसे 'आकृतिमूलक वर्गीकरण' कहा जाता है।

विश्व की भाषाओं के वर्णनात्मक विश्लेषण में देखा गया है कि उनमें मुख्यतः पद रचना दो प्रकार में की जाती है एक प्रकृति और प्रत्यय के योग से तथा दूसरी बिना किसी प्रत्यय के योग के अर्थात् मात्र प्रकृति में ही। भाषा विज्ञान को पारिभाषिक शब्दावली में प्रथम प्रकार की रचना को योगात्मक तथा दूसरी प्रकार की रचना को अयोगात्मक कहा जाता है।

अयोगात्मक (Isolating)—जैसाकि इस नाम से ही स्पष्ट है कि इस वर्ग की भाषाओं में पद-रचना के लिए प्रकृति के साथ किसी अन्य मूल्य का योग नहीं होता। इस दृष्टि में इसे 'निरवयव' भी कहा जाता है। इस वर्ग में सम्बन्ध रखने वाली भाषाओं में यह भी देखा जाता है कि ये पद प्रायः धातु रूप एवं एकाकारिक

(monosyllabic) होते हैं। अतः इस आधार पर कभी-कभी इन्हें 'धातुप्रधान' या 'एकाक्षरिक' भी कहा जाता है।

इन भाषाओं में प्रत्येक पद का अपना एक निश्चित रूप होता है। और उसे उसी रूप में वाक्य में कही भी अभिप्रेत अर्थ के द्योतन के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। उनकी न कोई व्याकरणिक कोटि होती है और न तदनुशासित रूप ही। एक ही शब्द को सज्ञा, सर्वनाम विशेषण, क्रिया या क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है तथा उसके इन प्रकारों का निर्धारण इस बात से किया जाता है कि वाक्य-रचना में उसे किस स्थान पर रखा गया है। किसी शब्द के अर्थ-निर्धारण में वाक्यान्तर्गत उसके स्थान का महत्त्व होने के कारण कभी-कभी इन्हें 'स्थान-प्रधान' भाषाएँ भी कहा जाता है। वाक्यान्तर्गत पद के स्थान के अतिरिक्त सुर (tone) भेद भी इनके अर्थों का नियामक होता है। किसी पद के अर्थ-निर्धारण के लिए कभी-कभी 'स्थान' और 'सुर' के अतिरिक्त विशेष निपातों का भी सहारा लिया जाता है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि इन भाषाओं में—

- 1 पदों में व्याकरणिक कोटियों का अभाव होता है।
- 2 वाक्य में पदों के स्थान का अर्थपरक व व्याकरणपरक महत्त्व होता है।
3. स्थान के अतिरिक्त पद विशेष का सुर भी उसके अर्थ का नियामक होता है।
- 4 निपातों का भी पदों के अर्थ-निर्धारण में विशेष योग होता है।

यद्यपि ऊपरनिर्दिष्ट भाषिक विशेषणों न्यूनाधिक मात्रा में तिब्बत, बर्मी, स्वामी, सूडानी आदि में भी पायी जाती है किन्तु इसका आदर्शतम रूप प्रस्तुत करती है चीनी भाषा, जिसमें कि स्थान और सुर तत्त्व का महत्त्व सर्वोपरि है। इसे निम्नलिखित बहुप्रचलित उदाहरणों द्वारा दिखाया जा सकता है।

वो काङ्गनी "मैं तुझे ! तुम्हें देखता हूँ।"

मी काङ्ग वो "तुम मुझे देखते हो।"

अथवा : ता लेन "बड़ा आदमी (है)।"

लेन ता "आदमी बड़ा (है)।"

नाओ जेन 'भला आदमी'

जेन नाओ 'आदमी की भलाई'

सुर—चीनी एक सुर प्रधान भाषा है। सुर प्रधान भाषाओं में 'सुर' पद तथा वाक्य दोनों स्तरों पर अर्थभेदक होता है। चीनी में चार प्रकार के सुर हैं। इनके आरोह-अवरोह क्रम से एक ही पद अथवा वाक्य के अनेक अर्थ हो जाते हैं। सुर-भेद से अर्थ-भेद का एक प्रसिद्ध उदाहरण है—**व व व व**। इसमें चारों पदों का उच्चारण उनके अर्थनिर्धारक भिन्न-भिन्न सुरों से करने पर अर्थ अ होता है "तीन महिलाओं

ने राजा के दृषापात्र के वान उमटे।' इसी प्रकार मुर-भेद से 'यिन' शब्द के चार अर्थ—हम, घुआ, नमक और वाघ हो जाया करते हैं और 'मु' के 'माता', जंगल आदि कई अर्थ। इन अनेकार्थक पदों का सन्दर्भ विशेष में कौन-सा अर्थ अभिप्रेत है इसका निर्धारण मुर विशेष से किया जाता है। यह प्रक्रिया इतनी सूक्ष्म है कि इसे लिखित रूप में समझना पाना कठिन है।

निपात—इन भाषाओं में पदों के अर्थ निर्धारण में निपातों का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। उदाहरणार्थ, चीनी में चू एक निपात है। स्वतन्त्र रूप में उसका अपना कोई अर्थ नहीं होता, किन्तु जब वह किसी पद के साथ प्रयुक्त होता है तो वह भाववाचक का बोधन कराता है—जैसे हाउ अच्छा किन्तु हाउच अच्छाई, चाडू 'लम्बा' किन्तु चाडूच 'लम्बाई'।

अयोगात्मक वर्णों को भाषाओं में इन सभी तत्त्वों को समान रूप से महत्व दिया जाता हो, ऐसी बात नहीं। इनके बलाबल के प्रति प्रत्येक का अपना-अपना रूप है, यथा—चीनी में स्थान और मुर का अधिक महत्वपूर्ण स्थान है तो तिब्बत बर्मी में निपात का। इसी प्रकार स्वामी में अधिक महत्व मुर का है तो मूडानी में स्थान का।

योगात्मक—जैसा कि इसके नाम में ही स्पष्ट है, इसमें पद-रचना का आधार प्रवृत्ति और प्रत्यय का योग हुआ करता है। अर्थतत्त्व व रूपतत्त्व के संयोग के रूप व मात्रा की भिन्न-भिन्न स्थितियों के कारण इसका उप-विभाजन निम्नलिखित तीन उपवर्गों में किया जाता है—

- 1 अश्लिष्ट योगात्मक या विभक्ति प्रत्यय प्रधान (Agglutinating)
- 2 श्लिष्ट योगात्मक या विभक्ति प्रधान (Inflectional)
- 3 प्रश्लिष्ट योगात्मक या समासप्रधान (Incorporating)

इनके भी अपने-अपने उप-विभाग होते हैं जिनका सश्लिष्ट विवरण इस प्रकार है—

1 अश्लिष्ट योगात्मक/प्रत्यय प्रधान भाषाएं—जैसा कि इनके वर्गीय नाम में ही स्पष्ट है कि इन भाषाओं में प्रकृति (अर्थतत्त्व) तथा प्रत्यय (रूपतत्त्व) का योग तो होता है किन्तु वह एक-दूसरे में इतना श्लिष्ट (चिपरा हुआ) नहीं है कि दोनों को पृथक्-पृथक् रूप में देख पाना या पहचान पाना कठिन हो। वैसे तो इस वर्ग का आदर्श उदाहरण तुर्की भाषा में देखने को मिलता है किन्तु हमारी आर्य भाषाओं में भी इसके रस देगे जा सकते हैं। यथा मनुष्य + त्व, सपु + ता, सङ्गा + पन आदि। इनमें मनुष्य आदि में मूल प्रकृति तथा उनके साथ होने वाला प्रत्यय का योग श्लिष्ट रूप में देखा जा सकता है। यह योग 'प्रकृति' से पूर्व में, मध्य में या अन्त में किमी भी स्थिति में हो सकता है। प्रत्यय की स्थिति के आधार पर इसे भी

तीन उपवर्गों में विभक्त किया जाता है। इनमें निम्नलिखित उदाहरणों से स्पष्ट किया जा सकता है।

पूर्वप्रत्यययोगी (Prefix-agglutinating)—पूर्व योग (प्रत्यय + प्रकृति) के उदाहरण दक्षिण अफ्रीका में बोली जाने वाली बन्तू परिवार की जुलू और काफिरी भाषाओं में मिलते हैं। काफिरी का एक उदाहरण है=कृति (कु 'को/के लिए' + ति 'हम=हमको/हमारे लिए, कुनि=कु 'को/लिए' + नि 'वे, उनको/उनके लिए', ऐसे ही कुजे (कु+जे) 'वह'='उसको/उसके लिए'। इसी वर्ग की अन्य भाषा तुलू का उदाहरण है उमुन्तु (=उमु एक+न्तु मनुष्य)=एक आदमी (एकवचन) अबन्तु (अब अनेक+न्तु मनुष्य)=अनेक आदमी (बहु व) ड, उमुन्तु 'एक आदमी के साथ', ड अबन्तु 'कई आदमियों के साथ'।

मध्य प्रत्यय योगी (Infix-agglutinating)—जैसा कि नाम से ही व्यक्त है कि इसमें प्रत्यय का योग प्रकृति (प्रातिपदिक) के मध्य में होता है। इसके उदाहरण विशेषतः आग्नेय परिवार की भाषाओं—मुण्डारी, संथाली आदि—में तथा उससे सम्बद्ध तिब्बत-हिमालय परिवार की भाषाओं—किन्नोरी, लाहौली आदि में पाये जाते हैं। यथा बिहार की संथाली—मंझि 'मुखिया' (एक वचन), किन्तु मंझि (म+प+झि) 'मुखिया लोग (ब. व) मुण्डारी—तोल' बाधना' तोनील 'बन्धन/गांठ'

ओम 'देना' : ओयोम् 'उपहार', भेंट

जो ? 'झाड़ देना' जोनो 'झाड़ू'

मरड—महान् : मररड—महत्ता

किन्नोरी-श्मामिन् 'देखना' : श्याचिमिग (श्या+चि+मिग) मिलना/परस्पर देपना। (यह हि प्र. के किन्नौर क्षेत्र की बोली है) तोड् मिग् 'पीटना' : तोड् शि-मिग् 'एक-दूसरे को पीटना)

छडिया—रब 'गाइना' रनब कब्रिस्तान

जोग 'मरना', गोनोज 'मृत्यु'

गोज 'झाड़ देना' : गोनोग 'झाड़ू'

परप्रत्यय योगी (Suffix-agglutinating)—इनमें प्रत्यय की सर्वथा स्वतंत्र सत्ता होती है और वह शब्द के अन्त में जोड़ा जाता है, इस वर्ग में आने वाले प्रमुख भाषा-परिवार हैं, दूरजल अकताई और इविड। अकताई परिवार की भाषा तुर्की इस वर्ग की प्रतिनिधि भाषा कही जा सकती है जिसमें कि सर्वत्र ही प्रकृति और प्रत्यय की स्थिति बहुत स्पष्ट रूप में देखी जाती है। उदाहरणार्थ अतलरी=अत (घोड़ा) +तर (बहुवचन बोधक प्रत्यय) +ई (कर्म बोधक प्रत्यय)=घोड़ों को, एब-इम-देन=एब (घर)+इम मेरा+देन से=मेरे घर

से, एबलेर-इम-डेन=एब (घर)+लेर (ब. व. प्रत्यय)+इम (मेरा)+डेन (मे)
=मेरे घरों में ।

द्विड भाषाओं में भी विभक्ति प्रत्ययों के योग में लगभग ऐसी ही स्पष्ट स्थिति पायी जाती है, यथा (कन्नड)—'सेवक-नन्नु (सेवक को) - सेवक-रन्नु (सेवको को), सेवक-निने (सेवक के लिए), सेवक रिगे (सेवको के लिए) ।

आद्यन्त प्रत्यय योगी (Prefixo-suffixal agglutinating)—इस वर्ग की कतिपय भाषाएँ ऐसी भी हैं जो कि अपनी पद-रचना में प्रकृति से पूर्व तथा बाद में दोनों ही स्थानों पर प्रत्ययों का आदान करती हैं । इस प्रकार की पूर्वान्त योगात्मक भाषाओं में न्यूगिनी की 'मकोर' भाषा का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है । इसका एक प्रायेण उद्धृत उदाहरण है—ज-भनक् + =उ (ज) (मैं) + म्मक (सुनता) + उ (तू) =मैं सुनता हूँ तुम्हें ।

सर्वप्रत्यय संयोगी—इसके अतिरिक्त कतिपय भाषाएँ ऐसी भी हैं जिनकी पद-रचना में प्रकृति से पूर्व, मध्य तथा अन्त सभी स्थानों पर उपसर्गों एवं प्रत्ययों का योग सम्भव है । इसके उदाहरण मिलते हैं मलेशिया की 'मलायो' भाषाओं में ।

2 श्लिष्ट योगात्मक/विभक्ति प्रधान भाषाएँ—इस वर्ग की भाषाओं में प्रकृति तत्त्व के साथ प्रत्यय का योग होने पर कभी-कभी उसके मूल रूप में यत् किञ्चित् परिवर्तन तो हो जाता है किन्तु अर्थतत्त्व व रूपतत्त्व का पार्थक्य भी स्पष्टतः देखा जा सकता है, यथा नीति में नैतिक, सुन्दर से सौन्दर्य और मधुर से भाष्य । इस वर्ग की भाषाओं की संख्या व प्रसार-क्षेत्र सर्वाधिक है । विश्व के सर्वाधिक समुन्नत भाषा-परिवार सामी (मैमेटिक), हामी (हिमेरिक) तथा भारतीय इसी वर्ग से सम्बन्ध रखते हैं । इसमें सामी परिवार की भाषा अरबी का एक उदाहरण है क्त-श्-प्रकृति तत्त्वों से बनने वाले शब्द, यथा—'गिताब' (पुस्तक), कुतुब (पुस्तकें), कानिब (लिखने वाला), बुतबा (लिख), मकतब (पाठशाला=जहाँ लिखना सिखाया जाए), मकतूब (लिखित), मकतूबान (लिखित व ब) आदि । ऐसे ही एक उदाहरण है स्-त्-श् तथा इससे बनने वाले शब्द हैं सलीमा, सलाम, इस्लाम, मुस्लिम, मसीम तथा मुल्लमान आदि ।

भारतीय परिवार की सभी भाषाएँ—संस्कृत, अवैरगा, वीक, सैंटिन, लिघुआनिअन, स्लाव आदि इसी वर्ग से सम्बद्ध हैं । किन्तु मैमेटिक भाषाओं में यह प्रत्यय योग प्रकृति तत्त्वों के बीच में होता है (देखो ऊपर) और भारतीय में उसके अन्दर तथा बाहर दोनों ही स्थानों पर, यथा विद्याह से वैवाहिक, सवण से सायन्य आदि में संस्कृत के शब्द रूपों—बालकाय, बालकाय तथा त्रिया रूपों घटिष्यति पाठ्यति आदि में प्रकृति और प्रत्यय का योग स्पष्ट होने पर भी विनोध्य है । कुछ लोगों ने इस वर्ग की भाषाओं की प्रत्यय योजना की स्थिति के आधार पर उन्हें अन्तर्मुखी (अरबी) तथा बहिर्मुखी (हिब्रू, वीक, सैंटिन आदि) दो वर्गों में

रखने का आग्रह किया है, किन्तु प्राधान्य होने पर भी संस्कृत आदि भारोपीय वर्ग को सर्वथा बहिर्मुखी मानना सगत नहीं। उपर्युक्त बंधाहिक या पाठ्यति जैसे उदाहरणों में स्पष्ट देखा जा सकता है कि प्रत्यय योगजन्य रूपात्मक परिवर्तन दोनों ही स्थितियों में हुआ है।

प्रसिद्ध योगात्मक/समासप्रधान भाषाएं—इस वर्ग की भाषाओं में प्रकृति (अर्थ तत्त्व) एवं प्रत्यय (रूप तत्त्व) का ऐसे संश्लिष्ट रूप में मिश्रण हो जाता है कि दोनों को पृथक्-पृथक् रूप में पहचान पाना कठिन ही नहीं, असम्भव भी हो जाता है। वस्तुतः इनमें भाषा की इकाई पद नहीं अपितु सम्पूर्ण वाक्य होता है जो कि भिन्न पद्यांशों के योग से बनता है। संस्कृत यद्यपि इस वर्ग की भाषा नहीं है फिर भी उसके कतिपय रूपों, विशेषकर सन्नन्त क्रिया रूपों से, भाषा की इस स्थिति को कुछ-कुछ स्पष्ट किया जा सकता है। उदारणार्थ, चिकीर्वति रूप को लिया जा सकता है। इसमें व्याकरणिक विश्लेषण की दृष्टि से कर्ता, क्रिया, इच्छा, काल पुष्प, संख्या आदि अनेक कोटियों के अभिव्यंजक तत्त्वों का संश्लेषण तो है किन्तु उन्हें पृथक्-पृथक् रूप में बता सकना या देख पाना सम्भव नहीं।

इस वर्ग की प्रमुख भाषाएँ हैं—उत्तरी अमेरिका की चैरोकी, ग्रीनलैंड की 'ऐस्किमो' तथा पिरिनीज पर्वत श्रेणियों की बास्क। इन्हें समास प्रधान कहने का अभिप्राय यह होता है कि इनमें किसी वाक्य से सम्बद्ध सभी तत्त्व—संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं कर्ता, क्रिया, कर्म संक्षिप्त होकर एक समस्त पद के रूप में मिश्रित होते हैं। चैरोकी का एक प्रसिद्ध उदाहरण है—नाघोलिनिन जिमका अर्थ होता है 'हमारे लिए एक नौका लाओ' इसमें तीन पदों का मिश्रण माना जाता है—नतेन 'लाना' (क्रिया), अमो खोल 'नौका' (संज्ञा कर्म) तथा निन 'हम' (सर्वनाम, सम्प्रदान) किन्तु वाक्यांशों के रूप में न तो यह बता पाना सरल है कि इनमें से किसका कितना अंश किस रूप में लिया गया है और न ही यह ही कि इन अंशों का पृथक् रूप से कोई अर्थ होता भी है या नहीं।

इतना ही नहीं, कई बार तो अनेक वाक्य ही मिश्रित कर एक वाक्य बन जाते हैं जिसे वाक्य समास की संज्ञा दी जा सकती है। एल० एच० ग्रे ने अपनी पुस्तक 'फाउण्डेशन ऑफ लैंग्वेज' (पृ० 300) में ग्रीनलैंड की ऐस्किमो भाषा का एक उदाहरण दिया है जो कि इस प्रकार है—तकुसर-इअतोर-उम-गलुअर-नेप-आ ? जिसका अर्थ है 'क्या तुम मोचने हो कि वह वस्तुतः इसकी देख-रेख करने को जाना चाहता है ? किन्तु उपर्युक्त वाक्य में समेकित विभिन्न पद स्वयं में पृथक्-पृथक् वाक्यों का अर्थ रखते हैं जिन्हें इस प्रकार बताया गया है—

तकुसर=वह उसके साथ व्यस्त होता है।

इअतोर=वह जाता है।

उम=वह चाहता है।

गनुअर=वह वंसा करता है।

नेर्ष=किन्तु।

आ=क्या तुम सोचते हो।

विभिन्न पर्वत श्रेणियों में बोली जाने वाली वास्तव भी यद्यपि इसी वर्ग की भाषा है किन्तु प्रश्लिष्टता की स्थिति वह नहीं जो कि ऐस्किमो में देखी जाती है। इसे आंगिक रूप से प्रश्लिष्ट भाषा कहा जाता है। यथा 'हर्कात्' में तुझे ले जाना है, 'नर्कामु' तू मुझे ले जाना है, 'दकार्कोइत' मैं इसे उमके पाम ले जाता हूँ आदि। यह स्थिति लगभग 'चिकीर्यति' (वह काम करना चाहता है) तथा जिगमिषामि (मैं जाना चाहता हूँ) जैसी ही है। भारत के हिमालयीय क्षेत्रों में भी गर्वनामिक वर्ग की कुछ भाषाएँ ऐसी हैं जिनमें वाक्य के विभिन्न अंशों का ममायीकरण पाया जाता है, यथा-विन्नीरी—ख्याक् 'मैंने उसे देखा', ख्याचिद् 'उमने मुझे देखा', ख्याओतोक् 'मैं उमे देख रहा हूँ, ख्याचिद्' वह मुझे देख रहा है, 'ख्याचक्' मैं तुझे देखता हूँ, 'ख्याचन' तू मुझे देखता है।

सिम्बू—हिप्ताट् 'उमने मुझे पीटा', हिप्तुड् 'मैंने उमे पीटा', नीताट्, 'उमने मुझे देखा', नीमुड् 'मैंने उसे देखा।

विभिन्न भाषा विज्ञानियों ने भाषाओं के उपर्युक्त प्रकार के वर्गीकरण को लेकर इसके पक्ष तथा विपक्ष में अपने मत दिये हैं। हमें यहाँ इस विवाद में नहीं पढ़ना चाहिए, फिर भी यह तो स्पष्ट है कि इस प्रकार के अध्ययनों में भाषाओं के संरचनात्मक रूपों के अनेक अंशों में पक्ष हमारे सामने आते हैं।

(क) पारिवारिक वर्गीकरण

भाषिक परिवार की संकल्पना—भाषाओं के सम्बन्ध में परिवार की संकल्पना एक प्रतीकात्मक संकल्पना है। विश्व की अनेक भाषाओं का ऐतिहासिक विश्लेषण करने पर देखा गया कि दुनमें में अनेक ऐसी हैं जो कि एक ही मूल से विभिन होकर उसी प्रकार भिन्न-भिन्न वालों में भिन्न-भिन्न रूपों को प्राप्त हुई हैं जिस प्रकार कि एक ही मूल पुरुष में उत्पन्न मन्वान पिना-युव-योव-श्रपोव अथवा माना-युवी-श्रोही आदि के रूप में विकसित होती हैं। किन्तु इस मादृश्य में एक स्मरणीय बात यह है कि मानव समाज में जहाँ दो या तीन पीढ़ियों के लोगों का सह-अस्तित्व एक सामान्य बात है वहाँ भाषाओं में यह स्थिति नहीं हो सकती। वहाँ तो भाषा के एक रूप में जब दूसरे रूप का विकास होता है तो पूर्व रूप की मत्ता समाप्त हो जाती है, अर्थात् पूर्व रूप की मत्ता की समाप्ति के साथ ही नवीन रूप अपने अस्तित्व में आता है अथवा यह बंद गकने हैं कि पूर्वजातिक भाषा ही विरसित होकर मातातिक भाषा के रूप में अस्तित्व में आती है।

पारिवारिक वर्गीकरण का आधार—पारिवारिक वर्गीकरण का मुख्य आधार

है विभिन्न भाषाओं के बीच पाये जाने वाला आनुवर्षिक तथा ऐतिहासिक सम्बन्ध । इन सम्बन्धों की पुष्टि के लिए साक्ष्य के रूप में जिन तत्त्वों पर विचार किया जाता है वे हैं—ध्वन्यात्मक तथा रूपरचनात्मक अनुरूपताएं, तथा इतिहास, पुरातत्त्व एवं इसी प्रकार के अन्य स्रोतों से पुष्ट पारस्परिक सम्बन्ध । इसके मूल में निहित ऐतिहासिक सम्बन्धों तथा भाषा के कान-क्रमिक विकास सम्बन्धी अध्ययनों के प्राधान्य के कारण इसे 'ऐतिहासिक वर्गीकरण' भी कहा जाता है ।

इस प्रकार के भाषिक वर्गीकरणों के लिए भाषा-विज्ञानियों द्वारा भाषा के जिन पक्षों पर विचार किया जाता है वे हैं—(1) ध्वनि प्रक्रियात्मक अनुरूपता, (2) रूपात्मक अनुरूपता, (3) रूप रचनात्मक पद्धतियों की अनुरूपता तथा (4) शब्दावली की अनुरूपता ।

1. ध्वनि प्रक्रियात्मक अनुरूपता (Phonological Correspondences)

—ध्वनि प्रक्रियात्मक अनुरूपता से अभिप्राय है किसी समान अर्थ के छोटके शब्दों में पायी जाने वाली ध्वनियों में परस्पर एक ही मूल से विकसित होने का साक्ष्य । यद्यपि अपने विकास-क्रम में एक ही मूल से विकसित होने वाली ध्वनियों में भी काफी अन्तर आ जाता है किन्तु वे अन्तर ऐसे होते हैं जिनकी संगति उन भाषाओं की ध्वनि विकास की प्रक्रिया के आधार पर सरलतापूर्वक बँटाई जा सकती है । उदाहरणार्थ, भारोपीय परिवार के अन्तर्गत परिगणित भाषाओं के संख्या-वाचक शब्द 'दस' को लिया जा सकता है जिसका रूप इस परिवार की भाषाओं के विभिन्न वर्गों की भाषाओं में इस रूप में पाया जाता है—

जर्मन वर्ग—आधुनिक तथा प्रा० उ० जर्मन-त्सेहन् (zehn), गाषिक-त्सैह्वन (taihun), प्रा० मेकमन-त्सेहन् (tehan), ऐंग्लो सेक्सन-त्सिएन (tien), आधुनिक अंग्रेजी-तेन (ten)

लातिन वर्ग—लातिन—देकेन् (decem), इतालियन-दिएकि (dieci), फ्रेंच-दिस (dix) ग्रीक-डेका (deka)

भारत ईरानी वर्ग—संस्कृत-दश, अवेस्ता-दस आदि । इनमें ध्वन्यात्मक अनुरूपता की दृष्टि से हम देखते हैं कि सभी में प्रारम्भिक ध्वनि दन्त्य है जो कि त् = त्स या द् के रूप में पायी जाती है । क्योंकि अन्यत्र तुलनात्मक अध्ययनों के आधार पर देखा गया है कि संस्कृत तथा ग्रीक में मूल ध्वनियों का सरक्षण अधिक मात्रा में हुआ है अतः अनुमान किया जाता है कि मूल भारोपीय में इस शब्द की प्रारम्भिक ध्वनि 'द्' ही रही होगी ।

क्योंकि इस उदाहरण में दिए गए शब्द के समान और भी सँकड़ो शब्द हैं जिनमें ये भाषाएं ध्वन्यात्मक तथा अर्थात्मक दृष्टि से निकट अनुरूपता दिखाती हैं । अतः माना जाता है कि ये सभी एक ही मूल से विकसित हुई हैं अर्थात् एक ही परिवार की हैं ।

इस सम्बन्ध में इतना और भी ध्यान रखने की बात है कि प्रत्येक भाषा की ध्वनि-विक्रम सम्बन्धी अपनी स्वतन्त्र प्रक्रिया होती है। उममें होने वाले ध्वनि-विक्रम उन्ही नियमों से नियमित होते हैं। फलतः कई बार एक ही मूल से निःसृत शब्द के भिन्न-भिन्न भाषाओं में भिन्न-भिन्न ध्वनि रूप भी पाये जा सकते हैं। उदाहरणार्थ, ग्रीक शब्द 'बोउम' तथा संस्कृत शब्द 'गोम (गौ)' परस्पर सम-स्योतीय/समजातीय होने पर भी पृथक्-पृथक् ध्वन्यात्मक रूपों में देये जाते हैं। दोनों का विक्रम मूल भारोपीय गाउस् से माना जाता है। पर माय ही दूसरी ओर यह भी द्रष्टव्य है कि समान ध्वनि वाले होने पर भी दो भिन्न-भिन्न भाषाओं के शब्दों का मजातीय (cognate) होना आवश्यक नहीं, यथा संस्कृत का 'श्लोकम्' तथा अंग्रेजी का 'स्लोगन' अथवा अंग्रेजी का 'कॉल' (call) तथा ग्रीक का 'कॉलो' (calo) अर्थ तथा ध्वनि की दृष्टि से एक-दूसरे के अति निकट होने पर भी एक-स्योतीय नहीं। अतः इस प्रकार के मामलों के आधार पर भाषाओं का वर्गीकरण करने समय अत्यन्त मावधानी तथा विवेक बुद्धि की आवश्यकता होती है।

2 **रूपात्मक अनुरूपता (Formal Correspondences)**—यदि हम किसी भाषाओं अथवा भाषा वर्गों के कनिष्ठ शब्द-समूहों का परीक्षण करें तो हमें उनसे अनेक शब्द या शब्द रूप ऐसे मिल सकते हैं जो कि रूपात्मक दृष्टि से तथा उनमें संकेतित अर्थों की दृष्टि से यत्नवित् अन्तर की स्थिति में होने पर भी उन रूपों को किसी ऐसे मूल रूप से जोड़ सकते हैं जो कि उन सभी के साथ अर्थ सम्बन्धी एकरूपता रखता हो। यद्वा तक कि बड़ी मछ्या से शब्द रूपों की तुलना से यह भी देखा जा सकता है कि उन सबमें कुछ ऐसी नियमित समानताएँ पायी जाती हैं जिनके आधार पर उनकी रूपात्मक अनुरूपताओं की स्थापना की जा सकती है। यन्तुत ध्वन्यात्मक अनुरूपताओं का निर्धारण भी रूपात्मक समानताओं के निर्धारण के उपरान्त ही हुआ है।

3 **रूप रचनात्मक अनुरूपता (Morphological Correspondences)**—यह एक सामान्य अनुभव की बात है कि जब एकाधिक भाषिक समुदायों के लोग दीर्घकाल तक एक-दूसरे के सम्पर्क में रहते हैं तो उनमें विभिन्न वर्गों के शब्दों का आदान-प्रदान होता रहता है। फलतः भिन्न पारिवारिक सम्बन्धों वाली भाषाओं में भी शाब्दिक आदान-प्रदान न्यूनाधिक मात्रा में पाया जाता है, यथा प्राचीन भारत में ही संस्कृत-द्रविड तथा मुण्डा परिवार की भाषाओं में। अर्थात् संस्कृत में संकटों शब्द इन अन्य दो परिवारों की भाषाओं में सम्मिलित हो गये तथा इसी प्रकार संस्कृत के संकटों शब्दों को इन वर्गों की भाषाओं में आत्मगत कर लिया। इतनी बड़ी मात्रा में शब्दों में अनुरूपता के वाक्यभूत भी इन्हे एक वर्ग में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि किसी भाषा की वर्गीयता का निर्धारण करने के लिए उसके शब्दों के रूपात्मक तथा ध्वन्यात्मक पक्षों के अतिरिक्त उसके रूप-रचनात्मक पक्षों

का परीक्षण भी आवश्यक होना है। वस्तुतः यही वह पक्ष है जो कि अधिकृत रूप से किन्हीं एकाधिक भाषिक रूपों की वर्गीयता का निर्धारण करता है, जैसा कि ऊपर बताया गया है, शब्दों का आदान-प्रदान तो निर्बाध रूप से भी हो सकता है, ध्वनियाँ भी बाह्य प्रभावों से प्रभावित होकर इतनी अधिक बदल सकती हैं कि उन्हें पहचानना भी कठिन हो सकता है, किन्तु व्याकरणिक तत्त्वों पर बाह्य प्रभाव नगण्य हुआ करता है, क्योंकि कोई भी भाषिक वर्ग अन्य भाषिक वर्ग को रूप-रचना का आदान कभी नहीं करता है। अतः किसी भाषा की व्याकरणिक कोटियों एवं उनकी रूप-रचनात्मक प्रणाली में पायी जाने वाली समरूपताओं के आधार पर उनकी एक खोतीयता का निर्धारण अधिक विश्वमनीय होता है। इसीलिए ऐतिहासिक दृष्टि में एक ही मूल खोल में विकसित होने वाली भाषाओं में रूप-रचनात्मक समरूपता की स्थिति अधिक सुदृढ़ रूप में पायी जाती है।

4 शब्दावली की अनुरूपता—परस्पर सम्बद्ध भाषाओं में, विशेषतः सर्वनामों, सख्या वाचक शब्दों, नाते-रिश्ते के वाचक शब्दों, दैनन्दिन व्यवहार में आने वाली वस्तुओं तथा क्रियाकलापों, पालतू पशुओं अथवा अत्यधिक प्रयोग में आने वाली धातुओं आदि की भकेतर शब्दावली में समरूपता का पाया जाना एक सामान्य बात है। किन्हीं भाषाओं के पारस्परिक पारिवारिक सम्बन्धों की स्थापना में शब्दावली की समरूपता का भी योगदान होना है। यहां तक कि उम वर्ग की ऐसी भाषाओं की अनुरूपी शब्दावली के आधार पर उम मूल भाषा के शब्द रूपों की पुनर्रचना भी की जा सकती है जो कि अपने मूल में किसी भी भाषा में प्रचलित नहीं होते।

विभिन्न भाषाओं के पारिवारिक सम्बन्धों के सूचक इस आधार को निम्न शब्द सारिणी से स्पष्ट किया जा सकता है।

संस्कृत	अवेस्ता	ग्रीक	लैटिन	प्रा उ. जर्मन	गॉथिक	अंग्रेजी	मूल भारी	
अहम्	अजम्	एगो	एगो	इक्	आई	*एध्वो/एग्वो	
कस् (क.) को	होम्	क्विस्			ह्वम्	ह्वू	*गोन्त्	
पञ्च	पेन्ते	पन्ते	क्विके	फ्रूफ	फ्रिफ	फाइव	*पेंके	
मप्त	हप्न	हेप्ता	सेप्तेम्	जीबुन (मीबुन)	जीबुन	सेवेन	*सेप्तम्	
पितृ	...	पत्रोम्	पतेर	फातेर	फादेर	फादर	*पतेर	
मातृ	...	मात्रोम्	मातेर	मुनेर	...	मुत्तेर	मदर	*मातेर
भातृ	ब्राना	...	फातेर	ब्रदर	...	ब्रूदर	ब्रदर	*ब्रातेर
(भ्राना)								
अख	अस	हिप्नोम्	एक्वोम्	अइहब	हार्स	*एक्वोस

वृक्स् (वृक्)	वह्	रको	लुकोस्	लुपुए	वृत्फ	...	वृत्फस्	वृत्फ	*उत्नुओस्
अयस् (अय)	अयह्	इसनं	आइसनं	आइरन्	*आइओन्
भूजं	फँक्सिमुस	विचं	...	विचं	...	*भगँस्
मघु	मघु	मेघु	...	मेतु	मीद	...	*मेघु
अस्ति	अस्ति	एस्ति	एस्त	इस्त	इस्त	इज	*एस्-ति
भरामि	बरइमि	फेरो	फेरो	बइर	बियर	*भेरो
दमस् (दमः)	...	दोमोन्	दोमुस्	*दोमोन्
नभम् (नभ)	नबो	नेफोम्	नेबुला	*नेभोम्
अस्थि	अस्त	ओस्तेओन्	ओम्	*ओसूय

विश्व के भाषा परिवार :

यद्यपि विश्व के सभी छोटे-बड़े सभ्य-असभ्य तथा अर्धसभ्य मातृव समुदायों के बीच भाव समार के माध्यम के रूप में प्रचलित भाषिक रूपों (भाषाओं और बोलीयों) की ठीक-ठीक संख्या बता पाना अति कठिन कार्य है फिर भी भाषा विज्ञानियों ने अब तक की ज्ञात एवं अधीत भाषाओं के आधार पर उनकी संख्या एवं पारम्परिक सम्बन्धों के विषय में अनुमान लगाने का यत्न किया है। भाषा विज्ञानियों की एक संस्था 'फ्रेंच अकादमी' के अनुसार यह संख्या 2796 है जो कि एक मोटा अनुमान ही कहा जायेगा क्योंकि अनेक बड़ी-सी तथा जनजातियों के सम्बन्ध में हमारी बड़भरी हुई जानकारी के साथ उनकी भाषाओं की संख्या के विषय में भी हमारी जानकारी में वृद्धि हो रही है।

यह तो हुई भाषाओं की संख्या के सम्बन्ध में जानकारी की बात। जहाँ तक इनके अध्ययन तथा विश्लेषण का सम्बन्ध है वह तो शताब्दों में भी नहीं हो पाया है। फिर भी कल्पित भाषाविदों ने इन भाषाओं के सम्बन्ध में मोटे तौर पर उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर इन्हें 26 परिवारों में विभक्त करने का यत्न किया है। स्वयं भारतीय उपमहाद्वीप में ही जिन परिवारों से सम्बद्ध भाषाएँ बोली जाती हैं वे हैं—1 भारोपीय, 2 द्रविड़, 3 तिब्बत-बर्मो, 4 आग्नेय या मुण्डा। प्रियमर्न के भारतीय भाषा सर्वेक्षण के अनुसार यहाँ पर बोली जाने वाली भाषाओं की संख्या 368 है, जिनमें से 132 भारोपीय परिवार की, 26 द्राविड़ परिवार की, 51 तिब्बत-बर्मो परिवार की, 14 मुण्डा परिवार की तथा शेष कतिपय आदिम वर्गों की, यथा अण्डमानी, निकोबारी एवं अन्यान्य वर्गों के अन्तर्गत आती हैं।

भारत के शिक्षा, समाज कल्याण तथा सस्कृति मन्त्रालय की एक सूचना के अनुसार 1971 की जनगणना में मातृभाषा के रूप में 3000 भाषाओं का लेखाकन किया गया था तथा जनगणना अधिकारियों के द्वारा परिनिरीक्षण करने के उपरान्त इनमें से 1312 को मातृभाषा के रूप में सूचीबद्ध किया गया (इण्डियन एक्सप्रेस 24 4 79)।

स्वयं लेखक ने 1980 में हिमाचल प्रदेश की लाहुल घाटी में एक ऐसी भाषा का पता लगाया है जिसके विषय में न तो ग्रियसॉन के सर्वेक्षण में कहीं कोई उल्लेख है और न किसी जनगणना में ही। लेखक ने इसे इसके बोलने वालों की जाति के नाम के आधार पर 'चिनाल्पी' के नाम में अभिहित किया है, स्थानीय लोगों के द्वारा इसे 'शगी' भी कहा जाता है।

जैसाकि ऊपर सकेत किया जा चुका है कि विश्व की सभी भाषाओं तथा वोलियों की स्थिति के सम्बन्ध में न तो हमारा ज्ञान ही पूरा है और न उन सबको भाषाई सामग्री का लेखा-जोखा ही हमारे पास है। उपलब्ध सामग्री के सम्बन्ध में भी विद्वान एक मत नहीं। जिसके फलस्वरूप हमें एक ओर तो इन वर्गों की संख्या सौ से ऊपर मिलती है तथा दूसरी ओर मात्र दस की। अधिकतर विद्वान इनकी मध्य स्थिति के पक्षपाती हैं जिनके अनुसार यह संख्या 12 और 26 के बीच होनी चाहिए। प्रसिद्ध भाषाविद् प्रो० लुई० एच० ग्रे (1958:303) ने जिन 26 परिवारों की परिगणना की है वह इस प्रकार हैं : 1. भारोपीय 2. हामी-तामी, 3. यूराली अथवा फिनोयूरी, 4. अल्ताई 5. जापानी-कोरियाई 6. ऐस्किमो, 7. काकेशस 8. इबरो-बास्क, 9. निकट पूर्वी तथा एशियाटिक, 10. अत्युत्तरी (हाइपर बोरियन), 11. बुरुशस्की, 12. द्रविड, 13. अण्डमानी 14. चीन-तिब्बती, 15. ला-तो, 16. आग्नेय (दक्षिणपूर्व एशियाई) 17. मलय द्वीपी, 18. पापुई, 19. आस्ट्रेलियाई 20. तस्मानी, 21. सूडानी-गिनी, 22. बन्तू, 23. होतेन्तोट-बुशमेन, 24. उत्तरी अमरीकी, 25. मैक्सिको, 26. मध्य अमरीकी।

क्योंकि प्रस्तुत अध्ययन का मुख्य उद्देश्य भारोपीय परिवार की एक प्रमुख भाषा संस्कृत के भाषा वैज्ञानिक पक्षों पर विशेष जानकारी प्राप्त करना है अतः हम इन भाषा परिवारों के विषय में अधिक विस्तार में न जाकर इसके कनिष्ठ प्रसिद्ध परिवारों के सम्बन्ध में मात्र संक्षिप्त टिप्पणियाँ ही प्रस्तुत करेंगे।

1. भारोपीय—क्योंकि इस परिवार के सम्बन्ध में अगले अध्याय में विस्तार के साथ विचार किया जाना है इसलिए यहाँ पर इस पर विचार नहीं किया जा रहा है।

2. द्रविड़ परिवार—द्रविड़ परिवार की भाषाएँ मुख्य रूप से भारत के चार दक्षिणी राज्यों में बोली जाती हैं। भारत के बाहर केवल मध्य बलूचिस्तान में

इसकी एक बोली ब्राह्मि के अवशेष पाये जाते हैं। इसकी प्रमुख भाषाएँ हैं—तमिल, तेलुगु, कन्नड, और मलयालम, जो कि पूर्ण विकसित एवं साहित्यिक भाषाएँ हैं। इनके अतिरिक्त इसकी कई बोलिया भी हैं जो कि इस प्रकार हैं—तुलू (कुर्ग तथा बम्बई के सीमा क्षेत्र में), कोडगू (कुर्ग तथा मंसूर में), टोडा, कोटा तथा माल्टो (राजमहल, बंगाल में), कुई (उड़ीसा में), कोलामो (बंगाल में)।

विशेषताएँ—संक्षेप में इन भाषाओं की विशेषताएँ हैं—1. अश्लिष्ट योगात्मक प्रकृति तथा प्रत्यय स्पष्ट एवं प्रत्ययो से योग होने पर प्रकृति में कोई विवृति नहीं, 2. ध्वनि प्रक्रिया में भ्रूष्य ध्वनियों का बाहुल्य, 3. समस्वरता, 4. ए, ओ स्वरों में ह्रस्वता एवं दीर्घता अर्थ भेदक, 5. मज्ञा पदों का सजीव एवं निर्जीव अथवा महत्-अमहत् वर्गों में विभाजन, 6. लिंग तीन, किन्तु लिंग भेद का आधार स्त्रीत्व, पुरुषत्व न होकर सजीवत्व तथा निर्जीवत्व तथा लिंग बोध के लिए संज्ञा पदों के साथ 'स्त्री' 'पुरुष' बोधक पदों का योग, 7. विशेषणों का अभ्ययत्व, 8. विभक्तियों के स्थान पर प्रत्ययों का योग, 9. क्रिया पदों में कृदन्त रूपों का व्याधिक्य, 10. क्रिया पदों में पुरुष का बोध पुरुष वाचक सर्वनामों से।

3. बुधरास्की—यह कभी भारतीय भाषाओं में एक समृद्ध परिवार था किन्तु अब नामशेष रह गया है। इसका क्षेत्र भारत का उत्तर-पश्चिमी छोर है जो कि चारों ओर से तुर्की, तिब्बती तथा भारत ईरानी परिवार की भाषाओं से घिरा हुआ है। इसके अवशेष हुजा, नगर, गिजिर तथा यामिन के एक भाग की बोलियों में पाये जाते हैं।

4. उराल-अल्ताई—कुछ लोग इन्हें दो पृथक् वर्ग मानते हैं तथा कुछ दोनों का एक ही वर्ग में समावेश करते हैं। अब अधिक लोग द्वितीय मत के पक्षपाती हैं। इनमें से उराली का क्षेत्र है—फिनलैंड, नार्वे, एस्तोनिया, हंगरी, साइबेरिया तथा अल्ताई का क्षेत्र है—तुर्की, किर्गिज, अज़रबैजान, उज़बेकिस्तान, मंगोलिया तथा मचूरिया।

विशेषताएँ—इस वर्ग की भाषाओं की कल्पित विशेषताएँ इस प्रकार हैं—1. अश्लिष्ट योगात्मकता, (उदाहरणार्थ देखें आहृतिमूलक वर्गीकरण में पर-प्रत्यय-योगी), 2. समस्वरता अर्थात् प्रकृति तथा प्रत्यय में स्वरों की समरूपता अर्थात् अप्रस्वरों वाली प्रकृति के साथ अप्रस्वरात्मक प्रत्ययों का योग तथा पञ्चस्वरात्मक प्रकृति के साथ पञ्च स्वरात्मक प्रत्ययों का योग तथा—केज (हाथ) बेन (में) = केजबेन 'हाथ में' तथा हाज (घर) वान (में) = हाज वान 'घर में' (उभयत्र प्रकृति के स्वर के अनुरूप ही प्रत्यय के स्वर में परिवर्तन।)

5. काकेशी—इसका क्षेत्र है कृष्ण सागर तथा कैस्पियन सागर के मध्य का काल्पस पर्वत के आसपास का भाग। इसमें अनेक बोलियाँ ऐसी हैं जिनके विषय

में अभी समुचित जानकारी ही उपलब्ध नहीं है। इसकी प्रमुख बोलियाँ हैं—अवर, वेचेन, जार्जी, लेगी आदि। जार्जी इसकी प्रमुख भाषा है।

विशेषताएं—1. संरचना की दृष्टि से इनमें श्लिष्ट, अश्लिष्ट तथा प्रश्लिष्ट सभी प्रकार की संरचनाएँ पायी जाती हैं, 2. ध्वन्यात्मक दृष्टि से व्यंजन ध्वनियों की विविधता (अवर में 43 व्यंजनों की सत्ता), 3 पद रचना की जटिलता, (अवर में 30 विभक्तियों तथा 6 लिंगों की सत्ता), 4. सार्वनामिकता अर्थात् अनेकत्र सार्वनामिक पदों तथा क्रिया पदों का प्रश्लेष।

6 चीनी—चीनी एक बहुत बड़ा परिवार है। इसकी कई शाखाएँ हैं। तिब्बत-बर्मी इसकी एक प्रमुख शाखा है जो कि भारत में एक स्वतन्त्र भाषाई परिवार का अस्तित्व रखती है। इसीलिए इसे चीनी-तिब्बती परिवार भी कहा जाता है। यह एशिया के बहुत बड़े भूभाग में तथा बहुत बड़ी जनसंख्या के लोगों के द्वारा बोली जाती है। चीन, बर्मा, श्याम, तिब्बत तथा भारत के हिमालयीय क्षेत्रों की भाषाएँ तथा बोलियाँ इसी की अंग हैं।

विशेषताएं—इस परिवार की कतिपय ऐसी विशेषताएँ हैं जो कि अन्य परिवारों की भाषाओं में नहीं पायी जाती। इनमें से कुछ प्रमुख हैं, 1. पदों की एकाक्षरता तथा अयोगात्मकता, 2. पद विभाग का अभाव, 3. पदों के सज्ञा, क्रिया, विशेषण आदि रूप का निर्धारण उनकी वाक्यान्तर्गत स्थिति के आधार पर, 4 स्वर-तान अर्थ भेदक, 5 अनेकार्थक शब्दों का अर्थ निर्धारण तान या शब्द युग्म से, यथा येन=धुआँ, नमक, आख, हंस। इनके प्रसंग गत अर्थ का निर्धारण तान से अथवा युग्म से यथा येन (आख)+चिङ् (पुतली)=येनचिङ् 'आख', येन (नमक)+पाई (महीन)=येनपाई 'नमक' (अधिक उदाहरणों के लिए देखिए आकृतिमूलक वर्गीकरण के अन्तर्गत अयोगात्मक भाषाएँ)।

7. जापानी-कोरियाई—ये भाषाएँ मुख्य रूप से जापान, कोरिया तथा फारफोसा, मंचूको, करोलीन आदि द्वीपों में बोली जाती हैं। अभी इनका सम्यक् विश्लेषण किया जाना बाकी है। कुछ विद्वान् इन्हें एक परिवार न मानकर अलग-अलग परिवार मानते हैं।

विशेषताएं—1. आकृति की दृष्टि से ये अयोगात्मक वर्ग में आती हैं, 2 उच्चारण में प्रायः सभी शब्द समान बलाघात (Staccato accent) के साथ बोले जाते हैं, 3 भाषा के लिखित तथा उच्चरित रूपों में द्विभाषिता (Dichotomy) पायी जाती है, 4 व्याकरणिक लिंग का अभाव होता है तथा सजीव सज्ञापदों के साथ 'नर' 'मादा' बोधक शब्दों से लिंग निर्देश किया जाता है। यथा इनु 'कुत्ता जाति', ओइनु=(नर) कुत्ता, में इनु=(मादा) कुत्ता। लिंग निर्देश की यह प्रक्रिया कई अन्य वर्गों की भाषाओं में भी पायी जाती है यथा पट्टनी (लाहल)—कट्ट 'बच्चा' गड्डी कट्ट 'लड़का', (नर मानव) मेच्मी कट्ट=लड़की, (स्त्री मानव)

5 निम्न वर्गों के ममान विशेषण की विशेष्य के बाद स्थिति तथा संख्या वाचक शब्दों की विशेष्य के साथ वचनात्मक अन्विति, यथा—गो 'पाच' हेतु वक्तव्य=गोहेतु 'कलमे पाच', हितो गोनिन आदमी पाच, 'इनु गोहिणो' कुत्ते पाच आदि।
6 कारकीय सम्बन्ध का बोध परसर्गों द्वारा।

8 अत्युत्तरी—एशिया के उत्तर पूर्वी छोर के क्षेत्रों में बोली जाने वाली अनेक बोलियों का अभी तक पारिवारिक दृष्टियों से अध्ययन न हो पाने के कारण उन्हें दिग्वाची नाम से अभिहित किया जाता है। अग्रेजी में इसे हाइपर (अति) बोरियन (उत्तरी) कहा जाता है, अत्युत्तरी उसी का अनुवाद है। इसके अतिरिक्त इन्हें पोलियो-एशियाटिक (पुरा एशियाई) नाम से भी पुकारा जाता है। इस वर्ग में परिगणित प्रमुख बोलियाँ हैं—युगकिर, चुक्ची, कोरियक, कमचदस, गिलियक, अइनु आदि, जोकि उनके क्षेत्रों के नाम से ही बोधित होती हैं।

विशेषताएं—अभी तक इस वर्ग की भाषाओं का विशेषण न हो पाने में इनकी विशेषताओं के सम्बन्ध में विशेष जानकारी दे पाना कठिन है। अइनु बोली के उदाहरणों से पता चलता है कि इसमें 1. कारकीय प्रत्ययों का योग पदान्त में होता है, यथा—कोन-तिम् 'मनुष्य का घर। 2. काल का संकेत महायक क्रिया में दिया जाता है जैसे हिन्दी में 'मैं जाता हूँ' (वर्तमान), मैं जाता था (भूत), 3. शब्दों के परिगणन में दस तथा बीस को आधार बनाकर गिनती की जाती है, यथा अरबन (तीन कम दस)=मात, रे कशामवन् (तीन अधिक दस)=तेरह इन-होत्ने (चार, घाँस)=अस्मी।

9 इबेरो-बास्क—इस परिवार की भाषाओं का क्षेत्र है स्पेन तथा फ्रांस की सीमा के पास स्थित पश्चिमी पेरनीज प्रदेश। बास्क इसमें से प्रमुख भाषा है तथा इसी का थोड़ा बहुत विशेषण भी किया गया है। अतः मोटे तौर पर इसी नाम पर इस परिवार का नामकरण कर दिया गया है। इसके आधार पर ही इसकी गिनत कतिपय विशेषताओं का पता चला है वे हैं—1. मुख्यतः अक्षिष्ट योगात्मक, 2 क्रिया पदों में सर्वनामों का प्रत्येक तथा 'हर्कात्' में तुझे ले जाता हूँ, 'नर्काभु' तू मुझे ले जाता है। 3 क्रिया पद-रचना की विविधता, प्रत्येक क्रिया के कम-से-कम 24 रूप, 4 वाक्य रचना कर्मवाच्य की, 5 इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कर्ता के स्थान से क्रिया के काल का निर्धारण, यदि कर्ता वाक्य के अन्त में रखा गया है तो क्रिया वर्तमान कालिक समझी जायेगी और यदि उसे वाक्य के आदि में रखा गया है तो भूतकालिक। 6 लिंग भेद केवल क्रिया रूपों में पाया जाता है किन्तु विशेष ध्यान यह है कि यह वक्ता के लिंग से अन्विष्ट न होकर श्रोता के लिंग से अन्विष्ट होता है अर्थात् यदि वक्ता स्त्री है और श्रोता पुरुष है तो क्रिया पुलिङ्ग में होगी और यदि वक्ता पुरुष है और श्रोता स्त्री है तो क्रिया स्त्री लिंग में होगी।

11. सामो-हामी—इसकी एकता तथा ईश्वरता के सम्बन्ध में विद्वानों में मतभेद

पाया जाता है। कोई इन्हें एक ही परिवार के अन्तर्गत रखने के पक्षपाती हैं तथा कोई दो परिवारों के रूप में। इन्हें ही अंग्रेजी में सेमेटिक-हेनेटिक भी कहा जाता है। इनका क्षेत्र काफी विशाल है। इसमें से सामी वर्ग की भाषाएँ फिलिस्तीन, अरब, ईराक, मौरिया, मिथ, इथियोपिया, तुनीसिया, अलजीरिया तथा मोरक्को में बोली जाती हैं तथा हामी वर्ग की लोबिया, सोमाली लंड तथा इथियोपिया में। ये सभी क्षेत्र उत्तरी अफ्रीका के भाग हैं। सामी शाखा की प्राचीन भाषा अक्कादी, कनानी, अरमी हैं, आधुनिक हिब्रू, अरबी आदि इसी की शाखाएँ हैं तथा हामी वर्ग की प्राचीन भाषा प्राचीन मिश्री (चित्रलिपि में सुरक्षित) है। आधुनिक लिबिको-बंवर, कुशीनी और कौप्तीय भाषाएँ इसी की शाखाएँ हैं।

विशेषताएँ—दोनों ही वर्गों की भाषाओं की अपनी-अपनी कतिपय विशिष्टताएँ पायी जाती हैं। सामी की शब्द-रचना का आधार उसका धातु मूल होता है जो कि त्रिव्यंजनात्मक होता है। इन्हीं के साथ विभिन्न स्वरों का योग करके विभिन्न अर्थ बोधक पदों की रचना की जाती है—यथा (अरबी) क्-त्-ब् लिखना : 'किताब . पुस्तक', कुतुब् पुस्तकें, 'कातिब्' लेखक आदि। इसके अतिरिक्त धातु के मूल रूप पर ही स्वरों के अतिरिक्त उपसर्गों तथा प्रत्ययों का योग करके अन्य प्रकार के शब्द भी व्युत्पन्न किये जाते हैं, जैसे—'पस्तुब्' वह लिखेगा, 'पुस्ताब्' यह लिखा जायेगा, 'अस्तब्' उसने लिखा, 'इक्ततब्' लिखा गया, 'इक्ततब्' उसने श्रुतलेख लिखा, 'कातबन' लिखने का काम। अन्य परिवारों की भाषाओं की अपेक्षा इस परिवार की भाषाओं में पारस्परिक विभेद बहुत कम पाये जाते हैं।

हामी की विशेषताएँ—1. पद रचना में सामान्यतः उपसर्ग-प्रत्यय आदि के योग के अतिरिक्त द्वित्व (अभ्यास) विधि का भी उपयोग, यथा—सब 'मोड़ना' सबतब् 'बार-बार मोड़ना', गोई 'काटना', गोई-गोई 'टुकड़े टुकड़े करना' आदि।

2. व्याकरणिक लिंग की मत्ता तथा लिंग निर्णय का आधार सकेतित पदार्थ की आकृति, स्वरूप तथा प्रारम्भिक ध्वनि, यथा—पहाड़ (पु०) किन्तु पत्थर (स्त्री०) हाथी; (पु०), गधा (स्त्री०)। ध्वनियों की दृष्टि से कण्ठ्य ध्वनियों से प्रारम्भ होने वाले पद पुलिग तथा दन्त्य ध्वनियों से प्रारम्भ होने वाले स्त्रीलिंग, यथा गल्ल भाषा में कंक 'तिरा' : तते 'तिरी'।

3. वचन सम्बन्धी विशेषता दो रूपों से लक्षित होनी है। बहुवचन के दो रूपः एक संज्ञात्मक रूपरः समूहात्मक यथा—'पिता' 'पतंग' : 'चित्त' 'धतंग' (ब. व.), बिल्ले 'पतंगो का मुण्ड' (समूहात्मक), 2. वचन भेद, लिंग भेद से संसक्त अर्थात् यदि एक वचन पुलिग है तो बहुवचन स्त्रीलिंग अथवा तद्विपरीत, यथा होयोदि 'मा' (ए. व. स्त्री) किन्तु होयिन-कि "माताएँ" (ब. व. स्त्री), लिबहू-हि 'मिह' (ए. व. पु) लिबहू-ह्योदि 'सिह' (ब. व. स्त्री)। इस प्रकार का यह वचन सम्बन्धी लिंग विपर्यय भाषा विज्ञान में द्रुवाभिमुखी नियम कहलाता है।

11. मुडानी-गिनी परिवार—इस परिवार की भाषाओं का क्षेत्र है अफीका महाद्वीप में भूमध्य रेखा के उत्तर में पश्चिमी छोर से लेकर पूर्वी छोर तक। इसके उत्तर में हामी-सामी परिवार तथा दक्षिण में बन्तू परिवार की भाषाएँ बोली जाती हैं। इस परिवार की भाषाओं की संख्या 400 में भी अधिक आकी गयी है। जिनमें से अधिकतर अभी सर्वथा अनघीत हैं। इनमें से बतिपय ज्ञात नाम हैं—हुडमा, बुले, मानफू, बनूरी, नूबियायी, मसाई आदि। कुछ लोग इन्हें एक परिवार मानते हैं तथा कुछ भिन्न-भिन्न।

विशेषताएं—1 कई दृष्टियों से इन भाषाओं की प्रकृति चीनी की प्रकृति से मेल खाती है अर्थात् उन्नी के समान वे एकाक्षरी तथा अयोगात्मक हैं। विभक्तियों के अभाव में पद विभाग की स्थिति भी लगभग वैसी ही है। उन्नी के समान अर्थात् विभक्ति के लिए सुरो एवं तानो का सहारा लिया जाता है।

2 व्याकरणिक बोटियों का मकेन बतिपय अन्य भाषाओं के द्वारा अपनायी जाने वाली संकेत विधि में ही किया जाता है, यथा लिंग बोध के लिए 'नर', 'मादा' या 'स्त्री-पुरुष' वाक्य पदों का प्रयोग, वचन बोध के लिए सर्वनामों के बहुवचनीय रूपों में, ये, वे आदि का या 'आधिक्य' के बोधक, 'लोग' आदि शब्दों का प्रयोग। इसके अतिरिक्त पूर्वी मुदान की बोमियों में स्वर के दीर्घीकरण से भी बहुत्व का संकेत बोध कराया जाता है। यथा—रोर जगल : रोऱर जगल (व. व)

3 वाक्य रचना की दृष्टि में सबसे अधिक उल्लेख्य विशेषता यह है कि इसमें केवल सरल वाक्यों की ही स्थिति पायी जाती है। योजक निपातों के अभाव में मयुक्त एवं मिश्र वाक्यों की रचना सम्भव नहीं। जिसके फलस्वरूप 'मैने पुस्तक पढ़ी' जैसे वाक्यों को भी 'मैने पुस्तक ली' तथा 'मैने उसे पढ़ा' जैसे दो सरल वाक्यों के रूप में अभिव्यक्त करना पड़ेगा।

12. बन्तू परिवार—इस परिवार की भाषाओं का क्षेत्र है सुदूर दक्षिण पश्चिमी भाग को छोड़कर सम्पूर्ण अफ्रीका प्रदेश। इसके उत्तर में मुडानी परिवार को तथा दक्षिण में होनेन्-नोन-बुगमनी परिवार की भाषाएँ बोली जाती हैं। इसकी प्रमुख भाषाएँ हैं—स्वाहिली, तुनु, काफिर, रूआन्डा, उम्बुन्दु, हेरेरो, बागो। इनमें स्वाहिली, जुनु, काफिर आदि का अध्ययन हो-चुका है तथा उनके स्वरूप एवं प्रकृति के सम्बन्ध में काफी तथ्य प्रकाश में आ चुके हैं। इसके नामकरण का आधार मानव के अर्थ में प्रयुक्त न्नु गन्ध का बहुवचनी रूप है। इसमें 150 के लगभग भाषाएँ हैं।

विशेषताएं—इस परिवार की भाषाओं की जो विशेषताएँ प्रकाश में आयी हैं उनमें से बतिपय इस प्रकार है : पूर्वप्रत्यययोग—इसकी गठने बहो विशेषता है व्याकरणिक बोटियों के निर्देशक विभिन्न प्रत्ययों का मात्रा पदों के पूर्व योग, यथा—न्नु मनुप्य विन्नु ब-न्नु 'बहुत में मनुप्य' (इसमें ब बहुवचन

बोधक प्रत्यय है); काफ़िरी—जे वह, नि वे, ति हम, कु को : अब इनकी रूप रचना में प्रकृति तथा प्रत्यय की स्थिति इस प्रकार होगी—कुजे उसको, कुनि उनको कृति हमको आदि । जुलु—उमु (ए. व.) बोधक, अब (व. व.) बोधक प्रत्यय, न्तु 'मनुष्य' रूप रचना में इनकी स्थिति होगी—उम-न्तु एक व्यक्ति : अब-न्तु अनेक व्यक्ति ।

इसकी कुछ भाषाओं, यथा स्वाहिली (जो कि इस वर्ग की प्रमुख भाषा है) में संज्ञाएं अलग-अलग वर्गों में विभक्त होती हैं, जैसे मनुष्य, पशु, वृक्ष, जल आदि तथा इनमें अलग-अलग वर्गों के शब्दों के साथ ही उपसर्ग भेद भी हो जाता है । इन उपसर्गों के योग के सम्बन्ध में एक उल्लेखनीय बात यह भी है कि विशेषण के योग की स्थिति में वही उपसर्ग विशेष्य तथा विशेषण दोनों के साथ जोड़ा जाता है, यथा (स्वाहिली)—म्-यु-म्-जूरी सुन्दर मनुष्य (ए. व.) । यथा पर उपसर्ग म् का योग विशेषण तथा विशेष्य दोनों के साथ किया गया है । (वा-नु वा-जूरी (व. व) सुन्दर मनुष्य; यहां भी वा उपसर्ग (व. व) का प्रयोग दोनों के साथ किया गया है ।

ध्वन्यात्मक संरचना की दृष्टि से इन भाषाओं की एक विशेषता यह भी है कि इनमें शब्द प्रायः स्वरान्त होते हैं तथा व्यंजन संयोग नहीं पाये जाते ।

13. **होतेन्तोत-गुशमंती**—इस भाषाओं का क्षेत्र दक्षिण-पश्चिमी ओरेज नदी से लेकर नगामी झील तक का विस्तृत प्रदेश है तथा इस वर्ग की प्रमुख बोलियां हैं, होतेन्तोत, नामा, हमरा, सन्दवा, एक्वे तथा ओक्वे ।

विशेषताएं—इस वर्ग की भाषाओं की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है अन्त-स्फोटी ध्वनियां, जिन्हें 'क्लिक' ध्वनियां कहा जाता है । इनमें पायी जाने वाली क्लिक ध्वनियां ओप्ड्य, दन्त्य, मूर्धन्य, तालव्य एवं पार्श्विक भेद से पांच प्रकार की होती हैं जो कि श्वास को अन्दर की ओर खींचने से उत्पन्न होती हैं ।

लिंग निर्धारण का आधार स्त्रीत्व पुरुषत्व न होकर प्राणित्व, अप्राणित्व होता है । बहुवचन व्यवस्था भी अति जटिल एवं अनियमित होती है । बताया जाता है कि यह 50-60 प्रकार से सम्पन्न की जाती है ।

14. **मलय-पोलिनेशियाई**—इसका क्षेत्र कई द्वीपों तथा महाद्वीपों तक फैला हुआ है । अर्थात् पश्चिम में अफ्रीका के तटवर्ती मडागास्कर से लेकर पूर्व में ईस्टर द्वीप तक और उत्तर में फारमोसा से लेकर दक्षिण में न्यूजीलैंड तक । इन भाषाओं की संख्या बेहिसाब है । मोटे तौर पर मुख्य द्वीपों के हिसाब से इन्हें निम्नलिखित उपवर्गों में विभक्त किया जाता है—

(अ) **हिन्दो द्वीपीय (इण्डोनेशियाई)** : इनका क्षेत्र है मलाया, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, सिलिबिज, बाली, फिलिपीन, फारमोसा, मडागास्कर, तागालोग, बिसाया ।

(आ) कृष्णद्वीपीय—(मलेनेशियाई) न्यू हैन्डिडोज, फिजीद्वीप, सोलोमन द्वीप आदि ।

(इ) लघु द्वीपीय (मिकोनेशियाई) गिलबर्ट, मार्शल, कैरोलिन, मारियान आदि ।

(ई) बहुद्वीपीय (पोलिनेशियाई) समोआ, न्यूजीलैंड, ताहिती, हवाई द्वीप, शारोनागा, तुआमोन, ईस्टर द्वीप आदि ।

उपर्युक्त वर्गीय नामों की निष्पत्ति ग्रीक से की गई है जिसमें नेसिया <नेसोस का अर्थ 'द्वीप' होता है तथा मेलास=कृष्ण, मिकोस=लघु, पोलिस=अनेक, बहु के बोधक है । दीर्घकाल तक भारत के प्रभाव में रहने के कारण जावा आदि को 'हिन्द द्वीप' भी कहा जाता है ।

विशेषताएं—रूपात्मक दृष्टि में इनका सम्बन्ध अप्रयोगात्मक वर्ग की भाषाओं के साथ बनता है । रूप-रचना में विभक्ति, लिंग, वचन आदि के लिए किसी प्रकार की प्रत्यय योजना नहीं की जाती है । कभी-कभी उपसर्गों तथा प्रत्ययों को जोड़कर विभक्तियों का काम लिया जाता है । बहुवचनी रचनाओं के लिए कभी-कभी शब्दों की पुनरावृत्ति भी की जा सकती है यथा—रज 'राजा' (ए व), रज-रज 'राजा' (व व.) । क्रिया पद रचना में मध्य प्रत्यय योग प्राधान्य पाया जाता है । यद्यपि किन्ही-किन्ही में आद्यन्त प्रयोग भी पाये जाते हैं ।

दीर्घकाल तक पश्चिमी देशों इंग्लैंड, फ्रांस, हालैण्ड आदि के उपनिवेश रहने के कारण यहाँ की स्थानीय भाषाओं का विकास नहीं होने पाया है । शिक्षा, प्रशासन आदि में इन्हीं देशों की भाषाओं अंग्रेजी, फ्रेंच, डच आदि का प्रभुत्व रहा है । जावा (यवद्वीप) की भाषा (जिसे 'कवि' भाषा कहा जाता है) पर संस्कृत का पर्याप्त प्रभाव पाया जाता है । प्राचीन मलय, यवद्वीप, गुमात्रा, बाली, बोर्नियो में चौथी पाचवी शताब्दी के शिलालेखों में संस्कृत भाषा का प्रयोग इस बात का सबूतक है कि यहाँ के आर्य शासक शासनादेशों में संस्कृत का प्रयोग करते थे ।

कुछ भाषाओं में स्थान की काफी दूरी होने पर भी भाषा की दृष्टि से अत्यधिक सामीप्य पाया जाता है । यथा—मुमात्रा तथा महाणाम्बर के बीच यद्यपि तीन हजार मील से भी अधिक का समुद्री अन्तराल है किन्तु फिर भी दोनों प्रदेशों की भाषाओं के रूपों में एक अद्भुत साम्य पाया जाता है । जिसके विषय में अनुमान लगाया जाता है कि किसी काल में हुए जन-प्लावन में पूर्व ये दोनों प्रदेश स्थान मार्ग में सम्बद्ध रहे होंगे ।

यद्यपि इन वर्ग की भाषाओं के विविध रूपों का परिगणन कठिन है फिर भी इन सम्बन्ध में कतिपय उल्लेखनीय हैं—मलाया एवं गुमात्रा की 'मलय', जावा की 'कवि या जावी', बोर्नियो की 'दयक', मिनिरीन की 'तगल', फारमोसा की 'फारमोसी', महाणाम्बर की 'होवा' या 'मयदमी' ।

15. पापुई परिवार—इस परिवार की भाषाएं न्यूगिनी, न्यूज़िलैंड के कुछ भागों तथा सोनोमान द्वीप समूह में बोली जाती हैं। बताया जाता है कि इन क्षेत्रों में बोली जाने वाली इन भाषाओं की संख्या 132 के लगभग है किन्तु अभी तक उनका विस्तृत सर्वेक्षण न हो पाने के कारण इनके स्वरूप तथा पारिवारिक सम्बन्धों के विषय में निश्चितरूप से कुछ कह पाना कठिन है। ज्ञात सूचनाओं के अनुसार इनका सम्बन्ध अश्लिष्ट योगात्मक भाषाओं के साथ बनता है।

शब्द-रचना के लिए उपसर्गों तथा प्रत्ययों का योग किया जाता है। न्यूगिनी की 'मफ़ोर' भाषा के उदाहरणों में इसे देखा जा सकता है—यथा ज-मनफू में सुनता हूं, व-मनफू तू सुनता है, इ-मनफू वह सुनता है, सी-मनफू वे सुनते हैं, ज-मनफू-उ तुझे सुनता हूं, आदि।

16. आस्ट्रेलियाई परिवार—इन भाषाओं का प्रयोग क्षेत्र आस्ट्रेलिया का उत्तरी एवं दक्षिणी भाग है। इनकी संख्या 100 के आसपास आकी गयी है किन्तु आदिवासियों के लोप के साथ इनमें से अनेक स्वयं भी लोप की ओर अग्रसर है।

रूप रचना की दृष्टि से ये अश्लिष्ट योगात्मक वर्ग के अन्तर्गत आती हैं अर्थात् प्रत्यय का योग प्रकृति के बाद किया जाता है।

विशेषताएं—प्रयोग एवं रचना की दृष्टि से इनमें कई प्रकार की विशिष्टताएं पायी गयी हैं यथा—1. संख्या वाचक शब्द केवल एक से तीन तक ही पाये जाते हैं। इसमें उच्चतर संख्याओं का बोध इन्हीं के उलट-फेर में कर लिया जाता है। जैसे इसी की एक बोली युगर में ये उदाहरण इस रूप में प्राप्त होते हैं गुदल दो और गुदल-गुदल चार अर्थात् 2+2, ऐसे ही 7=जोड़ा-जोड़ा-जोड़ा-एक। इसके अतिरिक्त, तीन से अधिक की संख्या के बोध के लिए हाथों और पैरों की अंगुलियों (5, 5) का भी सहारा लिया जाता है, जैसे—मादिन बंगा गुदिर गन 'हाथ आधा (5) और एक अर्थात् छ'; मादिन बेल्ली-बेल्ली गुदिर दिना बंगा 'हाथ अगल-बगल (5, 5) और पैर आधा (5)=15।

2. विभक्ति प्रत्यय योजना की दृष्टि से ये भाषाएं भारत की मुण्डा तथा तिब्बत हिमालयीय वगैरे की सार्वनामिक भाषाओं के साथ अति निकट का सम्बन्ध प्रकट करती हैं। दोनों में समान रूप से पायी जाने वाली कतिपय विशेषताएं इस प्रकार हैं—1. उत्तम पुरुष सर्वनामों के रूपों में अपवर्जी (Exclusive) तथा समावेशी (Inclusive) रूपों में प्रकृति भेद। अर्थात् जब निदिष्ट क्रिया में वक्ता तथा श्रोता दोनों का समावेश अभिप्रेत हो तब एक प्रकृति का तथा जब श्रोता का समावेश अभिप्रेत न हो तब भिन्न प्रकृति का प्रयोग। 2. कुछ भाषाओं, यथा सेबलगत, में उत्तम पुरुष में वक्ता के स्त्री-मुख्य भेद के अनुसार सर्वनाम पदों में भी भेद पाया जाता है।

3. वचन की दृष्टि से भी इनमें तीन वचनों की सत्ता पायी जाती है।

17 तस्मानो—कुछ लोग तस्मानिया प्रदेश की भाषाओं को एक अलग वर्ग में रखने के पक्षपाती हैं किन्तु अधिकतर विद्वान इनका समावेश आस्ट्रेलियाई परिवार के अन्तर्गत करने के पक्ष में हैं। स्मरणीय है कि अब इस परिवार की भाषाओं को बोलने वाले कवीलो के न रहने से ये भाषाएं नामशेष हो चुकी हैं।

18 दक्षिण पूर्व एशियाई (आस्ट्रोएशियाटिक) यद्यपि बोलने वालों की संख्या की दृष्टि में यह परिवार अधिक बड़ा नहीं है किन्तु क्षेत्र की दृष्टि से इस परिवार की भाषाएं दक्षिण पूर्वी एशिया के बहुत बड़े भूभाग में बोली जाती हैं। इसके बोलने वाले अन्नाम, कम्बोडिया, स्याम से लेकर भारत के निकोबार द्वीप समूह तक फैले हुए हैं।

इसके तीन प्रमुख वर्ग हैं—1. मुण्डा या कोल (पश्चिम में) 2. मोनकमर (केंद्र में) 3 अन्नाम, मुआङ् (पूर्व में)। इनमें से प्रथम दो का प्रसार क्षेत्र भारत है। मुण्डा के भी दो वर्ग हैं, 1. उत्तरी 2 दक्षिणी।

उत्तरी वर्ग की भाषाओं का क्षेत्र तिब्बत में लेकर शिमला तक है तथा इसकी प्रमुख भाषाएं हैं—धीमाल, तिम्रू, राजी, रडकम, किन्लोरी, पट्टनी, निननी तथा गाहूरी (बुनन)।

दक्षिण वर्ग की प्रमुख भाषाएं हैं—सथाली, मुण्डारी भूमिज, छड़िया, हो, कोरकू आदि। इनमें से सथाली तथा मुण्डारी का क्षेत्र पर्याप्त बड़ा है। मुण्डारी बोलने वाले छोटा नागपुर, मध्यप्रदेश, उड़ीसा, बंगाल तथा तमिलनाडु के जनजातीय क्षेत्रों में तथा सथाली बोलने वाले पूर्वी बिहार तथा बंगाल के जनजातीय क्षेत्रों में फैले हुए हैं।

विशेषताएं—भाषिक दृष्टि से इन में अनेक ऐसी विशेषताएं एकत्र पायी जाती हैं जो कि विभिन्न भाषा परिवारों में पृथक्-पृथक् रूप से प्राप्त होती हैं। इनमें से कतिपय प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं—1. ध्वनियों की दृष्टि से यही एक ऐसा आर्येतर भाषा परिवार है जिसमें घोष, अघोष दोनों ही प्रकार की महाप्राण ध्वनियों की सत्ता पायी जाती है।

2 आस्ट्रेलियाई भाषाओं के समान इनमें भी उत्तम पुरुष सर्वनामों के रूपों में अपवर्जों एवं समावेशी भेद पाया जाता है।

3 चीनी के समान इन में बहुत कम पद भेद पाया जाता है, प्रकरणानुसार वही पद सजा, विशेषण तथा क्रिया के रूप में प्रयुक्त हो सकता है।

4 पद रचना में अन्य प्रत्ययों के अतिरिक्त मध्य प्रत्ययों का भी योग होता है। उदाहरणार्थ—देशो, आहृतिमूलक वर्गीकरण—मध्य प्रत्यय योगी।

5. निग विभेद 'स्त्री-पुरुष' अथवा 'नर-मादा' बोधक शब्दों के द्वारा किया जाता है जैसे पट्टनी-बाबा घर 'नर बाप', मिट्टा घर. 'मादा बाप,' गपापी-भाड़िया हूत (बाप) : एंगाहूस (बापिन)।

6. आस्ट्रेलियाई परिवार की भाषाओं के समान इन में भी तीन वचन होते हैं।

7 संख्या की गणना का आधार बीस होता है जैसे $50=2 \times 20+10$, $60=3 \times 20$, $80=4 \times 20$ (चार बीस)।

19. अमरीकी परिवार—यह एक भौगोलिक नाम है जो कि अमेरिका महाद्वीप की सभी वर्गों की भाषाओं का प्रतिनिधित्व करता है। इनकी संख्या एक हजार से ऊपर बताई जाती है। अभी तक इनमें से अधिकतर भाषाओं का न तो टोक से अध्ययन हुआ है और न वर्गीकरण ही।

इनमें कुछ तो ऐसी हैं जिनमें बोलने वालों की संख्या तीन अंको तक ही सीमित है। भौगोलिक दृष्टि ने इन्हें तीन वर्गों में विभक्त किया जाता है—

1. कनाडा तथा संयुक्त राज्य—इसमें अथवस्की या अथवस्कन, अलगोनिकी, होका, मिडई तथा यूरोक्वा प्रमुख हैं।
2. मैक्सिको तथा मध्य अमरीकी—इसमें 'अजतेक,' 'मय,' 'बहुअत्ल' भाषाएं प्रमुख हैं।
3. दक्षिण अमरीकी—इसमें प्रमुख है—अवरक, चिबोत्ता, तुपी, गुअर्नी, करीब तथा कुइचुआ।

लुई ग्रे ने इनका वर्गीकरण उत्तरी अमरीकी, मैक्सिको तथा दक्षिणी अमरीकी के रूप में किया है। ग्रीनलैंड की 'एस्किमो' भाषा की परिगणना भी अन्य विद्वान, अमरीकी वर्ग के अन्तर्गत करते हैं पर ग्रे इसे एक पृथक् वर्ग मानते हैं।

दक्षिण अमरीकी भाषा वर्ग में कुछ ऐसी विचित्र भाषाएं भी हैं जैसी कि निम्नलिखित—

इंजे—यह पेरु प्रदेश की 'इंजे' नामक जाति के लोगों द्वारा बोली जाती है। बताया जाता है कि पूरी भाषा की शब्द सम्पदा मात्र एक शब्द है 'इंजे'। इसी शब्द से विभिन्न प्रकार की स्वर भंगिमाओं तथा भाव भंगिमाओं के प्रयोग से वे अपना मारा वाग्व्यवहार चलाते हैं।

कराया—इसी प्रकार दक्षिण अमेरिका के ही अमेजन प्रदेश में 'कराया इंडियन' जाति के लोगों की भाषा में ओष्ठ्य वर्ण होते ही नहीं, तथा वे लोग कठ्य, तालव्य और दन्त्य वर्णों का उच्चारण मुख से न करके नासिका से करते हैं। ऐसी ही कुछ अन्य भाषाएं हैं—

ऐनू—यह उत्तरी जापान की एक बोली है जो कि जापानी से पृथक् है। इसमें भी आग्नेय परिवार की भाषाओं के समान ही गणना का आधार 20 है।

20. अण्डमानी—आनुवंशिक रूप में अफ्रीका के नेग्रिटो जाति के लोगों से सम्बद्ध एशियाई नेग्रिटो अर्थात् अण्डमान द्वीप समूह में रहने वाली आदिम जातियों को जिन प्रमुख वर्गों में विभाजित किया जाता है वे हैं—1. वृहत् अण्डमानी,

2 ओडेस, 3 जवारा, 4 सेन्तिनेली। बृहत् अण्डमान वर्ग के लोगों के दस पृथक् जातीय बचोसे थे, जिनके नाम हैं—चारो, कोरा, वो, बेरु, केदे, कोल, जुबोई, पुचिक्वार वाले तथा देवा। इन सबकी अपनी अलग-अलग बोलिया थी। किन्तु अनेक कारणों से इनके बोलने वालों की सख्या का दिनोंदिन ह्रास हो जाने से अब ये स्वतन्त्र भाषिक समुदाय न रहकर एक क्रेओलित भाषिक समुदाय के रूप में हो गये हैं। किन्तु पारस्परिक सम्पर्क की कठिनाई के कारण अन्य समुदायों की बोलियों का अभी भी स्वतन्त्र अस्तित्व बना हुआ है। इस रूप में प्रथम वर्ग की बोली को बृहत् अण्डमानी तथा द्वितीय वर्ग की बोलियों अर्थात् ओडेस, जवारा एवं सेन्तिनेली को लघु अण्डमानी कहा जाता है। इनकी कतिपय रूप रचनात्मक विशेषताओं पर एम मनोहरन् ने अपने एक लेख (इण्डियन लिग्विस्टिक्स 47 25-31) में प्रकाश डाला है जो कि इस प्रकार है—

1 आस्ट्रेलियाई परिवार की भाषाओं के समान ही इसमें भी गणना वाचक शब्दों की सख्या तीन तक ही सीमित है तथा वाक्य रचनाओं में ये सजा शब्दों के अनुवर्ती होते हैं।

2 दूसरी उल्लेख्य विशेषता है सजा पदों का स्वतन्त्र या आधित वर्गों में विभाजन। इनमें प्रमुख अन्तर यह है कि स्वतन्त्र प्रातिपदिकों का प्रयोग तो मुक्त रूपों में हो सकता है किन्तु आधित प्रातिपदकों के साथ सरचक प्रत्ययों का योग आवश्यक होता है। उदाहरणार्थ, 'घोड़ा' स्वतन्त्र पद है किन्तु 'मिर' आधित पद/आधित पदों के साथ प्रयुक्त किये जाने वाले संचरक प्रत्ययों के दो रूप होते हैं— एक सार्वनामिक पूर्व प्रत्यय जिनका प्रयोग शरीरार्थों के लिए सर्वतक पदों के साथ किया जाता है तथा दूसरे एक प्रकार के बद्ध रूप (bound form) होते हैं जो कि उस शब्द मूल में अर्थपरक परिवर्तन लाते हैं।

3 इस परिवार की एक अन्य विशेषता, जो कि कतिपय अन्य भाषा परिवारों में भी पायी जाती है यह है, कि इनमें प्रथम पुरुष के सार्वनामिक रूपों में समावेशी (inclusive) तथा अपवर्जी (exclusive) का भेद किया जाता है।

4 क्रिया रूपों में द्रविड भाषाओं के समान केवल भूत और भूतेतर का अन्तर पाया जाता है।

5 वचन दो ही हैं किन्तु इनका प्रयोग जानिवाचक मानव वर्गीय सजा पदों के साथ ही किया जाता है यथा घोर बच्चा : घोर कीरलोली बच्चे, एबुन् औरत एबुन् कीरलोली औरतें, किन्तु ओडे या ओडे के विषय में कहा जाता है कि उसमें तीनों वचनों का प्रयोग किया जाता है।

6 दरड़-बहाड़ी वर्ग की भाषाओं के समान इनमें भी गनेन बोधक सर्वनाम के निवट, बिचिन् दूर तथा अचिन् दूर के लिए तीन रूप पाये जाते हैं।

(2) ध्वनि-नियमों की खोज

पिछली शताब्दी में पाश्चात्य विद्वानों—विशेषकर जर्मन विद्वानों—के द्वारा भारोपीय परिवार की भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययनों के फलस्वरूप एक अन्य उपफल, जो हमें प्राप्त हुआ, वह था कतिपय ध्वनि नियमों की खोज। इन्हीं में से कतिपय खोजों ने अनेक भाषिक समस्याओं को सुलझाने में बड़ा योगदान किया तथा उन्हें ध्वनि नियमों के रूप में काफ़ी प्रसिद्धि भी मिली। इन्हीं में से कुछ उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है—

ग्रिम नियम—सर्वप्रथम रास्स रास्क (1787-1832) नामक विद्वान् का ध्यान इस ओर गया कि संस्कृत, ग्रीक, लैटिन, गोथिक, जर्मन, अंग्रेज़ी आदि में समान रूप में पाये जाने वाले अनेक अनुरूपी शब्दों में कतिपय ध्वनियाँ ऐसी हैं जो कि एक विशेष क्रम में परिवर्तित हुई दिखाई देती हैं। उमने विद्वानों का ध्यान इस तथ्य की ओर आकृष्ट किया। रास्क के द्वारा किये गये इस संकेत को लेकर थाकोव ग्रिम नामक (1785-1863) जर्मन विद्वान ने इस बात का गहराई के साथ अध्ययन किया तथा उन परिवर्तनों को नियमबद्ध करने का यत्न किया। ध्वनि परिवर्तन सम्बन्धी अपनी इस खोज का व्यवस्थित विवरण सर्व प्रथम उसने अपने ग्रन्थ 'जर्मन व्याकरण (Deutsche grammatik) में दिया जिसका प्रथम प्रकाशन 1819 में हुआ था। क्योंकि उमने सर्वप्रथम इसे विस्तृत एवं व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया था इमीलिए उसी के नाम पर इसे ग्रिम नियम (Grimm's Law) कह दिया जाता है।

अपने इस तुलनात्मक विश्लेषण में ग्रिम ने देखा कि मूल भारोपीय की कतिपय ध्वनियाँ व्यवस्थित क्रम से गॉथिक वर्ग की भाषाओं में किसी अन्य रूप में तथा ग्रीक, संस्कृत, लैटिन आदि में किसी अन्य रूप में मिलती हैं। इसकी ओर भी गहराई से छानबीन करने पर उसने देखा कि यह परिवर्तन दो स्तरों पर हुआ है। इस सम्बन्ध में उनका अनुमान है कि प्रथम परिवर्तन तो ई० पूर्वं तृतीय तथा छठी शताब्दी के बीच कही हुआ होगा क्योंकि इसका कोई ऐतिहासिक लेखा-जोखा नहीं। किन्तु द्वितीय परिवर्तन ईसा की सातवीं शताब्दी के लगभग हुआ क्योंकि इसका सम्बन्ध जर्मन भाषा के उन रूपों के साथ है जिन्हें भौगोलिक आधार पर उच्च जर्मन (आधुनिक जर्मन) तथा निम्न जर्मन (जिसमें अंग्रेज़ी, डच आदि का विकास हुआ) कहा जाता है। क्योंकि जर्मन का दक्षिणी भाग पहाड़ी क्षेत्र होने से ऊँचा है इसलिए उसकी भाषाओं को उच्च जर्मन कह दिया जाता है तथा उत्तरी भाग मैदानी होने से निम्न है अतः उसकी भाषा को निम्न जर्मन कहा जाता है। स्मरण रहे कि ग्रिम नियम का सम्बन्ध केवल जर्मन भाषाओं में हुए परिवर्तनों से है अतः यह उसी पर लागू होता है। इन नियमों के सम्बन्ध में एक अन्य स्मरणीय बात यह है कि ग्रिम यह मानकर चले थे कि मूल भारोपीय की अधिकतर स्वर

ध्वनिया घीक तथा लैटिन मे सुरक्षित है, तथा व्यंजन ध्वनिया संस्कृत मे सर्वाधिक सुरक्षित है।

पिम के अनुसार प्रथम वर्ण परिवर्तन जो कि धस्तुतः महत्वपूर्ण है, प्रागैतिहासिक काल मे तब हुआ होगा जबकि इन भाषाओ का मूल भारोपीय से पृथक्-पृथक् विकास प्रारम्भ हुआ होगा। इसके अनुसार यह माना गया है कि मूल भारोपीय की 9 व्यंजन ध्वनिया अर्थात् घृ, घृ, म् (घोप महाप्राण), गृ, दृ, दृ (घोप अल्पप्राण) तथा कृ, तृ, पृ, (अघोप अल्पप्राण) संस्कृत, ग्रीक, लैटिन आदि मे तो उसी रूप मे चलनी रही, किन्तु द्युटानिक (जर्मन) वर्ग की भाषाओ मे परिवर्तित हो गयी। यह परिवर्तन व्यवस्थित रूप मे इस प्रकार हुआ है—

मूल भारोपीय


जर्मन

घोप महाप्राण (घृ, घृ, म्) → अघोप अल्पप्राण (गृ, दृ, वृ)

घोप अल्पप्राण (गृ, दृ, वृ) → अघोप अल्पप्राण (कृ, तृ, पृ)

अघोप अल्पप्राण (कृ, तृ, पृ) → अघोप महाप्राण (घृ, (हृ), घृ, लृ, फृ)

जिमे रेखाकन विधि से इस प्रकार भी प्रस्तुत किया जाता है।



भारतीय पाठको के लिए उपर्युक्त ध्वन्यात्मक परिवर्तनों को ग्रीक, लैटिन आदि से उदाहरणों द्वारा स्पष्ट तः करके अध्याप्यता के लिए एक ओर मूल भारोपीय की प्रतिनिधि संस्कृत तथा दूसरी ओर द्युटानिक की प्रतिनिधि अंग्रेजी के उदाहरणों द्वारा त्रिम रूप मे स्पष्ट किया जाता है, वर इस प्रकार है—

	भारोपीय (संस्कृत)	दृष्टान्तिक (अंग्रेजी)
1. घ् > ग्	हस (घस) 'हस' घन 'भेष'	गूज (goose) गॉग (gauge) गजंन
• ध् > द्	विघवा (गॉं, विदुओ) बंध 'बंधन'	विडो (widow) विघवा बेण्ड (band)
भ् > ब्	भ्रातृ भाई भू- धारण करना भू- 'होना'	ब्रदर (brother) बियर (bear) बी (be)
2. ग् > क्	गो 'गाय' दुग् 'जुआ'	काउ (cow) योक् (yoke)
द्व > त्	दश (श्री० देका) 'दस' स्वेद 'पमीना'	तेन (ten) स्वेत (sweat)
व् > प्	वाघन् 'कष्ट पीड़ा' दुबुत् (लियु०) गहरा	पेन (pain) पीड़ा डीप (deep) गहरा
3. क् > ख् (ह्) : कद् (ले० कोद्) क्या ? कः कौन ?		ह्वत् (what) क्या ? हू (ह्वो) (who) :
• भ् > ध् :	त्रि तीन तनु दुबल	थ्री (three) थिन (thin)
प् > फ्	पितृ पिता पद् चरण पत्र (पंख)	फादर (father). फुट (foot) फेदर (feather)

द्वितीय ध्वनि-परिवर्तन—इस ध्वनि नियम का सम्बन्ध जर्मन वगैरे की ही उन दो शाखाओं के साथ है जिन्हें उच्च जर्मन तथा निम्न जर्मन कहा गया है। इसमें उच्च जर्मन की प्रतिनिधि स्वयं जर्मन भाषा है तथा निम्न जर्मन का विकास अंग्रेजी आदि योरोपीय भाषाओं के रूप में हुआ है। इस परिवर्तन का सम्बन्ध इन्ही के साथ है। इसे जिस रूप में विशेषित किया गया है, वह इस प्रकार है।
निम्न जर्मन → उच्च जर्मन क्, त्, प्, → ख् (ह्), ध्, (त्स्) फ् (फ्फ); ग्, द्, ब्
→ क्, त्, प्; ख्, ध्, फ् → ग्, द्, ब्— इन्हे निम्नलिखित उदाहरणों के द्वारा स्पष्टीकृत किया जाता है।

निम्न जर्मन	उच्च जर्मन (जर्मन)
1. क् > ख् (ह्) • book, yoke, speech	बुख (buch), joch, sprach
त् > द् (स्मृ, त्स्.) • water, two, ten	wasser, zwei (स्वाइ), zehn (त्सेन)

पू > फ़ (फ़) : deep, slip	tief (तीफ), schleifen (श्लाइफ़ेन)
2 य > द् three, north	drei (द्री), Norden
3 द > त् deed	tat

विरोध—इस परिवर्तन में सभी वर्णों से सम्बद्ध उदाहरण उपलब्ध नहीं होते।

ग्रिम का संशोधन—'ग्रिम के द्वारा इन नियमों की स्थापना किए जाने के उपरान्त इनके सम्बन्ध में विद्वानों की कई प्रतिक्रियाएँ हुईं तथा इसके अपवादों के कई ज्वलन्त उदाहरण प्रस्तुत किये गये। इनमें से कुछ इस प्रकार थे—(1) ग्रिम के प्रथम वर्ण परिवर्तन सिद्धान्त के अनुसार 'सस्कृत के अस्ति, √स्पृश् तथा √नप्त् के अनुरूपी जर्मन शब्दों—इस्त (ist), स्पेहोन (spehon) तथा निफ्त (nift) का रूप *इस्थ, *स्फेहोन तथा *निफय होना चाहिए था जो कि हुआ नहीं। इसी प्रकार सप्त वा *सपय न होकर सिबुन (sibun) हो गया शतम् का *शय्म न होकर हुंद हो गया। ऐसे ही क्, द् के संबंध में भी देखा गया कि बोघति का *पिउदान् न होकर बिउदान् (biudan) हो गया। ऐसे ही दम् का *ताउब्ज न होकर (daubs) दाउब्ज हो गया। अतः इन असंगतियों की संगति की खोज की जाने लगी।

प्रथम वर्ण की असंगति अर्थात् उपर्युक्त उदाहरणों में क्, त्, पू का क्, पू फ़ में परिवर्तन न होने का समाधान स्वयं ग्रिम ने ही खोज निकाला। उसने देखा कि उनके ध्वनि निमर्ग की यह असंगति केवल वही पायी जाती है जहाँ कि वे सस्कृत में संयुक्त रूप में पाये जाते हैं। अतः मूल नियम में संशोधन किया गया कि ध्वनियों का यह परिवर्तन केवल असंयुक्त ध्वनियों में हुआ था, संयुक्त ध्वनियों में नहीं।

प्रासंगिक नियम—यह कोई स्वतन्त्र खोज न होकर ग्रिम के नियम का ही संशोधन है। जैसा कि ऊपर सकेत किया गया है कि ग्रिम नियम के अनुसार सम्प्रत के बोघति तथा √दम् का जर्मन में भी *पिउदान् तथा *ताउब्ज होना चाहिए था जो कि नहीं हुआ। इसी प्रकार ग्रीक के किग्थो 'जाना' का अनुरूपी अंग्रेजी में *को (*ko) होना चाहिए था, पर हुआ है 'गो' (go)। प्रासंगिक ने उन विभक्तियों का कारण ढूँढने के लिए सस्कृत तथा ग्रीक के अनेक अनुरूपी शब्दों का विश्लेषण किया। इसमें उसने देखा कि सस्कृत के बभार, बघामि क्रिया पदों के अनुरूपी पद ग्रीक में वैकुडा, तिथेमि आदि के रूप में मिलते हैं। इससे वह इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि सस्कृत के इन त्रियापदों के मूल भारतीय रूप *बभार तथा *बघामि रहे होंगे जिनका कि सम्प्रत में बभार तथा बघामि हो गया। इसकी पुष्टि सस्कृत क्रिया पदों के बिभति, (*भिभति), बभूव (*भभूव), जुहोति (*हुहोति) आदि से होती है।

प्रासंगिक की इस गूढ़ के पारस्परिक रूप हमें दो बातें स्पष्ट हुईं। एक तो यह कि

मूल भारोपीय में जहाँ दो महाप्राण ध्वनियाँ साथ-साथ आती थीं वहाँ संस्कृत में उनमें से प्रथम महाप्राण ध्वनि का उसी की अल्पप्राण ध्वनि में विकास हो गया और दूसरी यह कि संस्कृत की सभी व्यंजन ध्वनियाँ मूल भारोपीय की सच्ची प्रतिनिधि नहीं, फलतः उपर्युक्त उदाहरणों बिउदान् तथा दाउञ्ज में ब्, तथा द्, ध्वनियाँ मूलतः ब्, द्, न होकर भ्, घ् हैं। अतः जर्मन उदाहरणों में पाया जाने वाला उपर्युक्त विकास सर्वथा ग्रिम नियम के अनुकूल है। इसमें किसी प्रकार की असंगति नहीं।

फ़ैरर नियम (Verner-Law)—ग्राममान के समान ही फ़ैरर ने भी ग्रिम नियम की कतिपय विसंगतियों में संगति बँटाने का यत्न किया। इस सम्बन्ध में उनकी प्रमुख देन यह है कि यदि आक्षरिक आघात (Accent) क्, त्, प् के पूर्ववर्ती स्वर पर होगा तो इनका परिवर्तन ग्रिम के द्वारा निदिष्ट नियम के अनुसार ख्, घ्, ङ् में होगा, किन्तु यदि यह परिवर्तन स्वर पर होगा तो यह परिवर्तन ग्, द्, ब् में होगा। इसके अनुसार संस्कृत के 'शतम्' का जर्मन में हुद (hund) (*ह्'घ् नहीं) तथा सप्तन् का सिबुन् (sibum (*सिफुन् नहीं) सर्वथा नियमानुकूल ही है।

तालव्य नियम—भारोपीय भाषा से सम्बन्ध रखने वाले ध्वनि नियमों में इस नियम का भी बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान है। इसकी खोज का श्रेय प्रसिद्ध भाषा-विद् थामसन (V. Thamsen) तथा कालित्स को जाता है। इसमें भी तुलनात्मक विश्लेषणों के बीच देखा गया कि संस्कृत तथा अन्य भाषाओं के अनुरूपी पदों में वही तो वर्गीय ध्वनियाँ पायी जाती हैं तथा कहीं चवर्गीय। इस परिवर्तन के रहस्य को खोजने के लिए 1875 तथा 1920 के बीच जोन्स, शिमट, द सोस्यूर, कालित्स, थामसन आदि के द्वारा अनेक प्रयत्न किये गये। इसी के फलस्वरूप उपर्युक्त विद्वानों के द्वारा इस भाषिक रहस्य का पता लगाया गया कि अव्यवहित रूप में अप्र स्वरों के साथ आने पर मूल भारोपीय कष्य (क्, ग्) तथा कष्योद्य (क्, ग्) का संस्कृत तथा ईरानी में तो तालव्य (क्, ग्) ध्वनियों में विकास हो गया है। अन्यथा वे कष्य रूप में ही बनी रहती हैं। अन्य भाषाओं में यह वर्गीय विकास हुआ ही नहीं है यथा—

	मूल भारो०	संस्कृत	अवेस्ता	ग्रीक	लैटिन
	*क्विद्	चिद्—चित्	चित्	—	क्विद्
	*क्वे	च	च	—	—
	*वेके	पञ्च	पते	—	क्विन्क्वे
	*गेनोस्	जनम्	—	गेनोम्	—
अन्यथा	*क्वोन्	क् (सं०)	को	—	क्विम्
	*युगोम्	युगम्	—	—	—

किन्तु इस नियम के सम्बन्ध में कतिपय विपत्तियाँ भी उठाई गई हैं जो कि इस प्रकार हैं—

1 प्रीक में 'च' तथा 'ज' ध्वनियों का सर्वथा अभाव होने से उस पर इसका लागू होना या न होना सन्देहास्पद है।

2 संस्कृत में इसके विपरीत चवर्गीय ध्वनियों का कवर्गीय ध्वनियों में परिवर्तित होने का नियम पाया जाता है यथा युञ् ~ युक् ~ युग्, वाच् ~ वाक् ~ वान्, दिग् ~ दिक् ~ दिग्। अतः एकांगी होने से यह एक सर्वमान्य ध्वनि नियम के रूप में स्वीकार्य नहीं।

भाग दो

आर्य भाषा परिवार

आर्य भाषा परिवार

विश्व के भाषा परिवारों के स्वरूप, स्थिति तथा विशेषताओं के सम्बन्ध में पिछले पृष्ठों में यथाभिलषित प्रकाश डाला जा चुका है। अब हम उसके एक प्रमुखतम परिवार—भारोपीय परिवार तथा उसकी एक प्रमुख शाखा-भारत आर्य शाखा के विषय में अगले पृष्ठों में किञ्चित् विस्तार के साथ विवेचन प्रस्तुत करना चाहेंगे।

भाषा विज्ञानियों के द्वारा 'भारोपीय' के नाम से अभिहित भाषाई वर्ग की भाषाओं का प्रसार क्षेत्र है—उत्तरी भारत, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, नेपाल, समस्त यूरोप तथा अमेरिका, कनाडा आस्ट्रेलिया तथा अफ्रीका के वे भाग जहाँ पर अंग्रेजी, फ्रेंच, डच, आदि भाषाएँ बोली जाती हैं। भाषाओं की दृष्टि से प्राचीन भाषाओं—संस्कृत, ग्रीक, लैटिन, स्लाव, गॉथिक, हिती, लोखारी, अवेस्ता तथा इनमें विकसित समस्त आधुनिक भाषाओं का सम्बन्ध इस परिवार के साथ जोड़ा जाता है। स्पष्ट है कि क्षेत्र तथा बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से यह एक बहुत बड़ा भाषा परिवार है तथा भाषा वैज्ञानिक अध्ययनों की दृष्टि से भी यह बड़ा महत्वपूर्ण माना गया है। इसके इन्हीं पक्षों पर आगे विचार किया जायेगा।

भारोपीय भाषा की संकल्पना

सन् 1786 में सर विलियम जोन्स के द्वारा सस्कृत, ग्रीक और लैटिन की अद्भुत समानताओं की घोषणा के उपरान्त इस विषय पर जो गम्भीर अध्ययन हुए तथा इनके प्रकाश में विश्व की अनेक अन्य जानी-मानी भाषाओं का जो तुलनात्मक अध्ययन हुआ तो विद्वानों ने देखा कि यह साम्य न केवल इन तीन पुरातन भाषाओं के बीच ही पाया जाता है वरन् विश्व के एक बहुत बड़े भूभाग की अनेक पुरातन एवं आधुनिक भाषाओं के बीच भी पाया जाता है। इसके फलस्वरूप एक ओर तो उन्होंने उस मूल भाषा का पता लगाने के प्रयत्न किये जिसमें कि ये भाषाएँ उद्भूत हुई होंगी तथा दूसरी ओर इनकी अपनी प्रमुख विशेषताओं तथा स्थानीय सीमाओं के आधार पर भिन्न वर्गों एवं उपवर्गों में विभाजित करने का।

सर विलियम जोन्स ने अपने उक्त भाषण में भाषा विज्ञानियों का ध्यान जित्त ध्यान की ओर विशेष रूप में आकृष्ट किया था, वह यह था कि इन भाषाओं के बीच पाया जाने वाला यह सम्बन्ध इतना दृढ़ है कि कोई भी भाषाविज्ञानी इनका विवेचन यह माने बिना नहीं कर सकता कि इनका मूल स्रोत कोई एक है जो कि अब विद्यमान नहीं रहा।

जोन्स द्वारा दिया गया यह संकेत योरोप के विद्वानों के लिए एक ऐसा प्रेरणा-स्रोत सिद्ध हुआ कि महा के अनेक विद्वान इस 'अज्ञात मूल स्रोत' की खोज में जुट गये। फलतः इस दिशा में कार्य करने वालों में एक होड़-भी लग गई। इनमें से सर्वप्रथम नाम आता है फ्रांज बोप (Franz Bopp) का जिन्होंने कि 1816 में सस्कृत, ग्रीक, लैटिन, फारसी तथा जर्मनिक भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन करके भाषाविदों के समक्ष इनके सामान्य रूपों को प्रस्तुत किया तथा इस दिशा में अन्य विद्वानों को कार्य करने के लिए विशेष प्रेरणा की। इसके उपरान्त जिन विद्वानों ने इस मूल स्रोत की खोज में तथा इसके स्वरूप-निर्धारण एवं इस परिवार की विभिन्न भाषाओं के बीच के पारस्परिक सम्बन्धों को स्पष्ट करने में अपना योगदान किया उनमें से कुछ प्रमुख नाम इस प्रकार हैं—कोलेब्रुक (Colebrook), फोस्टर (Foster), अलेग्ज़ेंडर हैमिल्टन (Alexander Hamilton), फ्रिड्रिख श्लेगल (Friedrich Schlegel), रास्क (Rask), श्लाइखर (Schleicher), बेन्फे (Benfey), ब्रुग्मन (Brugmann), फोर्नुनातोफ (Fortunatov), आन्तोमेले (Antoine Meillet), वाकरनागल (Wackernagel), जूलस ब्लाख (Jules Bloch), स्टर्टेवण्ट (Sturtevant) आदि। इन पारश्चात्य विद्वानों के महत्त्वपूर्ण अनुसंधानों में न केवल भारत, एशिया एवं यूरोप की प्राचीन भाषाओं के बीच पाये जाने वाले आन्तरिक सम्बन्धों पर प्रकाश डाला; अपितु इनके तुलनात्मक अध्ययन से मूल भाषा की ध्वनि प्रक्रिया एवं रूप प्रक्रिया का भी अनुमान लगा लिया। किन्तु इन महत्त्वपूर्ण खोजों में सस्कृत का योग सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण रहा,

क्योंकि संस्कृत ने जहाँ एक ओर भारत तथा यूरोप की प्राचीन भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन के लिए एक अभूतपूर्व प्रेरणा दी वही इसमें तथा अन्य सम्बन्धित भारोपीय भाषाओं में प्राप्त अद्भुत समानताओं ने ही इन विद्वानों को एक मूल भाषा तथा उसमें उत्पन्न भाषाओं के लिए एक भाषा परिवार की कल्पना को मुद्दह आधार प्रदान किया। इसके फलस्वरूप उस मूल भाषा की प्रकृति एवं स्वरूप का अनुमानाश्रयी पुनर्गठन सम्भव हो सका जिसे कि इन विद्वानों ने 'मूल भारोपीय' का नाम दिया। इस नवीन खोज के सम्बन्ध में डॉ० सुनीति कुमार चैटर्जी का कथन है—'इस आद्य भारत-यूरोपीय भाषा का और विशेषतः इसकी ध्वनियों और शब्द रूपों का पुनर्गठन गत सौ वर्षों में मानवीय बुद्धि की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धियों में से एक है।'

यद्यपि मूल भारोपीय का उद्भव कब और कहा हुआ तथा वैदिक संस्कृत, अवेस्तन गायत्री तथा होमरिक ग्रीक में उपलब्ध भाषायी रूपों को प्राप्त करने से पूर्व इसके विकास की दिशा व रूप क्या-क्या रहा तथा किस-किस प्रदेश में होकर ये लोग भारत तक पहुँचे—इन सब प्रश्नों का निश्चित उत्तर पाना कठिन है, किन्तु फिर भी भाषाविदों ने प्राचीन भाषाओं के समान रूपों के आधार पर इन सभी प्रश्नों का अनुमानाश्रयी उत्तर प्रस्तुत करने का श्लाघनीय प्रयत्न किया ही है। संस्कृत के वीर, लैटिन के उईर (Vir), जर्मन के वेर (Wer) तथा प्राचीन आइरिश के फेर (Fer) आदि समान रूपों के आधार पर भाषाविदों ने इस मूल भारोपीय को बोलने वाली जन जाति का नाम वीरोस (*wiros) 'मनुष्य' निर्धारित किया है।

इसी प्रकार संस्कृत तथा ग्रीक की तुलना करने पर देखा गया कि संस्कृत के प्रत्येक अ का ग्रीक में ए हो जाता है तथा संस्कृत भ का फ हो जाता है यथा—स. अभरम् : ग्रीक—एफ़रम्, नभः—नेफ़ोम्। इसी प्रकार की और भी अनेक विशेषताएँ संस्कृत-लैटिन, संस्कृत-गार्थिक, संस्कृत-स्लावानिक आदि भाषाओं में पायी गईं। यद्यपि अनेक अनुरूपी शब्दों में ये ध्वन्यात्मक अन्तर इतने अधिक थे कि प्रारम्भ में भाषा शास्त्रियों के लिए इन्हें पहचानना बड़ा कठिन था, किन्तु इन अनुसन्धाताओं के निरन्तर अनुसन्धान से ध्वनिपरिवर्तनों के कुछ ऐसे मान्य नियमों की खोज सम्भव हो सकी जिनसे कि इन परिवर्तनों के बीच पारस्परिक सम्बन्ध का निर्धारण सम्भव हो गया। तुलनात्मक भाषाशास्त्रियों के अनुसन्धानों के बाद यह वैज्ञानिक रूप से स्पष्ट हो गया कि भारत तथा यूरोप के देशों में बोलती जाने वाली प्राचीन तथा कुच्छक आधुनिक भाषाओं में कुछ ऐसी ध्वन्यात्मक, शब्दात्मक, रूपात्मक एवं वाक्यात्मक विशेषताएँ पायी जाती हैं जो कि इन्हें विश्व की अन्य भाषाओं से पृथक् करती हैं। इसी साम्यता के आधार पर अनुमान किया गया कि ये सभी भाषाएँ किसी एक मूल स्रोत में ही विकसित हुई होंगी।

कालान्तर में इनके वक्ताओं के स्वानानरण के कारण इसमें देश, काल एवं अन्य सम्पत्तों में विविध परिवर्तन आ गये होंगे, जोकि स्वाभाविक थे। भाषा शास्त्रियों ने भारत में लेकर यूरोप तक फैली हुई इन भाषाओं की मूल जननी का नाम 'भारत-यूरोपीय' अथवा 'भारोपीय' रखा। इनसे पूर्व इसे 'भारत-जर्मनी' या 'आर्य' परिवार के नाम से भी अभिहित किया जाता था, पर इन सब में 'भारोपीय' नाम ही क्यों अधिक प्रचलित हो गया, इन पर हम आगे विचार करेंगे।

भारोपीय के मूल वक्ताओं के आदि निवास स्थान का प्रश्न प्रारम्भ से ही अनुमान एवं विवाद का विषय रहा है। कुछ विद्वान् इसे मध्य एशिया मानते हैं तथा कुछ यूरोप। इस मूल से उद्भूत भाषाओं का विश्व के बृहत्तर भाग में प्रसार होने के कारण इनके मूल स्थान के विषय में एक मत का न हो सकना स्वाभाविक ही है। यद्यपि इस परिवार की अधिकतम भाषाओं का क्षेत्र यूरोप होने से तथा इनके प्रारम्भिक रूपों में पर्याप्त भेद होने के कारण प्रो० बरो इसका मूल क्षेत्र यूरोप को ही मानने के पक्षपाती है (पृ० 9) किन्तु पिछले दिनों की तोजारी तथा हित्ती की खोजों में एशिया मूल की बात को भी पर्याप्त बल दिया है। ह्यूगो विन्कलर (Hugo Winckler) द्वारा प्राप्त एशिया माइनर क बोगाज कयोइ (Boghaz Koi) के कुछ लेखों में लगभग 1400 ई० पू० के मितानी सामग्री के कुछ सन्धि पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें अनेक शब्द ऐसे हैं जो कि वैदिक संस्कृत के शब्दरूपों एवं प्रकृति के साथ निकटता प्रकट करते हैं। यथा इ-द-र, मि-इत्-त्-र, उ-द-धन्-अ (या अ-द-न), ना-स-अन्त-ि-य आदि जो कि केबिनोनी लिपि में अकिन् ऋग्वैदिक देवनाओं—इन्द्र, मित्र, वरुण एवं नासत्यां के ही नाम हैं।¹ वैदिक भाषा के साथ इनकी तुलना करने पर यह बात स्पष्ट देखी जा सकती है कि मेसोपोटामिया के दस्तावेजों की यह भाषा वैदिक भाषा से पर्याप्त प्राचीन है तथा ध्वनि प्रक्रिया की दृष्टि से यह भारत-ईरानी काल के अधिक निकट पड़ती है। इससे इस बात की तो कम-से-कम पुष्टि होती है कि भारत में आकर वैदिक भाषा के रूप में विकसित होने से पूर्व इन भाषा का विकास क्षेत्र एशिया माइनर था। इस प्रकार संस्कृत के परिषय ने एक ओर तो भारोपीय परिवार की कल्पना को पुष्ट करके एक ऐसे मूल की खोज में सहयोग दिया जिसका कि प्रसार एशिया एवं यूरोप के बृहत्तर भाग में पाया जाता है तथा दूसरी ओर भारत ईरानी के निकट सम्बन्ध को स्थापित किया।

1. यह सर्वथ मितामिनयो तथा हीलवी के बीच हुई थी जिनमें कि देवनाओं का उल्लेख दिखाई गई है। मितामिनयो की भाषा में इन्द्र का पुत्राना नाम 'इन्दर' तथा वरुण का 'वरण' भी मिलता है। मितामिन जाति जावी की बहु जायत को का कि अहि आर्य भूमि को छोड़कर भारत की ओर आ रही थी।

बैसा कि ऊपर उक्ते क़िया जा चुका है कि इस प्रकार की भाषा कल्पना के लिए संस्कृत ने बड़े मन्त्र प्रमाण प्रस्तुत किये। संस्कृत के अध्ययन से तुलनात्मक भाषा शास्त्र को जिन प्रवृत्तियों को बढ़ावा दिया उसके फलस्वरूप देखा गया कि संस्कृत तथा अन्य भारतीय भाषाओं में इतने विचाल पैमाने पर दैनन्दिन व्यवहार में आने वाले शब्दों की ऐसी असाधारण समानता केवल दैवयोग से नहीं हो सकती, उदाहरणार्थ सं०—पिता (पितृ), ग्रीक—पेट्रोस्, लैटिन—पतेर, जर्मन—फ़ातर, अंग्रेजी—फ़ादर में दृश्यमान ध्वन्यात्मक वर्तव्यों की एकरूपता को केवल आकस्मिक घटना नहीं माना जा सकता। हम देख सकते हैं कि इन सभी शब्दों की आन्तरिक ध्वनि ऋ या र है। इतना ही नहीं ग्रीक तथा लैटिन में दृश्यमान ध्वन्यात्मक अन्तर को भी ग्रिम महोदय ने अपने एक सिद्धान्त 'ग्रिमनिदम' (Grimm's Law) के आधार पर सिद्ध कर दिया है कि वे ध्वनियाँ भी मूलतः वही हैं या कि इन भाषाओं में एक निश्चित ध्वनि परिवर्तन से नियमित होकर इन रूपों में विकसित हो गयीं हैं। इन शब्दों में उपलब्ध असामान्य ध्वन्यात्मक साम्यता का आधार पर इसका मूल रूप का पता लगाने के लिए जो ध्वन्यात्मक परिवर्तन सम्बन्धी धोरणों की गईं, उनके फलस्वरूप उपर्युक्त पितृवाचक शब्दों के मूल में *पूभतेर जैस रूप की कल्पना की गई। ऐसे ही संस्कृत के क्रियारूप भरामि की अन्य भाषाओं में उपलब्ध समानान्तर रूपों के साथ तुलना करने पर देखा गया कि उनमें भी इसी प्रकार की नियमित ध्वन्यात्मक साम्यता विद्यमान है, यथा—सं० भरामि (< v ju), ग्रीक—फ़ेरो, लै. फ़ेरो, प्रा. स्लाव—बेरन्, गा०—बइरो, अ.—बियर (bear)। अर्थात् दृष्टि से भी इन सब में असाधारण साम्यता पायी जाती है, अर्थात् सभी में इसका अर्थ होता है 'मैं ते जाता हूँ।' अतः ध्वनि नियमों की सहायता से इसका मूल भारतीय रूप *भेर (*bher) की कल्पना की गई। इसी प्रकार अनेक समानान्तर रूपों का अध्ययन किया गया एवं अनेक ऐसे ध्वनि नियमों का पता लगाया गया, जिनके अनुसार इन परिवर्तनों को नियमित रूप में दर्शाया जा सकता था जिनके आधार पर इनके मूल रूपों का पुनर्गठन भी किया जा सके। इन विविध नियमों एवं रूपों की ओर आपसी पुष्टों में क्या प्रसंग निर्देश किया जायेगा। यहाँ पर केवल इतना ही संकेत कर देना पर्याप्त होगा कि यदि संस्कृत के साथ प्राचीन भारतीय भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन न किया गया होता तो भाषा विज्ञान के अस्तित्व में ग्रिम के नियम तथा प्राप्तमान एवं हून्तेर के उपनियमों की सृष्टि कभी न होती। ग्रिम के नियम की सृष्टि इसी तुलनात्मक मूलाधार को लेकर हुई थी कि संस्कृत, ग्रीक तथा लैटिन के कृ, लृ, पू का अंग्रेजी आदि भाषाओं में क्रमशः छ, फ़, क्यू हो जाता है। ग्रिम नियम के समान ही भाषा विज्ञान के क्षेत्र में बहुमान्य 'ठातक्यभाव' (Palatalization) के सिद्धान्त की खोज भी इन्हीं प्राचीन भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन से सम्भव हो सकी है। वस्तुतः संस्कृत के अध्ययन के बाद ही मन्चे अर्थों में आधुनिक भाषा

विज्ञान का प्रारम्भ ममझना चाहिए । प्रोफेसर वरो अपने ग्रन्थ 'संस्कृत भाषा' के आमुद्र का प्रारम्भ ही इन शब्दों में करते हैं "अठारहवीं शताब्दी के अन्त में यूरोप के विद्वानों द्वारा संस्कृत की खोज ही वह प्रारम्भ बिन्दु था जिससे कि, भारतीय भाषाओं के तुलनात्मक भाषा-विज्ञान का तथा अन्ततोगत्वा सम्पूर्ण आधुनिक भाषा शास्त्र के अध्ययन का विकास हुआ ।"

इसके अतिरिक्त शब्दों में पायी जाने वाली ध्वन्यात्मक समानताओं के समान ही संस्कृत तथा अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं की रूप रचना में पायी जाने वाली साम्यता में भी एक मूल भाषा की कल्पना की और अधिक पुष्ट किया । उदाहरणार्थ, इस परिवार की भाषाओं की पदरचना का विश्लेषण करने पर देखा गया कि इसमें तीन मूल षट्क तत्त्व होते हैं—1. मूल प्रवृत्ति (धातु/प्रातिपदिक), 2 प्रत्यय तथा 3 विभक्ति-चिह्न । इन्हीं तत्त्वों के आधार पर शब्दों के व्याकरणिक सम्बन्धों की अभिव्यक्ति की जाती है; यथा संस्कृत तथा ग्रीक के समानान्तर रूपों दासि एव दोसि के विश्लेषण से पता चलता है कि इनमें क्रमशः १ दा-+तर(तु)+ई (डि) एव दो+तोर्+इ इन तीन-तीन तत्त्वों के समावेश से इनके ये सविभक्तिक रूप निष्पन्न होते हैं । इसके अतिरिक्त इस परिवार की ये प्राचीन भाषाएँ मूलतः एक रूप में पाई जाती हैं जो कि मूल भाषा की मूलतः प्रकृति का सबूत देती हैं । इसके विपरीत अन्य परिवारों—द्विद्व, तुर्की आदि की भाषाएँ विश्लेषणात्मक प्रकृति के रूप में पायी जाती हैं ।

इसी प्रकार अनेक क्रिया रूपों, विशेषकर भूतकालिक क्रिया रूपों में संस्कृत, ग्रीक आदि में एक-एसी विशेषता पायी जाती है जो कि इस भाषा परिवार के अतिरिक्त और कहीं नहीं पायी जाती । हम देखते हैं कि संस्कृत में कुछ गणों में तथा परोक्ष भूतार्थक लिट् लकार के रूपों में धातु की मूल प्रकृति को द्वित्व करके रूप गणना की जाती है, यथा √धा (जुहां०) > दधाति (लट्), दधौ (लिट्), √दा > ददाति (लट्), ददौ (लिट्) । ग्रीक में भी इसी प्रकार धातु को द्वित्व करके ही रूप रचना की जाती है, यथा—तेथेत (tethetai) < √थे, देदोतई (dedotai) < √दो, पेफुका < √फु, तिथेमि < √थे आदि ।

इस प्रकार के शब्दों के तुलनात्मक अध्ययन से एक बड़ी महत्वपूर्ण भाषायी प्रकृति सामने आई जिसे कि भाषा शास्त्रियों ने 'अपभ्रुति' (ablaut) कहा है । ध्वनिपरिवर्तन सम्बन्धी यह विशेषता दो रूपों में देयी जा सकती है—एक गुणात्मक (qualitative) रूप में तथा दूसरी मात्रात्मक (quantitative) रूप में । गुणात्मक अपभ्रुति के कारण होने वाले विभाग में एक ही मूल स्वर किसी भाषा में किसी एक स्वर के रूप में तथा किसी अन्य भाषा में किसी अन्य ही मूल स्वर के रूप में पाया जाता है तथा मात्रात्मक अपभ्रुति के विभाग में मूल स्वर

विभिन्न भाषाओं में विभिन्न मात्राओं (शून्य, ह्रस्व, साधारण तथा दीर्घ) के रूप में पाया जाता है। संस्कृत में गुणात्मक अपश्रुति तो नहीं, पर मात्रात्मक अपश्रुति अपने सभी रूपों में पायी जाती है यदा भारः भरामि, भृति। अपश्रुत्यात्मक विश्लेषण के अनुसार इसका मूलरूप भर् (मूल भा भेर (bher) माना गया है। यहाँ पर मूल रूप भर् के अको मूल भारोपीय ए का अनुरूपी माना गया है। इसी का दीर्घमात्रिक रूप है भार तथा साधारण (ह्रस्व) मात्रिक रूप पाया जाता है— भरामि के भरे में। एव शून्य रूप है भृति, जिसमें कि अ स्वर का कोई निह्न अवशिष्ट नहीं पाया जाता है। इसीलिए इसे शून्य रूप (zero grade) कहा गया है। हमारे भारतीय वैयाकरणों ने इन्हें ही क्रमशः वृद्धिरूप (भारः) गुण रूप (१/भृ>भर्) तथा मूल रूप (१/भृ) कहा है। पाश्चात्य भाषा-शास्त्रियों ने हमारे गुणरूप (भर्-) को मूल रूप तथा हमारे मूल रूप (भृ) को शून्य रूप (स्वराभाव रूप) कहा है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि संस्कृत के अध्ययन ने इन भाषाविदों को इस विशाल भाषा परिवार की विभिन्न भाषाओं के बीच के आन्तरिक सम्बन्धों को प्रकाश में लाने में प्रमुखतम योगदान किया।

पारिवारिक नामकरण—इस वर्ग की भाषाओं को दिये जाने वाले इस पारिवारिक नामकरण का भी एक लम्बा इतिहास है। जिसने प्रस्तुत नाम को सर्वप्रथम रूप में स्वीकृत किये जाने से पूर्व और भी अनेक नामों का प्रस्ताव किया गया था किन्तु वे विभिन्न कारणों से सर्वमान्य न हो सके।

सर्वप्रथम इन भाषाओं के लिए शैवमम्पुलर के द्वारा जो नाम प्रस्तावित किया गया था वह था 'आर्यन्'; किन्तु इसे स्वीकार करने के सम्बन्ध में जो आपत्तियाँ सामने आयी वे थी—

1. कि इस शब्द का सम्बन्ध एक जाति (Race) विशेष के साथ है तथा इस वर्ग की भाषाओं को बोलने वाले सभी लोग इस जाति से सम्बन्ध नहीं।

2. कि आर्यों का सम्बन्ध मुख्यतः भारत ईरान के साथ ही रहा है अतः इस उपशाखा के लिए ही इसका यह नाम अधिक उपयुक्त होगा।

इसके बाद जो दूसरा तथा किञ्चित् व्यापक नाम प्रस्तावित किया गया वह था 'हिन्द-अर्यन्' (इण्डो-जर्मनिक)। इस नाम का प्रस्ताव भी जर्मन विद्वानों की ओर से ही किया गया था, क्योंकि उन्होंने ने इस क्षेत्र में सर्वाधिक कार्य किया था। इसकी उपयुक्तता के सम्बन्ध में यह कहा गया कि एक तो यह किसी जाति विशेष का सन्केत नहीं तथा दूसरे इसमें इन भाषा के प्रयोग क्षेत्र के दोनों छोरों का सन्केत होता है जोकि इसके प्रयोग के पूर्वी तथा पश्चिमी छोर कहे जा सकते हैं। यह

नाम कुछ समय तक तो चला किन्तु भाषिक अध्ययनों के फलस्वरूप देखा गया कि दक्षिणी यूरोप के देशों—यथा इटली, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, रूमानिया आदि में भी इसी वर्ग की भाषाएँ बोलੀ जाती हैं, जिनका समावेश न तो आर्य उपवर्ग में होता है और न जर्मन उपवर्ग में। साथ ही इसकी पश्चिमी सीमा के सम्बन्ध में भी देखा गया कि कैल्टिक परिवार की भाषाएँ (इंग्लैंड, स्काटलैंड, आयरलैंड की भाषाएँ) जो कि एक स्वतन्त्र उपवर्ग बनाती हैं, उपर्युक्त भौगोलिक सीमा से और अधिक पश्चिम में पड़ने से इसके अन्तर्गत नहीं जा सकती। अतः यह नाम भी अधिक प्रचलित व स्थायी न हो सका। यद्यपि जर्मन विद्वान अभी भी इस परिवार का संकेत बोध इसी नाम में करना अधिक पसन्द करते हैं, किन्तु द्वितीय महायुद्ध के उपरान्त जर्मनी के प्रति यूरोप के अन्य राष्ट्रों का मद्भाव न रहने में वहाँ के लेखकों ने इस नाम का परित्यक्त करना आरम्भ कर दिया था एवं अन्ततोगत्वा इसका पूर्ण बहिष्कार हो गया।

इसके बाद फ्रेंच भाषा का नाम—भारत-यूरोपीय (Indo-European) का प्रस्ताव हुआ। इस नाम पर न्यूनतम आपत्ति होने के कारण यह काफी प्रचलित हो गया, यद्यपि भौगोलिक सीमाओं की दृष्टि में इसमें भी उन सभी प्रदेशों का समावेश नहीं होता जो कि यूरोप के क्षेत्रों से बाहर हैं तथा जिनमें इस परिवार की भाषाओं का प्रयोग होता है, यथा अमेरिका, आस्ट्रेलिया तथा अफ्रीका के वे भाग जहाँ अफ्रेजी फ्रेंच आदि भाषाएँ बोलੀ जाती हैं। क्योंकि इन भाषाओं का मूल क्षेत्र यूरोप ही है अतः उस प्रश्न पर विशेष आपत्ति नहीं की जाती।

किन्तु इस शताब्दी के प्रारम्भ में भारत-ईरानी तथा यूरोपीय क्षेत्रों से बाहर कुछ ऐसे भाषिक माध्यम आये जिनके फलस्वरूप 'भारोपीय' नाम की अख्याप्ति स्पष्ट थी। ये थी—(1) चीनी तुर्किस्तान में प्राप्त तोङ्गारी की भाषिक सामग्री तथा तुर्की के बोगाज़ कोर्ट नामक स्थान में प्राप्त हित्ती की भाषिक सामग्री। क्योंकि ये दोनों ही भाषाएँ भारोपीय के उपरिनिष्ठ भौगोलिक क्षेत्रों की सीमाओं से बाहर क्षेत्रों में पायी गई हैं अतः इनका समावेश उपर्युक्त भौगोलिक नाम में नहीं होना है। इसलिए कुछ विद्वानों की ओर से इसके लिए भारत-हित्ती (Indo-Hittite) नाम का प्रस्ताव भी आया जो कि निष्पक्ष दृष्टि में विचार करने पर अधिक उपयुक्त भी प्रतीत होता है। परन्तु यह नाम भी अधिक न चल सका, कारण कि एक तो इनके प्रस्ताव में पूर्ण ही 'भारोपीय' नाम काफी प्रचलित हो चुका था दूसरे नई खोजों के साथ नई सीमाओं के उपलब्ध होने पर भाषिक परिवारों के नामों को बदलने रहना अधिक बुद्धिमत्ता का कार्य नहीं। क्योंकि कोई भी नाम किसी व्यक्ति या वस्तु में सम्बद्ध सभी गुण-धर्मों का बोधक नहीं हो सकता। उस मर्यादित शब्द में किसी व्यक्ति या वस्तु विशेष का बोधक हो पही

पर्याप्त होता है। इसी दृष्टि से इस नाम को अब प्रायः सभी देशों के विद्वानों ने सिद्धान्ततः स्वीकार कर लिया है।

भारोपीय परिवार का महत्त्व—भाषा वैज्ञानिक अध्ययनों, विशेषकर ऐतिहासिक तथा तुलनात्मक अध्ययनों में भारोपीय परिवार की भाषाओं का विशेष महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है। क्योंकि इस प्रकार के भाषिक अध्ययनों के लिए जितनी पुरातन तथा अधिकृत सामग्री इस वर्ग की भाषाओं के पुरातन भण्डारों में उपलब्ध होती है उतनी और किसी में नहीं, अर्थात् इस परिवार की संस्कृत, ग्रीक, लैटिन आदि भाषाएँ ऐसी हैं जिनमें ईसा की कई शताब्दियों पूर्व से एक अटूट साहित्यिक परम्परा पायी जाती है जो कि इनके विकास-क्रम और स्वरूप का निर्धारण करने के लिए एक पुष्ट प्रमाण के रूप में उपलब्ध होती है। ऋग्वेद विश्व का सबसे पुराना साहित्यिक ग्रन्थ तो है ही पर साथ ही भाषा की दृष्टि से भी विश्व में भाषा का सबसे अधिक प्राचीन लेखा-जोखा प्रस्तुत करता है। इतना ही नहीं इन भाषाओं में अनि प्राचीन काल से ही भाषा की दृष्टि से भी विचार किया जाता रहा है। 'प्रातिशाख्य' इस दिशा में किए गए प्रयासों के प्राचीनतम रूप हैं। ग्रीक और लैटिन में भी भाषा के स्वरूप व प्रकृति के सम्बन्ध में काफी प्राचीन काल से विचार किया जाता रहा है।

साहित्यिक दृष्टि में भी इस परिवार की भाषाओं में जितना प्राचीन समृद्ध तथा विविधतापूर्ण साहित्य उपलब्ध होता है उतना और किसी में नहीं।

इस परिवार की भाषाओं को बोलने वाले लोग, न केवल विश्व के अधिकतम भूभागों में रहते हैं अपितु सभ्यता एवं संस्कृति के विषय में औरों में आगे रहे हैं। फलतः जब भाषिक अध्ययनों का प्रारम्भ हुआ तो इन्हीं लोगों ने इनका नेतृत्व किया। इतना ही नहीं विश्व के अनेक भूभागों में इन भाषाओं के प्रसार का कारण इनके बोलने वालों का क्षेत्रीय तथा राजनीतिक प्रसार भी रहा है। यही कारण है कि आज व्यापकता तथा जनसंख्या की दृष्टि से इस परिवार की भाषाओं का व्यवहार करने वालों का स्थान सर्वोपरि है। इसीलिए भाषा विज्ञान के क्षेत्र में जितना अधिक एवं विविध आयामी अध्ययन एवं तुलनात्मक अनुसंधान इस वर्ग की भाषाओं के विषय में हुआ है उतना विश्व के किसी अन्य वर्ग की भाषाओं के सम्बन्ध में नहीं। सच तो यह है कि भाषा वैज्ञानिक अध्ययनों का सारा महत्त्व इसी भूमि पर उड़ा किया गया है।

मूल भारोपीय के पुनर्गठन में संस्कृत का योग—पिछले पृष्ठों में बताया जा चुका है कि पिछली शताब्दी में संस्कृत के पाश्चात्य भाषाविदों के परिचय से भाषा विज्ञान के क्षेत्र में एक नये युग का प्रारम्भ हुआ जिसमें कि एशिया तथा यूरोप की प्रमुख भाषाओं के विकास एवं पारस्परिक सम्बन्धों पर नये सिरे से विचार किया गया। तुलनात्मक भाषा विज्ञान के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व उत्साह के साथ

अनेक नवीन तथ्यों को सामने लाया गया तथा उनकी अनेक भाषायी उलझनों को मुलझाया गया। किन्तु इन सबकी जो सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण देन बही जा सकती है वह है इन भाषाओं के लिए एक मूल स्रोत की कल्पना। अन्ततोगत्वा इन अध्ययनों से पूर्व एक तो कभी ऐसे एक मूल की कल्पना सम्भव न हो सकती थी तथा दूसरे इस मूल रूप की प्रकृति को समझने तथा उसका पुनर्गठन करने में जो महायत्ना संस्कृत में मिलीं, वह प्राक तथा लैटिन से भी अधिक महत्त्व की जानी जाती हैं। इसका स्पष्ट कारण यह है कि विश्व की इस महान खोज का प्रमुख ध्येय संस्कृत को ही जाना है, क्योंकि संस्कृत की भाषायी सामग्री का पुरातनतम रूप केवल वैदिक भाषा में ही सुरक्षित रह पाया है। इसलिए इस परिवार की भाषायी विशेषताओं का प्राचीनतम रूप इन्हीं में देखी जा सकता है जो कि तत्कालीन विकास का प्रत्यक्ष रूप में तथा पूर्ववर्ती विकास की दिशा का अप्रत्यक्ष रूप में निर्देश करता है। इस परिवार की अन्य भाषाओं के साथ इसकी तुलना करने तथा इस आधार पर पुनर्गठित इसके मूलरूपों से इसकी तुलना करने पर स्पष्ट हो जाता है कि इसमें ही मूल भारतीय की ध्वनियों एवं संरचना का सबसे अधिक विश्वसनीय रूप में संरक्षण हो पाया है। इसलिए मूल भारतीय के पुनर्गठन में संस्कृत का महत्त्व स्वयं सिद्ध है।

भारतीय भाषाओं का वर्गीकरण

भारतीय वर्ग की भाषाओं की उत्पत्ति तथा प्रसार के सम्बन्ध में निश्चित रूप में अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता है। विद्वानों का अनुमान है कि मूल में किसी प्रदेश विशेष में रहने वाला यह एक भाषिक समुदाय रहा होगा जो कि कभी कारण वर्ग एशिया तथा योरोप के भूभागों में फैलता गया। इसका मूल क्षेत्र कौन प्रदेश या इसके विषय में काफी मनभेद है, किन्तु काल के विषय में अनुमान किया जाता है कि इसका पूर्वी अथवा पश्चिमी प्रसार काल्य युग अर्थात् 3000 ई० पू० के लगभग प्रारम्भ हुआ होगा।

भाषिक भाष्यों के आधार पर भारतीय मूल में विभिन भाषाओं का वर्गीकरण दो रूपों में किया जाता है। एक वर्गीय विभाजन के रूप में तथा दूसरा सांगीय विभाजन के रूप में। जिनका मक्षिण परिषय इस प्रकार है—

वर्गीय विभाजन—इस परिवार की विभिन्न भाषाओं में पायी जाने वाली कतिपय ध्वन्यात्मक प्रकृतियों के आधार पर अनुमान किया जाता है कि मूल भारतीय की दो विभागाएँ थीं जिनकी अपनी-अपनी कतिपय प्रकृतियाँ थीं जो कि उनके बोलने वालों के साथ ही स्थानान्तरित होनी रहीं और जिनका प्रतिबिम्ब उनके विभिन्न विभिन्न कालिक भाषिक रूपों में बना रहा तथा इन भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययनों के पारम्पर्य उभरकर सामने आया। उनकी ये समानांतर

प्रवृत्तियाँ एकाधिक रूपों में दिखाई देती हैं किन्तु जिन शब्द-रूपों के आधार पर अस्कौली (Ascoli) नामक विद्वान ने 1870 में सर्वप्रथम विद्वानों का ध्यान इस तथ्य की ओर आकृष्ट किया था, वे थे 'सौ' की संख्या के लिए प्रयुक्त किये जाने वाले शब्द। उसने देखा कि कुछ भाषाओं में तो 'सौ' के वाचक शब्द की प्रारम्भिक ध्वनि ऊष्म (स, श्) है तथा कुछ में कण्ठ्य (क्)। इस ध्वनितत्त्व का गहराई के साथ विश्लेषण करने पर वह इस तथ्य पर पहुँचा कि भाषिक पुनर् रचनाओं के आधार पर यह ध्वनि मूलतः कण्ठ्य (कण्ठ्य एव कण्ठ्य-तालव्य) होनी चाहिए जो कि कुछ भाषाओं में तो यथा-मूल बनी रही तथा कुछ में ऊष्म/सधर्षी ध्वनियों में विकसित हो गयी।

आस्कौली के द्वारा दिये गये इस संकेत सूत्र को लेकर 'वान ब्रेडले' नामक जर्मन विद्वान ने इस विषय में और अनुसन्धान करके पहले तो *क्यम्टोम *(kmytom) के रूप में मूल-भारोपीय रूप की कल्पना की तथा फिर एक ओर अवेस्ता के 'सौ' के वाचक शब्द 'सतम्' तथा दूसरी ओर लैटिन के 'केन्तुम्' शब्द को लेकर इन्हीं के नाम पर 'सतम्' और 'केन्तुम्' नाम से दो वर्गों की स्थापना की। जिसके अनुसार मूल-भारोपीय की कण्ठ्य-तालव्य ध्वनि *क्य केन्तुम्-वर्ग की भाषाओं में तो कण्ठ्य ध्वनि (क्) के रूप में विकसित हो गयी तथा 'सतम्' वर्ग की भाषाओं में इसका विकास मोष्म अथवा सोष्म-संधर्षी ध्वनियों (श्, श्, ङ्) के रूप में हुआ। जिसे निम्नलिखित रूप के उदाहृत किया जा सकता है।

सतम् वर्ग

अवेस्ता—सतम्
फारसी—सद्
संस्कृत—शतम्
रुमी—स्तो (स्लाविक)
बुल्गारियन—सुतो
वाल्तिक—ज़िम्तस्
लिथुआनियन—सिज़्मत्स

केन्तुम् वर्ग

लैटिन—केन्तुम्
ग्रीक—हेक्तोन्
इतालवी—केन्तो
फ्रांसीसी—केन्त
ग्रीटेन—केन्त
केल्टिक—केत्
तोखारी—कन्त (कन्ध)
गोतिक—बयुद्
प्रा० आइरिश—केत्

इसी के समान ही कल्पित अन्य शब्दों में भी इसी प्रकार की नियमित द्वैधता की जिन प्रवृत्तियों ने उपर्युक्त अनुमान की पुष्टि करने में साहाय्य प्रदान किया उसमें से कुछ इस प्रकार हैं—

सौ के वाचक शब्दों के समान ही 'दस' तथा 'सात' के वाचक शब्दों में भी

देखा गया कि मूल भारोपीय के स्वररत्मक पदान्त म् तथा न् केन्तुम् (लैटिन) में तो पदान्त स्वर के साथ सुरक्षित है किन्तु सतम् (संस्कृत) में लुप्त हो गये हैं—

मूल भारोपीय	लैटिन	संस्कृत
देकम् (dekam)	देकेम् (Decem)	दश
सेप्टन (Septem)	सेप्टेन	सप्त

ऐसे ही मूल भारोपीय कण्ठोष्ठ्य ध्वनियों के सम्बन्ध में देखा गया कि 'केन्तुम्' में तो ये ज्यों की त्यों सुरक्षित हैं किन्तु 'सतम्' में इनका विकास शुद्ध कण्ठ्य ध्वनियों के रूप में हो गया है—

मूल भारो०	सतम्	केन्तुम्
क्वम	संस्कृत-कः (कस्)	क्षे० क्विस् (quis)
	लिथु० कस्	हिती—क्विम्

तुलनात्मक विश्लेषण की पद्धति से उपलब्ध उपर्युक्त मास्यों के आधार पर यह मानने में कोई आपत्ति नहीं रह जाती कि मूल भारोपीय की कम से कम दो प्रमुख विभाषाएँ थी जिनकी भिन्न-भिन्न प्रवृत्तियों का प्रतिबिम्बन उपर्युक्त रूपों में देखा जा सकता है तथा जिन्हें छेड़ने में सुविधा के लिए दो शब्दों के आधार पर 'सतम्' तथा 'केन्तुम्' नाम दे दिये जा सकते हैं।

केन्तुम् वर्ग के अन्तर्गत आने वाली हिती तथा तोयारी भाषाओं की छोड़ से पूर्व तब इन वर्गों को पूर्वी (सतम्) तथा पश्चिमी (केन्तुम्) वर्ग भी कहा जाता था किन्तु अब क् ध्वनि से प्रारम्भ होने वाली इन पूर्वी वर्गों की भाषाओं की छोड़ के बाद यह विभाजन निराधार हो गया है।

अब तक की उपलब्धियों के अनुसार सम्पूर्ण भारोपीय भाषाओं का यह द्विविध वर्ग विभाजन इस प्रकार बनता है—

सतम्—आर्य या भारत-ईरानी, बाल्ती-स्लाव, अल्बानी, आर्मीनी।

केन्तुम्—इतालवी, ग्रीक, जर्मनिक, केल्टिक, हिती एवं तोयारी।

शास्त्रीय विभाजन—शास्त्रीय विभाजन की दृष्टि से भारोपीय परिवार की भाषाओं का विभाजन जिन 10 प्रमुख शाखाओं में किया जाता है उनके नाम हैं—
1 आर्य या भारत-ईरानी, 2 आर्मीनी, 3 अल्बानी, 4 बाल्ती-स्लाव (मानी-स्लावी), 5 ग्रीक, 6 इतालवी, 7. केल्टिक, 8. जर्मन (ट्यूटानी), 9 तोयारी 10 हिती।

इनका गतिष्प परिचय इस प्रकार है—

1 भारत ईरानी शाखा

इस शाखा की दो प्रधान उप शाखाएँ हैं—(अ) भारतीय शाखा, (ब) ईरानी

शाखा। इनके अतिरिक्त इसकी एक और शाखा भी है जिसे कि दरद शाखा कहा जाता है।

(अ) भारतीय शाखा—समस्त उत्तर मध्य भारत में बोली जाने वाली सभी आर्य भाषाएं एब वोलिया इसी वर्ग के अन्तर्गत आती हैं। भारत के अन्य भाषा वर्ग द्रविड परिवार से इसकी पृथक्ता जतलाने के लिए इसे 'आर्यभाषा परिवार' के नाम से अभिहित किया जाता है। इसमें इस परिवार को प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक आर्य भाषाएं सम्मिलित की जाती हैं। वैदिक सस्कृत के रूप में इसका प्राचीनतम रूप कम से कम ढाई तीन हजार वर्ष पूर्व से सुरक्षित पाया जाता है। यही भाषा साहित्यिक सस्कृत, पाली, प्राकृत एवं अपभ्रंशों के रूप में विकसित होती हुई आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के रूप में हमारे सामने आती हैं। इसका प्राचीनतम रूप ऋग्वेद की भाषा में पाया जाता है जोकि ईरानी वर्ग के साथ इसकी निकटता पर प्रकाश डालता है तथा उसका यही रूप है जोकि मूल भारोपीय के पुनर्गठन में हमारी सहायता करता है।

(ब) ईरानी शाखा—इसका प्राचीनतम रूप पारसियों की धर्म पुस्तक अवेस्ता में पाया जाता है जिसका समय ईसा से लगभग 800 वर्ष पूर्व माना जाता है। यह अपनी शब्दावली तथा रूप-रचना दोनों ही दृष्टियों में वैदिक सस्कृत के अति निकट है। इनमें इतनी निकटता है कि नियमित ध्वनि नियमों के आधार पर एक भाषा को दूसरी में परिवर्तित किया जा सकता है, दोनों में ही मूल भारोपीय ध्वनियों का समान रूप में विकास देखा जाता है।¹

अवेस्ता के अतिरिक्त इसका एक अन्य प्राचीन रूप अकेमैनियन राजाओं (500 ई०पू०) के क्यूनिफॉर्म लिपि में अंकित शिलालेखों में भी पाया जाता है। इसका परवर्ती विकास पहलवी के रूप में हुआ, जिसमें कि अवेस्ता की टीकाएं तथा अन्य साहित्य पाया जाता है। आधुनिक फारसी, पश्तो, बलूची, कुर्दिश आदि इन्हीं के विकसित रूप हैं।

2 अल्बेनियन—(इलीरी) यह 'इलीरी' नामक एक प्राचीन भाषा की एकमात्र अवशिष्ट उपभाषा है। इसका क्षेत्र आधियातिक सागर के पूर्व में स्थित पहाड़ी प्रदेश है। इस शाखा का कोई प्राचीन लिखित रूप उपलब्ध नहीं होता। चौदहवीं शताब्दी के बाद से ही इसके साहित्य की उपलब्धि होने लगती है। इसमें पूर्व के इसके रूप को जानने तथा इसके क्रमिक भाषायी विकास के रूप को निर्धारित करने के लिए ऐतिहासिक मामलों की न्यूनता पायी जाती है। ग्रीक, स्लाव तथा तुर्की के भाषिक सम्पर्कों के कारण इसमें इतने अधिक भाषिक परिवर्तन हो गये हैं कि प्रारम्भ में भाषा विज्ञानी इसे भारोपीय परिवारों की भाषाओं में परिगणित करने में संकोच करते थे।

1. देखो पृ० 112 आदि।

3 आर्मेनियन—आर्मेनियन में अल्बेनियन की अपेक्षा अधिक प्राचीन भाषायी सामग्री उपलब्ध होती है अर्थात् इसमें ईसा की पाचवीं शताब्दी के बाद निरन्तर साहित्य की उपलब्धि होने लगती है। जिसके कारण इसके भाषायी विकास को अधिक स्पष्टता के साथ देखा जा सकता है। फ्रेंच भाषाविद् मेये ने इसका भाषा शास्त्रीय अध्ययन करके इसके भाषीय स्वरूप तथा अन्य भाषाओं के साथ इनके सम्बन्धों पर अच्छा प्रकाश डाला है। इसमें ईरानी शब्द पर्याप्त मात्रा में पाये जाते हैं। इसकी आधुनिक बोली 'स्तबुल' है जो कुस्तुनुनिया तथा कृष्ण मागर में तट पर बोली जाती है। धर्म भाषा के रूप में अब भी पुरोहित वर्ग द्वारा इसका प्रयोग होता है।

4 बाल्तोस्लाव—'सतम्' वर्ग की अन्य महत्वपूर्ण भाषा है बाल्तोस्लाव। इसकी भी दो प्रमुख उपभाषाएँ हैं—1. बाल्तिक, 2. स्लावानिक। बाल्तिक भाषा का प्राचीन साहित्य तो उपलब्ध नहीं होता, किन्तु मध्यकाल में इसकी तीन विभाषाओं—लियुआनियन, लेत्तिश या लेत्सी तथा प्रशियन का पता लगता है। भाषा शास्त्रीय दृष्टि से इनमें लियुआनियन का विशेष महत्व समझा जाता है क्योंकि भारतीय परिवार की भाषाओं में लियुआनियन में ही प्राचीन भारतीय की प्रकृति सबसे अधिक सुरक्षित रूप में पायी जाती है। इसमें अब भी द्विवचन के चिह्न अवशिष्ट हैं तथा विभक्तियों की दृष्टि से भी मस्कून के बाद इगी का स्थान आता है। मस्कून में गान (आठ) विभक्तियाँ हैं तो इसमें छ। भूम भारतीय ध्वनियों की दृष्टि में भी इसमें अन्य यूरोपीय भाषाओं की अपेक्षा सर्वाधिक ध्वनियों सुरक्षित पायी जाती हैं। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि में दोनों ही अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। साहित्य 16वीं शती के बाद का मिलता है।

स्लावानिक का प्राचीनतम रूप नवीं शताब्दी की प्राचीन बुल्गारियन में मिलता है। इसकी कई उपभाषाएँ हैं जिनमें से उल्लेखनीय हैं—प्राचीन बुल्गारियन अथवा प्राचीन चर्च स्लावानिक, रूसी, पोलिश, चेक, सर्बो-क्रोशियन आदि। प्रा० चर्च स्लाव में भी नवीं शताब्दी से बारहवीं शताब्दी तक का साहित्य उपलब्ध होता है। भाषा शास्त्रीय अध्ययन की दृष्टि में यह विशेष महत्व का समझा जाता है, क्योंकि इसी के आधार पर बाल्तोस्लावानिक के मध्यकालीन रूपों का अनुमान एवं पुनर्गठन किया जा सकता है। स्लावी भाषाएँ सस्कृत के समान ही निम्नष्ट योगात्मक अथवा शिथिल प्रधान हैं। शब्द रूपों एवं धातु रूपों की रचना भी मस्कून के ही समान की जाती है।

5. ग्रीक—हेरुमु वर्ग की भाषाओं में इसका विशेष महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि भारतीय परिवार में सस्कृत के बाद यही एक भाषा है जिसमें विश्व प्राचीन साहित्य उपलब्ध होता है। होमर साहित्य का रचना काल 850 ई० पूर्व माना जाता है जो कि वैदिक काल से निःसृत बाद का समझा जाता है।

तब से इस भागमें संस्कृत के समान ही बराबर साहित्य का सृजन होता रहा है। इसकी दो प्रमुख उप शाखाएं मानी जाती हैं, (1) पूर्वी ग्रीक तथा (2) पश्चिमी ग्रीक। होमर की कृतिया पूर्वी ग्रीक में ही हैं। इसे ही ऐतिक या आयोनिक भी कहा जाता है। इसी से आधुनिक ग्रीक का विकास हुआ है। पश्चिमी शाखा की प्रमुख बोली डोरिक (Doric) थी। जिसका आगे विकास नहीं पाया जाता है। जिस प्रकार माना जाता है कि मूल भारोपीय के व्यंजनों का सर्वाधिक सरक्षण संस्कृत में हुआ है उसी प्रकार स्वरों के सम्बन्ध में माना जाता है कि इनका सरक्षण ग्रीक में सर्वाधिक हुआ है। शब्द-रचना तथा विभक्ति प्रत्ययों की दृष्टि से भी यह संस्कृत के निकट है। लिंग तीन हैं किन्तु वचन दो ही।

6. इतालिक :—भारोपीय परिवार में इतालिक की स्थिति संस्कृत तथा ग्रीक के ही समान महत्त्वपूर्ण है। इसका प्राचीन साहित्य 200 ई० पूर्व से उल्लेख होने लगता है। इसकी मुख्य शाखा लैटिन में मूल भारोपीय की रूप-रचना को संस्कृत, ग्रीक के ही समान सुरक्षित रखा गया है। इसी के बाद फ्रेंच, स्पेनिश, इटालियन, रूमानियन, पोतर्गोज आदि आधुनिक भाषाओं का विकास हुआ है। जिन्हें सामूहिक रूप से रोमान भाषाएं कहा जाता है। लैटिन अभी भी रोमन कैथोलिक सम्प्रदाय की धर्म भाषा है, योरोप की भाषाओं पर इसका बड़ा प्रभाव है। फ्रांसीसी तथा इतालवी का साहित्य काफी समृद्ध है। रोमन जाति के लोगों के द्वारा योरोप पर प्रभुत्व कायम करने से पूर्व तक योरोप के बहुत बड़े भूभाग ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, उत्तरी इटली में लेकर एशिया माइनर एवं आधुनिक तुर्की तक केल्टिक जाति के लोगों का तथा उनकी भाषा का बालबाला था, किन्तु रोमनों के प्रभुत्व के साथ ही उनकी जाति का तथा भाषा का ह्रास हो गया।

7. केल्टिक :—केल्टिक शाखा की तीन प्रमुख उप शाखाएं हैं (1) गेलिक (2) गालिश एवं (3) ब्रितेनिक। इनमें से गालिश की सत्ता छठी शताब्दी के बाद नहीं पायी जाती। इसमें केवल छह शिलालेख ही पाये जाते हैं। गेलिक से ही आधुनिक भाषाओं—आयरिश, स्कॉट, गेलिक, मानस आदि का विकास हुआ है। इसमें साहित्यिक दृष्टि से आयरिश का विशेष महत्त्व है। इसका साहित्य ईसा की पाचवी शताब्दी से उल्लेख होने लगता है। ब्रितेनिक उपभाषा का आधुनिक वेल्श एवं ब्रिटेन (ब्रिटेन) के रूप में विकास पाया जाता है। इनमें वेल्श साहित्यिक दृष्टि से काफी समृद्ध है तथा ईसा की नवी शताब्दी से इसका साहित्य उपलब्ध होने लगता है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से केल्टिक को इस परिवार की भाषाओं में सबसे अधिक कठिन तथा अत्यन्त अस्पष्ट माना जाता है।

8. जर्मन या द्यूटानिक :—इस शाखा की उप शाखाओं को तीन वर्गों में विभक्त किया जाता है—(1) पूर्वी जर्मन या गॉथिक (2) उत्तरी जर्मन या स्केण्डि-

नेविस्न (3) पश्चिमी जर्मन । पूर्वी जर्मन की कोई भाषा जीवित नहीं रही । इसकी प्राचीन भाषा गॉथिक वा भारोपीय भाषाशास्त्र के अध्ययन के लिए विशेष महत्त्व है । इस दृष्टि में इस भाषा में अनूहित चतुर्थ शताब्दी के वाइकिंग वा नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है । उत्तरी जर्मन उपशाखा के केवल कुछ प्राचीन शिलालेख ही अवशिष्ट रह पाये हैं । इसका परवर्ती साहित्यिक रूप प्राचीन नोर्मे या प्राचीन आइसलैण्डिक के रूप में उपलब्ध होता है । इसी से आधुनिक स्वीडिश, डेनिश, नार्वेजियन तथा आईसलैण्डिक भाषाओं का विकास हुआ है ।

पश्चिमी जर्मन उपशाखा की दो प्राचीन शाखाएँ पायी जाती हैं (1) उच्च जर्मन तथा (2) निम्न जर्मन । उच्च जर्मन का विकास आधुनिक उच्च एव पलेमिश (बैल्जियम की भाषा) के रूप में हुआ है तथा निम्न जर्मन का विकास अप्रेजी तथा फ्रीजियन उपवर्गों की आधुनिक भाषाओं में । इसमें गारित्यिक दृष्टि से प्राचीन अप्रेजी (ऐंग्लो सेक्सन) का विशेष महत्त्व है । इसी से आधुनिक अप्रेजी का विकास हुआ ।

9. तोलारियन :—भारोपीय परिवार की इस भाषा की शाखा का पता आधुनिक काल में ही लगा है । हाल ही में 1904 में चीनी तुबिस्तान में भूमि में सुरक्षित कुछ बौद्ध साहित्य तथा आयुर्विज्ञान से सम्बद्ध हस्तलेख प्राप्त हुए थे जिनका लेखन काल ईसा की छठी शताब्दी से दशवीं शताब्दी के बीच माना जाता है । ये लेख दो उपभाषाओं में पाए जाते हैं, पर इन दोनों की ही बहू के विषयो 'तुघार' य 'तुघार' जाति के लोगों के नाम पर 'तुघारी' के नाम से अभिहित किया जाता है । इसमें अनेक शब्द ऐसे हैं जो कि भारोपीय परिवार की प्राचीन भाषाओं के शब्द रूपों के साथ अति निकट साम्य प्रकट करते हैं । यथा पातर = सं० पितृ, मातर = सं० मातृ, ओक्त = सं० अष्ट । यह भाषा यद्यपि भौगोलिक दृष्टि से 'सतम्' वर्ग की भाषाओं में पड़ी हुई है तथापि इसमें 'मै' का वाचक 'कन्त kant' शब्द होने से इसकी गणना 'केन्तुम्' वर्ग के अन्तर्गत की जाती है । ऐसा समझा जाता है कि ये लोग चीन के सम्ये वास्तु से मध्य एशिया में पडूचे थे । मध्य एशिया में ई० पू० द्वितीय शताब्दी में लेकर सातवीं शताब्दी तक इसका प्रभुत्व रहा जिसे हूणों ने ध्वस्त कर दिया ।

10 हित्ती—तोलारियन के समान ही हित्ती की खोज भी आधुनिक काल की ही देन है । 'केन्तुम्' वर्ग की इस शाखा की खोज भी इसी शताब्दी में हुई थी । तुर्की (अनातोल्या) के 'बोगाजकुई' नामक स्थान पर खंडों पर क्यूनिकामें लिखित कुछ लेख प्राप्त हुए हैं, जो कि ईसा की नवीं शताब्दी से चौदहवीं

शताब्दी पूर्व तक के माने जाते हैं। बोगाजकुई प्राचीन हिती राज्य की राजधानी थी। इसी के नाम पर इस भाषा का नाम भी हिती पड़ा है। भारोपीय परिवार की उपलब्ध भाषाओं में इसे प्राचीनतम अवशेष माना जाता है। इसकी खोज से भारोपीय परिवार की अनेक भाषायी समस्याओं पर नया प्रकाश पड़ा है। इसकी अनेक विशेषताओं के आधार पर कुछ विद्वानों ने प्राचीन 'भारत-हिती भाषा परिवार' की एक कल्पना कर डाली है। इस विषय में प्रोफेसर एडगर एच स्टर्टेवण्ट की पुस्तक 'हिताइट का तुलनात्मक व्याकरण, (Comparative grammar of Hittite, 1933) विशेष रूप से महत्वपूर्ण देन कही जा सकती है। इस अध्ययन के अन्तिम निष्कर्ष के रूप में माना जाता है कि हिती भाषा पुनर्गठित भारोपीय की उसी रूप में उपज नहीं है जिस रूप में कि अन्य प्राचीन भाषाएँ—मस्कृत, ग्रीक, लैटिन आदि हैं। इन विद्वानों के अनुसार यह भाषा भारोपीय की पुत्री नहीं अपितु बर्हिन है, जिन्हे कि किसी प्राग्भारोपीय की पुत्रिया कहा जा सकता है। प्रो० बरो के अनुसार यह भारोपीय भाषाओं में प्राचीनतम उपलब्ध सामग्री है।

मूल भारोपीय ध्वनियों के पुनर्गठन के समान ही हिती भाषा और ध्वनियों का भी कल्पनाश्रयी पुनर्गठन किया गया है। ध्वनि प्रक्रिया की दृष्टि से विशेष रुचिकर बात यह है कि इसमें अन्य भारोपीय भाषाओं के समान ट्वर्गीय ध्वनियों का अभाव तो है ही पर साथ ही अन्य वर्गों में भी चार स्पर्श व्यंजनो के स्थान पर तमिल की तरह केवल एक ही अघोष अल्पप्राण स्पर्श (क्, च्, त्, प्) पाया जाता है।

हिती में ह् (=ख्) का प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। हिती के अनेक शब्द रूपों में एक कठ्य ऋम् ध्वनि (spirant) ख् पायी जाती है जिसे कि ह् के रूप में लिखा जाता है। किन्तु भारोपीय के समानार्थी शब्दों में इसके स्थान पर कोई ध्वनि नहीं पायी जाती। यथा—खिती~हिती—एशहर 'रक्त' : सं असूक् : ग्रीक—एओर 'रक्त', हिती-खस्ताइ 'हड्डिया' सं अस्यि : ग्रीक-ओस्तेओन, लै० ओस् आदि।

भारत-हिती की स्वर प्रणाली सम्भवतः भारत यूरोपीय स्वर प्रणाली से बहुत भिन्न थी।¹⁸ इसकी स्वर प्रणाली का अभी सन्तोषजनक रूप से निर्धारण नहीं हो सका है।

ध्वनि विकास की दृष्टि से भारत हिती की ध्वनियों की उल्लेखनीय विशेषता यह है कि इसमें पार्श्ववर्ती दो दन्त्य ध्वनियों के बीच एक शिन् ध्वनि (sibilant) विकसित होने लगी थी त्त, त्थ, द्द, द्ध का विकास त्त, त्त्थ, द्ज्द, द्ज्ध के रूप में हो गया था।

“अनुमानाश्रयी भारत-हिती ने जिनके पुनर्गठन का कार्य अभी चल रहा है, हमें भारत यूरोपीय की ध्वनियों तथा पदों के उद्भव के सम्बन्ध में अनुमान करने का उचित अवसर दिया है।”³ हिती तथा संस्कृत की अनुरूपी शब्दावली के लिए देखिए ‘भारतीय के माष संस्कृत का आन्तरिक सम्बन्ध’।

इन उपर्युक्त प्रमुख वर्गों के अतिरिक्त भारतीय परिवार की और भी अनेक भाषाएँ हैं जो या तो अब लुप्तप्राय हैं या केवल गिलाखेखो आदि के रूपों में ही यत्किञ्चिन् अवशिष्ट रह पायी हैं।⁴

3. बटर्ली, 1963 पृ० 287

4. विवरण के लिए देखो, वही पृ० 8-9

भारोपीय परिवार की भाषाओं की सर्वसामान्य विशेषताएं

यह परिवार भाषाओं तथा विभाषाओं का एक बहुत बड़ा जमघट-सा है जिसके बोलने वाले विश्व के सभी देशों में फैले हुए हैं। जिनमें स्थान व काल के भेद से अनेक प्रकार के विभेद पैदा हो चुके हैं। उन सबका विवरण एकत्र दे पाना कठिन है। फिर भी शब्द भंडार की समानरूपता के अतिरिक्त इस वर्ग की भाषाओं की कतिपय ऐसी संरचनात्मक विशेषताएं हैं जो कि न्यूनाधिक मात्रा में इस परिवार की सभी प्रमुख भाषाओं और विभाषाओं में पायी जाती हैं। उनमें से कुछ का दिशा संकेत निम्नलिखित रूप में किया जा सकता है—

1. विलिप्तयोगात्मकता—इस परिवार की भाषाओं के प्राचीनतम ज्ञात रूपों से पता चलता है कि शरम्भ से ही इसमें विशिष्ट प्रत्ययों के योग से शब्द-रचना हुआ करता था, यथा स० दातरि (दा+तर+ई) : ग्रीक—दोत्रि (दो+तोर+इ) जो कि समय के साथ संश्लिष्टावस्था से विश्लिष्टावस्था की ओर अग्रसर होती रही। फलतः आज कई आधुनिक भाषाएँ पूर्ण या अर्ध विश्लिष्टावस्था को पहुँच

चुकी हैं, यथा संस्कृत से विकसित आधुनिक भारतीय भाषाएँ अथवा ग्रीक या लैटिन से विकसित योरोपीय भाषाएँ ।

2. प्रकृति-प्रत्यय योग—मूलतः धातु या प्रातिपदिक एकाक्षरी थे । पद अर्थात् धातुमूल में एक ही स्वर ध्वनि होती थी, व्यंजन एकाधिक भी हो सकते थे, यथा पठ्=प+ठ+ठ्, चुर=च्+उ+र आदि । पद रचना के लिए प्रकृति तथा प्रत्यय का योग आवश्यक था, किन्तु यह योग प्रकृति के अंत में ही होता था मध्य में नहीं, जैसा कि सेमेटिक वर्ग की भाषाओं में होता है । स्वतन्त्र रूप में प्रकृति का प्रयोग हो सकता था और न प्रत्यय का । इसीलिए महा भाष्यकार भगवान् पतञ्जलि को विधान करना पड़ा “न केवला प्रकृतिः प्रयोक्तव्या न च केवलः प्रत्ययः ।”

3 प्रत्यय विकास—इस परिवार की भाषाओं में प्रयुक्त होने वाले प्रत्ययों के विषय में गमना जाता है कि पहले ये स्वतन्त्र शब्द रहे होंगे किन्तु प्रयोगाधिक्य के कारण इनकी अनेक ध्वनियों का ह्राम ही जाने से उनका प्रयोग प्रत्ययों के रूप में किया जाने लगा ।

4 उपसर्गों की स्थिति—उपसर्गों के सम्बन्ध में भी अनुमान किया जाता है कि पहले इनकी स्थिति भी स्वतन्त्र थी । इनका संयोग पद रचनात्मक रूप में न होकर समस्त पद के अंग के रूप में होता था । इसकी पुष्टि दो रूपों में होती है, एक तो ब्रह्मिक भाषा में इनके स्वतन्त्र प्रयोग के आधार पर तथा दूसरे, समासों में ‘प्रादिभमास’ तथा ‘नन् समास’ जैसे प्रयोगों के आधार पर । यदि ये स्वतन्त्र पदों के समान समास के घटक तत्त्व न होते तो इन्हें इन रूपों में मान्यता देने की आवश्यकता न होती ।

5. द्वित्वीकरण—पद रचना के प्रथम में अभ्यास अथवा द्वित्वीकरण की प्रवृत्ति भी इस परिवार की भाषाओं की धूल प्रवृत्ति प्रतीत होती है । कम से कम ग्रीक तथा संस्कृत में तो इसका पर्याप्त प्राधान्य पाया जाता है । संस्कृत के ‘परोक्ष भूत’ (लिट् लकार) के रूपों में इसे स्पष्टतः देखा जा सकता है, यथा संस्कृत—बभ्राव, बभ्रासि, घोक् वेफुक्, तिथेमि ।

6 अक्षरावस्थापन—अक्षरावस्थापन (Vowel Variation) अर्थात् प्रकृति के स्वर में परिवर्तन करके नवीन शब्दों की रचना इस परिवार की भाषाओं की एक अन्यतम विशेषता है, यथा पुत्र से पोत्र, कुमार से कौमार्य, युवा से यौवन । इसके अतिरिक्त स्वर परिवर्तन द्वारा सम्बन्ध तत्त्व का अवबोधन भी कतिपय भाषाओं में सामान्य रूप में पाया जाता है, यथा अंग्रेजी गीग (sing) गैड (sang) गड (sung) ।

7. सम्प्रसारण रचना—एकलिंगक पदों को समस्त करने की प्रवृत्ति के दर्शन भी इस वर्ग की भाषाओं में प्राचीन काल में ही होने हैं । यद्यपि उनका रूप भिन्न-भिन्न भाषाओं में भिन्न-भिन्न मात्राओं में पाया जाता है । साहित्यिक संस्कृत

इसका जटिलतम रूप प्रस्तुत करती है। ग्रीक में भी समस्त पदों की स्थिति पर्याप्त मात्रा में पायी जाती है। इस सम्बन्ध में यह भी समझ लेना आवश्यक है कि समास केवल एकाधिक शब्दों का संयोजन मात्र ही नहीं अपितु शब्द रचना की अन्यतम विशिष्ट प्रक्रिया है जिसमें दोनो पद मिलकर एक नवोन शब्द तथा अर्थ का निर्माण करते हैं, यथा राज+पुरुष जो कि न तो राजा है और न अविशिष्ट पुरुष मात्र अपितु एक विशिष्ट कार्य सम्पन्न करने वाला व्यक्ति है। बहुव्रीहि में तो निदिष्ट अर्थ दोनो पदों में से किसी एक का भी अर्थ नहीं होता यथा पीताम्बर, (पीतानि अम्बराणि सन्ति यस्य सः) = श्रीकृष्ण। यहाँ वह व्यक्ति न तो स्वयं पीला है और न स्वयं वस्त्र ही। ऐसे ही पुष्पघन्टा, शशांक आदि भी।

8. अवभृति (Vowel gradation) इस परिवार की भाषाओं की एक अन्य सर्वसामान्य विशेषता है अवभृति। स्वर विकार के इस रहस्यात्मक ध्वनि नियम का पता लगाने पर ही तो इस वर्ग की भाषाओं के बीच एक आन्तरिक सम्बन्ध की कल्पना कर पाना तथा भारोपीय के मूल रूपों का पुनर्गठन कर पाना सम्भव हो सका है।

भारोपीय की आर्य शाखा (भारत-ईरानी वर्ग)

जिस प्रकार सम्पूर्ण भाषा परिवारों में भारोपीय परिवार को सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण समझा जाता है उसी प्रकार भारोपीय परिवार में इसकी आर्य शाखा को, जिसे भारत-ईरानी शाखा भी कहा जाता है। समझा जाता है कि दो वर्गों में विभक्त होने से पूर्व प्राचीन ईरानी अथवा अवेस्ता की भाषा बोलने वाले तथा प्राचीन भारतीय आर्य भाषा अथवा वेदों की भाषा बोलने वाले लोग कहीं इकट्ठे ही रहा करते थे क्योंकि इन दोनो भाषाओं में वही निकट सम्बन्ध पाया जाता है जो एक ही माता-पिता की सन्तानों के बीच पाया जाता है। इस प्रकार वेदों तथा अवेस्ता के रूप में पायी जाने वाली दोनो प्राचीन भाषाएँ एक ही मूल की दो शाखाएँ हैं जिन्हें भारतीय शाखा तथा ईरानी शाखा के नाम से अभिहित किया जाता है।

इनके भाषा वैज्ञानिक महत्त्व का विशेष कारण यह है कि इन दोनों में ही भारोपीय की ही नहीं अपितु विश्व की प्राचीनतम भाषिक समिष्टी को वेदों तथा अवेस्ता की भाषा के रूप में सुरक्षित रखा गया है। साथ ही इनमें साहित्यिक रचनाओं का एक ऐसा क्रम-बद्ध रूप रहा है कि उसके प्रकाश में इस शाखा की भाषाओं का एक प्रामाणिक काल-क्रमिक लेखा तैयार किया जा सकता है तथा उसके प्रकाश में अन्य भाषाओं के सम्बन्ध में भी महत्त्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

यहाँ पर ईरानी शाखा से सम्बद्ध भाषाओं के विवेचन पर कुछ न कह कर केवल उसके प्राचीनतम अवशेष अवेस्ता तथा वैदिक भाषा की कतिपय सर्व

सामान्य विशेषताओं तथा मूल भाषा से पृथक् होने के बाद दोनों में विकसित कतिपय मौलिक अन्तरो का ही उल्लेख करेंगे।

संस्कृत तथा प्राचीन ईरानी का पारस्परिक सम्बन्ध

पिछले अध्याय में इस बात का उल्लेख किया ही जा चुका है कि भारतीय परिवार की विभिन्न शाखाओं में भारत-ईरानी शाखा का महत्वपूर्ण स्थान है। संस्कृत के साथ निकट का सम्बन्ध रखने वाली भाषाओं में अवेस्ता का स्थान सबसे प्रमुख है। इस अध्याय में हम इन दो भाषाओं के पारस्परिक सम्बन्धों एवं इन दोनों में प्राप्त होने वाली सामान्य भाषायी विशेषताओं पर विचार करेंगे।

सर्वे विदित है कि भारतीय आर्य भाषाओं के इतिहास का प्राचीनतम प्रामाणिक लेखा ऋग्वेद की भाषा के रूप में उपलब्ध होता है। इसी के आधार पर हम उत्तर वैदिक कालीन एवं साहित्यिक संस्कृत में पाये जाने वाले सभी प्रकार के भाषायी परिवर्तनों की दिशा का निर्धारण करते हैं, किन्तु जैसा कि भाषा के स्वाभाविक विकास का नियम होता है उसके अनुसार वैदिक भाषा के इस रूप का विकास भी इसके किसी पूर्ववर्ती रूप से हुआ होगा। इसके नियत पूर्व की भाषा का स्वरूप क्या था तथा उससे इस वैदिक भाषा के रूप में विकसित होने में कितना समय लगा—इत्यादि प्रश्नों का हमारे पास यद्यपि कोई प्रामाणिक लेखा उपलब्ध नहीं है, किन्तु जिस मूल रूप में इसका विकास हुआ तथा उसी रूप से विकसित अन्य भाषाओं के साथ इसकी तुलना करने पर हमके अनुमाना-धर्या मूल रूप की सामान्य रूप रेखाओं का पता लगा लेना असम्भव नहीं। भाषाशास्त्रियों ने संस्कृत के इस अनुमानाधर्या पूर्व रूप का नाम 'भारत-ईरानी' रखा है, जिसका कि सामान्य परिचय पीछे दिया जा चुका है।

वैदिक संस्कृत की पूर्ववर्ती इस 'भारत-ईरानी' के स्वरूप का विश्लेषण दो आधारों पर किया जाता है। प्रथम आधार के अनुसार प्राचीन भारतीय (वैदिक) तथा प्राचीन ईरानी (अवेस्ता) भाषा की परस्पर तुलना करके इनके सम्भाव्य मूल रूपों का अनुमान किया जाता है तथा दूसरे के अनुसार भारत-ईरानी के इन पुनर्गठित रूपों की तुलना भारतीय परिवार की अन्य भाषाओं के साथ करके इनकी आधारभूत मूल भाषा की विशेषताओं का पता लगाया जाता है।

भाषाशास्त्रियों का अनुमान है कि मूल भारत-ईरानी में पृथक् होकर ऋग्वेद की रचना किये जाने के वरत के बीच इन दोनों भाषाओं में पर्याप्त समय का अन्तर रहा होगा। ऋग्वेद में कहीं भी आर्यों के पूर्ववर्ती निवास स्थानों का एवं प्रयजन आदि का किसी प्रकार का कोई स्पष्ट संकेत न पाया जाना इस बात का सूचक है कि ऋग्वेदिक आर्य अपने पूर्व निवास स्थान के साथ अपने सम्बन्धों को

भूल चुके थे। इनके अतिरिक्त भाषा तात्विक दृष्टि से भी इन दोनों रूपों के बीच इस काल तक इनने अधिक ध्वन्यात्मक एवं रूपात्मक परिवर्तन आ चुके थे कि इस भाषायी विकास के लिए इन दोनों के बीच बहुत बड़े समय का व्यवधान मानना आवश्यक हो जाता है। वैदिक भाषा के रूप स्पष्टतः इस बात का निर्देश करते हैं कि मूल भाषा से पृथक् होने के बाद, देश और काल के विशाल व्यवधान के कारण इसमें अनेक भाषायी विशेषताएं अपना रूप स्थिर कर चुकी थी। यही बात प्राचीन ईरानी के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है जो कि वैदिक संस्कृत की भांति ही अपनी मूल भाषा से पृथक् होकर स्वतन्त्र रूप से अनेक भाषायी विशेषताओं का विकास कर चुकी थी। इस प्रकार देखा जाता है कि वे दोनों भाषाएं एक ही मूल उत्स से प्रस्फुटित होने पर भी दो भिन्न-भिन्न भू भागों में अपने विकास का एक लम्बा रास्ता तय कर चुकी थी। जिस प्रकार संस्कृत से विकसित भारतीय आर्य भाषाएं आज अपने मूल से सर्वथा भिन्न प्रतीक होती हैं, वही स्थिति इन दोनों में भी पायी जाती है। किन्तु इतना होने पर भी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा तथा प्राचीन ईरानी भाषा का परस्पर इतना निकट सम्बन्ध है कि भारतीय भाषाओं के ऐतिहासिक विकास-क्रम को समझने के लिए इसका तुलनात्मक अध्ययन अत्यन्त आवश्यक समझा जाता है। ऐतिहासिक क्रम में यह समझा जाता है कि ईरानी तथा संस्कृत का पृथक्त्व मूल भारोपीय के भाषायी पृथक्त्व के अन्तिम स्तर पर हुआ होगा।

विगत शताब्दी के तुलनात्मक भाषा शास्त्रियों के गहन अनुसन्धानों से अब निःसन्देह रूप से यह सिद्ध किया जा चुका है कि प्राचीन संस्कृत (वैदिक) तथा प्राचीन ईरानी (अवेस्ता एवं पहलवी) दोनों एक ही मूल से उद्भूत दो शाखाएं हैं। इनके उद्भूत निकट साम्यके आधार पर उनका अनुमान है कि मूल भारोपीय से पृथक् होने के उपरान्त वैदिक संस्कृत तथा अवेस्तन ईरानी के बोलने वालों के पूर्वज पर्याप्त काल तक एक साथ ही रहे। इस काल में उनकी भाषा में कुछ ऐसे नवीन तत्वों का विकास हुआ जो कि भारोपीय परिवार की अन्य भाषाओं से पृथक् एवं स्वतन्त्र था। इतना ही नहीं अपितु इनकी सांस्कृतिक शब्दावली की समानताओं के आधार पर यह भी माना जाता है कि ये लोग एक ही समाज के अंग थे।

भारत-ईरानी भाषा के इन दो महत्त्वपूर्ण रूपों के सामान्य परिचय के रूप में इतना बतला देना ही पर्याप्त होगा कि ईरानी का वह प्राचीनतम रूप, जिसकी तुलना ऋग्वैदिक संस्कृत से की जाती है, अवेस्ता एवं प्राचीन फारसी (पहलवी) में पाया जाता है। फारसी धर्म में अनुयायियों के धार्मिक लेखों के संग्रह का ही नाम 'अवेस्ता' है और इसी के नाम पर इस भाषा को भी 'अवेस्ता' कहा जाता है। यह ईरान के पूर्वी प्रदेश की भाषा मानी जाती है। समझा जाता है कि इसका

प्राचीनतम भाग, जिसे 'गाथा' कहा जाता है, स्वयं पारसी धर्म के प्रवर्तक जरधुम्न की रचना है। पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार जरधुम्न का समय 600-800 ई० पूर्व के लगभग माना जाता है। यद्यपि इस निधि-क्रम के अनुसार इसका समय ऋग्वेद के रचनाकाल से काफी पीछे पड़ता है, किन्तु इसमें कुछ ऐसे आर्ष (archaic) रूप पाये जाते हैं जो कि ऋग्वेदिक काल की भाषा से भी पूर्व के प्रतीत होते हैं। अवेस्ता की टीका की भाषा 'पहलवी' के नाम से पुकारी जाती है तथा यह उसके बाद के काल की भाषा का प्रतिनिधित्व करती है। प्राचीन फारसी के नाम से अभिहित की जाने वाली ईरानी भाषा इस प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी भाग की भाषा मानी जाती है। इसमें आधुनिक फारसी की ओर मुकाब पाया जाता है। इसका रूप एक्मेनियन राजाओं के बयूनिफार्म निधि में अंकित शिलालेखों में पाया जाता है।

ईरान की इन प्राचीन भाषाओं का वैदिक भाषा के साथ इतना अद्भुत साम्य पाया जाता है कि विद्वान् इन दोनों को एक ही मा की दो पुत्रियां कहते हैं। इतना यह सम्बन्ध इतना निकट है कि एक के बिना दूसरे का विश्लेषण पूर्ण ही नहीं हो सकता। रूप-रचना की दृष्टि से दोनों में बहुत कम अन्तर पाया जाता है। ध्वन्यात्मक-दृष्टि से भी जो अन्तर इनमें पाया जाता है, वह इतने स्पष्ट रूप में ध्वनिपरिवर्तन के नियमों में नियमित है कि उनके अनुसार यथोचित परिवर्तन किये जाने पर गाथा पद्यों को वैदिक मंत्रों में परिवर्तन किया जा सकता है। उदाहरण के लिए अवेस्ता के यास्त 10-8 को प्रस्तुत किया जाता है।

यो यथा पुथ्र्वम् रुन्धम् हु ओम् अम् वन्दर्एता मरुयो ।

फ आभ्यो तनुभ्यो हु ओमो बीसहते बएशडाइ ॥

इसका वैदिक रूपान्तरण इस प्रकार किया जाता है—

यो यथा पुत्रम् तरुणम् सोमम् वन्देत मर्त्यं ।

प्र आभ्यः तनुभ्यः सोमो विशते भेषजाय ॥

इसमें केवल अन्तिम शब्द को छोड़कर अन्यत्र केवल ध्वनि-प्रतिपा मात्र का अन्तर है। किन्हीं दो भाषाओं की निहटना को दिखलाने के लिए इसमें अधिक पुष्ट प्रमाण औरचना हो सकता है? इसी प्रकार का एक अन्य उदाहरण देखिए—

हावनीयम् आ रनुम् आ

हाम्रो उपादन् जरधुम्नम् ।

आत्रम् पद्वि-यभारदधतम्

गाधाश्च श्रावयन्तम्

आदिम् परमन् (जरधुम्न) को नर अर्हि ?

यिम् अजम् विस्पेह् अंहउस्
अस्वतो श्रएश्तं दादरस ॥

इसका अर्थ है—प्रातः काल सोम जरयुस्त्र के पास आया जो चारों ओर से अग्निवेदी को स्वच्छ कर रहा था और गाथा सुना रहा था, उसने (जरयुस्त्र से) पूछा—‘आप कौन मनुष्य है जिन्हें मैं सभी अस्थिधारियों (प्राणियों) में श्रेष्ठ देख रहा हूँ।’

इसका वैदिक रूपान्तर होगा—

सवनिम् आ ऋतुम् आ
सोम उपैत् जरयुष्टम् ।
अत्रि परि-योम्-दधन्तम्
गाथाश्च ध्रावयन्तम्
आ तम्पृच्छत् (जरयुष्टः) को नरः अमि ?
यम् अहम् विश्वस्य असो.
अस्थिवतः श्रेष्ठम् ददर्श ॥

इन दोनों रूपों में कितना नैकट्य है यह बतलाने की आवश्यकता नहीं।

इसके अतिरिक्त जिस बात के आधार पर भाषा वैज्ञानिक इन दोनों के निकट सम्पर्क तथा मूल भाषा में पृथक् होकर दीर्घकाल तक इकट्ठे रहने का अनुमान करते हैं, वह है मूल भारतीय भाषा की ध्वनियों का इन दोनों में समान विकास। इन दोनों के बीच इतनी अधिक साम्यता की देखकर विद्वानों ने तो यहाँ तक कह डाला कि वैदिक संस्कृत तथा अवेस्ता की भाषा में इतना अधिक साम्य है जितना कि वैदिक संस्कृत तथा कालिदास की भाषा में भी नहीं। इस कथन में किञ्चित् अतिशयोक्ति भले ही हो, पर वास्तविकता भी कम नहीं।

इसमें मन्देह नहीं कि वैदिक भाषा की तुलना में प्राचीन ईरानी की भाषायी सामग्री की मात्रा उसके विकास की दिशाओं का सविवरण अध्ययन करने के लिए पर्याप्त नहीं है, किन्तु वर्तमान युग के नवीन अनुसंधानों के फलस्वरूप अब हमारे पास मध्ययुगीन ईरानी की पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है। मध्ययुगीन ईरानी अर्थात् पहलवी के अतिरिक्त दो अन्य पूर्वी ईरानी भाषाओं—सोर्गदियन तथा शाका—की भी पर्याप्त भाषाई सामग्री उपलब्ध हो गई है जिसका कि विद्वानों के द्वारा अध्ययन एवं विश्लेषण किया जा रहा है।

कल्पित भारत-ईरानी के साथ वैदिक संस्कृत तथा प्राचीन ईरानी (अवेस्ता) की तुलना करने पर जो प्रमुख ध्वन्यात्मक परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं उनमें से कुछ उल्लेखनीय परिवर्तन इस प्रकार हैं। (1) मूल भारत-ईरानी के झ् एवं झ् (zh) का विकास आर्य भाषा में ह् के रूप में तथा ईरानी में ज्, ष् के रूप में हो चुका था। (2) संस्कृत में ज् तथा झ् में अभेद किया जाने लगा था, यद्यपि ईरानी में यह भेद

बना रहा। (3) क्+प् तथा ण्+स् का आर्य भाषा में एक स्वतन्त्र संयुक्त ध्वनि क्ष के रूप में विकसित हो चुका था, किन्तु ईरानी में ये ध्वनिर्या पृथक्-पृथक् ही बनी रही। इसी प्रकार प्राचीन ईरानी में ग्ज़ (gzh) ब्ज़ (bzh) जैसे घोष ध्वनि समूहों के स्थान पर क्ष (ks-) एवं प्स (ps-) जैसी ध्वनियों का विकास हो चुका था (तुल० अवे० दिव्ज़) (diwzə) = म० द्विप्स। प्रा० ई० ज् (2) का सभी स्थितियों में लोप हो चुका था, यथा—अवे० मज्ज़दा: स० मेघा। प्रा० ई० के व् से पूर्व स्थित ज् ध्वनि से प्रा० आ० में मूर्धन्य ङ् का विकास हो गया था, यथा—नौरद. अवे० नौरद (naird)। इस ध्वनि-समूह के तथा अन्य संयोगी परिवर्तनों के कारण प्रा० आ० में उस नवीन मूर्धन्य ध्वनि वर्णों का विकास हुआ जो कि आर्य भाषा वर्णों की असामान्य विशेषता मानी जाती है। अभी अन्य संयुक्त ध्वनियों का सरलीकरण हो गया तथा इसमें केवल प्रथम ध्वनि ही अवशिष्ट रही (तुलु० अवे० वाञ्छ (vaxs) स० वाक्। महाप्राण ध्वनियों की महाप्राणता अथवा स्पर्श तत्त्व का हानि होने लगा, यथा—पहलवी इध: अवे० इव: स० इह (यहां)। इसी प्रकार मू० भा० ई० मध्यस्तर अद्, अठ का शुद्ध स्वर ए, ओ के रूप में विकसित हो गया।

यद्यपि संयुक्त व्यंजनो के सरलीकरण तथा महाप्राण ध्वनियों के स्पर्श तत्त्व के लोप की वैदिक काल की यह भाषाई प्रवृत्ति साहित्यिक संस्कृत में अवरोध हो गयी थी, किन्तु उमर्के माय-साय विवर्तित होने वाली लोक भाषाओं में इस प्रवृत्ति का इतना अधिक विकास हुआ कि अन्य मयोगों में ही नहीं बरन् सभी स्थितियों में संयुक्त व्यंजनो का सरलीकरण तथा महाप्राण ध्वनियों के स्पर्शतत्त्व का लोप एक सामान्य भाषाई प्रवृत्ति बन गया।

संस्कृत तथा ईरानी की भाषाई विशेषताएं

भारत-ईरानी भाषा की एकात्मकता तथा भारतीय भाषा की अन्य भाषाओं में इसकी पृथक्ता का निर्देशन जिन भाषाई आधारों पर किया जाना है, उनमें से कुछ इस प्रकार हैं—

ध्वन्यात्मकता की दृष्टि में इन दोनों में जो विशेषता देखी जाती है वे हैं—
मूल भारतीय ध्वनियों *एँ, *ओ तथा *अ का अ अथवा आ के रूप में विकास।
इसके विपरीत ग्रीक और लैटिन में ये तीनों ही ध्वनियाँ सुरक्षित पायी जाती हैं यथा—

मूल भारी०	ग्रीक	लैटिन	संस्कृत	अवेस्ता
* नेभांम	नेक्रोम्	नेबुला	नघ.	नबो
* ओम्ध	ओम्नेत्रोन्	ओम्	अम्धि	अम्न
* अपां	अपो	—	अप:	अप
* एनुआंम्	—	एनुउम्	अग्ध:	अग्ध

ध्वन्यात्मक परिवर्तनों की इस एकरूपता से यह स्पष्ट हो जाता है कि उपर्युक्त तीन मूल भारो० ध्वनियों का इन दोनों भाषाओं में अ के रूपों में विकास ईरानी की उम मूल भाषा में हुआ होगा जिसे कि वैदिक आर्यों एव ईरानियों के पूर्वज एकत्र प्रयोग में लाते होंगे। इस प्रसंग में यहां पर इतना और भी बता देना आवश्यक है कि उपर्युक्त भाषाओं में परिवर्तित होने वाली ध्वन्यात्मक विकास की इस विभेदकता के सम्बन्ध में प्रारम्भ में यह समझा जाता था कि संस्कृत तथा अवेस्ता ने तो मूल भारो० * अ ध्वनि को सुरक्षित रखा है, किन्तु ग्रीक में इसके तीन विभिन्न रूप (ε, ο, α) विकसित हो गये थे। पर तुलनात्मक भाषा विज्ञान के क्षेत्र में किये गये बाद के अनुसन्धानों में यह तथ्य सामने आया कि वस्तुतः मूल भारो० में से तीन स्वर थे जिन्हें ग्रीक ने तो यथामूल सुरक्षित रखा, किन्तु संस्कृत तथा अवेस्ता ने इन्हें अकार के रूप में परिवर्तित कर डाला। इन ध्वनियों को मूल भारो० ध्वनि मानने का आधार यह था कि भारत-ईरानी में, एव सामान्यतः 'सत्तम्' वर्ण की सभी भाषाओं में, उम प्रत्येक अकार से पूर्व, जिसका कि ग्रीक एव लैटिन में एकार हो गया है, भारो० कण्ठ्य ध्वनियों का तालव्य रूप पाया जाता है, यथा ग्रीक—कै (<* que), लै०—कै (* que), किन्तु सं०—अवे० च। क्योंकि भारत-ईरानी में इस प्रकार का तालव्यभाव इ अथवा य् से पूर्व में ही पाया जाना है (यथा—सं० ओजीवन् : किन्तु उग्र अवेस्ता-द्रओजिस्तः किन्तु द्रओग (मं० द्राधिष्ट की अतिशय कोटि Superlative degree)। अतः यह मानना आवश्यक है कि तालव्यभाव करने वाला यह भारत ईरानी अमूलतः इ-रंजित (i-coloured) रहा होगा; दूसरे शब्दों में यह मूल एकार रहा होगा। इसी में इस मत की स्थापना करना आवश्यक हो गया कि ग्रीक, लैटिन ने उम मूल ध्वनि को सुरक्षित रखा, जबकि संस्कृत-ईरानी ने उसे परिवर्तित कर डाला। फलतः ए को मूल भारो० स्वर स्वीकार किया गया। यही स्थिति ओकार के विषय में भी है, यद्यपि यह इतनी स्पष्ट नहीं जितनी कि एकार की है।

मूल भारोपीय में दुर्बल स्वर (अ) (ॐ) अथवा 'श्वा' की कल्पना का आधार भारत-ईरानी की स्वर साम्यता ही है, क्योंकि मूल भारोपीय पूर्ण स्वर अ (a) का भारत-ईरानी में अ ही रहना है, किन्तु अनेक ममानान्तर शब्द ऐसे भी हैं जिनमें कि ग्रीक तथा अन्य भारोपीय भाषाओं में अ तथा भारत ईरानी में इ का रूप पाया जाता है, यथा ग्रीक—पॉटर (poter) : सं० पितृ (पितर-)। यदि मूल भारोपीय में केवल एक ही अ (a) स्वर होता तो संस्कृत में इसका विकास *पत् (पत्तर) होना चाहिए था। इससे अनुमान किया गया कि यहां पर मूल भारोपीय में यह स्वर अ (a) नहीं, अ (ॐ) था। अतः इसका मूल भारोपीय रूप <पॉत्तेर (pater) माना गया। ऐसे ही मू० भा० *भेट्रोन् : ग्रीक : फ़ैरोत्रोन् : सं० भरित्रम्।

भारत-ईरानी शाखा की एक अन्य सर्वसामान्य विशेषता, जिसकी ओर भाषा

विज्ञानियों ने सकेत विद्या है, वह यह है कि इन दोनों ही प्राचीन भाषाओं में भारो० इकार में पूर्व यकार का तथा उकार में पूर्व वकार का लोप हो जाता था। भारोपीय भाषा के इस परिवार की यह एक ऐसी विशेषता है जोकि किसी अन्य भाषा में नहीं पायी जाती। मस्कृत तथा अवेस्ता की इस विशेषता को मस्कृत के श्रेष्ठ तथा अवेस्ता के स्वप्शत शब्दों के द्वारा दिखाया जाता है। इसमें ध्वनि लोप के अनुमान का आधार यह है कि ऋग्वेद में श्रेष्ठ शब्द को त्र्यक्षर (Tri-syllabic) माना गया है तथा इसके सादृश्य को व्यक्त करने वाले अन्य शब्द रूपों, यथा— श्रुषिष्ठ तथा मूर, ददिष्ठ तथा दूर में यह प्रतीत होता है कि इसका मूलरूप थप् था। अतः भाषा विज्ञानियों के अनुसार श्रेष्ठ का मूल रूप *थ्रिषिष्ठ होना चाहिए तभी यह व्यञ्ज हो सकता था। इसी का विकास बाद में *थ्रिषिष्ठ > थ्रिष्ठ > श्रेष्ठ के रूप में हुआ होगा। इसी प्रकार ऋग्वेद में रेवत् तथा रमिवत् जैसे उभयान्तक रूपों की साथ-साथ उपलब्धि भी उपयुक्त प्रकार की भाषायी स्थिति का ही अनुमोदन करती है। अवेस्ता में इसने अनुरूपी रएँवत् (Raevat) को देखने में अनुमान होता है कि ऋग्वेद का रेवत् रूप अवेस्ता के रएवत् में भी अधिक प्राचीन है जोकि भारत-ईरानों के *रमिवत् > *रइवत् में विकसित हुआ है तथा इसके द्वितीय रूप रमिवत् में यकार का अल्पनिवेग बाद में सादृश्य के आधार पर किया गया होगा।

भारत-ईरानों की इसी विशेष ध्वन्यात्मक प्रवृत्ति के आधार पर देखा जा सकता है कि प्राचीन मन्वन् के यकार युक्त क्रिया रूप पदादि में पि के स्थान पर इ में निधे जाने थे, यथा—ऋग्वेद में यज् धातु का मन्वन् रूप विपश्ना न होकर इपश्ना के रूप में पाया जाता है तथा अनुमान किया जाता है कि लौकिक मन्वन् में सादृश्य के आधार पर इसमें पुनः यकार जोड़ दिया गया। यकार के पुनर्निवेग की यह प्रवृत्ति ब्राह्मण ग्रन्थों में ही मिलने लगती है, क्योंकि इनमें यम् का मन्वन् रूप विपंस तथा यम् का विपन्व पाया जाता है, किन्तु प्राचीन वैदिक ध्वन्यात्मक प्रवृत्ति के परिचायक रूप में लौकिक मस्कृत के भी कुछ क्रिया रूपों में यकार के लोप की प्रवृत्ति विद्यमान रही, यथा—यन् का निट् लकार में इयाज रूप ही प्रचलित रहा।

किन्तु उममें पूर्व व् के लोप के इस प्रकार के उदाहरण उपलब्ध नहीं होते हैं। अवेस्ता में तो ऐसे उदाहरण ही नहीं मिलने जो कि इसकी पुष्टि करते हों तथा मन्वन् में जहा इस प्रकार के उदाहरण मिलने भी है वहा पर जो स्वर उ है वह मूल भारो० का नहीं है। मत्र तो यह है कि मूल भारो० में व् + उ जैसा ध्वनि संयोग बटितता में ही बन सकता है। अतः मन्वन् में जहा वही भी उ में पूर्व व् के लोप की स्थिति पायी जाती है, वहा पर वह मूल भारोपीय की व् की ध्वनि के स्वरोभूत ऋ ध्वनि में विकसित उर् के कारण है, यथा—म० उरा (भट), वीच चरेत् < *मू० भारो० चरेत् (ajicn) में तथा म० ऊँमि (महर) : प्रा० उरव

जर्मन बल्म का विकास मूल भारो० *वृम (wrma) से माना जा सकता है। वकार लोप की यह विशेषता केवल संस्कृत में ही देखी जाती है, क्योंकि अवेस्ता में ऐसी स्थिति में वकार बराबर बना रहता है, यथा—स० उरस्: अवे० वरो: सं० ऊर्णा: अवे० वरअन् (waren) इसके अतिरिक्त संस्कृत में यद्यपि √वच्- तथा √वस्-धातुओं के लिट् लकार में क्रमशः उवाच तथा उवास रूप तो मिलते हैं, किन्तु इनमें वकार लोप की स्थिति ही नहीं बढती है—कारण कि यहां पर व का उ होना भारतीय मूल का विकास है, मूल भारोपीय का नहीं। मूल भारोपीय में तो इन द्वित्वीकृत रूपों में *वृ नहीं, व था जैसा कि अवेस्ता के अनुस्यू शब्द रूप ववश (wawas) में देखा जा सकता है। इसीलिए अवेस्ता में संस्कृत के पदादि उ वाले रूपों—परोक्ष भूत के शब्द रूपों, में इसका अभाव पाया जाता है।

इसी प्रकार भारो० की मूल *स् ध्वनि का संस्कृत तथा अवेस्ता दोनों में ही परिवर्तन हो जाता है। भाषाशास्त्रियों का विचार है कि ई, उ, र तथा कण्ठ ध्वनियों के बाद आने वाले मूल भारोपीय स् का भारत ईरानी काल से पूर्व ही श् ही चुका था। अवेस्ता में तो यह परिवर्तन इसी प्रकार इसी रूप में बना रहा, पर संस्कृत में पुनः इसका विकास ष् के रूप में हो गया। संस्कृत में भी इ, उ, ए, ओ के बाद तो यह मूर्धन्यीकरण देखा जाता है पर अ, आ के बाद नहीं, यथा—सप्तमी व० व० विभक्ति प्रत्यय सु (जिसे कि मूल भारो० *सु माना गया है) का कविषु, भानुषु आदि रूपों में तो षु हो जाता है पर रामसु या रमासु जैसे रूपों में नहीं होता। अवेस्ता में यह अपने प्रथम परिवर्तन के रूप में ही पाया जाता है, यथा अवे० बूमिषु (सं० भूमिषु): अवे० गोउरुशु (सं० गुरुषु), मू० भा० *स्थिस्यामि—सं० निष्ठासि: अवे० हिरतइति; मूल भा० *जिउस्तर—ज्येष्ठा—जओशा। इसी प्रकार र तथा कण्ठ ध्वनियों के बाद भी संस्कृत में इसका मूर्धन्य रूप तथा अवेस्ता में तालव्य रूप पाया जाता है, यथा सं० सृष्णा: अवे० तर्शनी, सं० उक्षित: अवे० उख्शोइति। ध्वनि परिवर्तन की दिशा में एक द्रष्टव्य बात यह भी है कि मूल भारोपीय र् (ऋ) तथा स् (ऌ) ध्वनियों को ग्रीक-लैटिन में तो सुरक्षित पाया गया है किन्तु संस्कृत तथा अवेस्ता में इनमें अभेद की स्थिति पायी गयी है जिस रस्योरभेद के रूप में स्वीकार किया गया है।

मूल भारो०	ग्रीक	लै०	सं०	अवे०
*उल्कुओस	लुकोम्	लुपुए	वृक.	बहको
*रच	ओरसो	नुनकारे	लुच्	—

रूप रचना के क्षेत्र में भारत-ईरानी की एक सर्वसामान्य नवीन उद्भावना यह है कि संस्कृत तथा अवेस्ता दोनों में ही, विशेषकर ई, उ मूलक धातुओं में वर्तमान काल में द्वित्वीकरण के लिए उ स्वर का तथा परोक्ष भूत में इ या उ स्वर का प्रयोग किया जाता है।

आम तौर पर यह समझा जाता है कि यह द्वित्व किया जाने वाला स्वर मूल रूप में वर्तमान काल में इ तथा परोक्ष भूत में ए था जो कि बाद में भारत-ईरानी में अ के रूप में विकसित हो गया था। भारोपीय की किसी भी भाषा में वर्तमान तथा परोक्ष भूत का यह भेद स्थिर नहीं रहा तथा भारत-ईरानी में भी यह व्यवस्थित रूप में नहीं पाया जाता। किन्तु इस प्रसंग में विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि मस्कृत तथा अवेस्ता दोनों में ही यह विकृति एक समान पायी जाती है। इन दोनों में ही इ अब भी वर्तमान में द्वित्व किया जाने वाला प्रधान स्वर है, यथा—म० तिष्ठति अवे० द्विष्टुअनि (ग्रोक-हिस्तेमि) म० शिष्यः अवे० हिमास्ति, किन्तु वर्तमान के द्वित्व पर परोक्ष भूत के ए वाले रूपों का प्रभाव भारत-ईरानी काल में ही स्पष्ट रूप से दिग्राई देने लगता है। तुन० गं० ददाति : अवे० ददति तथा इनका ग्रीक अनुरूपी रूप मिलता है—दिवोति, जिनमें कि द्वित्वीकृत अक्षर में मूल इ स्पष्ट रूप से दिग्राई देता है। अतः अनुमान किया जाता है कि इसका मूल भारोपीय रूप *दिवोति ही रहा होगा *देवोति नहीं। यद्यपि अनेक अपवादों एवं मिथ्या सादृश्यों पर बने हुए रूपों के कारण परोक्ष भूत के रूपों की स्थिति इनकी स्पष्ट नहीं जितनी कि वर्तमान के रूपों में देखी जाती है।

इसी प्रकार हम देखते हैं कि इन दोनों भाषाओं में धातु के यमंवाच्य रूप के सामान्य भूत में इ पायी जाती है जो कि भारोपीय परिवार की और किसी भाषा में नहीं पायी जाती। उदाहरणार्थ, स० अवाचि : अवे० अवाशि। इसकी एक अन्य उल्लेखनीय विशेषता यह भी है कि दोनों में ही इसकी उपनद्धि यमंवाच्य के अन्य पुरुषीय प्रयोगों में पायी जाती है।

रूप रचना की दृष्टि से इन दोनों भाषाओं की एक अन्यतम समानता है सोद् सकार के मध्यम पुरुषीय रूपों की समानता, यथा—म० भरतु (ए० व०), भरन्तु (ब० व०) अवे० बरतु (ए० व०), बरन्तु (ब० व०)। इसी प्रकार इन दोनों में ही सोद् सकार उत्तम पुरुष एकवचन में-आ तथा-आनि दोनों ही वैकल्पिक रूपों का प्रयोग देखा जाता है, यथा—भवा~भवानि (वैदिक)। यद्यपि माहित्यिक मस्कृत में केवल आनि वाले रूप का ही प्रयोग होता है, किन्तु वैदिक मस्कृत में ये दोनों ही रूप प्रचलित थे।

मत्ता रूपों की रचना में भी मस्कृत तथा अवेस्ता दोनों में ही कुछ ऐसे रूपों का समान रूप से विभाग देखा जाता है जो कि भारोपीय परिवार की किसी अन्य भाषा में नहीं पाया जाता है। उदाहरणार्थ, दोनों में ही गच्छी बहुवचन के विभक्ति चिह्न के रूप में आ (नाम्~अ) नम्~आम् का प्रयोग पाया जाता है। मूल भारोपीय में इसका रूप *धीम् वा तथा यही सभी प्रकार के गच्छी के गाय प्रयुक्त होता था। मस्कृत में इसके दो उपरूप (allomorph)—आम्~नाम् विभक्ति हो गये थे। जिनमें से आम् का प्रयोग ह्यन्तु उदात्तों के गाय तथा नाम् का

अजन्तों के साथ होता था—जगत् > जगताम्, देव > देवानाम्, कधि > कधिनाम्, भानु > भानूनाम् इत्यादि, यद्यपि वेद में एक स्थान पर देवानां के वजाय देवां (देवां जन्म) रूप भी पाया जाता है। यद्यपि अवेस्ता में भी (केवल एक स्थान पर) आनम् वाला रूप पाया जाता है यथा, मस्थानम् : सं० मर्त्यानाम्, किन्तु अन्य स्थानों पर अन्तम् वाले रूप ही पाये जाते हैं। फिर भी अकारान्त शब्दों के साथ प्रयुक्त होने वाला यह आनम् ~ अन्तम् रूपिम भारत-ईरानी की एक अन्यतम सर्वसाधारण विशेषता है। इसके अतिरिक्त अन्तम् वाले रूपिम के विषय में भी सोचा जाता है कि यह रूप सम्भवतः लिपि दोष के कारण ही अन्तम् लिखा गया हो, क्योंकि प्राचीन फारसी में इसका रूप आनम् ही पाया जाता है न कि अन्तम्। इस प्रसंग में यह भी स्मरणीय है कि इसी काल में दोनों ही भाषाओं ने अकारान्त शब्द रूपों के सादृश्य पर इकारान्त, उकारान्त शब्दों में भी आम् के स्थान पर नाम् का प्रयोग शुरू कर दिया था, यथा सं० गिरिणाम् : अवे० गइरिनम्, सं० धसूनाम् : अवे० धोहुनम्। किन्तु अवेस्ता की अपेक्षा इस सादृश्यानुकरण में संस्कृत बहुत आगे निकल गयी। क्योंकि इकारान्त, उकारान्त रूपों में अवेस्ता में सामान्यतया प्राचीन रूप—आम् ~ अम् प्रचलित रहे, किन्तु संस्कृत में सर्वत्र ही नाम् का प्रयोग प्रारम्भ कर दिया, यद्यपि एकारान्त, ओकारान्त रूपों में आम् ही चलता रहा, यथा-रं > रायाम्, गो > गवाम्, नौ > नावाम् इत्यादि।

आकारान्त स्त्रीलिंग शब्दों के अनेक रूपों में भी इन दोनों ही भाषाओं में ऐसी असामान्य एकरूपता पायी जाती है जो कि भारतीय परिवार की किसी अन्य भाषा में नहीं पायी जाती। इस प्रकार की एकरूपता विशेषकर तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी तथा सम्बोधन के एकवचन में पायी जाती है।

आकारान्त स्त्रीलिंग शब्दों के सम्बोधन के एकवचन में एकारान्त रूपों का विकास भी इन दोनों भाषाओं की एक असामान्य विशेषता है यथा—सं० सरभे ! रभे ! अवे० रजिस्ते ! (सं० * रजिष्टे)। अन्य भारतीय भाषाओं में इस प्रकार के आकारान्त स्त्रीलिंग शब्दों का सम्बोधन एकवचन में आकारान्त रूप ही पाया जाता है। यद्यपि सम्बोधन के इस प्रकार के विकास का क्रम स्पष्ट नहीं, किन्तु संस्कृत तथा अवेस्ता में इसका समान रूप में विकास अवश्य ही ऐतिहासिक महत्त्व रखता है। यहाँ पर यह भी स्मरणीय है कि अवेस्ता में एकारान्त के अतिरिक्त आकारान्त रूप भी पाया जाता है। यथा—पौउहशिश्ता।

इसी प्रकार इकारान्त शब्दों के सप्तमी एकवचन में पाये जाने वाले-औ विभक्त्यन्त रूप भी दोनों ही भाषाओं में विशेष रूप से पाये जाते हैं, यद्यपि अवेस्ता में यह रूप ओ के रूप में नहीं, अपितु आ के रूप में देखा जाता है। समझा

जाता है कि संस्कृत में इकारान्त शब्दों—कवि, हरि आदि के कवो, हरो आदि रूपों का विकास उकारान्त शब्दों के भानो आदि रूपों के सादृश्य पर हुआ होगा।

साहित्यिक संस्कृत में सामान्यतया इकारान्त शब्दों में तृतीया एकवचन में आ (-वा) अथवा -ना विभक्ति चिह्नों का ही प्रयोग होता है यथा—मति+आ> मत्या, कवि+ना> कविना। किन्तु इनके अतिरिक्त वैदिक संस्कृत में ई विभक्त्यन्त रूप भी पाये जाते हैं, यथा अक्षिती, जो कि अवेस्ता की तृतीया एकवचन की सर्वसामान्य रूप-रचना के साथ पूरी तरह साम्य रखते हैं। कहा जाता है कि अवेस्ता में केवल एक रूप हुआ (=स० सरथा) को छोड़कर शेष सभी इकारान्त शब्दों के तु० ए० व० के रूप ई विभक्ति प्रत्यय में ही बनते हैं यथा—असो, चिस्ती आदि।

इसी प्रकार अवेस्ता में उकारान्त शब्दों में से तृतीया एकवचन में एक रूप ऐसा मिलता है जो कि वैदिक संस्कृत की रूप रचना में पूरी तरह साम्य रखता है यथा—उध्वा तुल० स० श्रवा (वैदिक), ऋतुना (लौकिक) यद्यपि अन्यत्र ऊ विभक्त्यन्त रूप ही मिलते हैं।

रूपरचना सम्बन्धी इन विशेषताओं के अतिरिक्त शब्द भण्डार की दृष्टि से भी संस्कृत तथा अवेस्ता में अद्भुत साम्य एक नैवद्य पाया जाता है, यथा स० हिरण्यः अवे० जरन्य 'सुवर्ण', स० सेनाः अवे० हणनाः प्राचीन फारसी हदना 'सेना'; स० श्रष्टिः अवे०, प्रा० फा० अशित 'भाला,' स० क्षत्र . अवे० लअत्र 'साम्राज्य,' स० अशुरः अवे० अहुर 'प्रभु, सं० यज्ञः अवे० यस्न 'यज्ञ'; स० होतरः अवे० जओतर होता, यज्ञ कराने वाला, स० सोमः अवे० ह्.ओम' सोम रस; सं० अधर्वन् 'पुरोहितो का एक वर्ग' अवे० अग्रउर्वन्~आग्रयन् 'अग्निपूजक पुरोहित,' म० अयमन्ः अवे० अइयमन् 'धार्मिक परिपद् के सदस्य, स० इन्द्र . अवे० इन्द्र; स० मित्र अवे० मिग्रं 'देव विशेष,' स० वय 'इन्द्र का अस्त्र' वजू 'गदा,' म० बराह 'सुअर' बरान् 'वही,' म० सुराः अवे० हुरा 'मादक पेय,' म० सेतुः अवे० ह्.एतु 'पुत्र,' स० सगे <सून् . अवे० हर्ज़ 'त्यागना, स० अप्द्राः अवे० भरथा 'गोडा'; स० 'यमः विश्वन्त का पुत्र,' अवे० यिम 'विश्वन्त का पुत्र, 'म०-अवे० अपानपात् 'जल देवता का पौत्र, म०-अवे० पगु 'पशु', स०-अवे० वायु 'वायु'।

अगर दिखाया ही जा चुका है कि विया प्रकार गायों के पशुओं का वैदिक मंत्रों में ध्वन्यन्तरण किया जा सकता है। अवेस्ता तथा संस्कृत के बीच परस्पर नियमित रूप में परिवर्तित होने वाले कुछ प्रमुख ध्वनि नियमों को निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है—

1. संस्कृत की अर्धोप महाप्राण ध्वनियाँ (घ, ध, फ) अवेस्ता में गोष्म महाप्राण (घ, ध, फ) ध्वनियों में परिवर्तित हो गयीं।

घ→धः—सत्वा=ह्य 'मित्र'

←य→युः यथा—यथा 'जैसे', रथ=रथ 'रथ', गाथा=गाथा 'गान', अथ=अथ फ→फ→यथा फक्रम—'कफ'।

2 संस्कृत की घोष महाप्राण स्पर्श ध्वनिया इसमें सघर्षी ध्वनियों के रूप में मिलती हैं : ऋतु=ऋतु 'यज्ञ', मित्र=मित्र, सप्त=हृषत, स्वप्न=हृषत, सत्यम्=हरथम् कुम्भ=खुम्भ, युक्त=युक्त, मंत्र=मन्त्र, शुक्र=युक्त, प्र=प्र, पुत्रः पुत्रो, अरति=अरथन्, त्वां=त्वां, जाता यंता,

3 संस्कृत की घोष महाप्राण ध्वनिया (घ, घ, भ) अवेस्ता में घोष अल्पप्राण ध्वनियों (ग, ब, ब) के रूप में पायी जाती हैं।

घ→ग : घर्म=गरमो 'धूप', दीर्घम्=द्विरेगम्, जंघा=जंघा।

घ→द धेनु→दएतु 'गाय', अप्वानम्→अद्वानम्, धारयत्→दारयत्, अघात्→अदा।

भ→ब भूमि→बूमि 'धरती', भरतु→वरतु 'धारण' करे, भरति→वरइति, भ्राता→व्राता।

कभी-कभी भ, घ, छ, की अनुरूपी ध्वनि फ, ज, ज, भी पायी जाती है, उदाहरणार्थं गुम्भ=घिपुत 'पकड़ना', गोमेघ=गोमेज 'खेती', छंद=जंद 'छंद' इत्यादि।

4 इसी प्रकार संस्कृत की सोष्म ध्वनियों—स, श, ह—का अवेस्ता में निम्नलिखित ध्वन्यात्मक परिवर्तन पाया जाता है।

(1) पदादि स→ह—सत्ता=हत्ता 'मित्र', सप्त=हृषत 'सात', सुरा=हुरा, सेना=हृएना=हेना, सेतु=हृएतु (=हेतु) 'पुल', सोम=होम। कभी-कभी मध्य में भी यह परिवर्तन देखा जाता है, यथा असुर=अहुर, भरति=वरहि, अस्मि=अह्मि, नासम्=नाहम् 'नाक', अस्मत्=अहमत्।

(2) ह→ञ, हस्त=जस्ता 'हाथ'; हिरण्य=जरन्य 'सुवर्ण'; बाहु=बाबू ('बाह'), अहि=अजि 'सर्प'; हन्ति=जइन्ति मारता है, वराह=बराज 'सुअर, अहम्=अजम् 'मैं, होता=जओता 'होता'।

(3) पदादि श→स—शतम्→सतम् 'सौ', शरत् (द्)सर्अद् 'शीतकाल'; शूर=सूर 'वीर'।

(4) क्ष→श : क्षिति=शिति, तक्षन्=तरान्, ऋक्ष=अरश, राक्षस=राशो आदि।

5. संस्कृत स्पर्श ज का अवेस्ता में सघर्षी रूप ज पाया जाता है यथा—अजा=अजा "जानु=जानु 'घुटना'।

6 संस्कृत श्व का अवेस्ता में स्प के रूप में परिवर्तन देखा जाता है, यथा—विश्व→विस्पो 'जगत्', अश्व→अस्पो 'घोड़ा'।

7 सस्कृत अ → अवे० अर्ः कृणोति = करन्ओति, मृत्यु = मरत्युस्, पृष्ठ = परांम् ।

8 स्वरगम—शब्दादि र से पूर्व इ या अ स्वर का आगम भी पाया जाता है, यथा रिणस्ति = इरिणस्ति, रिप्सति = इरिप्येइति, तथा च अरबेम्पो = अस्पएइप्यो, रजत = अरजत ।

9. अपिनिहिति—अवेस्ता में पदान्त स्वर की अपिनिहिति भी सामान्यतः पायी जाती है—यथा भवति = बवइति, भरति = बरइति, रिप्सति = इरिप्येइति, गिरि = गइरि ।

10 ध्वनियों की दृष्टि से इन दोनों भाषाओं में पाया जाने वाला एक प्रमुख अन्तर यह है कि अवेस्ता में ट वर्गीय स्पर्श, कण्ठ्य नामिनय (ङ) तथा पार्श्विक स् का सर्वथा अभाव है। तालव्य वर्ग में भी केवल छ, ज ही मिलते हैं।

11. कहीं-कहीं अनियमित रूप में स्वरो की मात्राओं का अन्तर भी दृष्टि-गोचर होता है यथा—ऋतुम् = रितुम्, अथ = अथा आदि ।

उपर्युक्त सभी सरचनात्मक एवं ध्वन्यात्मक प्रवृत्तियाँ इस बात की स्पष्ट निर्देशक हैं कि संस्कृत तथा अवेस्ता के बीच अति घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। इन दोनों में पाया जाने वाला यह सम्बन्ध ऐसा ही है जैसा कि दो सहोदर बहिनों में पाया जाता है। जैसा कि पहले भी संकेत किया जा चुका है कि इस पारस्परिक तुलना का आधार इन दोनों भाषाओं के उम प्राचीन रूप में है जिसमें कि इनकी विभाषाएँ भी सम्मिलित हैं। ऋग्वेद के ममान ही गाथा माहिन्य भी एक ही व्यक्ति अथवा एक ही काल की रचना नहीं है। इनमें तत्कालीन विभाषीय ध्वन्यात्मक विशेषणाएँ भी अवश्य रही होंगी जो कि अब मूल रूप से सुरक्षित नहीं रह सकी हैं। हम देखते हैं कि अवेस्ता की प्राचीन गाथाओं में जो धार्मिक प्रयोग एवं ध्वन्यात्मक तथा स्वररचनात्मक अनेकानेक विशेषणाएँ पायी जाती हैं वे मध्यकालीन ईरानी में नहीं पायी जाती। यही स्थिति वैदिक संस्कृत तथा माहिन्यिक संस्कृत में पायी जाती है।

संस्कृत तथा अवेस्ता के इस तुलनात्मक विशेषण में यह स्पष्ट है कि संस्कृत के ऐतिहासिक अध्ययन के लिए अवेस्ता के अध्ययन का विशेष महत्त्व है। इस प्रकार के अध्ययन से निश्चित ही अनेक ध्वन्यात्मक विभाग के मिद्धान्तों एवं बिन्दुओं पर महत्त्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है। इसके प्रकाश में वैदिक संस्कृत में पाये जाने वाले अनेक शब्द रूपों एवं प्रयोगों की अध्यात्मिक गुणियों का गुमनाम जा सकता है जो कि हमें गहन देना है कि संस्कृत की √कृ धातु का प्राचीन भारत-ईरानी रूप √कृ था। इसमें व्युत्पन्न अवेस्ता का अर्ध इगका स्पष्ट प्रमाण है। इसी प्रकार के और भी अनेक रूप हैं जो कि संस्कृत ध्वनियों के विभाग पर सर्वथा नवीन प्रकाश डाल सकते हैं।

संस्कृत का क्रमिक विकास

भारतीयों के लिए तो 'संस्कृत' एक ऐसा महत्वपूर्ण शब्द है जिसके बिना इस देश के सांस्कृतिक एवं भाषायी इतिहास की कल्पना भी नहीं जा सकती। इसी के उपादानों से तो इस देश की संस्कृति एवं भाषाओं का विकास हुआ है। इतना ही नहीं, अपितु इस महाद्वीप की विभिन्न भाषाओं एवं संस्कृतियों के उपादानों का समीकरण करते रहने के कारण यह उन सभी भाषाओं एवं संस्कृतियों का प्रतिनिधित्व करती है जो इसके इस प्रदेश में पहुँचने से पूर्व यहाँ विद्यमान थी तथा जो बाद में भी समय-समय पर यहाँ आकर स्थिर होती रही। संस्कृत में अपने अतीत से ही विभिन्न विजातीय तत्वों को आत्मसात् करने की अद्भुत शक्ति थी, जिसके फलस्वरूप वह अपने भारत प्रवेश के बाद भी इस उपमहाद्वीप की अन्य किरात, द्रविड़, निपाद आदि पुरातन जातियों की भाषाओं और संस्कृतियों में उपलब्ध तत्वों का निरंतर समीकरण करती रही है।

भाषायी इतिहास की दृष्टि में संस्कृत का इतिहास बहुत प्राचीन तथा इसकी ऐतिहासिक परम्परा विश्व की सभी भाषाओं से अधिक दीर्घकालीन है। अपने वैदिक काल के स्वरूप को प्राप्त करने में पूर्व यह भाषा अपने इतिहास का एक

सम्बन्ध रागना पार कर चुकी थी। हमका यह वैदिक कालीन रूप मंत्रों वपों के निरन्तर, विन्तु गर्न-गर्न होने वाले विविध प्रकार के सम्मिश्रणों एवं परिवर्तनों का परिणाम था। अनुसंधान के परचगामी क्रम से खोज करने पर पता चलता है कि संस्कृत की विकास परम्परा का यह इतिहास गैकडो नहीं अपितु हजारों वर्ष पुराना है। स्वयं भारतवर्ष में हमें हमका लगभग 3500 वर्ष पुराना इतिहास अपने अविच्छिन्न रूप में प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त भारत-ईरानी मूल के रूप में हमें पूर्व का लगभग 1000 वर्ष का इतिहास भी इस रूप में उपलब्ध हो जाता है कि उसके प्रकाश में हम इसके वैदिक पूर्वकालीन रूप की क्रांती स्पष्टतः पा सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे समक्ष इसका 4500 वर्षों का इतिहास लगभग अपने प्रमवर्द्ध विज्ञान के रूप में था जाता है, पर भाषाशास्त्रीय दृष्टि से संस्कृत का वास्तविक इतिहास इससे भी बहुत पुराना है। भाषाशास्त्र-विदों की सूक्ष्मशिक्षा ने इसके उस मूल रूप तक को देखा लिया है जो आज से हजारों वर्ष पूर्व इस उप-महाद्वीप से हजारों मील की दूरी पर प्रचलित रहा होगा। इसकी ऐतिहासिक खोजों तथा इसके मूल रूपों के पुनर्गठन की पद्धतियों पर हम आगामी पृष्ठों में विचार करेंगे। इनके प्रकाश में हम देख सकेंगे कि संस्कृत भाषा का इतिहास कितना प्राचीन है तथा इसके साहित्यिक (Classical) रूप का विकास किन-किन स्तरों को पार करने के बाद हुआ है।

सामान्यतः 'संस्कृत' का अभिप्राय उम पूर्ण विकसित भाषायी रूप से है जो संस्कृत साहित्य के मूल के लिए पाणिनि तथा उनके बाद के युग में इस देश में प्रयुक्त होता रहा है, किन्तु इसके भाषायी इतिहास को समझने तथा इसके विकास प्रम को देखने के लिए इसका प्रयोग उम विस्तृत अर्थ में किया जाता है जिसके अन्तर्गत इसके पूर्ववर्ती रूपों, विशेषकर वैदिक संस्कृत का भी समावेश हो जाता है। प्रस्तुत ग्रन्थ में संस्कृत शब्द का प्रयोग इसी विस्तृत अर्थ में किया जा रहा है।

संस्कृत भाषा के मूल रूप की उत्पत्ति एशिया या यूरोप, चाहे जहाँ भी हुई हो, किन्तु 'संस्कृत' शब्द में जिस भाषा का बोध होता है उसका विकास भारत की इसी भूमि में हुआ है। प्राचीन वैदिक साहित्य में भाषा की दृष्टि से मध्य-देशीय भाषा को बड़ा महत्त्व दिया गया है। जनसभ-ब्राह्मण में कुछ-याचान प्रदेश की भाषा को आदर्श भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है।¹ इसी प्रकार ऋषीतर्की ब्राह्मण में भी एक स्थान पर कहा गया है कि जो भाषा मीथना पाहता है उसे उत्तर की ओर जाना चाहिए या फिर जो उम दिशा से आता हो, उमसे उसे

भाषा सीढ़नी चाहिए।¹ भाषा-विषयक इन प्राचीनतम उल्लेखों के आधार पर कहा जा सकता है कि संस्कृत भाषा के विकास का प्रारम्भिक भारतीय केन्द्र मध्य-देश अर्थात् आर्यावर्त प्रदेश था। केन्द्र प्रदेश की भाषा होने के कारण इसने मानक-भाषा का रूप ग्रहण कर लिया तथा साहित्य एवं विज्ञान की माध्यम बनकर महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया। इसीलिए प्राचीन भारत में धार्मिक ग्रन्थों के अतिरिक्त गणित, राजनीति, ज्योतिष, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र, दर्शन, गित्य, रसायन आदि सभी विषयों का प्रणयन भी इसी भाषा के माध्यम से होने लगा। संस्कृत ही उस काल की लिखित भाषा थी।

यद्यपि आधुनिक भाषावैज्ञानिक अनुसंधानों के आधार पर संस्कृत का उद्गम भारोपीय मूल स्रोत से मिद्ध किया जा चुका है, किन्तु इससे पूर्व भारतीय परम्परा में इसका उद्गम वैदिक भाषा से ही माना जाता रहा है।² स्वयं ऋग्वेद में और 'काव्यादर्श' में इसे 'दैवी वाग्' कहा गया है।³ भाषा के अर्थ में 'संस्कृत' शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम दाल्मीकि रामायण में पाया जाता है।⁴

भारत में आर्य-भाषा की जननी के रूप में संस्कृत का प्राचीनतम रूप हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है। वैदिक साहित्य के उत्तरवर्ती रूपों में हमें इसके शनैः-शनैः विकसित होते हुए रूपों के दर्शन होते हैं तथा हम देखते हैं कि निरुक्तकार यास्क के समय तक आते-आते इसका यह वैदिक रूप काफी बदल चुका था। इसके बाद हम देखते हैं कि आचार्य पाणिनि के समय में वैदिक एवं लौकिक भाषा में इतना अन्तर आ चुका था कि इन्हें दो पृथक्-पृथक् नामों से पुकारा जाने लगा था। स्वयं पाणिनि ही 'छन्दस्' (वैदिक) एवं 'भाषा' (लौकिक) के रूप में इन दोनों की सरचना के अन्तर का स्पष्ट निर्देश करते हैं। कात्यायन और पतञ्जलि के समय तक तो दोनों में भेद और भी अधिक बढ़ गया था। हम देखते हैं कि महाभाष्य के प्रारम्भ में ही 'अयं शब्दानुशासनम्' पर लिखते हुए उन्हें 'केषां शब्दानाम्? लौकिकानां वैदिकानां च' कह कर दोनों का स्पष्ट रूप से पृथक्-पृथक् निर्देश करना पड़ा था। वैदिक तथा लौकिक दोनों भाषाओं की तुलना करने पर देखा जाता है कि इन

3. तस्मात् उरीच्य शान्नरा वाक् उद्यते । उद च उ एव मन्त्रि वाचं शिशितुम् । यो वा उत आगन्त्युर्गि तस्य वा शुभ्रुषन्त ।

श्री० श्लो० 7.6

3. अनादि निघना मित्वा वाग्लुप्टा स्वयम्भवा ।

आशी वेदमयो दिव्या यतः सर्वा प्रवृत्तयः ॥ महा० शान्ति० 231.56

4. 1. दैवो वाचमनयंत देवास्ता विश्वरूपो. पशवो वदति । ऋग्० 8.100 ॥

2. सप्तद्वं नाम देवो वागन्वाक्याता महर्षिभिः । काव्यादर्श, 1.33

5. दुप०, दाल्मीकि रामायण, सुन्दरकाण्ड, 30.17

हनुमान्—वाच घोडाहरिकामि मान्गोमिहं उच्यताम् ।

दोनों में ही ध्वनि-प्रक्रिया, रूप-रचना, वाक्य-रचना एवं शब्दार्थों की दृष्टि से पर्याप्त अन्तर आ चुका था।

संस्कृत के भाषाई इतिहास को देखने में पता चलता है कि पाणिनि के बाद भी इसमें प्राकृत एवं द्रविड भाषाओं के अनेक तत्त्वों का सम्मिश्रण होता रहा। इसीलिए आचार्य कात्यायन को संस्कृत में आगत इन नये शब्दों एवं प्रयोगों की सिद्धि के लिए पाणिनि के सूत्रों पर वार्तिक लिखकर उन्हें प्रामाणिकता प्रदान करनी पड़ी, पर ज्यो-ज्यो समय बीतता गया, शुद्धतावादियों के कारण संस्कृत की ग्रहणशक्ति का हास होता गया और गुप्तकाल में आकर इसका रूप लगभग स्थिर हो गया।

ऐतिहासिक विकास की दृष्टि से भारतीय आर्य भाषाओं के विकास का अध्ययन तीन चरणों में किया जाता है। प्रथम प्राचीन भारतीय आर्य भाषा (प्रा० भा० आ०) काल, जिसकी पूर्व सीमा ऋग्वेद तथा अपर सीमा पाणिनि, पतञ्जलि द्वारा व्याख्यात एवं मानकीकृत रूप है। इसके दो रूप हैं एक वैदिक तथा दूसरा लौकिक। दूसरे चरण का प्रारम्भ भगवान् बुद्ध के द्वारा अपने प्रवचनों के लिए अपनायी गयी पाली में लेकर उन विभिन्न प्राकृतों तक है जिनका उपयोग जैनो और बौद्धों ने धार्मिक साहित्य के लिए एवं अन्य प्रकार की साहित्यिक रचनाओं के लिए किया तथा जिन्हें कई शिलालेखों व मिक्को में भी अक्षिप्त पाया जाता है। सामान्यतः इसे प्राकृत-काल कहा जाता है तथा इसे तीन कालों में विभक्त किया जाता है अर्थात् 1. प्रथम प्राकृत (500 ई० पू० से लेकर ईस्वी सन् के प्रारम्भ तक) जिसमें पाली तथा अशोक के शिलालेखों का समावेश किया जाता है, 2. द्वितीय प्राकृतकाल (ईस्वी सन् के प्रारम्भ से 500 ई० तक) जिसमें महाराष्ट्री, शौरसेनी, आदि प्राकृतों के साहित्य का समावेश किया जाता है, एवं 3. तृतीय प्राकृत काल (500 ई० से 1000 ई० तक) जिसे अपभ्रंस काल भी कहा जाता है। प्राकृतों के सम्बन्ध में हेमचन्द्र जैसे कुछ लेखकों का बयान है कि इनका विभाग संस्कृत में हुआ है—प्रकृतिसंस्कृतम्, तत्र भवं ततः आगतं वा प्राकृतम् तथा कुछ अन्य लोग प्रकृत्या स्वभावेन सिद्धम् प्राकृतम् की निरक्षिप्त के अनुसार इसे भाषा का स्वतंत्र विभाग मानते हैं। हमें प्रथम की अपेक्षा द्वितीय श्रुत्यति अधिक सार्थक लगती है। इसके बाद भा० आ० भा० का तृतीय काल प्रारम्भ होता है जिसे आधुनिक भारतीय आर्यभाषा काल कहा जाता है। भारत की सभी आर्य-भाषाओं का विकास तत् तत् क्षेत्रीय अरुध्रणों से दृगवी सनाब्दी के उपरान्त प्रारम्भ हुआ था जो कि अभी भी चल रहा है। किन्तु इन ण्य में हम केवल प्रा० भा० आ० भा० के सम्बन्ध में ही चर्चा करेंगे।

भाषा के इन सभी रूपों की अपनी-अपनी विकास यात्रा के प्रत्येक चरण में अनेक प्रकार के परिवर्तनों में गुजरना पड़ा है। इनके अनेक कारण हैं, किन्तु इन सब में अत्यन्त कारण है भाषिक सम्पर्क तथा भाषिक सम्मिश्रण। यह एक स्वयंसिद्ध तथ्य

है कि जब दो भिन्न-भिन्न भाषिक समुदायों के लोग दीर्घ काल तक निकट सम्पर्क में रहते हैं तो उनमें पारस्परिक भाषिक आदान-प्रदान होता ही है किन्तु इस प्रकार का आदान-प्रदान भाषा के शब्द-भण्डार को ही प्रभावित करता है। पर जब कोई भाषिक समुदाय व्यवहार भाषा के रूप में किसी अन्य भाषिक समुदाय की भाषा को अपनाता है तो वह भाषा के सभी स्तरों पर इसे अपनी भाषिक प्रवृत्तियों से प्रभावित कर डालता है, जैसे भारतीय भाषा भाषियों के द्वारा अंग्रेजी भाषा के प्रयोगों में देखा जा सकता है। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि आर्येतर भाषा-भाषियों के साथ आर्य भाषा भाषियों का सम्पर्क वैदिक काल में ही हो चुका था। ऋग्वेद में इन्हें 'दाम' तथा 'दस्यु' नामों से अभिहित किया गया है। इसके बाद के साहित्य में जिन अनायें जातियों का उल्लेख मिलता है, उनके नाम हैं निपाद, किरात, बाह्लीक आदि। वैदिक काल के प्रारम्भिक युगों में यद्यपि इन भाषिक समुदायों में सघर्ष की स्थिति पायी जाती है किन्तु बाद में इनमें सह अस्तित्व की सामान्य स्थिति पैदा हो गयी थी।

इसमें सन्देह नहीं कि आर्येतर वर्गों के इन लोगों का, जिन्हें 'दास' कहा गया है, पुरातन काल में ही आर्यीकरण किया जाने लगा था। ऋग्वेद में इन्द्र के द्वारा इनके आर्यीकरण का उल्लेख मिलता है (ऋक् 6.2.21)। यद्यपि इन्हें आर्यों के सामाजिक समूहों के हिसाब में निम्न वर्ग में रखा गया था किन्तु ऋग्वेद में कृष्ण (ऋग् 8.85-86) तथा दीर्घतमस् (ऋ० 1.158) जैसे अनायें वर्गों के लोगों का मंत्र-द्रष्टा ऋषियों के वर्ग में सम्मिलित किया जाना, इस बात का स्पष्ट संकेतक है कि अनायें वर्गों के लोगों को भी उच्च वर्गों में स्थान मिल सकता था। सम्भव है कि अनायों के आर्यीकरण की इस प्रक्रिया में उन्हें क्रमशः आर्यों के ढाँचे में भी वही स्थान दिया गया हो जो कि उन्हें अपने समाज में प्राप्त था। इसके अतिरिक्त यह भी सम्भव है कि आर्य वर्गों में गुण-कर्म के आधार पर जाति के उन्नयन तथा अवनयन की सुविधा उपलब्ध होने के कारण इस वर्ग में सम्मिलित कतिपय महत्त्वाकांक्षी अनायें लोगों ने आर्य भाषा को व्यवहार भाषा के रूप में अपना लिया हो और उसमें प्रवीणता भी प्राप्त कर ली हो तथा कालान्तर में भाषिक आदान का क्षेत्र विस्तृततर होता गया हो।

प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं का विकास दो चरणों में हुआ है। इनमें से प्रथम चरण को वैदिक संस्कृत तथा दूसरे को लौकिक संस्कृत के नाम से अभिहित किया जाता है। इन दोनों के भाषिक रूपों का परिचय निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है।

वैदिक भाषा

वैदिक भाषा का प्राचीनतम रूप ऋग्वेद के प्रारम्भिक मण्डलों में पाया जाता है। भाषा का यह रूप न केवल आर्य परिवार की भाषाओं का अपितु सम्पूर्ण भारोपीय परिवार की भाषाओं का प्राचीनतम उपलब्ध रूप है।

भाषिक दृष्टि से वेदों की भाषा का विश्लेषण करने पर देखा जाता है कि यह भाषिक विकास के कई पट्टाओं से गुजरी है तथा इसमें कई क्षेत्रीय विभाषाओं का योगदान रहा है। स्वयं ऋग्वेद के विभिन्न मण्डलों की भाषा के तुलनात्मक अध्ययन में भी वैदिक भाषा का यह रूप प्रत्यक्ष हो जाता है। उदाहरणार्थ, इसके प्रथम मंडलों में यदि स्वार का अधिक प्रयोग पाया जाता है तो उत्तरवर्ती मंडलों में लकार का यथा—सुच् > म्नुच्, रम् > सम्, रोहित > सोहित, रप् > सप् आदि।

भूय भारोपीय के पुनर्गठित रूपों के साथ वैदिक भाषा के रूपों की तुलना करने पर यह भी देखा जाता है कि मूल स्वरों की दृष्टि में इसमें बहुत परिवर्तन आ चुका है जो कि ग्रीक तथा लैटिन में अपेक्षाकृत कम हुआ है, यद्यपि व्यञ्जन-ध्वनियों का संरक्षण इसमें अधिक हुआ है (देखो, वैदिक ध्वनि प्रक्रिया तथा संस्कृत ध्वनियों का विकास)। वैसे तो व्यञ्जनध्वनियों की दृष्टि से भी इसकी अपेक्षा अत्रेस्ता में कल्पित ऐसी ध्वनियों का संरक्षण पाया जाता है जो कि इसमें या तो लुप्त हो गयी हैं या अन्य ध्वनियों में विलीन हो गयी हैं।

इसके अनिश्चित कई धातु मूल तथा प्रातिपदिक भी ऐंसे हैं जो कि दगरी दग लम्बी यात्रा में बहुत पीछे छूट गये हैं, यथा मत्तायंत अस् धातु के रूप। हिती में इसके रूपों की मत्ता मभी बचनी तथा सवारो में पायी जाती है जब कि प्रा० भा० आ० भा० में केवल लट्, सौट् तथा विधिमिड् के कल्पित रूपों में ही। हिती के रूप इस प्रकार हैं—

लट्	अ० पु०	एस्तस्ति	ए० व०	अरान्ति	व० व०
	म० पु०	—	”	एस्तारि	”
	प्र० पु०	एग्मि	”	एग्मिमि	”
सौट्	म० पु०	एम्	”	एस्तेन	”
	अ० पु०	एग्नु	”	अग्नु	”
					आदि।

गर्वाणाम् की दृष्टि में विचार करने पर भी हम देखते हैं कि कल्पित गर्वाणाम् मूलों के कुछ वैकल्पिक रूप हैं। प्रा० भा० आ० भा० में बच पाते हैं, यथा गृह्यत में अस्मद् के रूपों के साथ द्वितीया, षष्ठी आदि विभक्तियों के कल्पित रूपों में वैकल्पिक रूप का भी पाया जाता है जो कि अस्मद् मूल से बना हुआ न होकर द्वितीया अन्य मूल से विकसित होना चाहिए, पर गृह्यत में दग मूल का कोई गर्वाणाम्

नहीं है। किन्तु इस मूल का भी कोई सर्वनाम भारोपीय में था, इसकी पुष्टि उन अनेक भाषाई रूपों से होती है जो कि इस परिवार को अन्य पुरातन भाषाओं में पाये जाते हैं, यथा हित्ती—अन्सस्=हं० नस्>(नः), नास्, नाशा (हमको, हमारा)। लैटिन में यद्यपि अहम् का प्रतिरूपी तो एगो है किन्तु वयम् का नोस्। इसी से प्र० पु० के नोस्त्रुम्, नोबीस आदि व० व० रूप बनते हैं। ग्रीक में भी यद्यपि अहम् का अनुरूपी एगो ही है तथा व० व० में ऐम, एमोन आदि बनते हैं पर द्वि० व० में रूप बनते हैं नो और नोन। जो कि न मूल की सत्ता के स्पष्ट द्योतक हैं।

न के समान ही लौकिक संस्कृत में युष्मद् के द्वि०, चतुर्थी पष्ठी विभक्तियों में वैकल्पिक रूप में वः का प्रयोग मिलता है। यद्यपि संस्कृत में इस सावनामिक प्रतिपादक की स्थिति नहीं पायी जाती, किन्तु भारो० वर्ग की अन्य प्राचीन भाषाओं में, विशेषकर लैटिन में, इसकी पूरी रूप रचना का अस्तित्व पाया जाता है। पुरातन भाषाओं, लैटिन तथा अवेस्ता, में इसे इन रूपों में देखा जा सकता है—

कारक	शी०	लै०	अवे०	वै० स०	सा० स०	पाली
कर्ता	उमेइस्	वोस्	युजेम्	युष्म/युष्मे	युष्म	तुम्हे/वो
कर्म	उमस्	वोस्	वो	युष्मान्	युष्मान्/व	" "
करण	—	वोविस्	—	"	युष्माभि	तुम्हेहि "
सम्प्रदान	उमिन्	वोविस्	युष्मा- ओयो	युष्मभ्यम्/ युष्मे	युष्मभ्यम्/व	तुम्हे/वो
अपादान	—	वोविस्	युष्मत	युष्मत्/"	युष्मत्	तुम्हेभि/वो
सम्बन्ध	उमोन	वेस्त्रुम्	युष्मानेम्	युष्माकम्	युष्माकम्/व	तुम्हाकं/वो
अधिकरण	उमिन्	वोविस्	—	युष्मे	युष्मासु	तुम्हेसु

उपर्युक्त कारकीय रूपों को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि लैटिन में सावनामिक पद वः के रूप सभी कारकों में प्रयुक्त होते थे। इसके अतिरिक्त अवेस्ता में भी इसके एक रूप (द्वि० व० व०) का पाया जाना, इस बात का निश्चित प्रमाण है कि भारत-ईरानी काल में इस सर्वनाम का प्रयोग प्रचलित था। वैसे वैदिक संस्कृत में यद्यपि इसका प्रयोग नहीं पाया जाता, किन्तु पाली तथा लौकिक संस्कृत में इसका पाया जाना इस बात का सकेतिक है कि वैदिक काल में भी यह प्रयोग में प्रचलित रहा होगा। यह भिन्न प्रश्न है कि साहित्य में कहीं इसका लिखित रूप नहीं मिलता।

वैदिक भाषा की विशेषताएं—भाषिक दृष्टि से वैदिक भाषा की कई ऐसी विशेषताएं हैं जो कि प्रा० भा० आ० भा० के विकास के विभिन्न चरणों पर पीछे छूटती गयीं। इनमें से कुछ का परिचय इस प्रकार है—

वैकल्पिक रूपों का बाहुल्य—व्याकरणिक नियमों से नियमित न होने तथा इसी कारण किसी सावर्देशिक मानकीकृत रूप के न होने से वैदिक भाषा में सभी कोटियों के शब्दों में अनेक वैकल्पिक रूप विकसित हो गये थे तथा भाषा में उनकी मान्यता प्राप्त थी। पाणिनि जी ने 'छन्दसि बहुलम्' के द्वारा इसी तथ्य का उल्लेख किया है। महाभाष्यकार ने इस प्रकार के रूपों को 'व्यत्यय' कहकर 'व्यत्यये बहुलम्' (3-1-85) के प्रसंग में इन्हें भली भाँति स्पष्ट भी कर दिया है। वे कहते हैं—'द्योपविभागः कर्ताव्यः। छन्दसि सर्वे विधयो भवन्तीति। मुपा व्यत्ययः। तिङ् व्यत्ययः। वर्ण व्यत्ययः। लिंग व्यत्ययः। पुरुष व्यत्ययः। काल व्यत्ययः। आरम्भनेपदः व्यत्ययः। परस्मैपद व्यत्ययः इति।'

इन व्यत्ययों को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने वैदिक साहित्य से जिन अनेक मन्त्रों को उद्धृत किया है, उनमें से कुछ इस प्रकार हैं—ऋजव मन्तु पन्था/पन्थान्; परमे व्योमन् (व्योमिन्~व्योमनि)। लोहिते धर्मन् (धर्मणि)। आर्धे धर्मन् (धर्मणि)। धीती (धीत्या)। मती~(मत्या)। या सुरया रथीतमा दिविस्पृशा अश्विना (=यो सुरयो रथीतमो दिविस्पृशो अश्विनो)। ननाद् ब्राह्मणम् (नत ब्राह्मणम्)। यादेव (यमेव)। दुग्दे (दुग्दाम्)। अग्ने (अस्मभ्यम्)। उर्या (उर्या)। धृष्णुया (धृष्णुना)। नामा (नामौ) आदि। स्मरणीय है कि उपर्युक्त विवक्त्यों में से लौकिक संस्कृत में केवल वही रूप मान्य हुए जो कि कोष्ठकों में रखे गये हैं।

इसी प्रकार चारकों के व्यत्ययों के विषय में पाणिनि जी कहते हैं—चतुर्थ्यर्थे बहुलं छन्दसि (2. 3. 62), षष्ठ्यर्थे चतुर्थो वाच्यम् (वा)। पतेश्च करणे (2-3-63) आदि। वैदिक भाषा में मत्तमी के स्थान पर प्रथमा या षष्ठी का प्रयोग, द्वितीय-चतुर्थी के स्थान पर षष्ठी का प्रयोग इनके भाषिक प्रयोगों का एक सामान्य रूप है। मशा पदों में देवाम/देवा, देवेभिः/देवी, पन्थान्/पन्था, गवाम्/गोनाम्, पत्या/पतिना, जैसे विकल्प तथा क्रियापदों में इच्छते/इच्छन्ति, (इच् का उभयपदी प्रयोग)। भिद्, म्, हन् आदि के भेदति, भिनसि, मरति, भारयति, हन्ति, हन्ति जैसे वैकल्पिक रूपों का प्रयोग सर्वमान्य रूप में पाया जाता है (अधिक विवरण के लिए देखिए—वैदिक तथा लौकिक मन्त्रों में अन्तर)।

वैदिक भाषा में पुरुष वाचक सर्वनामों के प्रयोगों के सम्बन्ध में विशेष उल्लेखनीय बात यह है कि इनमें कई विभक्तियों एवं वचनों में कतिपय वैकल्पिक रूप भी चलते थे जो कि बाद की भाषा में समाप्त हो गए। यथा प्रथम पुरुष द्वि० व० में वैकल्पिक रूप में आचम् तथा आचाम् का प्रयोग चलता था। इनमें से आचम् रूप अधिक प्रचलित था, किन्तु लौकिक भाषा में आचाम् ही रह गया। इसी प्रकार पञ्चमों विभक्ति के द्वि व० में आचाम्याम् के गाय आचन् का भी प्रयोग होता था जो कि बाद में समाप्त हो गया।

चतुर्थी पष्ठी, सप्तमी विभक्तियों के बहु वचनी रूपों के वैकल्पिक रूपों में अस्मि, युष्मे भी चलता था। प्रातिशाख्यों ने भी इनका उल्लेख किया है, अस्मे, युष्मे त्वे मे इति चोदात्तः, (अथर्व० प्राति० 1-77)। ऋग्वेद (1-173-10) में अस्माकम् के स्थान पर अस्माक ऋष भी मिलता है। इसी प्रकार युष्माकम् के साथ युष्माक भी पाया जाता है (ऋग्० 7 59.9-10)। युष्मद् के रूपों में सप्तमी ए० व० में त्वयि के साथ त्वे रूप भी मिलता है। ऋग्वेद में तो केवल त्वे रूप ही मिलता है। त्वयि के प्रयोग का बाहुल्य वैदिकोत्तर साहित्य में ही मिलता है, वैदिक साहित्य में बहुत कम। इसी प्रकार प्रथमा द्वि० व० में युवम् तथा युवान् रूपों का मुक्त प्रयोग पाया जाता है। सूत्रकाल तक के प्रयोगों में युवम् का प्रयोगाधिक्य तथा बाद के कालों में युवान् का प्राधान्य पाया जाता है। ऐसे ही तृतीया द्वि० व० में युवभ्याम् तथा युवान्याम् की भी स्थिति पायी जाती है। इसमें भी प्रथम प्रयोग केवल वैदिक काल तक ही सीमित रहा है।

ऋग्वेद (1 109 1) में त्वत् तथा अत्वत् जैसे रूपों के समकक्ष युष्मत् के साथ युवत् का भी प्रयोग पाया जाता है जोकि बाद में एकदम प्रयोग-बाह्य हो गया। यही बात पष्ठी तथा सप्तमी के द्विवचनी रूपों—युवोः तथा युवयोः के सम्बन्ध में भी देखी जाती है। इनमें युवोः का प्रयोग वैदिक काल के बाद अनुपसन्ध हो जाता है।/ ऐसे ही सप्तमी व० व० में युष्मासु के साथ युष्मे भी मिलता है, जो कि चतुर्थी, व पष्ठी व० व० में भी इसी रूप में मिलता है।

सर्वनामिक रूपों में मुख्य वाचक सर्वनामों के वैकल्पिक रूपों के अतिरिक्त और भी अनेक विभेद देखे जाते हैं, यथा सकेत बोधक सर्वनामों के प्रथमा तथा द्वितीया के द्विवचन में औ के अनिरिक्तया विभक्ति प्रत्यय की स्थिति भी पायी जाती है, जैसे तद् से ता/ती, एतद् से एता/एतो, त्यद् से त्या/त्यौ। इसी प्रकार नपुंसक बहुवचनी रूपों में भी-आनि के साथ माय-आ का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे—तानि/ता, एतानि/एता, तयानि/त्या, इमानि। इमा, यानि/या, कानि/का आदि। मौखिक संस्कृत में आ वाले रूप प्रयोग-बाह्य हो गए थे।

सज्ञा पदों के समान ही सर्वनाम रूपों में भी तृतीया व० व० में भिस् तथा ऐस् दोनों ही प्रत्ययों का प्रयोग पाया जाता है, यथा तैः/तिभिः। स्मरणीय है कि तैः के यथावत् अनुरूपी रूप अवै० तथा तियु० में तथा तेभिः का अनुरूपी त्येभि प्रा० स्ताव में मिलते हैं। इसमें प्रतीत होता है कि मूल भारोपीय में ये दोनों प्रत्यय प्रयुक्त होते थे।

वैदिक काल में तद् के समानार्थी स सर्वनाम की भी भत्ता थी, इसका प्रमाण मिलता है इसमें निर्मित रूपों—सस्मिन् (ऋग्० 1 52.15 आदि नौ बार) तथा सस्मत् (छन्दो० में)। ऐसे ही इवम् पु० के तू० ए० व० में एतेन/एना, स्त्रीतिन में अनया/अया, पष्ठी-सप्तमी द्वि० व० में अयोः। अयोः/पद्। के येन/येना

पयो/यो: जैसे वैचल्यिक रूप सामान्यतः पाये जाते हैं। यद्यपि लौकिक संस्कृत में केवल अनया, अनयो तथा पयो: बाने रूप ही प्रयोग-सम्मत माने गये थे।

यही स्थिति मर्यादा वाचक शब्दों की रूप-रचना में भी देखी जाती है—डो/डो, शोणाम्/शयानाम्, अष्ट/अष्टौ अष्टौ। इगमे अष्टा रूप केवल वैदिक भाषा तक ही सीमित है। कम वाचकों में चौथे में लेकर सातवें तक निरपवाद रूप में 'य' प्रत्यय का योग पाया जाता है। फलतः पंचम, सप्तम जैसे रूप मिलते हैं जो कि बाद में बिल्कुल प्रयोग-बाह्य हो गये।

पुरुष वाचक सर्वनामों के समान ही मकेत बोधक सर्वनामों के भी कई रूप थे, यथा त्वद् (त्व) 'वह'। वैदिक भाषा में इसका प्रयोग सर्व सामान्य रूप में पाया जाता है जो कि उत्तरोत्तर कम होता गया और लौकिक संस्कृत तक आने-आने बिल्कुल समाप्त हो गया। भाषोपीय वर्ग की कतिपय पुरातन भाषाओं में इसकी स्थिति हम बात की छोटक है कि यह सर्वनाम भारतीय मूल का था, जैसे पिउय (गो०) च्य (अवे०), द्यस् (प्रा० जर्मन) आदि।

त्यद् के समान ही 'अस/असः' 'यह' भी एक मकेत-बोधक सर्वनाम था जिसका प्रयोग महिना, मय ब्राह्मण तथा सूत्र सभी में मिलता है। यथा काठक महिना में अमोह्यस्मि सा त्वम् (35 18)। इसके अमा, अमात् आदि रूप भी पाये जाते हैं। गृह्यसूत्रों तक इगमा काफी प्रयोग होता था किन्तु उसके बाद समाप्त हो गया। बगो (पृ० 274) के अनुसार संस्कृत के अनिश्चित प्रा० प्रा० में भी इगमा प्रयोग पाया जाता है।

वैदिक भाषा में इगो वर्ग का एक अन्य सर्वनाम था 'अव'। ऋग्वेद में इसका प्रयोग दस रूपों में पाया जाता है—अवोरिरथा वाग (6 67.11) अवोर्वाम् (7 67 4) अवोर्वा (10.132 ०), किन्तु उत्तरवर्ती वैदिक साहित्य में इगमा प्रयोग मिलना बन्द हो जाता है। संस्कृत के अनिश्चित अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं में इसकी उपस्थिति हम बात की संकेत है कि यह भारतीय मूल का शब्द है, जैसे प्रा० म्वाव ओवु० अवे तथा प्रा० प्रा०—अव।

गणित बोधक सर्वनाम त्व (त्वद्) का प्रयोग वैदिक साहित्य में तो बहुतायत में पाया जाता है किन्तु सूत्र तथा उपनिषद् काल में आकर बिल्कुल समाप्त हो गया है। संस्कृत के अनिश्चित अवस्था में इगमा अनुसूची रूप ध्वन् पाया जाता है जो कि इसके भारतीय मूल का होने की पुष्टि करता है।

यही स्थिति अनिश्चयार्थक सर्वनामों तक तथा तिम की भी है जो कि 'प्रत्येक' या 'कोई' अर्थ का बोध कराते थे। यह नाम समानार्थक तम में द्विगम था। इसे स्पष्ट करने हुए मिटान्त बौद्धों में कहा गया है कि 'तमः तद्व्यपरीधः, तुन्यपरीधन्तु मेह गृह्णते (प्रा० 1.3.27 पर तद्व्यपरीधनी)। इगो प्रकार तिमः के विषय में भी कहा गया है—तिमः कृष्णे च शक्ते च तद्व्यपरीधत्तयोः (यही)।

इनका प्रयोग वैदिक भाषा में तो चलता रहा, किन्तु उत्तरवर्ती उपनिषद् तथा सूत्र काल की भाषा में समाप्त हो गया।

ऐसे ही वैदिक भाषा में प्रथम वाचक सर्वनाम किम् का वैकल्पिक रूप क्य भी मिलता है, यथा क्यस्यच्चिन् (ऋ० 1 27.8 आदि), किन्तु बाद के साहित्य में ऐसा कोई प्रयोग नहीं पाया जाता है।

लौकिक संस्कृत

प्राचीन भारतीय आर्य भाषा अपने विज्ञान के प्रत्येक धरण पर भाषिक परिवर्तनों में प्रभावित हो रही थी, इसे मिट्टी करने के लिए किसी विस्तृत अध्ययन की आवश्यकता नहीं। इसके उपलब्ध साहित्य की प्रत्येक विधा—वैदिक मंत्रों, महिनाओ, आरण्यको, उपनिषदों तथा महाकाव्यों की भाषा के रूपों को देखने से यह बात किसी अभाषाशास्त्री को भी स्पष्ट हो सकती है। यदि बीच की कड़ियों को निर्यात दें तो वैदिक तथा लौकिक के भाषाई रूपों का अन्तर बहुत साफ दिखाई देने लगता है। किन्तु ये परिवर्तन किसी चमत्कार के नहीं अपितु एक सहज बोधगम्य भाषाई प्रक्रिया के परिणाम हैं। आवश्यकता है भाषाई परिवर्तनों की इस पृष्ठभूमि को समझने की।

साहित्यिक अथवा लौकिक संस्कृत के विकास के सम्बन्ध में डॉ० मुनीति कुमार चटर्जी लिखते हैं—600 ई० पू० के पूर्व तक अफगान प्रदेश से बंगाल तक एक छत्र राज्य करने वाली संस्कृत भी स्वयं एक अन्यतम बोली थी जिसे समस्त आर्य उपभाषाओं के उपादानों को लेकर एक साहित्यिक अथवा कलात्मक भाषा का निर्माण किया (भा० आ० भा० और हि०, पृ० 184)।

इसके स्वरूप निर्माण तथा अभिवृद्धि में योगदान करने वाले कतिपय तत्त्वों का विवेचन निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है।

नव शब्दनिर्माण—संश्लिष्टात्मक भाषा होने के कारण संस्कृत में प्रारम्भ से ही नव शब्दनिर्माण की एक बहुत बड़ी शक्ति थी। अतः बढ़ते हुए सामाजिक तथा सामूहिक परिवेशों में जब कभी भी नूतन अभिव्यक्तियों के लिए नवीन भाषाई रूपों की आवश्यकता हुई तो इसे वैदिक तथा पूर्व वैदिक काल में चले आ रहे धातु मूलों के साथ विभिन्न उपसर्गों तथा प्रत्ययों का योग करके नवीन शब्दों का निर्माण करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। यथा, अन्न के उत्पादन के हिनाब में जेनों की मात्र के सूचक शब्दों का निर्माण, जिन्हें कि अन्न राशि सूचक शब्द के साथ इरु प्रत्यय का योग करके बना गया, जैसे श्रेण से श्रेणिक, प्रस्य से प्रास्थिक, सारी में सारीक आदि। ऐसे ही बाजार में हरी सन्धियों के परिमाण (मुट्ठे, गड़ियों) के लिए पण शब्द का योग करके शाकपण, मूलपण आदि शब्द बना लिये। ऐसे ही रंगों के सम्बन्ध में भी प्रत्ययों के योग से मांजिष्ठ, साक्षिक,

रोचनिक आदि पदों का निर्माण कर लिया गया था ।

नवीन शब्दों के निर्माण के लिए प्रकृति-प्रत्यय योग-विधि के अतिरिक्त त्रिम विधि का बहुतायत से प्रयोग किया गया था, वह थी समस्तपद रचनाविधि । किसी वस्तु के सम्बन्ध में किसी पौराणिक या व्यावहारिक सकल्यनाओं के आधार पर त्रिमो एक शब्द का निर्माण करके उनके पर्यायवाची शब्दों में उगी अर्थ के बोधक अनेक शब्दों की रचना कर लाना एक सामान्य बात हो गयी थी । जैसे एक पौराणिक सकल्यना के आधार पर पहाड़ के लिए 'पृथ्वी की धारण करने वाला' इस भाव के द्योतक एक शब्द की रचना कर लेने पर फिर तदनुसूची अनेक शब्दों की रचना कर ली गयी, यथा—भूमभूत्, स्थितिभूत्, क्षमाभूत्, कितिधर, महोदर, धराधर आदि । संस्कृत बोधो में तो इस प्रकार से मन्ने गये अनेक ऐसे शब्द भी मिलते हैं जिनका प्रयोग न किसी साहित्यिक कृति में मिलता है और न किसी शिखाखण्ड आदि में । लोक-भाषाओं में भी इनमें विवक्षित शब्द रूपों की स्थिति नहीं पायी जाती ।

सर्वविदित है कि विद्वान् की ओर बढ़ते हुए भारतीय समाज ने समय-समय पर अनेक नवीन विद्याओं, शास्त्रों, कलाओं, कौशल्यों, व्यवसायों, प्रशासनिक प्राणालियों आदि का विकास किया । फलतः नाट्यशास्त्र, वास्तुशास्त्र, अर्थशास्त्र, सर्गशास्त्र, धनुर्वेद, आयुर्वेद, अश्वशास्त्र आदि अनेक विषयों का विवेचन किया गया । इनके विविध पक्षों एवं तरकों के बोधन के लिए नवीन शब्दावली का निर्माण किया गया । त्रिमके फलस्वरूप नये शब्द तथा नयी अभिव्यक्तिवा प्रयोग में आई । राजसी वैभव ने भी मैकड़ों नये शब्दों को जन्म दिया, श्रीहार्शल, प्रमदवन, जल-विहार, विलासभयन, अन्तःपुर, कंचुकी, द्वारपाल, वंतालिक, बमरप्राहिणी आदि अनेक शब्द इसी की देन हैं ।

लौकिक संस्कृत के शब्द भण्डार की अभिवृद्धि में पौराणिक सकल्यनाओं का भी बड़ा योगदान रहा है । अनेक वैदिक तथा पौराणिक देवी-देवताओं के स्वरूप एवं कार्यों से सम्बद्ध त्रियाओं एवं सकल्यनाओं के आधार पर उनके विशेषणों तथा संबन्ध नामों के लिए नये शब्दों तथा उनके पर्यायों का निर्माण किया गया । यथा पर्वत के लिए भूमभूत् आदि नामों की रचना उन पौराणिक सकल्यना की देन है, त्रिमके अनुगार पृथ्वी को पहाड़ पर, पहाड़ को कूर्म पृष्ठ पर तथा कूर्म को जल पर स्थित माना गया है । इसी प्रकार ब्रह्मा के लिए आत्मभू, स्वयंभू, आत्मयोनि, ब्रह्मयोनि, अत्रभू, अःत्रयोनि, ब्रह्मोद्भव, ब्रह्मजन्त आदि भी उनके जन्म से सम्बद्ध पौराणिक सकल्यना के परिणाम हैं ।

इसके अतिरिक्त दैनन्दिन व्यवहार की भाषा होने के कारण इसमें मुहावरेंदार एवं आन्वहारिक अभिव्यक्तियों का भी विकास हुआ, यथा—शय्योरथायं धार्वति, मुल-रायिकं पृच्छति, मनोरथययः पिबति, (जी भर कर दूध पीता है), यथाचारमहं मोहवे

तथाकारं, किं तवाने ? 'मैं जैसे भी खाऊ, मेरी मर्जी, तुझे इससे क्या ? आदि ।

नवार्थयोग—संस्कृत भाषा के विकास क्रम में केवल शब्दात्मक तथा रूपात्मक विकास ही नहीं, अपितु अर्थपरक विकास भी होता रहा । फलतः माहित्यिक/लौकिक संस्कृत के स्वरूप को प्राप्त होने तक अनेक वैदिक शब्दों में अर्थ-संकोच या विस्तार भी हो गया । कहीं-कहीं तो अथदिश की स्थिति भी पायी जाती है । इन सम्बन्ध में कतिपय प्रसिद्ध परिवर्तनों को निम्नरूप में दिखाया जा सकता है—

शब्द	वैदिक अर्थ	लौकिक अर्थ
ऋतु	बुद्धि, अन्तर्दृष्टि	यज्ञ
वह्नि	ले जाने वाला (विशे०)	अग्नि
धी	कर्म	बुद्धि
अराति	कृपणता, शत्रुता	शत्रु
अरि	प्रतिवेशी, शत्रु	शत्रु
क्षिति	वस्ती, निवासस्थान	पृथ्वी
वध	बल, वज्र	हत्या
असुर	देव, परमेश्वर	राक्षस
न	उपमायंक	निषेधार्थक

इसके अतिरिक्त ध्रमात्मक व्युत्पत्ति के फलस्वरूप भी कई नवीन शब्द सत्ता में आ गये थे । यथा असुर 'राक्षस' तथा अशित 'काला' जैसे शब्दों में 'अ' को निषेधार्थक समझकर सुर 'देवता' तथा शित 'सफेद' जैसे शब्द बना लिये गये ।

नव-शब्द-निर्माण के साथ ही नये धातुमूलों की भी रचना की गई । हिट्टने के द्वारा प्रस्तुत विवरण के अनुसार (1963 : 243) पाणिनि ने जिन 800 धातुओं की रूपरचना का विवेचन किया है, उनमें से लगभग 150 से ऊपर ऐसी हैं जिनकी मत्ता वैदिक भाषा में नहीं पायी जाती, (वैसे धातुपाठ में 2048 धातु मूलों का परिगणन किया गया है, इसके अनुसार भ्वादि वर्ग में 1007 मूल हैं जिनमें से 142 केवल लौकिक संस्कृत में पाये गये हैं ।)

प्राकृत शब्दों का संस्कृतीकरण—देयी तथा सजातीय स्रोतों से आगत शब्दों में प्रमुख स्थानें रखते हैं प्राकृत भाषाओं से शुद्ध या संस्कृतीकृत रूप में गृहीत शब्द । इस सम्बन्ध में थोड़ा इसकी पृष्ठ-भूमि पर विचार कर लेना भी अनुपयुक्त नहीं होगा । उत्तर वैदिक काल में आर्यों का प्रसार पश्चिमोत्तर भागों से पूर्वोत्तर की ओर होने लगा था । उनके इस प्रसार के साथ-साथ आर्यीकरण की प्रक्रिया का तथा आर्य भाषा का प्रसार भी इन प्रदेशों में होता रहा । फलतः भिन्न-भिन्न भाषिक पृष्ठ-भूमि वाले आर्यों के द्वारा संस्कृत भाषा का व्यवहार किया जाने

लगा । किन्तु उनके लिए अपनी भाषिक प्रवृत्तियों का परिहार करके उत्तर-पश्चिम के ब्राह्मण आर्यों के समान सस्कृत का शुद्ध रूपों में उच्चारण कर पाना, तथा उसे सर्वथा अभिहित रूप में प्रयोग कर पाना कठिन था । क्योंकि भाषाई अन्तरायों का होना तो स्वाभाविक ही था । फलतः एक ओर मस्कृत का उच्चारण भ्रष्ट होने लगा तथा दूसरी ओर मस्कृत के कठिन दुम्ह शब्दों के स्थान पर स्थानीय भाषाओं के मुलभ एव सरल शब्दों का प्रयोग किया जाने लगा । यहाँ तक कि लोगों में द्विभाषिता (bilingualism) की स्थिति आ गयी अर्थात् वे औपचारिक अवसरों पर मस्कृत के रूपों का यथामम्भव निकटतम उच्चारण करने का यत्न करते थे तथा अन्य अवसरों पर उन्हें अपने स्थानीय भाषिक रंगों में रजिन कर डालते थे । पतञ्जलि ने अपने महाभाष्य में वैदिक ऋषियों में मम्बद्ध एव कथा का उल्लेख किया है, जिसमें वे कहते हैं कि दो ऋषि थे जो कि अपनी अनौपचारिक बान्धवों में 'घड् वा नः, तड् वा नः' को घर्षणः तर्वाणः के रूप में बोला करते थे । उनके इसी विशिष्ट उच्चारण के आधार पर लोग उन्हें भी घर्षणस्तर्वाणः कहा करते थे ।

पाणिनि जी ने अपने प्रदेश की भाषा का विवरणात्मक विश्लेषण तथा उसके मानक रूपों का निर्धारण तो अवश्य किया, किन्तु उन्होंने न तो वही उम्मे मस्कृत भाषा का व्याकरण बड़ा और न उम्मे अध्ययन पर ही बल दिया, क्योंकि वे जिस प्रदेश की भाषा का विवरण दे रहे थे वहाँ पर इगर्जी बोर्ड ममस्या ही नहीं थी । वह वहाँ के शिष्ट जनों की भाषा थी, उम्मे न उच्चारणात्मक दोष थे और न अशुद्धों का मम्मिश्रण । यह ममस्या तो तब आई जब कि इगता प्रमार उन क्षेत्रों में हुआ जहाँ कि शौंग अरनी अलग-अलग स्थानीय बोलियों का व्यवहार करते थे । इसीलिए व्याकरण के अध्ययन पर बल देने के लिए पतञ्जलि को पहली बार महाभाष्य में 'शब्दों' और 'अशब्दों' का भेद बनाते हुए भाषा की शुद्धता के लिए व्याकरण का अध्ययन करने की आवश्यकता पर बल देना पड़ा । उन्होंने देखा कि लोग सस्कृत बोलते ममय शुद्ध मस्कृत शब्दों के स्थान पर अपनी स्थानीय भाषाओं के शब्दों का मुक्त रूप में प्रयोग कर डालते हैं । इसका जो एव उदाहरण उन्होंने दिया है वह है 'गो' के स्थान पर भावि, गोणी, गोता, गोपोतलिका जैसे स्थानीय रूपों का प्रयोग । इस प्रकार के शब्दों को उन्होंने 'अशुद्ध' कहकर इनका बहिष्कार करने की मसाह दी । महाभाष्य के प्रथम आङ्गिक की मार्ग चर्चा में उनका अभिप्राय था भाषा के शुद्ध एव मानक रूपों का प्रयोग तथा अशुद्ध एव अमानक रूपों का परिहार ।

पर साथ ही वह भी एव नभ्य है कि बोर्ड बंधाकरण अपने तर्कों व भावनों में न तो भाषा के प्रवाह को बन्द मकना है और न रोक मकना है । यहाँ तक वैदिक भाषा का प्रग्न था वहाँ भी मन्चन यज-यागादि में ही प्रयुक्त होती थी और उम्मे

अध्येताओं को प्रातिशास्त्रों तथा शिक्षाओं में विहित विधानों का पालन करना पड़ता था अतः उनकी विशेष समस्या नहीं थी। किन्तु दैनन्दिन व्यवहार की भाषा के लिए इस प्रकार के नियमों का अनुपालन करना असम्भव था, विशेषकर अप्रशिक्षित लोगों के लिए। प्रयत्न करने पर भी कहीं-न-कहीं भाषाई अन्तराय आ ही जाते थे। मानक प्रयोगों के समय अमानक प्रयोग अनायास ही हो जाया करते थे। अतः इसे भाषिक प्रयोगों की एक अपरिहार्य स्थिति समझकर पतञ्जलि जैसे वैयाकरण को भी इतनी छूट देनी पड़ी कि सामान्य वाग्व्यवहार में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है किन्तु धार्मिक विधि-विधानों में किसी प्रकार भी नहीं (महा० 1 10-11)। फलतः प्रारम्भिक अवरोधों के बावजूद संस्कृत में स्थानीय बोलियों अर्थात् प्राकृतों के शब्दों का समावेश निरन्तर होता रहा। कभी मूल रूप में तथा कभी संस्कृतीकृत रूप में। उदाहरणार्थ, भट्ट, भट्टार, भट्टारक, भट्टिणी जैसे शब्दों को लिया जा सकता है जो कि संस्कृत भर्ता या भर्तारक से विकसित हुए थे, किन्तु बाद में संस्कृत की मूल शब्दावली में सम्मिलित कर लिये गये। ऐसे ही हम देखते हैं कि संस्कृत के ऋतुपति 'चन्द्रमा' से प्राकृत रूप उडुअई का विकास हुआ, किन्तु इसमें भ्रम के कारण इसे तारकपति का प्रतिरूप समझकर उडु का प्रयोग तारा में किया जाने लगा। ऐसे ही और भी अनेक शब्दों का प्राकृत भाषाओं के माध्यम से संस्कृत में प्रवेश हो गया।

इसके अतिरिक्त संस्कृत भाषा के समानान्तर प्रयुक्त की जाने वाली पाली भाषा में अनेक ऐसे शब्द पाये जाते हैं जिनके अनुवृत्ति शब्द वैदिक भाषा में नहीं मिलते, किन्तु लौकिक संस्कृत में मिलते हैं। संस्कृत के इन शब्दों को देखने से पता चलता है कि लौकिक संस्कृत में इनका प्रवेश पाली के माध्यम से हुआ जो कि एक क्षेत्रीय भाषा थी।

प्राकृत भाषाओं ने न केवल संस्कृत के शब्द भण्डार को समृद्ध करने में योगदान किया, अपितु इसके ध्वनि विकास तथा रूप विकास में भी काफी योगदान किया। वैदिक संस्कृत तथा पाली में स्वरान्तवर्ती मूर्धन्य ङ तथा ङ्ह का पाया जाना तथा लौकिक संस्कृत में इनका अभाव इस बात का संकेतक है कि हो न हो वैदिक संस्कृत में इसका प्रवेश उन वैदिक भाषा भाषी लोगों के माध्यम से हुआ हो जो कि मूलतः उन प्राकृत भाषाओं की बोलने वाले थे जिनमें कि इस परिवेश में दन्त्य लृ को मूर्धन्य ङ के रूप में बोला जाता था।

इसके अतिरिक्त प्राकृत भाषा-भाषियों ने संस्कृत के उम उच्चारण को भी प्रभावित किया जहाँ पर कि हमें भृ, धृ जैसी धोष महाप्राण ध्वनियों के स्थान पर एा इनके मुष्ठा विवर्तन में ह् ध्वनि मिलती है, क्योंकि यह कुछ प्राकृत भाषाओं की ध्वनि प्रक्रिया की अन्यतम विशेषता देखी जाती है, उदाहरणार्थ, गृष्णामि=गृष्णामि, भरामि=हरामि 'ले जाता हूँ', ऋष्णि=ऋष्णि, द=द्विदेहि, धदि=धंदि, आदि।

लौकिक संस्कृत में तिङन्त प्रिया स्त्री के प्रयोग की अपेक्षा वृद्धन क्रिया पदा की ओर अधिक झुकाव का कारण भी इन्हीं प्राकृत भाषाओं के प्रभाव के अन्तर्गत होना अधिक सम्भव प्रतीत होता है।

आदान—लौकिक संस्कृत के शब्द भण्डार की अभिवृद्धि का एक अन्य स्रोत था भाषिक आदान। यह देशी तथा विदेशी, राजनीय तथा विज्ञानीय सभी प्रकार की भाषाओं से किया गया। विदेशी भाषाओं में विशेष रूप से प्राचीन ईरानी तथा यूनानी का नाम लिया जा सकता है जिनके साथ कि इन आयों का बहुत प्राचीन काल में ही सम्बन्ध रहा है तथा ऐतिहासिक काल में भी यही भाषाई समुदाय थे जिनके साथ आयों का सम्पर्क विदेशी शक्तियों के रूप में सर्वप्रथम हुआ। संस्कृत में इन स्रोतों से आगत कई शब्द पाये जाते हैं, यथा ईरानी—लिपि, अशोक—लिपि=द्विपि > प्रा० पारसी द्विपि, वारबाण 'बवव' > प्रा० ई० 'घरोपान 'बदाररक', खोल एक प्रकार का सोहे का मिरस्त्राण (helmet) < अवे० खओद (xaoda), पणतो—'खोल', अरववार < प्रा० फा० अस्तवार 'घुहमवार', पुस्तक < फा० पुस्त 'पुष्ठ/चर्म' आदि।

यूनानी—संस्कृत में प्रचलित अनेक शब्द प्राचीन भारत-यूनान सम्पर्क की देन हैं, यथा खलोनः < खलीनोम् 'लगाम', सुरंग 'भूमि के अन्तर्गत मार्ग', क्रमेतरः < क्रमितोस् 'ऊंट', जामित्र < दिप्रामित्रोन् 'ज्यामिति', होडा (चक्र) < होग 'मृत्त', आदि।

स्वदेशी आदान—स्वदेशी आदानों के प्रमुख स्रोत हैं, द्रविड, मुण्डा तथा प्राकृत भाषाएँ। सम्पर्क अन्य भाषिक प्रभावों में इन सबका बहुत अधिक योगदान है। प्रा० बरो तथा विवर ने संस्कृत में सामान्य रूप में व्यवहृत होने वाले ऐसे संकट शब्दों की सूचिका प्रस्तुत की है जो कि मूलतः उपयुक्त दो प्रकार भाषा परिवारों में सम्बन्ध रखते हैं। उनके साथ हुए आयों के समसाम्य सम्पर्कों के सम्बन्ध में पीछे विचार किया जा चुका है। उदाहरणार्थ, बनिपय शब्द इस प्रकार है—भृ० अनल 'अग्नि' अनल (तमिल, मल०), अनल (बन्द) 'उपना'; ग० कुटी/कुटीर कुटियाः कुटि (तमिल-मल०), गुडि (बन्द, तेलगु-तुमु) 'भोगड़ी, मरान, मन्दिर', कुट्ट-कुटना, खल 'खनिदान', घुण 'घुन', घुण 'उन्नु' (ग०-कूई), घनेटा 'घण्ट', चूड़ा 'बोटी', पिटक 'पोड़ा', कुट/कुटक 'पत्तों का दोना', विहाल 'दिल्ली', बिल 'बिल', ममी 'बाना/म्याही', मुहुट 'मुहुट, हुहुष 'रमर', दोनक 'बन्ना', कुट्टिम पर्म, चिक्कण 'भिक्षना', पन्नी 'गाव', पणित 'एम', पन्त 'नगर', पुण 'पून', गंगा, नदी, गिहूर, अटवि 'जगद', अणि/आणि 'गाड़ी की घुरी की बीम', बट्ट 'बीम', मोन 'मछली', मोर 'जन', मत्तिका (ग०-मुन्वई, बन्द-मोये), ताव 'ताड' (बन्द-नाइ, ने०-नाइ) आदि गैर-देशी शब्द हैं। टी० बरो ने अपने ग्रन्थ 'संस्कृत' में ऐसे आगत शब्दों की बोरी मय्या सूची दी

है। (दे० पृ० 385-86.) ।

इसके अतिरिक्त विशप काल्डवेल (1961: 3rd ed:149) का कथन है कि संस्कृत में मूर्धन्य ध्वनियों के विकास में भी द्रविड़ भाषाओं का प्रमुख योगदान रहा है, क्योंकि भारोपीय वर्ग की भाषाओं में संस्कृत के अतिरिक्त इन ध्वनियों की स्थिति किसी अन्य भाषा में नहीं पायी जाती है जबकि ये द्रविड़ भाषाओं की ध्वनि प्रक्रिया के अभिन्न अंग हैं। किन्तु फूट, फर्तुनातोव तथा बरो (1972) आदि काल्डवेल की धारणा से असहमत व्यक्त करते हुए इसे विभिन्न ध्वनि संयोगों का परिणाम मानते हैं। (दे० मूर्धन्य ध्वनियों का विकास)। इसी प्रकार बरो द्वारा दी गई शब्द सूची पर भी पॉल थोमे आदि विद्वानों ने अनेक शब्दों के सम्बन्ध में आशंका व्यक्त की है तथा उन्हें भारोपीय स्रोतों से सिद्ध करने का यत्न किया है। (दे० I. J. D. L. XVI-1 pp. 16-17) ।

क्षेत्रीय विभेदों का विकास

पीछे संकेत किया जा चुका है कि जब सप्तसिन्धु प्रदेश के रहने वाले आर्य-भाषाभाषी जनों का आर्यवर्त के अन्य क्षेत्रों की ओर प्रसार हुआ तो उनके साथ ही उनकी संस्कृति तथा भाषा का भी उन क्षेत्रों में प्रसार हुआ। आर्येतर जातियों के लोगों ने भी आर्यों की जीवन पद्धति का तथा उनकी भाषा का अनुकरण किया। फलतः जैसा कि ऐसी स्थिति में सामान्यतः हुआ करता है, इनमें भी सांस्कृतिक एवं भाषिक सम्मिश्रण हुआ हो होगा। स्वाभाविक है कि आर्येतर भाषाभाषियों के द्वारा आर्य भाषा संस्कृत का प्रयोग करते समय एक ओर तो उनकी अपनी भाषिक प्रवृत्तियों के कारण संस्कृत के शब्दों के उच्चारण में ध्वन्यात्मक अन्तराद्य उत्पन्न होते होंगे, दूसरी ओर अभी तक संस्कृत का कोई सार्वभौम व्याकरण अथवा मानकीकृत रूप न होने से रूप-रचना में प्रदेश विशेष के भाषाई रूपों की रचना उन प्रचलित नियमों के अन्तर्गत की जाती होगी जिनका कुछ-कुछ संकेत क्षेत्रीय भाषाओं के वैयाकरणों के रूप में पाणिनि जी ने किया है। इसके अतिरिक्त शब्द-सम्पदा तथा शब्द-रचना की दृष्टि से भी यह बात सर्वथा अनुमेय है कि सुविधा के लिए अनेक प्रादेशिक बोलियों के शब्दों का संस्कृतीकरण करके संस्कृत वाग्व्यवहार में उनका निर्बाध रूप में प्रयोग किया जाता हो या उन्हीं पर प्रत्यय आदि के योग से संस्कृतवत् नवीन शब्दों की रचना कर ली जाती हो। इन क्षेत्रीय अन्तरो की ओर संकेत करते हुए महाभाष्यकार कहते हैं—*प्रकृतय एवकेषु भाषन्ते, विकृतय एकेषु। शक्तिगतिकर्मा ऋत्रोत्रेषु भाषन्ते, विकारमस्पायेषु भाषन्ते शव इति। वाति तवनाय प्राच्येषु, दात्रोमुदीच्येषु।* (महा०, प्र० आ०)। इसी प्रकार पाणिनि के सूत्र—*म यास्योः* (7.2.45) पर वार्तिककार कहते हैं कि बत्तख के लिए प्रयुक्त किये जाने वाले शब्द का रूप पूर्वी प्रदेश में 'वर्तका' तथा उत्तर में 'वर्तिका' होता

है। (घटंका शकुनी प्राञ्चाम्)। संस्कृत के प्रादेशिक रूपों में इस प्रकार के अनेक वैकल्पिक रूपों का प्रयोग किया जाता था, इनका भी माध्य हमें महाभाष्य में मिलना है। इस प्रकार के प्रयोगों को 'अपभ्रंश' प्रयोगों की संज्ञा देते हुए आचार्य पत्रजलि कहते हैं—एकंवरस्य शब्दस्य बहुवोऽपभ्रंशाः यथा 'गोरित्यस्य शब्दस्य गावो, गोणी, गोता, गोपोततिरेत्येवमादयोऽपभ्रंशाः।

इसके अनिश्चित दंतन्दिन व्यवहार की वस्तुओं तथा प्रकृति के प्रमुख तत्त्वों, यथा, जल, वायु, अग्नि, सूर्य, चन्द्र, आकाश, पृथ्वी आदि के लिए अनेकानेक पर्याय-वाची शब्दों की स्थिति भी इस बात का सबूत देती है कि मूलतः ये भिन्न-भिन्न शब्द भिन्न-भिन्न क्षेत्रीय बोलियों में प्रचलित रहे होंगे, बाद में कोपकारों ने इन्हें एकत्र मग्नहीन कर दिया होगा। इस अनुमान का कारण यह है कि कोई भी बोलचाल की भाषा व्यावहारिक दृष्टि से एक ही संकेतित वस्तु के लिए एकाधिक शब्दों का प्रयोग नहीं करती। यह बात सर्वथा अवश्यनीय है कि संस्कृत का प्रयोग करने वाला कोई एक भाषिक समुदाय 'पानी' जैसी जीवनाधार वस्तु के लिए तोय, जल, नीर, मल्लि, उदक, आप, अम्बु, अम्भ, गवर, पुष्कर, क्षीर, घन, आदि एक दर्जन से भी अधिक वैकल्पिक रूपों का प्रयोग करता होगा। निश्चित ही इनमें से प्रत्येक का प्रयोग क्षेत्रविशेष में ही होता होगा, जैसाकि उनमें विकसित विभिन्न क्षेत्रीय बोलियों के रूपों में देखा जा सकता है।

अष्टाध्यायी के माध्यम से संस्कृत के प्रादेशिक रूप का मानकीकरण करते समय आचार्य पाणिनि ने वैकल्पिक उच्चारणों वाले तथा वैकल्पिक रूपतत्त्वों के योग से बने जाने वाले वाच्य कल्पित रूपों को तो अन्यतरस्याम्, विभाषायाम्, प्राञ्चाम्, उदीचाम्, शाकल्यस्य, शाण्डायनस्य, स्फोटायनस्य आदि के रूप में मग्नता दे दी तथा धन्यो को अमानक रूप मानकर छोड़ दिया। क्योंकि सभी रूपों का समावेश कर लेने में तो फिर मानकीकरण का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता और न सभी को मशिक्ष्य सूत्रों के नियमों की परिधि में रख पाना सम्भव होता। फिर भी कहना होगा कि एक ईमानदार भाषा-विज्ञानी के समान उन्होंने देश के विभिन्न क्षेत्रों तथा वर्गों में प्रचलित भाषाई विभेदों का निर्देश करते हुए देश की भाषाई एतता को बनाये रखने के लिए, जहाँ तक सम्भव हो सके, उन्हें भी प्रादेशिक भाषा में प्रयुक्त किये जाने की स्वीकृति दे दी।

भिन्न-भिन्न प्रदेशों में उच्चारण तथा स्वर-रचना के मन्दर्भ में बितनी भिन्नता थी इस सम्बन्ध में अधिक विस्तार में न जाकर हम केवल एक-दो उदाहरण ही देकर मग्नता करेंगे—यथा प्राक्+पृष्ठ का उच्चारण अलग-अलग क्षेत्रों की भाषिक पृष्ठभूमियों में अलग-अलग प्रकार में किया जाता था। उनमें से त्रिनमीन उच्चारणों को पाणिनि जी ने अपने मानकीकृत रूप में स्वीकृति दी है, वे हैं—प्राक्ष्पृष्ठ, प्राक्ष्पृष्ठः और प्राक्ष्पृष्ठः। ऐसे ही 'भाभी' के लिए अलग-अलग

क्षेत्रों के लोग अलग-अलग प्रत्ययों के योग से रूप-रचना करते थे, अर्थात् कहीं तो 'मातुल' (मामा) शब्द से स्त्री प्रत्यय आ लगाकर मातुला बनाया जाता था, कहीं ई प्रत्यय लगाकर मातुली तथा कहीं आनी प्रत्यय लगाकर मातुलानी (विस्तृत विवरण के लिए देखिए लेखक का शोध-पत्र—'जनभाषा के रूप में संस्कृत का प्रयोग एवं उसके वैभाषिक रूप,' हरियाणा साहित्य अकादमी, चण्डीगढ़, 1983, पृ० 1-37)।

संस्कृत का मानकीकरण—जैसा कि सकेत किया जा चुका है कि आर्यावर्त के बहुत बड़े भूभाग तथा बहुत बड़ी सख्या के लोगों की व्यवहार भाषा हो जाने के कारण इनमें प्रत्येक स्तर पर अनेक स्थानीय भेदों का विकास हो गया था, जो कि स्वाभाविक भी था क्योंकि अभी तक भाषा के रूपों को नियमित करने तथा उनका मानकीकरण करने की दिशा में कोई मार्बमौम प्रयास ही नहीं हुआ था। छुट-पुट क्षेत्रीय प्रयास तो होते रहे पर वे क्षेत्र विशेष में प्रचलित भाषिक रूपों तक ही सीमित थे। भाषा के रूपों में पायी जाने वाली यह विविधता अनेक प्रकार की थी, यथा उच्चारण, सन्धि, रूपरचना, समास, प्रत्यय, लिंग, वचन, कारक प्रयोग आदि। इस दिशा में सबसे महान् प्रयास किया गया महर्षि पाणिनि के द्वारा। उन्होंने आर्यावर्त के विभिन्न प्रदेशों में प्रचलित संस्कृत के रूपों का सङ्गठन किया तथा उनमें से किसी एक अथवा एकाधिक रूपों का मानकीकरण कर दिया। यथा वैदिक में चौथे के लिए 'तुरीय' तथा 'तुर्य' दो रूप प्रचलित थे, जैसे तुरीयं याचो मनुष्या वदन्ति। किन्तु पाणिनि जी ने द्वितीय, तृतीय के समान चतुर्थ एवं तुर्याण्यन्तर-स्याम्" (2 2 3) के द्वारा तुर्य को मानकीकृत रूप में मान्यता दे दी। ऐसे ही देहि/ददधि, नह/नद्ध, ध्नन्ति/हन्ति, भवामसि/भवामहे, मेघमान/मेहन्त, आदि सङ्कड़ों रूप थे जो वैकल्पिक रूपों में प्रयुक्त हो रहे थे। पाणिनि ने इनमें से एक रूप पर व्याकरण सम्मतता की मोहर लगा दी। पर कई स्थानों पर एकाधिक रूपों को भी भाषिक प्रयोगों के लिए मान्यता दे दी, जैसे मत्या/मतिना, पूर्वस्मात्/पूर्वात्, जहाहि / जहिहि / जहोहि, नाम्ने / नामनि, तितरिपति / ततरीपति/तितीर्वति, दशिष्यते/द्रक्ष्यते, हनिष्यते/घानिष्यते आदि।

लिंग एवं वचन के सम्बन्ध में भी काफी गड़बड़ी थी। किसी शब्द का कहीं पुल्लिंग में प्रयोग होता था तो कहीं स्त्री या नपुंसक लिंग में। ऐसे ही किसी शब्द का प्रयोग एक बोली में एक वचन में होता था तो दूसरी में बहु वचन में। जैसे बृहदारण्यक में दार शब्द का प्रयोग एक वचन में किया गया है—तस्मादेवं विद्मजोऽग्निवस्य दारेण नोपहासमिच्छे [(6 4.12) किन्तु पाणिनि जी ने इसका बहु वचन में प्रयोग निश्चित कर दिया। ऐसे ही अनेक शब्दों के विषय में रूप, लिंग, वचन आदि की दृष्टि से मानकीकरण कर दिया गया।

किन्तु किसी जीवित भाषा के सभी प्रयोगों को ध्याकरण के तथा मानकीकृत

रूपों के मात्से में जकड़ कर रख देना सम्भव नहीं, हिन्दी में ही हम देखते हैं कि व्याकरण की दृष्टि से 'कर्' धातु का भूत कालिक रूप 'किया' होने पर भी अनेक लोग बेधड़क 'करा' का प्रयोग करते हैं। यही स्थिति संस्कृत में भी रही होगी। इसका आभास हमें उन कनिष्ठ रूपों में मिलता है जो कि व्याकरणिक विधानों के बाह्य भी प्रचलित रहे, जैसे त्रिगानुशासन (सूत्र 30) के अनुसार अप, सुमनस्, सिकता, समा, यथा शब्द नित्य बहुवचनान्त तथा स्त्रीलिंग माने गये हैं। किन्तु इनका प्रयोग हममें भिन्न रूप में भी होता रहा। भट्टोजी, दीक्षित के अनुसार, 'सुमनस्' शब्द का 'पुष्प' अर्थ में स्त्रीलिंग में तथा 'देवता' अर्थ में पुल्लिंग में प्रयोग होता है, (मुपवर्णनः सुमनस ०)। ऐसे ही 'सिकता' तथा 'समा' का प्रयोग एक वचन में होता था। महाभाष्य में उद्धरण दिया गया है—एकत्र सिकता संततवान् असमर्था, समाविराजते (सूत्र 5 1 2 के भाष्य में)। काशिका ने विभाषा ग्राह्येद शाच्छास (2 8 88) के भाष्य में 'सुमनस्' के एक वचनी तथा द्विवचनी रूपों का भी उल्लेख किया है। इस प्रकार के और भी अनेकानेक प्रयोग मिलते हैं जो त्रिपाणिनि जी के व्याकरणिक विधानों से प्रतिबद्ध नहीं होते। कट्टरतावादी व्याकरण इस प्रकार के प्रयोगों को 'अपशब्दों' की सजा से अभिहित करते हैं जब कि ये भाषा के जीवन होने का प्रमाण देते हैं।

इस सम्बन्ध में यह भी स्मरणीय है कि अपनी इस सर्व्वी यात्रा के दौरान सस्कृत ने जहाँ बहुत कुछ अर्जित किया वही बहुत कुछ छोड़ा भी। अनेक शब्द, धातु, प्रत्यय, स्वर-प्रक्रिया आदि, जो कि वैदिक भाषा के अभिन्न अंग थे, वे सस्कृत तक आते-आते अस्ता रूप तथा महत्त्व खो बैठे, यथा शब्द भण्डार की दृष्टि में वैदिक भाषा के जो शब्द लौकिक मन्वृत में प्रयोग-बाह्य हो गये थे, उनमें से कतिपय इस प्रकार हैं—दशंत 'मुन्दर', द्वाषीक 'मुन्दर', अश्वतु 'रात्रि', अमोषा 'व्याधि', अश्वर 'दवातु', रपस् 'दुर्बलता, रोग', मूर 'मूर्च्छा', अमूर 'बुद्धिमान्', अमुषा 'इस प्रकार', आगुषा 'जल्दी में', रघुषा 'तेजी में', सापुषा 'ठीक से', मिषुषा 'झूठमूठ से', मति 'इतने', तति 'उतने', स्वावत् 'तुम गा', तेरे बराबर, युषावत् 'तुम-ना', युष्मावत् 'तुम-ना', मावत् 'मुझ-ना', मेरे बराबर। ऐसे ही क्व 'कीन, कषा', कीम 'मदा, हमेसा', मावीम् 'कभी नहीं, इड 'अभी', ईम 'हमेसा', गीम् 'हमेसा', ओतम् 'तुरन्त', आदि अनेक अव्यय भी प्रयोग बाह्य हो गये। इसी प्रकार धातु वर्ग में अनेक धातु ऐसे हैं जो कि या तो सर्व्वया प्रयोगबाह्य हो गये या केवल आतिथ्य प्रयोगों में ही अवशिष्ट रह गये। जैसे वात्मीकि रामायण के प्रयोगों की देखने में पत्र चलता है कि मन्वृत में $\sqrt{\text{वध्-}}$ तथा $\sqrt{\text{हन्-}}$, $\sqrt{\text{आह-}}$ तथा $\sqrt{\text{हृ-}}$ के पूरे रूप बनने थे। इन मात्सों के आधारपर अनुमान किया जा सकता है कि पाणिनि के द्वारा रषा- तथा तिष्-; गम्- तथा गष्-; दृष्- तथा पश्-; भृष्- तथा भृष्-; कृष्- तथा कृष्-; प्रष्- तथा प्रष्-; वा- तथा वृ-;

कृन्त- तथा कर्त्- के रूपों का लकार विशेष तथा वचन विशेष के लिए निर्धारण करने से पूर्व इनके सभी लकारों तथा वचनों में पूरे-पूरे रूप बनते होंगे। यहाँ तक कि 'पीने' के अर्थ में प्रयुक्त $\sqrt{\text{पा-}}$ धातु के भी तीन पृथक्-पृथक् धातु मूल रहे होंगे जिनके अवशेष पिबति ($\sqrt{\text{पिब-}}$), पातुम् ($\sqrt{\text{पा-}}$) तथा पीत्वा, पीतम् ($\sqrt{\text{पी-}}$) में स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। इसी प्रकार कई धातु रूप, जो कि वाल्मीकि ने प्रयुक्त किये हैं, वे बाद में लुप्त हो गये हैं, यथा मृदयन्ति (< $\sqrt{\text{मृद-}}$) 'मर्दन करते हैं', (रा 2 108 17), बीजयते (< $\sqrt{\text{बीज-}}$) पखा मलना है (रा 2 23 10), अबीजयत् (वही 6.60.14.)। ऐसे ही प्राकृतों में विष्णा जैसे रूप यह संकेत करते हैं कि संस्कृत में दा- तथा दद्- के अतिरिक्त दि- धातु भी रहा होगा। धातु मूल $\sqrt{\text{अस्-}}$ के अनेक रूपों का तो वैदिक से पूर्व ही लोप हो चुका था। मस्कून की धातुओं के सम्बन्ध में हिल्डने (1963 : 243) के द्वारा प्रस्तुत विवरण के अनुसार पाणिनि द्वारा परिगणित धातु मूलों में लगभग 200 ऐसे हैं जो कि वैदिक भाषा में तो प्रचलित थे किन्तु लौकिक संस्कृत तक आते-आते प्रयोग-बाह्य हो गये। फलतः लौकिक संस्कृत में उनका प्रयोग बिल्कुल नहीं मिलता है (अन्य प्रकार के पदों तथा रूपों की प्रयोग बाह्यता के लिए देखिए—वैदिक तथा लौकिक में अन्तर)।

वैदिक तथा लौकिक संस्कृत में अन्तर

यदि वैदिक संस्कृत का प्रारम्भ विन्दु ऋग्वेद है तो साहित्यिक संस्कृत का वाल्मीकि रामायण। संस्कृत भाषा के इतिहास की दृष्टि से यह काल बड़े ही महत्त्व का है। वस्तुतः यही वह काल है जिसमें हम संस्कृत के विकास के विभिन्न स्तरों को देख सकते हैं। ऋग्वेद तथा अथर्ववेद के मन्त्रों की भाषा, संहिताओं एवं ब्राह्मणों की भाषा, ब्राह्मणों एवं उत्तरवर्ती साहित्य की भाषा की पारस्परिक तुलना करने पर स्पष्ट हो जाता है कि संस्कृत में, एक जीवित भाषा में कालक्रम में पाये जाने वाले परिवर्तनों के समान, महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे थे। रामायण में आकर हम इस भाषा को इतने अधिक परिवर्तित रूप में पाते हैं कि इसे एक पृथक् नाम से पुकारने की आवश्यकता प्रतीत होने लगती है। इस काल की भाषा, मंचनात्मक दृष्टि से, वैदिक भाषा से अनेक अंशों में पृथक् हो चुकी थी। रूप-रचना में ही अनेक प्राचीन रूप-तत्त्व प्रयोग-बाह्य हो चुके थे तथा उनके स्थान पर अनेक नये रूप तत्त्वों का विकास हो गया था। अर्थतत्त्व की दृष्टि से भी अनेक शब्दों के अर्थों का संकोच-विस्तार हो चुका था, जिसे समझने के लिए ही निघण्टुओं और निरुक्तों की रचना की गई थी। नवीन भाषायी रूपों को समझने तथा भाषा के एक मानक रूप को स्थिर करने की दिशा में प्रयास होने लगे थे, जिनकी चरम परिणति पाणिनि एवं कात्यायन में आकर हुई।

वैदिक एव साहित्यिक मस्कृत के बीच भाषायी विकासक्रम को पूरी तरह समझने एव प्रस्तुत करने के लिए एक रवन्त्र ग्रन्थ की आवश्यकता होगी। क्योंकि इनके विकास के इस अन्तराल में इनमें सभी स्वरों—ध्वनि, हँप तथा अर्थ—पर पर्याप्त अन्तर आ चुका था। यहाँ पर हम सशेष में कुछ मोटे-मोटे अन्तरो की ओर मन्त्र मात्र ही नर सकेंगे। जिन्हें निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है—

ध्वनि-प्रक्रियात्मक विभेद : ध्वनि प्रक्रिया की दृष्टि में कतिपय महत्वपूर्ण अन्तर इस प्रकार हैं—

1. वैदिक मस्कृत में र का उच्चारण दन्त्य या वल्गु माना गया है जबकि साहित्यिक मस्कृत में इसे मूर्धन्य माना गया है।¹ यही स्थिति ऋ एव लृ के उच्चारण की भी है।²

2. स्वरान्तरवर्ती वैदिक लृ/लृह का मस्कृत में ड, ढ हो गया था।

3. भारोपीय ल में विकसित वैदिक र का साहित्यिक मस्कृत में ल हो गया है, रपु (वी०) : लपु (मा०), रिहृ (वी०) : लिहृ (मा०)।

4. वैदिक इय्, उव् के स्थान पर घ, ष का विकास हो गया था, तनुवम् > तन्वस्।

5. स्वर एव व्यंजन सन्धियों में अनेक प्राचीन रूपों का लोप एव नवीन रूपों का विकास हो गया था। अभिनिहित सन्धि (पूर्वरूप) का रूप वेद में पर्याप्त मिलता है किन्तु सौत्रिक मस्कृत में काफी नियमित हो गया है, यथा ऋम्० जातो अरोचत।। अन्यत्र भी सन्धि नियमों की शिथिलता देयी जाती है, यथा तितउता पुनग्तो आदि। इसी प्रकार पदान्तरानुं के दाद यदि ल आ रहा तो बीच में स् का जागम हो जाता करता था, यथा—सर्वान् + तान् = सर्वोस्तान् इत्यादि।

6. व्यंजन ध्वनियों की दृष्टि में एक पूरे वर्ग, टवर्ग, का विकास हो गया था। यद्यपि वैदिक युग में ही इसका प्रारम्भ हो गया था किन्तु इसकी परिणति साहित्यिक भाषा में हुई।

7. वैदिक मस्कृत में र स्वर तथा व्यंजन दोनों ही थे, पर साहित्यिक मस्कृत में यह केवल व्यंजन माना गया है।³

8. स्वर प्रक्रिया की दृष्टि में भी वैदिक तथा सौत्रिक मस्कृत में बड़ा भारी अन्तर आ गया था। वैदिक भाषा में उदात्तादि स्वरों का न केवल रवनिमित्त महत्त्व था अपितु स्मित महत्त्व भी था। अन्तरे के अर्धों तथा व्याकरणिक शोधों के निर्वरण में इनका महत्त्वपूर्ण प्रमाण होता था। किन्तु सौत्रिक मस्कृत

1. र० वर्ण, पृ० 8

2. र० वर्ण, पृ० 2-9

3. र० वर्ण, पृ० 58-60 (प्र० मन्त्र०)

तक आते-आते इनका स्वनिमिक महस्व समाप्त हो गया था, मात्र स्वनिक (Phonetic) महत्व रह गया था। भाष्य ही इनका रूप भी बदल गया था अर्थात् उसका रूप स्वराधान के स्थान पर बलाघातात्मक हो गया था।

रूपरचनात्मक विभेद

वैदिक तथा लौकिक मस्कृत में ध्वनि-प्रक्रिया की दृष्टि से इतने अन्तर नहीं पाये जाते जितने कि रूपरचना के प्रसंग में पाये जाते हैं। ये अन्तर अनेक एवं विविध प्रकार के हैं। सभी अन्तरो को यहाँ पर दिखाना न सम्भव है और न अपेक्षित ही, मात्र कतिपय प्रमुख अन्तरो पर प्रकाश डाला जायेगा, जो कि इस प्रकार हैं—

संज्ञापद-रचना सम्बन्धी विभेद

संज्ञा पदों की रूप-रचनाओं में सम्बद्ध विभेदों में प्रमुख हैं—लिंग, वचन एवं विभक्ति सम्बन्धी विभेद।

1. लिंग-व्यवस्था—वैदिक भाषा में संज्ञा पदों की रूप रचना में लिंग संबन्धी नियमों की व्यवस्था ऐसी कठोर नहीं थी जैसी कि लौकिक मस्कृत में पायी जाती है। मधु, शूचि आदि अनेक शब्द हैं जिनके रूप तीनों लिंगों में पाये जाते हैं। ऐसे ही विशाखा शब्द के रूप स्त्री लिंग तथा नपुंसक लिंग दोनों में मिलते हैं, यथा विशाखा नक्षत्रम् (को० स० 39-13), विशाख नक्षत्रम् (मंत्रा० म० 2.13.20) एवं विशाखे नक्षत्रम् (तै० म० 4.4 10 2)। वैदिक भाषा की इस अनियमितता को देखकर ही शायद महाभाष्यकार ने घोषित किया होगा—लिंगमशिष्यम् लोकाश्रयत्वादन्वित्यम्।

2. वचन-व्यवस्था—लिंग व्यवस्था के समान ही वचन सम्बन्धी प्रयोगों में भी काफी स्वतंत्रता पायी जाती है। विशाखा के एक वचनी तथा द्विवचनी प्रयोग ऊपर के उदाहरणों में देये जा सकते हैं। ऐसे ही पुनर्वसु नक्षत्र के रूपों में भी देखा जाता है, जैसे पुनर्वसु नक्षत्रम् (काठक० 29.13 तथा मंत्रा० 2.13.20) तथा पुनर्वसु नक्षत्रम् (तै० म० 4 4.10)। प्रथम प्रयोग एक वचनी है तो द्वितीय द्विवचनी। इसी प्रकार हम देखते हैं कि नदी सूक्त में (ऋग् 3 33 4) विषाट् तथा शतद्, इन दो नदियों के लिए नद्यः रूप प्रयुक्त किया गया है।

3. कारक व्यवस्था—दोनों भाषाओं में कारकीय प्रयोगों के सम्बन्ध में भी अनेक विभेद दृष्टिगोचर होता है, जैसे धृतस्य घजते। धृतस्यशज (को० ब्रा० 16.5) में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग जब कि लौकिक मस्कृत के अनुसार तृतीया

होनी चाहिए। इसी प्रकार √हु-यजन के कर्म में द्वितीया के अतिरिक्त तृतीया विभक्ति के रूपों का प्रयोग, यथा यथाग्वाग्निहोत्रं जुहोति, या यथागुनाग्निहोत्रं जुहोति (भा० श्रौ० सू० 3 12 15-16), जब कि लौकिक संस्कृत के अनुसार इसे यथागुमग्निहोत्रं जुहोति होना चाहिए था। वैदिक भाषा के इस तृतीयान्त प्रयोग की पुष्टि पाणिनि ने भी की है—तृतीया होरद्यन्तसि (2 3 3)। ऐसे ही √बिब्व-‘व्यवहृषणे’ के योग में लौकिक भाषा में पष्ठी का विधान किया गया है, जैसे शतस्य दीप्यति, सहस्रस्य दीप्यति, किन्तु वैदिक में इस में द्वितीया का प्रयोग पाया जाता है, तथा पाणिनि द्वारा भी इसकी पुष्टि की गई है—द्वितीया बाह्यणे, (2.3 60)। इसी प्रकार के और भी अनेक भिन्न भिन्न प्रयोग पाए जाते हैं।

विभक्ति प्रत्ययों के संकल्पक रूप—वैदिक तथा लौकिक भाषाओं के रूपों में सर्वाधिक भेदबन्ध पाया जाता है विभक्ति प्रत्ययों के योग में, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं—

1 आचार्य पाणिनि के अनुसार लौकिक भाषा में अकारान्त शब्दों के कर्ता, कर्म तथा सम्बोधन के द्विवचन का एक मात्र विभक्ति प्रत्यय है—औ, किन्तु वैदिक भाषा में सकेत-बोधक सर्वनामों के समान ही (यथा—एता/एतो आदि) अकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दों के भी कतिपय रूप ऐसे देये गए हैं जो-औ के अतिरिक्त-आ प्रत्यय के योग में निगन्त होते हैं, जैसे वधा, यन्ता, पर गाय ही पत्न्यो, गवीषो आदि भी। इसके अतिरिक्त ईकारान्त स्त्रीलिंग शब्दों में शून्य प्रत्यय (प्रत्ययहीन) रूप भी पाये जाते हैं, यथा—रोदसो, देवो, पृथ्वी, मही आदि।

2 लौकिक संस्कृत में अकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दों का एक मात्र बहुवचन प्रत्यय है—अस् (<जम्), किन्तु वैदिक भाषा में-अस् के अतिरिक्त-अशास् का भी प्रयोग होता था, जो कि आवृत्ति की दृष्टि में अस् की अपेक्षा कहीं अधिक प्रयुक्त होता था। फलतः उसमें अकारान्त शब्दों के दो-दो रूप बनते थे, यथा देवातः/देवाः, प्रियातः/प्रियाः।

3. इसी प्रकार ईकारान्त स्त्री लिंगी शब्दों में-अस् के अतिरिक्त-ईस् प्रत्यय का विकल्पन भी पाया जाता है, यथा देवोः, पत्नीः, उर्वोः, महीः आदि। पर गाय ही तिर्यक्, उर्वोः शुषण्योः, पवमान्यः भी। लौकिक में केवल अस् वाले रूप ही मिलते हैं।

इसी प्रकार पाणिनि के अनुसार नपुंसक लिंगी शब्दों में प्रथमा तथा द्वितीया विभक्तियों के बहुवचन का एक मात्र प्रत्यय है—अनि, किन्तु वैदिक भाषा में इसके वैकल्पिक रूप में-आ प्रत्यय का योग भी पाया जाता है जो कि कुल रूपों के दो तिहाई में भी अधिक रूपों में प्रयुक्त हुआ है। वैदिक भाषा में इस गन्धर्भ में एवाधिक प्रत्ययों की स्थिति आचार्य पाणिनि द्वारा भी स्वीकृति की गई है—शरदग्नि बहूवम् (6 1.70)। फलतः वैदिक भाषा में नामानि, विद्यानि,

भुवनानि के साथ-साथ नामा, विश्वा, भुवना आदि रूप में मिलते हैं।

इसके अतिरिक्त कतिपय उकारान्त शब्दों में केवल दीर्घता भी पायी जाती है जैसे उरु, पुरु, वसू आदि, साथ ही-नि वाले रूप उरुणि, वसूनि, सानूनि, अधूणि आदि भी पाये जाते हैं। ऐसे ही इकारान्त नपुंसक शब्दों में नि के अतिरिक्त ई तथा शून्य प्रत्यय वाले रूप भी पाये जाते हैं, जैसे अप्रति~अप्रती~अप्रतीनि, भूरि~भूरो/भूरोणि, शुचि/शुचीनि, सुरभि/सुरभीणि आदि।

4. वैदिक भाषा में उकारान्त स्त्रीलिंग शब्दों के प्रथमा व० व० में-अस् के अतिरिक्त-उस् प्रत्यय की भी सत्ता पायी जाती है, फलतः घेनु तथा इषु जैसे शब्दों के रूप घेनुः, इषुः आदि बनते हैं।

5 हम देखते हैं कि लौकिक भाषा में तू० ए० व० के प्रत्यय इन तथा ना पूरक वितरण में हैं अर्थात् अकारान्त पदों के साथ इन तथा इकारान्त-उकारान्त के साथ ना का प्रयोग किया जाता है किन्तु वैदिक भाषा में इन दोनों के अतिरिक्त आ (पा० टा) प्रत्यय भी प्रयुक्त होता था जो कि दोनों के ही साथ मुक्त विकल्पन में आ सकता था, जैसे, देवा/देवेन, यज्ञा/यज्ञेन, वीर्या/वीर्येण, स्वघा/स्वघया। आ तथा-ना का मुक्त विकल्पन उकारान्त पदों में पाया जाता है। वैदिक भाषा में एक ओर तो परश्वा, परवा, ऋषवा, शिश्वा, इष्वा, मध्वा जैसे रूप मिलते हैं तथा दूसरी ओर अंशुना, अक्तुना, इष्णा, उरुणा, इन्दुना, ऋजुना, मधुना आदि।

इनके अतिरिक्त इसमें कतिपय ऐसे रूप भी पाये गये हैं जो कि प्रत्ययहीन (शून्य प्रत्यय) स्थिति का निर्देश करते हैं, यथा अचित्ता (=अचित्या < अचित्ता)।

6 पाणिनि व्याकरण के अनुसार लौकिक संस्कृत में तू० व० व० के विभक्ति प्रत्ययों के दो उपरूपिम हैं जो कि पूरक वितरण में आते हैं अर्थात्-ऐस् का प्रयोग अकारान्त प्रातिपदिकों तथा अपुरुषवाची सर्वनामों के साथ तथा-भिस् का अन्यो के साथ, किन्तु वैदिक भाषा में एक अन्य उपरूप-एभिस् भी पाया जाता है जो कि-ऐस् के मुक्त विकल्पन में देखा जाता है, फलतः वैदिक भाषा में देवैः~देवेभिः, प्रियैः~प्रियेभिः, पूर्वैः~पूर्वेभिः जैसे रूप सामान्यतः पाये जाते हैं जब कि लौकिक भाषा में केवल-ऐस् वाले रूप ही पाये जाते हैं।

7. लौकिक संस्कृत में उकारान्त पुलिग शब्दों में चतुर्थी ए० व० के प्रत्यय ए (ङे) के मन्दर्भ में देखा जाना है कि इसमें प्रातिपदिक के स्वर को गुण होकर 'अयादि' आदेश हो जाता है। वैदिक भाषा में भी इस प्रकार के रूप मिलते हैं, जैसे वायवे, मनवे, मन्धवे, रिषवे आदि। किन्तु वैदिक भाषा में इस प्रसंग में ऐसे रूप भी पाये जाते हैं जिनमें-ए प्रत्यय का योग सीधे ही प्रातिपदिक मूल के साथ हो जाता है जैसे ऋत्वे, शिश्वे, सहस्रवाह्वे, परवे, (नपु०) आदि।

8. लौकिक संस्कृत में पंचमी-षष्ठी विभक्तियों में उकारान्त पुलिग शब्दों

के साथ गुण पूर्वकं स् (ः) प्रत्यय का तथा नपुंसक लिंगी शब्दों के साथ-नत् का प्रयोग किया जाता है, किन्तु वैदिक संस्कृत में इन दोनों ही पद मूलों के साथ वैकल्पिक रूप से-अस् का भी प्रयोग देखा जाता है। फलतः हमें उभयमेव अस्, मध्वः, वस्वः, शिशवः जैसे प्रयोग भी मिलते हैं तथा मधु के मध्वः~मघोः~मपुनः तीनों ही रूप मिलते हैं।

9 इनके अनिश्चित पृष्ठी व० व० में कतिपय शब्द रूपों में-आम् से पूर्व -न् के आगम का अभाव भी पाया जाता है, यथा, नराम् (=नराणाम्), स्वप्नाम् (=स्वप्तुणाम्) आदि, पर साथ ही ऐसे भी रूप मिलते हैं जहाँ कि लौकिक भाषा की प्रवृत्ति के विपरीत न् का आगम हो जाता है, यथा गवाम्~गोनाम्।

10 मप्तमी विभक्ति के एक वचनी रूपों में भी विभक्ति प्रत्ययों के योग में वैदिक तथा लौकिक भाषा में काफी अन्तर पाया-जाता है। यथा—1. लौकिक संस्कृत में इकारान्त शब्दों के मप्तमी ए० व० में शौ विभक्ति प्रत्यय का विधान किया जाता है, यथा—भूमौ, घोनौ, समितौ आदि, किन्तु वैदिक में इस परिवेश में भी-आम् प्रत्यय वाले रूप पाये जाते हैं, यथा—भूम्याम्, घुवत्याम्, अघ्याम्, योन्याम्, समिन्याम्, भूत्याम् आदि।

इसी प्रकार उकारान्त पद मूलों में शौ तथा-ई प्रत्ययों का प्रयोग मुक्त विकल्पन में पाया जाता है, फलतः एक ओर तो फतो, अवतो, पशो, मनो, सिन्धो आदि रूप मिलते हैं और दूसरी ओर दस्यवि (दस्यु+इ), असदस्यवि, विष्णवि, सूनवि (सूनु+ई), मानवि (नपु०) आदि।

किन्तु नपुंसक लिंगी पदों में इन दोनों के अनिश्चित एक नये प्रत्यय-नि का भी प्रयोग पाया जाता है, यथा आपुनि, दास्यणि, इण्णि, सायुनि आदि (दे० मैक्डोलेन, 1958 297),

इसके अनिश्चित वैदिक भाषा में कतिपय, अन्, इ, उ, ई, से अन्त होने वाले पद मूलों में म० ए० व० के न्यून प्रत्ययी रूप भी पाये जाते हैं, जैसा कि लौकिक संस्कृत में नहीं देखा जाता है, यथा अहन् (=अह्नि) मूर्धन् (=मूर्ध्नि), नदी (=नद्याम्), तन् (=तन्वि)।

11 सर्वनामों की रूप रचना में ती दोनों में कई प्रकार के अन्तर पाये जाते हैं। इन पर विन्मून चर्चा वैदिक भाषा के प्रथम में की जा चुकी है। उमें यहीं देखा लेना चाहिए।

समस्त पद-रचना—समस्त पद-रचना की दृष्टि में संस्कृत भाषा के इन दोनों में काफी अन्तर देखे जाने पर जो प्रमुख अन्तर हमारे सामने आते हैं वे हैं (1) समस्त किये जाने वाले पदों की संख्या तथा (2) समस्त पदों में लिंग-निर्धारण। सर्वविध है कि साहित्यिक संस्कृत में समस्त किये जाने वाले पदों की संख्या की कोई भीमा नहीं। बाण मय सुवन्तु जैसे मय लेखकों की भाषा में 20 में भी अधिक

पदों के समस्तपद पाये जा सकते हैं किन्तु वैदिक भाषा में समस्त किये जाने वाले पदों की संख्या नामान्यतः दो में अधिक नहीं होती।

जहाँ तक द्वन्द्व तथा तत्पुरुष समान में लिंग-निर्धारण की बात है उसमें लौकिक भाषा के विषय में आचार्य पाणिनि का विधान है कि इन समस्त पदों में लिंग का निर्धारण उत्तरपद के लिंग के अनुसार किया जाना चाहिए (परर्वास्त्रिंशद् द्वन्द्व तत्पुरुषयोः (2-2-26), किन्तु वैदिक भाषा में इस प्रकार का कोई विधान नहीं देखा जाता है। फलतः हम देखते हैं कि संहिता में कहीं तो इस प्रकार के पदों में लिंग का प्रयोग पूर्वपद के लिंग के अनुसार किया गया है तथा कहीं उत्तर पद के लिंग के अनुसार। यथा वासनेजयी संहिता में ही हमें कहीं तो अहोरात्रे (18-23), अहोरात्राणि में पूर्व पद 'अहन्' के अनुसार नपुंसक लिंग का प्रयोग मिलता है और कहीं उत्तर पद 'रात्रि' के अनुसार अहोरात्राः यथा—अहोरात्रास्ते कल्पन्ताम् (27-45) पुल्लिंग का। इसी प्रकार के कुछ और उदाहरण दिये जा सकते हैं।

हेमन्तशिशिरो=हेमन्त (पु०) + शिशिर (नपु०) वाज सं० 10.14

उक्थामदानि=उक्था (नपु०) + मदा (पु०) अथर्व०, 4 35.4

उक्थार्का—उक्था (नपु०) + अर्का (पु०) ऋग् 6.34.1

उक्षवशा—उक्ष (नपु०) + वशा (स्त्री) ते० म० 2 1.44

इसके अतिरिक्त एक अन्य उल्लेखनीय अन्तर जो इन दो भाषाओं के बीच देखा जा सकता है वह यह कि वैदिक भाषा में समस्त पदों में पूर्व पद के रूप में वर्तमान-कालिक कृदन्त का भी प्रयोग हो सकता था जैसे विवस्वसु, सादृष्ट्योनिः आदि में, किन्तु लौकिक भाषा में इस प्रकार की पद-रचना सर्वथा अनुपलब्ध है।

क्रियापद-रचना सम्बन्धी विभेद—संस्कृत भाषा के इन दो स्तरों के बीच पाये जाने वाले कतिपय उल्लेखनीय अन्तर इस प्रकार हैं—

1. वैदिक भाषा में लकारों के 10 भेद थे किन्तु लौकिक में केवल 9 रह गये। सेट् लकार बिल्कुल ही प्रयोग बाह्य हो गया। अन्य लकारों के प्रयोगों में भी काफी अन्तर आ गया। इस दृष्टि से सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण अन्तर यह आया कि जहाँ वैदिक भाषा में लकारों का सम्बन्ध काल विशेष के साथ सम्बन्ध न होकर प्रकारान्त विशेष के साथ हुआ करता था, वहाँ ये अब बाल विशेष व वृत्ति विशेष के साथ सम्बन्ध हो गये। फलतः जहाँ सेट्, लिट् का प्रयोग वैदिक भाषा में सभी कालों के लिए किया जाता था वहाँ लौकिक भाषा में इनका प्रयोग भूत, कीर्तन-भिन्न रूपों के लिए नियत कर दिया गया था।

2. वैदिक भाषा में लकारों के प्रयोग व्यत्ययों को इन रूपों में देखा जा सकता है। देवो देवेभिरागमत् (ऋग्, 1-1-5) 'हे अग्नि देव! देवताओं के साथ यहाँ आओ।' इसमें लोट के अर्थ में नड् (आगमत्) का प्रयोग किया गया है। ऐसे ही

अग्निमद्य होतात्मवृणोतायं यजमानः (मंत्रा० सं० 4-13-9) 'आज के लिए इन यजमान ने अग्नि का होता के रूप में वरण किया है।' यहाँ पर लट् के अर्थ में लट् का प्रयोग किया गया है। ऐसे ही निम्न रूप भी हैं यत् सायं जुहोति शश्वं तेन दाधार (मंत्रा० 1-8-1), लट् के अर्थ में लिट्। ये भूतस्य प्रचेतम् इदं तेभ्योः करम् (ऋग् 10-85-17), लट् के अर्थ में लिट्। उत्तत्त्व पर्यन्त ददर्शवाघमुत्तत्त्व शृण्वन् शृणोत्येताम् (ऋग् 10-71 4), लट् के अर्थ में लिट्।

3. वैदिक भाषा में धातुओं के लिए आत्मनेपद, परस्मैपद जैसा कोई विभाजन नहीं था। प्रायः सभी धातुओं की दोनों रूपों में पद रचना की जाती थी। इतना ही नहीं, अपितु धातुमूल गण विशेष के साथ भी आवृत्ति नहीं थी। ऐसे अनेक धातु हैं जिनकी रूप-रचना 2, 3, 4, तथा 5 गणों के अनुसार पायी जाती है। पाणिनि ने 'व्यत्यये बहुलम्' (3-1-85) के रूप में इस स्थिति की स्वीकारा भी है। फलतः कृ-धातु के रूप भ्वादि (करति), म्वादि (कृणोति~कृणुते), तनादि (करोति/कुरुते), नुदादि (क्रियते) गणों के अनुसार पाये जाते हैं।

4. क्रियापदों के वाच्यात्मक प्रयोगों की दृष्टि में भी देखा जाता है कि वैदिक भाषा में कर्तृवाच्य रूपों का बाहुल्य है तथा भाववाच्य रूपों का सर्वथा अभाव, किन्तु लौकिक भाषा की अधिक प्रवृत्ति कर्मवाच्य प्रयोगों की ओर है तथा भाववाच्य प्रयोग भी पर्याप्त मर्यादा में मिलते हैं।

5. रूप रचनात्मक प्रत्ययों की दृष्टि में भी संस्कृत के इन दोनों रूपों में बड़ी अन्तर पाये जाते हैं। यथा वैदिक भाषा में लट् सञ्चार के उत्तम पुरुष व० व० में दो प्रत्यय पाये जाते हैं—मस् और मसि तथा दोनों का प्रयोग मुक्त विकल्पन में किया जाता है, फलतः इसके दो-दो रूप मिलते हैं जैसे—स्मः/स्मसि, भवामः/भवामसि, चरामः/चरामसि आदि, किन्तु लौकिक भाषा में केवल मस् वाले रूप ही मान्य समझे गये। रूप-रचना की दृष्टि में वैदिक भाषा में कई धातुओं के आत्मनेपद प्रयोग तथा रूप रचनात्मक प्रत्ययों के योग के ऐसे रूप पाये जाते हैं, जिनकी स्वीकृति पाणिनीय व्याकरण नहीं देता, यथा—(आत्मने० प्र० पु०, व० व०) ववामहे < √वा-, ववमहे < √वृ-, तिनोमहे < √ती-, तुष्टमहे < √ष्ट-, जगन्महे < √जम्- आदि।

इसी प्रकार लोट् सञ्चार उत्तम पुरुष, एक वचन में भी दो प्रत्ययों, -अत् तथा -आनि का प्रयोग मुक्त विकल्पन में पाया जाता है, यथा—भवत्~भवानि, जबकि लौकिक संस्कृत में केवल आनि वाला रूप ही व्याकरण सम्मत माना गया है।

ऐसे ही लोट् मध्यम पुरुष एक वचन में तत् तथा तात् का मुक्त विकल्पन पाया जाता है, यथा वृचुत्~वृचुतात्, वेद~वेदान् आदि। किन्तु लौकिक में केवल तत् प्रत्ययान्त रूप ही पाये जाते हैं। इनके अनिश्चित अन्य पुरुष, ए० व० में

भी तात् का प्रयोग देखा जाता है, जैसे गच्छतात्, विशातात् ।

वैदिक भाषा में लोट् आत्मने०, म० पु०, ए० व० में तीन प्रत्ययों—घ्वम्, घ्व, तथा घ्वात् की स्थिति पायी जाती है, किन्तु लौकिक में घ्वात् सर्वथा प्रयोग बाह्य हो गया था ।

6 लौकिक भाषा में लट्, लुट् तथा लृट् लकारों में अट् तथा आट् के आगम के सम्बन्ध में स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है अर्थात् हलादि धातुओं के साथ अट् तथा अदादियों के साथ आट् का प्रयोग किया जाता है । (आडजादीनाम्, पा० 6. 4. 72), किन्तु वैदिक में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं । दोनों का मुक्त विकल्पन में अनियमित प्रयोग किया जाता था, यथा—आविघात्~अविघात् < √ विष्, आपुनक्~अपुनक् < √ युञ् :

इसके अतिरिक्त यह भी स्मरणीय है कि वैदिक भाषा में इन लकारों में अट् या आट् का आगम आवश्यक नहीं समझा जाता था । यथाम् वृत्रम् (=अवधिषम्), शमीम् वृक्षस्य शाखाम् (=अक्रमिषम्) । इन प्रयोगों में यह भी दर्शनीय है कि जहाँ वैदिक भाषा में संरचक प्रत्यय केवल म् है वहाँ लौकिक में एम् हो गया है ।

7. क्रियापद रचना के प्रसंग में एक अन्य उल्लेखनीय विशेषता यह भी पायी जाती है कि लौकिक भाषा के नमान वैदिक भाषा में जुहोत्यादि गण के धातुओं की ह्रस्वरचना में धातु मूल का द्वित्वीकरण आवश्यक नहीं था । फलतः इनके दो-दो रूप बनते थे, जैसे ददाति~दाति < √ दा, दधाति~धाति < √ धा आदि ।

8. कृदन्तीय रचनाओं में भी दोनों में कई अन्तर पाये जाते हैं । इनमें से विशेष रूप में उल्लेखनीय हैं 'तुमुनार्यक' तथा 'कार्यक' प्रत्ययों का वैविध्य ।

वैदिक में भाववाचक तुमुनार्य के अभिभ्रंजक 16 प्रत्ययों की स्थिति पायी जाती है, यथा—असे (जीवसे/दोहसे), तवे (पातवे/गन्तवे), से (वक्त्रे, अभिप्रचक्त्रे), असेन (भरसे/मिषसे), कसेन् (श्रुचसे, भिषसे), अर्ध्यं (चरध्वं/जपध्वं), अर्ध्यन्, (गन्धर्धं, सहर्ध्यं), कर्ध्यं (कुहर्ध्यं, वृजर्ध्यं), कर्ध्यन् (आहर्ध्यं), सध्वं (मादपध्वं, एपध्वं), सध्व्यन् (पिबध्वं), त्वेङ् (सूतवे, एतवे), त्वेन् (कतवे, गन्तवे), तवेन (दातवे, गन्तवे), तुमुन् (दातुम्, गन्तुम्) आदि । किन्तु लौकिक संस्कृत के मानकीकृत रूप तक पहुँचते-पहुँचते केवल अन्तिम रूप ही भाषा में प्रयुक्त किये जाने की स्वीकृति पा सका ।

इसी प्रकार क्तवार्थक प्रत्ययों के उपसर्गहीन प्रयोग की स्थिति में 4 रूप नामत्र. त्वा, त्वी, त्वाय, तथा त्वीनम् एव सौप्तगं स्थिति में य तथा त्व् रूप पाये जाते हैं, यथा—स्नात्वौ (सोदनर), पीत्वा, सुप्तवा, हृत्वाय (करवे), गत्वाय (जाकर), इष्ट्वीनम् (पत्रन करवे), पीत्वीनम् (पीकर) आदि । किन्तु लौकिक संस्कृत में केवल एक रूप अर्थात् क्तवा को ही मान्यता मिल सकी थी ।

यही स्थिति भविष्याथंक वृद्धन्त प्रत्ययो की भी देखी जाती है यथा ऋग्वेद में इस अर्थ में जो प्रत्यय पाये जाते हैं वे हैं य, आद्य, सेद्य, एण्य, त्व, तप्य, अनीय, किन्तु लौकिक में केवल य, तप्य, तथा अनीय को ही मान्यता मिली है। इसमें से तप्य एव अनीय का प्रयोग अथर्ववेद के उत्तरवर्ती काल में ही पाया जाता है।

9 वैदिक मस्कृत में य मूल वाले धातुओं के साथ इच्छार्थक सन् प्रत्यय का योग होने पर य का इ हो जाना था, यथा—इयक्षा, किन्तु साहित्यिक मस्कृत में इसका रूप पियक्षा ही पाया जाता है। यह प्रवृत्ति ब्राह्मण ग्रन्थों में ही दिखाई देने लगती है, पियंता < यध् + सन्, पियप्स < यभ् + सन् आदि।

10 उपसर्गों का स्वतन्त्र प्रयोग—उपसर्गों के प्रयोग की दृष्टि से इन दोनों भाषाओं में जो अन्तर दृष्टिगत होता है वह यह कि वैदिक भाषा में उपसर्गों की स्वतन्त्र मत्ता थी तथा उनका प्रयोग वाक्य में कहीं भी पृथक् रूप में हो सकता था किन्तु लौकिक मस्कृत में उनकी स्थिति त्रियापद से नियतपूर्व में निश्चित कर दी गयी थी। इनके वृत्तिय वैदिक प्रयोग इस प्रकार है—आ तथा विशान्तु 'ये तुभ्यं प्रवेश करें' (=आधिसान्तु)।

इन्द्रो गा अवृणोत अपा 'इन्द्र ने गायों को बन्द कर दिया' (=आपावृणोत)। परि छावापृषिवी यन्ति नद्यः 'नदियाँ छावा पृषिवी के चारों ओर बलती हैं' (=परियन्ति)।

इन्द्रो वायु इमे सुता उप प्रयोभिरागतम् (=उपागतम्)।

आ ये तन्वन्ति रश्मिभस्तिरः समुद्रमोजता (=आतन्वन्ति)।

अभि त्वा पूरं यित्ये सृजानि सौर्यं मधु (=अभितृजामि)।

11 तुलना बोधक प्रत्ययों के योग में भी देखा जाता है कि वैदिक मस्कृत में इनका योग मत्ता, सर्वनाम, विशेषण, व्यक्तिवाचक मत्ता, विभक्ति प्रत्यय, त्रियापद मत्ता सभी के साथ हो सकता था, किन्तु लौकिक मस्कृत में इनका योग केवल विशेषणों के साथ ही हो सकता है। इनके वृत्तिय वैदिक प्रयोग इस प्रकार हैं—

करिष्ठ = कर्त् + इष्ठ, बहिष्ठ = बह् + इष्ठ, बहोष = बह् + इष, कश्चितर, कश्चिन्म, पूर्वाह्, णत्तरे, पूर्वाह्, णत्तरे, पूर्वाह्, णत्तरे, पूर्वाह्, णत्तरे, (विभक्ति-प्रत्ययों के बाद), प्रत्तरम्, प्रत्तमम्, प्रत्तराम् (स्त्री०), प्रत्तनाम् (स्त्री०), उत्तरम् उत्तमम् (उपसर्गों के साथ),—मठत्तम, इष्टत्तम, बह्वत्तम (व्यक्तिवाचक मत्ताओं के साथ)।

12 गणनावाचक मत्तों के सम्बन्ध में भी वैदिक भाषा की वृत्तिय मस्कृतमत्त विशेषणों से पायी जाती है। इनके अनुगाय त्रियों भी दशक की पूर्ण मत्ता में न्यून की जाने वाली मत्ता के साथ तृतीया, चतुर्थी, पचमी के विभक्ति प्रत्ययों का योग करके मत्ता उगमे मूनायं म मत्तापर अभिसर्गित मत्ता का बोध कराया जाता था, यथा एषपा न तिसान् (=एषाविसान्) 29।

एकस्यं न पञ्चाशत् (= एकोनपचाशत्) । 49.

एकान्न विंशति (= एकोनविंशति) 19.

द्वाभ्यां नाशीतम् (= अष्टसप्तति) 78.

पंचभिर् न चत्वारि शतानि (= पचनवत्युत्तर चतुशतम्) ।

इसके अनिश्चित अन्य सख्यावाचक पदों की संरचना अंग्रेजी के समान दशक बोधक पद के बाद अभिलपित संख्या बोधक पद का योग करके की जाती थी, जैसे त्रिसत् त्रीर् (= त्रयः त्रिंशत् 33) अशीतिरष्टौ (अष्टाशीति 88), नवतिर्णव (= नवतिसप्तति 99), (विस्तृत विवरण के लिए दे० हिव्दने 1955 : 179) ।

भाग—तीन

स्वन प्रक्रिया

1

भाषिक विकास (ध्वन्यात्मक)

भाषा के मन्दभंग में विकास का अर्थ होता है उसके रूपों में होने वाला परिवर्तन। यह परिवर्तन ध्वनि, रूप तथा अर्थ किसी भी स्तर पर हो सकता है। यहाँ पर हम केवल ध्वन्यात्मक परिवर्तन के कारणों और दिशाओं के सम्बन्ध में ही कुछ चर्चा करेंगे।

ध्वनि-परिवर्तन

ध्वनि-परिवर्तन का अध्ययन दो रूपों में किया जा सकता है। एक किसी भाषा के ऐतिहासिक विकास-क्रम में होने वाला परिवर्तन तथा दूसरा भाषा के व्यावहारिक रूपों में होने वाला परिवर्तन। यहाँ पर हम केवल प्रथम प्रकार के विषय में ही चर्चा करेंगे। पीछे संस्कृत ध्वनियों के विकास के सम्बन्ध में हम देख आये हैं कि मूल भारोपीय से लेकर वैदिक ससृष्ट तक पट्टचते-पट्टचते उसकी मूल ध्वनियों में अनेक प्रकार के परिवर्तन हुए हैं अर्थात् कई मूल ध्वनियाँ सर्वथा लुप्त हो गयी हैं, कई ऐसी ध्वनियाँ अस्तित्व में आ गयी हैं जिनकी सत्ता मूल भारोपीय में थी ही नहीं, तथा कई ध्वनियाँ अपने मूल रूप को छोड़कर नये-

नये रूपों में विकसित हो गयी है। इस विकास-क्रम में कुछ का मूल रूप सर्वथा ही बदल गया है तो कुछ में आंशिक परिवर्तन आया है।

इस अध्याय में हम इसी बात की चर्चा करेंगे कि ध्वनियों में ये परिवर्तन क्यों होते हैं तथा इन ध्वन्यात्मक परिवर्तनों के क्या-क्या रूप या दिशाएँ होती हैं। यहाँ पर इन परिवर्तनों के सम्बन्ध में इतना कहना ही पर्याप्त होगा कि ऐतिहासिक कालक्रम में उपलब्ध किसी भी भाषा की हिन्दी दो कालों की भाषिक सामग्री को देखने-सुने भाषा के स्वरूप के विषय में यत्किंचित् जानकारी रखने वाला कोई भी व्यक्ति देख सकता है कि उनमें इन रूपों में कहीं-कहीं अन्तर आ गया है। यह अन्तर ध्वन्यात्मक भी हो सकता है, रूप-परमक भी तथा अर्थ-परक भी। परिस्थितियों तथा कालावधि की भिन्नताओं के अनुसार उनकी मात्रा में न्यूनाधिकता हो सकती है। यद्यपि सामान्यतः ध्वनि परिवर्तनों की गति बहुत मन्द होती है तथा ध्वनियों के एक मीमित वर्ग को ही प्रभावित करती है पर कभी-कभी किसी शब्द विशेष में किसी व्यक्ति विशेष के श्रवणात्मक अथवा उच्चारणात्मक दोष से उद्भूत ध्वनि परिवर्तन अपेक्षाकृत न्यून समय में ही भाषा विशेष में स्थान पा लेता है। हिन्दी में प्रचलित लालटीन, तिरपाम, बारतून, रगरूट आदि अनेकों विदेशी शब्दों में पाया जाने वाला ध्वनि-परिवर्तन इसी कोटि का होता है। साथ ही भाषा विज्ञान की शब्दावली में वणञ्चिपर्यय (metathesis) तथा समाक्षर लोप (haplology) के नाम से अभिहित परिवर्तन भी इसी कोटि में आते हैं।

ध्वनि-परिवर्तन के कारण

ध्वनि-परिवर्तन चाहे परिवर्तन की दीर्घकालिक प्रक्रिया का परिणाम हो या लघुकालिक प्रक्रिया का, सर्वथा निष्कारण नहीं होता है। उसके पीछे कोई न कोई भाषिक या भाषिकेतर कारण अवश्य होता है। विभिन्न भाषाओं के ध्वन्यात्मक परिवर्तनों का विश्लेषण करने पर देखा गया है कि ये कारण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, (1) आदेशात्मक (substitutive) तथा (2) विकासात्मक (evolutive), जिनका निरूपण निम्न प्रकार से किया जा सकता है।

आदेशात्मक कारण—आदेशात्मक कारणों के दो रूप होते हैं—उच्चारणगत तथा श्रवणगत। प्रथम का सम्बन्ध कक्षा के साथ तथा द्वितीय का श्रोता के साथ होता है। क्योंकि वाक्यव्यवहार का सम्बन्ध मदा ही उच्चारण तथा श्रवण की क्रियाओं के साथ होता है अतः इन दोनों ही छोरों पर हमें विचार की सम्भावना मदा बनी रह सकती है। एकाकी व्यक्ति के द्वारा वाक्यव्यवहार की सम्भावना न होने में उगमें विचार की सम्भावना भी नहीं की जा सकती है। सामान्य रूप में इन दो छोरों पर होने वाले विकासों के मूल कारणों का पृथक्-पृथक् विवेचन इस प्रकार किया जा सकता है—आदेशात्मक कारणों के अनेक रूप हो सकते हैं, सबसे विचरण से पता

सरल नहीं, फिर भी प्रमुख रूप में निम्नलिखितों का परिगणन किया जा सकता है।

वाक्यन्त्रों का वैविध्य—यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि किन्हीं भी दो व्यक्तियों के वाक्यन्त्र एक समान नहीं हो सकते। फलतः उनके उच्चारणों में भी अन्तरो का पाया जाना स्वाभाविक ही है। कई बार यह अन्तर वाक्दोष के कारण भी हो सकता है किन्तु इसी से भाषा में ध्वनि-परिवर्तन हो जाता करते हैं, यह मानना उचित नहीं। क्योंकि किसी भी व्यक्ति में ऐसी शक्ति नहीं हो सकती कि वह अपने सम्पूर्ण भाषाई समाज पर अपने उच्चारण को आरोपित कर दे, और न ही कोई ऐसी शक्ति है जो कि किसी ध्वन्यात्मक परिवर्तन का माधारणीकरण कर सके।

भाषा के अर्जन की प्रक्रिया के अध्ययन में भी प्रतीत होता है कि बालक अनुकरण की पद्धति से अपनी मातृभाषा का अर्जन करता है। किन्तु अनुकरण वह ध्वनियों का नहीं अपितु शब्दों अथवा ध्वनिमूहों का करता है, साथ ही इन ध्वनियों का प्रथम बार श्रवण करने पर तो वह सफल उच्चारण कर ही नहीं पाता है। इसीलिए किसी शब्द को सुनने के उपरान्त बालक तब तक अपने उच्चारण को ठीक करने का प्रयत्न करता रहता है जब तक कि उसे यह विश्वास नहीं हो जाता कि वह तदनु रूप ही उच्चारण कर रहा है। किन्तु श्रवणात्मक एवं उच्चारणात्मक अन्तरो के कारण वह प्रयत्न करने पर भी बिल्कुल उन्हीं ध्वनियों का उच्चारण नहीं कर पाता है। यत्किंचित् अन्तर रह ही जाता है। बार-बार उच्चारण की इस प्रक्रिया में उनके वागवयवों का एक रूप स्थिर हो जाता है और फिर वे स्वचालित रूप से उन ध्वनियों का उमी रूप में उच्चारण करते रहते हैं।

किसी भाषा के विकास की स्थितियों का अध्ययन करने से इस बात का भी पता लगता है कि उस भाषा की उच्चारण प्रक्रिया का मस्रेपण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में निरवच्छिन्न रूप में नहीं होता है। प्रायः माता-पिता तथा उनकी मन्तानों की ध्वन्यात्मक प्रक्रिया में यत्किंचित् अन्तर आ ही जाता है, और यही अन्तर धीरे-धीरे इतने विस्तृत होते जाते हैं कि कुछ पीढ़ियों के उपरान्त उन दो रूप में पर्याप्त अन्तर दिखाई देने लगता है।

इन अन्तरो के मूल में शरीर क्रियात्मक तत्वों का भी योग हो सकता है, यथा वागवयवों के किमी अंश का विस्तृत या मुकुचित होना अथवा स्नायुओं के क्षीण एवं मन्द हो जाने से उचित रूप से ध्वनियों का उत्पादन न कर सकना अथवा इसके विरुद्ध उनके प्रबल हो जाने से अधिक बल एवं गति से ध्वनियों का उच्चारण कर सकने में समर्थ होना आदि। इसके अतिरिक्त यह भी होता है कि माता-पिता के वागवयवों की अपेक्षा बालक के अवयवों की गति भिन्न होती है जिससे कि वह

उनके ध्वनिक्रम के स्थान पर एक नवीन ध्वनिक्रम को प्रयुक्त करने लगता है, पर यह सब कुछ अव्योच रूप में ही होता रहता है। उसे हमका आभाम तक नहीं होता है। किन्हीं अंशों में भिन्न होने पर भी वह यही ममजता रहता है कि वह अपने माता-पिता के उच्चारण के अनुरूप ही उच्चारण कर रहा है, अन्यथा वह उसमें सुधार के लिए प्रयत्नशील अवश्य होगा।

इतना ही नहीं, बिलो भी भाषा के ध्वनि वैज्ञानिक विश्लेषण में वागवपवों की नियत स्थिति, श्वास की मात्रा, उच्चारण प्रयत्न आदि का विवरण उस बाल विशेष के मापेक्ष होने हैं, सांख्यिक नहीं, क्योंकि इनके रूपों एवं स्थितियों में समय-समय पर परिवर्तन होता रहता है। किन्तु तुलनात्मक भाषा विज्ञान के आधार पर विज्ञान पैमाने पर पाये जाने वाले ध्वनि परिवर्तनों को देखने में यह भी प्रत्यक्ष है कि इन परिवर्तनों का कारण अमफल अनुकरण या दूसरी पीढ़ी के किसी एक व्यक्ति के विवृत उच्चारण तक ही सीमित नहीं हो सकता है। साथ ही सम्पूर्ण रूप से देखने पर यह परिवर्तन न केवल ध्वन्यात्मक रूपों में अपितु रूपात्मक एवं अर्थान्मक रूपों में भी पाया जाता है। अतः इनके कारणों पर विस्तृत रूप से विचार करना अपेक्षित होगा।

भाषा में होने वाले परिवर्तनों के सम्बन्ध में यह स्मरणीय है कि ये परिवर्तन अन्य क्षेत्रों में पाये जाने वाले परिवर्तनों के समान शीघ्र ही लक्षित नहीं होते हैं। इन्हें फलित होने में काफ़ी लम्बा समय लगता है। कई बार तो कई पीढ़ियों के उपरान्त कोई परिवर्तन अपनी पूर्णता को प्राप्त हुआ करता है। हमारे साथ ही यह भी स्मरणीय है कि किसी परिवर्तन के मूल में केवल एक ही कारण होना हो, ऐसी बात भी नहीं। प्रायः हममें एकाधिक कारणों का योग हुआ करता है।

प्रयत्न साधक—प्रयत्न साधक, जिसे कभी-कभी उच्चारण की सुविधा या सुगम्युग्य भी कह दिया जाता है, सभी भाषाओं में ध्वनि-परिवर्तन का अन्यतम प्रमुख कारण समझा जाता है। उच्चारण की सुविधा अथवा छोड़े में ही लक्ष्यों में अभिप्रेत अर्थ का सही बोध करने के दृष्ट्या व्यक्ति प्रायः लक्ष्यों को सरल या मक्षित करने को तैयार रहता है। सुविधाजनक होने के कारण बड़ी शीघ्रता में इन प्रकार की प्रवृत्तियों का अनुकरण भी किया जाने लगता है, यद्यपि शब्द की मूल ध्वनियों के स्थान पर सरल एवं मक्षित ध्वनि समूह-प्रयोग में आने लगता है। अक्षरों में विशेष रूप से यह परम्परा प्रचलित है, जैसे ट्यूबर क्रांति के लिए 'टी० बी०' या टैनीविजन के लिए 'टी० बी०' अथवा रेडिओरेटर के लिए 'रिड' या ट्रेनिंग के लिए 'थ्रेन'। इसी प्रकार रेसगाटी के लिए 'गार्डी' तथा 'रिम्बे ग्रेज' के लिए 'ग्रेजन', 'अब ही' का 'अभी' 'बब ही' का 'बभी' इसी प्रवृत्ति के परिणामक हैं। प्राकृतिक भाषाओं में ही नहीं, प्राचीन भाषाओं में भी मक्षितकरण

की प्रवृत्ति देखी जाती है, यथा संस्कृत में इन्द्र का पर्यायवाची शब्द, 'शतक्रतु' का संक्षिप्त रूप है, इसी प्रकार शुकल तथा कृष्ण पक्षों के लिए प्रयुक्त किये जाने वाले शब्द शुद्धी तथा बद्धी, शुक्ल दिवस एवं बहृत दिवस के ही संक्षिप्त रूप हैं।

संस्कृत तथा प्राकृत के ध्वनि परिवर्तनों के मूल में यह प्रवृत्ति सबसे अधिक कार्यशील दिखाई देती है। अघोष व्यंजनो का लोप तथा संयुक्त व्यंजनों का सरलीकरण या समीकरण इसी प्रवृत्ति के अधीन हुआ है। उच्चारण की सुविधा की प्रवृत्ति का ही परिणाम है कि हिन्दी में ब्रह्मा का उच्चारण ब्रह्म तथा चिह्न का उच्चारण चिन्ह अथवा चक्र का चदकर या चर्मकार का चमार हो गया। अंग्रेजी में भी शब्द के प्रारम्भ में आने वाले kn-या wr-में से प्रथम व्यंजन का लोप अथवा शब्दों के मध्य में आने वाले व्यंजन संयोगों, यथा-lk, ght आदि का लोप इसी सर्वभौम प्रवृत्ति के ही कारण हुआ है।

भावातिरेक—भावातिरेक की स्थिति में हमारे वागवयव अनेक प्रकार से प्रभावित हो जाते हैं। हम देखते हैं कि भावाभिभूत व्यक्ति शब्दों की सामान्य अभिव्यक्ति नहीं कर पाता है। स्नेहाधिक्य या आवेश की स्थिति में वाग्ध्वनियां सहज ही प्रभावित हो जाया करती हैं। फलतः सामान्य ध्वनिक्रम में व्यतिरेक उत्पन्न हो जाता है। प्रायेण देखा यह गया है कि आवेश की स्थिति में ध्वनियों में समास की प्रवृत्ति तथा स्नेहाधिक्य में व्यास की प्रवृत्ति हुआ करती है। हिन्दी में बधू का बहुरिया तथा कृष्ण का कान्हा होकर कन्हैया आदि शब्द इसी प्रवृत्ति की देन हैं। संस्कृत में भी पुत्र का पुत्रक, पोट का पोटक, बधू का बधूटी, कुटो का कुटोर, कन्या का कन्यका इसी प्रवृत्ति के द्योतक हैं।

विदेशी प्रभाव—कभी-कभी दो भिन्न प्रकार की ध्वनि प्रक्रिया वाली भाषाओं के बोलने वालों का दीर्घकाल तक निकट सम्पर्क रहने के कारण एक भाषा की ध्वनियां दूसरी भाषा की ध्वनियों को प्रभावित कर डालती हैं। फलतः उस भाषा में नयी ध्वनियां अथवा संयोगों की स्थिति पायी जाने लगती है। हिन्दी तथा फारसी भाषाओं के निकट सम्पर्क के प्रभाव को ख, फ, य, ज आदि ध्वनियों में तथा उर्दू, हिन्दी की 'मूर्धन्य ध्वनियों में देखा जा सकता है। संस्कृत में चर/चल् 'चलना', तार/ताल् 'ताडवृक्ष', जल/जड 'पानी', दाडिम/डालिम, रेखा/लेखा, तुपारः/तुत्तारः 'एक जाति', लोक्/लोच्-देखना' जैसे युग्म इसी के परिणाम हैं।

अपूर्ण अनुकरण—जैसा कि ऊपर कहा गया है—ध्वनि परिवर्तन में वक्ता तथा श्रोता दोनों का योग होता है। कभी-कभी श्रवणेंद्रिय की विकलता अथवा दोनों भाषाओं में ध्वनि प्रक्रियात्मक विभेदों के कारण श्रोता बिन्ही ध्वनियों को उनके मूल रूप में कुछ भिन्न रूप में सुनता है और उन्हें उसी रूप में प्रयुक्त करने लगता है। कुछ अन्य लोग जो कि उस शब्द की मूल ध्वनियों से परिचित नहीं होते, उनका भिन्न रूप में प्रयोग करने लगते हैं। अंग्रेजी में अमफल अनुकरण के

वारण ही तो कानिबोना का कानवता, मुम्बई का बम्बई, पुणे का पुना, देहली का ड्रिही, दिल्ली, गुवाहटी का गोहाटी, ठाकुर का टैंगोर, मिह का मिन्हा, गुप्त का गुप्ता, मुद्दद का लुपर हो गया।

आमक ध्वनि—वर्षे बार किसी अन्य भाषा के किसी शब्द को भ्रम में थोना की अपनी भाषा के किसी अन्य समवक्ष ध्वनि वाले शब्द के साथ जोड़ दिया जाता है। उदाहरणार्थ, मृत्यु के वाचक उर्दू-फारसी के 'इतिबान' शब्द को हिन्दी के 'अन्तबान' के साथ मिला देने से हिन्दी में भी मृत्यु के लिए 'अन्तबान' शब्द प्रचलित हो गया। इसी प्रकार अंग्रेजी के 'आम्ड चेअर' का हिन्दी में 'आराम कुर्सी' तथा 'मैक्सी' का 'मख्तवीन' भी हो गया।

विशामात्मक कारण—ध्वनियों के विशामात्मक परिवर्तन के मूल में भी अनेक आन्तरिक एवं बाह्य कारणों का योग हुआ करता है, जिनमें से कुछ प्रमुख दो प्रकार माने जाते हैं।

आघातन—आघातन भाषा का प्राण होता है। सभी भाषाओं की ध्वनियों के विकास के मूल में यह मुख्य कारण हुआ करता है। आघातन की विशेष प्रवृत्तियों के कारण ही विभिन्न भाषाओं में घातन अक्षर से पूर्वार्ण की ध्वनियों विभिन्न रूपों में प्रभावित होती रहती हैं। प्राचीन ध्वनियों के ह्रास, नवीन ध्वनियों की विकास तथा ध्वनियों में होने वाले विभिन्न प्रकार के ध्वन्यात्मक विकारों की हेतु यही आघातन प्रक्रिया है। इसके अतिरिक्त स्वरघात का विभेद भी अनेक प्रकार के ध्वनि विचारों का जनक हुआ करता है। भारतीय आर्य भाषाओं के ध्वन्यात्मक विकास में आघातन ने प्रबल भूमिका निभाई है। मन्वृत्त के स्वरघात अथवा मनीनात्मक आघात का जब क्षयाघात में विकार हुआ तो अनेक मूल ध्वनियाँ या तो विकृत हो गईं या उनका लोप हो गया। उदाहरण का बोझा या झा, बण्ड का बाटा तथा नपन का नैन दत्त गया। इसी आघात के कारण ध्वनियों का स्थानान्तरण हो जाने से गूह का घर, लपुन का हल्का बने गया।

मन्वृत्त में अम् घानु के रूपों में स्तः < *अस्त, शन्ति < *असन्ति, स्वः < *अस्व, स्वः < *अस्व, स्व - *अस्म आदि में द्वितीय अक्षर पर आघातन के कारण ही प्रथमाक्षर का योग हुआ है। यही घात 'चलन्ति' के अवशिष्ट रूप ध्वनि के विषय में भी सत्य है।

सादृश्य (Analogy)—सादृश्य का अर्थ है तदनु रूप होना, अर्थात् जब किसी भाषा के किसी शब्द का ध्वन्यात्मक परिवर्तन उस भाषा की सामान्य ध्वन्यात्मक प्रवृत्ति के अनुरूप न होकर उस भाषा किसी अन्य शब्द के ध्वन्यात्मक रूप की सममुख रचना तदनु रूप में कर दिया जाता है तो उसे सादृश्यात्मक परिवर्तन कहा जाता है। भाषाओं में अथवा ध्वनियों के विकास में इसका महत्वपूर्ण स्थान होता है। भाषा के सभी स्वरों पर इसका प्रभाव परिलक्षित होता है। तब भी यह है कि यह

सामान्य ध्वन्यात्मक प्रवृत्तियों का बाधक होता है, उसके नियमित विकास की अभिरचनाओं में अड़चन पैदा करता है जो कि कभी-कभी भाषा के मोमांसकों के लिए कठिन समस्या पैदा कर डालता है। कदाचित् ही कोई ध्वन्यात्मक प्रवृत्ति ऐसी हो जो कि इससे प्रभावित न होती हो या जो कि इसके कारण अस्त-व्यस्त न हो। उदाहरणार्थ हिन्दी में तुभ्यम् से तुझ का विकास तो सामान्य ध्वनि विकास के नियम के अन्तर्गत आता है किन्तु मह्यम् से मुझ का विकास किसी नियम के अन्तर्गत नहीं आ सकता। यहाँ पर अ से उ के विकास का कोई ध्वन्यात्मक आधार नहीं, किन्तु तुझ बन जाने पर उसके सादृश्य से मह्यम् का मुझ बन जाना सर्वथा सम्भव है। इसी प्रकार संस्कृत में एकदश से एकादश की निष्पत्ति द्वादश के सादृश्य के अतिरिक्त और किसी प्रकार नहीं हो सकती। ऐसे ही दुषल के सादृश्य पर सुषल में ककार का आगम तथा स्वर्ग के सादृश्य पर नर्क में नरक के अकार का लोप हो गया है। संस्कृत में दर्जनों ऐसे शब्दरूप तथा पदरूप हैं जो कि इसी आधार पर बन गए हैं जैसे करिन् का करिणा तो ठीक है किन्तु कवि का कविना या हरि का हरिणा केवल करिणा के सादृश्य पर बनाए गए हैं। यही स्थिति इनके पृष्ठी ब० व० रूपों में भी पायी जाती है जिसमें कि आम् का नाम् हो जाता है। अवेस्ता में संस्कृत पशुनाम् का प्रतिरूप पश्वाम् मिलता है जो कि मूल रचना के सर्वथा अनुरूप है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हिन्दी में अन्तर्देशीय के सादृश्य पर अन्तर-राष्ट्रीय तथा नैतिक के सादृश्य पर राजनैतिक चल पड़ा है।

अतिसजगता—अतिमजगता के दो रूप पाए जाते हैं—1. अति नागरिकतावाद तथा 2. अतिशय विभाषावाद। कभी-कभी देखा जाता है कि ग्रामों के रहने वाले लोग ग्रामीण कहे जाने के भय से मानक भाषा अथवा नागरिक भाषा के उच्चारणों के प्रति अति-सजग होकर शुद्धतम उच्चारण के फेर में पड़कर उन्हें और भी विकृत कर डालते हैं। कभी-कभी किसी शब्द का ऐसा प्रचार हो जाता है कि लोग उसके मूल रूप को भूलकर उसके विकृत रूप को ही मूल रूप समझने लगते हैं। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है धूम्रपान। अतिशय नागरिकता के चक्कर में पड़कर कभी-कभी बक्ता या लेखक ने धूम को धूम्र कर डाला और यह इतना प्रचलित हुआ कि पढ़े-लिखे लोग भी 'धूम्रपान' को धूम्रपान (धूसरपान) कहते व लिखते देखे जाते हैं। ऐसे ही 'शाप' का 'श्राप' 'राजनीतिक' का 'राजनैतिक' अथवा 'मेहमान' के लिए 'मेहरवान' प्रयोग भी इसी प्रवृत्ति का परिचायक है। इस प्रसंग में यह स्मरणयोग्य है कि भ्रष्ट या अशुद्ध उच्चारण का भय केवल ग्राम्य वक्ताओं को नहीं होना अपितु नागरिकों में भी पाया जाता है। कई बार उन्हें भी भय होना है कि अपने किसी उच्चारण विशेष के कारण उन्हें ग्रामीण न समझ लिया जाए अतः वह अपने उच्चारण को और भी अधिक सुधारने का यत्न करता है जिसमें वह अतिशय नागरिकतावाद को जन्म देता है।

अतिशय विभाषावाद भी अतिशय नागरिकतावाद के समान ही उच्चारण के सम्बन्ध में आत्मोन्मादित भय के कारण उत्पन्न होता है। जब कोई व्यक्ति अपनी मातृभाषा में भिन्न भाषा को बोलने का दमन करता है तो उसके मन में उसके मन्दो के उच्चारण में अशुद्धि हो जाने की आशंका रहती है और इस अतिशुद्धि के प्रयास में वह उच्चारण की अशुद्धि का बर शान्तता है। हिन्दीभाषी लोगों के द्वारा पञ्जाबी में बोलने या लिखने में अथवा पञ्जाबीभाषियों के द्वारा हिन्दी बोलने या लिखने में इस प्रकार की अशुद्धि की जाती है।

अन्धविश्वास—अनेक भय, जुगुप्सा, आतंक के मकेतक मन्दो के समान ही कुछ जातियों तथा कुछ भाषाई समुदायों में कुछ विशेष ध्वनियों में बनने वाले मन्दो के प्रति भी अन्धविश्वासात्मक भाव हुआ करते हैं। फलतः वे भोग अपने वाक्यव्यवहार में उन ध्वनियों का परिहार किया करते हैं तथा उनके स्थान पर अन्य ध्वनियों का प्रयोग करने लगते हैं और कालान्तर में ये प्रयोग स्थिर हो जाते हैं। 'गो' में पासो जाने वाली 'ग' ध्वनि का परिहार करने के लिए कई हिन्दू लोग 'गोमी' को 'कोवी' या 'कोमी' तथा 'गन्धम' को 'गन्धम' कहते हैं। उनके अनुकरण पर अन्य लोग भी इन्हें इन्ही नामों से पुकारने लगते हैं।

ऊपर के विवेचन में ध्वनि परिवर्तनों के जिन कारणों का उल्लेख किया गया उन सबका सम्बन्ध किसी भाषा की सामान्य ध्वन्यात्मक प्रवृत्तियों के विरुद्ध किन्ही नवीन प्रवृत्तियों को जन्म देने से है। भाषाओं के विकास में इस प्रकार की कई प्रवृत्तियाँ आती हैं, और आती रहेंगी जो कि भाषा के विकास के कार्य को आगे बढ़ानी रहेंगी।

उनके अतिरिक्त भाषाओं के परिवर्तनों को प्रभावित करने वाले कुछ ऐसे भी कारण होते हैं जिनका कि यकता या थोड़ा के साथ कोई अत्यन्त सम्बन्ध नहीं होता। विश्व की अनेक भाषाओं के इतिहास में अनेक बार ऐसे राजनीतिक व सामाजिक कारण भी उद्भूत हुए हैं जिन्होंने कि उनके मूल रूप को काफी सीमा तक प्रभावित किया। कई बार विजेताओं ने विजित लोगों को अपनी भाषा बोलने के लिए बाध्य किया तो कभी राजनीतिक व सामाजिक परिस्थितियों में विद्वानों होकर एक राष्ट्र ने समीपस्थ किसी अन्य राष्ट्र की भाषा को अपना लिया या दीर्घकाल तक दो भाषाओं के समानान्तर व्यवहार ने एक को दूसरी से प्रभावित किया। इस प्रक्रिया में प्रायः होता यह है कि जब एक जति या राष्ट्र विद्वान होकर या परिस्थितिक दृष्टि भाषा को अपनाता है तो उनका उच्चारण का अभ्यास पिछली भाषा की ध्वनि प्रक्रिया के अनुगमन होने के कारण सर्वथा बदल नहीं जाता है। फलतः नयी भाषा में अनेक प्रकार के ध्वन्यात्मक परिवर्तन स्थिर रूप धारण कर लेते हैं। प्रापैतिहासिक ज्ञान में अब अनार्यभाषा-भाषी लोगों ने आर्य भाषा को अपनाया होता तो निश्चय है कि उन्होंने प्रा० भा० आ० भा० की

ध्वनियों को अनेक रूपों में प्रभावित किया होगा। संस्कृत में दन्त्य-मूर्धन्य ध्वनियों र~ल अथवा ल~ल के व्यत्यय में यही मूल कारण है।

सामाजिक तथा राजनीतिक कारणों के समान ही भौगोलिक कारण भी ध्वनि-परिवर्तन में योगदान किया करते हैं। ध्वनि-परिवर्तन के अन्यतम आधार विभाषाई प्रभाव की सम्भावना उन क्षेत्रों की बोलियों या भाषाओं में अधिक होती है जहाँ पर कि संचार साधनों की सुलभता के कारण भिन्न वर्गों के वक्ताओं का सम्मेलन सुलभ होता है तथा उनमें न्यूनतम जहाँ कि दुर्गमता के कारण ब्राह्म जगत् से संपर्क होता ही नहीं। इसके अतिरिक्त शीत और उष्ण जलवायु के कारण श्वास एवं प्राण की मात्रा अथवा आपातन की मात्रा में अन्तर पड़ जाने के कारण स्वरों की मवृत्तता तथा विवृत्तता तथा व्यञ्जनों की घोपता एवं महाप्राणता में परिवर्तन आ जाया करता है। हिन्दी का विवृत्ततर निम्न आ काश्मीरी में सवृत् मध्य ओं बन जाता है। प्रा० भा० आ० आ० तथा ईरानी में देखे जाने वाले कई ध्वन्यात्मक अन्तरो के मूल में दोनों की भौगोलिक स्थिति तथा जलवायु का भी योगदान हो सकता है।

ध्वनि-परिवर्तन की दिशाएँ

फ्रांसीसी भाषाविद् वेन्द्रे का कथन है कि किसी ध्वन्यात्मक शब्द के अन्तर्गत दो प्रकार के तत्त्व होते हैं—कुछ 'प्रभविष्णु' तथा 'शामित'। अर्थात् कुछ विनाशक व्यापारों की गति का प्रतीकार करने में समर्थ होते हैं और कुछ निष्क्रिय रहकर शीघ्र ही उनसे प्रभावित हो जाते हैं। विश्व की सभी भाषाओं के ध्वन्यात्मक गठन में इनकी विशेष प्रकार की 'प्रभविष्णुता' तथा 'प्रतीकारात्मकता' के उदाहरण उपलब्ध होते हैं। किसी भाषा के ध्वनिग्रामों में सन्तुलन बनाये रखने हेतु इनमें से होने वाले पारस्परिक सघर्षों के परिणामस्वरूप ही भिन्न-भिन्न भाषाओं का विकास भिन्न-भिन्न रूपों में पाया जाता है। परन्तु प्रत्येक भाषा के अपने विशिष्ट ध्वन्यात्मक व्यापारों के अतिरिक्त कुछ ऐसे सामान्य व्यापार भी हैं जो सभी भाषाओं में दृष्टिगोचर होते हैं। ये सामान्य व्यापार शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दोनों प्रकार की प्राकृतिक प्रवृत्तियों की अभिव्यक्ति के साधन हैं (भाषा अनुवाद पृ० 72)।

विभिन्न प्रकार के शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक कारणों में होने वाले इन परिवर्तनों के अनेकानेक रूप हो सकते हैं। जिन्हें कि मोटे तौर पर दो वर्गों, आश्रित तथा अनाश्रित, में रखा जा सकता है। अनाश्रित परिवर्तनों का कोई अभिरचनात्मक रूप नहीं हो सकता वे भाषा के प्रवाह में कहीं भी घटित हो सकते हैं। इसके उदाहरणों के रूप में अकारण अनुनासिकता, यथा साँप < सर्प, ऊँचा < उच्च तथा अकारण व्यञ्जनागम तथा श्राप < श्राप जैसी घटनाओं को लिया जा

मकता है। पर इसके विपरीत भाषाओं में पाये जाने वाले ध्वन्यात्मक परिवर्तनों का स्वर होता है जिसके लिए कोई-न-कोई अर्थात् स्थिति अवश्य उत्पन्न होती है। उदाहरणार्थ, जैसा कि प्रो० वेन्ने ने अपने विवरण में दिखाया है (भाषा, पृ० 73) कि स्पर्शों के अन्तःस्फोटान्मक तथा बहिःस्फोटान्मक स्वरों में भेद होने से बहिःस्फोट की ओर अन्तःस्फोट, यन्त्रावयवों की गति की मन्दता के कारण, धीमा की स्पष्टता अभिव्यक्त नहीं होता। परिणामतः अन्तःस्फोट के विविध विचार सम्भव हैं यदा अक्ष (atka) जैसे ध्वनि समूह में अन्तःस्फोटान्मक क् उनके परवान् आने वाले त् में कम प्रतीकार समर्थ है। ऐसी परिस्थिति में दो विरोधी प्रवृत्तियाँ हो सकती हैं और इन दोनों में ही उस समूह में परिवर्तन हो जायेगा अर्थात् या तो आत्म्य के कारण वक्ता 'क्' का स्पष्टोच्चारण न करेगा और अन्तःस्फोट के तुल्य परवान् वह अपनी विज्ञा की नोक को 'त्' की दशा में ले जायेगा परिणामतः अन्त (atta) ध्वनि का उच्चारण होगा और इसमें 'त्' दीर्घ होगा। इस प्रवृत्ति के उदाहरण हैं इटाली भाषा में अत्तो (atto), स्ट्रेतो (stretto), आदि, जैसा कि लैटिन के 'आक्तुम' (actus) तथा 'स्त्रिक्तुम' (strictus) में विकसित हुए हैं। (संस्कृत 'गहन' में विकसित पार्श्वों का 'मत्' भी इसी प्रवृत्ति का परिचायक है) या फिर 'क्' के उच्चारण को सुरक्षित रखने की इच्छा में, वक्ता अन्तःस्फोट 'क्' के परवान् बहिःस्फोटक 'त्' तक आने में पढ़ने उर्मा स्थान पर मन्द बहिःस्फोट करेगा। इसका उदाहरण अपने शुद्ध उच्चारण पर रुक कर ले जाने वाले फार्सीशियों की भाषा में प्राप्त है। वे मोग फाक्चर (facture) 'शक्ति' शब्द का उच्चारण 'फाक्तेर' (faqueteur) के समान करेंगे। चाहे 'क्' का बहिःस्फोट कितने ही अन्य काल के लिए हो वास्तव में इसका अनिवार्य प्रभाव अस्मिन् स्वर पर होता है। उन्पर इटाली भाषा में विवेक से उदाहरण में 'गमालोग' तथा फार्सीभाषा के दूसरे उदाहरण में 'स्वरमस्ति' की प्रवृत्ति है।

यौ सो ध्वनि परिवर्तन की दिशाओं का कोई अन्त नहीं, पर सामान्य रूप में उन्हें त्रिन् मुख्य वर्गों में विभाजित किया जाता है वे हैं—शोष, आगम, विपर्यय, मन्थि, समोचरण, विपर्यय, धोषोचरण, अधोपीचरण, महाप्राणोचरण, अन्ध-प्राणोचरण, उर्माचरण, अवधुति, मात्राभेद आदि। इस प्रसंग में यहाँ पर इतना महिद कर देना आवश्यक है कि यद्यपि शोष और आगम मातात् रूप में ध्वनि परिवर्तन के अंग नहीं, अस्तित्व अन्तःस्थिति के अंग होते हैं किन्तु भी हमने यहाँ इतना सन्धानेक इतिहास कर दिया है कि भाषाविज्ञान की अन्य पुस्तकों में उन्हें इस प्रसंग में दिखाया जाता रहा है।

१. शोष—शोष का स्पष्टतया प्रत्यक्ष उच्चारण की बहिःस्फोट के समान होता है। इसके स्वर-कारक भेद में तथा स्थान भेद में अनेक रूप हो सकते हैं। उन्हें पृथक्-पृथक् इस प्रकार दिखाया जा सकता है—

(क) स्वरलोप—स्वरलोप का अर्थ है किसी शब्द के मूल रूप में विद्यमान किसी स्वर ध्वनि का उसके विकसित रूप में न रहना। मूल ध्वनि का यह लोप आदि मध्य, अन्त किसी भी स्थिति में हो सकता है।

आदिस्वर लोप—आदि लोप के उदाहरण हैं : सवार < असवार, जवाइन < अजवाइन, नाज < अनाज, काल < (पजावी) < अकाल। संस्कृत में इनके उदाहरण हैं √अस्-धातु के वर्तमान कालिक तथा लोट लकार के रूप स्त, सन्ति, स्य, स्मः, स्वः, स्तात्, सन्तु आदि।

मध्य स्वरलोप—मध्य लोप इन उदाहरणों में देखा जा सकता है. नर्क < नरक, इतहास, (पंजाबी) < इतिहास, अल्मोनियम < ऐल्मोनियम। संस्कृत में मध्य स्वरलोप के उदाहरण सज्ञा तथा क्रिया पदों की रूप-रचना में अधिक पाये जाते हैं।—जग्मु < √गम्, राजा < राजन् + आ, प्रेम्णा < प्रेमन् + आ। व्योमि < व्योमन् + ई। वस्ति/वसति 'वस्ती'।

अन्य स्वरलोप—ऐतिहासिक दृष्टि से हिन्दी के अकारान्त समझे जाने वाले सभी शब्दों में अकार का लोप पाया जाता है, काम् < फाम्, तैल् < तँल आदि। इसके अतिरिक्त रौत् < रौति, जात् < जाति, बांह < बाहु, आदि में इकार और उकार का भी लोप पाया जाता है। संस्कृत में इसके उदाहरण कम मिलते हैं।

(ख) व्यंजनलोप—स्वर लोप के समान ही व्यंजन लोप की भी तीनों स्थितियाँ पायी जाती हैं, यथा—

आदि-व्यंजन-लोप—सामान्यतया आदि व्यंजन लोप आदि संयुक्त वर्णों के प्रथम वर्ण में पाया जाता है, यथा—खंभा < स्कम्भ, भशान < श्मशान, देशान् < स्टेशान। अंग्रेजी में भी प्रायः न् (n) से पूर्व् क् (k) का, र् (r) से पूर्ण् व् (w) का तथा न् (n) से पूर्व् ग् (g) का लोप देखा जाता है, know > now, write < rite, gnow > now रूप हो जाया करता है। संस्कृत में यह प्रवृत्ति बहुत कम पायी जाती है।

2. मध्य-व्यंजन-लोप—भाषा के विकास में मध्य लोप का विशेष योगदान हुआ करता है। यह प्रायः सभी भाषाओं में पाया जाता है। संस्कृत से प्राकृत तथा प्राकृत से हिन्दी तक पहुँचने में अनेक मूल वर्णों का लोप हो गया है। मुई < सूची, कोपल < कोइल < कोकिल, नन < नयन < नयन। अंग्रेजी में ट् (t) के पूर्व् घ् (gh) का लोप देखा जाता है, light daughter आदि। इसके संस्कृत उदाहरण हैं—घामिका ~ घाम्या रात, घम्मिल्ल ~ घम्मिल्लः चोटी, घोतक ~ घोतकम्/घूर्तता आदि।

अन्य व्यंजन लोप—हिन्दी में अन्य व्यंजन लोप के उदाहरण बहुत कम मिलते हैं। सूत < सूत्र, भौत < भित्र, बेल < बिल्व। अंग्रेजी शब्दों के उच्चारण में प्रायः अन्तिम तिष्ठित र् (r) का लोप हो जाया करता है, जैसे father, mother

आदि में। सस्कृत में इनके उदाहरण शतकंः > शनंः, शपयः > शपः, उदक > उवं पानी, घर्ताकिन् > वाताकि बंगन के रूप में देखे जाते हैं।

(ग) अक्षरलोप—लोप का एक अन्य रूप है अक्षर लोप जिसमें स्वर तथा व्यंजन दोनों का लोप हो जाया करता है। यदि दो एक जैसे अक्षरों में से एक का लोप हो जाय तो उसे समाक्षर लोप (haplology) कहते हैं।

आदि अक्षरलोप—हिन्दी में ऐसे उदाहरण बहुत कम हैं जिनमें कि शब्दों के आदि में पूरे अक्षर का लोप हो गया हो, भीतर <अम्यन्तर, इतवार <आदित्य-वार आदि प्रायः स्वर लोप के अन्तर्गत आ जाते हैं। अंग्रेजी में भी प्रायः गतिप्लो-करण में ही इस प्रकार के रूप पाये जाते हैं यथा फ्रिज <रेफ्रिजरेटर आदि। सस्कृत के शैकिलिक उदाहरण अवश्य हैं—वगाह ~ अवगाह, घतंतः ~ अघतंत, शस्ति ~ प्रशस्ति, मुमं/दुमुमं, वेत/निवेतन 'घर' आदि।

मध्य अक्षर लोप—मध्यवर्ण लोप के समान ही मध्य अक्षर लोप की प्रवृत्ति भी अन्य लोपों की अपेक्षा अधिक पायी जाती है यथा भण्डार < भाण्डागार, मुनार < स्वर्गकार, घमार < घर्मकार, नकटा < नककटा। इसे समाक्षर लोप भी कहा जाता है। अंग्रेजी के can't की भी स्थिति ऐसी ही है। सस्कृत में समाक्षर लोप के काफी उदाहरण पाए जाते हैं, यथा हातहतं > हाहलं, हातहातं > हाहातं भयकर विष, शेषवृधि > शेषृधि, जहोहि > जहि < √हा-(सोद् म० पु०, ए० व०) मधुगुण > मगुण 'एक पौधा' आदि।

अन्याक्षर लोप—इसके उदाहरण भी पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं—जंगे मौसी < मातृस्वसा, कोड़ी < कर्पदिका, मोती < मीनितक, लषा < लषाद्, बटारी < बर्तारिका। सस्कृत में इनके उदाहरण हैं तुणीः > तुणी, कुरंगम > कुरंग मृग, विहंगम > विहग पक्षी, सोविदस्सः > सोविदः 'रनिदाम का एक सेवक'।

2 आगम—आगम का अर्थ है नवीन ध्वनियों का आ जाना। यह भी लोप के समान ही शब्दों की आदि, मध्य तथा अन्त्य तीनों स्थितियों में सम्भव है। आगम स्वरों का भी हो सकता है और व्यंजनों का भी।

(क) स्वरआगम—स्वरों का आगम तीनों स्थितियों में देया जाता है।

1 आदि स्वरआगम—या आदिनिर्हित (prothesis)—हिन्दी में प्रायः ए + व्यंजन से प्रारम्भ होने वाले शब्दों के उच्चारण में ई या अ का आगम देया जाता है, यथा इनमान/असूमान < इनाम, इस्तुति/अस्तुति < इस्तुति, इरूल < इरूल, इरुवाल < इरुवाल। सस्कृत तथा चीन के अनेक अनुसूची शब्दों की मूचना करने पर देया जाता है कि चीन में सस्कृत के उन अनुसूची शब्दों के प्रारम्भ में ए या ओ स्वर का आगम हो जाता है जो कि म्, न्, य् या म् ध्वनियों से प्रारम्भ होने हैं यथा—
म० इधिर = ची० एध्रोग्, मं० लवु = ची० एण्डुग्, मं० मामन् = ची० ओनोमा,

आदि। तमिल में भी ए से प्रारम्भ होने वाले शब्दों में ई का आगम हो जाता है यथा रामन्—इरामन् आदि।

मध्यस्वरागम—मध्यस्वरागम को 'स्वरभक्ति' भी कहा जाता है। ऐसा प्रायः उन संयुक्त व्यंजनों के उच्चारण की स्थिति में होता है जिनका कि उच्चारण सरलतापूर्वक नहीं किया जा सकता है। स्वरगम के कारण उच्चारण सरल एवं सुविधाजनक हो जाया करता है। इसके उदाहरण हैं—जनम < जन्म, धरम < धर्म, करम < कर्म, शरम < शर्म, द्रुम < द्रुवम, नसल < नस्ल। वैदिक संहित में यह प्रवृत्ति विशेष रूप से देखी जाती है। यथा वरात > वरेशत, शीर्षा > शीरेखा आदि।

वैदिक ही नहीं लौकिक संस्कृत में भी इस प्रवृत्ति के दर्शन हो जाते हैं, यथा पृथ्वी/पृथिवी, स्वर/सुवर, स्वर्ण/सुवर्ण, सौदान्नी/सौदामिनी स्वप्न/स्वपनं, तर्भु/तरक्षुः चीता, तर्णि/तरणि नाव आदि।

अन्त्य स्वरगम—मध्य स्वरगम की अपेक्षा अन्त्य स्वरगम कम रूपों में पाया जाता है। सपना < स्वप्न, दवाई < दवा, कौवा < काक, कर्जा < कर्ज, गुप्ता < गुप्त, सिन्हा < सिंह आदि। संस्कृत में इसके रूप नहीं मिलते।

(ख) व्यंजनागम—स्वरागम के समान ही व्यंजनागम के भी तीन भेद पाए जाते हैं।

आदि व्यंजनागम—आदि व्यंजनागम के उदाहरण बहुत कम पाए जाते हैं। आदि व्यंजनागम के जो उदाहरण दिए जाते हैं उनमें वस्तुतः आगम महाप्राणता (ह) का ही पाया जाता है, जैसे हड्डी < अस्थि, होठ < ओष्ठ, हुदा < ओहदा। संस्कृत में इसके उदाहरण कम हैं, यथा—वीरिणं < ईरिणं मूर्खभूमि।

मध्य व्यंजनागम—मध्य व्यंजनागम के कई रूप पाए जाते हैं, यह कोई व्यंजन भी हो सकता है और अर्ध व्यंजन भी। बन्दर < वानर, थाप < शाप, प्रण < पण, समुन्दर < समुद्र, कोपल < कोदल < कोकिल, कौआ < काक। संस्कृत में इसके उदाहरण हैं—सूनरी (वैदिक) > मुन्दरी (लौ०), शकलं > शकलम् 'छिलका'।

अन्त्य व्यंजनागम—अन्त्य व्यंजनागम भी बहुत कम शब्दों में पाया जाता है : 'बठुरिया < बघूटी, बघूटी < बपू, बिटिया < बेटी। संस्कृत में लघ्वर्थक तथा प्रियार्थक 'क' प्रत्यय इसी प्रकार का है यथा पुत्र > पुत्रक, कन्या > कन्यका, पोत > पोतक आदि।

(ग) अक्षरागम—व्यंजनागम के समान ही अक्षरागम भी सभी स्थितियों में पाया जाता है।

1. दादि अक्षरागम—यह प्रायः धामक व्युत्पत्ति के कारण ही जाया करता है, यथा निखालिस < खालिस, बेफजूल < फिजूल। संस्कृत में इसके उदाहरण हैं—बगाह > भवगाह स्नान, शस्ति > प्रशस्ति, प्रशंगा आदि।

मध्य अक्षरागम—हिन्दी में मध्य अक्षरागम के भी उदाहरण अधिक नहीं मिलते हैं—इसके उदाहरण हैं—आलस<आलस, हिकमत<हिम्मत, आदि। मसृत में सौदाम्नी/सौदामिनी, यततं/प्रयत्नं, स्वप्नं/स्वपनम् आदि। इसे पारिभाषिक रूप में स्वरभक्ति (anaptyxis) भी कहा जाता है (देखो ऊपर)।

अन्य-अक्षरागम—अन्य अक्षरागम प्रायः प्रत्यय योजन के रूप में पाया जाता है, यथा भुलङ्गा<भुल, बिटिया<बेटी, ढोलकी<ढोल आदि। मसृत में इसके उदाहरण हैं यामि/यामिका/यामिनी रान, घपेट/घपेटक; बाला/बालिका, कुरंग/कुरंगम, बिहंग/बिहंगम आदि।

3 विपर्यय—विपर्यय का अर्थ है स्थानान्तरण। कई बार भिन्न-भिन्न स्थानों में उच्चारित होने वाली ध्वनियों के उच्चारण में बागवयवों में सामंजस्य न हो सकने के कारण उनके उच्चारण में उलट फेर हो जाया करती है। यह स्वरों के बीच भी हो सकता है और व्यंजनों के बीच भी। इसी प्रकार विपर्यय अति समीपी ध्वनियों के बीच भी हो सकता है तथा दूरवर्ती ध्वनियों के बीच भी। प्रथम प्रकार के विपर्यय को 'पार्वंवर्ती' तथा द्वितीय प्रकार के विपर्यय को 'दूरवर्ती' भी कहा जाता है।

(1) स्वर विपर्यय—यह निवटस्थ ध्वनियों में भी हो सकता है तथा दूरस्थ ध्वनियों में भी। निवटस्थ ध्वनि विपर्यय के उदाहरण हैं—सूबा<उल्हा, इमली<अम्लिका तथा दूरस्थ के उदाहरण हैं—यगला<यागल, पटका<पाटक। मसृत में इसके उदाहरण हैं—हलाहलं>हालहालं विप, 'वाराणसी<वाराणसी बनारस।

(2) व्यंजन विपर्यय—स्वर विपर्यय के समान ही व्यंजन विपर्यय भी दोनों प्रकार का पाया जाता है। पार्वंवर्ती व्यंजन विपर्यय के उदाहरण हैं—बिन्ह<बिह्न, धर<गुह, मतबल<मतलब, बग्हा<बह्या, तिगल<तिगतल, डेरस<डेरक आदि। तथा दूरवर्ती व्यंजन विपर्यय के उदाहरण हैं—तगमा<तमगा, नुखान<नुखान, सलनऊ<नलनऊ, वाराणसी<वाराणसी, बाहिम/बासिम बनार' नारिसेल/नारिसेर नारियल।

3. अक्षर विपर्यय—कभी-कभी वर्ण विपर्यय के स्थान पर सम्पूर्ण अक्षर का भी विपर्यय हो जाता है और यह बोलियों में स्थायी भी हो जाता है, जैसे बाबू<बाबू बीबड़<बीबड़। मसृत में इसके उदाहरण हैं हिस<तिह, तर्क<कर्त, शकल<शकल छिनवा आदि।

4 समीकरण—जब दो भिन्न-भिन्न उच्चारण स्थानों तथा प्रयानों में उच्चारित होने वाली ध्वनियों एक-दूसरी के एक या अधिक लक्षणों को अपना कर समान हो जाती हैं तो उक्त समीकरण या माकर्मभाव (assimilation) कहते हैं। निदानात् समीकरण पूर्व तथा पर दोनों ही ध्वनियों के अनुकूल हो सकता है

किन्तु प्रायेण यह परिवर्तन पूर्ववर्ती ध्वनि में अधिक हुआ करता है। इसका कारण यह होता है कि उम ध्वनि समूह के अन्तर्गत अगले उच्चारण के प्रति सजग बकता उसे समय से पहले ही उच्चरित कर डालता है फलतः प्रथम ध्वनि के उच्चारण के समय ही वाक् यन्त्र उम स्थिति को धारण कर लेते हैं जोकि आगे आने वाली ध्वनि के उच्चारण के अनुकूल होती है। समीकरण स्वरां का भी हो सकता है और व्यंजनों का भी। इस प्रकार समीकरण के चार रूप होते हैं—1 पुरोगामी स्वर समीकरण, 2 परचगामी स्वर समीकरण, 3 पुरोगामी व्यंजन समीकरण, 4. परचगामी व्यंजन समीकरण। अब हम उदाहरणों द्वारा क्रमशः इन्हें स्पष्ट करेंगे।

(1) पुरोगामी स्वर समीकरण—इसमें प्रथम ध्वनि द्वितीय ध्वनि को अपने अनुरूप ढाल लेती है, यथा मूलक > मूलक > मूलक, हुक्म > हुक्म > हुक्म आदि। संस्कृत के उदाहरण हैं—भ्रूकंस > भ्रुकंस, इंदमिः > इंदुमि।

(2) परचगामी स्वर समीकरण—इसमें द्वितीय स्वर प्रथम स्वर को प्रभावित करता है जैसे उंगली < अंगुली। संस्कृत में इसके रूप मिलते हैं कुट्टिनी < कुट्टनी, सौदामिनी < सौदामनी, हिगुलु < हिगलु सिन्दूर आदि।

वास्तव में स्वर समीकरण का रूप बहुत कम पाया जाता है, कारण कि जब दो स्वर पास-पास आते हैं तो उनमें समीकरण की अपेक्षा सन्धि, जो कि समीकरण का ही एक रूप है, की सम्भावना अधिक होती है। स्वरो की दीर्घ, पूर्व रूप, पर रूप सन्धिप्रा तो समीकरण का ही रूप हुआ करती है। इसलिए समीकरण का अधिक व्यक्त रूप व्यंजनों के प्रसंग में पाया जाता है।

(3) पुरोगामी व्यंजन समीकरण—इसमें पूर्ववर्ती व्यंजन आने वाले व्यंजन को प्रभावित करके अपने स्थान, प्रयत्न के अनुरूप ढाल लेता है यथा चक्का < चक्क < चक, पत्ता < पत्त < पत्त। प्राकृत भाषाओं में यह प्रवृत्ति बहुत प्रबल रूप में देखी जाती है। संस्कृत में रकार या ऋकार के बाद आने वाले दन्त्य नासिक्य न् का मूर्धन्य नासिक्य ण् में परिवर्तन पुरोगामी समीकरण का ही एक रूप है। इसी का परिणति ने रषाम्बां नोणः समानपदे (8-4-1) के रूप में साधारणीकरण कर दिया है यथा ऋषोणाम्, नराणाम्, भृषोति आदि। षष्ठ < षट् + ष छडा, मष्ट < नष्ट + ष भी इसी के रूप हैं।

(4) परचगामी व्यंजन समीकरण—इसमें परवर्ती व्यंजन ध्वनि पूर्ववर्ती व्यंजन ध्वनि को प्रभावित करके अपने, प्रयत्न के अनुरूप ढाल लिया करती है। प्राकृत भाषाओं में यह प्रवृत्ति विशेष रूप से देखी जाती है। इसी से हिन्दी के अनेक शब्दों का विकास हुआ है, यथा कर्म > कम्म > काम, भक्त > भत्त > भात, शर्करा > शक्कर, पर्ण > पण्ण > पात। अद् > अज्ज > आज, कार्य > कम्ज > काज। संस्कृत में परचगामी समीकरण का रूप व्यंजन सन्धियों के प्रसंग में विशेष

रूप से देखा जा सकता है। पाणिनि के सूत्र 'स्तोमधुनाम्' (8-4-49) एवं 'स्तोमधुनाम्' मसृन की इसी ध्वन्यात्मक प्रवृत्ति का निरूपण करते हैं। मूष्यीकरण तथा तालव्यीकरण के अनिश्चित सधित नासिक्यीकरण भी समीकरण का ही एक रूप है, यथा, वाक्-मयम् > वाङ्मयम्, तत्-मात्रम् > तन्मात्रम्, षट्-मुत्तः > षण्मुत्तः।

5 विषमीकरण अथवा असावर्ण्य (Dissimilation)—यह समीकरण से विपरीत प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है। इसमें किसी शब्द के उच्चारण में अंशित किसी ध्वनि का उच्चारण दो बार न होकर केवल एक बार होता है तथा दूसरी बार उगवे स्थान पर किसी अन्य विषम या अमवर्णी ध्वनि का उच्चारण हो जाता है। ऐसा प्रायः उच्चारण की अनुविधा के कारण हो जाता करता है। समीकरण के समान ही इसमें भी स्वरों तथा व्यञ्जनों दोनों में ही पुरोगामी तथा परचगामी रूप पाये जाते हैं। विषमीकरण के उदाहरण प्राकृतों में अधिक पाये जाते हैं।

(1) पुरोगामी स्वर-विषमीकरण—इसमें दो समान स्वरों में से प्रथम तो बना रहता है और दूसरा बदल जाता है। प्रकृत भाषाओं में इसकी प्रवृत्ति पायी जाती है—पुदव > पुरिस/पुलित।

(2) परचगामी स्वर-विषमीकरण—इसमें द्वितीय स्वर तो बयापूर्व बना रहता है किन्तु प्रथम परिवर्तित हो जाता करता है, जैसे—मुषुट > मजड > मषुट, मूत्त > मूरत।

(3) पुरोगामी व्यञ्जन विषमीकरण—जब दो व्यञ्जनों में से प्रथम प्रभावित रहता है और दूसरा परिवर्तित हो जाता है तो उसे पुरोगामी व्यञ्जन विषमीकरण कहते हैं। बागा < बाक, बांगत < बाकण।

(4) परचगामी व्यञ्जन विषमीकरण—इसमें प्रथम व्यञ्जन प्रभावित होता है, बल्लिरी < बरिरी, हूदी < हरिदी। मसृन के त्रियायदों के निरुत्सकार के रूपों में इस प्रवृत्ति को देखा जा सकता है, यथा—बहार < √ह, अगाम < √गम्, बभार < √म्, रघार < √घा-आदि।

(5) घोषीकरण—यह भी, समीकरण का ही एक रूप होता है। इसमें अपोष ध्वनियों निरुत्सर्वनी घोष ध्वनियों में प्रभावित होकर घोषत्व को प्राप्त हो जाती है—यथा भगर < भर, परगट < प्रगट। मसृन में प्रयोग यह प्रवृत्ति मध्विगत रूपों में ही पायी जाती है (दे० भागे)। इसके विपरीत बल्लिरी शब्दगत उदाहरण इस प्रकार है—भृवाण/भृगाम, लिवि/लिवि, लडाक/लडाग, बन्दुह/गिन्दुक, लरह/लरह इत्यादि।

(6) अपोषीकरण—अपोषीकरण की प्रवृत्ति से विपरीत इसमें अपोष ध्वनियों अपोष ध्वनियों में परिवर्तित होती है, यथा गरीब > गरीण, मरह > मरन् (मसृन के गिन् दगों भागे)। घोष रूप की मूल रूप मानने पर उपर्युक्त उदाहरणों में

वैकल्पिक रूप इसके उदाहरण हो सकते हैं।

(7) महाप्राणीकरण—महाप्राणीकरण का अर्थ है अल्पप्राण ध्वनियों का महाप्राण ध्वनियों के रूप में विकसित हो जाना, यथा—हस्त>हाथ, वाण्य>भाप, घृष्ट>ढीठ, वृश्चिक>विच्छी/विच्छू। संस्कृत में इसके उदाहरण हो सकते हैं—सिन्धुवार/सिन्धुवार (निर्गुण्डी), केल/खेल खेलना, पुप्पुस/फुफ्फुस फेफड़ा आदि।

(8) अल्पप्राणीकरण—जब कोई महाप्राण अल्पप्राण हो जाता है तो उसे अल्पप्राणीकरण का नाम दिया जाता है यथा—दूध>दूद, ढीठ>ढीट, भूख>भूक, भीख>भीक। संस्कृत के लिए देखो आगे। उपर्युक्त महाप्राणीकरण के विपरीत उदाहरण भी इसके उदाहरण हो सकते हैं।

(9) अनुनासिकीकरण—अनुनासिकीकरण से अभिप्राय है अनार्धत अनुनासिकता। जब किसी अनुनासिक व्यंजन की स्थिति के बिना ही किन्हीं शब्दों के स्वरों में अनुनासिकता का विकास हो जाता है तो उसे अनुनासिकीकरण की संज्ञा दी जाती है। जैसे—उच्च>ऊँचा, सर्प>साँप, अचि>आँच, अशु>आँसू आदि। संस्कृत में वैदिक भाषा में यह प्रवृत्ति देखी जाती है। लौकिक संस्कृत में वैकल्पिक अनुनासिकता के कतिपय उदाहरण इन रूपों में पाये जाते हैं। पराञ्च/पराच् पीछे हटना, पश्चिमी, गुल्लुञ्च/गुल्लुञ्च गुल्लु हिंगुल/हिंगुलु सिन्दूर, गुंफ/गुफ् गूथना आदि।

इसके अतिरिक्त अपिनिहित (epenthesis) तथा अपश्रुति (ablaut) आदि के द्वारा भी भाषाओं की ध्वनियों में परिवर्तन हो जाया करता है। अपिनिहित में अगले अक्षर में विद्यमान स्वर का उससे पूर्व भी आगम हो जाता है, जैसे अवेस्ता गइरि=सं० गिरि। संस्कृत में इस प्रवृत्ति के दर्शन नहीं होते। भारतीय भाषाओं में भी इसकी सत्ता केवल काश्मीरी भाषा में पायी जाती है। अपश्रुति का रूप अरबों, अंग्रेजों आदि में अधिक पाया जाता है, अंग्रेजी क्रिया पदरचना में सिङ् (sing), सैङ् (sang), सङ् sung का तथा मनु पद रचना में मैन (man), मेन् (men), फूट (foot) फीट (feet) का स्वरान्तक परिवर्तन इसी प्रवृत्ति का परिचायक है।

अनियत परिवर्तन—उपर्युक्त नियत प्रकार के परिवर्तनों के अतिरिक्त संस्कृत में अनेक ऐसे वैकल्पिक ध्वनि परिवर्तन पाये जाते हैं जिन्हें किसी नियम के अन्तर्गत नहीं रखा जा सकता है। भाषा के विविध ध्वन्यात्मक रूप विभिन्न क्षेत्रों के बोलने वालों की भाषिक प्रवृत्तियों के परिणाम प्रतीत होते हैं, यथा—वांक्ष/ध्मांक्ष (कौवा), लुत्तप/लुत्ताय (भैय) कपाट/कवाट (किवाड), कक्ष/कच्छ (बगल किनारा), कवच/कवसः (कवच), समूह/समूर (एक प्रकार का मृग), जटा/

शटा (जटाए), उदुल्लतः/उल्लुल्ल (ऊगल), शोष/शोक (गूजन), मटतो/मटथो (भोला) आदि ।

ध्वनिपरिवर्तनों के सम्बन्ध में यह भी उल्लेख है कि भाषा के इस परतकी ओर हमारे प्राचीन वैद्याचारणों—पतंजलि, कात्यायन आदि का भी ध्यान गया था (दे० महाभाष्य, “हपवरट” सूत्र पर बार्तिक 15) । उन्होंने जिन चार श्रेणियों में इनका वर्गीकरण एवं विस्तरेषण किया था, वे हैं—

1 वर्णव्यत्यय, 2 वर्णापाय, 3 वर्णोपजन, 4 वर्णविकार । आधुनिक विस्तरेषणों के आधार पर इन्हें इन रूपों में देया जा सकता है :

1 वर्णव्यत्यय—इसके अन्तर्गत ऊपर विवेचित स्वर विपर्यय, व्यजन विपर्यय तथा अक्षर विपर्यय का समावेश हो जाता है ।

2 वर्णापाय—इसका अर्थ है ध्वनि का लोप । ऊपर लोप शीर्षक के अन्तर्गत विवेचित वर्णलोप, अक्षर लोप आदि सभी का समावेश इसमें हो जाता है ।

3 वर्णोपजन—इसका अर्थ है किसी वर्ण का या ध्वनि का आगम । इसमें उन सभी परिवर्तनों का समावेश हो जाता है जिनका विवेचन ‘आगम’ शीर्षक के अन्तर्गत किया गया है ।

4 वर्णविकार—इसका अर्थ है वर्ण या ध्वनि का रूपांतरण या स्थानांतरण । इसमें मन्थि, ममीकरण, विपमीकरण, घोषीकरण, अघोषीकरण, महाप्राणीकरण, अल्पप्राणीकरण, रेफीकरण, मूर्ध्नीकरण, ताल्भीकरण, ऊष्मीकरण आदि सभी ध्वनि परिवर्तन सम्बन्धी आधारों का समावेश हो जाता है ।

इसके अनिश्चित यास्नाचार्य ने भी शब्दों की निश्चित के प्रसंग में ध्वनि-परिवर्तनों के स्वरूप का स्पष्ट उल्लेख किया है—

वर्णागमोपगंविपरंवरत्त द्वी चापरी वर्णविकारनासौ ।

घाशोस्त्रदशानि तथैव योऽस्त्रदुश्च्यते पंचविधं निश्चयम् ॥

स्वन विज्ञान : सामान्य परिचय

संस्कृत भाषा का स्वन प्रक्रियात्मक (phonetic) विश्लेषण प्रस्तुत करने से पूर्व स्वनविज्ञान (phonetics) के विषय में सामान्य जानकारी दे देना अपेक्षित होगा, जिससे कि उसे हृदयगत करने के लिए आवश्यक पृष्ठभूमि तैयार हो सके। इस सम्बन्ध में यहां पर इतना और भी कह देना अपेक्षित है कि व्यावहारिक दृष्टि से 'ध्वनि-विज्ञान' तथा 'स्वन-विज्ञान' जैसे सकेतक पदों में कोई अन्तर न होने पर भी अगले विवरणों के लिए स्वीकृत पारिभाषिक शब्दावली के माय एक रूपता रखने के लिए इस विश्लेषण में 'स्वन' शब्द को ही स्वीकार किया गया है। भाषा-विज्ञान के मन्दर्भ में 'ध्वनि' शब्द का प्रयोग उन वाक् ध्वनियों के लिए किया जाता है जोकि मानव कण्ठ तथा मुख विवरणों में श्वास-प्रश्वास प्रक्रिया में होने वाले विविध प्रकार के अवरोधों के द्वारा उत्पन्न हुआ करती हैं। गूंगे, बहरे तथा कुछ जन्मजात जड़बुद्धि मानवों को छोड़कर शेष सभी सर्व साधारण मानवों के बीच यही वाक् ध्वनियों भावों की अभिव्यक्ति एवं भावों के आदान-प्रदान का प्रमुख माध्यम हुआ करती हैं। इन्हीं वाक् ध्वनियों के वैज्ञानिक अध्ययन एवं विश्लेषण को ही ध्वनि विज्ञान अथवा स्वन-विज्ञान कहा जा सकता है जिसमें कि इनके उत्पादन,

सम्प्रेषण एवं प्रत्यक्षीकरण से सम्बद्ध शरीर वैज्ञानिक प्रक्रियाओं का विस्फेपण भी सम्मिलित हुआ करता है। यद्यपि ज्ञान के एक विषय के रूप में इसका नियमित एवं व्यवस्थित अध्ययन अठारहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में यूरोप में प्रारम्भ हुआ था किन्तु भारत में वाक् ध्वनियों के विवेचन में सम्बद्ध अनुसन्धान एवं निरूपण का कार्य अति प्राचीनकाल में ही प्रारम्भ हो चुका था। प्राचीन भारतीय वैद्याचारणों ने ईसा से कई शताब्दी पूर्व ही वैदिक वाक् के यथातथ्य निरूपण के विषय में उन प्रतिशास्त्रों तथा शिक्षा ग्रन्थों की रचना कर डाली थी, जिनमें कि वैदिक ध्वनियों के उच्चारण के सम्बन्ध में अति सूक्ष्म एवं गहन विवेचन किया गया है। वस्तुतः पाश्चात्य जगत् को भी ध्वनि-विज्ञान का गहन एवं व्यवस्थित रूप में अध्ययन करने की प्रसंग प्रेरणा इन्हीं ग्रन्थों के परिचय में मिली। हमें मन्देह नहीं कि इन लोगों ने बाद में हम अध्ययन को शरीर विज्ञान, भौतिक विज्ञान तथा यांत्रिक उपकरणों के साथ जोड़कर इसे एक व्यावहारिक विज्ञान का रूप प्रदान किया। इतना ही नहीं अस्तित्व विभिन्न प्रकार की वाक् ध्वनियों के यथातथ्य लिप्यन्तन के लिए भी प्रयत्न किए गए तथा अनेक परीक्षणों एवं विचार-विमर्शों के उपरान्त अठारहवीं शताब्दी के अन्तिम चरणों में (1889) सर्वसम्मति रूप में एक अन्तर-राष्ट्रीय-ध्वनि-लिपि का रूप भी स्वीकार कर लिया गया तथा इसके द्वारा विश्व की, विशेषकर अमेरिका की, अनेक मृतप्राय/समाप्तप्राय बोलियों एवं भाषाओं के व्यंग्यात्मक रूपों को लिप्यन्तित रूपों में मुद्रित करने के प्रयत्न भी किये गए। यद्यपि मानव के वाक् ध्वन्य में निम्न सभी ध्वन्य ध्वनियों का उनसे ध्वनिगुणों के सहित यथातथ्य रूप में लिप्यन्तित किया जाना अत्यन्त दुर्लभ कार्य है फिर भी इस ध्वनि लिपि की सहायता से इनका पर्याप्त सीमा तक निकटतम रूप में अंकित किया जा सकता सम्भव हो गया है। किन्तु लिप्यन्तन का कार्य ध्वनि विज्ञान के प्रकाश में सर्वथा भिन्न विषय होने के कारण हम इस विषय पर अधिक विस्तार में न जाकर यहाँ पर प्रकृत विषय पर ही विचार करेंगे।

जैसा कि ऊपर बताया गया है कि स्वतंत्र विज्ञान का सम्बन्ध मानव कण्ठ से प्रसृत वाक् ध्वनियों के साथ होता है। अतः यह मानव के वाक्कण्ठों में निम्न सभी प्रकार की ध्वन्य ध्वनियों के गुणों का, उनके स्वरूप का तथा उनकी उच्चारण प्रक्रिया का व्यवस्थित रूप में अध्ययन करने के साथ-साथ उन वाक् ध्वनों का भी अध्ययन करना है जिनमें कि मानव के वाक्कण्ठ में प्रयुक्त होने वाली ध्वन्य ध्वनियों का उद्भव होता है। यह उद्भव प्रक्रिया का भी अध्ययन करना है जिनमें कि ये वाक् ध्वनियों वायु तरंगों में तरंगित होकर चलता है योना तब पशुकी है। इसके लिए यह उन ध्वनिघाटक ध्वनों का अध्ययन करना है जो कि मानव के कण्ठ विचार में हुआ करते हैं। सामान्यतः इस सम्पूर्ण अध्ययन को तीन भागों में विभक्त किया जाता है—उच्चारणात्मक ध्वन्यविज्ञान, भौतिक ध्वन्यविज्ञान तथा

श्रवणात्मक स्वन विज्ञान । इनमें प्रवीणता प्राप्त करने के लिए ध्वनि-विज्ञानी को न केवल अपनी श्रवण शक्ति को इतना सचेतन करना पड़ता है कि वह किसी भाषा की ध्वनियों के बीच पाये जाने वाले सूक्ष्मतरंग अन्तरो का प्रत्यक्षीकरण कर सके अपितु शरीर-विज्ञान तथा शरीर-प्रश्रिया-विज्ञान जैसे अन्य विज्ञानों का भी ज्ञान प्राप्त करना अपेक्षित होता है । माय ही ध्वनियों के भौतिक रूपों का विश्लेषण करने के लिए उमे किमी मीमा तक भौतिक विज्ञान का भी परिचय आवश्यक होता है । इसीलिए कई बार यह भी प्रश्न उठाया जाता है कि वाक्ध्वनियों की उच्चारण प्रक्रिया तथा प्रत्यक्षीकरण प्रक्रिया का अध्ययन करने वाला यह विज्ञान भाषा-विज्ञान से बाह्य विज्ञानों पर निर्भर होने के कारण उसका प्रमुख अंग नहीं अपितु उसका एक परिधीय विषय है । किन्तु भाषा-विश्लेषण के कार्य में ध्वनियों के उत्पादन एवं प्रत्यक्षीकरण से सम्बद्ध प्रक्रियाओं का ज्ञान परमावश्यक होने के कारण अधिकतर विद्वान् इसे भाषा-विज्ञान का एक अंग मानने के पक्ष में हैं । वात यह है कि किसी भी वाक् के उद्भव तथा ग्रहण की प्रक्रिया में हमारे शरीर के विभिन्न अंगों का निरन्तर योग होता रहता है तथा इस प्रक्रिया के अप्रत्यक्ष ज्ञान के आधार पर ही वक्ता विभिन्न स्थानों से विभिन्न प्रक्रियाओं से उद्भूत होने वाली ध्वनियों को व्यवस्थित करके उनका शब्दों में तथा वाक्यों में प्रयोग करता है तथा श्रोता उन्हीं के 'अनुरूप उनका अर्थ ग्रहण करता है ।

इसके अनिश्चित यह भी एक सर्वानुभूत तथ्य है कि वाक् ही भाषा के माध्यम से होने वाले मानव के भाव-संचार का एक मात्र मार्गभौम रूप है । मानव जाति के आदिम काल में, जबकि लिप्यंकन प्रणाली का विकास नहीं हुआ था, वाक् ही भाषा अथवा भावों के व्यक्तीकरण का एकमात्र आधार थी । आज भी अनेक मानव समुदायों में ऐसी भाषाएं बोली जाती हैं जिनके लिए किसी भी लेखन प्रणाली का आविष्कार नहीं किया जा सका है ।

इसी प्रकार थोड़ा-सा विचार करने पर हम देखने हैं कि शिक्षित मानव समुदायों में भी सामान्य वाक्यों की भाषा को सीखने की प्रक्रिया में लिखना सीखने की अपेक्षा बोलना सीखने की क्रिया पहले हुआ करती है । इसके अनिश्चित हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि सामान्यतया भाषण एवं श्रवण की शरीर क्रियात्मक स्थितियों ने भाषा या किसी भी भाषा विशेष की स्थिति एवं विकास के लिए अवसर प्रदान किया है और उसका नियमन भी किया है । इसीलिए मानव व्यक्तियों के इन अंग अर्थात् वाक् का समुचित अध्ययन करने के लिए इनका अध्ययन भी सर्वथा प्रसंग-संगत कहा जावेगा । इसके बिना उसके रूप को सर्वतो-भावेन समझ पाना अनम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है ।

ध्वनि-विज्ञान के इतिहास को देखने से पता चलता है कि प्रारम्भ में ध्वनि विज्ञानियों का लक्ष्य या प्रत्यक्ष ध्वनि का समान्य विस्तृत विवरण प्रस्तुत करना;

चिन्तुवाद में यह अनुभव किया जाने लगा कि इस लक्ष्य को प्राप्त कर मरना सर्वथा सम्भव है, क्योंकि मानव के वाक् यंत्रों में उत्पन्न होने वाली ध्वनियों का कोई अन्त नहीं, उन सभी के भेदों को बना मरना किसी प्रकार भी सम्भव नहीं। इसमें अधिक से अधिक जो कुछ किया जा सकता है वह है वाक् यंत्र के किसी स्थान विशेष में प्रकार विशेष के रूप में उद्भूत ध्वनियों का वर्गीकरण। साथ ही कुछ भाषाओं में कुछ ऐसी भी ध्वनियाँ हुआ करती हैं जिनका अन्य किसी भाषा में कभी भी प्रयोग नहीं हुआ करता है। इसलिए सामान्य भाषा विज्ञान में ध्वनि विज्ञान ने अपना लक्ष्य निर्धारित किया— किसी भाषा में प्राप्त होने वाली ध्वनियों का वर्गीकरण, उनका विशेषण तथा उनके उत्पादक उच्चारणावयवों की प्रक्रियाओं का विवेचन। साथ ही इसका एक और लक्ष्य है, ऐसे साधनों को प्रस्तुत करना जिनमें कि किसी भाषा की समस्त ध्वनियों का निरदनम रूप में वर्णन एवं वर्गीकरण किया जा सके।

उच्चारणात्मक स्वन विज्ञान का महत्व

ध्वनि-विज्ञान के उपरि निर्दिष्ट तीन अंगों में से उच्चारणात्मक स्वन विज्ञान का महत्व किसी भाषा के अध्ययन एवं विश्लेषण में विशेष रूप से हुआ करता है। इसका एक कारण यह भी है कि वाक् ध्वनियों को उत्पन्न करने तथा उनमें विभेदकता दर्शाने वाले शरीर के प्रमुख अंगों अर्थात् वागवयवों का गणनापूर्वक साधु प्रत्यक्ष किया जा सकता है। यह प्रत्यक्ष गणना रूप में भी हो सकता है तथा वाक्-दर्शी यंत्रों (नीरिफोग्रॉफ) अथवा अनामकिकण यंत्रों (एकम रे) जैसे विभिन्न साधनों के द्वारा भी हो सकता है। इसमें से ओंठ, दाँत, जिह्वा जैसे अनेक अंगों में तो प्रत्येक व्यक्ति परिचित होता ही है, चिन्तु वाक् ध्वनियों के उच्चारण में योगदान करने वाले लगभग सभी अन्य अंगों का भी ऐसी पारिभाषिक शब्दावली में वर्णन सम्भव है जिसे कि अधिगोप्यों के लिए भी समझना बहुत न होगा। वाक्-प्रक्रिया में 'बना, कब तथा कैसे बोलना है' जैसे रूपों पर बसा का स्पष्टिष्ठ निरक्षण हुआ करता है। इसके अनिश्चित प्रत्येक शब्दा को भाषण प्रक्रिया की गतिविधि का भी कुछ ज्ञान अवश्य रहता है अर्थात् उसे इस बात का बोध रहता है कि किसी ध्वनियों के उच्चारण के समय उस प्रक्रिया में उसके बोल-बोल में उच्चारणावयव भाग ले रहे हैं तथा वे बना-बना कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार के गति-गति के भाव को अवधान, प्रतिक्षण एवं अभ्यास के द्वारा शरीर-सोपों में सामान्य भाषा में तथा कुछ सोपों में विशेष भाषा में विशिष्ट विज्ञान जा सकता है।

उच्चारण की प्रक्रिया में सम्बद्ध इस ज्ञान के विकास के साथ-साथ स्थिति में उन भिन्न-भिन्न ध्वनि-गुणों वाली ध्वनियों को पहचानने तथा उनके विभेदक

तत्वों को प्रत्यक्ष कर सकने की क्षमता बढ़ जाती है। स्वन-विज्ञान की भाषा में इसे 'श्रोत्र प्रशिक्षण' (ear training) कहा जाता है। इस प्रकार के प्रशिक्षित व्यक्ति को अपने वागवयवों पर नियंत्रण की क्षमता प्राप्त हो जाने पर वह न केवल अपनी भाषा वरन् किसी भी भाषा की ध्वनियों का सफलता पूर्वक उच्चारण कर सकता है।

किन्तु दूसरी ओर यह भी सत्य है कि वक्ता जिस प्रकार अपने उच्चारण-वयवों मया, जिह्वा, ओष्ठ आदि के सम्बद्ध में उनकी गतिविधियों के सम्बद्ध में सचेत रह सकता है ठीक उसी प्रकार वह सामान्यतया न तो ध्वनि तरंगों के विषय में तथा न कानों पर उनके विसरण तथा ग्रहणात्मक प्रतिक्रियाओं के विषय में सचेत रहता है और न उनका चाभुप प्रत्यक्ष ही कर पाता है। अर्थात् न तो श्रोत्र को ध्वनि श्रवण की गति की संवेदना ही होती है और न ध्वनि श्रवण के प्रारम्भ और अन्त पर ही उसका इस प्रकार का नियंत्रण हुआ करता है, जिस प्रकार का किसी व्यक्ति का किसी वाक् को प्रारम्भ करने तथा समाप्त करने के सम्बद्ध में हुआ करता है। इसके अतिरिक्त एक बात यह भी है कि कर्ण-पट तथा उसकी भीतरी अस्थियों एवं झिल्लियों की संरचना एवं कार्य प्रक्रिया का ज्ञान ऐसे प्रशिक्षण तथा उपकरणों से नहीं किया जा सकता जिनका उपयोग सर्व-साधारण भाषा विज्ञानी किया करता है। इसके लिए उसे विशेष रूप से भौतिक स्वन-विज्ञान, ध्वनि तरंगों के सम्प्रेषण से सम्बद्ध भौतिकी, एवं श्रवण की शारीरिक प्रक्रिया तथा मनोविज्ञान के क्षेत्र में प्रशिक्षण लेना पड़ेगा जो कि इस क्षेत्र में कार्य करने वाले सर्व-साधारण भाषा विज्ञानी के लिए सम्भव नहीं। इसीलिए सामान्यतः सभी भाषा-विज्ञानी अपने को मुख्यतया उच्चारणात्मक स्वन-विज्ञान तक ही सीमित रखते हैं तथा भाषाओं के अध्ययन एवं विस्तारण में ध्वनि विज्ञान की इसी शाखा से प्रमुख रूप से सहायता लिया करते हैं।

वाक् ध्वनियों की उत्पादन प्रक्रिया

वाक् वस्तुतः हमारी श्वास-प्रश्वास प्रक्रिया का एक अद्भुत उपकन है, क्योंकि अधिकतम वाक् ध्वनियों का उद्भव मूलतः निःश्वसन अर्थात् मुख एवं नासिका से निकलने वाली फेफड़ों की वायु शक्ति से हुआ करता है। यहाँ पर यह बात देना भी आवश्यक है कि हमारे वागवयव सविकेप रूप से केवल वाक् का उत्पादन करने वाले शरीरांग नहीं होते हैं अर्थात् ये स्वयं किसी ध्वनि को उत्पन्न करने में समर्थ नहीं होते, अपितु अन्य अंगों के सहयोग से ही ध्वनियों के उत्पादन का कार्य किया करते हैं। अतः उच्चारण की प्रक्रिया में काम आने वाले सभी प्रमुख अवयवों के सम्बन्ध में दृष्टापूर्वक यह कह सकना कठिन है कि उनमें से किसी का भी यही एकमात्र कार्य है, जैसा कि जिह्वा, दाँत, ओष्ठ तथा कण्ठ के भाषेतर उपयोगों में

प्रवण ही देखा जा सकता है। फिर भी वायु-ध्वार में इन सब का एक अपरिहार्य योगदान होता है। वृहते वा अभिप्राय यह है कि श्वास नलिका के द्वारा आने वाली प्रवण वायु का जब मुख-विबर में श्वास नलिका के मुख से लेकर होंठों तक के किसी भाग में किसी वागवयव के द्वारा किसी प्रकार का अवरोध होता है तो वही प्रवण वायु ध्वनि विभेद के रूप में सुनाई देती है। इसमें श्वास तरंग को उत्पन्न करने का कार्य हमारे कण्ठ में स्थित स्वर यत्र या स्वर त्रियों करती है तथा उनमें विभेदकता का कार्य अन्य वागवयव तथा उच्चारण प्रक्रियाएं करती हैं जो कि वक्ता के द्वारा स्वचालित रूप से नियंत्रित होती हैं। अर्थात् प्रवण वायु के बाहर निकलने समय स्वर त्रियों के गकोचन तथा प्रसारण के कारण ध्वनि के रूप में भिन्नता आ जाती है। प्रथम प्रकार की स्थिति में जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसे नाद या शब्द कहा जाता है तथा दूसरे प्रकार की ध्वनि को श्वास या अपोष। स्वर यत्र की उपयुक्त स्थितियों में प्रभावित होकर बाहर को निकलती हुई इस प्रवण वायु का जब मुख-विबर के प्रारम्भ अभिकाकल से लेकर होंठों तक वही पर किसी वागवयव के द्वारा अवरोध होता है तो अवरोध के स्थान भेद व प्रकार के अनुसार भिन्न-भिन्न प्रकार की ध्वनियां उत्पन्न हुआ करती हैं।

श्वस्य ध्वनियों की उत्पादन प्रक्रिया के सम्बन्ध में पाणिनीय जिला (6 9) में जो कुछ कहा गया है वह इस प्रकार है—

आमा बुद्ध्या समेत्पार्यान् मनो युद्ने विवधया,
मन वापानिमाहन्ति न प्रैर्यति माहन्म् ।
माहन्स्तुरमि धरन् मन् जनपते स्वरम् ॥

× × ×

मोडीणीं मूर्च्छंमिहो वक्त्रमापाद्ममारनः ।
वर्णाञ्जनपते तथा विधानः पक्षघा समुतः ॥

अर्थात् जब मर्षता स्थिति किसी ध्वनि के उच्चारण की इच्छा करती है तो उगता यह चिल्ला उगते मन को इन कार्य के लिए उकसाता है, मन उभरी उन माहन्तियों को गन्तव्य करता है जो कि उगती प्राण वायु अथवा प्रवण वायु को पंखों से बाहर को धरती है। श्वास नलिका से होकर निकलता हुआ वही वायु स्वर त्रियों में टकरा कर वाह्य ध्वनि के रूप में परिवर्तित हो जाता है तथा मुख-विबर में भिन्न-भिन्न भागों में टकराने के कारण पाँच प्रकार की स्वर ध्वनियों को उत्पन्न करता है। अर्थात् उनका कर्त्तव्य, साम्य, मूर्च्छ, दन्त्य तथा ओष्ठ्य इन पाँच प्रकार की भिन्न-भिन्न ध्वनियों के रूप में बदलीकरण या ध्वनो-न्वित्य द्वारा प्रदर्शित करना होता है। बिग करना तथा बिग प्रयत्न के बिग रूप के

द्वारा किस स्थान से कौन-सी ध्वनि उत्पन्न होती है इसके लिए देखिए भागे—स्वन प्रक्रियात्मक विश्लेषण ।

1. वागवयव

सामान्यतः हमारी श्वास-प्रक्रिया चुपचाप चलती रहती है, उममें श्रव्य ध्वनियों की उत्पत्ति तभी होती है जब कि दबाव के साथ निकलती हुई वायु में कहीं पर अवरोध उत्पन्न होता है । परन्तु इसके लिए यह भी आवश्यक है कि इन अवरोधों पर व्यक्ति या वक्ता का सहज तथा प्रभावशाली नियंत्रण हो । वाक् ध्वनियों में पाये जाने वाले विभेदों का कारण भी अवरोधों के स्थान तथा प्रयत्न में होने वाले विभेद ही हुआ करता है । यद्यपि श्वास प्रक्रिया का सम्बन्ध हमारे फेफड़ों से लेकर ओष्ठ और नासिका के बाह्य भाग तक होता है किन्तु भाषा विज्ञानी की विशेष अभिरुचि एवं अध्ययन का क्षेत्र मुख विवर, ग्रसनी तथा काकल, स्वर यंत्र की गति विधियों तक ही सीमित हुआ करता है । किन्तु इन सब में से वक्ष (Thorax) का स्थान ध्वनि के उत्पादन में विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण हुआ करता है ।

यो तो जैसा कि कहा गया है कि इन व्यक्त ध्वनियों के उत्पादन में फेफड़ों से लेकर ओष्ठ तक शरीर के विभिन्न अंगों का योग हुआ करता है किन्तु यदि विचार पूर्वक देखा जाय तो इसमें सबसे महत्त्वपूर्ण स्थान होता है धोकनी, फेफड़े तथा ध्वनि-नलिका अथवा श्वास नलिका का । इसी श्वास-नलिका के ऊपरी हिस्से में हमारा स्वरयंत्र हुआ करता है । यह स्वरयंत्र मुपिर (छेदों वाला) भी होता है तथा द्विनड (दो नलियों वाला) भी । इसके साथ लगी हुई स्वर तंत्रिया लचीली होने के कारण उन्हें इच्छानुसार संकीर्ण एव विस्तृत किया जा सकता है तथा आवश्यकतानुसार उनमें सम्पूर्ण रूप से या उनके कुछ-कुछ अंशों में कम्पन भी कराया जा सकता है तथा उनके तनाव में विकार भी लाया जा सकता है । इन स्वर-तंत्रियों में होने वाले कम्पन से ही हमारी प्रश्वास वायु में 'नाद' की उत्पत्ति हुआ करती है तथा स्नायु प्रयत्न से स्वर-यंत्र को ऊपर उठाया या नीचे लाया जा सकता है जिनके कारण ध्वनि नलिका के संकीर्णन एव विस्तरण से इन 'धोष' ध्वनियों में विभेद उत्पन्न किया जा सकता है ।

धोकनी और ध्वनि-यन्त्र के समान ही इस क्षेत्र में पड़ने वाले इन विवरों का भी ध्वनियों के उत्पादन में विशेष योगदान हुआ करता है, जैसे कि उपालि-जिह्व, नासिका-विवर तथा मुख-विवर, जिनकी दीवारें लचीली होने के कारण आवश्यकतानुसार ऊंची-नीची तथा संकीर्ण-विस्तृत होती रहती हैं ।

सामान्यतः व्यक्त ध्वनियों के उत्पादन में योगदान करने वाले विभिन्न वाग-वयवों, जिन्हें कि सामूहिक रूप से ध्वनियंत्र का नाम दिया जाता है, को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है—

1 श्वासद्वारीय फेफड़े: जैसा कि ऊपर कहा गया है कि हमारी वाह्य ध्वनियों के उत्पादन में फेफड़ों का महत्वपूर्ण स्थान है। ये स्वयं यद्यपि ध्वनि यंत्र के अंग नहीं होते हैं पर ध्वनियों के उत्पादन के प्रमुख उत्पादन कारण अवश्य होते हैं। यही वे धौकनियाँ हैं जो कि प्राकृतिक रूप से फैलकर प्राण वायु या श्वास को हमारे अन्दर भरती हैं तथा सञ्चित होकर उसे श्वास नलिका के द्वारा बाहर की फँसनी हैं जो कि अधिकांश व्यक्त ध्वनियों का उत्पादक हुआ करता है। यहाँ पर अधिकतर कहने का अभिप्राय यह है कि विश्व को कुछ भाषाएँ ऐसी भी हैं जिनमें कि निश्चय प्रक्रिया में भी व्यक्त ध्वनियों (अन्तः स्फोटित ध्वनियों) का जन्म हुआ करता है।

2 श्वास नलिका—इसी प्रकार श्वास नलिका भी यद्यपि स्वर यंत्र का मुख्य अंग नहीं, पर उसका प्रमुख उत्पादन अवश्य होती है। इसी के द्वारा बाहर की वायु श्वास के रूप में हमारे फेफड़ों में पहुँचती है, तथा प्रश्वास के रूप में बाहर निकलती है। इसी के ऊपरी गिरे पर कण्ठ/पिटक अथवा स्वरयन्त्र होता है।

3 काष्ठस या अभिकाकल—वस्तुतः व्यक्त ध्वनियों का जन्म-स्थान बाबत ही होता है क्योंकि यही प्राण वायु की सञ्चलता, निबंलता, कठोरता, कोमलता, घोषता, अपोषता को प्रभावित करने वाला प्रमुख उपकरण हुआ करता है। यह भोजन नलिका के विवर के साथ श्वास नलिका की ओर मुका हुआ जीभ जैसा एक कोमल मांस विण्ड होता है, जिसे कि आम बोलचाल की भाषा में कौआ भी कहा जाता है। भोज्य या पेय पदार्थों को लेने समय यह श्वास नली को आवृत्त कर देता है तथा श्वास-प्रश्वास की प्रक्रिया में उसे अनावृत्त कर देता है।

4 स्वरतन्त्रियाँ अथवा स्वरयन्त्र—श्वास नलिका के ऊपरी छोर पर श्वास द्वार में घोंघों के आधार की दो पत्तों मिलिनी होती हैं जिन्हें कि स्वर तन्त्रियाँ या घोष तन्त्रियाँ कहा जाता है। ये कोमल तथा लचीली होती हैं तथा इन्हें वायु-प्रवाह के प्रवहन या अन्तः प्रवहन को अवरोध करने के लिए पूरी तरह से एक-दूसरे के निकट लाया जा सकता है तथा इन्हें शिथिल करके कण्ठ द्वार के दोनों ओर गंघटा भी जा सकता है। इस अवस्था में ये निरवरोध एवं अनुच्छदित रूप में वायु का निरगमन होने देती हैं, जिनमें कि अपोष ध्वनियों का जन्म होता है। इस स्थिति में अभिकाकल या स्वरयन्त्र मुख्य पूर्णतः शून्य रहता है।

किन्तु जब स्वर तन्त्रियाँ एक-दूसरे के अति निकट आकर प्रश्वास वायु के मार्ग को अति सरीप कर देती हैं तो वायु का निरगमन परंपर के साथ होने लगता है तब तब स्वर तन्त्रियों का कम्पन भी बढ़ जाता है। इस स्थिति में जिन ध्वनियों का जन्म होता है वे घोष ध्वनियाँ कहलाती हैं।

इसमें अनिश्चित, सरीप छिद्र के द्वारा बहिर्गामी वायु के निरगमन में बाधा उत्पन्न करने के लिए भी इन घोष तन्त्रियों को एक-दूसरे के निकट लाया जा

सकता है। इस अवस्था में वायु मार्ग न पूरी तरह से खुला हुआ ही होता है और न अत्यन्त संकीर्ण ही। फलतः इस स्थिति में जिन ध्वनियों का जन्म होता है उन्हें जपित या फुसफुसाहट वाली ध्वनियाँ कहा जाता है।

2. अधिश्वासद्वारीय

श्वासद्वार तथा घोष तन्त्रियों के आगे आने वाले प्रमुख वागवय हैं मुख विवर तथा नासिका विवर। मुख विवर के प्रमुख अंग जो कि वायु के अवरोध में सक्रिय होते हैं वे हैं—जिह्वा, काकलक, तालु, दाँत तथा ओष्ठ। इनका वागवयवात्मक विवरण इस प्रकार है—

1. जिह्वा—उच्चारणवयवों में जिह्वा का स्थान इतना महत्त्वपूर्ण होता है कि अनेक भाषाओं में 'जिह्वा' तथा 'दाँती' दोनों के लिए एक ही शब्द प्रयुक्त होता है, यथा अरबी—'जदान' तथा अंग्रेजी 'टंग'। यो तो सामान्य स्थिति में हमारी जिह्वा निष्क्रिय होकर मुख विवर के निचले भाग में पड़ी रहती है किन्तु वाग्ब्यवहार में इसका सक्रिय योग अधिकाधिक हो जाता है अर्थात् विभिन्न वाग्ध्वनियों के उत्पादन के लिए वायु मार्ग का संकुचन एवं विस्तारण, विभिन्न स्थानों पर वायु का अवरोध इमी के द्वारा हुआ करता है।

यद्यपि शरीर के अंग के रूप में जिह्वा एक अविभाज्य इकाई होती है, क्योंकि इसके संरचनात्मक भागों, फलक, पश्च, उपाग्र आदि का स्पष्ट रूप से विभाजन नहीं किया जा सकता है किन्तु स्वन-विज्ञानियों ने ध्वनियों के करण के रूप में इसका पाँच भागों में विभाजन किया है जो कि वस्तुतः एक आरोपित विभाजन है जिन्हें वे 1. जिह्वानोक, 2. जिह्वाग्र, 3. जिह्वोपाग्र, 4. जिह्वामध्य तथा 5. जिह्वामूल के नाम से संकेतित करते हैं। बहुधा जिह्वा का यह विभाजन ध्वनियों के विभाजन का भी आधार हुआ करता है अर्थात् जिन ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा का जो भाग प्रयुक्त होता है उसी के आधार पर ध्वनियों का वर्गीकरण किया जाता है। स्वर ध्वनियों के वर्गीकरण का आधार तो एक मात्र जिह्वा की स्थिति ही माना जाता है। इसके लिए जिह्वा की तीन क्षैतिज (horizontal) तथा तीन उर्ध्वाधर (Vertical) स्थितियाँ स्वीकार की गई हैं, क्षैतिज रूप में इन्हें अग्र, मध्य तथा पश्च कहा जाता है तथा उर्ध्वाधर रूप से इन्हें निम्न, मध्य एवं उच्च अथवा, विवृत, अर्धविवृत, अर्धसंवृत, तथा संवृत कहा जाता है। फलतः हिन्दी की स्वर ध्वनियों का प्रथम प्रकार से वर्गीकरण करने पर इ, ई, ए, ऐ, अग्र; अ मध्य, तथा उ, ऊ, ओ, औ, आ, पश्च कहा जाता है तथा द्वितीय प्रकार के विभाजन में ई, इ, ऊ, उ को उच्च; ए, ओ, अ आदि को मध्य तथा आ, ऐ, औ को निम्न कहा जाता है।

इसी तरह व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में भी करण के रूप में जिह्वा का योग बड़ा आवश्यक होता है। यही करण के रूप में मुख विवर के अन्तर्गत दाँत, कठोर

तालु, बौमल तालु आदि स्थानों पर प्रवाह वायु का अवरोध करके विभिन्न ध्वनन ध्वनियों के उत्पादन में सहायक होती है। यह अवरोध पूर्ण रूप से भी हो सकता है तथा आंशिक रूप से भी। पूर्ण अवरोध में स्पर्श ध्वनियों का उद्भव होता है तथा आंशिक अवरोध में सपर्श ध्वनियों का। इसके अनिश्चित ऐसी भी स्थिति हो सकती है जिसमें कि जिह्वा की मोव किसी स्थान का स्पर्श करती हुई अपने पक्षर के दोनों ओर में अपना एक ओर से वायु को निरन्तर देती है, हिन्दी-संस्कृत की 'ल' ध्वनि का उच्चारण इसी प्रकार होता है। इस प्रकार की ध्वनियों को 'पार्श्व' ध्वनियों कहा जाता है। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जिह्वा प्रतिवेष्टित होकर कम्पन के साथ वायु का विमोचन करती, हिन्दी-संस्कृत की 'र' ध्वनि के उच्चारण में जिह्वा की इस स्थिति को देखा जा सकता है। इस प्रकार की ध्वनियों को 'प्रकम्पी' ध्वनियों कहा जाता है।

2 ओष्ठ—जिह्वा के समान ही ओष्ठों का भी ध्वनियों के उत्पादन तथा विभाजन में महत्वपूर्ण योग हुआ करता है। स्वर ध्वनियों का वर्तुलित (rounded) तथा प्रसृत (spread) भेद-ओष्ठों के गोलीकरण तथा अगोलीकरण की स्थिति पर ही आधारित होता है। इसके अनिश्चित स्वाम वायु के अवरोधक के रूप में भी इनकी विशिष्ट स्थिति पाई जाती है। हिन्दी-संस्कृत की पवर्गीय ध्वनियों में ओष्ठ-स्थान तथा करण दोनों का कार्य करते हैं। इसके अनिश्चित दन्तोष्ठ्य ध्वनियों, कू, वू आदि के उच्चारण में नीचे का हटोकरण के रूप में कार्य करता है तथा वायु का आंशिक अवरोध करके सपर्श ध्वनियों को उत्पन्न करता है।

3 दांत—ध्वनियों के उच्चारण में दांतों का योग बौमल तालु, कठोर तालु आदि के समान केवम स्थान के रूप में ही होता है। जिह्वा के द्वारा करण का कार्य किए जाने पर ये दन्त्य एव कर्ष्य ध्वनियों के उत्पादन में सहायक होते हैं तथा ओष्ठ के करण की स्थिति में दन्तोष्ठ्य ध्वनियों को उत्पादित करते हैं।

4 वाक्त्र—वाक्त्रीय ध्वनियों दक्षिण भारत-आर्य परिवार की तथा पूर्वीय मोमा तक भारतीय परिवार की भाषाओं में नहीं पाई जाती हैं किन्तु अरबी आदि कुछ भाषाओं में इन ध्वनियों की स्थिति पायी जाती है, इनमें इन ध्वनियों का उत्पादन वाक्त्र तथा जिह्वा के पश्चिम भाग के बीच अवरोध उत्पन्न करके किया जाता है।

5 नासिका-विबर—मुख-विबर के समान ही नासिका-विबर का भी ध्वनियों के उत्पादन में विशिष्ट स्थान हुआ करता है। अमरीय है कि मुख-विबर के किसी भी भाग में उत्पन्न ध्वनियों नासिका रजन से मुक्त हो सकती हैं क्योंकि किसी ध्वनि के उच्चारण के समय बौमल तालु की स्थिति द्वारा बन्द कर सकता है। ऊपर को उठने की स्थिति में वह मुख के अन्दर नासिका विबर को मुक्ति कर देता है

तथा निम्नस्थ स्थिति में यह पश्चभाग में दोनों विवरों को मयुक्त कर देता है। ऐसी स्थिति में वायु का किंचित् अंश नासिका विवर से बाहर निकला करता है। इसके फलस्वरूप ही हिन्दी सस्कृत की अ, म्, इ, ण्, न्, जैसी व्यंजन ध्वनियों तथा अं, इं, उं आदि स्वर ध्वनियों का उत्पादन हुआ करता है। इनमें से प्रथम शुद्ध रूप से अनुनासिक ध्वनियां हैं तथा द्वितीय नासिका रजन युक्त। वैसे जैमाकि ऊपर कहा गया है कि कोई भी उच्चरित ध्वनि नासिका रजन युक्त हो सकती है।

स्वन प्रक्रियात्मक विश्लेषण—मोटे तौर पर वाक् ध्वनियों का विश्लेषण उच्चारण स्थान—जिह्वाग्र, दन्तकूट आदि के अनुसार तथा उच्चारण प्रयत्न पूर्ण अवरोध, आंशिक अवरोध तथा अन्य कारणों के अनुसार दो रूपों में किया जाता है। ध्वनि प्रक्रिया के अध्ययन से देखा जाता है कि कुछ ध्वनियों के उच्चारण में श्वास नलिका से निःसृत प्राण वायु किसी दृश्यमान अवरोध के बिना निकल जाता है तथा किन्हीं में श्वास नलिका या स्वर यंत्रों के संकुचन के कारण उसमें घर्षण होता है, इनमें से प्रथम प्रकार की ध्वनियों को श्वास या अधोप कहा जाता है तथा द्वितीय प्रकार की ध्वनियों को नाद या घोप कहा जाता है। इस दृष्टि से देखने पर सभी स्वर ध्वनियां घोप वर्ग के अन्तर्गत तथा व्यंजन ध्वनियां घोप तथा अधोप दोनों वर्गों के अन्तर्गत आती हैं। इसलिए ध्वनि विज्ञानियों ने स्वर ध्वनियों की परिभाषा की है—स्वर घोप ध्वनि की वै त्रिकृतियां हैं जिनके उच्चारण में न तो कोई अवरोध या घर्षण होता है और न जिह्वा या ओष्ठों का स्पर्श ही' (ब्लूमफील्ड)। इसी प्रकार डैनियल जॉन्स के अनुसार—'स्वर वह घोप ध्वनि है जिसके उच्चारण में वायु प्रसवो तथा मुख से अनवरत गति में निरन्तर प्रवाहित होती है तथा जिसमें ऐसा कोई अवरोध या संकुचन नहीं होता जिससे कि किसी प्रकार का श्रव्य संघर्षण उत्पन्न हो।' किन्तु ध्वनियों के स्पष्टत्व तथा अस्पष्टत्व के आधार पर बिया गया यह स्वर-व्यंजन विभेद सर्वथा निर्दोष नहीं, क्योंकि हकार व विसर्ग अस्पष्ट होने पर भी स्वर नहीं, व्यंजन होते हैं। इसीलिए संस्कृत के आचार्यों ने इनकी परिभाषा की थी—स्वर्गं राजते इति स्वरः अर्थात् जो किसी अन्य ध्वनि की सहायता के बिना ही व्यक्त हो सकता है, या अक्षर की रचना कर सकता है वह स्वर है, तथा स्वरेण व्यंज्यते इति व्यंजनम् अर्थात् जिसकी अभिव्यक्ति के लिए स्वर के सहायता की आवश्यकता होती है, वह व्यंजन है।

स्वरों का विश्लेषण—स्वरों की उपयुक्त परिभाषा वस्तुतः सभी स्वरों में समान रूप से पायी जाने वाली सामान्य विशेषता है, अन्यथा स्वरों में, यथा—अ, इ, उ आदि में कोई भेद न होता। किन्तु प्रत्यक्ष है कि इनमें भेद होता है और इस भेद का कारण है इनके उच्चारण के समय पायी जाने वाली जिह्वा की विभिन्न अवस्थितियां। इसके अतिरिक्त इनके उच्चारण में ओष्ठो का भी घोप

रहता है। अतः मुख के अन्दर जिह्वा की अवस्थिति तथा ओष्ठो की आकृति के आधार पर स्वरों के भेद किए जाते हैं। जीभ की अवस्थिति के अनुसार यह भेद अग्र, मध्य तथा पश्च के रूप में होता है तथा ओष्ठो की अवस्थिति के आधार पर गोलार्धित, अगोलार्धित एवं उदासीन के रूप में अर्थात् स्वर ध्वनियों के उच्चारण के समय मुख के अन्दर जीभ या तो बिलबुल अवनत स्थिति में रहती है या इसका अग्र फलक कठोर तानु की ओर अथवा पश्च भाग कोमल तानु की ओर भिन्न-भिन्न मात्राओं में उठता है। इन स्थितियों में ही हमें प्रमज, विवृत, अर्ध-संवृत तथा संवृत कहे जाने वाले स्वरों की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार जीभ के भाग विशेष के उतार-चढ़ाव के अनुसार इनका अग्र, मध्य, पश्च भेद भी किया जाता है। जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का अग्र भाग उन्नत होता है उन्हें अग्र स्वर, जिनमें पश्च भाग अधिक उठता है उन्हें पश्च स्वर तथा जिनमें दोनों भाग उठते हैं उन्हें मध्य स्वर कहा जाता है। हिन्दी अथवा संस्कृत के ई, ऊ, तथा अ प्रमज इसके उदाहरण कहे जा सकते हैं। जीभ के मध्यवर्ती भाग के अवनत होने की स्थिति में आ का उच्चारण हुआ करता है।

जिह्वा की इन भिन्न-भिन्न स्थितियों के साथ सहवर्ती रूप में ओष्ठ भी विभिन्न मात्रा में वर्तुलित, अवर्तुलित अथवा उदासीन हो सकते हैं। स्वरगत गुणों का विभेद करने वाली ये ओष्ठगत विशेषताएँ जिह्वा की स्थिति एवं ऊँचाई से संबंधित निरपेक्ष रूप में प्रतीत हुआ करती हैं। इसी से स्वरों के वर्तुलित, अवर्तुलित तथा उदासीन भेद भी हुआ करते हैं। हिन्दी-संस्कृत स्वर प्रक्रिया के अनुसार उ, ऊ, ओ, औ, वर्तुलित अ उदासीन तथा अन्य अवर्तुलित स्वर हैं।

स्वरों के उपर्युक्त विभेदों में भारतीय परम्परा के अनुसार विवृत, संवृत आदि को तथा पाश्चात्य परम्परा के अनुसार उच्च, मध्य आदि पारिभाषिक शब्दावली को महत्व दिया जाता है। जिह्वा की स्थिति के अनुसार इनका जो रूप पाया जाता है वह इस प्रकार है—

विवृत अथवा निम्न—इसके उच्चारण में जिह्वा अपनी अवनततम स्थिति में रहती है तथा इसके तथा मुख-विबर के ऊपर बाने भाग में अधिकतम अन्तर पाया जाता है, जैसे कि 'अ' के उच्चारण में।

अर्ध-संवृत अथवा निम्नोच्च—इसके उच्चारण में जिह्वा तथा मुख विबर के ऊपरी भाग का अन्तर अपेक्षाकृत कम होता है, यथा, ऐ, औ, या अष्टौ की वं आ उच्चारण में।

अर्ध-संवृत अथवा उच्चनिम्न—इसके उच्चारण में दोनों के बीच का अन्तर और भी कम हो जाता है। हिन्दी-संस्कृत के ए, ओ, के उच्चारण में यही स्थिति पाई जाती है।

संबृत अथवा उच्च—इनके उच्चारण में जिह्वा तथा मुख विवर के ऊपरी भाग की दूरी न्यूनतम रह जाती है हिन्दी-संस्कृत की ई, ऊ, ध्वनिया इसी विभेद को दर्शाती हैं।

इसके अतिरिक्त पाश्चात्य विभाजनों में निम्नोच्चतर तथा उच्चनिम्नतर जैसी स्थितियों को भी स्वीकार किया गया है, जो कि जिह्वा की ऊचाई की लघुतर अन्तरों को प्रकट करती है।

इसके अतिरिक्त कोमल तालु तथा कौवे की अवस्थिति के आधार पर स्वरो के शुद्ध (निरनुनासिक) तथा सानुनासिक भेद किए जाते हैं। जब ये दोनों नासिका मार्ग को रोककर वायु को केवल मुंह से निकलने को बाध्य करते हैं तो शुद्ध स्वरो की उपलब्धि होती है तथा जब प्राण वायु कोमल तालु के अवनमन के साथ अंशतः नासिका विवर से तथा अंशत मुख से एक साथ निकलती है तो सानुनासिक स्वर ध्वनियों का उत्पादन होता है।

स्वर तन्त्रियों की अवस्थिति के अनुसार भी स्वरो का घोष तथा अघोष वर्गों में विभाजन किया जाता है अर्थात् जब स्वर तन्त्रियाँ एक-दूसरी के अति निकट आ जाती हैं तो वायु के अवरोध के कारण उनमें कम्पन की मात्रा बढ़ जाती है फलतः ध्वनियों में घोषत्व की मात्रा बढ़ जाती है, किन्तु जब वे शिथिल अवस्था में रहती हैं तो अवरोध के अभाव में घर्षण की मात्रा घट जाने से उनमें घोषत्व की न्यूनता हो जाती है। फुसफुसाहट की स्थिति में इसी प्रकार की ध्वनियाँ पायी जाती हैं। हिन्दी की कई विभाषाओं में इ, उ, ए, अघोष एवं 'ममंर' (किंचित् घर्षण युक्त) स्वर भी पाए जाते हैं।

इसी प्रकार स्वरो के उच्चारण के समय मुख विवर की मासपेशियों की तनावपूर्ण अथवा शिथिल स्थिति के कारण भी स्वरो के दृढ़ (tense) तथा शिथिल (lax) भेद किए जाते हैं। हिन्दी संस्कृत स्वर प्रक्रिया में ई, ऊ, प्रथम कोटि में तथा इ, उ, अ द्वितीय कोटि में आते हैं। अन्य स्वरो की स्थिति इन दोनों स्थितियों की मध्यवर्ती स्थिति मानी जाती है।

किन्हीं भाषाओं में स्वरो के मूल एवं संयुक्त भेद भी पाए जाते हैं। जिन स्वरो के उच्चारण में जिह्वा की स्थिति स्थिर रहती है उन्हें मूल स्वर कहा जाता है। मानक हिन्दी में सभी स्वर मूल स्वरो के रूप में पाए जाते हैं। किन्तु जब स्वरो के उच्चारण में जिह्वा एक स्वर के उच्चारण की स्थिति से अन्य स्वर के उच्चारण की स्थिति की ओर खिसकती है तो उन्हें संयुक्त स्वर कहा जाता है। हिन्दी की कुछ बोलियों में, संस्कृत में तथा अन्य अनेक देशी एवं विदेशी भाषाओं के इनकी स्थिति पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है, यथा ऐ (=अइ), औ (=अउ) आदि।

जिस प्रकार उच्चारणात्मक उपादानों के आधार पर स्वर ध्वनियों का

विश्लेषण व वर्गीकरण किया जा सकता है। उसी प्रकार व्यंजन ध्वनियों का भी। व्यंजनों के विश्लेषण तथा वर्गीकरण के सर्वाधिक महत्वपूर्ण आधार है, उच्चारण स्थान, उच्चारण प्रयत्न, स्वरतन्त्रियों का कम्पन तथा प्राणन।

1. प्रयत्न—'प्रयत्न' का सामान्य अर्थ है 'चेष्टा या प्रयास' अर्थात् जब हम किसी ध्वनि का उच्चारण करना चाहते हैं तो उस अभिलक्षित ध्वनि को उत्पन्न करने के लिए हमें प्राण वायु के मार्ग में कोई अवरोध उत्पन्न करना पड़ता है। इस अवरोध के कई रूप होते हैं। जन्ही रूपों के आधार पर प्रयत्न भेद किया जाता है। इसके प्रमुख भेद हैं—स्पर्श (स्फुटित), सघर्ष, स्पर्श-सघर्ष, नासिक्य, पार्श्विक, सुष्ठित, जस्तस्थ।

स्पर्श—जब उच्चारण के प्रमुख अधिश्वासाद्वारीय उच्चारण स्थानों पर बिन्ही दो वागवयवों का सम्पर्क होने से वायु मार्ग में पूर्ण अवरोध होने के बाद पुनः शटके के साथ वायु का श्रध्यात्मक विमोचन होना है तो स्पर्श या स्फोट कही जाने वाली व्यंजन ध्वनियों का उद्भव होता है। स्पष्ट है कि इस प्रकार का संयोग जिह्वा + तालु, जिह्वा + दात तथा ओष्ठ + ओष्ठ के बीच हुआ करता है। हिन्दी-गहटत की क से लेकर झ तक की सभी ध्वनियों को स्पर्श कहा जाता है। (काव्ये भाष्यमाणा स्पर्शाः। तत्र स्पष्टं प्रयत्नं स्पर्शानाम्)।

सघर्ष—जब इस प्रकार के दो अवयवों का संयोग सम्पन्न न होकर सिधित रूप में होता है अर्थात् आगिक अवरोध होता है और वायु को उनके बीच के संरीर्ण मार्ग से निकलने दिया जाता है तो उसमें सघर्ष ध्वनियों का उद्भव होता है। हिन्दी सस्ठुन की श, ष, स, ह तथा फारसी की ख, घ, झ, आदि ध्वनिया इमी वर्ग की हुआ करती हैं (ईयन् विवृतमूर्ध्वाणाम्)।

स्पर्श-सघर्ष—जब उच्चारणावयवों की स्थिति स्पर्श तथा सघर्ष दोनों प्रकार की रहती है तो स्पर्श-सघर्ष ध्वनियों का उत्पादन होता है, किन्तु इसमें अवरोध वायु का विमोचन सहसा न होकर धर्न-धर्न हुआ करता है, अघेरी तथा अनेक भारतीय भाषाओं में ताल्प्य ध्वनियों ख, घ, झ, आदि का यही रूप पाया जाता है। स्पर्श-सघर्ष ध्वनियों कायें सघर्ष भी हो सकती है तथा ताल्प्य सघर्ष भी।

नासिक्य—जब अवनत मृदुनास के साथ किसी भी अधिश्वासाद्वारीय उच्चारण स्थान पर अवरोध वायु का मोचन नासिका-विबर तथा नासारात्रों से होता है तो उस स्थिति में अवरोध स्थान के अनुसार सभी स्पर्श ध्वनियों की सवादी नासिक्य ध्वनियों का उद्भव होता है। मुख के पूर्ण अवरोध के साथ होने वाले नासिक्य व्यंजन तो प्रायः सभी भाषाओं में पाये जाते हैं, किन्तु कुछ भाषाओं में धनुनासिक्य स्वरों के गमान आगिक अवरोध से उत्पन्न होने वाले व्यंजनों की भी स्थिति पायी जाती है—मुखनासिकावचनोन्मुनासिकः।

पार्श्विक—व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा के पार्श्विक तल को समतल रखने की अपेक्षा किंचित् उत्तल (उन्नतोदर) भी बनाया जा सकता है तथा पारवों से वायु के निरसरण को जारी रखते हुए तालु के मध्य में अवरोध उत्पन्न किया जा सकता है। इस प्रकार से उच्चरित व्यंजनों को ही पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। ये 'एक पार्श्विक' भी हो सकते हैं और 'द्विपार्श्विक' भी। हिन्दी-संस्कृत में ल ध्वनि इसी वर्ग की है।

लुण्ठित—लुण्ठित ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा की नोक को मुख के अन्दर और पीछे की ओर ले जाया जाता है तथा जिह्वा के मुख्य भाग को अवनत रखा जाता है। यह भाषा विशेष के सन्दर्भ में प्रकम्पनयुक्त भी हो सकता है और प्रकम्पनहीन भी। हिन्दी-संस्कृत की र ध्वनि इसी वर्ग की है।

उत्क्षिप्त—जब जिह्वा प्रतिवेष्टित रूप में उच्चारण स्थान का स्पर्श करके शटके के साथ अपनी मूल स्थिति में आ जाती है तो उत्क्षिप्त ध्वनियों को जन्म देती है। हिन्दी में ढ, ढ आदि इसी कोटि की ध्वनियाँ हैं।

अन्तस्थ—अन्तस्थ का अर्थ है 'बीच की' अर्थात् ये ध्वनियाँ स्वरो तथा व्यंजनों के बीच की स्थिति को दर्शाती हैं अर्थात् इनके उच्चारण में न तो जिह्वा की स्थिति स्पर्श ध्वनियों के समान होती है और न स्वरो के समान ही (ईषत् स्पृष्टमन्तस्थानाम्)। इन्हें इन्हीं गुणों के कारण सघर्षहीन 'प्रवाही' ध्वनियाँ भी कहा जाता है। हिन्दी-संस्कृत में य तथा ष अन्तस्थ ध्वनियाँ हैं। संस्कृत में र तथा ल भी इसी वर्ग में परिगणित की जाती थी (यणोऽन्तस्थाः)।

इनके अतिरिक्त विश्व की अनेक भाषाओं में 'ह्रस्वित', 'अन्तःस्फोटित' एवं 'क्लिक' वर्ग की भी ध्वनियाँ पायी जाती हैं जिनके विशेष विवरण को सामान्य भाषा-विज्ञान की पुस्तकों में देखा जा सकता है।

2. स्थान—व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में होने वाले अवरोध के स्थान के आधार पर भी ध्वनियों का विभेद किया जाता है, सामान्यतया निम्नलिखित उच्चारण स्थानों से व्यंजन ध्वनियों का उत्पादन हुआ करता है।

स्वरयंत्रमुखी (laryngeal)—स्वरयंत्रमुखी ध्वनियों का उच्चारण स्वरयंत्रमुख से किया जाता है, यथा हिन्दी का 'ह'।

उपलिजिह्वीय (pharyngeal)—इसका उच्चारण स्वरयंत्र तथा अंतजिह्वा के मध्य में होता है। हिन्दी में इस प्रकार की ध्वनियों का अभाव है। अरबी की "ऐन" ध्वनि का उच्चारण इस कोटि में आता है। संस्कृत में जिह्वामूलीय क, ख इसी कोटि की ध्वनियाँ थी।

अलिजिह्वीय (uvular)—काकल अथवा अलिजिह्वा से उच्चरित होने वाली

ध्वनियाँ इसी वर्ग की हैं। हिन्दी संस्कृत में इनका अभाव है। अरबी की क़, ख़, ग़ इसी वर्ग की हैं।

कोमल तालव्य अथवा कण्ठ्य ध्वनियाँ—इनके उच्चारण में जिह्वा का परत भाग कोमल तालु का स्पर्श करता है। हिन्दी-संस्कृत की क़ वर्गीय ध्वनियाँ इसी कोटि की हैं।

मूर्धन्य (cerebral)—बठोर तालु के मध्य भाग को मूर्धन्य कहा जाता है। जिह्वा के द्वारा प्रतिवेष्टित रूप में इस स्थान का स्पर्श करने से त्रिन ध्वनियों की उत्पत्ति होती है वे मूर्धन्य ध्वनियाँ कहलाती हैं। हिन्दी संस्कृत की ट, ढ, ढी, ढीय ध्वनियाँ तथा ष इसी वर्ग में आते हैं। जिह्वा के प्रतिवेष्टन के कारण इन्हें 'प्रतिवेष्टित' ध्वनियाँ भी कहा जाता है। वैदिक संस्कृत की ङ तथा ञ्हू ध्वनियाँ भी इसी वर्ग की थीं।

तालव्य (palatal)—जब जिह्वा का अग्रभाग ऊपर उठकर बठोर तालु पर वायु का अवरोध करता है तो उसमें तालव्य ध्वनियों की उत्पत्ति होती है। हिन्दी-संस्कृत की ष वर्गीय ध्वनियों तथा श का उच्चारण इसी प्रकार का है।

पतर्ब (alveolar)—बठोर तालु तथा ऊपर के मगूहों के मध्यवर्ती भाग को 'वन्स्व' कहा जाता है। इस स्थान पर जिह्वा के अवरोध से उत्पन्न होने वाली ध्वनियों को "वत्स्व" ध्वनियाँ कहा जाता है। हिन्दी के ल, र का उच्चारण अब "वत्स्व" में ही किया जा रहा है। अंग्रेजी के 'थी' 'डी' का उच्चारण स्थान भी वन्स्व ही है।

दन्त्य (dental)—जिह्वा की नोक के द्वारा ऊपर के दातों पर अवरोध उत्पन्न करने से त्रिन ध्वनियों का जन्म होता है वे दन्त्य ध्वनियाँ कहलाती हैं। हिन्दी संस्कृत की स वर्गीय ध्वनियाँ तथा स इसी कोटि में आते हैं। इस स्थान में गपर्ब ध्वनियाँ भी उत्पन्न होती हैं यथा अंग्रेजी की द, ध, ज़, आदि।

दन्तोष्ठ्य (labio-dental)—इस वर्ग की ध्वनियों के उच्चारण में ऊपर के दात नीचे के ओष्ठ में सम्पृक्त होकर स्वाम वायु का अवरोध करते हैं। संस्कृत में 'व' दन्तोष्ठ्य ही था।

ओष्ठ्य (bilabial)—इस वर्ग की ध्वनियों के उच्चारण में दोनों ओष्ठ भागों में मिल्कर स्वाम वायु का अवरोध करके पुनः झटके के साथ उमका मोलन करते हैं। हिन्दी-संस्कृत की प वर्गीय ध्वनियाँ इसी प्रकार की हैं।

उमके अतिरिक्त इनके उच्चारण में होने वाले स्वर तन्त्रियों के कम्पन की मूनाधिकता तथा प्रान वायु की मूनाधिकता के आधार पर भी इनका वर्गीकरण किया जाता है।

3 स्वर-तन्त्रियों का कम्पन—स्वर तन्त्रियों के कम्पन के आधार पर ध्रंयनों के दो भेद किये जाते हैं—अधोय और धोय।

अधोघ—इनके उच्चारण में स्वर त्रिविधा एक दूसरी से पृथक्-पृथक् रहती हैं तथा उनमें कम्पन भी बहुत कम होता है। हिन्दी-संस्कृत में प्रत्येक वर्ण की प्रथम, द्वितीय ध्वनियाँ तथा घ, ष, स इसके अन्तर्गत आते हैं। इन्हें श्वास तथा कटोर भी कहा जाता है (खरो विचारः श्वासा अधोधारच)

धोष—इनके उच्चारण में स्वर त्रिविधा एक-दूसरे के अति निकट आ जाती हैं और उनमें पर्याप्त कम्पन भी होता है। हिन्दी-संस्कृत में प्रत्येक वर्ण की तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम ध्वनियाँ तथा अन्तस्व एव प्रवाही ध्वनियाँ इसके अन्तर्गत आती हैं। इन्हें कोमल ध्वनियाँ माना जाता है (ह्रः संवारा नादा धोषारच)।

4 प्राणन—प्राणन के आधार पर भी व्यंजनो को अल्पप्राण तथा महाप्राण इन दो वर्गों में विभाजित किया जाता है।

अल्पप्राण—जिनके उच्चारण में प्राणवायु की मात्रा न्यून होती है उन्हें अल्प-प्राण कहा जाता है। हिन्दी संस्कृत में प्रत्येक वर्ण की प्रथम, तृतीय, पंचम ध्वनियाँ तथा घ, र, ल, ष, इ, श, ष, स इसी के अन्तर्गत आती हैं। (घर्णाणां प्रथमतोऽपंचमा-धरवाल्पप्राणाः)

महाप्राण—जिनके उच्चारण में प्राणवायु का आधिक्य हो वे महाप्राण ध्वनियाँ कहलाती हैं। हिन्दी संस्कृत के प्रत्येक वर्ण की द्वितीय, चतुर्थ ध्वनियाँ ह, र्ह, म्ह, त्ह, र्ह, ङ आदि ध्वनियाँ इस वर्ग में आती हैं (घर्णाणां द्वितीयचतुर्थो शतरच महाप्राणाः)।

इनके अतिरिक्त अनुनासिकता के आधार पर भी व्यंजन ध्वनियों का मौखिक, मौखिक-नासिक्य तथा नासिक्य के रूप में विभाजन किया जा सकता है, यथा क्रमशः क, क, इ आदि।

संक्षेप में यही है सामान्य रूप में वाग्व्यवहार में आने वाली विभिन्न प्रकार की ध्वनियों का परिचय एवं वर्गीकरण।

प्राचीन वैयाकरणों द्वारा प्रस्तुत संस्कृत का स्वन-प्रक्रियात्मक विश्लेषण

महान के स्वन-प्रक्रियात्मक विश्लेषण के सम्बन्ध में यह बात विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि व्यक्त ध्वनियों की उच्चारण-प्रक्रिया एवं स्वान करण आदि के विषय में जैसा सूक्ष्म विवेचन प्राचीन भारत में किया या जैसा गगार में और वही नहीं मिलता है। वैदिक मन्त्रों में उच्चारण की शुद्धता पर अत्यधिक ध्यान होने के कारण उगी बात से वैदिक ध्वनियों के उच्चारण के सम्बन्ध में विवेचन प्राप्त हो गया था जिनके पत्रस्वरूप विभिन्न 'प्रातिशाख्यो' एवं 'शिक्षा' ग्रन्थों में इन ध्वनियों का बड़ा महान विश्लेषण पाया जाता है। कुछ ध्वनियों के विषय में देव, वात, गन्धर्व आदि भेद में उच्चारण सम्बन्धी भेद अथवा विशेषता भी पायी जाती है, पर अधिकतर ध्वनियों के सम्बन्ध में अधिकतर आचार्य एवम् उपाधे जाते हैं। महान ध्वनियों के ध्वनि-विज्ञानिक विश्लेषण एवं संधिगत भ्रमका ध्वनि सम्बन्धी उच्चारण की विशेषताओं पर विचार करने की यह परम्परा हमें साहित्यिक महान के स्वप्न की स्थिति के समय तक निरन्तर रूप में मिलती है।

हम देखते हैं कि महर्षि पत्रंजलि के समय तक संस्कृत ध्वनियों के स्वतन्त्र (isolated) एवं सन्निवृत्त उच्चारण का जो रूप स्थिर हो चुका था वह फिर उसी रूप में स्वीकार किया जाता रहा। अतः हम यहाँ पर साहित्यिक संस्कृत की ध्वनियों के उच्चारण के सम्बन्ध में संक्षेप से विचार करते हुए वैदिक काल के विशिष्ट उच्चारणों पर भी विचार करेंगे।

वागध्वनियों का स्थानगत एवं प्रकारगत विश्लेषण

सभी जानते हैं कि संस्कृत वर्णसामान्याय में कुल 9 स्वर ध्वनियों एवं 33 व्यंजन ध्वनियों की सत्ता स्वीकार की गई है। उच्चारण स्थान की दृष्टि से इन सम्पूर्ण ध्वनियों को 11 रूपों में विभक्त किया गया है। इस विभाजन का आधार मुद्रण इनके उच्चारण के समय इनके करण की स्थिति को माना गया है। स्मरण रहे कि ओष्ठ्य एवं दन्तोष्ठ्य ध्वनियों को छोड़कर शेष सभी ध्वनियों के उच्चारण में इन ध्वनियों के करण, जिह्वा का कोई-न-कोई भाग बोलने वाले के मुख विवर के किसी न किसी स्थान का स्पर्श करता है और इन दोनों के सम्पर्क से स्वर यन्त्र से निकलने वाली वायु अल्प ध्वन्यात्मक तत्त्वों से समवेत होकर अभिलषित व्यक्त ध्वनि को उत्पन्न करने में समर्थ होती है। संस्कृत वैयाकरणों से भिन्न-भिन्न व्यक्त ध्वनियों के उच्चारण स्थानों का विवरण इस प्रकार प्रस्तुत किया है।

उच्चारण स्थान—संस्कृत ध्वनियों के उच्चारण स्थानों के विषय में प्राचीन ग्रन्थों में जो विवरण प्राप्त होता है वह इस प्रकार है।

1 स्वर ध्वनियाँ—यद्यपि आधुनिक भाषाशास्त्रीय विश्लेषण में स्वर ध्वनियों की उच्चारण प्रक्रिया का विवरण कुछ भिन्न प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है, किन्तु संस्कृत वैयाकरणों ने इनके उच्चारण स्थानों का निर्देश स्पर्श ध्वनियों के साथ ही उन्हीं के समान किया है। उनके अनुसार अ, आ का उच्चारण स्थान कण्ठ, इ, ई का तालु, उ, ऊ का ओष्ठ, ए, ऐ का कण्ठ-तालु, औ, औ का कण्ठ-ओष्ठ, ऋ ऋ का मूर्धा तथा लृ, लृ का दन्त या दन्तकूट कहा गया है।¹ प्राविशाख्यो में ऋ, लृ को जिह्वाभूतीय माना गया है।² किन्तु पाणिनीय परम्परा के वैयाकरण इनका उच्चारण स्थान उपर्युक्त प्रकार का ही मानते हैं। इसके अतिरिक्त ए, औ को यद्यपि मूलस्वर स्वीकार किया गया है, किन्तु संध्यक्षरों, ऐ, औ के समान ही ए का

1. प्राचीन आचार्यों ने अ, ई, ऊ, ऋ को मूलस्वर न मानकर उन्हें इनके सवर्णों स्वरों अ, इ, उ, ऋ का दीर्घ रूप माना है।
2. दे० ऋक् प्राति. (1.18), पर वाज. प्राति. (1 65.1.69) में ऋ को जिह्वा-भूतीय तथा लृ को दन्तम् कहा गया है।

स्थान कण्ठ-तालु तथा ओ का स्थान कण्ठोष्ठ्य ही माना गया है।¹ जिह्वा ग्रन्थो मे ऐ, ओ का उच्चारण क्रमशः आइ, आउ के समान कहा गया है, किन्तु आजकल यह उच्चारण अइ, अउ के समान हो गया है।

व्यंजन ध्वनियों—सस्कृत के भाषा शास्त्रियों ने सस्कृत की समस्त व्यंजन ध्वनियों को तीन भागों में विभक्त किया है। 1. स्पर्श, 2. अन्तःस्थ, 3. ऊष्म अर्थात् क् मे लेकर स् तक की समस्त ध्वनियों को स्पर्श, प् र्, ल्, ष् को अन्तःस्थ, श् प् ल्, ह्, को ऊष्म श्रेणी के अन्तर्गत रखा गया है।² उच्चारण स्थान की दृष्टि से क्, ख्, ग्, घ्, ह् तथा विगणों को कण्ठ्य, च्, छ्, ज्, झ्, ञ्, त्, थ्, द्, ध्, न् को तालव्य, ट्, ठ्, ड्, ढ्, ण्, त्, प् को मूर्धन्य,³ त्, थ्, द्, ध्, ल्, ल्, स् को दन्त्य, फ्, ब्, भ् को ओष्ठ, व् को दन्तोष्ठ्य, य्, म्, ङ्, ण्, न्, को नासिक्य ध्वनिया माना गया है।⁴ सस्कृत के आधुनिक उच्चारण में व्यंजन ध्वनियों के उदर्युक्त उच्चारण स्थानों में कहीं-कहीं अन्तर आ गया है, यथा कण्ठस्थानीय ध्वनियों का उच्चारण स्थान अब ठीक कण्ठ विवर न होकर मूढुतालु हो गया है, अत्र. अब ये ध्वनिया कण्ठ्य न होकर मूढुतालु-धीय हो गई है। इसी प्रकार दन्त्य ध्वनियों का उच्चारण अब घटस्य या दन्तमूर्धनीय हो गया है, मूर्धन्य ध्वनियों को भी अब प्रतिवेष्टित कहना अधिक सगत होगा। इसके अतिरिक्त आधुनिक ध्वनिशास्त्री नासिक्य ध्वनियों की गणना स्पर्शों में न करके प्रवाही ध्वनियों में करते हैं। इसी प्रकार र् तथा ल् को ये लोग अन्तरथ न मानकर सरल ध्वनिया मानते हैं।

इनके अतिरिक्त कण्ठ के अन्तर्गत ह्रस्वों के घाद आने वाले क्, छ् एवं प्, फ् का उच्चारण इनकी ही सपर्या ध्वनियों के समान होता था। इस प्रकार क् (q), ल् (x) का उच्चारण स्थान जिह्वामूल एवं प्, फ् (p) का दन्तोष्ठ माना गया है, यथा प्रातः कात् [प्रातक् कात्], अन्तःपुर [अन्तःपूर] आदि।⁵

उच्चारण प्रक्रिया—सस्कृत की स्वतन्त्र (isolated) ध्वनियों के उच्चारण स्थानों के विषय में यहाँ पर केवल इतना ही बताना जरूरी अब हम शोध से इनकी उच्चारण प्रक्रिया के विषय में भी कुछ विवरण प्रस्तुत करेंगे। सस्कृत संवाचरणों

1. एदेतो कण्ठतालु, ओदीतो। कण्ठोष्ठ्यम्। गि. कीमुदी।
2. काइषो मावमानाः स्पर्शाः। अणोन्तस्थाः। शल ऊदमात्। कही।
3. प्राणिभ्यो मे र् तथा ञ् को दन्त्य माना गया है पर पाणिनि एवं आरिगमि गिराभो मे इन्हे मूर्धन्य कहा गया है।
4. अक्षुब्धितर्जनीयानां कण्ठ। इच्छुयतानां तालुः, ऋदुरघाणां मूर्धा, लुगुत्तानां हाताः। उपुकाभानोपानामोष्ठौ। बहुरथम् दन्तोष्ठ्य समुत्तानां नासिका च। गि. की।
5. (क्, छ्) इति क्त्वाभ्यां प्रागर्ध्वितर्जसदृशो जिह्वामूर्धनीयो। अथ, अफ इति पराभ्यां प्रागर्ध्वितर्जसदृशो उपरमानोयो। गि. की।

की पारिभाषिक शब्दावली में इन्हें प्रयत्न कहा जाता है। ये दो प्रकार के माने गये हैं। (1) आभ्यन्तर प्रयत्न, (2) बाह्य प्रयत्न।

आभ्यन्तर प्रयत्न—यह पांच प्रकार का माना गया है—1. स्पृष्ट, 2. ईपत् स्पृष्ट, 3. ईपद्विवृत, 4. विवृत, 5. मंवृत। इसके अनुसार स्पर्शों का स्पृष्ट, अन्तस्थो का ईपत् स्पृष्ट, ऊष्मो का ईपद् विवृत, स्वरो का विवृत तथा ह्रस्व अ का संवृत प्रयत्न होता है।

बाह्य प्रयत्न—संस्कृत के वैयाकरणों ने बाह्य प्रयत्न के 11 भेद माने हैं। पर ध्वनिशास्त्र की दृष्टि से इसके तीन रूप विशेष महत्त्व के माने जाते हैं। वे हैं घोषता, महाप्राणता एवं अनुनासिकता। इसकी सुविधा के लिए समस्त स्पर्शों को पांच वर्गों में बाटा जाता है। एक स्थान से उच्चरित स्पर्श ध्वनियों को एक वर्ग में रखा जाता है, यथा कण्ठ से उत्पन्न होने वाले क् आदि को कवर्ग, तालु से उद्भूत च आदि को चवर्ग आदि में। इस प्रकार प्रत्येक वर्ग के प्रथम, द्वितीय वर्गों एवं सौष्ठम ध्वनियों में श्वास की प्रधानता के कारण इन्हें अघोष कहा जाता है, किन्तु इसके विपरीत प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ वर्गों, नासिक्यो एवं अन्तस्थो में माद की प्रधानता के कारण इन्हें घोष कहा जाता है। कण्ठ नालिका के असंवरण के कारण प्रथम प्रकार की ध्वनियों को 'विवार' तथा उसके संवरण (संकुचन) के कारण द्वितीय प्रकार की ध्वनियों को 'संवार' भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक वर्ग की प्रथम, तृतीय एवं पंचम ध्वनियों तथा अन्तस्थो में प्राणवायु की न्यूनता के कारण इन्हें अल्पप्राण तथा इनसे भिन्न अर्थात् प्रत्येक वर्ग की द्वितीय, चतुर्थ एवं ऊष्म ध्वनियों में प्राण वायु की अधिकता के कारण इन्हें महाप्राण कहा जाता है। उदात्त, अनुदात्त एवं स्वरित जैसे स्वरावतात्मक प्रयत्नों का सम्बन्ध केवल स्वरो के साथ ही सम्भव हो सकता है, अतः इनका सम्बन्ध भी केवल स्वरो के साथ ही होता है।

विशिष्ट वैदिक ध्वनियाँ—संस्कृत के वर्णसामान्याय में परिगणित उपर्युक्त ध्वनियों के अतिरिक्त सस्कृत की कुछ अन्य ध्वनियाँ भी हैं जो कि केवल वैदिक काल में ही प्रचलित थीं तथा बाद में उनका प्रचलन नहीं रहा, केवल वैदिक सस्कृत के सन्दर्भ में ही उनका प्रयोग किया जाता रहा। प्राचीन ध्वनिशास्त्रीय ग्रन्थों को देखने तथा वैदिक सस्कृत के लिप्यंकित रूपों को देखने से पता चलता है कि वैदिक सस्कृत में वृष्ण ल् के समकक्ष दो ध्वनियाँ थी जिन्हें किल तथा ल्ह के

1. यथा—बाह्यास्त्वेकादशधा—विवार, मंवार, श्वासो, नादो, घोषोऽपोपोःल्प-प्राणो, महाप्राणो, उदातोऽनुदात्त स्वरितश्चेति। सि. की.

रूप में अक्षित किया जाता था। स्पष्ट है कि उपर्युक्त प्रथम ध्वनि अल्पप्राण थी तथा द्वितीय ध्वनि उसी का महाप्राण रूप थी। ये दोनों ही ध्वनियाँ उच्चारण की दृष्टि से उल्लिखित प्रतिवेष्टित थीं तथा इनके उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग उलट कर कंठोरतालु को छू कर झटके के साथ नीचे की ओर उतरता था। सम्भवतः यह उच्चारण हिन्दी पत्रावी के ङ के उच्चारण के अनि निकट था।

स्वनिम-विज्ञान : सामान्य परिचय

स्वन-विज्ञान के सन्दर्भ में यह बताया जा चुका है कि स्वन-तरंग भाषा की आधार भूत इकाई होता है। हमारे वाक्यंत्र से उत्पन्न होने वाली ध्वनियों के अनन्त रूप व भेद हो सकते हैं यद्यपि उनमें इतने सूक्ष्म अन्तर होते हैं कि उन्हें यंत्रों की महायता के बिना पकड़ पाना कठिन होता है। सैद्धान्तिक रूप में यह बात स्वीकार की गई है कि किसी भी ध्वनि का एकाधिक बार किया गया उच्चारण सर्वथा एक रूप नहीं हो सकता और न कोई दो व्यक्ति किसी ध्वनि का तद्रूप उच्चारण कर पाते हैं। अन्तर चाहे जितना भी सूक्ष्म हो, पर होता अवश्य है।

स्वनिमिक विश्लेषण का महत्त्व—भाषा वैज्ञानिक विश्लेषणों में ध्वनिप्राप्तिक (स्वनिमिक) विश्लेषण का महत्त्वपूर्ण स्थान है। यह आधुनिक भाषा वैज्ञानिक प्रविधि एवं पद्धति का अपरिहार्य अंग बन गया है। ध्वनिप्राप्तिक या स्वनिम शब्द अंग्रेजी के 'फोनीम' (Phoneme) शब्द का भारत सरकार के पारिभाषिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग के द्वारा स्वीकृत हिन्दी रूपान्तर है। रूपप्राप्तिक की अपेक्षा 'स्वनिम' शब्द ध्वनिसाम्य की तथा साधकता की दृष्टि से अंग्रेजी के 'फोनीम' शब्द के अधिक निकट होने के कारण अधिक प्राह्य हुआ है तथा अब हिन्दी भाषा में

लिखित भाषा-विज्ञान सम्बन्धी लेखों तथा ग्रन्थों में अधिकाधिक प्रचलित होता जा रहा है। ध्वनिग्राम शब्द की रचना संगीत के स्वरग्राम शब्द के सादृश्य पर की गयी थी, किन्तु 'स्वनिम' शब्द का सम्बन्ध संस्कृत के ध्वनिकरण परक 'स्वन्' धातु से जोड़ा जाता है जोकि अर्थ की दृष्टि से अधिक व्यंजक है।

स्वनिम (ध्वनिग्राम) समूह ही किसी भाषा या बोली का मूलधार होता है तथा इसी के आधार पर उसके विभिन्न चिह्नों का निर्धारण होता है। यद्यपि स्वनिम का सम्बन्ध भाषा के उच्चारणात्मक रूप से होता है तथापि उसके ध्वनि सकेतों के लिए निर्धारित लिपि चिह्नों से भी केवल लिखित रूप में उपलब्ध संस्कृत जैसी पुरातन भाषा के स्वनिमों का अनुमान लगाया जा सकता है। इस स्थिति में इन्हें वर्ण कहा जाता है। किसी भाषा के लिखित इतिहास में आचार्य पाणिनि के वर्ण-सामान्याय की इसका सर्व प्रथम उपलब्ध रूप कहा जा सकता है। वैसे स्वनिम के निर्धारण तथा उसके स्वरूप विवेचन के सम्बन्ध में हमारे प्राचीन भाषा-शास्त्रीय ग्रन्थ 'शिक्षा' एवं 'प्रतिशास्त्र' इत्यादि निरूपण करते काने सर्वप्रथम ग्रन्थ हैं, यद्यपि उनकी विश्लेषण पद्धति आधुनिक पद्धति में किंचित् भिन्न है।

स्वनिम का सम्बन्ध भाषा के उच्चारित रूप के माप होने के कारण प्रत्येक भाषा या बोली के स्वनिम एक-दूसरे में पृथक् एवं स्वतन्त्र होते हैं। प्रथम तो दो भाषाओं के स्वनिमों में समानता होनी ही नहीं है और यदि प्रतीक भी होनी है तो वह केवल प्रामाण्य प्रतीति के रूप में ही होती है। इसी प्रकार इनकी संख्या का भी कोई निर्धारण नहीं होता अर्थात् प्रत्येक भाषा तथा बोली के स्वनिमों की संख्या पृथक्-पृथक् होती है। अब तक की विज्ञ की अधीत भाषाओं में प्राप्त मूल सापेक्ष ध्वनियों (स्वनिमों) के आधार पर देखा गया है कि इनकी संख्या कम-से-कम पन्द्रह तथा अधिक-से-अधिक पचास हो सकती है। किसी भी भाषा की मूलभूत ध्वन्यात्मक इकाइयों का निर्धारण उसके स्वनिमों के निर्धारण पर ही निर्भर होता है। इसके अभाव में वाक्यव्यवहार में विभिन्न प्रकार के ध्वन्यात्मक रूपों में प्रतीक होने वाली अलग प्रकार की जगत् ध्वनियों को व्यवस्थित करना तथा उनका विश्लेषण करना एक असम्भव कार्य हो जायेगा। इसी सम्बन्ध के सम्पादन के लिए ही भाषा-विज्ञानियों के द्वारा किसी भाषा की अलग ध्वनियों को स्वन (Phone), संस्वन (Allophone) तथा स्वनिम (Phoneme) के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। इनमें से प्रत्येक स्वनी तथा संस्वनो की संख्या व रूप अविशिष्ट होते हैं बड़ी स्वनिमों की संख्या मात्र ही परिमित (15-50) होती है।

इसके अतिरिक्त विभिन्न भाषिक विश्लेषणों के पत्ररूप में यह भी पाया गया है कि विभिन्न भाषा ध्वनियों की ध्वनिभेदक क्षमता एक-ही नहीं होती है।

उदाहरणार्थ, किसी अंग्रेजी या तमिलभाषी व्यक्ति के लिए हिन्दी के कल या खल में कोई अन्तर नहीं होगा, क्योंकि उनकी भाषा में 'क' तथा 'ख' दो पृथक् ध्वनि-ग्राम नहीं अर्थात् इनके दो भिन्न उच्चारणों के कारण उनकी भाषा में अर्थ में कोई अन्तर नहीं आता। अथवा किसी तमिल भाषी को हिन्दी के 'आकार' तथा 'आगार' में या किसी बंगाली को हिन्दी के 'शकल' तथा 'सफल' में कोई अन्तर प्रतीत नहीं होगा, कारण कि इन भाषाओं में 'अल्पप्राण' 'महाप्राण' का, घोष और अपोष का, तथा इन्त्य 'स' एवं तात्त्व्य 'श' का विभेद होना ही नहीं है। अतः अर्थभेदकता के आधार पर किसी भाषा में पायी जाने वाली ध्वनियों का निर्धारण करना तथा त्रिभिन्न स्थितियों में होने वाले उनके ध्वनि तत्त्वों का विश्लेषण करना ही स्वनिमिक विश्लेषण का कार्य है। क्योंकि स्वयं में ध्वनियों का कोई महत्त्व नहीं होता, इनके अर्थभेदकता के आधार पर ही किसी भाषा की खड़ीय ध्वनियों-स्वरो एवं व्यंजनो की सख्या एवं स्वरूप का निर्धारण किया जाता है। स्वनिमिक विश्लेषण में ध्वनिशास्त्री मानव मुख से निकलने वाली अनन्त वाक् ध्वनियों को इस प्रकार कुछ सीमित ध्वनियों में व्यवस्थित करता है कि वे परस्पर अर्थभेदकता को अभिव्यक्त करने लगती हैं। एक ओर जहाँ स्वन विज्ञानी के लिए मानव मुख से निसृत प्रत्येक ध्वनि महत्त्वपूर्ण है वहीं स्वनिम विज्ञानी के लिए उनमें से केवल उन्हीं ध्वनियों का महत्त्व होता है जो कि भाषा में प्रयुक्त होने पर एक-दूसरे से अर्थभेद प्रकट कर सकें। उसके लिए अन्य ध्वनियों का कोई महत्त्व नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि स्वनिम विज्ञानी का कार्य वहाँ से प्रारम्भ होता है जहाँ पर कि स्वन विज्ञानी का कार्य समाप्त होता है। इस स्थिति को सामने रखकर तो प्रसिद्ध ध्वनिविज्ञानी के० एल्० पाइक ने कहा था कि 'स्वन विज्ञानी कच्चा माल तैयार करता है और स्वनिम विज्ञानी इसे उपयोगी सामग्री का रूप देता है।'

सैद्धान्तिक दृष्टि से स्वन विज्ञानी का कार्य महत्त्वपूर्ण होते हुए भी व्यावहारिक दृष्टि से स्वनिम विश्लेषण का कार्य अधिक महत्त्वपूर्ण हुआ करता है। क्योंकि वह उन ध्वनियों के वितरण का विश्लेषण करके उन असह्य प्रकार की ध्वनियों में से ऐसी अर्थभेदक ध्वनियों का निर्धारण करता है जो कि वास्तव में उस भाषा के गठन का मूलाधार होती हैं। किन्तु इनका यह अभिप्राय नहीं कि भाषा में उसके स्वनों का महत्त्व होता ही नहीं है। यहाँ पर इस कथन का केवल इतना ही अर्थ है कि भाषा को व्यावहारिक रूप प्रदान करने वाली इकाई स्वन न होकर स्वनिमिका ध्वनिग्राम होती है, यद्यपि इन्हे स्वनों के विश्लेषण से ही प्राप्त किया जाता है।

स्वनिम की परिभाषा—स्वनिम को कोई सर्वसम्मत निश्चित एवं निर्दोष परिभाषा प्रस्तुत करना थोड़ा कठिन है। फिर भी इस क्षेत्र में कार्य करने वाले प्रसिद्ध भाषा-शास्त्रियों ने इसके व्यावहारिक पक्ष को सम्मुख रखकर अपने-अपने

ढंग से इसे परिभाषित करने का यत्न किया है। क्योंकि इस विषय में मौलिक अनुसंधान एवं विश्लेषण करने का कार्य केवल पारम्परिक विद्वानों ने ही किया है। अतः हम यहाँ पर उन्हीं में से कुछ विद्वानों के द्वारा दी गई परिभाषाओं को प्रस्तुत करेंगे तथा उनके प्रकाश में ही स्वनिम के स्वरूप को समझने का यत्न करेंगे।

1. ब्लूम फील्ड ने इसे 'विभेदक ध्वनितत्त्व की सभ्यतम इकाई' (A minimum unit of distinctive sound feature) कहा है।

2. ब्रिटिश ध्वनिशास्त्री डेनियल जोन्स के अनुसार 'स्वनिम किसी भाषा की उन ध्वनियों का परिवार होता है जो परस्पर अपने ध्वनिगुणों के कारण सम्बन्ध होते हुए भी इस प्रकार प्रयुक्त किये जाते हैं कि कोई भी सदस्य किसी भी शब्द में कभी भी उसी ध्वन्यात्मक परिवेश में नहीं आता जिसमें कि अन्य सदस्य आता है।'

3. आधुनिक युग के प्रसिद्ध भाषाशास्त्री हॉकेट के शब्दों में 'स्वनिम किसी भाषा में पाये जाने वाले उन तत्त्वों का रूप है जो कि उस भाषा की ध्वनि प्रक्रियात्मक व्यवस्था में एक-दूसरे से व्यतिरेकी रूप में आते हैं।' इस सम्बन्ध में उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि 'किसी भाषा के स्वनिम की परिभाषा उसी भाषा के अन्य स्वनिमों के साथ पाये जाने वाले उनके व्यतिरेक के आधार पर ही की जाती है।'

स्वनिम निर्धारण की आवश्यकता एवं आधार—आधुनिक यंत्रों से किये गये ध्वनि वैज्ञानिक विश्लेषणों से यह बात स्पष्ट रूप से सामने आ जाती है कि भाषा या बोली में वस्तु जितनी भी बार किसी ध्वनि का उच्चारण करता है ध्वन्यात्मक दृष्टि में उसके उतने ही पृथक्-पृथक् रूप होते हैं। इसी प्रकार भिन्न-भिन्न ध्वनियों के उच्चारण में भी एक ही ध्वनि का पृथक्-पृथक् प्रत्यक्षीकरण होता है, यद्यपि ये भेद इतने सूक्ष्म होने हैं कि सामान्य श्रोता को इनका पता नहीं चलता है। किन्तु प्रसिद्ध ध्वनि विज्ञानी इन भेदों का प्रत्यक्षीकरण कर सकता है। इसके अतिरिक्त सामान्य व्यक्ति भी यांत्रिक विश्लेषणों के द्वारा इन भेदों का प्रत्यक्षीकरण कर सकता है। इस बात को यहाँ पर एक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करने का यत्न किया जा सकता है। मान लीजिए किसी वक्ता ने कहा—'कल सुएं की कंठ पर बंटा काना कीधा कौब-जान कर रहा था।' इस वाक्य में 'क' में सम्बन्ध ध्वनि का भी बार प्रयोग हुआ है। एतद् ध्वनि विश्लेषक यंत्रों में विश्लेषण करने पर पता चलता है कि इन सभी 'क' ध्वनियों का उच्चारण एक जैसा नहीं होता है, बल्कि अलग-अलग रूपों में होता है और इस भिन्नता का कारण है उगने वाले उच्चरित होने वाली स्वर ध्वनियाँ। ध्वनि विज्ञान से अवशिष्ट ध्वनि भी देख सकता है कि, ध, उ आ के साथ उच्चरित होने वाले 'क' (क, कु, का) में गुण बिबर की

तथा जिह्वा की स्थिति एक जैसी नहीं रहती है। सभी में कुछ-न-कुछ अन्तर होता है। अतः यदि केवल उच्चारण के आधार पर किसी भाषा की ध्वनियों की स्वतन्त्र सत्ता को स्वीकार किया जाय तो इसके अनन्त रूप व भेद हो जायेंगे तथा उन सब का स्वरूप निर्धारण करना तथा उनके लिप्यात्मक प्रतीको का निर्धारण करना किसी भी भाषा विज्ञानी के लिए एक असम्भव कार्य हो जायेगा।

भाषिक विश्लेषण की इस कठिन समस्या का समाधान प्राप्त करने के लिए ही भाषा विज्ञानियों ने स्वनिम सिद्धान्त की खोज की थी। इसके अनुसार उन्होंने किसी भाषा के उच्चारणात्मक रूपों में पाये जाने वाले सभी स्वनो को उन स्वनिमिक इकाइयों के साथ सन्दर्भित किया जो कि परस्पर एक-दूसरे से भेदकता प्रकट करती हैं। वे सभी स्वन उसे भेदक इकाई स्वनिम के सस्वन कहलाये जो कि ध्वन्यात्मक विवेचन की दृष्टि से तो परस्पर अन्तर रखते हैं किन्तु उन अन्तरो के कारण उनमें किसी प्रकार का अर्थभेद नहीं होता। उदाहरणार्थ उपर्युक्त वाक्य में प्रयुक्त 'क' के कः, का, कु, कौ, क्रां आदि के रूपों में उच्चारणात्मक से दृष्टि तो अंतर होता है, किन्तु इन अन्तरो के कारण उनमें कोई अर्थभेद नहीं होता है अर्थात् 'काला' शब्द के उच्चारण में हम 'का' को चाहें मुख विवर को पूर्ण विवृत करके बोलें या अर्ध विवृत या सवृत रूप में, इससे उसके अर्थ में कोई अन्तर नहीं आयेगा। किन्तु यदि हम 'कात' के 'क' का उच्चारण किञ्चित् महाप्राणता के साथ 'खाल' के रूप में अथवा किञ्चित् घोषता के साथ 'गाल' के रूप में करे तो इसमें अर्थभेद हो जायेगा। अतः इस प्रकार के अर्थभेद की स्थिति में उसे पृथक् स्वनिम मानना होगा। इतने ही नहीं, यदि हम 'क' का उच्चारण कण्ठ स्थान से न करके गले के नीचे जिह्वामूल से उरस्य 'क' के रूप में करें तो भी अर्थ-भेद हो सकता है यथा उर्दू में क़मर 'कमर' क़मर 'चाद'।

प्रत्येक भाषा के स्वनिम पृथक्-पृथक् होते हैं तथा उनका निर्धारण उस भाषा विशेष में उनमें पाये जाने वाले अर्थ-भेद के आधार पर किया जाता है जैसे उर्दू-फारसी आदि में तो 'क' तथा 'क़' अथवा 'ख' एवं 'ख़' आदि में अर्थ-भेद की स्थिति होने पर इन्हें पृथक्-पृथक् स्वनिम माना जायेगा, किन्तु हिन्दी में नहीं, हिन्दी में कही पर इस प्रकार के उच्चारण की स्थिति प्राप्त होने पर उन्हें 'क' या 'ख' स्वनिम का संस्वन ही माना जायेगा। इसी प्रकार महाप्राणता एवं घोषता, सघषिता आदि को भी माना जाता है। अंग्रेजी में 'क' तथा 'ख' की ध्वनियों में कोई अर्थभेद की स्थिति न होने से कैन (can) का उच्चारण महाप्राणता के साथ खैन ('can) के रूप में होने पर भी वह 'क' से पृथक् स्वनिम नहीं, अपितु शब्द के आदि में असंयुक्त रूप में आने वाले 'क' का ही एक सस्वन है जो कि इससे भिन्न स्थिति में नहीं होना है। अतः अंग्रेजी के लिए 'ख' को एक पृथक् स्वनिम मानने की

धातुग्ययवता नहीं, क्योंकि यह स्थिति विशेष में उच्चरित होने वाली 'क' ध्वनि की ही एक सध्वनि है। ऐसे ही बार्माती तथा मराठी भाषाओं में अपनी धर्म भेदकता के कारण सामान्य 'च' तथा तालव्यमपर्यो 'च्' दो पृथक् स्वनिम हैं, किन्तु हिन्दी में नहीं। अतः हिन्दी के किन्हीं उच्चारणों में यदि 'च' के स्थान पर 'च्' उच्चारण बनता हो तो उसे 'च' की सध्वनि माना जा सकता है।

स्वनिम के निर्धारण के सम्बन्ध में एक उल्लेखनीय बात यह है कि इसका निर्धारण यादृच्छिक रूप में किया जाता है। किसी ध्वनि के प्राप्त होने वाले सस्वनो में से किसी एक सस्वन के रूप को स्वनिम मानकर उसके अन्य रूपों को उसके सन्दर्भ में विभिन्न ध्वन्यात्मक पर्यावरणों में उपलब्ध होने वाले उसके सस्वन मान लिया जाता है। यथा किसी भाषा में सस्वनो के रूप में उपलब्ध होने वाले 'च' में से अथवा 'च्' में से किसी एक को स्वनिम मानकर अन्य को उतना सस्वन माना जा सकता है। ऐसे ही कुछ भाषाओं में 'ग' तथा 'म' दोनों प्रकार की ऊम ध्वनियों की स्थिति तो पायी जाती है किन्तु उनमें अर्थभेदकता नहीं पायी जाती। अतः उम भाषा के लिए हममें से जो अधिक प्रयुक्त होती है तथा शब्द की सभी स्थितियों में पायी जाती है, उसे स्वनिम मानकर अन्य को उतना सस्वन माना जा सकता है। अतः स्वनिम एक धातुनिष्ठ सत्त्व है जो उन सभी ध्वनियों का प्रतिनिधित्व करता है जो कि यन् किञ्चित् ध्वन्यात्मक शब्दों के साथ उसके विभिन्न रूपों को व्यञ्जित करती है किन्तु उसके कारण उनमें किसी प्रकार का अर्थभेद नहीं आने पाता है।

किसी भाषा या बोली में कितने स्वनिम हैं, इसका निर्धारण करने के लिए प्रथम उम भाषा का ध्वनिम या स्वनिक विभेदण करके उसके प्राप्त होने वाली सभी ध्वनियों का उनके परिवेश के सहित विभेदण किया जाता है। इसके बाद ध्वनिम की पद्धति के आधार पर भाषा विशेष में उसके वितरण को देखा जाता है। एक समान प्रतीत होने वाली ध्वनियाँ यदि एक ही परिवेश में आ सकती हैं तो उन्हें परस्पर एक-दूसरी की सध्वनि मान लिया जाता है, किन्तु यदि वे एक परिवेश में नहीं आ सकती हैं तो फिर उनके स्वनिमिक रूप के विषय में विचार किया जाता है। इन ध्वनियों का वितरण तीन प्रकार से किया जाता है। जिनमें से एक को 'अतिरेकी विवरण,' दूसरे को 'पूरक वितरण' तथा तीसरे को 'सुष्ठु वितरण' कहा जाता है।

अतिरेकी वितरण—स्वनिम निर्धारण में अतिरेकी वितरण स्वयं अधिक महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। दो निकटतम प्रतीत होने वाली ध्वनियाँ दो स्वनिम स्वनिम के अथवा एक ही स्वनिम की दो सध्वनियाँ हैं, इसका निर्णय करने के लिए उम भाषा में उन शब्दों की परिज्ञा की जाती है जिनमें कि वे ध्वनियाँ प्रयुक्त की

जाती है। उनमें यदि ऐसे शब्द युग्म मिल जाते हैं जिनमें कि वे दो ध्वनियाँ एक ही प्रकार के परिवेश में आती हैं और उनमें अर्थ भेद होता है तो उन्हें दो स्वनिम स्वीकार कर लिया जाता है। क्योंकि भाषा विज्ञान की दृष्टि से किसी भी ध्वनि खण्ड या उच्चार या उच्चार के किसी अंग के अभिलक्षण का अल्पावश्यक गुण धर्म यह है कि वह भेदकीय हो अर्थात् किन्हीं दो ध्वनियों को व्यावर्तक रूप में अन्तर दिखाने के लिए एक ही अवस्थिति में तथा एक ही परिवेश में घटित होने योग्य होना चाहिए तथा उस रूप में अर्थ भेदक भी होना चाहिए। परिवेश से तात्पर्य है किसी उच्चार (शब्द) में आदि, मध्य, अन्त की स्थितियों तथा उनके पूर्व एवं पश्चात् में घटित होने वाली ध्वनियों से। उदाहरणार्थ—हिन्दी की (क् ख् ग् घ्) ध्वनियों को लिया जा सकता है। इन सभी को शब्द की आद्य स्थिति में/ओल्/ ध्वनि समूह के पूर्व में प्रयुक्त किया जा सकता है तथा इन अवस्थिति में भिन्न-भिन्न अर्थों को प्रदर्शित करने वाले /कोल्/ 'एक जाति' /खोल्/ 'आवरण' /गोल्/ 'पोलाकार' /घोल्/ 'तरलित पदार्थ' शब्दों को प्राप्त किया जा सकता है। इसका विवेक करने पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इन चारों ध्वनियों (क् ख् ग् घ्) का परिवेश एक ही है अर्थात् इनसे पहले कोई और ध्वनि न होने से ये उच्चार की आद्य स्थिति में घटित हो रहे हैं तथा इनके बाद में आने वाले स्वनिमों का अनुक्रम/ओल्/भी समान है तथा इनमें शब्द प्रयोग के अवसर पर किसी भी एक के स्थान पर किसी भी अन्य ध्वनि को रख देने से अर्थभेद हो जाएगा अर्थात् यदि 'खोल लानो' के स्थान पर 'घोल लानो' कह दिया जाय तो उसका अर्थ ही सर्वथा भिन्न हो जाएगा, अतः मानना पड़ेगा कि हिन्दी में ये चारों ही ध्वनियाँ सार्वक हैं अतः पूयक्-पूयक् स्वनिम या ध्वनि घन हैं, अंग्रेजी के [सैन्]/[सैन्]/ओल्/स्केन/ (scan) के समान एक ही क् स्वनिम के भिन्न-भिन्न संस्वन नहीं। उपर्युक्त ढंग से किन्हीं दो उच्चारों में केवल एक ही स्वनिम की स्थिति के कारण परस्पर पर्याय या अर्थ भेद को दिखाने वाले शब्द युग्मों को पारिभाषिक रूप में 'सधुतम युग्म' (minimal pairs) कहा जाता है और इन्हीं सधुतम युग्मों के आधार पर ही किसी म या पा के स्वनिमों का निर्धारण किया जाता है।

यह आवश्यक नहीं कि किसी एक भाषा के लिए निर्धारित स्वनिम दूसरी भाषा में भी उसी रूप में स्वनिमों का पद प्राप्त करें ही। प्रत्येक भाषा की अपनी ध्वन्यात्मक व्यवस्था के अनुसार ही स्वनिमों की स्थानना की जाती है। अंग्रेजी में व्यतिरेकी विभाजन में घटित न होने के कारण 'क्' तथा 'घ्' दो पूयक् स्वनिम नहीं, तथा इसी प्रकार तमिल में, इसी आधार पर क्, ख्, ग्, घ् पूयक्-पूयक् स्वनिम न होकर एक ही स्वनिम क् के संस्वन हैं।

परिपूरक विवरण—जब दो या दो से अधिक ध्वनिमों का विवरण इस प्रकार

हो कि इनमें से कोई भी ध्वनि ठीक उसी परिवेश में घटित न होती हो जिसमें कि अन्य ध्वनि होती है तो इन्हें 'पूरक वितरण' या 'पूरक बटन' में समझा जाता है। इन अंग्रेजी के एक उदाहरण से स्पष्ट किया जा सकता है। शब्द की आय स्थिति में उच्चारित किए जाने पर अंग्रेजी के /प/ट/एव/क/का उच्चारण किंचित महाप्राणता को लिए हुए होता है। जो कि हमारे /फ/, /ठ/, /प/के निकट होता है, यथा ten [टैन], pen [पैन], can [कैन] आदि। किन्तु जब इसी परिवेश में इनसे पूर्व में स् का सयोग होता है तो इनका उच्चारण महाप्राणता के तत्त्व से रहित रूप में होता है। अंग्रेजी में अल्पप्राण तथा महाप्राण उच्चारों के बीच अर्थभेदरता न होने में इन्हें एक ही स्वनिम के पूरक वितरण में प्राप्त होने वाले दो सस्वन माना जाता है। क्योंकि एक सकार के सयोग से रहित स्थिति में पाया जाता है तथा दूसरा सकार के सयोग से युक्त स्थिति में। यही स्थिति अंग्रेजी के शुद्ध त् तथा कृष्ण त् की भी है। प्रथम का उच्चारण स्वरो तथा म् से पूर्व में, यथा, लेक (lake) मिलियन् (million) में तथा दूसरे का व्यञ्जनो से पूर्व तथा शब्दान्त में, यथा मिल्क (milk) मिल (mill) आदि में। हिन्दी में भी [ड] [न्] तथा [ञ] के बीच इसी प्रकार का वितरण पाया जाता है। अर्थात् [ञ, ट] का षवर्गीय एव कवर्गीय ध्वनियों से पूर्व तथा [न्] का अन्य सभी स्थितियों में, यथा-बच्चन्, गङ्गा, पण्डित, तन्तु, पानी, नेता, बान। इसके विपरीत /ण/, /न/ तथा /म/ में ध्वनिरेखी वितरण की स्थिति पायी जाने के कारण (यथा, मामी : नानी, बाण : बान : याम् . बान्) इन्हें पुषक् स्वनिम माना गया है। परन्तु [ञ, ट] न तो शब्द की आदि स्थिति में आते हैं न स्वरो से पूर्व आते हैं और न स्ववर्गीय व्यञ्जनों के अतिरिक्त किन्हीं अन्य व्यञ्जनों के साथ ही सयोग करते हैं। ये केवल /न/ के साथ पूरक वितरण में आते हैं, क्योंकि /न/ षवर्गीय या कवर्गीय ध्वनियों के पूर्व में नहीं आता। अतः ये ध्वनियाँ ध्वनिरेखी वितरण में न होने के कारण पुषक्-पुषक् स्वनिमों की स्थापना न करके एक ही स्वनिम की सस्वन बहूवचनी है तथा व्यवहार में इन्हें एक ही स्वनिमात्मक इकाई के रूप में एक ही लिपिचिह्न के द्वारा निदिष्ट किया जाता है।

पूरक वितरण में आने वाली ध्वनियों के लिए यह भी आवश्यक है कि वे भाग्य में मिलनी-जुलनी हों। किन्तु यदि पूरक बटन में आने वाली ध्वनियाँ भाग्य में मिलनी-जुलनी न होंगी तो वे सिंगी एव स्वनिम की सध्वनियों न होकर दो पुषक्-पुषक् स्वनिमों की स्थापना करेगी। उदाहरण के लिए अंग्रेजी की /ह/ तथा /ट/ ध्वनियों को लिया जा सकता है। इनमें /ह/ केवल शब्दादि में तथा दो स्वरो के मध्य में ही आया करती है, यथा हैंड (hand) बिहैवियर (behaviour) तथा /ट/ केवल शब्दान्त में तथा सिंगी व्यञ्जन से पूर्व में ही आ सकता है, यथा किंग (king) एव अङ्कम (uncle) सिङ्गर (singer) आदि। यही पर इन दोनों ध्वनियों में

पूरक घटन की स्थिति तो पायी जाती है किन्तु स्थान, प्रयत्न आदि की दृष्टि से इनमें कोई भिन्न न होने के कारण इन्हें एक ही स्वनिम की दो सध्वनिया नहीं माना जा सकता है वरन् ये दो भिन्न-भिन्न स्वनिमो (ध्वनिग्रामो) की रचना करती हैं। इसी आधार पर झ् तथा ङ् को /म/ अथवा /ण/ का संस्वनन मानकर /न/ का संस्वन माना जाता है।

मुक्त परिवर्तन या मुक्त विकल्पन—जब एक ही परिवेश में किसी प्रकार का अर्थभेद दिखाये बिना दो ऐसी ध्वनिया एक-दूसरी के स्थान पर सदा ही उच्चारण में प्रयुक्त की जा सकती है जो कि स्वनिक दृष्टि से एक-दूसरी से भिन्न हों, तो उसे मुक्त वितरण या मुक्त विकल्पन कहा जाता है। ये भी पूरक वितरण में आने वाली ध्वनियों के समान ही अविभेदक होती हैं तथा इन्हे एक ही वर्ग या स्वनिम में समाहित किया जा सकता है; क्योंकि इनमें से किसी भी परिवर्तन का उच्चारण बिना किसी भेद के किया जा सकता है। इसलिए स्कूल लिप्यंकन में इन्हे केवल एक ही प्रतीक के द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है (यथा—दिक्/दिग्)।

हिन्दी में मुक्त विकल्पन की स्थिति बहुत कम पायी जाती है किन्तु उसकी कई विभाषाएं ऐसी हैं जिनमें कि र तथा ल के बीच, र तथा ङ, या ङ तथा ङ् के बीच अथवा ङ तथा ङ् के बीच मुक्त विकल्पना की स्थिति पायी जाती है। किंतु किसी भाषा में किन्हीं स्वनो की मुक्त विकल्पनात्मक स्थिति को स्वीकार करने के लिए यह आवश्यक है कि उन दो ध्वनियो के बीच सदा ही तथा सर्वत्र ही मुक्त-परिवर्तन सम्भव हो। उदाहरणार्थ, हिन्दी में 'दीवार' एवं 'दीवाल' में एक ही परिवेश में घटित होने तथा अर्थ-विभेदक न होने के कारण र् तथा ल् की मुक्त परिवर्तन की स्थिति बनती है, परन्तु 'हाल' एवं 'हार' जैसे शब्दों में एक ही परिवेश में अर्थभेदक होने के कारण यह स्थिति नहीं रहती। अतः हिन्दी ध्वनि प्रक्रिया की दृष्टि से इन्हे मुक्त परिवर्तन में नहीं रखा जा सकता है। इससे यह स्पष्ट होना है कि किसी भाषा के स्वनिमों की स्थिति का निर्धारण करने के लिए उस भाषा के सम्पूर्ण शब्द भण्डार का परीक्षण करना आवश्यक होगा। तभी उसके स्वनिमो की सख्या का एवं उनकी स्थितियों का निर्धारण किया जा सकता है।

इस प्रकार किसी भाषा के व्यावर्तक रूपों में पाये जाने वाले सभी व्यंजनों एवं स्वरों के व्यतिरेकी युग्मो (pairs) का पता लगाना आवश्यक होता है; क्योंकि इन युग्मो के द्वारा ही दो ध्वनियों का भिन्न-भिन्न स्वनिम होना निर्विवाद रूप से सिद्ध किया जा सकता है। वैसे स्वनिमों के विश्लेषण अथवा स्थापना के लिए इनका होना आवश्यक भी नहीं, क्योंकि स्वनिमिक व्यावर्तकता का मूल तत्त्व उन दो या अधिक ध्वनियो के बीच अन्तरों के निहित होता है जो न तो मुक्त विकल्पन में आते हैं और न जिनका निर्धारण पूरी तरह से उनके अपने परिवेशों से होजा है। इसके अनुसार रॉबिन्सन ने स्वनिम की परिभाषा ही की है—“स्वनिक दृष्टि से

समान ध्वनियों का वह वर्ग, जो कि उस भाषा के अन्य सभी तुल्य रूप वर्गों के साथ व्यतिरेक तथा परस्पर व्यावर्तकता रखता है।”

इन प्रकार किसी भाषा के उच्चारों में उपलब्ध होने वाली समस्त असंस्कृत ध्वनियों को स्वनिमों के निश्चित एवं सीमित सेटों में निर्धारित कर दिया जाता है, जो कि कम से कम कुछेक परिवारणों में व्यतिरेकी हों। इसलिए स्वनिमों की स्थापना के लिए शब्दों की समस्त स्थितियों का परीक्षण करना आवश्यक होता है। क्योंकि कुछ स्वनिम ऐसे भी होते हैं जो कि शब्द की आद्य, मध्य तथा अन्त्य की सभी स्थितियों में घटित न होकर किन्हीं विशेष स्थितियों में ही घटित होते हैं। विशेषण की सुविधा के लिए प्रत्येक स्वनिम के लिए निपि चिह्न भी निर्धारित कर दिया जाता है।

स्वनिमों के सदस्य को स्वन (फोन) या सस्वन (एलोकॉन) कहा जाता है। सर्वमान्य व्यवहार के अनुसार स्वन प्रतीकों को वर्गाकार कोष्ठकों में तथा स्वनिम प्रतीकों या स्प्लू लिप्यन्त (broad transcription) के प्रतीकों को त्रिकोण कोष्ठकों में लिखा जाता है। उदाहरणार्थ—अंग्रेजी में [ɔ] तथा [ɔ̃] दोनों ही स्वनिम/ट्रि/के सदस्य हैं, अतः पूर्वरूपों को वर्गाकार कोष्ठकों में तथा द्वितीय को त्रिकोण कोष्ठकों में द्वारा दर्शाया जाता है।

किसी भाषा के स्वनिमिक विश्लेषण के समय स्वनिम समानताओं के अनिश्चित जिन बातों पर विशेष ध्यान दिया जाता है वे हैं ध्वनियों के विवरण तथा व्यतिरेक को प्रकट करने वाले आधार। इनसे ही प्रतीत होता है कि कोई दो ध्वनियाँ, जो कि किसी एक भाषा में व्यतिरेक न दिखाने के कारण त्रिकोण कोष्ठकों में स्वनिम की गणना होती हैं वही दूसरी भाषा में व्यतिरेकी होने के कारण दो पुण्य-पुण्य स्वनियों की रचना करती हैं यथा [ɔ] और [ɔ̃] अथवा [t] और [t̃] जो कि अंग्रेजी में व्यतिरेकी नहीं हैं वे चीनी तथा अनेक भारतीय भाषाओं में व्यतिरेकी होने के कारण दो भिन्न-भिन्न स्वनिमों की रचना करती हैं यथा, हिन्दी—/टीक/ः /टीक̃/, /तान/ः /तान̃/, अथवा संस्कृत /अपत्यम्/ गन्तः /अपत्यम्/ कुर्यात्।

भाषाओं में शरणात्मक अन्तरों का कारण यह होता है कि वाक् की अविच्छिन्न प्रक्रिया में उच्चारणावयव की गति जब एक वाक् गूह में अपने अनुवर्ती वाक् गूह की ओर होती है तो वह उग आने वाले गूह के उच्चारण में स्वयं भी प्रभावित होता है और उग भी प्रभावित करता है। अतः किसी स्वनिम गूह के निश्चित गौणायक परिष्कार इनके अन्तर्गत सुनी की पर्याप्त करने में गहायक हुआ करते हैं। स्वनिमों के इन गौणायक अन्तों को शरणात्मक से देखा या गहना है व्यक्तियों के साथ अद्य, मध्य, पश्य इत्यादि

के योग में, यथा /तीनु/ और /तानु/ । यहा प्रथम मे अग्रस्वर ई की सन्निहितता के कारण त् का उच्चारण पूरी तरह से दन्त्य हो गया है, जिसमें कि जिह्वा मुख्य रूप से दांतों का स्पर्श कर रही होती है, किन्तु द्वितीय उच्चारण मे पश्च स्वर आ के सानिध्य के कारण यह कुछ पीछे हट गया है अर्थात् जिह्वाग्र पूर्णतः दांतों का स्पर्श न करके दन्तकूट का स्पर्श करता है । अतः यहां पर त् के दो सस्वन माने जायेंगे एक दन्त्य तथा दूसरा दन्तमूलीय ।

स्वनिमों का वर्गीकरण—ध्वन्यात्मक दृष्टि से किसी भाषा के स्वनिमों को दो रूपों में विभाजित किया जाता है—1 खंडीय (Segmental), खंडेतर (Supra-Segmental) । इनमे से खंडीय स्वनिम वे हैं जिनका कि पृथक् इकाइयों के रूप में विश्लेषण किया जा सकता है । इनकी स्थिति प्रायेण स्वरो एव व्यंजनो के रूप में निर्धारित की जाती है तथा खण्डेतर स्वनिम वे कहलाते हैं जो कि खंडीय स्वनिमो पर आश्रित होते हैं तथा एकाधिक स्वनिमो मे पाये जाते हैं । इनका अपना कोई स्वतन्त्र अस्तित्व होता भी है और नहीं भी होता है, किन्तु भाषा के रूपों की स्वाभाविक अभिव्यक्ति में इनका महत्त्वपूर्ण योग हुआ करता है । इसके अन्तर्गत आते—नाश्रा, सुर, आघान, विराम ।

यहां पर यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि सभी भाषाओ मे ध्वनिशामों का खंडीय तथा खण्डेतर वर्गों में विभाजन करना अत्यावश्यक नहीं । खण्डेतर वर्ग की स्थापना तभी आवश्यक होगी जब कि सुर, तान, आघात, विवृत्ति आदि उस भाषा मे अर्थभेदक तत्त्व हो अन्यथा इस विभेद की आवश्यकता ही नहीं होगी ।

स्वनिमों के सम्बन्ध में कुछ विशेष ज्ञातव्य

1. स्वनिम का सम्बन्ध केवल भाषा के उच्चरित रूप के साथ होता है लिखित रूप के साथ नहीं । जिस प्रकार भाषा की इस उच्चरित सायंक इकाई को स्वनिम (phoneme) कहा जाता है उसी प्रकार इसकी लिखित इकाई को लेखिम (grapheme) कहा जाता है । जिन भाषाओं की लिपि ध्वन्यात्मक नहीं, उनमे इन दोनों मे परस्पर एकरूपता नहीं होती है । इसे अंग्रेजी के निम्न उदाहरणों से स्पष्ट किया जा सकता है, यथा “दो (though) शब्द में स्वनिम की दृष्टि से तो केवल दो ही स्वनिम द्+ओ हैं किन्तु लेखिम की संख्या 6 है (t,h,o,u,g,t)। एक और उदाहरण लीजिए—अंग्रेजी के /फ़/ स्वनिम के लिए हमे कम से कम 5 लेखिम मिलते हैं, यथा, f (father), ff (offer), ph, (physics), pph (sapphire), gh (rough) । इनमे से कुछ तो ऐसे हैं जिनमे कि एक स्वनिम के लिए दो (ff, ph, gh) तथा तीन (pph) लेखिमों की स्थिति पायी जाती है ।

2. स्वनिमीय विश्लेषण की दृष्टि से प्रत्येक भाषा तथा बोली के स्वनिम अन्य भाषाओं एवं बोलियों से सर्वथा स्वतन्त्र होते हैं । इनके बीच प्रतीयमान एकरूपता

ध्रामक होना है। इसका प्रत्यक्षीकरण तब होता है जबकि किसी एक भाषा का बोलने वाला व्यक्ति किसी अन्य भाषा में वाग्व्यवहार करता है। ऊपरों तौर पर हिन्दी की अधिकतर ध्वनियाँ भारत की सभी आर्य भाषाओं में पायी जाती है किन्तु जब कोई बंगाली, गुजराती, अगमिया, पंजाबी या काश्मीरी भाषा-भाषी हिन्दी या संस्कृत बोलता है तब उसके उच्चारण से यह स्वनिमित्त अन्तर साफ़ सुनाई देता है। इसी प्रकार स्वनिम की दृष्टि से हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में /क/ तथा /प/ स्वनिमों की स्थिति पायी जाती किन्तु ये दोनों भाषाओं में एकरूपी न होकर भिन्न रूपी होने हैं। इसका प्रत्यक्षीकरण दोनों भाषाओं में इनके उच्चारण की ध्यानपूर्वक सुनने में सहज ही हो सकता है। इसके अनिश्चित इनके मस्वनों की स्थिति भी एक-ही नहीं होती। हिन्दी या संस्कृत में महाप्राणता भेदबन्ध होने में इसके किसी संस्वन का उच्चारण महाप्राण-युक्त नहीं होता है जबकि अंग्रेजी में इनकी महाप्राणता में भेदबन्ध न होने से शब्द के प्रारम्भ में अर्धयुक्त रूप में आने पर इनका मस्वनीय रूप [ग] तथा [फ] के समकक्ष होता है। इसी प्रकार लैथिम तथा स्वनिम के रूप में हिन्दी तथा बंगाली का /अ/ स्वनिम [ममरूप] होने पर भी दोनों में जो अन्तर है वह सर्वविदित है, /अ/ शब्द का हिन्दी रूप [अ] तथा बंगाली रूप [औ] होता है।

3 स्वनिम भाषा की व्यावहारिक दृष्टि होता है। इसलिये स्वनिमित्त विश्लेषण स्वनिम विश्लेषण में भिन्न होता है। स्वनिम विश्लेषण में ध्वनिशास्त्री मात्र बण्ट में उच्चरित प्रत्येक ध्वनि का विश्लेषण करता है। जबकि स्वनिमित्त विश्लेषण करने वाला भाषा-विज्ञानी भाषा विशेष की वैयक्त व्यावहारिक एवं उपयोगी ध्वनियों का ही विश्लेषण किया करता है।

किसी ध्वनि के मस्वनों एवं स्वनिमों का अन्तर यह है कि मस्वनों में परस्पर परिवर्तन कर देने पर भी शब्द के अर्थ में कोई अन्तर नहीं आता है किन्तु स्वनिमों में एव के स्थान पर दूसरा स्वनिम रख देने में अर्थ भेद पैदा हो जाता है। जैसे हिन्दी में /तारी/ के /न/ स्वनिम के स्थान पर उगी वगैरे का /प/ स्वनिम रख दिया जाय तो शब्द /पारी/ बनकर अर्थ भेद उत्पन्न कर देगा। किन्तु न तो हमें स्थान में कुछ परिवर्तन में उच्चरित करने पर भी शब्द के अर्थ में कोई अन्तर नहीं होगा, यद्यपि /न/ के ध्वन्यात्मक स्वरूप में अन्तर ला जाने से वह /त/ का एक मस्वन बन जायेगा।

अध्वन्यात्मक स्वनिम—प्रायः सभी भाषाओं में अध्वन्यात्मक स्वनिमों के अन्तिम कुछ ऐसे स्वनिमों की भी गणना पारी जाती है जो कि एवाध्वन्यात्मक स्वनिमों में सम्बन्ध होते हैं। इन प्रकार के स्वनिमों को अध्वन्यात्मक स्वनिम कहा जाता है, इनमें से सामान्यतया सभी भाषाओं में पाये जाने वाले स्वनिम है—किन्तु

(juncture), स्वराघात/बलाघात (accent), सुरतल, (pitch), विराम (Pause), अनुनासिका (nasality) ।

स्वनिम की उपयोगिता—किसी भाषा के स्वनिमों का ज्ञान उस भाषा के अर्थन तथा व्यवहार में बड़ा उपयोगी होता है क्योंकि सर्वप्रथम तो इसके ज्ञान से उस भाषा की उन सभी सार्थक ध्वनियों का अन्तर स्पष्ट हो जाता है जिनके असम्यक् उच्चारण से उसके अर्थग्रहण में गड़बड़ी पैदा हो सकती है। अतः वक्ता को उनके विषय में सावधान रहना पड़ता है। यथा हिन्दी या संस्कृत में /श/ तथा /म/ दोनों ही स्वनिम हैं किन्तु बंगला में नहीं, वहाँ पर केवल /श/ ही स्वनिम है /स/ नहीं। अतः हिन्दी-संस्कृत स्वनिमों का ज्ञान रखने वाला बंगला-भाषी इन भाषाओं को बोलते समय श, स, का स्पष्ट भेद करते हुए शुद्ध उच्चारण करेगा अन्यथा नहीं। इसी प्रकार हरियाणवी में केवल /स/ है, /श/ नहीं।

2. स्वनिमों का ज्ञान होने पर किसी भाषा को सीखना सरल हो जाता है, क्योंकि स्वनिम भाषा की सार्थक ध्वनि होती है और इनकी संख्या सीमित होती है। अन्यथा किसी भाषा में उच्चरित होने वाली सभी ध्वनियों का आधिकारिक ज्ञान प्राप्त करना एक असम्भव कार्य है। इससे किसी भाषा के मूल उच्चारण पर भले ही अधिकार न हो सके, पर उसके व्यावहारिक रूप पर अधिकार हो जाता है, जैसे हिन्दुस्तानी, अंग्रेजी।

3. स्वनिमों का ज्ञान लिपि निर्माण में परम सहायक होता है। आदर्श लिपि वही है जिसमें एक सार्थक ध्वनि (स्वनिम) के लिए एक लिपिचिह्न हो तथा एक लिपिचिह्न केवल एक ही स्वनिम का बोधक हो। इस सिद्धान्त पर आधारित होने के कारण ही देवनागरी लिपि सर्वथा पूर्ण तथा रोमन अपूर्ण समझी जाती है। स्वनिमों के आधार पर बनायी गयी लिपि में न तो लिपि चिह्नों का व्यर्थ का बोझ होता है और न कोई सार्थक ध्वनि उचित प्रतिनिधित्व से वचित रहती है।

4. स्वनिम के ज्ञान के बिना भाषा-विज्ञान की अन्य शाखाओं—पद-विज्ञान तथा अर्थ-विज्ञान का भी कार्य नहीं चल सकता। सार्थक शब्दों का ही वाक्यों में प्रयोग हो सकता है और सार्थक पदों की रचना स्वनिमों की सार्थकता पर निर्भर होती है। अतः स्वनिम का ज्ञान भाषा के सभी स्तरों पर आवश्यक है।

संस्कृत की स्वनिम-व्यवस्था

स्वनिम की संकल्पना को आधुनिक भाषा विज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जाता है। इस सम्बन्ध में कहा जाता है कि इस धारणा को जन्म देने का श्रेय प्रोफेसर 'युर्ने' को है तथा इसे एक निश्चित तकनीकी नाम 'फोनीम' के साथ सम्बद्ध करने का कार्य 1876 में 'ट्रिबेट' ने किया था। आगे जाकर बीमबी एनाल्फी में भाषिक विज्ञान के लिए स्वनिम (phoneme) के महत्व की स्थापना करने का श्रेय आधुनिक भाषा-विज्ञान के जन्मदाता फर्डिनेण्ड डिससूर तथा एडवर्ड सापिर को दिया जाता है। किन्तु साहूज के सर्वप्रथम उपलब्ध व्याख्यान अथवा विश्व के सर्वप्रथम भाषाशास्त्र अष्टाध्यायी की देखने से हमें कोई संदेह नहीं रह जाता है कि आचार्य पाणिनि ने चाहे इसे कोई पृथक् नाम न दिया हो पर उन्हें भाषिक विज्ञान के सम्बन्ध में स्वनिम की संकल्पना बहुत स्पष्ट थी। माहेश्वर गुरुओं के साधन में उनके द्वारा प्रस्तुत कर्तव्यमान्य साहूज भाषा की 'स्वनिम सारिका' (phonemic inventory) ही है।

आचार्य पाणिनि द्वारा उदाहरण गुरुओं में प्रस्तुत साहूज के स्वरों के खण्डीय स्वनिमों (segmental phonemes) का जो रूप हमें प्राप्त होता है, वह इस

प्रकार है।

	अग्र	मध्य	पश्च
उच्च	इ, (लृ)	ऋ	उ
मध्य	ए		अ, ओ
निम्न	ऐ		औ

स्वरों के उच्चारण में स्थान तथा करण का संयोग न होने से आधुनिक भाषा वैज्ञानिक विश्लेषणों में इनका वर्गीकरण यद्यपि उच्चारण स्थान की भिन्नता के रूप में नहीं किया जाता है, किन्तु पाणिनि जी ने इनका वर्गीकरण भी व्यंजन स्वनिमों के साथ ही उच्चारण स्थान के आधार पर किया था जो कि इस प्रकार है—

अ (कंठ्य), ई (तालव्य), ऋ (मूर्धन्य), लृ (दन्त्य), उ (ओष्ठ्य),
 ए, ऐ (कण्ठतालव्य), ओ, औ (कण्ठोष्ठ्य)।

अष्टाध्यायी के उपर्युक्त विवरण के अनुसार इनमें से शुद्ध स्वर केवल तीन ही थे (अ, इ, उ), ऋ, लृ स्वर तथा व्यंजन दोनों थे तथा अन्य 4 सन्ध्यन्तर (diphthongs) थे। शुद्ध स्वरों में दीर्घता (length) स्वनिमिक; थी इसीलिए दीर्घ स्वरों का पृथक् रूप से परिगणन नहीं किया गया। आभ्यन्तर प्रयत्न के आधार पर केवल 'अ' को छोड़कर शेष सभी को विवृत माना गया।

व्यंजन—खंडीय व्यंजन ध्वनिमो की व्यवस्था इस प्रकार थी।

ओष्ठ्य दन्तोष्ठ्य दन्त्य मूर्धन्य तालव्य कंठ्य कंठ
 द्वारौय

स्पर्श—अधोप अल्पप्राण	प	—	त	ट्	क्	—
अधोप महाप्राण	फ	—	थ	ठ	ख	—
धोप अल्पप्राण	व	—	द	ड	ज	ञ
धोप महाप्राण	भ	—	ध	ढ	झ	ञ
नामिक्य—	म्	—	न्	ण	(ञ)	(इ)
ईपत् स्पृष्ट अन्तस्थ	व	ल(ळ)	र	य		—
ईपत् विवृत ऊर्ध्व			स	ष	श	ह (ह)

उपर्युक्त तालिका में कोष्ठकों में दिये गये स्वरों का यद्यपि आचार्य द्वारा संस्कृत के स्वनिमो में परिगणन किया गया है, किन्तु आधुनिक स्वनिम विश्लेषण के आधार पर इनका स्वनिमत्व सदिग्ध है।

स्वनिम /ळ/ तथा उसके महाप्राण प्रतिरूपी /ळ्ह/ की स्थिति केवल वैदिक भाषा में तथा /ल/ के परिपूरक वितरण के रूप पायी जाती है। लौकिक भाषा में यह /ल/ के साथ मुक्त वितरण में तथा /ड/ के रूप में पाया जाता है।

अधिष्ठंडात्मक स्वनिम

संस्कृत में निम्नलिखित अधिष्ठंडात्मक स्वनिमो की स्थिति पायी जाती है।

- 1 दीर्घता—स्वरों में अ, इ, उ, ऋ, ए, लृ के दीर्घ रूप आ, ई, ऊ, ऋ, ए, लृ (दीर्घ)
- 2 अनुनासिकता—
- 3 विद्युत्/गहिता—बाह्य+, आन्तरिक -/
- 4 स्वराघात—(केवल वेद में)
5. गुरु लहर—आरोही / ↑ /
अवरोही / ↓ /
सम / → /

संस्कृत के छोटे से छोटे उच्चार में भी प्रत्येक अक्षर में एक स्वर अथवा एक स्वर+ पूर्वापर व्यंजन, एक स्वराघात स्वनिम तथा एक गुरुलहर का होना आवश्यक है।

प्रस्तुत विश्लेषण में स्थानाभाव के कारण हम केवल छण्डनीय स्वनिमो का ही विवेचन करेंगे।

संस्कृत स्वनिमो के तुलनीय विरोधी युग्म—विभी भाषा के स्वनिमो के निर्धारण के लिए आवश्यक है कि वे उनी स्थान तथा प्रयत्न से उत्पन्न होने वाली गवर्णी ध्वनियों में अथं भेदवना दिखलाते हो। इन व्यतिरेको को न्यूनतम युग्मों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। संस्कृत स्वनिमो को उनके तुलनीय विरोधो के आधार पर निम्न रूपों में देगा जा सकता है।

स्वर—स्वरों के न्यूनतम युग्मों को शब्द की विभिन्न स्थितियों में इन रूपों में देगा जा सकता है।

1. स्वरों की मात्रा के आधार पर पाये जाने वाले विरोधी युग्म

	आदि	मध्य	अन्त
इ : ई	/इति/गमाप्ति /ईति/अज्ञान, ईवी विपत्ति	/आश्विन/एवमाम /आश्विन/पोंडे में एक दिन में ईकिया जाने वाला पथ	/रुवि:/गूर्यं /रवी/दो गूर्यं
उ : ऊ	/उह/बैंग, गांइ /ऊह/परिचरंन, गकं	/आहृति/यज्ञाहृति /आहृति/बुनावा, पुवार	/गनु:/धपूरा वीध /गनु:/धान
अ आ	/अक्षर/अक्षरमुक्त, हृन्तहोन /आचार/आहृति /नग/पर्वत /नाग/हाथी, गुर्यं	/पक्षर:/पक्षुतरा /पक्षर:/पार /पक्ष/छन, घोडा /पक्ष/द्वार पत्त	/बक्ष/बाय /बक्ष/विपती /पक्ष/ईधन /पक्ष/गमृद्धि

2. अघ/अघ्र स्वरो को तुलनीय विरोधी युग्म—

इ . ए	/इला/पृथ्वी, वाणी /एला/इलायची	/खिल/अनुर्वरभूमि /खेल/श्रीडनीय	/ऋति/सेना /ऋते/विना
इ : ऐ	/इन्द्र/इन्द्रदेव /ऐन्द्र/अर्जुन, वाली	/हिमम्/बर्फ /हैमम्/ओम	/दिवम्/दिन, आकाश /दैवम्/भाग्य
ई : ऐ	/ईशः/स्वामी, शिव /ऐश/दिव्य, ईश्वरीय	/शीम/एक महामर्ष /शैल/पर्वत	/कीश/चन्द्र /केश/बाल
ए : ऐ	/हिमम्/मुवणं /हैमम्/ओस	/दिवः/देवता, मेघ /दैव/भाग्य	/केलास/क्रिस्टल, रवा /कैलास/एक पर्वत

3 पश्च/पश्च स्वरो के तुलनीय विरोध

उ . ओ	/उष्ण/गरम /ओष्ण/नीम गरम	/कूप/कुआ /कोपः/क्रोध	/कूल/किनारा /कोल/मुअर
ऊ . ओ	/ऊध./ऐन /औध/दुग्ध	/उर्णम्/ऊन /और्णम्/ऊनी	
उ : औ	/उदुम्बर/गूलर वृक्ष /औदुम्बर/गूलर फल, तावा,	/उद्भिजं/वनस्पति /औद्भिज/सिधा नमक	
उ : आ	/कुल/वंश /काल/समय	/आमुरः/राक्षस /आमार/वर्षा की झड़ी	/कारुः/कारीगर /कारा/जिल
अ : ऋ	/रत/अनुरक्त /ऋतु/सत्य	/घज/माला /सृज/सृष्टि	
ऋ . उ	/आवृत्त/भ्रमित, दुहराया /आवृत्त/जीवा	/आकृति/स्वरूप, आकार /आकृतिः/दरादा, दृच्छा	
आ . ऊ	/काल/समय /कूलः/किनारा	/आलान/गज वन्धन /आलून/विच्छिन्न	/घा/धारण करना /घृः/जुआ
अ : उ	/कचः/वाल /कृच/स्तन	/लगड/प्रिय, सुन्दर /लगुड/डंडा	/कटः/चटाई /कटु/कड़वा, तीक्ष्ण
ओ . औ	/कोल/मुअर एकजाती /कौल/शाक्त मतानुयायी कौश/रिशमी, कुशा का	/कोजः/म्यान, खजाना	

4. अघ्र/पश्च स्वरो के तुलनीय विरोधी युग्म

अ : उ	/अपहार/चुराना /उपहार/भेंट	/लगड/सुन्दर, प्रिय /समुड/डंडा	/केलः/धर, मकान /केतुः/शङ्का
-------	------------------------------	----------------------------------	--------------------------------

अ - इ	/अन्ध/अघा /इधः/ईधन	/अनल/अग्नि /अनिल/वायु	/रवः/शब्द, बोलाहल /रवि/सूर्य
अ ई	/अग्नि/अत्यधिक /ईति/देवी विपत्ति	/कशः/कोड़ा /कोश/बन्दर	/रघः/रघ /रथी/सारथी
ई उ	/आहितः/स्थापित /आहुतः/हवन किया गया	/ऋति/सिना /ऋतु/मोमम	/रटि/रुमर /रटु/रडवा
ई उ	/शीश/यन्दर /कुश/एक घाग	/आशीः/विप, फण /आशु/शीघ्र	
ई : ऊ	/उद्गीर्णः/उगला हुआ /उद्गूर्णं/उन्नत	/धी/बुद्धि /धू/त्रुआ	
ई : आ	/लोन्दा/त्रीडा, विलास /लाता/लार	/शीरः/तोता /कारा/जिल	/आशीः/फण, विप /आशा/आशा
इ : आ	/इभ/हाथी /आभा/प्रकाश, तेज	/तिन/तिस /तान/ताड़	/गिरि/पर्वत /गिरा/वाणी
इ ऋ	/ऋतु/मोमम /रिपु/गन्तु	/अमृत/अमृत /अमित/अमीम	/इति/बायें /शीति/यश
अ : ए—	/अध/नीचे /एधः/ईधन	/ऋत/सरय /ऋते/बिना	/इत/किया हुआ /इते/लिए
ए : ओ—	/एव/एक /ओव/पर	/प्रेत/मृत /प्रेत/प्रपित	/सन्देह/सन्देह /सन्दोहः/समूह, डेर

वितरण—मन्वृत की स्वर ध्वनियों का वितरण निम्न उदाहरणों में देखा जा सकता है।

आदि	मध्य	अन्त
/अ/—/अघ/आत्र	/मकर/मगरमच्छ	/मधुर/मीठा
/आ/—/आघ/आरम्भक	/आहार/भोजन	/गुहा/गुफा
/इ/—/इध/गन्ता	/गहिता/नदी	/रवि/रवि
/ई/—/ईधर/ईधर	/परीक्षा/परीक्षा	/नदी/नदी
/उ/—/उत्तमम्/उत्तम	/कृमुद/एक पुष्प	/भानु/सूर्य
/ऊ/—/ऊर्जा/शक्ति	/उमृष/उमृषु	/सू/सूर्य
/ऋ/—/ऋतु/मोमम	/अमृत/अमृत	/नू/मनुष्य
/म्/—/मृत्/मृत्/पूर्णता	/कृमुत्/कृमुत्/शक्ति	/सम्/सम्
/ए/—/एव/एक	/नरेण/नरेण	/ऋते/बिना, अवेदि
/ऐ/—/ऐश्वर्य/विभूति	/वैतनेय/गङ्गा	/ऐ/ताम्पति

/ओ/—/ओक/घर	/अनोकह्/वायु	/गो:/गायः, बैल
/ओ/—/ओत्सुक्पम्/उत्सुकता	/जलोप:/बाढ़	/घो/आकाश
	/विडोवा/इन्द्र	/नौ/नाव

स्वर ध्वनियों के उपर्युक्त वितरण से संस्कृत की स्वनिम प्रक्रिया के सम्बन्ध में जो महत्वपूर्ण तथ्य सामने आये हैं वे ये हैं कि इसमें लृ से किसी शब्द का प्रारम्भ नहीं होता और न यह ध्वनि बलुप् धातु मूल अथवा उससे निर्मित शब्दों के अतिरिक्त और किसी शब्द में प्रयुक्त होती है।

पदान्त में सन्ध्यक्षरो—ए, ऐ, ओ, औ, की स्थिति केवल एकाक्षरी शब्दों में ही पायी जाती है। बहुक्षरी पदों में ये केवल विभक्ति प्रत्ययो तथा अव्ययों के योग में ही पाये जाते हैं।

स्वरानुक्रम—संस्कृत में विशेषकर लौकिक संस्कृत में सन्धि नियमों की कठोर व्यवस्था के कारण किसी कोशीय शब्द में स्वरानुक्रम की स्थिति नहीं पायी जाती। सम्पूर्ण शब्द कोष में वैदिक परम्परा से प्राप्त एक मात्र /उतउ/ 'छलनी' शब्द है जिसमें कि अ-उ स्वरो का क्रम उलट है। इसके अतिरिक्त एक अन्य स्थिति जिसमें स्वरानुक्रम की स्थिति सम्भव है, वह है 'प्रकृतिभाव सन्धि' जिसमें कि अ, ई, उ ऊ, ष कोई स्वर प्रयुक्त हो सकता है।

स्वर ध्वनियों का मुक्त विकल्पन

लिप्यंकन के आधार पर संस्कृत के शब्द कोशों में सकलित शब्दों का स्वन प्रक्रियात्मक विश्लेषण करने पर यह भी देखा जाता है कि इसमें विशुद्ध रूप से स्वनिमोय स्तर पर स्वरगत विरोध केवल मूल स्वरो अर्थात् अ, इ, उ, ऋ, ए, ओ, में ही था। स्वरो की दीर्घता तथा सन्ध्यक्षरता उपस्वनिक तथा वैकल्पिक थी। इसका कारण स्थानगत उच्चारणात्मक विभेद भी हो सकता है। संस्कृत की स्वर ध्वनियों के इस ध्वन्यात्मक पक्ष का निरूपण निम्न लिखित उदाहरणों द्वारा किया जा सकता है।

अ/आ—निगरः/निगारः, निगतः/निगतः 'निगरण', निगद/निगाद कथन, निखण्ड/निखांब: धारा, प्रवाह, निस्वनः/निस्वानः ध्वनि, छपः/छागः, छगितः/छागतः बकरी, परिभवः/परिभावः अपमान आदि।

इ/ई—निहार, नौहार घृष, निकारः/नीकारः राशि, ढेर, परिधानं/परीधानं वस्त्र, पहनावा, परिचारः/परीचारः बुराई, बदनामी छलिनः/छलीन लगाम, युवतिः/युवती युवा स्त्री, रात्रिः/रात्री रात, षष्टिः/षष्टी साठी, वीषिः/वीषी आदि।

उ/ऊ—संभु/संभू छंदसा, षपुः/षपू वधू, करेणु/करेणु हथिनी, बन्धुरः/बन्धूर

सुन्दर, उन्नतावनत, जम्बुकः/जम्बूकः तिवार, हनुमान्/हनुमान् बड़े जबड़ो वाला आदि ।

ई/ए—महोत्सा/महेत्सा महिला, नारी, सीधनं/सेधनम् सीना, सीधनी/सेधनी मुई, स्थितः/श्वेत सफेद, दिप्या/वैश्या, स्वशीघ/स्वलेय भानजा ।

ओ/औ—क्षोभः/क्षीम रेशमी वस्त्र, क्षीणि/क्षीणि पृथ्वी, ओघः/ओघः बाड़, धोर/धौर धोर, धोषण/धोषण तीक्ष्ण स्वाद, ओषधि/औषधि दवा, जटोबूटो, ओष्णं/औष्णं गर्मी, उष्णता ।

शब्द की आदि स्थिति में ऐ तथा ओ केवल सरचक प्रत्ययों के योग में इ/ई तथा ऊ/ऊ के बुद्धिगत रूपों में ही पाये जाते हैं तथा ए तथा ओ के साथ इतके शुद्ध स्वनिमित्त विरोध भी बटिनाई में ही पाये जाते हैं । मूल शब्दों में ऐ, ओ की स्थिति नगण्य है । गज्ञा पदों अथवा द्विधा पदों की रूप रचना में भी ऐ धन, गं गाना आदि मूलों में ऐ स्वर के स्थान पर आ हो जाता है ।

व्यंजन स्वनिमों के तुलनीय विरोधी युग्म

संस्कृत में व्यंजन स्वनिमों की रूपावना उनके उच्चारण स्थान तथा उच्चारण प्रक्रिया से सम्बद्ध विरोधी युग्मों के आधार पर की जा सकती है । इसके अतिरिक्त स्पृशं व्यंजनों में यह विरोध घोषत्व की स्थिति तथा उसके अभाव एवं महाप्राणता की स्थिति तथा उसके अभाव के रूप में भी पाया जाता है । इनके इन तुलनीय विरोधों को निम्नलिखित युग्मों के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है ।

(अ) स्पर्श व्यंजनों के तुलनीय विरोधी युग्म—घोष : अघोष

क	ग—/गण/गण /गण/गमूह /गनि/गितने /गनि/गान	/आकार/आकार /आगार/घर /निकरः/गमूह /निगरः/निगरण	/नाकः/स्वर्ग भोग /नाग/गर्ग /रंर/निघ्नं, भिद्योगे /रंग/रग
ख	ग—/गल/गलं /गन्तः/गन्ता	/नगरः/नग्रा /नगरम्/नहर	/नग/नग्न /नगः/नर्ग
घ	घ—/घृतम्/घृतम् /घृतम्/घो /घट/घटाई /घट/घटा	/कचंर/गन्त, /घषंर/अस्पष्ट ध्वनि /भारंरंण/घोषता /भारंरंण/रगङ्गता	/अर्घं/गुर्घं /धर्घं/गुम्घ /भ्रंघ/घर, नरघ /भाघ/बाइ
ङ	घ—/घोर/नगडा /घोर/अघर	/भ्राघान/गाहो /भाघान/घोट	

च	ज—/वय/डेर /जय/विजय /चातक/एकपक्षी /जातक/शिथु	/चर्चरीक/धुधराले बाल /जर्जरीक/पुराना, तीर्ण /अर्चनम्/पूजा /अर्जनम्/कमाई	/कुच/स्तन /कुज/मंगलग्रह /याचु/मांगना /याजु/यज्ञ करना
छ	ज—/छलम्/छल, धोखा /जलम्/पानी	/उच्छासन/उदृण्ड /उज्जासन/हत्या	/छागल/वकरी /जागल/उजाड भूमि
ट	ड—/नट/नतंक /नड/नरकुल घास	/नाटिका/नाटिका /नाडिका/नाड़ी	/निकट/नजूदीक /निगाड/विही, जंजीर
ठ	ढ—/माठ/पप, मागं /माड/वजन, माप	/कुठ/कुठित, अतीक्षण /कुंड/गडडा, एकपात्र	
ठ	ढ—/ठक्कर:/ठाकुरजी /ढक्का/नगाडा	/शाठ्यम्/धूर्तता /आठ्यम्/धन, सम्पत्ति	
त	द—/तरी/नाव /दरी/गुफा /तृप्त/सन्तुष्ट /दृप्त./धर्मही	/नर्तनम्/नाचना, /नर्दनम्/दहाड़ना /पतग./रक्षी /पदग:/पदाति	/सूत/सारथी /सूद./रसोइया /कुन्त./भाला /कुन्द./एक पुष्प
प	द—/यथा/जंमे /यदा/जब /रथ:/रथ /रद/दांत	/मथन/मन्यन /मदन/कामदेव /कथा/कहानी /कदा/कब	/आथं/अर्थ सम्बन्धी /आर्द्र:/गोला /मथ/मथना /मद्/नशे मे होना
न	ध—/नरणि/सुयं /धरणि/पृथ्वी	/वित्त/सम्पत्ति /विद्ध/घायल	/वर्तमान:/विद्यमान /वधंमान/बढ़ता हुआ
थ	ध—/अयं/धन, सम्पत्ति /अधं/आधा	/मन्धन/मंथन /बन्धन/बंधन	/व्यय/पीछे पहुँचाना /व्यध/बीधना
प	ब—/पलम्/मास /बलम्/शक्ति /पलल/राक्षस /बलल/इन्द्र	/पालक/रथक /बालक/बच्चा /आलाप/बातचीत /आलावु/कद्दू	/पंडित:/विद्वान् /बंडित/बंटा हुआ /कम्प/कापना /कम्ब/चलना
फ	ब—/फाल/हल का भाग /वाल/वालक	/फलम्/फल /बलम्/शक्ति	/अफला/फलहीन रूपी /अबला/स्त्री
प	भ—/भट्ट./रिशमी वस्त्र /भट्ट/स्वामी	/पूत/पवित्र /भूत/व्यतीत	/लपु/बोलना /लभु/प्राप्त करना

(आ) स्पर्श व्यंजनों के तुलनीय विरोधी युग्म—अल्पप्राण : महाप्राण

क	च—/कर /हाय, किरण /कर /तीक्ष्ण, गधा	/आकर/धान /आकर/कावट्टा	/नाक /स्वर्गसोक /नच /नायून
ग	घ—/गृष्टि /एकवार प्रसूता गो	/आगूरण/गुप्त संकेत /घृष्टि /सूअर	/अग /पवंत /अघ /वाप
		/गंगर /भवर, आवतं	/गग/सगम
		/घुण /एककोट	/मघ /समूह
ख	छ—/चल /असिधर /छल /धोधा	/चिति /डिर, इकट्ट /छिति /बाटना	/कच/बाल /कच्छ /विनारा, तट
ज	झ—/जंजर/जीर्ण, फटित /झंजर /मजीर, झाझ	/निजंर /दिवता /निझंर /झरना	
ट	ठ—/कट /कटाई /कठ /एक श्रृषि	/कटि /साठ /कट्टी /कट्टी तिथि	/पाट/बीरना /पाटु/पढ़ाना
ड	ढ—/पड/मांड, नपुंसक /पड /नपुंसक व्यक्ति	/पोडण/सोसह /सोड /सहन किया	
त	थ—/स्तेय /बौरहायं /स्तेय /सिधर, निर्घाषक	/अपत्यम्/मन्तति /अपध्यम्/कुपध्य	/उत्तन/कथित /उत्तय /वत्त
	/तासो/नाट, बृध	/उत्तान/उध्वंमुग्ध	/पोत /पीसा
	/स्थानी/बटलोई	/उत्पान/ऊपर उठना	/पीष /सूयं, अग्नि
द	ध—/धारा/पल्लो /धारा/धारा /दा/दिना /धा/रचना	/आदि/प्रारम्भ /आधि /मानसिकरोग /विधुर /बुद्धिमानो /विधुर /विषोषी, ध्यपित	/स्कन्ध /बानिदेय /स्कन्ध/शाघा, बन्धा /रधु/रोना /धध/रोरना
प	फ—/पनम्/मात /पनम्/पन /पन/पन /पन/पन	/परिन /पका, बुद्ध /पनिन/पला हुमा /पानि /हाय /पानि /एक भोग्य पदार्थ	/गप/गाप /गप /गुर, गुम /गुप/रहाय करना /गुप/गचना

ब	भ—/बग/बगाल प्रदेश /भग/टूटना, तरंग	/आलम्बनम्/सहारा /आलम्बनम्/मारना	/अम्ब/एक अव्यय /अम्भ/जल
---	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------

(ई) नासिक्य ध्वनियों के तुलनीय विरोधी युग्म

म	न—/मघ/पत्र /नख/नाखून /मग/मार्ग /नग/पहाड़	/अमल/निर्मल /अनल/अग्नि /शामि/एक वृक्ष /शनि/एक ग्रह	/आयानम्/जाना, पहुँच /आयामम्/विस्तार
म	ण—/कण/काल /कम/काम	/होम/हवन /हूण/एक बवंर जाति	/रम्/शब्द करना /रम्/आनन्द लेना
म	न—/मद/नशा /नद/नदी /मी/मापना /नी/लि जाना	/नार/बछड़ा, पानी /मार/कामदेव	/अहम्/मैं /अहन्/दिन /उद्दाम-/मस्त असयत /उद्दातम्/बन्धन, आनमन

म	ञ—/निम्/झुकना /नञ्/निषेधाधिक अव्यय
---	---------------------------------------

न	ण—/लवणम्/फसल काटना /लवणम्/नमक	/पनस/कटहल /पणस-/विक्रयणीय
---	----------------------------------	------------------------------

(ई) अन्तस्थ ध्वनियों के तुलनीय विरोधी युग्म

र	ल—/रय/विग /लय/विलय /रक्षक-/रक्षक /लक्षक/संकेतक	/परित/चारो ओर /पलित/पका, वृद्ध /अरि/शत्रु /अलि/ध्रमर	/खर:/गधा /खल/डुप्ट /मुकुर-/शीशा /मुकुल/कुङ्कुमल
य	व—/याम:/प्रहर /वाम/बाया /या/जाना /वा/बहना (हवा)	/इप्य:/वसन्त ऋतु /इष्व/एक धार्मिक गुरु /आश्रय:/स्थान, सहारा /आश्रव/वायदा	/रय/विग /रव./शब्द, ध्वनि /हय:/घोड़ा /हव:/यज्ञ, प्रार्थना
य	र—/यम्/बाधना /रम्/आनन्द लेना /यति/सयमी	/याम./प्रहर /राम/दागरभी /यामा/रात्रि	/हय/घोड़ा /हर/शिव /वय/उम्र

	/रति/अनुराग	/रामा/स्त्री	/वर/ध्रियेष्ट
य	त—/यथा/एक देवजाति	/हय/घोड़ा	/कायः/शरीर
	/सः/साध	/हल/हन	/काल/समय
र	व—/रच्/बनाना	/अदि/भिड़	/शर/बाण
	/वच्/बोलना	/अरि/बात्रु	/शव/मुर्दा

(ई) वन्त्य तथा मूर्ध्य ध्वनियों के तुलनीय विरोधी युग्म

त	ट—/मिनु/पुल	/निर्घान/बरवादी	/उत्पत/परी
	/मिट/तरबूज	/निपट/मूचोपत्र	/उत्पट/वृष की रग, राल,
	/तक/भय, कष्ट	/घात./घोट	
	/टक/छिनी	/घाट/उत्तरण स्थल, कठ	/वात्/गिरना /पाट/घोरना
न	ड—/कान्त/प्रिय	/अनिग/नीलगामी	/दन्त/दांत
	/कान्ठ/कुम्भाम	/अडिग/स्थिर	/दण्ड/ठंडा
द	ढ—/तुदिल/नोडवाला	/विदार/बोरना	/कुद्/चमेली
	/तुदिल/बागूनी, मूठवाला	/दिहाल/बिल्वा,	/कुद्/गद्/हा

(उ) ओष्ठ्य तथा द्वयोष्ठ्य ध्वनियों में तुलनीय विरोधी युग्म

प	ब—/पा/स्था करना	/सर्ब/साप	/शर/शाप
	/दा/बहना	/सर्भ/साध	/शव/मुर्दा
ब	म—/निर्बेद/ग्नानि, भेद	/बन्तव/गवाला	/गर्व/घमर
	/निर्भेद/पटना,	/बन्तभ./प्रिय	/गर्भ/गर्भ
	पटना		
व	भ—/निर्बाग, मृत्यु मोच	/पव/जी	
	/निर्माण/बनाना	/यव/सयम, धमराज	
भ	म—/लोभ/दुःख	/भरणम्/पोषण	/भी/हरना
	/लोभ/रिक्तगी	/भरणम्/मृत्यु	/भी/मारना

(ऊ) ऊष्म ध्वनियों के तुलनीय विरोधी युग्म

ष : प—	/निकाश/नैकट्य	/अवमर्श/स्पर्श, मध्यकं
	/निकाप/खुरचना, रगड़ना	/अवमर्ष/छानघोन, विचारणा
श . स—/शर्वं/शिव	/विनाश/वरवादी	/अभ्याश/निकट
	/सर्वं/मब	/अभ्यास/आवृत्ति
	/शार/चितकद्वारा	/वशा/न्री, पत्नी
	/सार/निचोड़, तत्त्व	/वसा/चर्वा
स : प—	/निकास./नैकट्य	/मस/तोलना
	/निकाप/खुरचना रगड़ना	/मप/भारना, चोट करना
		/मास./महीना
		/मापः/उड़द (दात)
स . ह—/सार/निचोड़, तत्त्व	/आवास/मकान, घर	
	/हार/माला, हार	/आवाह/विवाह करना
	/असि/तलवार	/असित/काला
	/अहि/सर्प	/अहित/हानिकर

(ए) सघोष ऊष्म तथा सघोष महाप्राण स्पर्शों में तुलनीय व्यतिरेक

ह/प—/अहं/योग्य;/अर्ध/आधा,/बर्ह/मोर,/वर्ध/बढ़ना,/अहस्/पाप,/अघस्/
भोजन

ह : ढ—/निर्व्यूढ/पूर्ण, वृद्ध,/निर्व्यूह/बुजं, चोटी,/वाढ/हा./वाहः/वाहक

ह : घ—/अह/दिन;/अघः/पाप./हट्ट/बाजार/घट्ट/घाट

इ, ऊ की स्वनिमिक स्थिति : लौकिक संस्कृत की व्यजन ध्वनियों के वितरण तथा संस्कृत शब्द कोशों की प्रवृष्टियों के परीक्षण से स्पष्ट होता है कि इस भाषा में कोई भी शब्द ऐसा नहीं जो कि इ, ऊ, अथवा ण् से प्रारम्भ होता हो। इनमें से णकार से प्रारम्भ होने वाले कतिपय धातुमूल अवश्य हैं, किन्तु रूप रचना के स्तर पर वे सभी नकार में परिवर्तित हो जाते हैं।

इसी प्रकार नासिक्य व्यजनों के तुलनीय विरोधी युग्मों के प्रसंग में भी हम देखते हैं कि णकार का तो अनाद्य स्थिति में मकार तथा नकार से व्यतिरेक सिद्ध होता है किन्तु डकार तथा ङकार का किसी भी नासिक्य व्यजन के साथ विरोध दिखाई नहीं देता।

इसके अनिश्चित शिष्ट, द्विष्ट जैसे पारिभाषिक शब्दों को छोड़कर लौकिक मसूत में ये किसी अक्षर के उपांश (onglide) के रूप में भी नहीं आते। अतः विवरणान्मक भाषाविज्ञान की दृष्टि में लौकिक मसूत में इन्हें स्वनिम का दर्जा नहीं दिया जा सकता, इनके विवरणान्मक विश्लेषण के आधार पर इन्हें मकार के मसूतों के रूप में स्वीकार किया जा सकता है।

ध्वंजन स्वनिमों का मुक्त विकल्पन—स्वर ध्वनियों के समान ही व्यंजन ध्वनियों में भी मुक्त विकल्पन की स्थिति अनेक रूपों में पायी जाती है। इनमें से कनिपय ध्वनियों का विकल्पन तो प्राचीन काल में ही इतना व्यापक था कि पाणिनि आदि भाषाचार्यों को उसका निर्देश अपने विश्लेषणों में करना पड़ा था, यथा—रसयोरभेदः, इतयोरभेदः आदि। इन व्यत्ययों के कनिपय उदाहरण इस प्रकार हैं—

र/न—रेला/तेला पत्ति, रेध्या; नारिकेर/नारिकेल नारियल।

कुम्भोरक/कुम्भोलकः चोर, करभ/बलभः हाथी या ऊट का बच्चा।

घरु/घल्—चलना, क्रन्द/बलन्द रोना, इरा/इता पृथ्वी, बाणी।

द/ल—जड़/जल मन्द, गोनल; अगल/अगळ/अगला, घूला/घूला छोटी; सगुल/सगुल डडा; लोल/लोल सगडा।

ब/ब—बक/बकः बगुला, बहल/बहल घना, अन्यधिक, बन्धुर/बन्धुर उन्नतावनन, गुन्दर, (अधिक उदाहरणों के लिए देखो शर्मा, 1983)

ग/घ/गु—मुनासीरः/मुनासीरः इन्द्र, पांगुः/पांगु धूलि, मतो/मथे कालिघ, शोतः/शोतः गजाना, वेग/वेग घर, वेज, पेशल/पेशल/पेशल कांमल, पिकना आदि। (अधि य दे शर्मा 1983)

घोष-अधोष अथवा तद्विपरीतः गुहाल/गुहाल/गुहाल/गुहाल सिपार, रिखणं/रिखणम् रेगना, टंखणम्/टंखणम् गुहागा, कपाट/कपाट. बिवाङ्क, तदक./तदकः तागाब, कन्दुर/गन्दुर गैद, बाकः/बाग बोवा आदि।

अलग्नाय महाप्रानः अथवा तद्विपरीत—यंङ/यंङ जनया, केसिः/सेसि गेल, पुष्कण/कुष्कण केरुड़े, तिन्धुवारः/तिन्धुवार निम्बुंठी, करंङ/करंङ एक प्रकार का भाजन, आदि। इसके अनिश्चित और भी अनेक प्रकार के व्यंजन स्वरयय दंगे जाते हैं। इस सम्बन्ध में विशेष विवरण के लिए देखिए संख्य बा मोघ पत्र 'जनभाषा के रूप में मसूत का प्रयोग तथा 'इसके वैभाषिक रूप' (हरिद्वारा, मासिक्य अकादमी, चण्डीगढ़, 1983)

व्यंजन वितरण—संस्कृत स्वनिम प्रक्रिया में व्यंजनो का वितरण इस रूप में पाया जाता है—

- /क/—/कर/हाथ, /ककुम्/दिशा, /उदक्/ऊपर, /तिर्यक्/पक्षी, /दिक्/दिशा
 /ख/—/खर/तीक्ष्ण, /शिखर/चोटी, /नख/नाखून, /लिख/लिखना
 /ग/—/गज/हाथी, /गगनम्/आकाश, /दृग्/आख, /मृग्/खोजना
 /घ/—/घट/घड़ा, /घर्ष/घरघराहट, /सघ/लांपना
 /च/—/चुचु/चोच, /चचरीक/भ्रमर, /पयोमुच/मेष, /पच/पकाना
 /छ/—/छाया/छाया, /छछुदर/छछुदर, /अच्छः/निर्मल/मूच्छं/बिहोष होना
 /ज/—/जलम्/पानी, /जर्जर/पुराना, जीर्ण, /सज्ज/माला, /यज्ज/पन्न करना
 /झ/—/झकार/झंकार, /झका/तूपाने, /निर्झर/झरना, /उज्ज्/त्यागना
 /ट/—/टक/छिनी/टिटिम/टिटोहरी, /त्विट्/प्रकाश, /स्पुट्/छिलना/ फूटना
 /ठ/—/ठक्कुर/मूर्ति, /निष्ठुर/निर्दयी, /शठ/धूतं/गुठ/लपेटना, घेरना
 /ड/—/डिडिम/एक ढोल, /दाडिम/अनार, /मूड्/शिव, /तड्/पीटना
 /ढ/—/ढक्का/एक बड़ा ढोल, /वाढम्/हां, /मूढ्/चकित, /दृढ्/मजबूत
 /ण/—/वाण/तीर, /गणिका/विश्या, /गण्/गिनना
 /त/—/तक्कम्/छाछ, /वितानम्/चदोवा, /गच्छ/पख, /पत्/गिरना
 /थ/—/थक्कार/थू करना, /न्यथा/पीड़ा, /रथ/रथ, /व्यथ्/पीड़ा पहुचाना
 /द्/—/दधि/दही, /दर्दुर/मेढक, /ककुद्/चोटी, /छद्/ढकना
 /ध/—/धनम्/धन, /धुरधर/शक्तिमान्/समिध, /कृध्/क्रोध करना
 /न/—/नगः/पर्वत, /जननी/मा, /अहन/दिन, /जन्/पैदा होना
 /प/—/पट्/बस्त्र, /परस्पर/आपस में, /अप/पानी, /लप्/बोलना
 /फ/—/फलम्/फल, /निष्फलम्/निष्फल, /गुम्फ्/गूथना
 /ब/—/बालः/बालक, /शबल/चितकबरा, /लम्बु/लटकना
 /भ/—/भगिनी/बहिन, /बुमुक्षा/मूख, /ककुम्/दिशा, /लम्/प्राप्त करना
 /म/—/मख/यज्ञ, /भ्रमरः/भौरा/अलम्/काफी, /भ्रम्/धूमना
 /य/—/यशः/यश, /प्रवज्या/सन्यास, /जय/विजय, /लय/जाना
 /र/—/रसास/आम, /सरसः/रसीला, /गिरि/पर्वत, /चुर/चुराना
 /ल्/—/लघु/छोटा, /लालनम्/प्यार करना, /हलः/हल, /ज्वल्/जलना
 /व/—/वश/बास, /यवः/जौ, /दिव/आकाश, /दिव्/खिलना
 /श/—/शकुनि/पक्षी, /श्वशुरः/ससुर, /शशः/खरगोश, /विश्/प्रवेश करना
 /प्/—/पोडश/सोलह, /दृपद्/पत्थर, /विप/विप, /द्विप्/द्वेष करना
 /स्/—/सत्यम्/सच, /सारसः/सारस पक्षी, /वस्/रहना
 /ह/—/ह्य/घोडा, /वाहनम्/सवारी, /उपातह्/जूता, /वह्/ले जाना, उठाना

व्यंजनो के उपर्युक्त स्वनिम वितरण के परिणाम स्वरूप जो बतिपय दृष्टिकर तथ्य सामने आये हैं वे इस प्रकार हैं (1) व्यंजनो मे अन्त होने वाले शब्द मूलो की मध्या अन्त ही सीमित है तथा इस अवस्थिति मे आ मबने वाले व्यंजनो मे प्रमुच्य है अल्पप्राण स्पर्श, नासिक्य, अन्तस्थ तथा सोष्म । इस अवस्थिति मे घटित होने वाले प्रमुख व्यंजन हैं क् (दिक्, उदक्), इ (प्राइ, उदइ), च् (वाच्, पयोमुच्), ज् (सज्, ऋत्विज्), ट/ड् (सम्राट्/सम्राड्, पट्) ण् (मुगण), त् (मरत्, सरित्), प (अग्निमप्), द् (मुहद्, दृषद्) घ् (समिघ्, बुघ्), न् (मघवन्, राजन्), प् (गुप्), भ् (बकुभ्), म् (विम्, जयम्), र् (ध्रुर्, गिर्), ल् (बमल् वेवल ध्याकरण मे व् (दिव्), श् (विश्, दिश्, तादृश्), ष् (रत्नमुष्) स् (चन्द्रमस् मनस्), ह् (उपानह्, मधुलिह्) । महाप्राण व्यंजनो मे केवल घ् और भ् ही इस स्थिति मे देखे गये है तथा सम्पूर्ण शब्द कोत्र मे ऐसे शब्दो की मध्या 5 से भी कम है । अन्तस्थो मे भी परान्त शब्दो का सर्वथा मभाव देखा गया है तथा सोष्मो मे यदि धनुस्/धनुष् को पकारान्त न माना जाय तो अन्य कोई पकारान्त शब्द दृष्टि गोचर नही होता ।

आवृत्ति की दृष्टि से भी ङ, ट, ठ, ड, ढ, तथा घ मे प्रारम्भ होने वाली शब्दो की मध्या अगुनि परिगणनीय है । इस दृष्टि से अप्रणी है—क; त, न, थ, स । इनके बाद के त्रम मे आते हैं अपोप अत्प्राण, घोप अत्प्राण, ऊष्म तथा अन्तरप ।

उप-स्वनिमात्मक विवेचन

जैसा कि पीछे बताया गया है कि स्वनिम एक कात्पनिक इकाई है जो कि उसकी परिधि में आने वाली अनेक ध्वनियों का प्रतिनिधित्व करती है। यदिकचित् अन्तर के साथ शब्द की विभिन्न अवस्थितियों अथवा तत्रस्य विभिन्न ध्वनियों के परिवेशों में प्राप्त होने वाले उसके रूपों को उसकी सध्वनिया कहा जाता है। यो तो किसी स्वनिम की अनन्त सध्वनियों हो सकती है किन्तु उसके कतिपय रूप ऐसे भी होते हैं जिन्हें कि उनके परिवेशों की पृष्ठ भूमियों में पूर्वानुमेय बनाया जा सकता है। इस प्रकार पाये जाने वाले ये सस्वन परिपूरक वितरण में भी हो सकते हैं तथा मुक्त वितरण में भी। इनमें कुछ का निरूपण निम्न रूपों में किया जा सकता है।

परिपूरक वितरण

वैदिक मस्कृत में कतिपय स्वनिम तथा उनके सस्वन ऐसे थे जो कि परिपूरक वितरण में घटित होते थे। इनमें से कुछ का विवरण इस प्रकार है /ल/~/ळ/—

वैदिक भाषा में स्वनिम /ल/ की एक महत्वपूर्ण संघ्वनि थी /ळ/ तथा उस की अनुरूप महाप्राण ध्वनि थी /ळ्ह/, ये /ल/ के प्रतिवैष्टित रूप थे तथा इनका उच्चारण आधुनिक भाषाओं की उन्दिष्ट प्रतिवैष्टित ध्वनियों /ड/ तथा /ड़/ के समान हुआ करता था, क्योंकि इनके उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग उलट कर बढोर तालु को छूकर षटके के माप नीचे बगे उतरता था। ये ध्वनियां /ल/ तथा /ळ्ह/ के माप परिपूरक वितरण में घटित होती थी जो कि इस प्रकार था। मध्वनि /ळ/ तथा उसको अनुरूपी महाप्राण ध्वनि /ळ्ह/ स्वरान्तवर्ती स्थिति में तथा /ल/ अन्यत्र घटित होती थी, यथा /लिङि/, किन्तु /मीळे/, यथा अग्निमीळे पुरोहितम्।

उल्लेख्य है कि लौकिक मस्कृत तब आते आते यह पूर्णतः /ड/ के रूप में विकसित हो गया था तथा /ल/ के माप मुक्त वितरण में आने लगा था, यथा नासिकेर/नाङिकेर (नारियल), लगुल/लगुड डडा, कुहेलिका/कुहेडिका धुध, जल/जड मन्द, शोतल, अर्ल/अर्गड अर्गला, घूला/चूटा मिठा।

/व/ / /व्व/ वैदिक भाषा में अन्तम्य /व/ की दो मध्वनियां थी, एक /व/ तथा दूसरी/ /व्व/। इनका वितरण इस प्रकार का था—

/व्व/ की मध्वनि /व्व/, जो दन्तोष्ठ थी, लक्ष्य के प्रारम्भ में बोली जाती थी, इसे वकार का गुरु रूप कहा गया है।¹ इस प्रकार के उच्चारण का सम्बन्ध मुख्य रूप में यजुर्वेद की भाषा के माप था। यथा इसके अनुगार सती विराडजायत विराजो अधिपुष्यः का उच्चारण [सती विराडजायत विराजो अधिपुष्यः] होता था, इसका यह रूप वैदिक मन्त्रों के लिप्यन्त में भी पाया जाता है।

/व/ ~ /व्व/—दो प्रकार वैदिक भाषा में /व/ की दो मध्वनियां थीं [व] तथा [व्व] जिनका वितरण इस प्रकार था—मध्वनि [व्व] पदादि में असमुक्त /व/ तथा पद-मध्य में व, र, ऋ, ण, ह, के माप समुक्त होने पर,² उदाहरणार्थ, वैदिक मन्त्रों वद्भूतं वक्ष भाष्यम् तथा सूयं आग्ना अगतयुवश्च ये व का उच्चारण व के समान होने के कारण इन्हें जद्भूतं वक्ष भाष्यम् तथा सूयं आग्ना अगतयुवश्च के रूप में किया जाता था। यजुर्वेदीय परम्परा में इनका उच्चारण अभी भी इसी रूप में होता है,³ तथा /व/ मध्वनि अन्यत्र प्रमुक्त हुआ करती थी।

1 गृध्वंवारो वित्तोः परादो घटितो भवेत्।

2 परादो वित्तमानस्य ऋमंशुक्तस्य माप व।

आदेगो हि वकारः स्यात् समुक्त तन् हरणेन तु ॥ माध्य० शि० 2.3-5

3 किन्तु वार प्रा०. स्वरान्तवर्ती व का भी उच्चारण व व्व करने का विधान करना है। स्वरान्त स्वर परे समानस्वर जायम् न तु व्वकारे ॥ वा. ज. प्रा. 1. 164

/प/ ~ /ख/ मूह्यं पकार की भी दो सध्वनिया थी एक /प/ तथा दूसरी /ख/। इनका वितरण इस प्रकार था—सध्वनि /प/ का उच्चारण वर्गीय स्पर्शों से संयुक्त होने की स्थिति में तथा मध्वनि /ख/ का उच्चारण अन्यत्र किया जाता था।¹ यजुर्वेदीय परम्परा में इन दोनों ही सध्वनियों का इसी रूप में प्रयोग अभी भी बराबर किया जाता है। इनके उदाहरणों के लिए देखिए ऊपर व तथा ख के सन्धर्म में दिए गये उदाहरण (इसके अनुसार यजुर्वेद के प्रसिद्ध मन्त्र सहस्र शीर्षा पुष्टयः का उच्चारण होता है—सहस्र शीरेखा पुखः।

[ल]~[लृ]·स्वनिम/स/ की दो सध्वनिया थी एक स्वरात्मक तथा दूसरी व्यजनात्मक। भारद्वाज शिक्षा के अनुसार पद के आदि तथा अन्त में लृ व्यजन ही होता था किन्तु पद के मध्य में यह स्वर हो सकता था, यथा बलुप्त में।²

/र/[ऋ]—इसी प्रकार /र/ की भी दो सध्वनिया मानी गयी हैं। इनमें से एक व्यजनात्मक तथा दूसरी स्वरात्मक थी। “स्वर-व्यजन शिक्षा” में र के स्वरत्व तथा व्यजनत्व पर बड़े विस्तार के साथ विवेचन किया गया है (दे०, वर्मा, 1973 : 71-73)। इसके अनुसार जहा पर विसर्ग या तो/र/ से हुए हों या र में परिवर्तित हो, (ऋक् प्राति० 4 9) यथा प्रातरिन्द्रम् में अथवा जहां पर र से पूर्व आने वाले म् का अनुगार हो जाता है यथा होतारं रत्नघातमम् में, वहा पर भी यह व्यजन रहना है। किन्तु जब इससे पूर्व में अनुस्वार नहीं होना तो यह स्वरत्व अर्थात् /ऋ/ का बोधक होना है, यथा समुत्तुभिः में। इसी प्रकार सकार में परिवर्तित न हो सकने वाले विसर्गों के बाद आने वाला र भी स्वरत्व को प्राप्त हो जाता है।

इनके अतिरिक्त इसी शिक्षा के अन्त में र की एक तीसरी स्थिति भी स्वीकार की गयी है जिसे कि शिक्षाकार “सञ्चित रेफ” (सञ्चितो रेफः) कहता है। इसके अनुसार यह तब होता है जबकि र या ऋ में पूर्व में कोई व्यजन न हो और बाद में हो, यथा ऋञ्जु, ऋञ्जते, रिगादस्। तदनुसार संस्कृत शब्द में तो ऋ स्पष्ट रूप से स्वर है क्योंकि इससे पूर्व में व्यजन सयोग है किन्तु ऋञ्जु या ऋञ्जते आदि का ऋ एक “सञ्चित रेफ” है जोकि स्वरत्व तथा व्यजन के बीच दोषायमान है।

स्वनिम वितरण के अनुसार स्वनिम /म/ के भी तीन सस्वन वनते हैं—[म] [ङ]~[ञ]। परिपूरक वितरण में आने वाली इन नामिक्य ध्वनियों में प्रथम की स्थिति स्वनिमात्मक तथा अन्य दोनों की सस्वनात्मक बनती है। क्योंकि /म/ एक स्वनिम के रूप में शब्द की आदि, मध्य तथा अन्त्य सभी स्थितियों में आ सकता है तथा अन्य नामिक्य स्वनिमों, /न/ तथा /ण/ के साथ व्यतिरेकी वितरण भी

1. पकारस्य लकारस्योद्भूतयोने तु नो भवेत्। म. शि. 2.9
2. उदाहृतः बलुप्ताशब्दो न पञ्चाद्यन्तयो स्वरः ॥34।

हो सकता है, यथा—आप्नुवन् + पूर्वम् = [आप्नुवन्-पूर्वम्], सम्भृ + स्वन्ति = [सम्भृ-स्वन्ति], तत् + करोति = [तत्करोति], यापन् + हि = [यापन्-हि]। डा० वर्मा जी के अनुसार अन्त्य व्यंजनो का द्वित्वीकरण ध्वन्यात्मक दृष्टि में कठिनाता से ही सम्भव हो सकता है (दे. पृ 113)।

दीर्घ किये जा सकने वाले व्यंजन - "सोमनी शिशा" के अनुसार 21 व्यंजन ऐसे हैं जिन्हें द्वि दीर्घ किया जा सकता है।¹ ये हैं—5 अघोष अल्पप्राण स्पर्श, 5 घोष अल्पप्राण स्पर्श, 5 नासिक्य व्यंजन, 3 अन्तर्य (स्, स्र, श्र) तथा तीन सोम्य स्पर्श (श्र, पृ, श्र)। पञ्चतः "तस्य, अग्निः, सप्त, प्रोक्त, तीर्थः; सप्यते, सर्वाणि, मर्मणि, सूर्यः, विशाल्यो, रक्ष, आदि का उच्चारण प्रमण—तस्य, अग्नि, तेज्यः, सप्यतः, प्रोक्तः, तीर्थः, सप्यते, सर्वाणि, मर्मणि, सूर्यः, विशाल्यो, रक्ष आदि के रूप में होता था।

उच्चारण के अनुसार लिप्यकन बनने वाली वैदिक पाण्डुलिपियों एवं गुप्त-कालीन शिलालेखों का देखने से पता चलता है कि सामान्यतः प्रत्येक व्यंजन सयोग में लिखित रूप में भी उसके प्रथम वर्ण को द्वित्व कर दिया जाता था। यह द्वित्व केवल उन्हीं शब्द से सम्बन्धित अक्षर से पूर्व ही नहीं, अपितु किसी अन्य शब्द से पूर्व में भी कर दिया जाता था, यथा "अशिश्वतो-स्वार्द्धभ्याम्" "उपवधामि-भ्रातृभ्याम्", अर्थात् वाक् प्रवाह में पूरे वाक्यांश को ही एक दबाई समझ लिया जाता था।

संस्कृत उच्चारण में इस प्रकार का सर्वाधिक दीर्घीकरण/द्वित्व स्पर्श + र तथा महाप्राण व्यंजन + अन्तर्य के सयोग में होता था। इसमें अनिश्चित यह प्रवृत्ति र + स्पर्श के सयोग में भी सामान्यतया पायी जाती है, यथा—

स्पर्श + र	महाप्राण + अन्तर्य	र + स्पर्श
परार्द्धम्	अर्द्धयनम्	द्वयः
शिर्षम्	परार्द्धम्	दीर्घं—
उग्र—	अर्द्धयन	यगं—
अर्द्ध—	अर्द्धयन	मागंम्
नास्य शिवाभि	शोर्द्धयम्	रवर्द्धम्—

1 शिशा शब्द पृ० 930, संयोग. विः स्वररहितं प्राप्नोतीति शिबुर्द्धाः।

स-परान्त पराष्टोर्वा परभ्योऽपि सर्वत्र. ॥

उद्गु, वर्मा, पृ० 123

2 वर्माः शिशानिरेकारश्च यथा द्विर्भाव इष्यते।

प्रथमाग्यान्तीपारश्च यथा शब्दः सः। गि० ग०, पृ० 457.

पुत्रस्य	सेनाभ्य	भावज्जन—
तदबन्धुवन्	बाहुभ्याम्	विसर्जन—
सद्द्वेष्य	आङ्घ्र्य	महाग्धं
अभिमंकेभ्य	अग्ध्यम्	निज्झंरी
नम. प्रजाभ्यो	दंध्यम्	क्षज्झंरी—

किन्तु इसके अतिरिक्त अनेक ऐसे उदाहरण भी देखे जाते हैं जिनसे सिद्ध होता है कि अन्तस्थो के योग में सामान्यतया व्यंजनो का उच्चारण सामान्य से कुछ अधिक दीर्घता लिए हुए होता था जो कि लगभग द्वित्व के अथवा दीर्घीकृत रूप के ही निकट पहुँच जाता था, यथा—सर्वे धाम् [सर्वेषाम्], सर्वाणि [सर्वानि], सर्पि [सर्पि], ऊर्जेम्, [ऊर्जेन्] अघ्न [अघ्न], तप्यते [त्प्यते], नित्यम् [नित्यम्], सूर्यस्य = [सूर्यस्य], विद्यते [विद्यते], उज्ज्वल [उज्ज्वल], निर्मल [निर्मल], विश्वत [विश्वत.], पाशवं [पाशवं], जुगुप्सा [जुगुप्सा], नव्य [नव्य], स्नात्वा [स्नात्वा]। वस्तुतः संस्कृत के व्यंजन संयोगों में इस प्रकार के व्यंजन दीर्घता के उच्चारण का सम्बन्ध संस्कृत के अक्षरीकरण एवं अक्षर विभाजन के साथ है। डॉ० सिद्धेश्वर वर्मा जी ने अपने ग्रन्थ में इस समस्या पर विस्तार के साथ विचार किया है (देखो, पृ० 135—44)

अभिनिधानीकृत उपस्वन—अभिनिधान का सामान्य अर्थ है अपूर्ण उच्चारण (in complete articulation)। हमारे प्राचीन ध्वनिविज्ञानियों के अनुसार किसी अन्य स्पर्श या विराम से पूर्व में आने वाले स्पर्श या अन्तस्थ (र को छोड़कर) का उच्चारण दबा हुआ (पीड़ित) या अपूर्ण हुआ करता था। उदाहरणार्थ, अर्वाग्देवाः, धाभिः में दकार व भकार से पूर्व गकार का उच्चारण अस्पष्ट होता था। इसी प्रकार महद्भिः, महद्भ्याम् में भी भ् से पूर्व द् का उच्चारण अति शिथिल (सन्नतरः) होता था। किन्तु इस विषय में सभी आचार्य एकमत नहीं हैं। चावी के अनुसार (ऋक् प्राति 6.12) यह तभी होता है जब कि व्यंजन को द्वित्व किया गया हो तथा शाकस शाखा के अनुसार यदि स्पर्श के बाद आने वाला स्पर्श सवर्णो न हो तो अभिनिधान विकल्प से होता था (दे वर्मा, 159)। यह मत अधिक सगत प्रतीत होता है, क्योंकि मुक्त, दग्ध में क् तथा ग् का उच्चारण स्पष्ट रूप से होता है। किन्तु यह स्पष्टता बहुत कुछ वक्ता पर भी निर्भर करेगी। शीघ्र अथवा शिथिल उच्चारण में इनका व्यक्तीकरण अबश्य ही अस्पष्ट या अपूर्ण हो जायेगा। इसी प्रकार विराम से पूर्व में आने वाले व्यंजन को स्थिति भी होती है यथा—त्रिष्टुप् + ततः; तत् + परपति, वाक् + तस्य में भी अन्त्य स्पर्शों का उच्चारण अपूर्ण ही होता है। लगता है कि यह क्षेत्रीय विभेद था जो कि कुछ क्षेत्रों के उच्चारण में पाया जाता था तथा कुछ में नहीं।

यमौदृत उपस्वन—“यम” का अर्थ है युगल, जुड़वा (twin) । यह भी वैदिक सस्कृत के उच्चारण की एक जानी-मानी विशेषता थी । सस्कृत के शब्दों के उच्चारण के समय स्पर्श-नासिक्य व्यञ्जनो के मध्य से उद्भूत होने वाली विशेष नासिक्य ध्वनियों को “यम” कहा जाता था¹ जोकि स्वयं ध्वनि के आश्रित नासिक्य स्फोटन के कारण बन जाती थी अर्थात् ऐसी अवस्थितियों में स्पर्श व्यञ्जनों के दो उपस्वन होते थे—प्रथम निरनुनासिक अर्थात् शुद्ध स्पर्श तथा द्वितीय सानुनासिक । इस प्रकार रुक्म, पद्म, स्वप्न, तृप्णुतः, आप्नानम् आदि का उच्चारण रुक्कृम, पद्दृम, स्वप्पृम, तृप्पृणुतः आप्पृणानम् के समान होता था । (दे. वर्मा, 193—96)

इसके अतिरिक्त विभिन्न स्वनियों के विभिन्न दृग्ग्यात्मक परिवेशों में घोषी-दृत, अपोषीदृत, महःप्राणीदृत, अल्पप्राणीदृत, नासिक्यीदृत, ऊष्मीदृत, रेपीदृत आदि उपस्वन होते हैं जिनका विवेचन रूप स्वनिमिक परिवर्तनों के अन्तर्गत किया जायेगा ।

1. तैत्ति० प्राति० 21. 12-13—एवमादिभ्यो मातुसास्यगादाभ्युच्चार्यान् मातिस्रयाः ताभ्यमायेने । तथा च ऋक्० प्राति० 6 2०.32

रूप-स्वनिम प्रक्रिया

भाषिक विश्लेषणों में उनके रूप-स्वनिमात्मक विश्लेषण का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि इससे भाषा विशेष की स्वन-प्रक्रिया तथा रूप-प्रक्रिया के पारस्परिक सम्बन्धों का पता चलता है। सामान्यतः रूप स्वनिमिकी का क्षेत्र पद रचनाओं के प्रसंग में होने वाले स्वनिम परिवर्तनों से होता है, किन्तु वाक् प्रवाह में भिन्न-भिन्न रूपों में होने वाले ध्वन्यात्मक परिवर्तनों का अध्ययन भी इसके विषय क्षेत्र के अन्तर्गत आ जाता है। अव्यवहित रूप में आने वाले दो रूपियों में होने वाले ये परिवर्तन नियमित भी हो सकते हैं, अनियमित भी तथा मुक्त विकल्पन में भी। वे रूपिम मुक्त+बद्ध क्रम के भी हो सकते हैं और मुक्त+मुक्त क्रम के भी। इस सम्बन्ध में यहाँ पर इतना स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि सधिप्रक्रिया रूप-स्वनिमिकी का अंग तो है पर रूप-स्वनिमिकी नहीं। क्योंकि सन्धियों में जहाँ केवल पदान्त तथा पदादि की ध्वनियों के बीच होने वाले परिवर्तनों पर विचार किया जाता है वहाँ रूपस्वनिमिकी में रूपिमों में होने वाले सभी प्रकार के परिवर्तनों पर विचार किया जाता है। वह परिवर्तन रूपिम के चाहे किसी अंश में क्यों न हुआ हो।

सश्लिष्ट भाषा होने के कारण ससृष्ट में इन रूप-स्वनिमात्मक परिवर्तनों की इतनी विविधता है कि उन सबका निरूपण इन ग्रन्थ में कर पाना कठिन है। अतः यहाँ कनिष्ठ प्रतिनिधि रूपों का ही विवेचन प्रस्तुत किया जायेगा।

इन परिवर्तनों की कतिपय व्यवस्थित अभिरचनाओं के आधार पर ससृष्ट के वैदावरणों ने इन्हें विभिन्न वर्गों में रखा है जिन्हे परिभाषिक रूप में सधि, विकार लोप, आगम, आदेश, अभ्यास आदि नामों से संकेतित किया जाता है। क्योंकि भिन्न-भिन्न प्रकार की पद-रचनाओं में इनकी स्थिति भिन्न हुआ करती है, अतः हम यहाँ पर भी इनका निरूपण इन्हीं रूपों में करेंगे।

पदरचना सम्बन्धी रूप-स्वनिमित्त परिवर्तनों के रूप मुञ्जत नाम पदरचना, समस्त पदरचना, अख्यात पदरचना, कृदन्त पदरचना, तद्धित पदरचना, तथा स्त्री-प्रत्ययों के योग में पाये जाते हैं। इन्हें निम्नलिखित रूपों में प्रस्तुत किया जा सकता है।

नामपदों की रूपरचना में होने वाले रूप-स्वनिमात्मक परिवर्तन

नाम पदों की रूपरचना प्रथिया में प्रवृत्ति तथा प्रत्यय के योग से उत्तक नाम पदों में होने वाले रूप-स्वनिमात्मक परिवर्तन के विवेचन के लिए समस्त सुपो (विभक्ति प्रत्ययों) की तथा प्रातिपदिकों को दो-दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। सुपो के विभाज्य वर्ग है—अजादि अर्थात् ओ, अस्, अम्, आ, ए, ओस्, इ, आम् तथा हलादि अर्थात् स्, म्यास्, भिस्, भ्यम्, सु। इसी प्रकार प्रातिपदिकों के विभाज्य वर्ग है : 1 अजन्त तथा 2 कृदन्त। रूप स्वनिमात्मक प्रथिया से सम्बन्ध रखने वाले परिवर्तन उपर्युक्त दोनों ही आधारों पर होते हैं। यहाँ पर हम केवल उन्हीं परिवर्तनों पर विचार करेंगे जो कि गण्डिगण परिवर्तनों के सामान्य नियमों के अन्तर्गत नहीं आ सकते हैं।

अजन्त शब्दमूर्तों में होने वाले परिवर्तन—विभक्ति प्रत्ययों के योग में अजन्त प्रवृत्ति में होने वाले परिवर्तनों का रूप इस प्रकार पाया जाता है।¹

1 दीर्घीकरण—न्, नि, नाम् विभक्ति प्रत्ययों के योग में प्रवृत्त लृट् स्वरों (अ, इ, उ, ऋ) का दीर्घीकरण हो जाता है, यथा, रामान्, हरीन्, गुरून्, पिन्, चारीणि, मयूनि, धान्, नि, रामाणाम्, नदीनाम्, येनूनाम्, विन्, णाम् आदि विन्नु धकारान्त शब्दों में यह दीर्घीकरण—य (ध, ए, व.) के पूर्व में भी पाया जाता है, यथा रामाय। इसी प्रकार इकारान्त में भी (प्र., टि, टि. व.) तथा उता-

1 प्रस्तुत विशेषण में प्रत्ययों के अन्तर्गत उनका स्थिति तथा उपस्थिति दोनों का समावेश किया गया है।

रान्तो मे (स्त्रां, द्वि, व व) के योग में भी यह रूप पाया जाता है, यथा—
कवो, घेनु आदि ।

2. ह्रस्वीकरण—ईकारान्त शब्दों में सम्बुद्धिपरक—स् प्रत्यय के योग में अन्त्य स्वर का ह्रस्वीकरण हो जाता है, यथा हे देवि, हे गौरि । इसी प्रकार स्यं, स्या तथा स्पाम् सावर्नामिक विभक्ति प्रत्ययों के योग में आकारान्त सावर्नामिक शब्दों के अन्त्य स्वर का भी ह्रस्वीकरण हो जाता है, यथा—सर्वस्यं, सर्वस्याः, सर्वस्याम् < सर्वा ।

3. गुण—ए (च, ए व), अस् (पं, प, ए व.) तथा सम्बुद्धि परक—स् के योग में इकारान्त तथा उकारान्त शब्दों के प्रकृत्यन्त स्वर को गुण हो जाता है; यथा—हरये, मतये, भानवे, हरेः, भानोः, हे हरे, हे साधो, हे मते आदि ।

किन्तु ऋकारान्त शब्दों में अस् (जस्), अम् तथा इ (डि) के योग में प्रकृति स्वर का गुणोभाव—अर् पाया जाता है, यथा पितरो, पितरः, पितरम्, पितरि < पित ।

4 वृद्धि—वृद्धीकरण की प्रवृत्ति सीमित रूप से इकारान्त, ओकारान्त तथा ऋकारान्त शब्दों में देखी जाती है जो कि औ (प्र, द्वि. द्वि.), अस् (जस्) तथा अम् प्रत्ययों के योग में घटित होती है । इकारान्त शब्दों में केवल सखि शब्द तथा ऋकारान्तों में बन्धुत्व सम्बन्ध वाचक शब्दों के अतिरिक्त भर्तुं, नप्तु, तथा स्वसु को छोड़कर सभी शब्द इससे प्रभावित होते हैं, यथा—सखायौ, सखायः, सखायम् < सखि, कर्तारौ, कर्तार, कर्तारम् < कर्तुं, नेतारौ, नेतारः, नेतारम् < नेतु; गौ, गाव < गौ ।

5. लोप—सप्तमी एक वचन इ/औ के योग में प्रकृत्यन्त—आ, -इ, -उ का नित्य लोप हो जाता है, यथा—गोपि < गोषा, हरौ < हरि, भानौ < भानु । इसके अतिरिक्त पचमी, षष्ठी विभक्ति के प्रत्ययों—अस् उस् के योग में आकारान्त प्रकृति अनित्य में रूप से प्रकृत्यन्त स्वर का लोप पाया जाता है, यथा—गोषोः < गोषा, सह्युः, पत्युः, दध्नोः, भानोः, मातुः, पितुः ।

उपर्युक्त परिवेशों के अतिरिक्त आकारान्त शब्दों में अस् (द्वि., व. व.) तथा इकारान्त नपुंसक शब्दों में नाम् के योग में भी प्रकृत्यन्त स्वर का लोप देखा जाता है, यथा—गोप. < गोषा, दध्नाम् < दधि ।

6 आदेश—अजन्त शब्दों के प्रकृत्यन्त में होने वाले आदेश भिन्न-भिन्न रूपों में पाये जाते हैं ।

आ→ए—आकारान्त पुल्लिङ्ग में -न्यास्, -ओस् एवं -सु के योग में, यथा—
रामेभ्यः, रामयोः, रामेभ्यु ।

आ→ए—आकारान्त स्त्रीलिङ्ग में -आ (दा) -ओस् एवं -सु सम्बोधन के योग

में, यथा—रमया, रमयोः, हे रमे ।

इ→आ—सु के योग में सलि शब्द में, यथा—सला ।

ई→इप्—प्रकृत्यन्त ई को अजादि प्रत्ययों के योग में, यथा—धिषी, धिय, धियम्, धिषा, धिये, धिषोः धिषाम्, धिषि । इसी प्रकार श्री, स्त्री, ह्री आदि कुछ अन्य शब्दों में भी इसी प्रकार की ईकार की स्थानापन्नता पायी जाती है, किन्तु अन्यत्र यह केवल मकार के रूप में होती है, यह—नधी, नद्यः, नद्याः, नद्यः, नद्योः, नद्याम् ।

ऊ→उब्—प्रकृत्यन्त स्वर—ऊ को अजादि प्रत्ययों के योग में, यथा—भुषी, भुवः, भुवम्, भुषा, भुषे आदि । यह आदेश ऊकारान्त सभी तिगों के शब्दों में तो निम्न रूप में तथा पुलिग शब्दों में अनित्य रूप में पाया जाता है ।

ऐ→आ—सङ्कृत में ऐकारान्त शब्दों की सख्या नगण्य है, जो हैं उनमें हलादि विभक्ति प्रत्ययों के योग में यह स्थानापन्नता पायी जाती है, यथा राः, राभ्याम्, राभिः, राभ्यः, राभुः < रं "धन", सम्पत्ति ।

ओ→आ—ओकारान्त शब्दों में प्रकृत्यन्त स्वर की यह स्थानापन्नता विभक्ति प्रत्यय—अम् तथा अस् (सम्) के योग में पायी जाती है यथा—गाम्, गाः < गौ, घाम्, घाः < घो ।

हल्न्त पदों की रूपरचना में होने वाले रूप-स्वनिमित्तक परिवर्तन

सङ्कृत प्रातिपदिकों में अन्य व्यजन की स्थिति में आने वाले व्यजनों की सख्या केवल 22 है (देखिए व्यजन विवरण पीछे) । विभक्ति प्रत्ययों के योग में इनही प्रकृति में होने वाले रूप-स्वनिमात्मक परिवर्तनों के अनेक रूप देखे जाते हैं । जिनमें से कुछ तो लोप, आगम, आदेश आदि के रूप में होते हैं तथा कुछ ध्वन्यात्मक परिवर्तनों के रूप में । इसके अतिरिक्त अनेक परिवर्तन ऐसे भी होते हैं जिनका सम्बन्ध प्रातिपदिक विशेष तरु ही सीमित होता है । हम यहाँ पर इस प्रकार के परिवर्तनों पर विचार नहीं करेंगे । इसके लिए व्याकरण सम्बन्धी ग्रन्थों की देखना ही अपेक्षित होगा । यहाँ पर हम शब्दों में केवल कुछ सर्व सामान्य प्रवृत्तियों ही का उल्लेख किया जायेगा ।

इन परिवर्तनों की अवस्थितिया भी भिन्न-भिन्न हैं । कुछ परिवर्तन केवल हलादि विभक्ति प्रत्ययों के योग में होते हैं, तथा कुछ केवल सर्वनाम स्थान (प्रथम पाच रूप) विभक्ति विहियों के योग में ही होते हैं, यथा अन्य अच् ते परे नृ का आगम, उपधा को दीर्घ आदि । कुछ परिवर्तन इनके विपरीत केवल अवसंताम स्थान अजादि विभक्तियों के परे होने पर ही होते हैं । यथा—सम्प्रसारण, दीर्घ, उपधायां, टितोऽऽदि ।

हल्न्त प्रातिपदिकों में होने वाले सामान्य रूप-स्वनिमात्मक परिवर्तनों को थोटा थोटा पर निम्न रूपों में श्रेणिकृत किया जा सकता है—

1. कण्ठीकरण—सामान्यतया शब्द के अन्त में आने वाले अल्पप्राण चवर्गीय ध्वनियों (च् ज्), श्, ष् तथा ह् को हलादि विभक्ति प्रत्ययों के योग में कवर्गीय ध्वनिया (क्, ग्) हो जाती है यथा वाच् > वाक्/वाग्, ताद्श् > तादृक्/ग्, बधृष् > दधृक्/ग्, दुह् > धुक्/ग् (केवल दकारादि में) ।

विशेष—यह कण्ठीकृत ध्वनि पदान्त में अर्थात् शून्य प्रत्यय के योग में तो घोप तथा अघोप दोनो रूपों में, सु के योग में केवल अघोप रूप में (वाक्ष्, धुक्ष्), तथा अन्यत्र केवल घोप रूप में (वाग्भ्याम्, वाग्भिः) पायी जाती है ।

2. मूर्ध्नीकरण—यह परिवर्तन उपर्युक्त नियमों का अपवाद कहा जा सकता है । इसके अनुसार हलादि विभक्ति प्रत्ययों के योग में, वरश्च, भ्रस्ज्, सृज् मृज्, यज्, राज्, भ्राज् तथा श्, ष् या ह् से अन्त होने वाले धातुओं से बने प्रातिपदिकों की अन्त्य ध्वनिया अल्पप्राण टवर्गीय ध्वनिया हो जाती है । इन परिवर्तित मूर्ध्नीय ध्वनियों की घोपता एवं अघोपता का निर्धारण उपर्युक्त रूप में ही होता है; यथा—राज् > राट्/ड्, राड्भ्याम्, राट्सु, विश् > विट्/ड्, विड्भ्याम्, विट्सु; रत्नमृष् > रत्नमृट्/ड्, लिह् > लिट्/लिड्, लिड्भ्याम्, लिट्सु आदि ।

3. घोपीकरण—अघोप स्पर्शों में अन्त होने वाले सभी हलन्त प्रातिपदिकों (परिवर्तित अथवा मूल) का घोप हलादि विभक्ति प्रत्ययों—भ्याम्, भिस्, तथा भ्यस् के योग में नित्य रूप से तथा पदान्त शून्य प्रत्यय के योग में विकल्प से घोपीकरण हो जाता है, यथा—वाक्/ग्, वाग्भ्याम्, वाग्भिः, वाग्भ्यः, वणिक् > वणिग्भ्याम्; सरित् > सरिवृभ्याम्; महद्भ्यः, दिश् > दिक् > दिक्/ग्, दिग्भ्यः ।

• घोपीकरण का यह रूप दो पदों के अनुक्रम में भी इसी रूप में देखा जाता है । यथा—जगत् + ईशः = जगदोशः, असौत् + राजा = आसौव्राजा आदि ।

4. अमहाप्राणीकरण—सस्कृत शब्दों में केवल थ् तथा ष् ही दो ऐसी महाप्राण ध्वनियाँ हैं जो कि शब्दान्त में पायी जाती हैं । उपर्युक्त अवस्थितियों में इन महाप्राण ध्वनियों का स्ववर्गीय अल्पप्राणीकरण अथवा घोपीकरण हो जाता है, यथा—अग्निमथ् < अग्निमद्/अग्निमत्/द्, अग्निमद्भ्याम्, बुध् > भुत्/द्, भुद्भ्याम् भुद्भिः आदि ।

5. महाप्राणीकरण या महाप्राणता का स्थानान्तरण—यदि शब्दान्त ध्वनि घोप महाप्राण हो और उससे पूर्ववर्ती ध्वनि घोप अल्पप्राण हो तो हलादि विभक्ति प्रत्ययों के योग में महाप्राणता का पञ्चगामी स्थानान्तरण हो जाता है, यथा—बुध् > भुत्/द्, भुद्भ्याम्, दुह् > धुक्/ग्, धुग्भ्याम् आदि ।

6. दन्त्यीकरण—सस्कृत में अप्, विह्वस्, स्वन्दुह् आदि कुछ शब्द ऐसे हैं जिनकी अन्त्य ध्वनियों का हलादि प्रत्ययों के योग में दन्त्यीकरण (त्, द्) हो जाता है । इसका रूप अघोप हलादि प्रत्ययों के योग में त् तथा घोप हलादि प्रत्ययों के योग में द् होता है, किन्तु अप् में यह परिवर्तन केवल घोप हलादि प्रत्ययों के योग में

हो होता है, यथा—अर्धभिः, अर्धम्यः, विद्वत् > विद्वद्भिः, विद्वत्सु, स्वन्इत्/द्
स्वन्इद्भ्याम्, स्वन्इत्सु आदि ।

7. दीर्घीकरण—अन्त में अन्त होने वाले अधिकतर शब्दों में सर्वनाम स्थान (प्रथम पाच विभक्ति-प्रत्यय) में उपधा को दीर्घ हो जाता है: राजन् > राजा, राजानी, राजानः राजानम्, युधत् > युवा, युवानो आदि । इनके अतिरिक्त यह दीर्घीकरण महत्, विद्वत्, पुम्, आदि कुछ अन्य शब्द रूपों (जिनमें सर्वनाम स्थान विभक्ति-प्रत्ययों के योग में न् का आगम हो जाता है) में भी पाया जाता है । तुलना-बोधक घत् या ईयत् प्रत्यय वाले शब्दों के उपधा स्वर को भी सर्वनाम स्थान विभक्ति-प्रत्ययों के योग में दीर्घता आ जाती है, यथा धेयत् > धेयान्, धेयसी, धेयांसः आदि । इसी प्रकार श्रेयम्, गरीयत्, ज्यायत्—आदि को भी समझना चाहिए । स् (गुण्य) विभक्ति चिह्न से पूर्व में तो प्रायः सभी—अन्, इन् एव-मत् में अन्त होने वाले शब्दों को दीर्घ हो जाता है, यथा—शशिन् > शशीः, धनिन् > धनी, धोमन् > धोमान्, बलवन् > बलवान्, पूषन् > पूषा, वृत्रहृद् > वृत्रहा ।

इसी प्रकार -वम् (क्वसु) प्रत्ययान्त शब्दों में भी (प्रथमा एकवचन में घत् को वान्) सर्वनामस्थान विभक्तियों को उपधा के स्वर को दीर्घ हो जाता है, यथा—तस्थवन् > तस्थवान्, तस्थवांसो, तस्थवांसः, तस्थवांसम्, अग्निवान्, शुश्रुवन् > शुश्रुवान् आदि ।

8 लोप—(Elision) गसृज के पदों को रचता में लोप का भी अपना विशेष स्थान है । यह लोप अन्य वर्णों का भी हो सकता है, उपधा के स्वर का भी तथा 'टि' का भी ।

उपधातोप—कुछ-अन्त में अन्त वाले शब्दों में सर्वनामस्थान अत्रादि विभक्तियों के योग में उपधा के अ वा लोप हो जाता है । इनमें में अनेक शब्द ऐसे हैं जिनमें कि ट (टि) के योग में यह लोप विचलित होता है, यथा राजन् > राजा, राजा, शशि ~ राजनि, मूर्धन् > मूर्धनः, मूर्धिः, मूर्धा, मूर्ध्नि ~ मूर्धनि आदि, किन्तु—अन् अन्तः वाले मयुक्ता निमी शब्दों में यह वैकल्पिक उपधा लोप गणनी एववचन इसके अतिरिक्त प्रथमा एव द्विवचन के द्विवचन (ओ) के योग में भी पाया जाता है, यथा—अहन् > अहन्तो ~ अहन्तो ~ अहनि, नामन् > नामन्तो ~ नामन्तो । किन्तु-अन् में पूर्व में कोई मयुक्ता व्यजन हो तो फिर वही भी उपधा लोप नहीं होता, यथा—अहन्न् > अहन्तः, अहन्ता, अहन्ति ।

अन्तलोप—अन्त लोप के अन्तर्गत निम्नलिखित शब्दों का लोप होता है ।

1. न-लोप—नकारान्त—अन्, इन् आदि शब्दों में ह्यादि विभक्तिपदों के योग में अन्त न् का लोप हो जाता है, यथा—आत्मन् > आत्मा, आत्मनाम्,

आत्मभिः, आत्मम्यः, पथिन्, > पथिम्यः, पथिषु आदि ।

2 -इ लोप—सार्वनामिक प्रातिपदिको—त्यद् तद्, यद्, एतद् आदि मे सभी विभक्त्यन्त प्रत्ययो के योग में अन्तिम द् ध्वनि का लोप हो जाता है तथा इनकी रूपरचना अकारान्त सार्वनामिक प्रातिपदिको के समान होती है, यथा—यद् > यः, यो, ये, यम, यान् आदि ।

त् स् लोप—भत्, वत्, अत् (शत्) प्रत्ययान्त अनेक प्रातिपादको के त् का तथा तुलनाबोधक यस् और ईयस् प्रत्ययान्तो एव बिद्धिस्, पुस् के स् का शून्य विभक्ति प्रत्यय स् के योग में लोप हो जाता है, यथा—धीमान् चलवान्, महान्, भवान्, श्रेयान्, विद्वान्, पुमान् आदि ।

आगम—लोप के समान ही आगम का भी संस्कृत पदों की रूपरचना में एक महत्वपूर्ण स्थान पाया जाता है । आगम का क्षेत्र प्रायः सामान्य न होकर विशेष ही होता है, अर्थात् किन्हीं विशेष शब्दों की रूप रचना के लिए ही उनका विधान पाया जाता है ।

साधारणीकृत रूप में कहा जा सकता है कि सभी हलन्त शब्दों में स् विभक्ति के योग में ड के बाद क् का, ण के बाद ट् का, तथा न् या ट् के बाद त् का आगम हो जाता है, यथा—प्रांशु, राट्सु; सुगणट्सु, विद्वत्सु आदि । (दे० स० ऐ० स० परिचय, पृ० 157) ।

आदेश—आदेश के कुछ सामान्य रूपों का ऊपर वर्णिकृत रूप कण्ठीकरण आदि में दिया जा चुका है । (प्रत्यय विशेष के योग में शब्द विशेष की प्रकृति में होने वाले आदेशों के लिए देखो—संस्कृत का ऐतिहासिक एवं संरचनात्मक परिचय, पृ० 157-58) ।

सम्प्रसारण—अनेक नकारान्त, सकारान्त, वकारान्त एवं हकारान्त शब्दों में यणों य, य, र, ल, को अक्षरानाम स्थान अजादि प्रत्ययो के योग में सम्प्रसारण ड्, उ, ऋ, लृ हो जाता है यथा—युचन् > यूनः, यूना, यूने, यूनः, यूनाम्, यूनि, मघवन् > मघोन्ः, मघोना, विद्वस् > विद्वुषाः, विश्ववाह् > विश्वोहः, विश्वौहा, मुदिव् > मुद्युम्याम्, मुद्युभिः आदि ।

सवदेश—कुछ प्रातिपदिक ऐसे भी होते हैं, जिनमें कि विभक्त्यन्त रूपों की रचना के अवसर पर सम्पूर्ण प्रकृति के स्थान पर अन्य पद का आदेश हो जाता है । इस प्रकार का सवदेश अजन्त तथा हलन्त दोनों ही प्रकार के शब्दभूतों को हो जाया करता है । विवरण के लिए देखिए—संस्कृत का ऐतिहासिक एवं संरचनात्मक परिचय (पृ० 158-160) ।

समस्त पदों में होने वाले रूप-स्वनिमिक परिवर्तन

किसी भाषा में रूप-स्वनिमिक परिवर्तनों का कौन सा रूप या रूपिम इन

परिवर्तनों को स्वीकार करेगा, इसका विज्ञेयण भी रूप स्वनिमित्तों का विषय है। परिवर्तन प्रथम या द्वितीय क्रिया भी रूप में हो सकता है, किन्तु यह निर्भर करता है भाषा विशेष पर तथा रूपविशेष की प्रकृति पर। मसृत के समस्त पदों में होने वाले ये परिवर्तन इसका बहुत अच्छा उदाहरण उपस्थित करते हैं, यथा राजपुत्र (राजा + पुत्र), धृषजाति (धृष + जाया), चित्रगु (चित्रा + गु)।

ममाग योजना मसृत पदरचना का एक अभिन्न अंग रहा है। दो पदों का ममाग क्रिये जाने पर उनमें जो रूप-स्वनिमित्त परिवर्तन होते हैं उनका विस्तृत विवेचन हमने व्याकरण ग्रन्थों में किया गया है। हम यहाँ पर केवल कुछ ऐसे परिवर्तनों का ही उल्लेख करेंगे जो क्रि पद विशेष में सम्बद्ध न होकर पदों के वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

1. ह्रस्वीकरण—अप्ययीभाव ममाग में संबन्ध हो उत्तरपद के दीर्घस्वर का ह्रस्वीकरण हो जाता है, फलन आ, ई, ऊ का अ, इ, उ तथा ए/ऐ का इ और ओ/ओ का उ हो जाता है, यथा—निर्मक्षिकम् (<मक्षिका), उपनदि (<नदी), उपगुद (<गुद) चित्रगु (<गु)।

2. अक्षरीकरण—विभिन्न ममागों में पदान्त इ वर अ भी हो सकता है: प्रत्यक्षम् <अक्षि, प्रवृत्तम् <अंति, दीर्घतक्ष्यम् <सक्ष्यि, शिवगन्तः <स्यि। अप्ययीभाव में यह अक्षरीकरण विचल्य में होता है, यथा उपनदि/उपनदम् <नदी, उपगिरम् <गिरि।

3. पुंशब्दभाव—स्त्रीविग विज्ञेयण तथा विज्ञेय्य का ममाग होने पर पूर्णपद में पुंशब्दभाव हो जाता है, यथा वृणक्षतुर्गो <वृण्णाक्षतुर्गो, महती-प्रिया > महाप्रिया, ब्राह्मणीभार्या > ब्राह्मणभार्या, रूपवती भार्या यस्य नः > रूपवद्भार्ये।

सावदिग—समस्त पदों में सामान्य रूप में पठित होने वाले आंगिक लोप, आगम्, विचार के अतिरिक्त कतिपय पदों में पूर्ण प्रकृति के स्थान पर ही आदेश हो जाता करता है, यथा—शीरोदम् <उदम्, मतीष्यः <समान, घटोष्ठी <ऊष्ण, ददामः <दुन्तित, वापुदपः <दुन्तित, कीदुगः <किम्, अट्टिदम् <दिवा, दादा <दि, प्रयोदाः <प्रि, अष्टादा <अष्ट आदि।

कृन् प्रत्ययों के योग में होने वाले रूपस्वनिमित्त परिवर्तन

कृन् प्रत्ययों के योग में होने वाले रूपस्वनिमित्त परिवर्तनों के रूप निम्न प्रकार के होते हैं।

विचार—इसमें स्वनि मसृती ये विचार मुख्यतः धातुमूल में पठित होते हैं जोकि कृन्, ष्टि तथा सम्प्रसारण के रूप में देगे जाते हैं। इन्हें निम्न उदाहरणों द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है—

गुण—कृ + क्तव्य - क्तव्य, वि + च > चेर, भू + भ > भव।

वृद्धि—कृ + य > कार्यं, नी + अक > नायक, पृ + अक > पावकः ।

सम्प्रसारण—य → ई = यज् > इज्या, व → उ = वद् > उद्यम् ।

आदेश—स्वरो तथा व्यजनों का प्रतिष्ठापन भी इसमें पाया जाता है—

ऋ → आव : लृ + य > लाव्य, पृ + य > पाव्य

ई → इय : प्री + अ > प्रिय

ऋ → अर् : कृ + अ > किर, गृ + अ > गिर

ऋ → इर् : कृ + आ > क्रिया,

हन् + घत् : हन् + त > घातक,

लोप—लोप स्वर तथा व्यंजन किसी का भी हो सकता है

अ—लोप : हन् → घ्न. "मारने वाला" यथा—शत्रुघ्नः

आ—लौप : जा → ज्ञ जानकार, दा → द 'देने वाला', यथा—अज्ञः,
जलदः ।

म्-लोप : गम् + त > गतः गया हुआ ।

न्-लोप : हन् + त > हतः, जन् + त > जातः पैदा हुआ ।

आगम—आगम भी स्वर-व्यंजन किसी का भी हो सकता है

त्— : कृ + ए > कृत्य, स्तु + य > स्तुत्य

य्— : दा + अक > दायकः, धा + अक > धायक.

अभ्यास—कृत प्रत्ययों के योग में धातुमूलों का द्वित्वीकरण भी हो जाता है : √ चर > चराचर, √ पत् > पतापत ।

सम्प्रसारण सहित द्वित्व—पू + अ > पोपूव, लू + अ > लोलुव

अल्पप्राणोच्चारण—धातुमूल वही अन्तिम महाप्राण ध्वनि अल्पप्राण प्रत्यय के योग में अल्पप्राण हो जाती है, यथा लम् + त > लद्ध, रुन्ध् + यः > रुद्धः ।

तद्धित प्रत्ययों के योग में होने वाले रूप-स्वनिमात्मक परिवर्तन

तद्धित प्रत्ययों के योग में होने वाले प्रातिपदिकों के रूप स्वनिमात्मक परिवर्तन निम्न रूपों में देखे जाते हैं —

1. आदि स्वर वृद्धि—इसके अन्तर्गत प्रातिपदिकों के आद्यक्षर के स्वरो—
अ, इ, उ, ऋ का क्रमशः आ, ए, औ, आर् में परिवर्तन हो जाता है जिसे व्याकरण
की शब्दावली में "वृद्धि" भी कहा जाता है—

अ > आ . गर्ग + अ > गार्ग्यं, दिति + अ > दंत्य, सिन्धु + अ > संग्धव, उपगू +
अ > औपगव, पृथ्वी + अ > पार्थिव ।

किन्तु इच्छ, इम् तथा इयस् प्रत्ययों के योग में हलादि ऋ का र हो जाता है,
यथा मृदु + इच्छ > अदिच्छः, मृदु + इम् > अदिम, मृदु + इयस् > अदीयान्, पृथु +

इयम् > प्रथीयान् आदि,

2 अन्तनिवेश—इन तद्धित प्रत्ययों के योग में होने वाला अन्तनिवेश दो रूपों में पाया जाता है—1. आदि में, 2. मध्य में।

आदि अन्तनिवेश—यदि किसी प्रातिपदिक के आद्यक्षर में ऐसा व्यञ्जन संयोग हो जिनका कि द्वितीय घटकत्व य या व हो तो उसमें तद्धित प्रत्ययों के योग में य से पूर्व में ए का तथा य से पूर्व में आ का अन्तनिवेश हो जाता है। आदि अन्तनिवेश केवल स्वरात्मक होता है, यथा व्याकरण + अ = वयाकरण, स्वरय + अ = तोपरय।

मज्यान्तनिवेश—प्रादि अन्तनिवेश के समान ही अनेक तद्धित प्रत्ययों के योग में मध्य अन्तनिवेश भी पाया जाता है। अन्तनिवेशित किया जाने वाला यह वर्ण स्वर भी हो सकता है और व्यञ्जन भी, यथा—तमय + रा > तमित्वा (ई आगम), घात + ई > घातकी (क आगम), मनु + य > मनुष्य (ए आगम), ऊर्ज + वत् > ऊर्जस्वत् (सू आगम)।

3 लोप—लोप कई रूपों में देखा जाता है—1. अन्य स्वर लोप, 2 अन्य व्यञ्जन लोप, 3 अन्य अक्षर लोप।

स्वर का लोप—तद्धित प्रत्ययों में पूर्व में प्रायः प्रातिपदिक शब्द के अन्तिम वर्ण अ, आ, इ, ई, उ, ऋ आदि का लोप हो जाता है, इनमें से प्रथम चार स्वरों का तो निम्न रूप में तथा अन्य दो का विकल्प में लोप होता है यथा—गर्ग + अ > गार्ग्य, गंगा + अ > गार्ग्य विति + य = ईर्य, पृथिवी + अ = पार्थिव, पाण्डु + य > पार्थुय, पर ऋ का य भी रू भी हो जाता है, यथा पितृ + यम् > पितृयम्, किन्तु उ का प्रायः गुण ओ हो जाता है, यथा—सिन्धु + अ > सिन्धुय, उपतु + अ > ओपण्य।

व्यञ्जन लोप—अन्य स्वर लोप के समान ही अनेक तद्धित प्रत्ययों के योग में प्रातिपदिक के अन्य व्यञ्जन का भी लोप हो जाता है यथा—गार्ग्य + ईय > गार्गीय (ए लोप), आत्मन् + ईय > आत्मीय (न् लोप), ऊर्जान् + अ > और्जान् (ए लोप), तूष्णीम् + अ = तूष्णीक (ए लोप)।

अनुवासर लोप—मन्वन् में ऐसे अनेक तद्धित प्रत्यय हैं जिनके योग में पूर्व प्रातिपदिक के पूरे अन्तिम अक्षर का ही लोप हो जाता है। व्याकरणशास्त्र की परिभाषिक शब्दावली में इसे वही “अक्षर” लोप के रूप में तथा वही टि गणन लोप के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। पर मरुचन्द्रात्म भाषा शास्त्र की दृष्टि में

1. अन्य स्वर के महिा व्यञ्जन की 'टि' गणना भागी गई है, अचोत्पादि टि (पा० 1.1.64)

इन मभी को अन्त्याक्षर लोप के अन्तर्गत रखा जा सकता है, यथा—विशति > विशः (ति लोप), हेमन्त > हेमनः (त लोप), स्थल > स्थविष्ठः (ल लोप), टि लोप के उदाहरण—बहिस् > बाह्य (इस् लोप) सायं प्रातर् > सायंप्रातिक (अर् लोप), महात्मन् > माहात्म्यम् (अन् लोप), त्रिशत् > त्रिंश (अत् लोप) आदि ।

उपान्त्य लोप—अन्त्याक्षर लोप के समान ही कभी-कभी प्रातिपदिक के उपान्त्य स्वर वर्ण का लोप भी हो जाता है, यथा—तक्षन् > तक्षण (अ लोप), ज्योतिस् > ज्योत्स्ना (इ लोप) ।

4. आदेश—इन तद्धित प्रत्ययों के योग में होने वाला आदेश दो रूपों में देखा जाता है—आंशिक 2 पूर्ण । आंशिक आदेश में प्रातिपदिक के किसी वर्ण विशेष के स्थान पर कोई अन्य निर्धारित वर्ण हो जाता है, किन्तु पूर्ण आदेश में सम्पूर्ण प्रकृति के स्थान पर ही विहित आदेश हो जाता है ।

आंशिक आदेश—आंशिक आदेश केवल प्रातिपदिक के अन्त्य वर्ण में ही पाया जाता है यथा—ऋ → र—पितृ + य = पित्र्यम्, ओ → अच् = गो + यम् = गव्यम्, ओ → आव्—नो + यम् = नाव्यम् ।

पूर्ण आदेश—अनेक तद्धित प्रत्यय ऐसे हैं जिनके योग में कुछ निर्दिष्ट प्रातिपदिकों की सम्पूर्ण प्रकृति के स्थान पर विहित आदेश हो जाते हैं, यथा—नव → नू; नव + तन = नूतन, सर्व → स; सर्व + दा = सदा, प्रशस्य → थ, थ + इष्ठ = थैष्ठ, वृद्ध → ज्य + इष्ठ = ज्यैष्ठ, युव → कन् + इष्ठ = कनिष्ठ, बहु → भूय + इष्ठ = भूयिष्ठ, छन्दस् → धोत्र, धोत्र + इय = धोत्रिय ।

इस विषय में यह उल्लेखनीय है कि इन प्रकार का शाब्दिक आदेश विशेषकर-इच्छ और—इयास् प्रत्ययों के योग में एवं कुछ सर्वनाम शब्दों में भी किया गया है, यथा—युष्मद् → तावकीन, तवक, त्वक; अस्मद् → मामकीन, मामक, मत्क, किम् → कु ~ क = कुत्र, कुतः, कदा इत्यादि ।

स्त्री प्रत्ययों के रूप में होने वाले रूप-स्वनिमिक परिवर्तन

अन्य प्रकार की प्रत्यय-योजना में होने वाले रूप-स्वनिमिक परिवर्तनों के समान ही स्त्री प्रत्ययों के योग में भी पद की प्रकृति में लोप, आदेश, विकार आदि परिवर्तन घटित होते हैं ।

लोप—स्त्री प्रत्ययों का योग होने पर प्रायः प्रातिपदिक के अन्त्य स्वर तथा उपान्त्य स्वर सहित अन्त्य व्यंजन का लोप हो जाता है ।

अ-लोप—अज + आ = अजा, कुमार + ई = कुमारी

1. अन्त्य स्वर के सहित व्यंजन की 'टि' सज्ञा मानी गई है, अचोक्त्यादि टि (पा. 1. 1. 64.)

इ-लोप—पति + नी = पत्नी,

उ-लोप—मन् + आषी = मनावी

अन्-लोप—घोषन् + री = घोषरी

अन्तर-लोप—य से अन्त होने वाले कई शब्दों में स्त्री प्रत्यय से पूर्व पूरे अक्षर का ही लोप हो जाता है।

सूर्ये + इ = सूर्यी, गार्ग्यं + ई = गार्गी, मत्स्य + ई = मत्स्यी

लोप-विकार—विशेष कर अच् प्रत्यय में अन्त होने वाले पदों के साथ स्त्री प्रत्ययों का योग होने पर अन्त्य स्वर के लोप के अनिश्चित उपान्त्य स्वर अ की ई हो जाता है, घातक + आ = घातिका, बर्षक + आ = बर्षिका आदि।

वृद्धि—स्त्री प्रत्ययों का योग होने पर कतिपय शब्दों के आद्यक्षर के स्वर को वृद्धि सम्बन्धी विकार भी देया जाता है।

मुखर + या = मौखर्या, कुमुदगन्धि + या = ब्रह्मकुमुदगन्ध्या।

आदेश—स्त्री प्रत्ययों के योग में आदेश सम्बन्धी रूपस्वनिमात्मक परिवर्तन केवल कुछ ही शब्दों में देया जाता है, इसके अन्तर्गत प्रातिपदिक के अन्त्याक्षरीय ल के स्थान पर न् का आदेश हो जाता है, यथा—एता → एनी, श्येता → श्येनी, हरिता → हरिणी आदि।

आख्यात पद रचना में होने वाले रूप स्वनिमिक परिवर्तन

संस्कृत के धातु मूलों के साथ तिङन्त प्रत्ययों का योग अप्यवहित तथा अप्यवहित दोनों ही रूपों में होता है, किन्तु साथ ही दोनों ही स्थितियों में यह गुण भी हो सकता है तथा विहित भी। रूपस्वनिमिक परिवर्तनों का सम्बन्ध इनके अप्यवहित विहित तथा अप्यवहित विहित प्रकार की रूप रचनाओं के साथ होता है। धातु मूलों में होने वाले इन विकारों के रूप द्वाय प्रकार हैं—

अप्यवहित विहित—ये विकार एवम रूप में भी हो सकते हैं समवेत रूप में भी, यथा—द्विभू > वृद्धि—पपाठ < √ पठ्, कुहोति < कु + ति, कुबोध, पापयज्ञे,

गुण—वेति < √ विद् + ति, चुषोप < कृष्-

वृद्धि—घीति < घृ + ति

ह्रस्वन्—बिभोयात् < √ भी-, ब्रवाति < √ ब्र-

दीर्घन्—पूयात् > √ पू-

घञ्—घन्ति > √ घ-

• साप्रसारण—इयात्, इयात् < √ यत्, उवाच < √ वच्, गुप्यापयति < √ ऋच्

स्वरान्ते—नेत्रु < कृ, जित्तेन < ज्ञ्, कृष्यात् < कृ, बभूवे <

स्वरसोप—घ्नन्ति < हन्, जग्मतु < गम्-।

व्यंजन परिवर्त—दोग्धा < दुह्, + ता, भोत्स्यते < बुष्, घोक्ष्यति < दुह्,

जघान < हन्, घकार जगाम।

उपजन—नक्ष्यति < नश्, ई + स्यति।

व्यवहित विकृत—इस वर्ग के अन्तर्गत आने वाले घातु मूलो से निम्न प्रकार के विकार पाये जाते हैं।

द्वित्व—सिषिधिव + सिष् + इ + व

गुण—भवति < भू + अ + ति

वृद्धि—अगादीत् < अ + गद् + इ + त्

दीर्घत्व—दीव्यति < विव् + य + ति

आगम—मुञ्चति < मुच् + अ + ति, घिन्दति, लुम्पति।

सम्प्रसारण—विध्यति < व्यष् + य + ति।

संस्कृत की अध्यात पद रचना में इसके अतिरिक्त अनेक प्रकार के विकरणों का भी योग होता है। इनके दो वर्ग हैं, 1 गणधीन विकरण तथा 2 लकाराधीन विकरण। इनके विवरण के लिए देखिए लेखक की कृति “संस्कृत का ऐतिहासिक एवं सरचनात्मक परिचय” (पृ० 196-201)।

बाह्यसन्धिगत रूप स्वनिमिक परिवर्तन

पद रचनाओं के स्तर पर पाये जाने वाले उपर्युक्त ध्वन्यात्मक परिवर्तनों के अतिरिक्त संस्कृत में वाव्यहार के स्तर पर भी अनेक प्रकार के ध्वन्यात्मक परिवर्तन पाये जाते हैं जो कि दो पदों की पूर्वापर सीमाओं पर घटित होते हैं। ध्वनियों के उच्चारणात्मक प्रभावों से उत्पन्न ये परिवर्तन कालान्तर में भाषा में स्थिर रूप को भी प्राप्त कर लेते हैं। संस्कृत के व्याकरणों ने इस प्रकार के ध्वनि परिवर्तनों को ‘सन्धि’ के नाम से अभिहित किया है। प्राचीन शिक्षा ग्रन्थों तथा व्याकरण ग्रन्थों में इनका बड़ा सूक्ष्म एवं विस्तृत विवेचन किया गया है।

सन्धिगत परिवर्तन किसी पद के दो अंगों के वर्णों के बीच भी हो सकता है तथा दो पदों के बीच भी। इनमें प्रथम प्रकार को ‘आन्तरिक सन्धि’ तथा द्वितीय प्रकार को ‘बाह्य सन्धि’ कहा जाता है। आन्तरिक सन्धि के अनेक उदाहरण ऊपर के नामपद रचना तथा आध्यात पदरचना सम्बन्धी रूप-स्वनिमिक परिवर्तनों में दिखाए जा चुके हैं, यथा—हरये (हरि + ए) भुवि (भू + इ), भवति (भू + अ + ति), प्रतिष्ठा (प्रति + स्था), प्रच्छः (प्र + च्छः) आदि।

बाह्य सन्धि के कई रूप होते हैं, जिन्हे उनके स्वरूप एवं प्रकृति के अनुसार भिन्न-भिन्न नामों से पुकारा जाता है। संस्कृत व्याकरणों में इन्हें अच् सन्धि, हल्

सधि, विभक्त मन्धि आदि नामों में पुकारा जाता है। इस प्रकार के ध्वनि-परिवर्तन की कतिपय विशेषताएँ ऐसी भी थीं जो कि केवल वैदिक मस्कृत में ही प्रचलित थीं, माह्विक्य मस्कृत में उनका विधान नहीं पाया जाता है। मस्कृत में मधि के कलस्वरूप मूलध्वनियों में होने वाले कतिपय परिवर्तन इन रूपों में दिये जाते हैं—

समीकरण—ये मध्यात्मक विशेषताएँ स्थान सम्बन्धी भी हो सकती हैं और प्रयत्न सम्बन्धी भी। स्थान सम्बन्धी विशेषताओं में सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण तत्व हैं शब्दान्त की तथा शब्दादि की दो भिन्न भिन्न स्थानीय ध्वनियों का समीकरण। इसके प्रमुख रूप हैं तालङ्गीकरण एवं मूर्ध्नीकरण। इसके अनुसार सामान्य रूप में किसी शब्द की अन्तिम दन्त्य ध्वनियाँ कमजोर तालव्य या मूर्ध्नीय ध्वनियों में परिवर्तित हो जाती हैं यदि आगे वाले शब्द की प्रारम्भिक ध्वनि तालव्य या मूर्ध्नीय हो। यथा—तत् + च = तच्च, रामम् + चनति = रामरचलति, हरित् + गते = हरिचगते, जगन् + जनती = जगज्जनती, तम् + टीका = तट्टीका, प्रति + स्था = प्रतिष्ठा, तन् + शिब = तच्छिबः। इस प्रकार का मधीकरण एक ही स्थान वाली भिन्न-भिन्न ध्वनियों में भी पाया जाता है, यथा—एतत् + विष्णामि = एतस्तिष्णामि।

घोषीकरण—बाह्य मन्धगत घोषीकरण के सम्बन्ध में पीछे (पृ० 170) बताया ही जा चुका है।

अघोषीकरण—इसी प्रकार शब्दान्त की घोष + शब्दादि की अघोष ध्वनि कम में अन्तिम घोष ध्वनि आने वाले शब्द की अघोष ध्वनि के अनुसृत बदल जाती है, यथा—किंद् + सु = विपसु, तिद् + ता = छेता, ककुम् + सु = ककुसु, उर् + स्थानम् = उस्थानम्।

अल्पप्राणोच्चारण—ऐसे ही पदों के महाप्राण + अल्पप्राण अनुसृत में महाप्राण ध्वनि के स्थान पर अल्पप्राण ध्वनि हो जाती है इसके उदाहरण वृत् प्रत्ययों के योग में दिए जा चुके हैं।

अनुनासिकीकरण—शब्दान्त की अघोष + नासिक्य ध्वनि कम में अघोष ध्वनियों आने वाले शब्द की नासिक्य ध्वनियों में परिवर्तित अथवा समीकृत हो जाती है। इनमें यदि आगे वाले शब्द की प्रारम्भिक नासिक्य ध्वनि न है और वह किसी प्रत्यय का अग्र है तो यह अनुनासिकीकरण निरर्थक होना है अन्यथा यह घोषीकरण के साथ विकल्प में होता, यथा तन् + मयम् = तन्मयम्, वाक् + मात्रम् = वाक्मात्रम्, अर् + मयम् = अर्मयम्, अर् + मात्रम् = अर्मात्रम्, वाक् + तिताड् = वाक्तिताड्, /वाक् तिताड्, एतन् + मनुष्य = एतन्मनुष्यः, एतद्मनुष्यः, एतद् + मूल = एतद्मूल, एतद्मूलः, तन् + भाष = तन्भाष, तद्भाष

अनुनासिकीकरण—सन्तुत में प्रायः पदान्त में आने वाले म् का अनुस्वार हो जाता है। दो पदों के अनुसृत में इस अनुस्वार का उपस्वारण, अनुस्वरां और उपस्वरां

को छोड़कर अगले शब्द की प्रारम्भिक स्पर्श ध्वनि की स्थानीय नासिक्य ध्वनि के हो जाता है, यथा—त्वं करोषि = त्वङ्करोषि, अहं करोमि = अहङ्करोमि, शीघ्रं चलति = शीघ्रञ्चलति, पटं तनोति = पटङ्गतनोति, अहं पचामि = अहण्पचामि ।

ऊष्मोकरण—संस्कृत में पूर्व पद के अन्त में आने वाले विसर्गों का उच्चारण अगले पद की प्रारम्भिक ध्वनि के अनुसार कई रूपों में बदल जाता है । प्रायः क् प् से पूर्व में होने पर इनका इनका उच्चारण स, यथा—नमस्करोति, बृहस्पति, च् छ् में पूर्व में श्, ट्, ठ् से पूर्व में ष् तथा त्, थ् से पूर्व में होने पर स हो जाता है । क्, ख् एव प्, फ् से पूर्व इनका उच्चारण जिह्वामूलीय एव उपदमानीय भी होता है यथा—कङ्करोति, कङ्पचति (दे० व्यञ्जन ध्वनिया) ।

रेफ़ीकरण—किन्तु यदि पदान्त विसर्गों से पूर्व में अ, आ के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर हो तथा आने वाले शब्द की आदि ध्वनि कोई स्वर, घोष व्यञ्जन, नासिक्य व्यञ्जन, अन्तस्य या ह हों तो इसका उच्चारण र के समान होता है, यथा—गौ + अयम् = गौरयम्, साधु + गच्छति = साधुर्गच्छति, भानु = याति = भानुर्याति । किन्तु इन्हीं अवस्थितियों में यदि विसर्गों से पूर्व में अ ही और बाद में भी अ स्वर हो तो इनका ओ हो जाता है और यदि कोई अन्य स्वर हो तो इनका उच्चारण नहीं होता है यथा—पुरुषः + अस्ति = > पुरुषोऽस्ति, देवः + गच्छति, > देवो गच्छति, कृष्ण + वदति > कृष्णो वदति, देवः + हसति > देवो हसतिः ।

भाग . चार

रूप-रचना

रूपिम प्रक्रिया

रूपिम विज्ञान : एक परिचय—पाश्चात्य भाषाशास्त्रीय विश्लेषणों के क्षेत्र में रूप यामिक विश्लेषण (Morphemics) एक आधुनिकतम विकास है. किन्तु भारतवर्ष में इस शाखा का पूर्ण विकास अति प्राचीन काल में ही हो चुका था। महर्षि पाणिनि की अष्टाध्यायी इसका एक जीवन्त प्रमाण है। इसके अन्तर्गत भाषा विशेष के रूपों अथवा पदों का वैज्ञानिक ढंग में अध्ययन एवं विश्लेषण किया जाता है। ध्वनिविज्ञान के क्षेत्र में जिस प्रकार अध्ययन तथा विश्लेषण का क्षेत्र स्वन, स्वनिम तथा संस्वन होना है उसी प्रकार रूप विज्ञान में रूप, रूपिम तथा संरूपों की स्थिति होती है। 'रूपिम' (Morpheme) शब्द की रचना 'स्वनिम' शब्द के साम्य पर ही की गयी है। रूपग्राम-विज्ञान (Morphemics) के अन्तर्गत जिन भाषिक तत्त्वों का अध्ययन किया जाता है वे हैं—1. रूप (Morph), 2. रूपिम (Morpheme) तथा 3. सरूप (allomorph)।

क्योंकि इन तीनों ही तत्त्वों के विश्लेषण एवं अध्ययन का आधार भाषा की वह इकाई है जिसे 'रूप' (morph) या पद कहा जाता है अतः इनका विवेचन करने से पूर्व पद अथवा रूप के स्वरूप को समझ लेना भी आवश्यक है।

रूप/पद—जिम प्रकार केवल क्, ख्, द्, त्, प् आदि ध्वनिपरों के संयोग मात्र से किसी माप्यं ईकाई (शब्द) की रचना नहीं हो जाती उसी प्रकार केवल शब्दों के सम्बन्ध मात्र से भाषा की अर्थवान् इकाई वाक्य की रचना नहीं होती। इस सम्बन्ध में यहाँ पर यह भी समझ लेना आवश्यक है कि भाषाशास्त्रोप परिवेष्ट में शब्द तथा पद/रूप एक ही तत्त्व नहीं। शब्द एक इकाई है जो कि किसी प्रकार के सम्बन्ध तथा विभक्ति प्रयत्न आदि में रहित होता है। वाक्य में मात्र इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। संस्कृत के वैयाकरणों की परिभाषा में इसे 'प्रातिपदिक' अथवा मूल शब्द कहा जाता है। वाक्य में प्रयोग की योग्यता प्राप्त करने के लिए इसे पद की योग्यता प्राप्त करना आवश्यक होता है। संस्कृत वैयाकरणों ने तो विधान ही किया है—अपद न प्रयुञ्जीत अर्थात् जो प्रातिपदिक पदत्व की प्राप्ति नहीं हुआ है उसका वाक्य में प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। किसी प्रातिपदिक को पदत्व की प्राप्ति कराने के लिए उसके साथ सुबन्त प्रत्ययों (गजा, विशेषण तथा सर्वनाम बोधक शब्दों के साथ) तथा तिङन्त प्रत्ययों (क्रियाबोधक शब्दों के साथ) का योग आवश्यक होता है। इन्हीं प्रत्ययों के आधार पर किसी वाक्य के अग्रभूत पदों (रूपों) के परस्परिक सम्बन्धों का ज्ञान होता है। इसलिए इन्हें 'सम्बन्ध तत्त्व' कहा जाता है तथा इन्हीं के योग से शब्द रूपत्व की प्राप्ति करता है, इसलिए इन्हें 'रूपतत्त्व' भी कहा जाता है। विभक्ति प्रधान भाषाओं में इन सम्बन्ध तत्त्व या रूपतत्त्व को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। जैसे महान् वा यह वाक्य है—
 बालकः अश्वं पश्यति 'बालक थोड़े को देखता है ?' इसमें बालक, अश्व, पश्य मूल शब्द हैं। इनका इसी रूप में न-तों वाक्य में प्रयोग किया जा सकता है और न प्रयुक्त होने पर किसी अर्थ का बोध करा सकते हैं। वाक्य में इनके प्रयोग तथा सम्बन्ध बोध के लिए इनके साथ विभक्ति प्रत्ययों का योग आवश्यक होता है। उपर्युक्त वाक्य में ही 'बालक' एक अर्थ बोधक इकाई तो है किन्तु वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों के साथ उसका क्या सम्बन्ध है इसका ज्ञान उनके साथ लगे हुए विभक्ति प्रत्यय 'सु' (द्विगों) में ही हो सकता है। यहाँ पर विद्वानों की स्थिति यह बतलायी है कि यह अर्थवान् तत्त्व इसमें वर्तनी है तथा एक है। इसी प्रकार 'अश्व' के साथ 'अश्' की स्थिति उनके वर्तमान एक एकरत्वं का बोध करायी है व 'पश्यति' में 'ति' की स्थिति उन किया की वर्तमान काल में, अन्य पुरुषों एक व्यक्ति के द्वारा किये जाने की स्थिति का दर्शाती है। हिन्दी में भी यद्यपि बालक के साथ किसी विभक्ति विह्व का योग दिखाई नहीं देता, पर वाक्य में उसकी स्थिति उनके वर्तमान का, तथा छोड़े के साथ उनके विह्वि ए एक को उनके वर्तमान का तथा बेल के साथ ता एव 'हे' की स्थिति उनके वर्तमान काल, अन्य पुरुष एवं एकरत्वं का बोध करायी है। तथा ये सभी पद अग्ने-अग्ने रूप में इस प्रकार वर्तनी, कर्म एवं क्रिया क सम्बन्ध को दर्शन करते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि ध्वनियों का

एक विशिष्ट आकारवान् तथा विशिष्ट अर्थवान् ध्वनि समूह ही रूप है। रूपग्राम या रूपिम रूप या पद के सम्बन्ध में उपर्युक्त संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लेने के उपरान्त अब हम रूपग्राम के स्वरूप को समझने का यत्न करेंगे। भाषा विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी विद्वानों ने रूपिम के स्वरूप को स्पष्ट करने का यत्न किया है, यद्यपि उनकी परिभाषाओं में वही विविधता पायी जाती है जो कि हम स्वनिम के सम्बन्ध में देख चुके हैं। इनमें से कुछ विद्वानों के द्वारा दी गयी परिभाषाओं को देखा जा सकता है। प्रसिद्ध अमेरिकन भाषा शास्त्री लिओनार्ड ब्लूम फोर्ड लिखते हैं—

‘A linguistic form which bears no partial phonetic semantic resemblance to any other form in the language is morpheme.’
अर्थात् रूपिम या पदग्राम वह भाषायी रूप है जिसका भाषा विशेष के किसी अन्य रूप से किसी प्रकार का ध्वन्यात्मक तथा अर्थगत सादृश्य नहीं होता है।’

प्लीसन इसे ‘भाषायी’ संरचना की न्यूनतम अर्थवान् इकाई मानता है। (smallest meaningful unit in the structure of a language)। लगभग इसी से मिलती जुलती परिभाषा दी है हॉकेट ने भी ‘Morphemes are the smallest individually meaningful elements in the utterance of a language’। इसी का स्पष्टीकरण पाया जाता है ब्लाख तथा ट्रेगर में भी। इनके अनुसार रूपग्राम भाषा की वह न्यूनतम अर्थवान् इकाई है जिसे कि पुनः अर्थवान् इकाई में छण्डित नहीं किया जा सकता है। यह इकाई मुक्त भी हो सकती है और आबद्ध भी (Any form whether ‘free’ or ‘bound’ which can not be divided into smaller meaningful parts is a morpheme)।

इन सभी परिभाषाओं पर विचार करने पर रूपग्राम के स्वरूप के सम्बन्ध में जो बात स्पष्ट होनी है वह यह है कि यह भाषा की वह सधुतम इकाई है जो कि अर्थवान् होती है तथा जिसका पुनः किन्ही अर्थवान् इकाइयों में विभाजन नहीं किया जा सकता है। यथा—बालक पुस्तक पढ़ता है। इसमें ‘बालक’ ‘पुस्तक’ ऐसे रूपिम हैं जो अर्थवान् भी हैं तथा बिनका आगे विभाजन भी नहीं किया जा सकता है। किन्तु संस्कृत में बालकः तथा पुस्तकम् वा विभाजन प्रवृत्ति तथा प्रत्यय के रूप में हो सकता है। किन्तु ‘पढ़ता है’ का विभाजन ‘पढ़ + ता + है’ के रूप में हो सकता है तथा ये तीनों ही खण्ड किसी न किसी अर्थ का द्योतन भी करते हैं। अर्थात् ‘पढ़’ से ‘पठन-क्रिया’ का, ‘ता’ से अन्य पुरुष एक वचन का, तथा ‘है’ से अन्य पुरुष एक वचन एवं वर्तमान काल का बोध होता है। अतः पद की दृष्टि में ‘पढ़ता है’ भले ही एक पद माना जाए पर रूपिम की दृष्टि से इसमें तीन रूपिम हैं, क्योंकि ये तीनों ही सधुतम इकाई होने पर भी सार्थक हैं, जबकि बा + ल + क अथवा धुन् + त + क की ऐसी स्थिति नहीं है। अतः रूपिम केवल धातु या प्रातिपदिक ही नहीं, अपितु वे

सभी तत्त्व हैं जो कि उनको पदत्व का पद दिलाने तथा प्रयोगयोग्य बनाने में योगदान करते हैं।

पद तथा पदग्राम के स्वरूप को एक अन्य उदाहरण में हम प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। एक वाक्य है—'अध्यापक ने बालक को छड़ी से पीटा' अथवा अध्यापक छात्रं दण्डेन अताडयत्। इस वाक्य में पद विभाजन की दृष्टि से केवल चार पद हैं : 1. अध्यापक ने, 2. बालक को, 3. छड़ी से, 4 पीटा, किन्तु रूपग्राम की दृष्टि से इनकी सख्या आठ है अर्थात् (1) अध्यापक, (2) ने, (3) बालक, (4) को, (5) छड़ी, (6) से, (7) पीटा, (8) आ। इनमें से प्रत्येक का अपना अर्थ है तथा इसमें आगे इनका सार्थक इकाई के रूप में विभाजन भी नहीं हो सकता है। अन्तिम रूप ग्राम आ—वा अर्थ है, भूतकाल, एक वचन। अतः ये सभी रूपग्राम की कोटि में आते हैं।

रूपियों के भेद—रूपियों का वर्गीकरण सामान्यतः उनकी रचना, प्रयोग, अर्थतत्त्व, सम्बन्धतत्त्व एवं लक्षणीकरण आदि के आधार पर किया जाता है। इन्हें इस प्रकार दिखाया जा सकता है।

प्रयोग एवं रचना के आधार पर—प्रयोग एवं रचना के आधार पर इनके तीन भेद पाये जाते हैं—

1. मुक्त रूपिम—मुक्त रूपिम का प्रयोग सर्वथा स्वतन्त्र रूप में हुआ करता है। हिन्दी आदि भाषाओं में इसका शुद्ध रूप प्राप्त नहीं होना है। क्योंकि 'राम पुस्तक पढ़ता है' जैसे वाक्यों में यद्यपि राम, पुस्तक जैसे पद मुक्त रूपग्राम प्रतीत होते हैं, किन्तु इनमें भी शून्य प्रत्यय के रूप में कर्तृत्व एवं कर्मत्व का रूपिम विद्यमान रहता है। मन्तः इन्हें मुक्त रूपिम का आदर्श उदाहरण मानना मगत नहीं, मसकृत में—'राम पुस्तकं पठति' में यह स्पष्ट रूप से विद्यमान रहता है। इसका आदर्श उदाहरण है अवेबी का विभक्ति प्रत्यय फॉर्म (from), क्योंकि इसका प्रयोग कभी किसी अन्य रूपग्राम के साथ नहीं किया जा सकता है।

2 बद्ध रूपिम—जिन रूपियों का प्रयोग मदा ही किसी अन्य रूपिम के साथ जोड़कर ही किया जा सकता है। उन्हें 'बद्ध' कहा जाता है। यह संयोग शब्द के आदि में भी हो सकता है और अन्त में भी। यथा—अज्ञान = अ + ज्ञान, अनायास = अन् + आयास, पराजय = परा + जय, सुन्दरता = सुन्दर + ता, तिसुख = तिसु + ख, मानवता = मानव + ता। इन पदों में अ, अन्, परा, ता, ख, ता आदि सार्थक इकाइयाँ तो हैं किन्तु इनका प्रयोग कभी भी स्वतन्त्र रूप में नहीं किया जा सकता है। इन्हें मदा ही किसी अन्य रूपिम के साथ बांध कर प्रयोग में लाया जाता है। अतः ये बद्ध रूपिम कहलाते हैं। इसी प्रकार 'जड़के' लड़का + ए का बहुवचन मूकक ए' अथवा देखा - देखा + आ का भूतकाल, एक वचन मूकक आ आदि भी आबद्ध रूपियों की कोटि में आते हैं। अरबी, मुण्डा आदि कुछ भाषाओं में इनकी विधि

मुक्त रूपिम के मध्य में भी पायी जाती है, क्-त्-ल् > का-ति-ल, मं-सि > म-प-सि आदि ।

3. मुक्त-बद्ध-रूपिम—इस वर्ग के अन्तर्गत उन रूपिमों का परिगणन होता है जिनका कि प्रयोग स्वतन्त्र एवं आवद्ध दोनों ही रूपों में किया जा सकता है । ये प्रायः सामासिक रूपों में पाये जाते हैं, यथा चन्द्रकला, विश्वव्यापी । इनमें से प्रत्येक रूप का स्वतन्त्र रूप में भी प्रयोग हो सकता है तथा इन प्रयोगों में वे एक दूसरे के साथ आवद्ध भी होते हैं । इन्हें मिश्रित रूपिम भी कहा जा सकता है । इन कोटि के रूपिमों की स्थिति मुक्त + मुक्त की भी हो सकती है जैसे कि ऊपर के उदाहरणों में दिवाया गया है तथा बद्ध + बद्ध की भी, यथा—‘तारतम्य’ में । यद्यपि तारतम्य का संयुक्त प्रयोग तो होता है किन्तु ‘तार’ तथा ‘तम्य’ दोनों का पृथक्-पृथक् स्वतन्त्र प्रयोग नहीं हो सकता है । यही स्थिति अंग्रेजी के (de-ceive) में भी देखी जाती है ।

अर्थदर्शी रूपिम—वाक्य में प्रयुक्त किये जाने वाले पदों के अर्थत्व का निर्देश करने वाले रूपिमों को अर्थदर्शी रूपिम कहा जाता है । ये रूपिम ही किसी भी भाषा के आधारभूत तत्त्व हुआ करते हैं । प्राचीन भारतीय व्याकरण इन्हें ‘प्रातिपदिक’ तथा ‘धातु’ की संज्ञा से अभिहित करते हैं किन्तु आबकल की भाषा वैज्ञानिक शब्दावली में उन्हें ‘प्रकृति’ कहा जाता है । प्रत्येक भाषा के संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया एवं क्रिया विशेषण, के सूचक रूप इसके अन्तर्गत परिगणित होते हैं । राम, सीता, दूध, फल, आदि संज्ञा बोधक रूप, साधु, असाधु, हरित, पीत आदि विशेषण बोधक रूप तथा √पा-√वा-√लिख, आदि क्रिया रूप सभी अर्थदर्शी रूपिम के उदाहरण हैं ।

सम्बन्धदर्शी रूपिम—वाक्य में प्रयुक्त विभिन्न पदों के पारस्परिक सम्बन्धों को अभिव्यक्त करने वाले रूपिमों को सम्बन्धदर्शी रूपिम के नाम से अभिहित किया जाता है भाषाशास्त्रियों ने इन्हें कई रूपों में वर्गीकृत किया है जिनमें से प्रमुख हैं—

1. सामासिक—जब दो या अधिक अर्थदर्शी रूपिम अपने विभक्ति प्रत्ययों का परित्याग कर एक नये पद की संरचना करते हैं तो वह पद एक समस्तपद हो जाता है किन्तु समस्त होने पर भी उन दोनों के बीच सम्बन्धदर्शी तत्त्व की अप्रत्यक्ष स्थिति पायी जाती है । यथा राजपुरुष, पर्वतशिखर आदि । राजपुरुष में राजा के द्वारा नियोजित व्यक्ति के अर्थबोध के साथ रूपिमों के बीच के सम्बन्ध का भी व्यक्तीकरण होता है ।

2. स्वतन्त्र शब्द-रूप—इनकी स्थिति मुख्यतः वियोगात्मक भाषाओं में पूर्वसर्गों तथा परसर्गों के रूप में पायी जाती है । हिन्दी के को, ने, से, का, में, पर आदि परसर्ग इसके आदर्श उदाहरण कहे जा सकते हैं । अंग्रेजी के पूर्वसर्गों 10,

from, of आदि की गणना भी इसी कोटि में होती है।

3. सयोग—इन अर्धदर्शी रूपियों की स्थिति किन्हीं अन्य अर्धदर्शी रूपियों के साथ-साथ मयुक्त रूप में भी पायी जाती है। यह सयोग स्वतन्त्र अर्धदर्शी रूपिम के पूर्व भी हो सकता है तथा पश्चात् भी। पूर्वयोग (prefix)—यथा, बुज्ज (बुद् + जन), अनपद् (अन् + पद्), पश्चयोग—यथा, निशुत्व (निशु + त्व), मानवीय (मानव + ईय), लघुता (लघु + ता)।

4 आन्तरिक परिवर्तन—इनमें अर्धदर्शी रूपिमो के मध्य में किसी ध्वनि का प्रतिस्थापन करके उनके सम्बन्धों की अभिव्यक्ति की जाती है, जैसे पुत्र से पौत्र, सुहृद् से सौहार्द, मित्र से मैत्री आदि। अंदेशों के man > men, sing > sang, sangh आदि भी इसी कोटि के रूपिमिक परिवर्तन हैं।

5. शून्य अथवा प्रभावरूप—लिग, वचन, कालादि बोधक किसी रूपिम के सयोग के बिना ही मूल रूपिम का प्रयोग किया जाना, यथा हिन्दी के राजा, साधु, मुनि, √भा-१/जा-१/चल्-आदि निर्विभक्तिक रूप।

6 द्वित्व रूप—इसका अभिप्राय है मूल रूपिम की ध्वनियों का द्वित्व किया जाना। संस्कृत के क्रिया रूपों—स्मारस्-स्मारस्, बडगाँ, पपाठ, आदि में इसकी स्थिति पायी जाती है। हिन्दी में प्रायः अनुकरणात्मक धातुमूलों में इस प्रकृति को देखा जाता है यथा, खड़खड़, पटपट, टकटक, आदि।

इसके अतिरिक्त खण्डीकरण के आधार पर भी रूपिमो का वर्गीकरण किया जाता है। इसके दो भेद हैं—

1. खण्डात्मक रूपिम (Segmental Phonemes)—जिन रूपिमो का विभाजन गार्थक इकाइयों के रूप में किया जा सकता है वे खण्डात्मक रूपिम कहलाते हैं, जैसे देखा = देख् (क्रिया) + अ (भुक्तकाल, ए० व०), मनुष्यत्व = मनुष्य + त्व (भाव), सोन्दर्य = सुन्दर + य (भाव)।

2. अधिलक्षणिक या अखण्डात्मक रूपिम—जिन रूपिमो को पृथक्-पृथक् इकाइयों के रूप में विभक्त नहीं किया जा सकता है उन्हें अखण्डात्मक रूपिम कहा जाता है। इसके अन्तर्गत बनापात, तान तथा मुरलहर जैसे भाषाई तरंगों का समावेश होता है।

संक्षेप—जब एक ही अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए एक से अधिक रूपिमो का प्रयोग किया जाता है और उनका ध्वन्यात्मक परिवेग निश्चित होता है अर्थात् वे परस्पर पन्धुरक विवरण में घटित होते हैं तो उन्हें रूपिम विवेक के संक्षेप कहा जाता है। उदाहरणार्थ, हिन्दी में कर्ता कारक के बहुवचनीय रूपों की रचना में ए, एं, यां, ई (केवल अनुनासिका) तथा औं रूपिमों का प्रयोग किया जाता है। किन्तु एक ही अर्थ (बहुवचन) के बोधक हान पर भी ये भिन्न-भिन्न हैं तथा भिन्न-भिन्न ध्वन्यात्मक परिवेगों में प्रयुक्त होते हैं अर्थात् द्विग परिवेग में एक का प्रयोग होता है उगमें

ह्रस्व का नहीं, यथा—

1 ए—पुलिंग आकारान्त शब्दों में, जैसे—लड़का से लड़के, घोड़ा से घोड़े, कपड़ा से कपड़े ।

2 एं—इसका केवल मात्रिक रूप ह्रस्व स्त्रीलिंग शब्दों के साथ प्रयुक्त होता है, यथा बहिनू > बहिनें, रातू > रातें तथा स्वतन्त्र रूप आकारान्त, उकारान्त, ऊकारान्त तथा औकारान्त स्त्रीलिंग शब्दों के साथ प्रयुक्त होता है, जैसे माता > माताएं, शाखा > शाखाएं, कथा > कथाएं, धातु > धातुएं, वस्तु > वस्तुएं, बहू > बहूएं, गी > गीएं आदि ।

3 याँ—इस संरूप का प्रयोग इकारान्त तथा ईकारान्त स्त्रीलिंग शब्दों के साथ किया जाता है—नीति > नीतियाँ, शक्ति > शक्तियाँ, नदी > नदियाँ, रानी > रानियाँ, रोटी > रोटियाँ आदि ।

आँ—केवल सानुनासिक आस्वर का प्रयोग उन स्त्रीलिंगी रूपों के साथ किया जाता है जिनका मूल रूप या में अन्त होता है, जैसे गुड़िया > गुड़ियाँ, डिविया > डिवियाँ, बुढ़िया > बुढ़ियाँ आदि ।

शून्य उपरूप का प्रयोग उपर्युक्त परिवेशों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के पुलिंग बोधक रूपों के साथ किया जाता है, यथा ह्रस्व पुलिंग—घाए, काम्, घए, गाँ, गण, जन्, आदि आकारान्त—चाचा, दादा, मामा, इकारान्त—रवि, कवि, मुनि; ईकारान्त—तेली, माली, भाई, हाथी, पक्षी, उकारान्त—साधु, गुह, ऊकारान्त—डाकू, उलू लड्डू, भासू, एकारान्त—चौबे, दूबे, ओकारान्त—रासो, ओकारान्त—जो आदि ।

उपर्युक्त संरूपावली में से/ए/या/ए/ को ह्रस्व तथा अन्यो को संरूप माना जा सकता है क्योंकि इनका प्रयोग क्षेत्र अन्यो का अपेक्षा अधिक विस्तृत है ।

लगभग यही स्थिति अंग्रेजी में भी बहुवचनीय रूपों के विषय में देखी जाती है । वहाँ पर हमें इसके 6 मरूप (-s, -z, -iz-ren, en, θ) देखने को मिलते हैं, पर सभी का ध्वन्यात्मक परिवेश निश्चित होने में ये सभी पूरक वितरण में ही घटित होते हैं । अर्थात्—s संरूप का प्रयोग अघोष स्पर्शों के बाद (cat > cats, book > books), -z घोष ध्वनियों के बाद (dog > dogs, wood > woods, eye > eyes); संरूप—iz का ऊष्मो तथा स्पर्श-संघर्षी ध्वनियों के बाद (rose > roses, horse > horses); ren वा केवल कुछ शब्दों के साथ (child > children, brother > brothers), -en का कुछ रूपों के साथ (ox > oxen, -en (शून्य रूप) का प्रयोग भी रूपों की कुछ सीमित संख्या के साथ ही प्रयुक्त होता है । यथा, fish, sheep, deer आदि ।

संस्कृत के कारकीय रूपों में प्रत्येक विभक्ति के प्रत्येक वचन के प्रत्ययों के कई कई संरूप पाये जाते हैं, यथा तृतीया एक वचन - आ (महता = महत् + आ), -एन

(रामेण = राम + एण), -ना—(कविना = कवि + ना) । ऐसे ही ब. व में ऐस् >, ऐ, भित् यथा, रामे : (राम + ऐस्), कविभि : (कवि + भित्) आदि ।

रूप (Morph)—अर्थ की दृष्टि से रूप तथा रूपिम में कोई अन्तर नहीं, दोनों ही भाषा की अविभाज्य अर्थवान् इकाइयाँ हैं। अन्तर केवल इनके स्तर का है अर्थात् रूपिम का सम्बन्ध भाषा की इन इकाई के स्वनिमात्मक स्तर के साथ है तो रूप का इनके लेखिमात्मक स्तर से। ध्वन्यात्मक लिपि वाली भाषाओं में यह अन्तर बहुत कम पाया जाता है किन्तु अध्वन्यात्मक लिपि वाली भाषाओं में यह बहुत अधिक होता है, यथा अंग्रेजी में 'हाई' का रूपिम होगा [hai] किन्तु रूप है high । इसी प्रकार higher में दोनों रूपिम होंगे [hai-ə:] किन्तु रूप होगा high-er, हॉरिंट ने यह पारिभाषिक विभेद भाषाओं के इन दोनों रूपों का विवेचन करने के लिए प्रारम्भ किया था । हिन्दी में तो यह विभेद बहुत कम पाया जाता है किन्तु अंग्रेजी, फ्रेंच, तिब्बती आदि भाषाओं में यह पदे-पदे पाया जाता है । उदाहरणार्थ तिब्बती में भूटानी के लिए जों शब्द है उमका रूप (लेखिमात्मक प्रतिनिधि तो है <हू-दु-य> किन्तु रूपिम होगा /हुफ्-या/ । ऐसे ही एक के वाचक शब्द का रूपिम तो है /चिक्/ किन्तु रूप है <गूचिग् ।

पद-रचना—संस्कृत की पद रचना प्रक्रिया पर विचार करने से पूर्व यहाँ पर प्राचीन भारतीय वैयाकरणों द्वारा निर्दिष्ट उमके स्वरूप एवं उमके प्रकारों का सक्षिप्त परिचय दे देना अवगत न होगा ।

पदों का वर्गीकरण—संस्कृत में पदों को भिन्न-भिन्न आधारों पर कई प्रकार का माना गया है ।¹ किन्तु प्रस्तुत प्रकरण में हम यहाँ पर केवल वैयाकरणों के द्वारा प्रतिपादित पद-विभाग का ही उल्लेख करेंगे । वैयाकरणों के भी कई पक्ष हैं, इनमें से तीन प्रमुख हैं, जिन्हें कि द्विधापक्ष, त्र्युर्धापक्ष एवं पञ्चधापक्ष के रूप में प्रस्तुत किया जाता है । इनमें से पहला पक्ष केवल 'नाम' (substantive) और 'आह्वय' (verb) को ही पद मानता है । अर्थात् जिन पदों से इष्ट्य अथवा सत्व प्रतीति होती है वे 'नाम' पद कहलाते हैं तथा जिनमें भाव अर्थात् क्रिया की प्रतीति

1. अर्थ-बोधयता के आधार पर शाहृषियकों में इनके तीन भेद—वाचक, लक्षण एवं व्यक्क मानते हैं । शब्दोऽपि वाचकतत्त्वस्मरणो ध्यत्रप्रस्तथा (मा० ८० 2 19) । इसी प्रकार व्युत्पत्ति के आधार पर इनके चार भेद—कृत्, यौगिक, यौगन्तु एवं यौगिक रूप मान गए हैं, तथा च प्रवृत्ति निमित्तता के आधार पर भी इनके चार भेद—ज्ञानि, गुण, क्रिया, इष्ट्य माने गए हैं । षडुत्पत्तौ लक्षणप्रवृत्ति । ज्ञानितया गुणतया चिन्तितया यदुत्पत्तौ लक्षणप्रवृत्ति (महा० भा० 2, मा० ८० परि० 2) इत्यादि ।

होती है वे 'आख्यात' पद कहलाते हैं ।¹

दूसरा पक्ष चार प्रकार के पदों की स्थिति स्वीकार करता है, जिनके नाम हैं— नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात । प्रथम मत में उपसर्ग और निपातों का अन्तर्भाव नाम और आख्यात के अन्तर्गत ही कर लिया जाता है, किन्तु इस मत में इनकी पूषक् सत्ता स्वीकार की जाती है, क्योंकि अर्थ की दृष्टि से ये नाम और आख्यात दोनों में सर्वथा भिन्न अर्थों की प्रतीति कराते हैं, अर्थात् नाम और आख्यात दोनों ही वाचक हैं तथा उपसर्ग और निपात दोनों द्योतक हैं ।²

पदों को चार भागों में विभक्त करने की परम्परा अति प्राचीन है । स्वयं महाभाष्यकार ने चार प्रकार के पद विभाग—नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात को स्वीकार किया है ।³ यही पद-विभाग सबसे अधिक मान्य एवं प्रचलित है । इसके अतिरिक्त एक मत और भी है जो इन उपयुक्त चार प्रकार के पदों के अतिरिक्त कर्म प्रवचनीयों को पूषक् रूप से एक पद विभाग स्वीकार करता है । इसके अनुसार कर्म-प्रवचनीय उपसर्गों के समान साक्षात् रूप से किसी क्रिया की विशेषता का द्योतन नहीं करते, अर्थात् वे तो क्रिया के साथ किसी कर्तृ भिन्न संज्ञा या मर्दानाम का सम्बन्ध व्यक्त करने हैं । अतः ये उपसर्गों से भिन्न हैं ।⁴ किन्तु चार प्रकार का पद विभाग करने वाले आचार्य कर्मप्रवचनीयों को उपसर्गों के अन्तर्गत ही मानते हैं ।

रूपरचना की दृष्टि से पद विभाग—वस्तुतः भाषाशास्त्र की दृष्टि से किया गया पद-विभाग ही किसी के भाषा-शास्त्रीय अध्ययन के लिए अभिप्रेत होता है ।

1. भावप्रधानमाख्यातं सत्त्वप्रधानानि नामानि । निरुक्त 1. 1.

2. नह्येती साक्षादर्थवदतः अपिदुतद्गतविशेषद्योतकविति । वाचकाभ्यां नामाख्याताभ्यां प्रविभक्तौ । हेलाराज, वाक्य० 3. 1. 1.

3. तान्येतानि चत्वारि पदजातानि नामाख्याते चोपसर्गं निपातश्च । तानीमानि भवन्ति । निरुक्त 1. 1. 1.

नामोख्याते चोपसर्गं निपातश्चेति वैयाकरणाः । निरुक्त, 18. 1. 1.

चतुर्णां पदजातानां नामाख्यातोपसर्गं निपातानां सत्यपद्यो गुणो प्रातिपत्तम् । अथर्व. प्राति० 1. 1. 1.

चत्वारि शृंगा-चत्वारि पदजातानि नामाख्यातोपसर्गनिपातश्च । महा० 1. 1. 1.

4. साक्षात् क्रियाविशेषप्रकाशनाभावात्तदपि पंचमम् । हेला. वाक्य० 3. 1. 1. और भी—महाभाष्यकार के अनुसार उपसर्ग क्रिया के विशेषक माने गए हैं, यथा—क्रियाविशेषक उपसर्गः 1 पचतीति क्रिया गम्यते, तां प्रो विशानष्टि । महा० 1. 3. 1.

इस दृष्टि में संस्कृत के पदों की दो भागों में विभक्त किया जाता है । (1) मुबन्त, (2) तिङन्त । आचार्य प्राणिनि ने अपने भाषा-शास्त्रीय विवेचन में इन्हीं दो विभागों को स्वीकार किया है ।¹ दूसरे शब्दों में ये नाम (मुबन्त) और आख्यात (तिङन्त) के ही पर्यायवाची हैं । आचार्य प्राणिनि ने उपमार्गों को इसलिए पद नहीं माना कि रूपरचना में इनका स्वतन्त्र-रूप में प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि ये सदा ही नाम और आख्यातों के साथ प्रयुक्त होते हैं । इसी प्रकार उन्होंने निपातों (अध्ययों) की गणना मुबन्तों में कर डाली है । यद्यपि इनमें मूळ विभक्तियों का प्रयोग नहीं होता, फिर भी 'अपभ्रंश प्रयुज्यते' 'ओ पद नहीं उसका प्रयोग भाषा में नहीं करना चाहिए' के उपाकरण सम्मत् विधान का निर्वाह करने के लिए उन्होंने निपातों में भी मूळ विभक्ति का विधान करके उसका लोप कर दिया है ।²

संस्कृत पदरचना के घटक तत्त्व—संस्कृत की पदरचना के मुख्य घटक तत्त्व हैं प्रकृति और प्रत्यय ।

प्रकृति—यद्यपि आधुनिक पाश्चात्य भाषाशास्त्र की पारिभाषिक शब्दावली में पद रचना के घटकों "प्रकृति" के लिए केवल एक ही पारिभाषिक शब्द "मूल" (root) का प्रयोग किया जाता है, किन्तु संस्कृत व्याकरणों ने भिन्न-भिन्न सदृशों में इसके लिए भिन्न शब्दावली का प्रयोग किया है, अर्थात् मूळ तथा तद्धित के अन्तर्गत परिगणित एक विशेष प्रकार के रूपियों से पूर्व में प्रयुक्त होने वाली मूल प्रकृति की प्रातिपदिक (stem) तथा तिङ् एवं कृन् के अन्तर्गत परिगणित रूपियों से पूर्व में प्रयुक्त होने वाली प्रकृति को धातु (root) के नाम से अभिहित किया है । इन दोनों ही मूल प्रकृतियों—प्रातिपदिक एवं धातु—के अनन्तर पदसंघटना-कारी रूपियों को 'प्रत्यय' (suffixes) के नाम से अभिहित किया जाता है ।

प्रत्यय—प्रत्ययों को दो वर्गों में विभक्त किया गया है । निष्पादक प्रत्यय (stem forming suffixes) तथा रूप रचनात्मक प्रत्यय (inflectional suffixes) । संस्कृत में निष्पादक प्रत्ययों के दो वर्ग हैं त्रिन्तमे से एक को 'इत्' (Primary) तथा दूसरे को 'तद्धित' (secondary) कहा जाता है । इनमें से 'इत्' प्रत्ययों का प्रयोग धातु मूलों में शब्दमूलों के व्युत्पादन के लिए, यथा वच् + अम् > वचस् तथा तद्धित प्रत्ययों का योग प्रातिपदिक मूलों से शब्दमूलों के व्युत्पादन के लिए किया जाता है, यथा वाक् (—च्) + इक् < वाचिक ।

इसी प्रकार रूप रचनात्मक प्रत्ययों के भी दो वर्ग हैं, (1) मुबन्त, त्रिन्तमा प्रयोग मन्त्रा शब्द रूपों की रचना के लिए किया जाता है, (2) तिङन्त त्रिन्तमा प्रयोग धातुरूपों की रचना के लिए किया जाता है । इन प्रत्ययों की उत्पत्ति तथा

1. मुपूनिदिप्त पदम् । पा. 1. 4. 14.

2. अथवाहत् मूषः । पा. 2. 8. 83.

विकास का इतिहास अत्यन्त घूमिल है। इस ग्रन्थ का लक्ष्य संस्कृत के ऐतिहासिक पक्ष का विश्लेषण न होने से हम भी इसका यहां विवेचन नहीं कर सकेंगे। इसके लिए देखिए लेखक का ग्रन्थ 'संस्कृत का ऐतिहासिक एवं संरचनात्मक परिचय' (पृ० 94-98 आदि)।

इस प्रकार हम देखते हैं कि संस्कृत पदरचना के अनुसार प्रत्येक व्युत्पन्न पद में उसकी 'प्रकृति' के साथ उपर्युक्त प्रत्ययात्मक रूपिमें से किसी एक या अधिक का होना आवश्यक होता है अर्थात् संस्कृत के प्रत्येक पद का प्रथम तत्त्व प्रकृति (प्रातिपदिक या धातु) होता है तथा दूसरा प्रत्यय (मुप्, तद्धित, तिङ्, कृत्)। उदाहरणार्थ, आचार्य पाणिनि के अनुसार रामः पद में रम्- प्रकृति अर्थात् अर्थवत् प्रातिपदिक है और विसर्गं (सु) प्रत्यय एकत्व तथा कर्तृत्व का बोधक अर्थवत् तत्व है। इसी प्रकार रामौ में औ प्रत्यय द्वित्व और कर्तृत्व का बोधक अर्थवत् तत्व है। ऐसे ही पचति 'पकाता है' पद में पच् प्रकृति (धातु) अ- योजक विकरण तथा -ति प्रत्यय (अन्य पुरुषतत्त्व, एकत्व एवं क्रियात्व का बोधक अर्थवत् तत्व) है।

प्राचीन भारतीय व्याकरणों ने धातुमूलों (roots) को ही संस्कृत पद रचना का मेरुदण्ड माना है। उनके अनुसार प्रत्येक पद के मूल में कोई न कोई धातु मूल अवश्य ही रहता है। किन्तु आधुनिक भाषा-विज्ञानी सर्वत्र ही इस प्रकार की स्थिति को मानने के पक्ष में नहीं हैं। स्वयं संस्कृत में ही पद् 'पैर', मह्, 'महान्' जैसे प्रातिपदिक रूप हैं किन्तु किसी धातु मूल से व्युत्पन्न नहीं माना जा सकता। डॉ० घोष का विचार है कि ये मूल हमें उस मूल भारतीय काल से प्राप्त हुए हैं जब कि भाषा में अभी संज्ञा, क्रिया, विशेषण आदि जैसी व्याकरणिक कोटिया स्पष्ट एवं पृथक् रूप से विकसित नहीं हो पायी थीं (दे० घोष पृ० 91-92)। इसका सबसे अधिक पुष्ट प्रमाण यह है कि सभी भारतीय भाषाओं में सभी कोटियों (क्रिया, संज्ञा, विशेषण आदि) के शब्द एक ही धातु मूल से व्युत्पन्न हो सकते थे। उदाहरणार्थ, द्विप्—'घृणा' 'शत्रु', द्वेषस् (अर्थ वही) को लिया जा सकता है। इसमें नपुमक संज्ञात्मक प्रत्यय अस् वाले रूप में तथा मूल रूप में अर्थतः कोई भी मौलिक अन्तर नहीं है। दस्तुतः मूल रूप किसी निश्चित व्याकरणात्मक अर्थ का बोध न करा कर एक सामान्य भाव का बोध कराते थे। इन्हीं विकरण विहीन (athematic) रूपों से ही विभिन्न प्रत्ययों एवं विकरणों के योग से किसी भी भाव का बोधन कराया जाता था। संस्कृत में भी, जैसा कि हम ऊपर बता चुके हैं, इन्हीं मूल प्रकृतियों में कृत् या तद्धित प्रत्ययों तथा मुप् एवं तिङ् विभक्ति प्रत्ययों के योग में पद-रचना की जाती है।

नामपद-रचना—संरचनात्मक दृष्टि से संस्कृत की सम्पूर्ण नामपद-रचना प्रक्रिया को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। (1) असमस्त नामपद-रचना, (2) समस्त नामपद-रचना। प्रस्तुत विश्लेषण में हम इस अध्याय में असमस्त

नामपद-रचना के विभिन्न रूपों पर विचार नरेंगे तथा समस्त नामपद-रचना पर पृथक् रूप में अगले अध्याय में विचार करेंगे।

नामपद रचना के घटक तत्व—संस्कृत के नामपदों की रचना दो अर्थ तत्वों (रूपिणो) के योग से होती है जिन्हें संस्कृत व्याकरण की शब्दावली में प्रातिपदिक (प्रकृति, stem) तथा सुप् (प्रत्यय suffix) कहा जाता है। प्रातिपदिक भी दो प्रकार के माने गये हैं। (1) अच्युत्पन्न, (2) व्युत्पन्न। जिन प्रातिपदिकों में सरलतापूर्वक प्रकृति तथा प्रत्यय का विभेद नहीं किया जा सकता, उन्हें अच्युत्पन्न प्रातिपदिक तथा जिनमें इनका विभेद सरलता में दिखाया जा सकता है उन्हें व्युत्पन्न या धानुज कहा जाता है। निरुक्तकार यास्क तथा कुछ अन्य व्याकरणों ने सभी प्रातिपदिकों को धानुज माना है।¹ किन्तु पाणिनि तथा पतञ्जलि के अनुसार यद्यपि अधिकतर नामपद धातु मूल से ही व्युत्पन्न होते हैं, किन्तु सभी के लिए ऐसा सामान्य विधान नहीं किया जा सकता। इसीलिए उन्होंने व्युत्पन्न तथा अच्युत्पन्न नामों की प्रातिपदिक शब्दा के विधान के लिए दो पृथक्-पृथक् सूत्रों की रचना की है।²

किन्तु आधुनिक भाषा वैज्ञानिक इन प्रातिपदिकों (धानुजों का भी) अथवा मूल रूपों का जिन दो रूपों में विभाजन करते हैं, वे हैं, सविकरण (thematic) तथा अविकरण (athematic) अर्थात् निम्नमें पद-रचना के लिए गुप्, तिङ्, क्त, तद्धित आदि प्रत्ययों में पूर्व कोई अन्त-प्रत्यय (infix) या विकरण लगता है, वे सविकरण कहलाते हैं तथा जिनमें कोई विकरण नहीं लगता वे अविकरण कहलाते हैं। विकरणहीन प्रातिपदिकों के रूप मरुत तथा अन्य भारोपीय भाषाओं में पर्याप्त सख्या में पाये जाते हैं। उदाहरणार्थ, लो. (आवाग), ल्हा (पुकी), गो (गाय), ध्रू (भीट) आदि जन्ती के मूल प्रातिपदिकों में लो, ला, गो, ध्रू, तथा गुप् प्रत्यय लु (विमर्ग) के बीच कोई विकरण नहीं पाया जाता है। वे चारों ही शब्द भारोपीय मूल के माने गये हैं। इसी प्रकार राज् एव चिम् से निष्पन्न राट्~इ, विट्~इ (प्र०, ए० व०) रूपों में भी किसी प्रकार का विकरण नहीं देखा जाता। ऐसे विकरणविहीन मूल रूपों की रचना द्वित्वीकृत धातु मूलों में भी की जाती थी, यथा √हृ—मे जूहृ (ज्वाता) एव √दृह् से दृष्ट् (पकट)। इनके अनिश्चित इ, उ, एव क्त में अन्त होने वाले इन मूल रूपों में (द्वित्वीकृत अथवा अद्वित्वीकृत दोनों में ही) एक विभेदना यह भी पायी जाती है कि उनमें एक त अवच्य ही जोड़ दिया जाता था। त्वय पाणिनि का भी इस विभेदना की ओर ध्यान गया था। इनके

1. तत्र नामाख्यातजानोति शाकटायनो मंरुत समपठत् । निरुत 1. 4. 13

2 1 अपंवरतापुरप्रत्यय प्रातिपदिकम् । पा 1. 2. 45.

2 कृतद्वित्वमपातात्पठ, 1 पा 1. 2. 46.

अनुमार मित्, स्तुत्, कृत्, विद्युत् आदि का मूल रूप मि, -स्तु, -कृ, -द्यु—पा (दे० घोष पृ० 93) ।

सविकरण मूल रूपों में अधिकतर विकरणस्वर अ- पाया जाता है। डॉ० घोष के अनुसार इस विकरण स्वर -अ-को किसी प्रकार भी प्रत्यय नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एक प्रकार से इन सविकरण रूपों को भी अविकरण रूपों से ही विकसित माना जा सकता है। यद्यपि व्यावहारिक सुविधा के लिए इन्हें पृथक् कोटि में रखा जा सकता है, पर भारोपीय भाषाओं में स्पष्टतः देखा जाता है कि उनकी सामान्य प्रवृत्ति मूलतः अविकरण मूल रूपों का विकरणीकरण करने की रही है। फिर भी सामान्यतः यह विभेद मानने में कोई कठिनाई नहीं कि विकरण-हीन मूल रूपों का सम्बन्ध मुख्य रूप से विकरणहीन धातु मूलों से तथा विकरण-युक्त मूलों का सम्बन्ध विकरण युक्त मूलों से होता है, यद्यपि इनके कई अपवाद भी पाये जाते हैं।

इसके अतिरिक्त अनेक संस्कृत नाम रूपों में वैकल्पिक रूप से विकरण युक्त तथा विकरणहीन दोनों ही रूपों की स्थिति इस बात की संकेतक है कि प्राचीनकाल में शब्द रचना में दोनों ही प्रकार के मूलों का प्रयोग किया जाता था, यथा—आशुः, अपाम्, पादम्, पदः, भ्रूः, भ्रुवः, गो० गाम्, गवाम्, श्वा, श्वानम्, शून्। इत्यादि। किन्तु अनेक रूपों में ये लुप्त हो गये हैं, यथा—वाक्, वाचम्, वाचा इत्यादि। वस्तुतः संस्कृत में अधिकतर नाम रूप ऐसे हैं जिनमें कि विकरण (infix) मूल रूपों में ही सम्पूजा रहता है।

व्युत्पादक प्रत्यय—संस्कृत में व्युत्पन्न प्रातिपदिक तीन प्रकार के होते हैं—कृत् प्रत्ययान्त, तद्धित प्रत्ययान्त तथा समस्तपद। यद्यपि इनका प्रातिपदिक रूप कभी धातु रूप भी हो सकता है, यथा—द्विष् (द्विट्), द्रुह् (द्रुक्) 'द्रोह करने वाला', भास् (भा) 'चमकने वाला', वच् (वाक्) 'जो बोली जाय', दृश् (द्रुक्) 'आख' = 'जिससे देखा जाय'। इनमें धातुरूप एव धातुनाम (कृदन्त रूप) दोनों ही एक रूप में पाये जाते हैं। संस्कृत के व्याकरणों ने ऐसे रूपों की सिद्धि के लिए प्रत्ययलोप (शून्य प्रत्यय) की कल्पना की है, किन्तु सामान्यतः इसकी निष्पत्ति धातु रूप के साथ किसी प्रत्यय के योग से होती है। ये प्रत्यय विविध प्रकार के हैं तथा इनमें से अनेकों का सम्बन्ध भारोपीय काल से है। ये स्वतन्त्र शब्दों के घिसे हुए अवशेष न होकर (यथा अंग्रेजी में ली man-ly में ली है) पृथक् घटक तत्त्व होते हैं। ये धातुमूल पर भी जोड़े जा सकते हैं तथा प्रत्यययुक्त प्रातिपदिक पर भी, यथा—वच् + अस् = वचस् 'वचन', सू + अस् < स्रोतस् 'स्रोत, धारा'। क्योंकि भारो० काल से ही किसी प्रत्यययुक्त मूल में पुनः प्रत्यय का योग हो सकता था, अतः विकास की दीर्घ परम्परा में अनेक एकाधिक प्रत्यय समस्त होकर एकरूप हो गए। इसलिए परम्परागत संस्कृत व्याकरणों में इन्हें एक पृथक् इकाई (unit) के रूप में स्वीकार किया गया है।

प्रो० टी० बरो का कथन है (पृ० 119-120) कि संस्कृत के लिए इस प्रकार का प्रत्ययविभाजन सुविधाजनक होने पर भी, भारोपीय के दृष्टिकोण में इसका कोई मौलिक या पुरातन महत्त्व नहीं है। यह इसलिए कि प्राचीन शब्द रूपों में एक ही प्रत्यय का दोनों रूपों में प्रयोग देखा जाता है। इसके अतिरिक्त जहाँ कहीं किसी प्रत्यय का प्रयोग केवल 'तद्वित' (Secondary) रूप में भी पाया जाता है वहाँ ऐतिहासिक दृष्टि से यह उगकी बाद की विविष्ट स्थिति का छोटका होता है, मूल स्थिति का नहीं।

संस्कृत में सामान्यतः वन्त् (यथा अश्ववन्त् < अश्व + वन्त्) तद्वित प्रत्यय है किन्तु अर्वाङ्ग 'घोडा', पल्लव 'युवा' आदि उदाहरणों में यह 'इत्' प्रत्यय है।

इसी प्रकार अनेक शब्द रूप जो कि संस्कृत व्याकरणों के अनुसार 'इत्' प्रत्ययों से निष्पन्न होने हैं वे मूलतः तद्वित प्रत्ययों से निष्पन्न रूप हैं। उदाहरणार्थ, उद् — 'उद्बिलाव' जो कि संस्कृत के 'इत्' प्रत्यय र (ज्व् + इ) से निष्पन्न होता है, वह मूलतः तद्वित मूल का है, जिसका अर्थ है 'जल सम्बन्धी, जलीय जीव' (तुल० घीकः—उदोर 'जल')। मूलतः सभी प्रकार के ऐमेसविकरण विशेषणार्थक रूप तद्वित हैं, किन्तु पुरातन तपुसक भाववाचक सज्ञाओं (जिन पर कि ये आधारित थे) के प्रयोगबाह्य (obsolete) हो जाने में ये कृदन्त रूप हो गए। संस्कृत के नामपदों की रचना करने वाले कृदन्त एव तद्वित प्रत्ययों का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है।

इत् प्रत्ययों का पररचनारमक स्वरूप—शब्द रचना के आधारभूत एव प्रमुख उत्साहक होने के कारण पहले हम 'इत्' प्रत्ययों पर ही विचार करेंगे।

अर्थ की दृष्टि में 'इत्' प्रत्ययों को दो भागों में विभक्त किया जाता है—

(1) क्रियाधिक, (2) नामाधिक। क्रियाधिक प्रत्ययों का सम्बन्ध क्रियापद रचना के माध्य होने के कारण इनका विवेचन क्रियापदों की रचना के प्रकरण में ही किया जाएगा। यहाँ पर केवल प्रत्ययान्त नामाधिक 'इत्' प्रत्ययों का ही निरूपण किया जाएगा। संस्कृत के नामाधिक 'इत्' प्रत्ययों का प्रयोग नाम शब्दों अर्थात् सज्ञा एव विशेषण पदों की रचना के लिए किया जाता है। यद्यपि वर्तमानकालिक एवं भविष्यत्कालिक क्रियाधिक कृदन्तों का प्रयोग भी (प्रथमान्तरिक विभक्तियों के योग में) विशेषणों की रचना के लिए होता है, किन्तु इनका सम्बन्ध क्रिया-रूपों में ही अधिक होने के कारण उन्हीं प्रसंग में इनका विवेचन करना अधिक महत्त्व होगा।

इन नामाधिक 'इत्' प्रत्ययों के अनेक प्रकार के शब्दों की निर्णय की जाती है। इनकी गठना के विषय में कुछ संवाहणों में मतभेद पाया जाता है। इसका कारण यह है कि कुछ संवाहण धातुओं को अनेकसंख्य मानकर प्रत्येक नामपद को धातु (धातु + इत् प्रत्यय) मानते हैं।¹ अतः उनके मत में 'इत्' प्रत्ययों की

संख्या भी असीम हैं, किन्तु आचार्य पाणिनि आदि की दृष्टि में इनकी संख्या सीमित ही है। उन्होंने स्वयं 55 के लगभग अनुबन्धरहित 'कृत्' प्रत्ययों का विधान किया है तथा इसके अनिश्चित अव्युत्पन्न प्रातिपदिकों की रूप सिद्धि के लिए उणादयो बहुलम् (पा० 3.3 1) के द्वारा कुछ अन्य प्रत्ययों को भी स्वीकृत किया है। इनमें अनेक प्रत्यय ऐसे भी होते हैं जिनका प्रयोग अनेक अर्थों का द्योतन करने के लिए किया जाता है—

प्रयोग एवं अर्थ की दृष्टि से इन 'कृत्' प्रत्ययों का वर्गीकरण निम्न प्रमुख रूपों में किया जा सकता है—

1. कर्तृसंबंधक—अर्थात् जिन कृदन्त प्रत्ययों से निष्पन्न होने वाली सज्ञा किसी कर्ता (agent) का बोध कराती हो, यथा—कर्ता (कृ + तृच्) 'करने वाला', घातकः (हृन् + अक) 'भारने वाला', नन्दनः (नन् + अन्) 'आनन्दित करने वाला', मंत्रिन् (मंत्र + इन्) 'सलाह देने वाला' आदि।

2. कर्मसंबंधक—अर्थात् जहाँ कृदन्त प्रत्यय से निष्पन्न सज्ञा कर्म (object) का बोध कराती हो, यथा—भक्ष (अ + जन् + शून्य) 'जो पैदा न हो', कार्य (कृ + य + णिच्) 'जो किया जाए', वच् (वच् + शून्य) 'जो बोली जाए', अहंत् (अहं + अत्) 'जो पूजा जाए', भोजन (भुज् + अन्) 'जो खाया जाए' इत्यादि।

3. करणार्थक—जो कृत् प्रत्यय करणार्थक सज्ञाओं की निष्पत्ति करते हो, यथा—करण (कृ + अन्) 'जिससे किया जाए', भुजा (भुज् + अ) जिससे खाया जाए', दृक् ~ दृश् (दृश् + शून्य) 'जिससे देखा जाए' = (आख), इत्यादि।

4. सम्प्रदानार्थक—सम्प्रदानार्थक 'कृत्' प्रत्ययों से निष्पन्न संज्ञाएँ सम्प्रदानार्थ, तादर्थ्य का बोध कराती हैं, यथा—गोघ्नः (गो + हृन् + अ) 'जिसके लिए गो (घापी) का हनन (प्रयोग) किया जाए' अर्थात् 'अतिथि', दानोप (दा + अनीप्) 'जिसके लिए दान देना उचित हो' इत्यादि।

5. अपादानार्थक—जिन प्रत्ययों से निष्पन्न संज्ञाओं से अपादान से सम्बद्ध अर्थों का बोध हो, यथा—उपाध्याय—(उप + अधि + इ + अ) 'जिससे विद्या प्राप्त की जाए', पाप (पत् + प) 'जिससे चरित्र का पतन हो'। सम्प्रदानार्थक प्रत्ययों के समान ही इनकी संख्या भी बहुत कम है।

6. अधिकरणार्थक—जिन कृत् प्रत्ययों से निष्पन्न सज्ञा शब्द अधिकरणार्थकों व्यक्त करते हैं, वे अधिकरणार्थक कहे जाते हैं, यथा—रंग (रंज् + अ) 'जिसमें रंगा जाए', आसन (आस् + अन्) 'जिस पर बैठा जाए' इत्यादि।

7. भावार्थक—भावार्थक 'कृत्' प्रत्ययों से भावार्थक सज्ञाओं की निष्पत्ति होती है, यथा—गति (गम् + ति) 'जाना, चाल', इच्छा (इच्छ् + आ) 'इच्छा'।

इन सामान्य कारकीय रूपों के अतिरिक्त कर्त्र्थक सज्ञा से निम्नलिखित विशेष अर्थों का भी द्योतन होता है—

(1) तच्छील-संश्लेष—किसी कर्ता के स्वभाव एवं धर्म को व्यक्त करना। इसको द्योतित करने वाले 'कृत्' प्रत्यय हैं शून्य (विघ्राट्),-अ (पुष्पाहर),-अक (निन्दक),-आक (जल्पक),-अन (कम्पन) आदि।

(2) अभूतभाव—अर्थात् जो नहीं है, उसके होने के भान का द्योतक करना इसको प्रकट करने वाले प्रमुख 'कृत्' प्रत्यय हैं—इष्णु (आइय भविष्णु), उक (आइय भावुकः) 'धनवान् होने वाला निधन'।

(3) हेतु—अर्थात् कर्मणं में हेतु का द्योतन करने वाले 'कृत्' प्रत्यय, यथा परास्करः (यसात् + कृ + अ) 'यस का हेतु' इत्यादि।

(4) अनुलोम्य—अर्थात् जो एक के बाद होने वाली दूसरी क्रिया का द्योतन करे, यथा—वचनकर (वचन + कृ + अ) 'वचन का अनुसरण करने वाला'। हेतु के समान ही अनुलोम्य को दर्शाने वाले प्रत्ययों की मर्यादा भी अतिन्यून है।

(5) आशीर्वाद—आशीर्वादार्थ के अभिव्यंजक कृत् प्रत्यय, यथा—शत्रुहः (शत्रु + हन् + शून्य प्रत्यय) 'शत्रु को मारने वाले हों'। इसके द्योतक अन्य प्रत्यय हैं—अक (मन्त्रक), ति (मूर्ति) = भवतात्।

(6) भूतार्थक—कर्ता की भूतकालिक क्रिया का संकेत करने वाला, यथा—सोमयाजी (सोम + यद् + इन) 'जिम्ने सोम यज्ञ कराया हों वह भक्ति'। इसके द्योतक अन्य प्रत्यय हैं—त् (गत),-तवत् (गतवत्),-वन् (पश्यवन्),-वत् (तस्मिन्वत्),—आन (अनुचान),—अत् (अरत्) आदि।

(7) भविष्यत्पर्यक—भविष्य में होने वाले अर्थ का द्योतन करने वाले 'कृत्' प्रत्यय यथा—भावी (भू + इन्) 'आगे होने वाला', वरिष्यत् (कृ + ष्यत्) 'किया जाने वाला'। ऐसे ही भविष्यत् (भू + ष्यत्) 'आगे होने वाला', वरिष्यमाण (कृ + ष्यमाण), वशंक (इन् + अक) 'आगे आने वाले समय में देखने वाला' आदि।

(8) वर्तमानार्थक—वर्तमान कालिक अर्थ का बोध कराने वाले 'कृत्' प्रत्यय यथा—गच्छन् (गम् + अत्) 'जो जा रहा है वह', विद्वान् (विद्वन् + वत्) 'जो जानता है वह'। इसके द्योतक अन्य प्रत्यय हैं—मान (शयान),-ईन (आसीन),-त् (अन बुद्ध, पूजित),-मान (पद्यमान)।

इनके अतिरिक्त कुछ अन्य विशेष अर्थों के द्योतन के लिए भी कुछ विशेष कृत् प्रत्ययों का प्रयोग होता है, यथा—विशेषणार्थक—एन (लोभण, रसण), स्वाधिक—ति (गचति), आशोषार्थक—अन् (मा लोचन्) 'निदिन जीवो',-मान (मा पद्यमान) इत्यादि।

उपर्युक्त विवरण ही देखने से स्पष्ट होता है कि इन 'कृत्' प्रत्ययों में निम्न

होने वाले अधिकतम शब्द हैं, कर्त्र्ययंक, कर्मर्ययंक, करणार्थक, अधिकरणार्थक एवं भावार्थक । तथा सबसे अधिक उत्पादक प्रत्यय हैं—शून्य, (लोप),-अ,-अक,-अत्-, अन्,-अनीय,-अस्,-आन,-इ,-इन्,-इर्,-इल्,-उ,-उक्,-उत्,-त्,-ति,-य,-म,-य ।

तद्धित प्रत्ययों का पदरचनात्मक रूप

पिछले अनुच्छेद में 'कृत्' प्रत्ययों के स्वरूप एवं नामपदों की संरचना में उनके योग पर विचार करने के उपरान्त अब इस अनुच्छेद में हम नामपदों की रचना करने वाले प्रत्ययों के दूसरे प्रमुख वर्ग, अर्थात् तद्धित प्रत्ययों पर संक्षेप से प्रकाश डालेंगे ।

तद्धित प्रत्यय प्रायः विभक्ति प्रत्यययुक्त प्रातिपदिकों पर जुड़ा करते हैं किन्तु पद निष्पत्ति के समय विभक्ति प्रत्यय का लोप हो जाता है, यद्यपि उसका अर्थ बना रहता है ।

सामान्यतः प्रथमान्त पद से तद्धित प्रत्यय होने पर प्रथमान्त का अर्थ अपने मूल रूप में विद्यमान रहता है, किन्तु कई बार इसमें अन्य विभक्तियों के अर्थ का भी द्योतन हुआ करता है । ऐसी स्थिति में इसे अन्यपदार्थक भी कहा जाता है, उदाहरणार्थ,—इक प्रत्यय को ही लीजिए—

1. प्रथमान्त प्रातिपदिक से स्वार्थ में—वाक् (वाच्) + इक = वाचिकम् ।

2. द्वितीयान्त प्रातिपदिक से अधीते वा वेद अर्थ में—वेद + इक-(वेद अधीते वेत्ति वा) = वैदिकः ।

3. तृतीयान्त प्रातिपदिक से जीवित अर्थ में—वेतन + इक = (वेतनेन जीवति) वैतनिकः ।

4. चतुर्थ्यन्त प्रातिपदिक से हित अर्थ में—सर्वजन + इक (सर्वजनेभ्यः हित) = सार्वजनिकः ।

5. पञ्चम्यन्त प्रातिपदिक से आगत अर्थ में—नगर + इक (नगरात् आगतः) = नागरिकः ।

6. षष्ठ्यन्त प्रातिपदिक से समूह अर्थ में—केदार + इक (केदाराणां समूह) = केदारिकम् ।

7. सप्तम्यन्त प्रातिपदिक से विहित अर्थ में—लोक + इक (लोके विहितः), = लौकिकः ।

8. प्रथमान्त से तृतीयार्थक अन्य पदार्थ भक्षित अर्थ में—धाद् + इक (धाद् भक्षितम् अनेन) = धादिकः ।

9. प्रथमान्त से चतुर्थ्यर्थक अन्य पदार्थ दीयते अर्थ में—शत + इक = (शतं दीयते अस्मै) शतिकः ।

10. प्रथमान्त से षट्श्रयंस्क अन्य पदार्थं प्रहरण अर्थ में—अस्ति + इक (अस्ति प्रहरण पत्य) = आस्तिक ।

11. प्रथमान्त से मत्तम्यर्थंस्क अन्य पदार्थं अस्ति अर्थ में—शर्करा + इक (शर्करा अस्ति यस्मिन्) = शर्करम् ।

संस्कृत के पद रचनाकारों के चेतन में, सख्या एवं प्रयोग-क्षेत्र दोनों ही दृष्टियों से, तद्धित प्रत्ययों का सर्वोपरि महत्त्व है। वाचिक अभिव्यक्ति की दृष्टि से इन्हें संस्कृत भाषा का सर्वाधिक समर्थ तत्व कहा जा सकता है। इनकी अभिव्यक्ति की सामर्थ्य एवं विविधता दोनों ही आश्चर्यजनक हैं। इनके प्रयोग से न केवल भाषा की अभिव्यक्ति शक्ति की वृद्धि हुई है अपितु भाषा में निरार भी आया है। प्रत्येक प्रत्यय अपने आप में एक पूरे वाक्य के अर्थ को समेटे हुए होता है। इन प्रत्ययों के द्वारा अनन्त प्रकार के अर्थों का अभिव्यक्ति करने वाली अनन्त शक्तियों एवं विशेषणों की रचना की जाती रही है और की जा सकती है। ये संस्कृत के सर्वाधिक उत्पादक एवं समर्थ प्रत्यय हैं। इसीलिए संस्कृत को कभी भी किसी प्रकार की भी नवीन शब्द-रचना की कठिनाई उपस्थित नहीं हुई। आज के युग में भी राजभाषा हिन्दी एवं अन्य क्षेत्रीय आर्य भाषाओं में नवीन पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण में ये प्रत्यय सर्वाधिक उपयोगी एवं महत्त्वपूर्ण सिद्ध हो रहे हैं।

जैसा कि हम ऊपर मन्ते कर चुके हैं कि तद्धित प्रत्ययों की सख्या एवं प्रयोग क्षेत्र बहुत विनात हैं, उन सब पर प्रकाश डालना न यहाँ सम्भव है और न अभिप्रेत ही। संस्कृत व्याकरण से सम्बद्ध किसी भी ग्रन्थ में इसे देखा जा सकता है।¹ इनमें से अनेक प्रत्ययों का प्रयोग क्षेत्र तो इतना विस्तृत होता है कि वे अनेक ही विभिन्न प्रकार के दर्जनों अर्थों की अभिव्यक्ति करते हैं, उदाहरणार्थ—इक प्रत्यय 106 अर्थों को अभिव्यक्ति करता है तो -अ प्रत्यय 70 अर्थों को, -य 63 अर्थों को और -क 50 अर्थों को। पर इनमें से अधिकतर प्रत्यय ऐसे भी हैं जो कि केवल एक या दो अर्थों के ही अभिव्यक्ति करते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख रूप से उत्पादक प्रत्यय हैं। लोप, -(शून्य), -अ, -आ, -आयन, -इक, -इन्, -इप्, -ईन्, -ईप्, -एप्, -क, -सम्, -सर, -सम्, -मय, -य, -वत् ।

इन प्रत्ययों के प्रयोग के विषय में यहाँ पर इनका और भी बताना देना आवश्यक है कि -बहु एवं स्वाधिक अक् प्रत्यय को छोड़कर शेष सभी तद्धित प्रत्यय प्रातिपदिक के अन्त में लगते हैं। इनमें से -बहु ही मदा प्रातिपदिक के आदि में तथा स्वाधिक-अक् प्रकृति द्वि (अभ्य स्वर) में पूर्व में लगता है, यथा—बहुपद,

1. डा० बलदेव सिंह ने भी अपने ग्रन्थ पदपदाथं समीक्षा भद्रुच्छेद 13 में इन तद्धित प्रत्ययों एवं उनके अर्थों का बहुवर्णीय निरूपण प्रागुक्त किया है।

बहुमंडु, सर्वकै (< सर्व + अक्), उच्चकै: (< उच्च + अक्), पचतकि (< पचति + अक्) ।

हमने ऊपर कहा था कि तद्धित प्रत्यय 'प्रायः' प्रातिपादिकों पर जोड़े जाते हैं, जिनका अभिप्राय था कि कुछ तद्धित प्रत्यय ऐसे भी हैं—(यथा, -अक्, -तमाम् -तराम्, -रूप, -रूप,) जोकि क्रिया पदों पर भी लगते हैं, यथा—पचतकि, पचतितमाम्, पचतितराम्, पचतिरूपम्, पचतिरूपम् इत्यादि ।

सभी तद्धित प्रत्ययों के प्रयोग प्रकार का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि अधिकांशतः ये प्रत्यय सम्बन्ध के बोधक होते हैं । यह सम्बन्ध अनेक प्रकार का हो सकता है । सभी प्रकार के सम्बन्धों का स्वरूप निर्धारण सरल नहीं । महाभाष्यकार पतंजलि ने सम्बन्धबोधक षष्ठी के एक सौ से भी अधिक अर्थ स्वीकार किए हैं (एक शत षष्ठ्यर्थाः, 11 49) ।

तुलनाबोधक प्रत्यय.—इसके अतिरिक्त तद्धित प्रत्ययों का एक वर्ग ऐसा है जोकि व्युत्पादक प्रत्ययों की कोटि में न आकर तुलनात्मक प्रत्ययों की कोटि में आता है, इन प्रत्ययों की संख्या चार है, नामन्, -तर, -तम, -ईयस् और -ईष्ठ । ये स्वयं व्युत्पन्न प्रातिपदिकों, विशेषणों के साथ जुड़कर उनकी तुलना कोटियों (Comparative degrees) तथा अतिशय कोटियों (Superlative degrees) का भाव बोध कराते हैं । यथा—प्रियतर, प्रियतम, पापीय, पापीष्ठ ।

इन प्रत्ययों के विवेचन में पाणिनि जी ने यद्यपि इनके मूल में निहित भेदकता की ओर कोई संकेत नहीं किया है, किन्तु इनके सरचक प्रकार्यों तथा अर्थपरक सूक्ष्मताओं पर विचार करने पर देखा जा सकता है कि -तर तथा -तम का योग व्युत्पन्न प्रातिपदिकों (विशेषणों) के साथ होता है जब कि -ईयस् तथा -ईष्ठ का योग सामान्यतः उन धातुमूलों के साथ होता है जिनसे कि ये विशेषण व्युत्पन्न होते हैं । अतः इनकी स्थिति तद्धित प्रत्ययों की अपेक्षा 'कृत्' प्रत्ययों के निकट पड़ती है । साथ ही यह भी दृष्टव्य है कि साहित्यिक संस्कृत में यद्यपि अर्थ की दृष्टि से -तर, -तम प्रत्ययों तथा -ईयस् एव -ईष्ठ में कोई तात्त्विक भेद नहीं किया जाता, पर डॉ० घोष का अनुमान है कि मूल रूप में इनमें अवश्य ही तात्त्विक अन्तर रहा होगा । उनके अनुसार -ईयस् और -ईष्ठ का कार्य किसी कर्ता के आंतरिक गुण की उत्कर्षता को व्यक्त करना है, किन्तु तरप् और तमप् का कार्य केवल दो या अधिक वस्तुओं में तारतम्य का बोध करना मात्र है, अर्थात् तर का प्रयोग दो में एक से ही विशेषता को दिखाने के लिए किया जाता था तथा तम का अनेकों में से एक को । इनका यह भेद सार्वनामिक पदों के साथ प्रयुक्त किये जाने पर बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है, यथा-कतरः, कतमः, अन्यतर, अन्यतमः । भाषा वैज्ञानिकों का विचार है कि ये कोई स्वतन्त्र प्रत्यय न होकर र तथा म के संयोग में बने हुए संस्कृत के भ्रूतकालिक कृदन्त प्रत्यय त, त्त के ही रूप हैं, जिन्हें कि अपरः, प्रथमः जैसे रूपों में स्पष्टतः देखा

जा सकता है (दे० धोप, पृ० 106)।

स्त्री प्रत्ययों का पद रचनात्मक रूप

संस्कृत पदरचना की दृष्टि से स्त्री प्रत्ययों की स्थिति भी तद्धित प्रत्ययों के समकक्ष ही है। जिस प्रकार तद्धित प्रत्यय सदा ही अभ्युत्पन्न एवं वृद्धन्त शब्दों के अन्त में लगाए जाते हैं, यद्यपि कुछ प्रत्यय तद्धितान्त शब्दों पर भी जुड़ते हैं, उसी प्रकार स्त्री प्रत्यय भी अभ्युत्पन्न वृद्धन्त, तद्धितान्त एवं समस्त सभी प्रकार के शब्दों से जुड़कर संस्कृत की रूपरचना करते हैं। संस्कृत के वैयाकरणों ने इन दोनों प्रत्ययों में कुछ मौलिक अन्तर होने के कारण इन्हें तद्धित प्रत्ययों से पृथक् ही रखा है। मुख्यतः यह अन्तर दो रूपों में देखा जाता है, 1. तद्धित प्रत्यय के योग से प्रातिपदिक की प्रकृति के अर्थ में भी अन्तर आ जाता है, जबकि स्त्री प्रत्यय के कारण बोधकता के अतिरिक्त अर्थ में कोई ऐसा अन्तर नहीं आता।¹ 2. पारिभाषिक दृष्टि से तद्धित प्रत्यय 'वाचक' होते हैं और स्त्रीत्व बोधक प्रत्यय 'घोषक' अर्थात् संस्कृत के वैयाकरणों के अनुसार 'कृत्' एवं 'तद्धित' प्रत्ययों के योग से बनने वाले पदों में सदा ही प्रत्यय का अर्थ प्रधान और प्रकृति का अर्थ गौण रहता है, किन्तु स्त्रीत्व बोधक प्रत्ययों के योग में ऐसा नहीं होता, उसमें प्रातिपदिक प्रकृति का अर्थ ही प्रधान रहता है, यथा-भज + आ (दाप्) में निष्पन्न भजा शब्द 'स्त्रीत्व विशिष्ट अत्र' के अर्थ का बोधक होता है न कि 'अत्रत्व विशिष्ट स्त्री' का। अतः स्त्री प्रत्ययों को उपर्युक्त कृतद्धित प्रत्ययों के सामान्य (उत्सर्ग) नियम की परिधि से पृथक् रखने के लिए इन्हें छोटक प्रत्ययों की कोटि में रखा गया।²

इस प्रकार हम देखते हैं कि स्त्री प्रत्ययों एवं कृत् तथा तद्धित प्रत्ययों में मुख्य अन्तर केवल यही है कि स्त्रीत्व बोधक प्रत्ययों के योग में प्रकृति का अर्थ प्रधान एवं प्रत्यय का अर्थ गौण रहता है जबकि इनके विपरीत कृतद्धित प्रत्ययों के योग में प्रत्यय का अर्थ प्रधान तथा प्रकृति का अर्थ गौण रहता है।

पदरचना की दृष्टि से स्त्रीत्व बोधक प्रत्ययों का योग केवल अत्रन्त प्रातिपदिकों के साथ ही होता है, ह्यन्तों के साथ नहीं। विभक्ति प्रत्ययों की योजना स्त्री प्रत्ययों के बाद ही हुआ करती है। स्त्री प्रत्ययों की गणना बहुत

1. संस्कृत में कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिनमें कि स्त्री प्रत्यय के कारण प्रकृति के अर्थ में अन्तर देखा जाता है यथा - ह्यन्त > ह्यमात्री 'ह्यम् नमूह', अरण्य > अरण्यानी 'महारण्य, बौद्ध वन', पत्र > पत्रानी 'धरात्रि भी, पवन > पवनानी 'पवनों की निधि'

2. दे० महा० पृ० 53 (धा अर्थ विचार) तथाहि प्रकृति प्रत्ययबंधो • इत्यादि, उद्भूत ब० सिंह० पृ० 194.

अधिक नहीं। संस्कृत में निम्नलिखित स्त्री प्रत्ययों के प्रयोग से शब्दों की निष्पत्ति की जाती है।

1. शून्य (लोप)—इसका प्रयोग कुछ इकारान्त शब्दों के साथ होता है। प्रत्ययलोप के कारण इनके रूप पुल्लिंग शब्दों के समान ही रहते हैं, यथा सभापति, वृद्धपति, मृदु, बट्टु० आदि।

2 आ (टाप्)—यह संस्कृत का सर्वाधिक उत्पादक स्त्री प्रत्यय है, इसका प्रयोग -अ तथा -अन् से अन्न होने वाले शब्दों के साथ किया जाता है, यथा, अज + आ = अजा, कौकिल + आ = कौकिला, बालक + आ = बालिका, सीमन् + आ = सीमा।

3. आनी—यह प्रत्यय एक प्रकार से उपर्युक्त -आ प्रत्यय का ही अपवादक प्रत्यय है, अर्थात् कुछ परिगणित अकारान्त शब्दों में -आ प्रत्यय न लगकर -आनी लगना है, यथा, हिम > हिमानी, भव > भवानी, इन्द्र > इन्द्राणी, वरुण > वरुणानी, शर्व > शर्वाणी, यव > यवानी।

4. थायनी—यह भी इसी प्रकार का प्रत्यय है जो कि गोत्रापत्य सम्बन्धी तद्धित प्रत्ययों के बाद लगाया जा सकता है, यथा-गार्ग्य > गार्ग्यायणी, वात्स्य > वात्स्यायनी इत्यादि।

5 ई (डीप्)—आ के समान ही -ई प्रत्यय भी स्त्री प्रत्यय संरचना में विशेष स्थान रखता है यथा—देव > देवी, पुत्र > पुत्री, कुमार > कुमारी, मृदु > मृदु, बट्टु > बट्टी।

इनके अतिरिक्त कुछ अन्य प्रत्यय भी हैं किन्तु वे केवल कुछ विशिष्ट एवं परिगणित शब्दों के साथ ही प्रयुक्त होते हैं, यथा—आपी (अग्नि > अनापी), आत्री (मनु > मनात्री), उ (श्वशुर > श्वशु), ति (युवन् > युवति), नी (पति > पत्नी), पतिवत् > पतिवत्नी, या (मुखर > मौलया), री (धीवर > धीवरी), (शर्वन् > शर्वरी)।

3. समस्त पद रचना

जब दो शब्द रूप तथा अर्थ दोनों ही दृष्टियों से अपना पृथक स्वत्व त्यागकर एक रूप हो जाते हैं तो वह समाम (समसत्तं समास) कहलाता है। शब्द विकारी नामपद भी हो सकते हैं तथा अविकारी (अव्यय, उपसर्ग) भी। इसमें यह उल्लेख्य है कि समस्त पद रचना दोनों विकारी अथवा विकारी-अविकारी पदों के बीच तो हो सकती है, किन्तु दोनों अविकारी पदों के बीच नहीं। विकारी समस्त पद रचना में यद्यपि घटकों की दृष्टि से एकाधिक प्रातिपदिकों का योग होता है, किन्तु रूपरचना तथा अर्थ (द्वन्द्व को छोड़कर) की दृष्टि से समस्त पद पूर्णतः एकत्व का

बोधक होता है ।

रूप रचना की दृष्टि से पद के एकत्व के पक्ष को निम्नलिखित रूपों में देखा जा सकता है ।

1. इसमें पूर्व पद प्रायः अविकृत रहता है तथा विषयिण प्रत्ययो का योग अन्य प्रातिपदिकों के समान केवल उत्तरपद में ही होता है । इस प्रकार की रूप रचना में दोनों की व्यक्-व्यक् पदात्मक सत्ता को स्वीकार न करके उन्हें एक पद के रूप में माना जाता है । समासान्त प्रत्ययों का योग भी उत्तरपद के साथ ही होता है ।

2. वैदिक संस्कृत में भिन्न-भिन्न स्वरापातों वाले पदों को समस्त लिए जाने पर उनमें केवल एक पर ही उदात्त स्वरापात रह सकता है जो कि उसके एक पदत्व का निर्देगक होता है ।

3. सन्धि की दृष्टि से भी देखा जाता है कि अल्पतः दो पदों के बीच सन्धि का होना अनिवार्य नहीं, वक्ता की इच्छा अथवा प्रयोग की आवश्यकता के अनुसार वह वैकल्पिक हो सकती है । अतः वहाँ पर दोनों पदों की स्वतन्त्र गति रहती है, किन्तु समाग में यह एक अनिवार्य तत्व है तथा सन्धि कभी-कभी सामान्य रूपों से भिन्न रूपों में भी देयी जाती है ।

4. दो से अधिक पदों के समाग में प्रत्येक समस्त पूर्वपद को एक टुकड़े के रूप में मानकर उसके साथ उत्तर पद का योग किया जाता है । यथा—
 जनकतनयास्तानपुण्योदकेषु—जैते समस्त पद के घटक पद मद्यपि पाँच हैं, किन्तु समाग-प्रक्रिया में केवल दो पदों का ही योग हो सकता है । समस्त हो जाने पर ये दो पद स्वयं एक टुकड़ा हो जाते हैं तथा इन रूप में अगले पद के साथ संयुक्त होने हैं । यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि अन्तिम पद भी संयुक्त होकर उस समस्त पद की इकाई में एकाकार नहीं हो जाता । उपर्युक्त उदाहरण में ही प्रथम जनक पूर्वपद + तनया उत्तरपद मिलकर एक समस्त पद जनकतनया की रचना करेंगे । अब अगले पद स्नान के साथ इसे संयुक्त करने के लिए इस समस्त पद को एक पद अर्थात् पूर्व पद के रूप में लिया जाएगा तथा स्नान को उत्तरपद के रूप में । पुनः ये दोनों मिलकर एक समस्त पद बन जाएंगे जो कि अगले पुण्य शब्द में संयुक्त होने के लिए स्वयं पूर्वपद की मंता धारण कर लेता है । इस प्रकार की यह प्रक्रिया अन्त तक चलती रहती है । सामान्यतः केवल द्वन्द्व समाग में ही दो से अधिक पदों का एक साथ समस्त होना सम्भव हो सकता है, यथा पाणी च पारो च सूत्रं च = पाणिपारामुत्रम्, रामश्च लवणश्च भरतश्च शत्रुणाश्च = रामलवणभरतशत्रुणा ।

संस्कृत समास रचना की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

यद्यपि संस्कृत अमेरिका के रेड इण्डियनों की भाषा के समान समासप्रधान भाषा नहीं, किन्तु फिर भी साहित्यिक संस्कृत में जो पूरे के पूरे वाक्यों में समस्तपद दिखाई देते हैं, वह कोई अचानक विकसित होने वाली भाषायी घटना नहीं थी। यद्यपि बाण, दण्डी सुबन्धु आदि की संस्कृत में पायी जाने वाली समास रचना भाषा की कृत्रिमता की चरम सीमा थी तथा भारोपीय परिवार की किसी अन्य भाषा में नहीं पायी जाती, पर संस्कृत में स्वतन्त्र पदों को एक समस्तपद के रूप में घटित करने की मूल प्रवृत्ति इसकी उत्पत्ति के आदिकाल से ही अर्थात् भारोपीय काल से ही विद्यमान थी। ग्रीक, लैटिन, अवेस्ता आदि में भी समस्त पदों की स्थिति इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि संस्कृत ने अपनी समास प्रक्रिया को भारोपीय भाषा परिवार में उत्तराधिकार में प्राप्त किया था। यहाँ पर भी संस्कृत की समस्त पद रचना प्रक्रिया के विश्लेषण के लिए हम उन्हीं रूपों को लेंगे जो कि वैदिक संस्कृत में तथा आम बोलचाल की संस्कृत में पाए जाते हैं।

संस्कृत की समास-प्रक्रिया के ऐतिहासिक विकास का विश्लेषण करने पर हम देखते कि वैदिक काल में जब कि संस्कृत बोलचाल की भाषी थी, इसके समस्त पदों के घटकों की संख्या अत्यन्त ही सीमित अर्थात् दो होती थी। यहाँ तक कि तीन पदों के योग से बनने वाले समस्त पदों की संख्या भी नगण्य ही थी। समासों की विलगुल यही स्थिति होमर कालीन ग्रीक में भी पायी जाती है जो कि इस बात की संकेतक है कि भारोपीय काल में भी समास के इन घटकों की स्थिति लगभग यही रही होगी (देखो, घोष, पृ० 108)।

संस्कृत के समस्त पदों की प्रमुख विशेषताएं ये हैं कि एक तो इसमें पूर्वपद अपने निविभक्तिक प्रातिपदिक रूप में रहता है और विभक्ति प्रत्ययों का योग केवल उत्तरपद के साथ होता है। यद्यपि यह सर्वथा निरपवाद लक्षण नहीं, क्योंकि समस्तपदों, विशेषकर, 'दिवताद्वन्द्व' नामक द्वन्द्व समास के प्रभेदों में इसके अपवाद पाए जाते हैं। वैदिक संस्कृत की दृष्टि से इनकी दूसरी विशेषता यह है कि एक समस्त पद में उदात्त स्वराघात (प्रायः) एक ही पद पर रहता है, जबकि स्वतन्त्र प्रयोग में यह दोनों पदों में स्वतन्त्र रूप से विद्यमान रहता है। परन्तु प्रथम लक्षण के समान ही यह भी सर्वथा निरपवाद नहीं, विशेषकर द्वन्द्व समासों में जिनमें कि दोनों घटकों का स्वतन्त्र अस्तित्व इतना अपेक्षित होता है कि उनमें स्वतन्त्र स्वराघात ही नहीं, अरिषु स्वतन्त्र विभक्ति रूपों को भी सुरक्षित रखा जाता है। इसके अतिरिक्त, समाहार द्वन्द्व को छोड़कर, समस्त पद के लिंग का निर्धारण भी प्रायः उत्तरपद के लिंग के आधार पर होता है।

प्र० टी० बरो का कथन है कि प्रारम्भिक भारोपीय की रूप रचना

(morphology) की दृष्टि से संस्कृत समासों की उपर्युक्त प्रथम विशेषता विशेष रूप से महत्व की है, क्योंकि यह भाषा के विकास के उस काल की सूचक है जबकि वाक्य संरचना में संज्ञा व विशेषण विभक्ति प्रत्ययों के बिना ही अपने प्रातिपदिक रूप में ही अन्य शब्दों के साथ अपना वाक्यात्मक सम्बन्ध व्यक्त कर सकते थे जो कि बाद में इस प्रकार के सम्बन्ध की अभिव्यक्ति के लिए एक अनिवार्यता हो गयी थी। विरपति (कवीले का स्वामी) तथा बृहस्पति जैसे शब्दों में इसे देखा जा सकता है। (दे० पृ० 200)

समास के उद्भव के विषय में माना जाता है कि जब दो शब्द इस प्रकार नियमित रूप में बार-बार प्रयुक्त किए जाते हैं कि वे श्रोता के लिए सभी प्रयोजनों एवं अर्थ की दृष्टि में एक रूप हो जाने हैं तो दोनों ही अपनी-अपनी व्यस्त स्वतन्त्र अभिव्यक्ति को छोड़कर एक रूप अथवा समास रूप धारण कर लेते हैं। प्रो० बरो का कथन है कि समास एक भाषायी व्यवस्था के रूप में भारोपीय के प्रारम्भिक स्थिति बाल के पाषाणीभूत (fossilised) अवशेष है जिनका स्थान बहुत पहले ही उन विभक्ति-प्रत्यय युक्त रूपों ने ले लिया था जो वैदिक संस्कृत में तथा साहित्यिक संस्कृत में दिखाई देते हैं।

इसके अतिरिक्त समासों में अनेक ऐसे प्रातिपदिक मूल रूप देखने में आते हैं जो कि अन्यथा भाषा-प्रयोग में सर्वथा अज्ञात होते हैं। इनमें से कई ऐसे भी होते हैं जो कि स्पष्टतः भारोपीय मूल के कहे जा सकते हैं, उदाहरणार्थ, कपुञ्जल में कपुत् का अनुरूपी इमी रूप संटिन में भी पाया जाता है। ये विशिष्ट प्रातिपदिक रूप भारोपीय में समास के प्रथम घटक के रूप में प्रयुक्त होते होंगे। राजपुत्र जैसे समास पदों में भी असमरूप (heteroclitic) प्रातिपदिक का होना इसकी पुष्टि करता है (मूल प्रातिपदिक रूप राजन्)। बर्गो घोष का कथन है कि इस समास पद का प्रथम घटक पद राजन्-मूल प्रातिपदिक राजन्-का दुर्बल रूप राजन् न होकर मूल भारोपीय रूप* राजो की ही माभान् प्रसूति (descendent) है, क्योंकि षीक तथा संटिन में इसके अनुरूपी-अवमो (तुल० षीक—अवमो घेतोन तथा होमो—(तुल० संटिन—होमिक्का) के ओ का विकास भारोपीय में नहीं हो सकता (दे० घोष पृ० 111)।

ऐतिहासिक दृष्टि से समास पद के द्वितीय घटक का व्यवहार भी बड़ा जटिल है। समासगत प्रत्ययों (compositional suffixes) के कारण इनमें होने वाली विशेषताओं के अतिरिक्त ये प्रायः अवधुःस्थानरूप में प्रयुक्त होते हैं जो अन्यथा सभी नहीं होते और जो कि प्रायः भारत पूर्व काशीन रूप होते हैं। इस द्वितीय घटक के रूप में पाए जाने वाले पद हैं—गो, जानु और बाद में कि समास हो जाने पर गु. नृ एव इ हो जाने हैं, दधा-सप्त + गो = सप्तगु, मुष्टु + गो = मुष्टु, मित्र + जानु = मित्रजु, अतिथ + जानु = अतिथजु। ये रूप कम से कम प्राचीन भारत-

ईरानी काल के अत्रशेष कहे जा सकते हैं (तुल० फा०—सतगु = सं० शतगु), बाह के दुर्बल रूप हु का प्रयोग केवल 'पूर्वपद' के रूप में पाया जाता है, यथा-दुपद्, दुणस् इत्यादि ।

समासों का वर्गीकरण तथा उसका आधार

पाणिनि आदि प्राचीन वैयाकरणों ने समासों का जिन चार प्रमुख वर्गों में विभाजन किया है वे हैं—अव्ययीभाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि तथा द्वन्द्व । तत्पुरुष वर्ग के अन्तर्गत जिन समस्त रूपों को रखा गया है उनमें यद्यपि अनेक विविधताएं, यहां तक कि परस्पर विरोधी रूप भी, पायी जाती हैं, किन्तु वैयाकरणों ने कतिपय विवेचनात्मक सुविधाओं को ध्यान में रखकर इन्हें एक ही वर्ग में रख छोड़ा है । पाणिनि ने 'कर्मधारय' को तत्पुरुष का ही एक भेद माना है, किन्तु कतिपय बाद के वैयाकरणों ने इसे एक पृथक् वर्ग के अन्तर्गत भी रखा है । कर्मधारय का ही एक भेद 'द्विगु' भी है । वैयाकरणों ने स्पष्टीकरण के लिए इनके और भी अनेक उपभेद किए हैं, यथा कर्मधारय के ही 'विशेषणपूर्वपदकर्मधारय, विशेषणोत्तरपदकर्मधारय, उपमानपूर्वपद कर्मधारय आदि, किन्तु इस प्रकार के विभाजन से इनके मूल रूप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता ।

इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि वैदिक तथा लौकिक संस्कृत के अनेक समस्त रूप ऐसे हैं जो न तो किसी उपसृक्त वर्ग के अन्तर्गत आते हैं और न समास सम्बन्धी किसी नियम से नियमित होते हैं ऐसे पदों को बाद के वैयाकरणों ने पाणिनि के सूत्र 'सहस्रुपा' (2 1.4) का सहारा लेकर एक नये वर्ग 'सुप्तमास' के अन्तर्गत रखने की व्यवस्था की है ।

वर्गीकरण का आधार—भाषा विज्ञानियों द्वारा समासों का वर्गीकरण दो आधारों पर किया जाना है—(1) गरचनात्मक तथा (2) अर्थपरक । पाणिनि तथा अन्य भारतीय वैयाकरणों ने समस्त पद के घटक पदों—पूर्वपद एवं उत्तरपद, अन्यपद या उभयपद के अर्थ के प्राधान्य के आधार पर ही उपसृक्त विभाजन किया है । तदनुसार इनकी स्थिति इस प्रकार बनती है ।

1. पूर्वपदार्थप्रधान (Adverbial)—अर्थात् जिस समस्तपद में उत्तरपद की अपेक्षा पूर्वपद के अर्थ की प्रधानता हो । इसके अन्तर्गत 'अव्ययीभाव' को रखा गया है । इनका प्रयोग अव्ययों के रूप में होता है, यथा—'यथाशक्ति' ।

2. उत्तरपदार्थप्रधान (Determinative)—अर्थात् जिसमें पूर्वपद की अपेक्षा उत्तरपद का अर्थ समस्तपद के अर्थ का निर्धारक हो । इसके अन्तर्गत 'कर्मधारय'

1. पूर्वपदार्थप्रधानोऽव्ययीभावः, उत्तरपदार्थप्रधानस्तत्पुरुषः, अन्य पदार्थप्रधानो षु श्रीहिः, उभयपदार्थप्रधानोऽद्वन्द्वः : (महाभाष्य-2. 1. 6. 20. 49)

नामक उभेद के महिा तत्पुरुष को रखा जाता है। ये संज्ञा शब्दों के रूप में प्रयुक्त होने हैं यथा—राजपुरुष ।

3. उभयवदार्थप्रधान (Coordinative)—अर्थात् जिस समस्तपद में दोनों ही घटकों के अर्थ की समान रूप से महत्ता हो। इसके अन्तर्गत सभी उपभेदों महिा 'द्वन्द्व' को रखा जाता है। इनमें भी संज्ञापदों की ही रचना होती है, यथा—पाणिपादौ ।

4. अन्वयवदार्थप्रधान (Possessive)—अर्थात् जिस समस्तपद में किसी ऐसे अन्य पदार्थ का महत्त्व हो जो कि उन दोनों पदों के अर्थ को धारण करता हो। इसके अन्तर्गत बहुव्रीहि को रखा जाता है। ये समस्तपद प्रायः विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। यथा—पुष्पधन्वा ।

किन्तु पाणिनि के द्वारा पदविशेष के अर्थ की प्राधान्यता पर आधारित यह वर्गीकरण सर्वथा निरपवाद नहीं। समस्त पदों के कई रूप ऐसे हैं जो कि इस व्यवस्था का उल्लंघन करते हैं, यथा पाणिनि के अनुसार उपदेशः बहुव्रीहि के अन्तर्गत धाता है और उपदेशम् अव्ययीभाव के अन्तर्गत, जबकि यथावतः दोनों में पूर्वपद के अर्थ का प्राधान्य है। इसी प्रकार पूर्वकाय तथा अर्थ-विप्लवी दोनों की तत्पुरुष के अन्तर्गत होने पर भी इनमें पूर्व पद के अर्थ का प्राधान्य स्पष्ट है। इसी प्रकार की और भी कई विगमनिया इस वर्गीकरण में पायी जाती हैं।

ऐतिहासिक भाषाशास्त्र के अनुसार तत्पुरुष एक बहुव्रीहि का विकास मूल भारोपीय तथा द्वन्द्व एवं अव्ययीभाव का विकास भारत आर्यकाल का माना जाता है। (देवो वचं० पृ० 208)

इसके अनिश्चित महत्त्व के संघाकरणों ने रूपरचना की दृष्टि में भी समानों का वर्गीकरण किया है। इसमें पदों के अर्थ की प्रधानता को आधार न बनाकर उनके स्वभाव की प्रकृति एवं पदक्रम को आधार बनाया गया है। इस प्रकार उन्होंने सम्पूर्ण समस्तपदों को त्रिन छ भागों में वर्गीकृत किया है, वे ये हैं—

1 सुबन्त + सुबन्त	यथा—राजपुरुषः
2. सुबन्त + तिङन्त	" पर्यम्पद्यत्
3 सुबन्त + नाम	" कुम्भकारः
4 सुबन्त + धातु	" कृत्प्र.
5 तिङन्त + तिङन्त	" विवतत्वावता

6. तिङन्त + सुवन्त " कृन्तविवक्षणा ।¹

इनमें में दूसरे एव छठे विभाजन में केवल पद-मघटना क्रम के अतिरिक्त और कोई तात्त्विक अन्तर न होने से कुछ वैयाकरणों ने इन्हें पृथक्-पृथक् मानने पर आपत्ति भी की है ।² जोकि उचिन भी प्रतीत होती है, क्योंकि दोनों में ही समाम के घटक पद सुबन्त एव तिङन्त ही है । यही बात तीसरे तथा चौथे भेद के सम्बन्ध में भी लागू होती है, क्योंकि इन दोनों को ही प्रथम भेद के अन्तर्गत रखा जा सकता है । इनमें तात्त्विक दृष्टि से कोई अन्तर न होते हुए भी शायद व्याकरण की प्रक्रिया के निर्वाह के लिए ऐसा किया गया है । इसीलिए डॉ० बलदेवगिह ने उपर्युक्त 6 भेदों का निम्नलिखित तीन भेदों में अन्तर्भाव कर दिया है ।³

1. सुवन्त का सुवन्त से, यथा—राजपुरुष, कुम्भकार, कृटप्रः ।
2. तिङन्त का तिङन्त से, यथा—पिबतखावता ।
3. सुवन्त का तिङन्त से, यथा—पर्यभूपयत्, कृन्तविवक्षणा ।

यद्यपि आधुनिक भाषाशास्त्रीय विवेचन की दृष्टि से संस्कृत समासों के उपर्युक्त तीन ही प्रमुख भेद हो सकते हैं, अन्य सभी भेदों का इनमें ही अन्तर्भाव हो जाता है, किन्तु संस्कृत की समस्त समास प्रक्रिया की वारीकियों की जटिलकारी के लिए प्राचीन वैयाकरणों द्वारा इनका विस्तृत विवेचन किया गया है (देखो, संस्कृत का ऐतिहासिक एवं सरचनात्मक परिचय, पृ० 115-124) ।

समस्त पदरचना में विभक्ति-प्रत्यय-योजना

पीछे बताया जा चुका है कि पद रचना की दृष्टि में समस्त पद रचना अन्य प्रकार के नामपदों की रचना के ही समान है । समस्त हो जाने पर दोनों ही पद एक पदवत् हो जाते हैं और प्रायः पूर्वपद के विभक्ति प्रत्ययों का लोप हो जाता है । पूर्वपद एक भी हो सकता है और अनेक भी हो सकते हैं तथा वाक्य संरचना के लिए विभक्ति प्रत्ययों का आधार अन्तिम पद हुआ करता है, किन्तु इसका सरचनात्मक रूप एव प्रक्रिया सभी समासों में समान नहीं होती, सबका अपना-अपना विधान होता है । जिनके कुछ प्रमुख रूप इस प्रकार होते हैं—

1. सुपा सुपा तिङा नाम्ना घातुनाऽप्य तिङा तिङा ।
सुबन्तेनेति विज्ञेय समास षड्विधो बुधे ॥
ति० कौ० सर्वसाम शेष प्रकरणम्
2. अत्र सुपां तिङेत्यनेनैव तिङा सुबन्तेनेत्यस्यापि गृह्णात्,
समामस्य षड्विधत्वं चिन्त्यम् । उभो पर बाल मनोरमा टीका ।
3. पदपदार्थसमीक्षा, पृ० 254

अव्ययीभाव समास में अकारान्त शब्दों के अन्त में षष्ठी विभक्ति को छोड़कर अन्य सभी विभक्तियों में विभक्ति प्रत्यय समस्त होने पर म् में परिवर्तित हो जाता है। यथा—दिशयो मध्यात्=अपदिशात् पर दिशयो मध्यम्~दिशयो मध्ये~दिशयो मध्ये~दिशयो मध्ये~दिशयो मध्यस्य आदि सबका रूप अपदिशम् होगा, यद्यपि तृतीया एव षष्ठी के योग में इसके स्थान पर विकल्प सं अपदिशे रूप भी हो सकते हैं। अकारान्त के अनिश्चित अन्य सभी अजन्त शब्दों की विभक्ति का सोप हो जाता है, यथा—अधिहरि, उपदिष्णु आदि।

तत्पुट्टय समास में समस्त बिदा जाने वाला उत्तरपद यदि प्रथमान्त होता है तो समास होने पर वह उसी रूप में बना रहता है तथा वाक्य संरचना में आवश्यकतानुसार उसमें विभक्ति प्रत्ययों का योग होता है, यथा—राज पुरुष=राजपुट्टय (राजपुरुषेण, राजपुरुषस्य), शिन्दु यदि समस्त किए जाने वाले अन्तिम पद की विभक्ति प्रथमा के अतिरिक्त और कोई होती है तो उसके विभक्ति प्रत्यय का लोप हो जाता है और समस्त पद का संरचनात्मक रूप प्रथमान्त हो जाता है, यथा—पूर्वकायस्य=पूर्वकाय, मध्यमहू=मध्याह्न, मध्यरात्रे=मध्यरात्रि। दन्ड समास में समस्त पद की विभक्ति योजना दो रूपों में होती है। गमाहार दन्ड में गभी प्रकार के पद नपुंसक लिंग, एक वचन में परिवर्तित हो जाते हैं तथा 'द्वारेतर दन्ड' में दो पदों के योग में द्विवचन के प्रत्ययों की तथा दो से अधिक पदों के योग में बहुवचन के विभक्ति प्रत्ययों की योजना की जाती है, यथा—पाणि च पादो च=पाणिपादम्, पाणि च पादो च मुल्ल च=पाणिपादासुल्लम्, पिता च पुत्रश्च=पितापुत्रौ, हेमन्तरश्च शिशिरश्च वसन्तरश्च=हेमन्तशिशिरवसन्ता (द्वारेतर)।

बहुव्रीहि समास में समस्तपद का अन्तिम पद गदा ही प्रथमा विभक्ति तथा एक वचन के प्रत्ययों में युक्त होता है तथा वाक्य संरचना में आवश्यकतानुसार इसमें रूप रचना सम्बन्धी प्रत्यय योजना होती रहती है, यथा—पीतोदकः (पीत उदकं येन), चतुर्पाणि (चक्र पाणो यस्य) इत्यादि।

नामपदों की रूपरचना प्रक्रिया

रूपरचनात्मक सरल—भारोपीय की अन्य प्राचीन भाषाओं—ग्रीक, लैटिन आदि के समान ही संस्कृत भी एक विभक्ति प्रधान भाषा है। संस्कृत के किसी भी नामपद में विभक्ति प्रत्ययों के बिना प्रयोगयोग्यता ही नहीं हो सकती। क्योंकि विभक्ति प्रत्ययों की ध्याकरण की पारिभाषिक शब्दावली में गुण कहा जाता है इसलिए संस्कृत में नामपदों की शुद्धता भी कहा जाता है। जिन पदों—कृदन्त, लङ्गित, समस्त एवं अध्युत्पन्न के अन्त में इन 'गुण' प्रत्ययों को जोड़ा जाता है उन्हें पारिभाषिक रूप में प्रकृति कहा जाता है। आचार्य पाणिनि ने संस्कृत के नामपदों की इन 'प्रकृति' की प्रातिपदिक का नाम दिया है। इन्हीं प्रातिपदिकों के अन्त में

‘सुप्’ प्रत्ययों को लगाने से ही भाषा में प्रयोग किए जा सकने योग्य विभक्त्यन्त पदों की रचना होती है। पाणिनीय व्यकरण के अनुरूप इनकी रूप-रचना का विवरण प्रस्तुत करने से पूर्व इनके प्राचीन स्वरूप एवं ऐतिहासिक विकास के संबंध में भी कुछ जान लेना आवश्यक होगा।

वैदिक सस्कृत में कहीं-कहीं पाये जाने वाले कुछ विरल शब्द रूपों के आधार पर कुछ विद्वानों का विचार था कि सस्कृत के ये विभक्त्यन्त प्रत्यय प्रारम्भ में स्वतन्त्र प्रत्यय थे तथा ये रूप सस्कृत की उम्र अवस्था के द्योतक थे जबकि इसमें अभी पूरी तरह यांमात्मक विभक्ति रूपों का विकास नहीं हुआ था। वैदिक साहित्य में अनेकत्र विभक्त्यन्त प्रत्यय रूप क्रिया-विशेषणार्थक प्रत्यय के साथ परिवर्तित हो जाते हैं, उदाहरणार्थ-हस्त आ दक्षिणत्रा (ऋग् 6 18.9)। यहाँ पर अधिकरणार्थक प्रत्यय त्र का प्रयोग प्रत्ययतः हस्त के ए के रूप में किया गया है। इसी प्रकार ततः पृष्ठाद् आ मृतः (ऋग् 8.9.6) जैसे पदों में अपादानार्थक प्रत्यय ततः (तुल० पंचम्यास्तसिन्, पा० 5.3.7) पृष्ठात् के पंचम्यन्त रूप आत् का समानार्थी है। किन्तु इस प्रकार के रूपों की संख्या इतनी नगण्य है कि इसके आधार पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि संस्कृत अपने विकास के प्रारम्भिक काल में विभक्ति प्रधान भाषा नहीं थी। वस्तुतः हमें यह मानने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि अन्य भारतीय भाषाओं के समान ही संस्कृत में भी पहले से ही विभक्ति प्रत्ययों का पूरी तरह विकास हो चुका था।

इतना ही नहीं, सच तो यह है, जैसा कि हम पहले बतला चुके हैं, कि संस्कृत ने ही मूल भारतीय की सम्पूर्ण वारक-प्रक्रिया को पूरी निष्ठा के साथ सुरक्षित रखा। सस्कृत ने तो, यहाँ तक कि, संज्ञा तथा सर्वनामों के विभक्ति रूपों के भेद को भी दोषकाल तक बनाए रखा। कुछ वाक्य-विन्यास सम्बन्धी कारणों से अवश्य ही बाह्य प्रयोगों ने आकर सम्बन्ध के स्थान पर सम्प्रदान का प्रयोग होने लगा था। कारण कारक के बहुवचनीय रूपों की रचना में दो विभक्ति प्रत्ययों-ए तथा -भिः की मत्ता अवश्य ही इन बातों को संकेत देती है कि प्रारम्भ में ये प्रत्यय दो भिन्न-भिन्न विभक्तिओं की रचना करते होंगे तथा सस्कृत के ऐतिहासिक विकास के किसी काल में इन दोनों का समावेश करण कारक के विभक्त्यन्त रूपों में हो गया।

संस्कृत के पद विभाग के प्रसंग में हम बतला चुके हैं कि संस्कृत वैयाकरणों के अनुसार संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा मंडरावाची शब्दों की गणना ‘नाम’ पद के अन्तर्गत ही की जाती है। रूप प्रक्रिया की दृष्टि से भी इन सबकी संरचना का मूल आधार सणन ही है अर्थात् संज्ञा बोधक शब्दों के समान ही इनमें भी लिंग, वचन, विभक्ति-प्रत्यय आदि का विधान होता है। इनकी संरचना कुछ विशेष

रूपों को छोड़कर मज्ञा शब्दों के रूप रचना के नियमों में नियमित होती है।¹ अतः प्रस्तुत विवेचन में हम मयका पृथक्-पृथक् विवेचन न करके एक साथ ही यथावश्यक रूप में करेंगे। विशेष प्रकार के नाम पदों में ही प्रयुक्त होने वाले प्रत्ययों एवं तत्सम्बन्धी विभक्तियों का अवश्य ही यथावगर पृथक् निर्देश भी किया जाएगा।

रूप रचना की दृष्टि में संस्कृत के नामपद लिंग, वचन तथा विभक्ति के रूप में पृथक्-पृथक् रूपों की रचना करते हैं। सामान्यतः द्वाय शब्द रूप-रचना में तीनों लिंगों, तीनों वचनों तथा आठ विभक्तियों के निर्देशक विभिन्न घटक तत्त्वों का योग होता है। लिंग, वचन एवं विभक्ति के मूचक ये रूप (morphs) कभी पृथक्-पृथक् रूप में, पर प्रायः मलयित (amalgamated) रूप में पाये जाते हैं किन्तु रूपरचना में उनका योगदान अवश्य ही रहता है। साथ ही यह भी आवश्यक नहीं कि प्रत्येक नाम पद की रूपरचना का रूप इनके अनुसार समरूप एवं समसद्वयक ही हो। कुछ नाम-पद ऐसे भी होते हैं, यथा-वार, अप, प्राण, अनु आदि, जिनकी रूपरचना केवल वचन विशेष में ही हो सकती है। इसी प्रकार मध्या बोधक पद भी एकत्व, द्वित्व या बहुत्व की बोधवता के अनुसार केवल वचनविशेष में ही शब्द रूपों की रचना करते हैं। लिंग की दृष्टि से भी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग एकाधिक लिंगों में होता है। यथा—तट, तटी, तटम्। अतः वे उन शब्दों की तुलना में अधिक शब्द रूपों की रचना करते हैं जो कि केवल लिंग विशेष में ही प्रयुक्त होते हैं। विभक्ति सम्बन्धी रूपों में भी एकरूपता नहीं पायी जाती। कुछ सर्वनाम पद ऐसे होते हैं जिनमें कि आठवीं विभक्ति अर्थात् सम्बोधन के रूप नहीं बनते।

प्रत्येक नामपद चाहें नियतलिङ्गी हो या अनियतलिङ्गी, अर्थ की दृष्टि से उगवे अधिक में अधिक चौबीस रूप (8 विभक्ति × 3 वचन) हो सकते हैं, किन्तु सरचनात्मक दृष्टि से बिगो भी नामपद के इनके रूप नहीं होते। संस्कृत की रूप प्रक्रिया (morphology) के सरचनात्मक विवेचन के आधार पर देखा जाता है कि इन रूप प्रक्रियात्मक पदरूपों की मध्या अधिक में अधिक 17 (अकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दों में) तथा कम में कम 13 (ह्रस्व या इकार, उकार वाले मनुषक लिंग शब्दों में) होती है। इन सरचनात्मक रूपों का विवरण इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है—प्रथम प्रकार के शब्दों के, यथा—राम आदि में प्रथमा आदि आठो विभक्तियों के एक वचन के रूप 8 + द्विवचन के रूप 3 + बहुवचन के

1. लिंग की दृष्टि में मज्ञा-वाचक एवं विशेषण वाचक शब्दों का मूल्य मानकर यह शब्दा है कि कला मध्या का कोई एक ही लिंग होगा है जब कि विशेषण वाचक तीनों ही लिंगों में प्रयुक्त हो सकते हैं।

रूप 9=17 तथा द्वितीय प्रकार के शब्दों, यथा—मनस्, पयस्, वारि, मधु आदि में एक वचन के रूप 5+ द्विवचन के रूप 3+ बहुवचन के रूप 5=13; किन्तु आकारान्त एवं हलन्त स्त्री लिंग तथा उकारान्त नपुंसक यथा—लता, ज्ञान, चाक्षु, गिर् आदि में 14 (6+3+5) तथा इ, उ, ऋ आदि स्वरों के अन्त होने वाले स्त्रीलिंग शब्दों, यथा—धेनु, नदी, मातृ, गो आदि में 15 (6+3+6) रूप होते हैं। इसके अतिरिक्त मति, धेनु, भू आदि स्त्रीलिंगी शब्दों में चतुर्थी, पचमी एवं सप्तमी के एक वचन में वैकल्पिक रूपों के कारण 3 रूप और भी बन जाते हैं, पर किसी भी स्थिति में यह संख्या 17 से अधिक नहीं होती है। द्विवचन में ही प्रयुक्त होने वाले उन, द्वि आदि शब्दों के केवल 3 रूप तथा केवल एक वचन में (यथा-एक) या केवल बहुवचन, यथा-अप्, अमु, वहु, त्रि, चतुर् आदि में प्रयुक्त होने वाले शब्दों के केवल 6 रूप बनते हैं।

अर्थ की दृष्टि से नामपदों के 24 विभक्त्यन्त रूपों का सामान्यतः 13—17 रूपों में सीमित हो जाने का कारण यह है कि एक तो विभक्तियों के संरचनात्मक रूप की दृष्टि से द्विवचन में आठों विभक्तियों के केवल तीन ही रूप बनते हैं अर्थात् प्रथमा, द्वितीया एवं सम्बोधन में एक रूप, तृतीया, चतुर्थी, पचमी में एक रूप तथा षष्ठी, सप्तमी में एक रूप। इसके अतिरिक्त सामान्यतः पंचमी, षष्ठी एक वचन में एक रूप, चतुर्थी पचमी एक वचन में एक रूप बनता है। इस प्रकार सामान्य रूप संख्या 24—5 = 19—2 = 17 रह जाती है। जिन शब्दों में प्रथमा एवं द्वितीया बहुवचन के रूप भी समान होते हैं वहा 16 तथा जहां प्रथमा, द्वितीया एकवचन में रूप समान होते हैं वहा 15 ही रह जाते हैं। सम्बोधन के रूप भी प्रायः प्रथमा विभक्ति के रूपों से अभिन्न होते हैं अतः यह संख्या वस्तुतः 16—2 = 14, 15—2 = 13 ही रह जाती है।

अब हम यहां पर संस्कृत पदरूप प्रक्रिया के मूल घटकों अर्थात् लिंग एवं सम्बन्ध तत्त्वों के बोधक रूपियों अर्थात् सुबन्त प्रत्ययों के स्वरूप तथा उनके द्वारा होने वाली विभक्त्यन्त पदसंरचना के विविध पक्षों पर विस्तृत रूप से प्रकाश डालेंगे।

संस्कृत में लिंग तीन माने गए हैं—पुंलिंग, स्त्रीलिंग तथा नपुंसक लिंग और इनका विधान व्याकरणगतक होना है अर्थात् इसका आधार शब्द से संकेतित वस्तु या व्यक्ति या प्राकृतिक लिंग नहीं होता, यथा स्त्री या पत्नी के बोधक शब्दों में बादा-पुंलिंग है तो पत्नी स्त्रीलिंग और कलधर्म नपुंसक लिंग। निपातो एवं क्रियापदों को छोड़कर प्रत्येक शब्द का प्रयोग किसी न किसी लिंग में अवश्य होता है। संज्ञावाचक शब्दों का लिंग नियत होता है, किन्तु विशेषण, सर्वनाम तथा संख्यावाचक शब्दों का लिंग नियत नहीं होता है। इनके लिंग का निर्धारण उस समा शब्द के अनुसार किया जाता है जिसके साथ कि इनका सम्बन्ध होता है।

संस्कृत का लिंग विधान व्याकरणात्मक होने के कारण संस्कृत के वैयाकरणों ने शब्दों के लिंग परिज्ञान के लिए विशेष रूप से लिंग-विधान के नियमों (लिंगानुशासन) की अवतारणा की है।

गंजापदों के लिंग विधान के सम्बन्ध में भाषा-वैज्ञानिकों का कथन है कि मूल भारोपीय में सम्भवतः दो ही लिंग प्रचलित थे। एक सामान्य लिंग, जिसमें कि स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग दोनों ही समीहित थे तथा दूसरा नपुमक लिंग। इस अनुमान का आधार यह है कि भारोपीय के प्राचीनतम रूप को पूरी तरह सुरक्षित रखने वाली हिन्दी भाषा में उपर्युक्त प्रकार के दो ही लिंगों का विधान पाया जाता है। प्रतीत होता है कि भारोपीय की अन्य शाखाओं के समान ही संस्कृत में भी यह पुल्लिंग-स्त्रीलिंग का भेद इनके विकास काल में बही बाद में जाकर हुआ। यही कारण है कि संस्कृत में देवता स्त्रीलिंग एवं मित्र जैंगे स्त्री-पुं० लिंग बोधक शब्द नपुमक लिंग में पाए जाते हैं। लिंग भी पदरूप संरचना में इन घटक रूपियों के विभिन्न उपरूपों (allomorphs) के प्रयोग का नियामक हुआ करता है। अतः पदरूप रचना में इसका महत्त्व भी स्वयं सिद्ध है।

संस्कृत में वचनों की संख्या तीन है जो कि प्रथम एकत्व, द्वित्व एवं बहुत्व का बोध कराते हैं। तुलनात्मक भाषाशास्त्र के विद्वानों ने संस्कृत, ग्रीक तथा लियुआनियन में उपलब्ध द्विवचन के आधार पर बहुत पहले ही निष्कर्ष निकाला था कि द्विवचन की स्थिति मूल भारोपीय में भी अवश्य रही होगी, किन्तु अब हिन्दी भाषा में भी द्विवचन की गत्ता प्राप्त हो जाने में इस अनुमान को पूरी तरह पुष्टि हो गई है कि संस्कृत का द्विवचन मूल भारोपीय को ही देता है।

रूप प्रक्रियात्मक संरचना के लिए संस्कृत के नामपदों की प्रकृति को परवरागत रूप से दो भागों में विभक्त किया जाता है। (1) अजन्त अर्थात् स्वरों से अन्त होने वाले प्रातिपदिक, (2) ह्यन्त अर्थात् व्यंजनो से अन्त होने वाले प्रातिपदिक। विभक्ति प्रयोगों की योजना के लिए पुनः इनका उप-विभाजन किया जा सकता है जिसके अनुसार अजन्त प्रातिपदिकों को पाँच भागों में तथा ह्यन्त प्रातिपदिकों को दो भागों में रखा जा सकता है। अजन्तों के उपभेद हैं—(1) अकारान्त तथा आकारान्त, (2) इकारान्त तथा उकारान्त, (3) ईकारान्त तथा ऊकारान्त, (4) श्चकारान्त तथा (5) ध्वनि युग्मान्त (diphthong-ending)।

ह्यन्त प्रातिपदिकों के दो उपभेद होंगे (1) विहृत तथा (2) अविहृत। विहृत अर्थात् परिवर्तनशील अन्त वाले ह्यन्त प्रातिपदिक वे माने जाते हैं जिसमें कि विभक्ति प्रत्ययों के लगाने जाने पर किसी प्रकार विहृति अर्थात् दीर्घ, संज्ञ, सम्प्रसारण आदि हो जाती है, यथा—मनस्, विद्मस्, महस्, राजस्, प्रपद् आदि। पदरचना की दृष्टि में ऐसे ह्यन्त पद प्रायः लृ, लृ, लृ, लृ, अन्त वाले होते हैं। उदाहरणार्थ, मनसि, विदुषा, महान्, राजा आदि शब्दों में इन विहृतियों को देखा

जा सकता है ।

अविहृत अर्थात् अपरिवर्तनशील अन्त वाले हतन्त प्रातिपदिक वे हैं जिनमें कि विभक्ति प्रत्ययो के योग में सन्ध्यात्मक परिवर्तनों को छोड़कर कोई परिवर्तन या विकार नहीं होता, अर्थात् वे सभी विभक्त्यन्त रूपों में अपने मूल रूप को बराबर उसी रूप में बनाए रखते हैं, यथा—सुहृत्, जगत्, भवत्, वाच्, आदि । इनमें शून्य प्रत्यय से पूर्व में च् का क् (वाच् > वाक्) या घोप ध्वनि से पूर्व अघोप अन्त्य ध्वनि का घोपत्व (वाग्भ्याम्, भवद्भि) जैसे केवल सन्ध्यात्मक परिवर्तन होते हैं, मूल रूप में कोई परिवर्तन या विकृति नहीं होती ।

विभक्ति प्रत्यय—पीछे कहा गया है कि संस्कृत एक सश्लिष्ट भाषा है तथा इसके नामपदों की रूप रचना के लिए छः कारकों और सप्त विभक्तियों का विधान किया गया है । कारकों का सम्बन्ध वाक्य रचना में होने के कारण उन पर उसी प्रकरण में विमर्श किया जायेगा । यहाँ पर हम नामपदों के रूप रचना (inflection) से सम्बद्ध विभक्ति प्रत्ययों के सम्बन्ध में ही किञ्चित् चर्चा करेंगे ।

आचार्य पाणिनि ने नामपदों की रूपरचना के सम्बन्ध में प्रथमा से लेकर सप्तमी तक प्रत्येक विभक्ति के तीनों वचनों के लिए अलग-अलग विभक्ति प्रत्ययों का विधान किया है । मूलतः इन सुप् प्रत्ययों (सु से लेकर सुप् तक) की संख्या 21 परिगणित की गई है,¹ यद्यपि कई विभक्तियों में ये प्रत्यय एकाधिक विभक्ति वचनों में समानता रखते हैं, विशेषकर द्विवचनो में । किन्तु संस्कृत की भाषिक रचना के विश्लेषण से पता चलता है कि इनमें से केवल -भ्याम् को छोड़कर और सभी के एकाधिक उपरूप या संरूप पाये जाते हैं जो कि स्पष्टतः परिपूरक वितरणों में घटित होते हैं । वितरण का आधार नाम पद की अन्तिम ध्वनि तथा उनका सज्ञा, सर्वनाम आदि व्याकरण कोटिक विभाजन होता है । इनका विस्तृत विवेचन लेखक की कृति 'संस्कृत का ऐतिहासिक एवं संरचनात्मक परिचय' (पृ० 130-150) में दिया गया है । जिज्ञासु पाठकों को यही देख लेना चाहिए । यहाँ पर हम प्रत्येक विभक्ति प्रत्यय के मरूपों की तालिका मात्र प्रस्तुत करेंगे जो कि इस प्रकार है—

1. स्वोवमोद्दहटाभ्यामिस् डेभ्याभ्यस् डसिभ्याभ्यस् डसोताम्डयोस्सुप् (पा० 1:2, 46)

रूपिम	एकवचन	द्विवचन	बहुवचन		
	सरूप	रूपिम	सरूप	रूपिम	
प्रथमा—तु	म्/म्/त्-इ/थि	वौ	ई/ऊ	जम्	वम्(सु/थ)
द्वितीया—अम्	अम्/म्/त्-इ/थि	वौट्	वौ/नी	वाम्	इ/नि/न्
तृतीया—टा	आ/एन/इत/ना	भ्याम्	भ्याम्	मिस्	एम्/एभिम्/भिम्
चतुर्थी—डे	म/ए/ए/यै/स्म/ने	"	"	भ्यम्	भ्यम्/एभ्यम्
पंचमी—इमि	आत्/स्मान्/त्	"	"	"	"
षष्ठी—पष्टी	ग्राम्/स्याम्	"	"	"	"
—इस्, इति					
पष्टी—इम्	स्य	भोम्/नोस्	वाम्	वाम्/नाम्/गाम्	
सप्तमी—इडि	इ/भो/वाम्/वाम् स्याम्/स्मिन्/थि	"	गु	"	सु/पु

विभक्ति-प्रत्ययों की योजना का सिद्धान्त

संस्कृत के नामपदों की रूपरचना के विश्लेषण में देखा जाता है कि संस्कृत शब्दों की रूपरचना में जहाँ एक आरंभ बिंदु रूपिम के अनेक उपरहण पाये जाते हैं, वही स्वयं शब्दमूल में भी अनेक प्रकार के रूप स्वनिमिक परिवर्तन पाये जाते हैं। संस्कृत वैयकरणियों ने शब्द-रूपरचना के गिद्धान्त या निरूपण करने के लिए इन्हे मोट तौर पर अजगता तथा हलन्त वर्गों में विभक्त किया था। रूपरचनात्मक दृष्टि से अजगताओं को पुनः चार वर्गों में विभक्त किया जा सकता है—1. अकारान्त, 2. इकारान्त-उकारान्त, 3. ईकारान्त-ऊकारान्त तथा आकारान्त, 4. ऋकारान्त। रूप स्वनिमिक परिवर्तनों का आधार यही अन्तिम ध्वनियाँ रहो हैं।

विभक्ति-प्रत्ययों की योजना के सम्बन्ध में भी इन प्रत्ययों के उपरहणों का आधार वही ध्वन्यात्मक अर्थात् प्राणिक की अन्तिम ध्वनि, कभी स्फोटिक तथा कभी दोनों ही मान गये हैं, यथा—निम्नलिखित उपरहणों के विवरण का आधार ध्वन्यात्मक (phonetic) अकारान्त मूल पाया जाता है।

भिम्→ऐम्—रामे, देवे, कर्मे आदि।

आ→इन्—रामेण, देवेन, कर्मेन आदि।

अम्→मात्—रामान्, देवान्, कर्तान् आदि।

अम्→स्य—रामस्य, देवस्य, कर्मस्य आदि।

त्→य—रामाय, देवाय, कर्माय आदि।

इसी प्रकार निम्नलिखित उपरहणों का आधार आत्मक (morphological) है।

स्→म् (प्र०, ए० व०) नपुंसक लिंग—ज्ञानम्, फलम् आदि ।

ओ→ई (प्र०, द्वि०, त्रि० व०) स्त्री/नपु० लिंग—रमे, लते, जाने, फले, ।

ए→स्मै (च०, ए० व०) सर्वनाम—सर्वस्मै, तस्मै, पूर्वस्मै आदि ।

यस्→स्मात् (प०, ए० व०) सर्वनाम—सर्वस्मात्, विश्वस्मान्, पूर्वस्मात् ।

ई→स्मिन् (स०, ए० व०)—सर्वस्मिन्, विश्वस्मिन्, पूर्वस्मिन् ।

आम्→सान् (प०, व० व०)—सर्वेषाम्, विश्वेषाम्, पूर्वेषाम् ।

इनके अतिरिक्त ऐसी भी अवस्थितियां पायी जाती हैं जिनमें कि इन उपरूपों का निर्धारण ध्वन्यात्मक तथा रूपात्मक दोनों के आधार पर किया जाता है, यथा स्→० (शून्य) (प्र०, ए० व०)—हलन्त, पुलिग, स्त्रीलिंग तथा नपुंसकलिंग—उपानद्, वाक्, जगत् आदि ।

स्→० (शून्य) (प्र०, ए० व०) इकारान्त, उकारान्त नपुंसक लिंग तथा आक्रान्त स्त्रीलिंग—इधि, मधु, वारि, लता, रमा आदि ।

आम्→नाम्—(प०, व० व०) अ, इ, उ, ऋ अन्त वाले पुलिग तथा आ, ई, ऊ, ऋ अन्त वाले स्त्रीलिंग—रामाणाम्, कवीनाम्, साधूनाम्, पितृणाम्, लतानाम्, नदीनाम्, घनूनाम् आदि ।

इनके अनिश्चित कुछ उपरूप ऐसे भी हैं जिनका आधार ध्वन्यात्मक या रूपात्मक न होकर शब्दमूल विशेष होता है । इस वर्ग में व्यक्तिवाचक सार्वनामिक पदमूल—युस्मद् तथा अस्मद् की रूपरचना में प्रयुक्त होने वाले उपरूप आते हैं—

ओ→आम् (प्र० द्वि०) युवान्, आवाम् ।

अस्→म् (प्र० व० व०)—यूयम्, वयम् ।

ए→म् (च० ए० व०)—तुभ्यम्, मह्यम् ।

म्यस्→म्यम् (च० व० व०)—युष्मभ्यम्, अस्मभ्यम् ।

अस्→त्—(प० ए० व०) त्वत्, मत्, युष्मत्, अस्मत् ।

आम्→आकम् (प० व० व०) युष्माकम्, अस्माकम् ।

सार्वनामों का रूप रचनात्मक वैशिष्ट्य—यों तो संस्कृत में पद विभाग की दृष्टि में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण (मध्या वाचक शब्दों सहित) सभी को एक ही कौटि में रखा गया है तथा रूप-रचना की दृष्टि से व्याकरण के नियमों का इन सभी पर समान रूप में अनुप्रयोग होता है, किन्तु नामपदों के संरचनात्मक विशेषण से विदित होता है कि सार्वनामिक पदमूल तथा विभक्ति प्रत्यय अनेक रूपों में अन्य नामपदों से भिन्नता रखते हैं । यहां तक कि अनेक रूपों में तो भिन्न-भिन्न विभक्त्यन्त रूपों के साथ भिन्न-भिन्न पदमूल दिखाई देते हैं । सार्वनामिक पदमूलों की ये विशेषताएं मुख्यतः पुरुषवाचक सर्वनामों में पायी जाती हैं ।

रूपरचना की दृष्टि से पुरुषवाचक सर्वनामों, विशेषकर प्रथम तथा मध्यम पुरुषवाचक में यह विशिष्टता विशेष रूप से दर्शनीय है, (1) इनमें लिंग भेद नहीं

पाया जाता जो कि प्राचीन भारोपीय की विशेषता के अनुरूप है तथा जो हमें लिंग भेद वाची गैमेट्रिक भाषाओं से पृथक् भी करता है। इनमें से लिंग भेद को दिखाने वाला एक मात्र उदाहरण यष्माः-(स्त्री० द्विव०, व०) वैदिक संस्कृत में पाया जाता है।

(2) वचन भेद को सर्वादेशात्मक भिन्न-भिन्न कारकों के लिए भी भिन्न-भिन्न पदमूलों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, 3. इसी प्रकार भिन्न-भिन्न कारकों के लिए भी भिन्न-भिन्न पदमूलों का प्रयोग किया जाता है, (4) अनेक बहुवचन विभक्ति प्रत्यय आत्मिक रूप में एक वचन के विभक्ति प्रत्ययों में साम्यता रहते हैं, यह विशेषता ऐतिहासिक पूर्वकाल के रूपों में विशेष रूप से दर्शनीय है, (5) संज्ञा शब्दों में प्रयुक्त होने वाले विभक्ति प्रत्ययों तथा इन पुरुषवाचक सर्वनामों में प्रयुक्त होने वाले विभक्ति प्रत्ययों में बहुत बड़ा अन्तर है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जहाँ संज्ञा पदों की रूप रचना में पदमूल सर्वदा अपरिवर्तित रहता है और लिंग, वचन एवं विभक्ति की विभेदकता विभक्ति प्रत्ययों द्वारा प्रदर्शित की जाती है वहाँ सर्वनामों में यह विभेदकता विभक्ति प्रत्ययों द्वारा उतनी नहीं मिलती कि स्वयं पदमूल के ही परिवर्तन के द्वारा दिखाई जाती है। वचन की दृष्टि से तो यह विभेदकता सगत् भी प्रतीत होती है, क्योंकि अहम् में बनने वाले आराम् तथा वषम् में मध्या की वही स्थिति नहीं होती है जो कि वृक्ष. से बनने वाले वृशी या वृक्षा में होती है। अर्थात् वृशी में वृक्ष + वृश की स्थिति स्पष्ट है, किन्तु अहम् के अनुरूप आराम् में अहम् + अहम् की स्थिति कभी भी सम्भव नहीं हो सकती। यह तदा ही अहम् + ह्यम् या अहम् + स. का बोध कराता है। अतः ऐसी स्थिति में हमना यौक्त अहम् पदमूल नहीं हो सकता था तथा इस दृष्टि से प्रथम तथा मकरम पुरुष वाचक सर्वनामों में भिन्न-भिन्न वचनों के लिए भिन्न-भिन्न पदमूलों का प्रयोग सर्वथा असंगत तो नहीं पर भिन्न-भिन्न कारकों अथवा विभक्तियों में भी इनकी एकरूपता का न होना अनिश्चित विशेषण की अपेक्षा स्पष्ट ही है। (दे०, म० ऐ० स० व०, पृ० 162-65)

संज्ञावाचक पदों की रूप रचना—संस्कृत के नामपदों की रूपरचना के प्रथम में उनके संज्ञावाचक पदों के विषय में भी साक्षित रूप में विचार कर लेना अपेक्षित है। विशेषणों के अगभूत संज्ञावाचक पद नामपदों के अग तो होते ही हैं साथ ही इनकी रूपरचना भी अन्य नामपदों की रूपरचना से दिगी प्रकार भी भिन्न नहीं होती। इनमें गाप प्रयुक्त होने वाले विभक्ति प्रत्ययों का रूप सावर्नामिक विभक्ति प्रत्ययों के अनुरूप होता है। मकरावाचक शब्दों का प्रयोग दो रूपों में होता है—1. गणनावाचक 2 अमशाचक। इसका विवरण इस प्रकार होगा—

गणनावाचक—क्योंकि मकरावाचक शब्दों का प्रयोग विशेषण के रूप में होता है इसलिए सामान्यतः इसमें लिंग का निर्धारण विशेष्य के लिंग के अनुरूप होता है तथा वचन की दृष्टि में भी एकत्व, द्विव या बहुत्व की बोधकता के अनुसार वचन

का निर्धारण होता है, किन्तु डम सम्बन्ध में कुछ विशेष नियम भी है, जिसका संक्षिप्त उल्लेख यहाँ आवश्यक होगा।

1. लिंग और वचन की दृष्टि से एक से लेकर चार तक के बोधक शब्द तीनों ही लिंगों में रूप रचना करते हैं। इनमें से एक का केवल एकवचन में, द्वि का केवल द्विवचन में तथा शेष का केवल बहुवचन में प्रयोग होता है।

2. पंचन् (5) से लेकर नवदशन् (19) तक सारे शब्दों के रूप केवल बहुवचन में होते हैं तथा तीनों ही लिंगों में समान होते हैं।

3. विंशति (20) से लेकर नवन्वति (99) तक सभी संख्यावाचक शब्दों के रूप केवल स्त्रीलिंग, एकवचन में होने हैं तथा शत (100), सहस्र (1000) आदि के रूप केवल नपुंसक लिंग एकवचन में ही होने हैं। फलतः बहुवचन या स्त्रीलिंग या पुलिंग विशेष्यों के साथ भी इनके रूप उपर्युक्त रूप में ही प्रयुक्त होंगे—

शतं ब्राह्मणा. गच्छन्ति, सहस्रं पुरुषा. गच्छन्ति।

विंशति स्त्रिय गच्छन्ति, त्रिंशत् कन्यकाः पठन्ति ॥

किन्तु यदि 'बीसों', 'सैकड़ों' का भाव प्रकट करना हो तो उस अवस्था में सख्येय शब्द में पठ्ठी बहुवचन का प्रयोग करके इनका प्रयोग अभिप्रेत वचन एवं लिंग के अनुसार कर लिया जाता है, यथा—विंशतयो छात्राणां गच्छन्ति 'बीसों छात्र जा रहे हैं', सहस्राणि फलानां पतन्ति 'हजारों फल गिर रहे हैं।' किन्तु यह प्रयोग विभक्ति या वचन के बिना भी हो सकता है—नवति नाव्यानाम् 'नब्बे नावें।'

संस्कृत के संख्यावाचक शब्दों की संरचना दशमिक प्रणाली के आधार पर की जाती है, दस के आगे के संख्यावाचक शब्दों की रचना में प्रथम घटक प्रथम दस तक के वाचकों में से होता है तथा द्वितीय घटक सम्बन्धित दशक का वाचक शब्द, यथा—एकादश (एक + दश) पंचविंशति. (पच + विंशति = 25) आदि।

किन्तु नौ से युक्त संख्या अर्थात् 19, 29, 39, 49, आदि की रूपरचना में दो प्रकार के उपरूपों का प्रयोग किया जाता है—1. एकोन 2 नव। इनमें से एकोन के योग में तां द्वितीय घटक अग्रिम दशक की संख्या का बोधक होता है—एकोनविंशति (19 = 20 - 1) अर्थात् बीस से एक कम, एकोनत्रिंशत् (29 = 30 - 1) आदि तथा नव के योग में द्वितीय घटक पूर्व दशक का बोधक होता है, यथा—नवदश (10 = 9 + 10), नवविंशति (20 = 9 + 20) आदि।

सौ में अधिक संख्या का बोध कराने वाले पदों की रचना समस्त पदों के रूप में होती है। इसमें इकाई अथवा दशक की वाचक संख्याओं के बाद अधिक पद को जोड़कर अन्त में प्रथम प्राप्त संख्या के अनुसार शतम्, सहस्रम् या लक्षम् का प्रयोग किया जाता है, यथा—एकाधिक शतम् (101), पचारातदधिक शतम् (150)

पचाधिक द्विसप्ततम् (205), विंशत्यधिक सहस्रम् (1020), शताधिकं सहस्रम् (1100)। यहाँ अधिक पद के स्थान पर उत्तर पद का भी प्रयोग हो सकता है, यथा—एकोत्तरं शतम् (101), शतोत्तरं सहस्रम् (1100) आदि।

इसके धनिरिक्त प्रथम षट्के के रूप में मर्यादावाचक शब्दों की रचरचना में द्वि, त्रि और अष्टान् के द्वा, त्रय, अष्टा उपरूप भी बगते हैं। दश, विंशति एव त्रिंशत् के योग में तो ये उपरूप नित्य रूप में तथा चत्वारिंशत् (40), पंचाशत् (50) आदि के योग वैकल्पिक रूप में प्रयुक्त होते हैं, द्वादश, त्रयोदश, अष्टादश, द्वाविंशति, त्रयोविंशति अष्टाविंशति, त्रिंशत् द्वाघत्वारिंशत् ~ द्विचत्वारिंशत्, त्रयश्चत्वारिंशत् ~ त्रिचत्वारिंशत्, अष्टाचत्वारिंशत् ~ अष्टचत्वारिंशत् आदि :

क्रमवाचक संख्याशब्द—संस्कृत के क्रमवाचक मर्यादाशब्दों की रचरचना का आधार प्रायः गणनावाचक शब्द ही होते हैं। इनकी 'प्रकृति' में होने वाले परिवर्तनों तथा इनके संघटनाकारी प्रत्यय रूपों का विवरण हम प्रसार दिया जा सकता है—

1. एक, द्वि, त्रि, चतुर, एव षट् के क्रमवाचक रूपों की रचना में इनकी 'प्रकृति' को पूर्णतः सर्वदेश हो जाता है, फलन इनके रूप बनते हैं—प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, षष्ठ। विशेषणतमक होने के कारण इनमें विनेप्य के अनुस्य विभक्ति प्रत्ययों में पूर्व विग बोधक प्रत्ययों का योग भी यथातथ्यक रूप में हो जाता है—प्रथम, प्रथम, प्रथमम् इत्यादि

2. पच, सप्त, अष्ट, नव, दश में क्रमबोधक रूपों की रचरचना के लिए इन पर -म प्रत्यय लगाया जाता है—पचम, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम। इनके भी रूप विनेप्य के अनुस्य विग बोधक प्रत्यय में मुक्त रूप बनते हैं।

3. एकदश लेकर पचदश तक के रूपों की रचना में इनके साथ विगणों (विगणें प्रथम) का योग हो जाता है—एकादशः (शारदृषी), पचदश (15वां), नवदश (19वां)।

4. 'बीम' या 'बीम' में ऊपर 'पचाम' तक के क्रमवाचक शब्दों की रचना दो प्रकार में होती है : (1) प्रत्ययान्त -ति अथवा -त को हटाकर विगणों की योजना में, (2) तम प्रत्यय के योग में - विंशति > त्रिंशत् ~ विंशतितम, त्रिंशत् > त्रिंशत् त्रिंशततम आदि।

किन्तु षट्ठि में त्रयस्त्रिंशत् के रूपों की रचना नियमित रूप में तम प्रत्यय के साथ ही की जाती है—षट्ठितमः (60वां), त्रयस्त्रिंशत् (90वां), परन्तु इनमें पूर्व में यदि कोई अन्य मर्यादावाचक शब्द हो तो विकल्प में इनके अन्त्य द्व के स्थान पर भ्र हो जाता है तथा इन रूपों में पुन तम का प्रयोग भी नहीं होता—एकषट्ठितम ~ एकषष्ट (61वां) द्विगणतितम ~ द्विगणत (72वां), एकत्रयस्त्रिंशत् ~ एकत्रयस्त्र (91वां) आदि। शत एक सहस्र में केवल तम का प्रयोग किया जाता है—

शततम (सोवां), सहस्रतमः (हजारवां) ।

अन्य भारोपीय भाषाओं में प्राप्त इनके समानार्थी रूपों से इनकी तुलना करने पर ज्ञात होता है कि इनके उपर्युक्त रूपों का विकास भारोपीय मूलों से हुआ है ।

1 सं० प्रथम-अवे० फ्रत्प्रथम ।

2 सं० द्वितीय-अवे० दइवित्य, बित्य, प्रा० फा० दुवित्य ।

3 सं० तृतीय—अवे० थित्य, लै० तैतुम् ।

4 सं० चतुर्थं ग्रीक—तैतर्तोस, लिथु० कैत्वितंस् ।

स० 2० तुरीय~तुयं : अवे० तूइयं ।

5 सं० पंचम . पहलवी—पंजुम ।

ऋग्वेद (10 61 1) में इसका पश्य रूप भी पाया जाता है, जो प्राचीनतर रूप प्रतीत होता है क्योंकि इसके समानान्तर रूप अन्य भाषाओं में भी पाये जाते हैं—अवे० पुष्ट्, उच्च जर्मन—फुन्फ्तो, ग्रीक—पेंफ्तोस । इसके अतिरिक्त काठक संहिता में इसका पंचयं रूप भी पाया जाता है तथा इसका अनुरूपी रूप गालिक में पिम्पेहोस् तथा प्राचीन वेलम में पिम्फेत् पाया जाता है । लगता है कि यहाँ पर च चतुर्थं के सादृश्य से आ गया है ।

6 सं० षष्ठ . ग्रीक—हेक्तोस् : लै० सेक्स्तुस् ।

7. सं० सप्तम फा०—हपतम, ग्रीक—हेप्तेर्मोस् : लैटिन सेप्टिमुस् ।

इस सामान्य रूप के अतिरिक्त ऋग्वेद में इसका सप्तयं रूप भी पाया जाता है तथा इसका समानार्थी अवेस्ता का रूप हप्तयं इस बात का निवेदन करता है कि भारत—ईरानी काल में इसका यही रूप प्रचलित था ।

8. अष्टम—अवेस्ता में इसका रूप है—अस्तप्रथम ।

9. नवम—अवे० नओम, प्रा० फा०—नवम ।

10 दशम—अवे० दसप्रथम, लै० डेकिमस् ।

प्रो० वरो का विचार है कि क्रमवाचक रूपों की रचना में मूलतः भारोपीय काल में केवल अ प्रत्यक्ष का प्रयोग किया जाता था, जो कि सप्तम् + अ (septm + a) = सप्तम तथा दशम् + अ (dekam + a) दशम में स्पष्ट रूप में देखा जा सकता है किन्तु बाद में इसे म प्रत्यय समझ कर सादृश्य के आधार पर उन रूपों में भी प्रयुक्त किया जाने लगा जिनमें कि मूलतः म नहीं था, यथा—अष्टम, नवम (तुल० लै०—ओक्तावुस्, नोनुस् आदि) ।

सादृश्यात्मक रूपरचना की यह प्रवृत्ति आधुनिक बोलियों में भी पायी जाती है । मध्य पहाड़ी (कुमाऊँनी) में सप्तमी, अष्टमी, नवमी के सादृश्य पर षष्ठमी भी प्रयुक्त होता है ।

इसी प्रकार च के विषय में भी माना गया है कि इसका विकास* ता + अ से हुआ है । उपर्युक्त -य के समानार्थी ईरानी रूपों से स्पष्ट है कि भारत-ईरानी काल

मे ही इसमें मद्राणता का योग हो चुका था। चतुर्थं, पञ्च, सप्तय का विनास इगी रूप में हुआ है।

क्रमवाचक स्वरचना में दसवें में आगे क्रम के बोधक कुछ समानार्थी रूप इस प्रकार पाये जाते हैं—द्वादश अवे० द्वादश, त्रिंशत्तमः अवे० त्रिंशत्तमः, सहस्रतमः अवे० सहस्रतमः आदि।

आख्यात पदों की रूप-रचना-प्रक्रिया

पद-रचना की दृष्टि से संस्कृत के आख्यात (क्रिया) पदों की रचना का रूप एवं आधार नामपदों (संज्ञा) की रचना की अपेक्षा अधिक सुदृढ़ है। संस्कृत में आख्यात पदों की रचना दो प्रकार के प्रत्ययों के योग से हुआ करती है। इनमें से एक को तिङ् प्रत्यय-रचना तथा दूसरी को कृत् प्रत्यय-रचना कहा जाता है। तिङ् प्रत्ययों के योग में बनने वाले आख्यातपद अन्य भारोपीय भाषाओं के आख्यात पदों की भाँति वाच्य, लकार, काल, पुरुष तथा वचन से युक्त होते हैं तथा इनकी रचना धातु मूल से की जाती है। धातुओं को मूल मानकर उनसे विविध कालों एवं वृत्तियों को व्यक्त करने के लिए लिंग और वचन के अनुसार अभिप्रेत पदरचना की जाती है। संस्कृत की आख्यात-पद-रचना में तीन प्रकार की वाच्यता, ग्यारह लकारों, तीन कालों, तीन पुरुषों तथा तीन वचनों का प्रयोग किया जाता है। निङ्न्त प्रत्ययों के योग में बनने वाले आख्यात-पद केवल क्रिया का ही नहीं अपितु उमके कर्ता के वचन, पुरुष आदि का भी बोध कराते हैं।

धातुमूल—संस्कृत के धातुमूलों को एक सामान्य विशेषता यह है कि ये सभी मूलतः एकाक्षर (mono-syllabic) होते हैं, अर्थात् इन सभी में केवल एक स्वर

होता है। यह व्यंजनहीन भी हो सकता है तथा व्यंजनयुक्त भी, जोकि एकाधिक संख्या में इनके उपास (onset) तथा अपास (offset) में हो सकते हैं। मस्कृत के धातुपाठों में प्राप्त होने वाले धातुमूर्तों का ध्वन्यात्मक रूप इस प्रकार पाया जाता है (यहाँ पर स का अर्थ स्वर एवं व का अर्थ व्यंजन समझना चाहिए)।

1. यथा—स $\sqrt{इ}$ (इण् गतो), 2 स व, ($\sqrt{आम्}$, $\sqrt{आप्}$ -), 3. स व व ($\sqrt{अद्}$ -) 4. व म ($\sqrt{क्}$ -, $\sqrt{दा}$ -), 5. व व म ($\sqrt{त्री}$ -, $\sqrt{प्रो}$ -) 6 व व म व ($\sqrt{धुष्}$ -), 7. व व म व व ($\sqrt{क्रद्}$ -), 8. व म व व ($\sqrt{वम्}$ -)।

धातुओं का गणाधीन वर्गीकरण—मस्कृत के लगभग 800 धातुमूर्तों को वैयाकरणों ने उनकी अभिरचनाओं के आधार पर त्रिन दस वर्गों (गणों) में वर्गीकृत किया है उनका तथा उनके विभाजन के आधारभूत विकरणों का विवरण इस प्रकार है।

आदेशधातु	गणनाम	गणबोधक विशेषता (विकरण)।
1. हू—होना	इडादि	अ-विकरण (धातु स्वर को गुण)
2 अद्—घाना	अडादि	सोप विकरण
3. हृ—हृत् करणा	जुहोत्यादि	विद्वकरण हीन द्विरव
4 दिव्—मैतना	दिवादि	य-विकरण
5. मु—निचोहना	स्वादि	गु-विकरण
6. तुद्—दुग्धी करना	तुडादि	अ-विकरण, धातु स्वर को गुणाभाव
7. रध्—रोचना	रधादि	न-मध्य विकरण
8. तन्—कैमाना	तनादि	उ-विकरण
9. ऋी—मोच लेना	ऋयादि	ना-विकरण
10. चूर्—चुराना	चुरादि	अस्-विकरण

रूप-रचना की दृष्टि में इस प्रकार के गण-विभाजन के अनेक साम हैं। एक तो गण विशेष में परिगणित सभी धातुओं के रूप लगभग एक समान बनते हैं; दूसरे शब्द आदि कृदन्त प्रत्ययों के योग में स्त्रीविशेष विशेषता की रूप रचना करने समय प्रथम, अनुसर्ग, षष्ठ एव दसम गणों के धातुओं में बनने वाले रूपों में तीनों पूर्व सव में समान रूप में न् का योग हो जाता है। इनके अनिश्चित प्रथम, अनुसर्ग, षष्ठ एव दसम अर्थात् इडादि, दिवादि, तुडादि एवं चुरादि गणों में परिगणित धातुओं की रूप-रचना में प्रत्यय में पूर्व अंग (stem) अकारान्त हो जाता है. बिन्धु

1. विकरण धातु तथा निह रूपव के बीच में प्रयुक्त होकर वाला वह अन्तःप्रत्यय है जिसके विभिन्न रूपों एवं अकारों की उच्चारणा की जाती है।

अन्य वर्गों में परिगमित धातुओं में ऐसा नहीं होता। यथा—भू + लट् + ति (अ० पु०, ए० व०) से पूर्व में भू > भव् हो जाता है। फलतः भवति रूप की रचना होती है। इसी प्रकार अन्यत्र भी समझना चाहिए।

यद्यपि विवरणात्मक भाषाशास्त्र की दृष्टि से संस्कृत के मूल धातुओं का वर्गीकरण इनकी अन्त्य ध्वनिदों के आधार पर—अर्, अत्, अम्, इ, उ, आ, अथवा त्, प्, द्, फ्, भ्, ह् आदि से अन्त होने वाले वर्गों में किया जा सकता है तथा कुछ विद्वानों ने ऐसा किया भी है, किन्तु संस्कृत के आख्यात पदों की रूपरचना की दृष्टि से संस्कृत-वैयाकरणों द्वारा विहित उपयुक्त दस गणात्मक वर्गीकरण ही अधिक संगत है, क्योंकि इसमें समान विकरण वाले धातुमूलों का एक गण विशेष में परिगणन कर दिये जाने से उनकी रूप-रचना की अभिरचना अधिक सरल एवं सुविधाजनक हो जाती है।

पदरचनात्मक आधार पर धातुओं का वर्गीकरण

संस्कृत की सम्पूर्ण पद-रचना का आधार है धातु-मूल, जिन पर विभिन्न व्याकरणिक कोटियों के निदर्शक तिङ् प्रत्ययों का योग करके भिन्न-भिन्न कानों तथा वृत्तियों के बोधक त्रियापदों की रचना की जाती है। मूल धातुओं की ही नहीं, अपितु प्रत्ययान्त धातुओं तथा नाम धातुओं की संरचना प्रक्रिया का रूप भी यही होता है।

धातु के साथ तिङ् प्रत्यय का योग दो रूपों में होता है, एक बिना किसी व्युत्पन्न (संयोजक) के अर्थात् सीधे ही धातु मूल के साथ तथा दूसरा किसी योजक के व्युत्पन्न के साथ। अतः प्रथम प्रकार की रचना का रूप होता है—धातु + तिङ् प्रत्यय, यथा पा + ति > पति, अद् + ति > अत्ति आदि, तथा दूसरे प्रकार की रचना का रूप होता है—धातु + योजक (विकरण) + तिङ् प्रत्यय, यथा पठ् + अ + नि > पठति, तुद् + अ + ति > तुदति आदि (पारिभाषिक शब्दावली में इन्हें क्रमशः अव्यवहित शुद्ध तथा व्यवहित शुद्ध कहा जाता है)।

उपयुक्त दोनों ही प्रकार की संरचनाओं में धातु मूल की दो स्थितियाँ देखी जाती हैं। एक में प्रत्यय का योग होने पर धातु मूल में किसी प्रकार की विकृति नहीं होती तथा दूसरी में धातु मूल में विकृति (परिवर्तन) आ जाती है। व्याकरण की पारिभाषिक शब्दावली में प्रथम प्रकार को अव्यवहित शुद्ध तथा व्यवहित शुद्ध तथा द्वितीय प्रकार को अव्यवहित विकृत तथा व्यवहित विकृत कहा जाता है। ऊपर दिए गए उदाहरण अव्यवहित एवं व्यवहित शुद्ध के हैं। विकृत वर्ग के सम्बन्ध में उल्लेख्य है कि इनके धातु मूलों में अनेक प्रकार के विकार होते हैं जिन्हें ऊपर स्पष्ट किया जा चुका है।

क्रिया के फल भोक्ता पर आधारित वर्गीकरण—संस्कृत की तिङ्न्त पद-रचना

की एक अन्यतम विशेषता यह है कि इनमें क्रिया के फल के भोक्ता के अनुसार दो भिन्न प्रकार के प्रत्यय समूहों का प्रयोग किया जाता है। पारिभाषिक शब्दावली में इन्हें 'आत्मनेपद' तथा 'परस्मैपद' कहा जाता है अर्थात् जब क्रिया का फल कर्ता को प्राप्त होता है अथवा यों कहें कि जब कर्ता किसी क्रिया को स्वयं अपने लिए कर रहा होता है तो वहाँ पर आत्मनेपदी प्रत्ययों में रूप-रचना की जाती है तथा जब कर्ता किसी क्रिया को किसी अन्य व्यक्ति के लिए कर रहा होता है तो वहाँ पर परस्मैपदी प्रत्ययों के योग में रूप-रचना की जाती है, यथा—स पचते 'वह पकाना है' का अर्थ होगा कि 'पकाने वाला व्यक्ति स्वयं अपने लिए भोजन बना (पका) रहा है' तथा स पचति 'वह पकाना है' का अर्थ होगा कि 'वह किसी अन्य व्यक्ति के लिए भोजन बना (पका) रहा है।' इसी के आधार पर संस्कृत के सभी धातुओं को आत्मनेपदी, परस्मैपदी एवं उभयपदी धातुओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उभयपदी धातुओं में पद विशेष में प्रयोग का आधार उपर्युक्त क्रिया-कर्ता फल सम्बन्ध ही माना जाता है।

अपने विकास के प्रारम्भिक काल में संस्कृत की इस प्रकार के विविष्ट पद-प्रयोग की व्यवस्था चाहे जितनी भी सुदृढ़ रही हो, किन्तु देखा जाता है कि यह व्यवस्था उत्तरोत्तर मिथिल होती गई है तथा बाद के साहित्यिक संस्कृत के काल में आकर इनका मुक्त रूप में प्रयोग होने लगा था।

मूल-पद-विभाग के अनिश्चित उपसर्गों से युक्त होने पर भी कुछ धातुओं का पद-विधान बदल जाता है, यथा—उभयपदी $\sqrt{\text{कृ-}}$ का अनु, परत उपसर्गों के साथ होने पर केवल परस्मैपद में ही प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार $\sqrt{\text{रम्-}}$ यद्यपि मूलतः आत्मनेपदी धातु है पर वि, आ, परि, उप उपसर्गों के योग में इसका प्रयोग केवल परस्मैपदी के रूप में किया जाता है। इतना ही नहीं, कभी-कभी अर्थ भी किसी धातु के पद-विशेष का नियामक हो जाता है अर्थात् वही धातु एक अर्थ में आत्मनेपदी होती है तथा दूसरे अर्थ में परस्मैपदी हो जाती है, यथा— $\sqrt{\text{गम्-}}$ धातु मूलतः परस्मैपदी होने पर भी सम् के योग में 'मितना' अर्थ का धोतन करने पर आत्मनेपदी हो जाती है। इसी प्रकार $\sqrt{\text{भृञ्-}}$ यद्यपि उभयपदी है पर 'धाना' या 'भोगना' अर्थ का धोतन करने में इसका प्रयोग आत्मनेपदी के रूप में तथा 'भागन' अर्थ में परस्मैपदी के रूप में होता है।

प्रोफेसर बरो का कथन है कि आत्मनेपद तथा परस्मैपद का यह भेद संस्कृत में भारतीय में उत्तराधिकार में प्राप्त किया है (गुप्त० म० सप्तमे; पी० ह्रीनेरु; सी० लेक्सिकन)। भारत ईरानी के अनिश्चित रूप में संस्कृत की अधिकतम समानता केवल पीर में ही पायी जाती है (दिगां, बरो, पृ० 294)।

काल और व्यापार की स्थिति के आधार पर वर्गीकरण—यद्यपि वाक्यता की दृष्टि में संस्कृत के धातुओं में तीन प्रकार की वाक्यता (कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य,

भाववाच्य) पायी जाती है, किन्तु प्रयोग की दृष्टि से किसी भी धातु में केवल दो प्रकार के वाच्यों का प्रयोग हो सकता है। इस प्रयोग-योजना का आधार धातुओं की सकर्मकता तथा अकर्मकता को माना जाता है अर्थात् सकर्मक धातुएं केवल कर्तृवाच्य एवं कर्मवाच्य में प्रयुक्त हो सकती हैं और अकर्मक धातुएं केवल कर्तृवाच्य एवं भाववाच्य में।¹ रूप रचना की दृष्टि से कर्तृवाच्य में वनन वाले पदों की निष्पत्ति 'धातु' से सीधे ही 'तिङ् प्रत्ययों के जोड़ने से होती है, किन्तु कर्मवाच्य एवं भाववाच्य की रूप-रचना में धातु के बाद य जाड़कर यह पद-रचना की जाती है तथा इन दोनों के रूपों में कोई अन्तर नहीं होता। कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में क्रिया रूपों में पुरुष तथा वचन के कारण होने वाली विविधता नहीं होती, क्योंकि इसमें क्रिया-पद का रूप सदा ही अन्य पुरुष, एक वचन के अनुरूप होता है। पद-प्रयोग की दृष्टि से भी कर्तृवाच्य क्रिया के रूप आत्मनेपद तथा परस्मैपद दोनों के अनुसार बन सकते हैं, किन्तु कर्मवाच्य एवं भाववाच्य में ये रूप केवल आत्मनेपद के अनुरूप ही होते हैं।

लकार (Tenses and moods)—संस्कृत में तीनों कालों तथा पांचों वृत्तियों (moods) का बोध कराने के लिए 11 लकारों का प्रयोग किया जाता है।² संस्कृत वैयाकरणों द्वारा प्रदत्त इनके नाम तथा कालवृत्त्यात्मक अभिव्यक्ति का रूप इस प्रकार है—

लकार	अर्थाभिव्यक्ति का रूप
1. लट्	वर्तमान काल
2. लिट्	परोक्ष भूत (वक्ता के जीवन से पूर्व की क्रिया)
3. लृट्	अनद्यतन (आज के बाद होने वाली क्रिया)
4. लृट्	सामान्य भविष्यत् (आज या आज के बाद भी)
5. लेट्	सम्भावनार्थक (केवल वैदिक संस्कृत में)
6. लोट्	आज्ञार्थक, (आज्ञा, प्रार्थना आदि)
7. लङ्	अनद्यतन भूत (जो क्रिया आज से पहले हो चुकी हो)
8. विधिलिट्	प्रवर्तना (आज्ञा, निमंत्रण, आशंसा आदि)
9. आशीर्लिट्	आशीर्वादार्थक
10. लृङ्	सामान्य भूत
11. लृङ्	क्रियातिपत्ति, हेतुहेतुमद्भाव।

1. कर्तरि कृत्, (पा० 3.4.67) ल कर्मणि च भावे चारुमकेन्यः (पा० 3.4.69)
2. इन सभी का आरम्भ ल में होने के कारण इन्हें लकार कहा जाता है।

तिङन्त पदों की रूप-रचना में विभिन्न लकारों में होने वाले परिवर्तनों अथवा विकारों के आधार पर भी मस्कृत के वैयाकरणों ने सम्पूर्ण लकारों को दो वर्गों—सावंधातुक, आधंधातुक—में विभक्त किया है, अर्थात् जिन लकारों में तिङ् प्रत्ययों के योग में धातु मूल में परिवर्तन या विकार आ जाता है उन्हें 'सावंधातुक' तथा जिनमें धातुमूल में विकार नहीं आता उन्हें—'आधंधातुक' कहा जाता है। साहित्यिक मस्कृत में प्रयुक्त होने वाले दस लकारों में से लट्, लोट्, लृट् और विधिलिट् इन चार लकारों को 'सावंधातुक' तथा शेष 6 को 'आधंधातुक' कहा जाता है। इन्हें क्रमशः 'सविकरण' तथा 'अविकरण' रूप भी कहा जा सकता है।

उपरोक्त काल निर्देशक लकारों की रूपरचना चार अगभूत मूल रूपों से की जाती है, ये हैं—लट् (वर्तमान), लिट् (परोक्षभूत), लृट् (भविष्यत्), लृट् (अनिदिष्ट भूत)। अगभूत लट् का रूप ही लृट् (अपूर्ण भूत) की रूप-रचना का आधार बनता है। इसी प्रकार लृट् के अंग में लृट् तथा लृट् (हेतु हेतुयद्भाव) के रूपों की रचना की जाती है। वैदिक मस्कृत में लिट् के अंग से भी अपूर्णभूत की रूप-रचना होती थी। लृट् के अंग से भी अनिदिष्ट भूत के रूपों की रचना होती है।

इसके अतिरिक्त विभिन्न वृत्तियों के अभिव्यक्त रूपों की रचना लट् तथा लृट् के अंगों से होती है। वैदिक मस्कृत में इन दोनों आधारों से निर्मित रूपों में अर्थ की दृष्टि से कोई अन्तर नहीं समझा जाता था, यथा—लृट् पर आधारित रूप करत् (समावनायक) 'वह करेगा' तथा लट् पर आधारित रूप कृणवत् 'वह करेगा' में अर्थ की दृष्टि से कोई महत्वपूर्ण अन्तर नहीं है। प्रोफेसर बरो का विश्वास है कि भूत के विशेष अर्थ के अभिव्यक्तक लृट् का विकास भारत-ईरानी काल में हुआ होगा। मूल भारतीय में केवल वर्तमान तथा अपूर्णभूत का ही रूप था। इसकी यही स्थिति हिन्दी भाषा में भी पायी जाती है। (देवो, बरो, पृ० 296)

मस्कृत व्याकरणों में निदिष्ट पाच वृत्तियों—1. विध्यर्थक, 2. आज्ञार्थक, 3. सभावनायक, 4. इच्छार्थक तथा 5. अनुनयार्थक के वृत्तिवाचक रूपों की रचना प्राचीन भाषा में विगी प्रकार के अर्थभेद के बिना वर्तमान, अनिदिष्ट भूत तथा पूर्ण भूत के अंगों से की जाती थी, किन्तु साहित्यिक मस्कृत में विध्यर्थक-वृत्तिवाचक रूपों का आधार अनिदिष्ट भूत, आज्ञार्थक तथा इच्छार्थक का वर्तमान ही रह गया तथा सभावनायक रूपों का प्रयोग समाप्त ही हो गया। इसी प्रकार अनुनयार्थक रूपों का आधार परम्परा में अनिदिष्ट भूत तथा आज्ञार्थक में इप्-युक्त अनिदिष्ट भूत हो गया है।

निम्न रूपरचना प्रक्रिया—निम्न भाषाओं के योग में बनने वाले आद्यतान-पदों की रूप रचना में कर्त्त, लृट्, कर्त्त, लृट् आदि वाचक रूपों का समावेश होता है। वाच्य और लकारों का विधान पर उपर प्रकाश डाला जा चुका है। यहाँ पर अन्य लकारों पर विचार किया जाएगा।

तिङन्त पदरचना के घटक तत्त्व—तिङन्त पद रचना प्रक्रिया के विविध रूपों एवं पक्षों के निरूपण के सम्बन्ध में यह उल्लेख है कि आख्यात पदों की रचना दो प्रमुख तत्त्वों 'प्रकृति' (धातु) तथा 'प्रत्यय' (तिङ् चिह्न), जो कि समवेत रूप से वाच्य, वचन और पुरुष का भी बोध कराते हैं, से की जाती है, किन्तु रूपरचना में इन दो तत्त्वों के अतिरिक्त और भी अनेक तत्त्व हैं जिनके योग से इनके प्रयोग-योग्य रूप की रचना होती है। मंस्कृत वैयाकरणों ने इन विशिष्ट तत्त्वों को आगम, अभ्यास, विकरण आदि के नामों से अभिहित किया है। रूपरचना में इनकी स्थिति धातु से पूर्व, धातु के मध्य तथा धातु के बाद में पायी जाती है। इनका निरूपण इस प्रकार किया जा सकता है—

आगम—आख्यात पदरचना में आगम तीनों ही स्थितियों में पाया जाता है।

पूर्वागम—लड़, लुड़ तथा लृड़ के अभिव्यञ्जक रूपों की रचना में धातु से पूर्व में अ या आ का आगम हो जाता है, अर्थात् व्यंजनात्मक उपांश वाले हलादि धातुओं से पूर्व अ का तथा स्वरादि (अजादि) धातुओं से पूर्व में आ का आगम हो जाता है, उदाहरणार्थ, √पठ् > अपठत् (लड़), अपाठीत् (लुड़), अपठिष्यत् (लृड़), √अच्—आचत् (लड़), √इच्छ् > ऐच्छत्। अजादि धातुओं में आगमात्मक स्वर में तथा मूल धातु के स्वर में मिलकर वृद्धि आ, आर्, ऐ, औ हो जाती है। निधेधायक मा के योग में उपर्युक्त आगम नहीं होता है, मा भवत् = मा अभवत्, मा भूत् = मा अभूत्।

मध्यागम—कुछ परिगणित धातुओं में धातु के अन्तिम स्वर के बाद न् का आगम होता है, यथा √भुच्- > भुञ्चति, √विद्- > विन्दति, √लुप्- > लुम्पति आदि।

परचागम—धातुमूल के बाद में प्रयुक्त होने वाले आगम कई रूपों में पाए जाते हैं। इनके प्रमुख रूप इस प्रकार हैं—इ-(इट्) या ई-(ईट्)। यह आगम एक प्रकार से इ विकरण का ही एक रूप है। इसके आधार पर ही संस्कृत के धातुओं का सेट् (इट् सहित) तथा अनिट् (इट् रहित) विभाग किया जाता है। यह आगम सेट् वर्ग की सभी धातुओं के लृट्, लृट्, लृट् तथा लृड़ लकारों के अर्थात् अभिव्यञ्जन रूपों की रचना में होता है, यथा—पठिता, पठिष्यति, अपठिष्यत्, किन्तु लृट् लकार के प्रथम और मध्यम पुरुष के एकवचन में ई का आगम होता है, यथा—अपाठीत्, अपाठी । तिङ् लकार, मध्यम पुरुष, एकवचन के रूपों में विकल्प से तथा उत्तम पुरुष के द्विवचन तथा बहुवचन के रूपों में नित्य रूप में-इ- का पश्चागम होता है, यथा—जगमिष्य~जगन्थ, जग्मिष्य, जग्मिष्य।

इसी प्रकार कुछ विशेष धातुओं में-घ-(√रि > रियति),-व-(वभूव, अभवत्),-र-(√शी > शेरते), अशेरत, शेरताम्,-आय-(√गुप् > गोपायति,-आम्-

(√एष्- > एष्वांके, √गुष्- > गोपयांश्चकार) आदि आगम होने हैं।

अभ्यास—आख्यात पद रचना के अनेक पद रूपों में धातु मूल का द्वित्वीकृत रूप में पाया जाता संस्कृत पद रचना की एक अन्यतम विशेषता मानी जाती है। संस्कृत में घात्वंग को द्वित्व करने की यह प्रवृत्ति सामान्यतः परोक्षभूत (√भू- > बभूव, √गम्- > जगाम), मन्त (√क्- > चिकीर्षति, √गम्- > जिगमिषति) तथा यङ्गन्त (√पच- > पापच्यते, √गम्- > जगम्यते) में तो पायी ही जाती है, किन्तु कुछ धातुओं में लट् तथा लृट् के रूप इस बात का स्पष्ट संकेत देते हैं कि ऐतिहासिक विज्ञान क्रम में इन रूपों की रचना मूल धातु के द्वित्वीकृत रूपों के आधार पर हुई है, यथा √दा- का ददाति, √पा- का पिबति, √स्था- का तिष्ठति या अददात्, अपिबत्, अतिष्ठत् आदि रूप मूल के द्वित्वीकृत रूपों के ही प्रतीक हैं।

संस्कृत में द्वित्वीकृत रूपों की रचना के सम्बन्ध में कुछ विशेष नियम होने हैं जो कि सामान्यतः निम्नलिखित हैं—

1. द्वित्व के प्रथम अक्षर को अभ्यास कहते हैं, अभ्यास में केवल आदि व्यंजन ही शेष रहता है, अन्यो का लोप कर दिया जाता है, यथा—√बुष्- > बुबोष, √पह- > पपाठ।

2. मूल धातु में यदि प्रथम ध्वनि महाप्राण व्यंजन है। तो अभ्यास में उसके महाप्राणत्व हा हास हो जाता है अर्थात् वह स्वर्गीय अल्पप्राण व्यंजन हो जाता है, यथा—√भू- > बभूव, √धा- > दधाति, √छिद्- > चिच्छेद, √स्था- > तस्थौ। मूल भारोपीय—ध्व में विक्रमित ह का अल्पप्राणीकृत रूप ज होना है—हन् < धन् > जघान, ह- > जहार।

3. अभ्यास वाले अंग की कर्ष्य ध्वनि तासक्य ध्वनि में परिवर्तित हो जाती है, यथा—√गम्- > जगाम, √क्- > चकार, √घन्- > चतान। इस तासक्यकरण का ऐतिहासिक आधार यह माना जाता है कि मूल भारोपीय में द्वित्वीकृत रूपों में प्रथम आसक्ति ध्वनि ए अक्षर पर थी, जिसके फलस्वरूप यह परिवर्तन हो गया। योंकि में इसकी स्थिति अब भी पायी जाती है। तासक्यकरण का यह रूप उन पद रूपों में भी पाया जाता है जिनमें कि अभ्यास के अक्षर का स्वर इ होता है, यथा—√क्- > चिकीर्षति। इनो के गादुष्य के आधार पर उ अभ्यास स्वर वाले रूपों में भी तासक्यकरण देया जाता है, √क्- > च्चोद, क्- > च्चुक् आदि।

4. यदि धातु मूल के अंग में व्यंजन-संयोग हो तो केवल प्रथम ध्वनि को द्वित्व किया जाता है, यथा—√क्- > च्चकाम, किन्तु यदि इन प्रकार के संयोग की प्रथम ध्वनि न तथा द्वितीय ध्वनि अनुनासिक में भिन्न कोई गर्ग ध्वनि हो तो द्वित्व प्रथम ध्वनि का नहीं अर्थात् द्वितीय ध्वनि अर्थात् गर्ग ध्वनि का होगा।

है, यथा— $\sqrt{\text{स्या-}}$ तस्यो, $\sqrt{\text{स्कन्द}}$ चस्कन्द । पर इसके विपरीत यदि द्वितीय छ्वनि अनुनासिक भ्, म् या अन्तस्थ है तो द्वित्व स् का ही होता है, यथा $\sqrt{\text{स्वज्-}}$ सस्वजे ।

5. स्वर-परिवर्तन की दृष्टि से उल्लेखनीय है दीर्घ स्वर का ह्रस्वीकरण, यथा—(1) $\sqrt{\text{दा-}}$ ददाति, ददौ, $\sqrt{\text{दौक्}}$ डडौक, (2) ऋ \rightarrow अ— $\sqrt{\text{वृत्-}}$ ववृते, (3) अ \rightarrow इ— $\sqrt{\text{भू-}}$ विभर्ति ।

6 कुछ धातुओं में अभ्यास को सम्प्रसारण भी हो जाता है— $\sqrt{\text{स्वप्-}}$ सुष्वापयति, वि-द्युत् \rightarrow विदिद्युते ।

विभिन्न लकारों एवं अन्य अर्थाभिव्यञ्जक अभ्यस्त रूपों के अतिरिक्त संस्कृत में 13 धातुओं का एक ऐसा वर्ग (गण) भी है जिसमें परिगणित सभी धातुओं के सभी रूपों में नियत रूप में द्वित्व होता है। धातुओं के वर्ग विभाजन में इस तृतीय वर्ग अर्थात् जुहोत्यादि गण के नाम से पुकारा जाता है।

विकरण—विकरण संस्कृत व्याकरण का एक पारिभाषिक शब्द है तथा इसका प्रयोग उन अन्त-प्रत्ययों के लिए किया जाता है जो कि धातु तथा तिङ् चिह्नों के बीच में प्रयुक्त होकर विभिन्न गणों एवं लकारों के तिङन्त पद रूपों की रचना करते हैं। वस्तुतः विकरण संस्कृत के विभिन्न अर्थाभिव्यञ्जक तिङन्त पदों की रचना तथा संस्कृत की धातुओं के वर्ग-विभाजन का एक महत्त्वपूर्ण अंग है। संस्कृत धातुओं के 'अनिट' तथा 'सेट' रूपों के विभाजन का आधार भी यह विकरण ही है। इस प्रकार ये गणाधीन भी हैं और लकाराधीन भी ।

संस्कृत भाषा की पद रचना में प्रयुक्त होने वाले इन विकरणों की संख्या 20 के लगभग मानी गई है। इनका प्रयोग अदादि तथा जुहोत्यादि गणों में परिगणित धातुओं के अतिरिक्त अन्य धातुओं के सार्वधातुक लकारों के विभिन्न रूपों की रचना के लिए किया जाता है। अदादि तथा जुहोत्यादि गणों के धातुओं में किसी भी विकरण का प्रयोग नहीं किया जाता। इन अविकरणात्मक धातुओं में धातु तथा तिङ् चिह्न के बीच अव्यवहित सयोग होता है, यथा— $\sqrt{\text{अस्+ति}}$ अस्ति, $\sqrt{\text{अद्+ति}}$ अद्ति, जुहो + ति \rightarrow जुहोति । किन्तु विकरण युक्त गणों के धातुओं की रचना धातु + विकरण + तिङ् प्रत्यय के रूप में होती है, यथा— $\sqrt{\text{भू+अ+ति}}$ भवति (भ्वादि), दिव् + य + ति \rightarrow दीव्यति (दिवादि), सु + नो + ति \rightarrow सुनोति (स्वादि), तुद् + अ + ति \rightarrow तुदति (तुदादि), तन् + उ + ति \rightarrow तनोति (तनादि), रष् + न + ति \rightarrow र्षादि (रुधादि), क्री + ना + ति \rightarrow क्रीणाति (क्यादि), चूर् + अ + ति \rightarrow चोरयति (चुरादि) ।

शून्य विकरण या विकरणाभाव—ऊपर बताया जा चुका है कि अदादि तथा जुहोत्यादि गणों में परिगणित धातुओं के साथ किसी भी विकरण का प्रयोग नहीं किया जाता है। इन दोनों की रूप रचना का मुख्य अन्तर यह है कि अदादि गण

में तिङ् का योग सीधे ही मूल धातु के साथ हो जाता है यथा— $\sqrt{\text{अत्}} + \text{ति} >$ अस्ति, किन्तु जुहोव्यादि गण में धातु मूल को द्वित्व करने के बाद उसके साथ तिङ् का योग होता है तथा साथ ही धातु के अन्त्यस्व मूल स्वर को गुण भी हो जाता है, यथा— $\sqrt{\text{हु}} > \text{जुह} > \text{जुहो} + \text{ति} > \text{जुहोति}$, भू > बिभू > बिभर् + ति > बिभर्ति । उसके अतिरिक्त इन दोनों गणों की रूप रचना में कोई अन्तर नहीं होता है ।

लकाराधीन विकरण—संस्कृत में गण विशेष में सम्बद्ध विकरणों के समान ही लकार विशेष में सम्बद्ध विकरण भी होते हैं । हम इन्हे लकाराधीन विकरण कह सकते हैं, क्योंकि ये धातु तथा तिङ् चिह्नों के मध्य में आकर धातु का अंग बन जाते हैं । इसलिए इनकी गणना विकरणों के अन्तर्गत ही करना अधिक मगत् होगा । गणाधीन विकरणों के समान ही लकाराधीन विकरणों का रूप निश्चित होता है तथा सभी लकारों के रूपों में इनका प्रयोग भी नहीं होता । इस दृष्टि में कुछ लकार अविकरण होंगे तथा कुछ अविकरण । लकाराधीन विकरणों का मक्षिप्त परिचय इस प्रकार है—

स्व-इष्य—इस विकरण का प्रयोग संस्कृत के भविष्य दर्शक सूट् लकार के साथ किया जाता है यथा—दास्यति = दा + स्व + ति, पठिष्यति = पठ् + इष्य + ति । इसकी रूप रचना अविकरण वर्तमान के रूपों के समान ही होती है (भविष्यति) ; विकरण के इन दोनों उपरूपों के विवरण का कोई दृढ़ नियम नहीं है ।

त् (त्) —इसका प्रयोग भी संस्कृत के एक अन्य भविष्य दर्शक सूट् लकार के योग में पाया जाता है । इसके योग में तिङ् प्रत्ययों के स्थान पर अत् धातु के रूपों का मध्यम तथा उत्तम पुरुष में प्रयोग किया जाता है । अन्य पुरुष के रूपों की रचना तु में अन्त होने वाले नाम पदों के समान ही होगी है । इसके परिनिष्ठित रूप ता में पूर्व कुछ रूपों में नाम पद के धंगी-भूत इ का योग भी होता है, यथा—कर्त्तागि > कृ + तु + ति, भवितास्य, < भू + तु + स्व, कर्त्तामहे आदि । नियत समय के बोधक इस प्रकार के विस्तारित भविष्यत् का प्रयोग सर्व प्रथम शास्त्र ग्रन्थों में देखने को मिलता है तथा इसका आशुनेपदी प्रयोग भी बहुत सीमा तक ही देखने को मिलता है । गण्ट है कि भविष्यत् के बोधक इन रूपों का विभाग केवल भारत-आर्य भाषा में ही हुआ तथा इसका प्रथम ही भाषा में बहुत सीमा ही रहा ।

य-इ—इस विकरण का प्रयोग विधितिङ् के रूपों की रचना में किया जाता है । पूर्ण रूपों में इसका रूप य- तथा लृगित रूपों में इ- हो जाता है, यथा—ब्रह्माम् < ब्रह् < $\sqrt{\text{वा}} + \text{य} + \text{अम्}$, दधीत् < दृ $\sqrt{\text{वा}} + \text{इ} + \text{त्} + \text{।}$ अ या धय विकरण वाले धातुओं में भी इसका इ बाना रूप ही प्रयुक्त होता है, यथा—भवेत्, भूरेत्, गच्छेत्, चोरयेत् आदि ।

इसके अतिरिक्त इस -य- विकरण का प्रयोग आतोतिङ् के रूपों की रचना

ये भी किया जाता है, यथा—भूयात्, भूयाः ।

साहित्यिक संस्कृत में आशीलिङ्ग का प्रयोग बहुत ही कम पाया जाता है । इससे पूर्व भी इसका प्रयोग परस्मैपद के रूपों में अन्य पुरुष, एक वचन में ही पाया जाता है । वैदिक संस्कृत में अन्य पुरुष, एकवचन का रूप भूयाः पाया जाता है । इसके साथ ही वैदिक साहित्य में आत्मनेपदी प्रयोग में विधिलिङ्ग तथा आशीलिङ्ग के रूपों में कोई भेद नहीं किया जाता था ।

प्रत्ययान्त धातुओं की रूप-रचना

संस्कृत के मूल धातुओं से बनने वाले तिङन्त पदों के अतिरिक्त गौण धातुओं अर्थात् प्रत्यययुक्त धातुओं से भी पद रचना की जाती है । इस प्रकार बनने वाले धातु रूपों की रचनात्मक दृष्टि से पाच वर्गों में विभक्त किया जाता है जिन्हें कि प्राचीन व्याकरण परम्परा के अनुसार—(1) कर्मवाच्य, (2) णिजन्त, (3) यङ्लुगन्त या यङन्त, (4) सन्नन्त तथा (5) नामधातु कहा जाता है । इनमें प्रयुक्त होने वाले तिङन्त प्रत्ययों का स्वरूप एवं अर्थ वही होता है, किन्तु इन प्रत्ययों के कारण मूल धातु के अर्थ में वृद्धि हो जाती है । इनका आधार सामान्यतः मूल धातु का वर्तमानकालिक धात्वंग हुआ करता है । इनका विवेचन इस प्रकार है—

1. कर्मवाच्य—कर्मवाच्य रूपों की रचना दिवादि गण के धातु रूपों के समान ही -य- विकरण के साथ की जाती है । इन रूपों की रचना केवल आत्मनेपद में होती है, किन्तु दिवादि गण के धातुओं के आत्मनेपदी रूपों में तथा इनमें स्वरात्मक दृष्टि से यह मुख्य अन्तर पाया जाता है कि इन रूपों में उदात्त स्वर सामान्यतः घ- विकरण पर होता है जब कि दिवादि गण के धातुओं में यह धात्वंग पर होता है, यथा—पच्यते 'पकाता है' : पच्यते 'पकाया जाना है', इसी प्रकार क्षीयते 'नष्ट होता है' : क्षीयते 'नष्ट किया जाता है' इत्यादि । (प्रेम की कठिनाई के कारण स्वर-चिह्न दिखाया नहीं जा सका है) ।

इस प्रकार के कर्मवाच्य रूपों की रचना अवेस्ता के अतिरिक्त अन्य किसी प्राचीन भारोपीय भाषा में नहीं पायी जाती है, सं० क्रियते अवे. क्रियेइन्ते । यह भारत ईरानी काल की एक नवीन भाषायी उद्भावना है जिसके विकास का आधार दिवादि गण के अकर्मक धातुओं के आत्मनेपदी रूपों की आवृत्ति हो सकती है, यथा—जायते 'पँदा होता है', पच्यते 'पकाता है', तप्यते 'गरम होना है' आदि । कर्मवाच्य में केवल वर्तमानकालिक रूपों का ही प्रयोग किया जाता है । भूत तथा भविष्यत् काल के रूपों के लिए धातु विशेष के आत्मनेपदी रूपों का ही प्रयोग होता है, यथा—चक्रे 'किया गया था', करिष्यते 'किया जाएगा' आदि । नृङ्. में अन्य पुरुष, बहुवचन के विणिष्ट कर्मवाच्य रूपों, यथा—अकारि आदि की ओर ऊपर संकेत किया ही जा चुका है ।

गमाविका क्रियाओं के बनने वाले कर्मवाच्य रूपों के अतिरिक्त भूतकालिक कर्मवाच्य प्रत्यय त तथा भविष्यत् कालिक कर्मवाच्य प्रत्ययत्तय से भी कर्मवाच्य के अर्थ की अभिव्यक्ति की जाती है। साहित्यिक संस्कृत के उत्तरवर्ती काल में यह प्रवृत्ति अधिक विकास पर पायी जाती है, यथा—अहं पत्र अतिलिप् 'मेरे पत्र लिखा' के स्थान पर मया पत्र लिखितम् 'मेरे द्वारा पत्र लिखा गया' प्रयोग अधिक प्रचलित हो गया। इतना ही नहीं अपितु भाववाच्य रूपों का भी प्रयोग बढ़ने लगा, यथा—इह स्वीयनाम् 'यहाँ ठहरिए' जिसका शाब्दार्थ होगा 'यहाँ ठहरिए होरए ।'

2 निजन्त—प्रत्ययान्त धातु रूपों में निजन्त अति प्राचीन काल से ही सर्वाधिक उत्पादक रहा है। इसकी रचना धातु मूल पर इ (निच् > अच्) प्रत्यय जोड़कर की जाती है जो कि चुरादिगण की धातु रूप रचना के समान ही होती है। प्राचीन संस्कृत में अच् प्रत्यय से बनने वाले इन दोनों के रूपों में यह अन्तर था कि चुरादिगण के शुद्ध धातु रूपों में धातु के स्वर को गुण नहीं होना था, जब कि निजन्त रूपों में यह हो जाता था, यथा—द्युतयति : द्योतयति, रुचयति : रोचयति आदि। इनके प्रथम रूप चुरादि के तथा द्वितीय निजन्त के हैं। इसके अतिरिक्त प्रेरणार्थक रूपों के अलावा सामान्य रूपों में अच्-विकरण का प्रयोग किया जाता था, यथा—मदयति 'उन्मत्त होता है', किन्तु बाद के काल में इस प्रकार का प्रयोग या तो सर्वथा समाप्त हो गया या इन रूपों का समावेश चुरादिगण के धातुओं में कर दिया गया।

संस्कृत बंधाकरण इसके प्रेरणार्थक क्रिया भी कहते हैं, क्योंकि इससे द्वारा सामान्य क्रिया के कर्ता को तत्तत् कार्यों के लिए प्रेरित किया जाता है, यथा—शिष्य पठति 'शिष्य पढ़ता है' पर गुरुः शिष्यं पाठयति 'गुरु शिष्य को पढ़ाता है।' इसमें प्रथम को 'प्रयोज्य कर्ता' तथा द्वितीय को 'प्रयोजक कर्ता' कहा जाता है। इस प्रकार की प्रेरणार्थक धातुओं में सार्वधातुक सकारों में अ- विकरण सगता है तथा आधेधातुक सकारों में इ का आगम हो जाता है।

सरचनात्मक दृष्टि से निजन्त रूप रचना के कुछ उत्प्रेक्षणीय तत्त्व इस प्रकार होते हैं—

1 सामान्यतः ह्रस्व धातुमूलों में निजन्त प्रत्यय के योग में मूल स्वर को गुण हो जाता है—१/त्त् > तत्तयति, १/बुच् > बोधयति, १/चित् > चेतयति। मूल स्वर अ- दधारात् बना रहता है—१/गम् > गमयति, मम् > ममयति। पर यह कोई निरपवाद नियम नहीं है, क्योंकि अनेक अ- स्वर वाले धातुमूलों में अ को वृद्धिभाव भी देखा जाता है, यथा—१/हृच् > घालयति, १/षच् > पाठयति।

2 स्वरों में अन्त होन वाले धातुमूलों में अनेक प्रकार के सरचनात्मक रूप देखे जाते हैं—

(अ) सामान्यतः धातु के स्वर को वृद्धिभाव हो जाता है, यथा— $\sqrt{कृ}$ ->कारयति, $\sqrt{चि}$ ->चापयति, $\sqrt{भू}$ ->भावयति, किन्तु गृह्यति < $\sqrt{गृह}$, दूषयति < $\sqrt{दुष्}$ में उनको दीर्घ हो गया है।

(आ) अकारान्त धातुमूलों में निञ्जन्त प्रत्यय से पूर्व में-प् का अन्तनिवेश कर दिया जाता है— $\sqrt{दा}$ ->दापयति, $\sqrt{स्ना}$ ->स्नापयति। इसके अतिरिक्त यह अन्तनिवेश ऋ तथा इ वाले धातुमूलों में भी पाया जाता है, यथा $\sqrt{श्च}$ ->अर्पयति, अघि + $\sqrt{इ}$ ->अध्यापयति आदि।

प के अनिरिक्त और भी कई व्यंजनात्मक अन्तनिवेश हैं जिनका प्रयोग विभिन्न धातुमूलों में निञ्जन्त प्रत्यय से पूर्व में देदा जाता है, यथा—त् : पातयति < $\sqrt{पा}$ -‘रक्षा करना’, य्—पाययति < $\sqrt{पा}$ -‘पीना’, प्रीणयति < $\sqrt{प्री}$ -‘प्रसन्न होना’, -य्—भीषयते < $\sqrt{भी}$ - ‘डरना’, -त्—घातयति-< $\sqrt{हन्}$ ‘मारना’।

उपर्युक्त सामान्य नियमों के अतिरिक्त निञ्जन्त रूपरचना के कुछ विशेष नियम भी देखे जाते हैं, यथा—आशीतिङ् परस्मैपद में धातु और तिङ् का साक्षात् सम्बन्ध होता है तथा निञ्जन्त प्रत्यय का सोप हो जाता है, यथा—भाष्यात् < $\sqrt{भू}$ -(आशीतिङ् प्र० पु०, ए० व०)।

तिङ् सकार के रूपों की रचना के लिए धातु के साप-आम्-जोड़कर उभते आगे $\sqrt{कृ}$, $\sqrt{भू}$, $\sqrt{अत्}$ -धातुओं के तिङ् सकार के रूपों को जोड़ दिया जाता है, यथा—गमयांसकार, नमयामास, पाठयांबनूष आदि।

प्रेरणायक धातुओं के सुङ् सकार के रूपों की संरचना के कुछ विशेष नियम इस प्रकार हैं—

इसमें धातु को द्वित्व कर दिया जाता है तथा द्वित्वीकृत धातुमूल में निम्नलिखित परिवर्तन हो जाते हैं।

1. उ या ऊ धातुमूलों के अश्याम के स्वर को ई हो जाता है—अबीमवत् < $\sqrt{भू}$, अपीपवत् < $\sqrt{पू}$, असीवत् < $\sqrt{हृ}$, पर सु में यह परिवर्तन विकल्प होता है, अतिस्रवत् ~ अमुस्रवत् < $\sqrt{सु}$ ।

2 धातु के मूल दीर्घ स्वर को प्रायः ह्रस्व हो जाता है, यथा—अपूयवत् > $\sqrt{ष्}$, अपीप्रिपत् < $\sqrt{प्री}$ ।

ऐतिहासिक विकास की दृष्टि में निञ्जन्त रूपरचना की समानान्तर स्थिति ग्रीक के अतिरिक्त अन्य भारतीय भाषाओं में बहुत कम पायी जाती है, अतः इसका विनाश सम्भवतः भारत-ईरानी काल से पूर्व ही हो गया होगा।

3. यङन्त या यङ्तुगन्त (क्रियासमन्विहार, पीन-पुन्यायंक)—क्रिया क्रिया के बार-बार होने अथवा अतिशय अर्थ में होने के भाव का बोध कराने के लिए यङ् प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इसके योग में बनने वाले क्रिया रूपों को यङ् (intensive) कहा जाता है। यङ् प्रत्यय के दो उरूप होते हैं एक य तथा दूनय

शून्य। जहाँ पर य धातवर्ग के रूप में विद्यमान रहता है उसे 'यडन्त' रूप कहते हैं तथा जहाँ यड् धातवर्ग के रूप में नहीं रहता अर्थात् उमका सौत्र हो जाता है उसे 'यड् लुगन्त' (यड् लुक्-थन्त) रूप कहते हैं। इन दोनों में से वैदिक संस्कृत में यड् लुगन्त का तथा साहित्यिक संस्कृत में यडन्त का सामान्य प्रयोग पाया जाता है। इसके विपरीत वैदिक में यडन्त का तथा साहित्यिक संस्कृत में यड्लुगन्त का बहुत कम प्रयोग पाया जाता है।

य (यड्)—इस प्रत्यय की विशेषता यह है कि यह नैचल एकाच् हलादि धातुओं के ही योग में होता है¹ तथा इसमें बनने वाले त्रियाक्षर केवल आत्मनेपद में होते हैं। इस प्रत्यय के योग में बनने वाले धातुरूपों में निम्नलिखित रूप-स्वनिमित्तक विशेषताएँ पायी जाती हैं।

1. सार्वधातुक लकारों में प्रवृत्ति प्रत्यय के बीच में अ- विकरण प्रयुक्त होता है—

2. धातुमूल को द्वित्व (अभ्यास) हो जाता है तथा पूर्वोक्त द्वित्व के सामान्य रूपों के अनिश्चित कुछ निम्नलिखित विशेष रूप भी पाए जाते हैं :

सामान्यतः अभ्यास के स्वर को गुण हो जाता है, यथा—√विच्->वेचिष्यते, √श्च्->रोदश्च्यते, √दिच्->देदीष्यते, √घृ->दोष्यते, √मृञ्->ममृष्यते आदि। पर अभ्यास के अ-स्वर को आ हो जाता है—√षच्->पाष्यते, 'फिर फिर पकाता है,' √पाच्->पापाच्यते 'बार-बार माँगता है।'

कई धातुओं में अभ्यास के ऋ को गुण होने पर इ का आगम हो जाता है, यथा—√नृत्->नरीनुच्यते; किन्तु ऋकारान्त धातु यदि नैचल एच हल् अर्थात् अपांग ध्वंजन रहित हो तो ऋ को री हो जाता है—√कृ->केशीष्यते।

इकारान्त तथा उकारान्त धातुओं के अभ्यास स्वर को गुण तथा अनभ्यस्त स्वर को दीर्घ हो जाता है—√चि->चेचिष्यते, √कृ->क्रीकृष्यते।

नामिक्य ध्वंजन से अन्त होने वाले धातुओं के अभ्यस्त अंत में नामिक्य ध्वंजनांश बना रहता है, यथा—√गम्->गागम्यते 'बार-बार गाता है', √हृन्->हंहृष्यते ~ जंघन्यते 'फिर-फिर मारता है, अन्यधिक मारता है।'

इसके अनिश्चित कुछ नामिक्य ध्वनिरहित धातुओं में भी यडन्त रूपों में नामिक्य ध्वनि का योग पाया जाता है—√जन्->जंजस्यते, √शृ->शश्रुष्यते, √षच्->पाष्यते।

किंतु-विशेष धातुमूलों में इसके अनिश्चित भी कुछ विशेष लक्ष्यों का निवेश पाया जाता है। यड् के लोप के पक्षरूप बनने वाले रूपों में भी इसमें भिन्न प्रकार के स्वरनिमित्तक परिवर्तन दोगे पाए हैं, यथा—अभ्यास के इ, उ को गुणः

1. अच्->अटाच्यते जैसे रूप इगण्टे अरथात् भी मिलते हैं।

√नी->नेनेञ्जित, √नेनिञ्जे, विद्->वेवेति, √दिश्->वेदिष्टे, √हू- 'बुलाना'> जोहवीति, √नू 'गरजना'> नोनवीति ।

कभी-कभी धातु और तिङ् के बीच में -ई- का आगम हो जाता है तथा धातु के स्वर को गुण भी होता है, यथा—√भू->बोभवीति~बोभोति, √शी->शोशवीति~शोशेति ।

इस प्रकार के पौनःपुन्याधिक भाव के अभिव्यंजक रूपों की रचना भारत-ईरानी से बाहर नहीं पायी जाती है, किन्तु ईरानी में इसके पर्याप्त उदाहरण पाए जाते हैं । (देखो, बरो, पृ० 356)

4. सन्नन्त—संस्कृत में जब किसी कर्ता के द्वारा किसी क्रिया को करने की इच्छा के भाव को अभिव्यक्त करना हो तो धातु पर -स् (सन्) प्रत्यय लगाकर रूप रचना की जाती है । इसे ही सन्नन्त (सन् + अन्त) या इच्छाधिक रूप कहते हैं । इसमें भी यङन्त रूपों की रचना के समान ही धातुमूल को द्वित्व हो जाता है तथा कई प्रकार के रूप-स्वनिमित्त परिवर्तन भी होते हैं तथा इनका प्रयोग दोनों ही पदों में किया जाता है । इसके रूप केवल प्रथम नौ गणों के एक स्वर वाले धातुओं में ही बनते हैं ।

सामान्यतः अभ्यस्त मूल के अ, आ, इ, ई, ऋ, ॠ, ए, ऐ, स्वरों को इ तथा उ एवं ऊ, ओ, औ को उ हो जाता है—√ज्ञा, 'जानना'> जिज्ञासति 'जानना चाहता है', √भिद्-'फाड़ना'> बिभिस्तति 'फाड़ना चाहता है', √पा-'पीना'> पिपासति, √पठ्> पिपठिषति, √भो> बिभोषति, √गं-'गाना'> जिगासति, आदि ।

धातु के ऋ को ईर् भी हो जाता है—√कृ 'करना'> चिकीर्यति । प्रायः धातुगत ह्रस्व स्वर को दीर्घ हो जाता है पर दीर्घ स्वर अपरिवर्तित रहता है—√जि-'जीतना'> जिगीषति, √हृ 'हवन करना'> जुहूषति आदि ।

कुछ धातुओं में द्वित्व नहीं होता है तथा इनका धातु स्वर इ या ई में परिवर्तित हो जाता है, यथा—√आप्> ईप्सति, √दा> दित्सति, √मि~√मी-> मित्सति, √पद्> पित्सति, आदि ।

यद्यपि सन्नन्त प्रक्रिया के बोधक रूप भारत-ईरानी के अतिरिक्त केवल नेल्टिक भाषा के प्राचीन आइरिश रूपों में ही पाए जाते हैं, किन्तु इन दो अमम्बद्ध भाषा वर्गों में इन रूपों का पाया जाना इस बात का द्योतक है कि इसका विकास अवश्य ही भारोपीय काल में हो चुका होगा, यथा—प्रा० आइ०—लिक्लिक्त् (अ० पु०, ब० व०) < √लिग्दि, 'चाटना है'—तुल० सं० लिक्लिक्त् 'चाटना चाहता है' < √लिह्, 'चाटना' आदि ।

5. नामधातु—संस्कृत में किसी भी नाम पद अर्थात् मंशा, सर्वनाम या विशेषण से क्रियापद की रचना की जा सकती है । इस प्रकार से रचित क्रिया रूपों को नामधातु कहा जाता है । ये धातुरूप अनेक प्रत्ययों के योग से बनते हैं तथा

इनकी रूप रचना इत्वादि अथवा दिवादि गण के धातुओं के अनुरूप होती है। इन प्रत्ययों में से कुछ परस्मैपदी रूपों की रचना करते हैं तथा कुछ आत्मनेपदी रूपों की, कुछ ऐसे भी हैं जो कि दोनों ही प्रकार की रचना करते हैं। नामधातुओं की रचना में प्रयुक्त होने वाले प्रत्ययों का विवरण इस प्रकार है।

घ (व्यच्), ~ काम्य (काम्यच्) = चाहने, व्यवहार करने, आचरण करने तथा किसी भी क्रिया को करने के अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए घ- प्रत्यय के योग में नाम धातुओं की रचना की जाती है। इसी का एक अन्य उपरूप स्व (अमुक् आगम के साथ) भी होता है। इन प्रत्ययों में बनने वाले रूप महा परस्मैपद में होते हैं—पुत्र > पुत्रीयति 'पुत्र की इच्छा करता है'; कवि > कवीयति 'कवि बनना चाहता है', मातृ > मातृयति 'माता बनना चाहती है', पुत्रकाम्यति 'पुत्र चाहता है', दधि > दधिस्मति 'दही चाहता है', विष्णु > विष्णुयति 'विष्णु का-मा व्यवहार करता है', नम > नमस्यति 'नमस्कार करता है' आदि।

उपर्युक्त रूपों को देखने में स्पष्ट हो जाता है कि इन प्रत्ययों के योग में अ का ई, ऋ वा रो तथा मन्दात्त के ह्रस्व स्वरों का दीर्घीकरण हो जाता है।

भ्रूय (व्यट्)—इसका प्रयोग 'आचरण करना, होना, करना' आदि अर्थों की अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। इसके योग में बनने वाले रूप आत्मनेपद में होते हैं, यथा—अम्भरा > अप्पारायते 'अम्भरा की तरह व्यवहार करती है', चपल > चपलायते 'चपल न होने पर भी चपल बनता है', शब्द > शब्दायते 'शब्द करना है'।

अप्—इस प्रत्यय का प्रयोग भी भिन्न-भिन्न अर्थों की अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। इसमें बनने वाले क्रियारूप उपपत्तीय होते हैं, यथा—घन > घनयति ~ ते 'घन करता है', वीणा > वीणयति 'वीणा पर गाता है', अल्प > अल्पयति 'बम करता है'।

इसमें अतिरिक्त एक अन्य प्रत्यय—घ (यच्) में भी उपपत्तीय रूपों की रचना होती है कण्डू > कण्डूयति ~ ते 'घुंमनी करता है', दुग्ध > दुग्धयति 'दुग्धी करता है' आदि।

नाम धातुओं की रूप रचना में मुख्यतः तीन प्रकार के रूपव्यतिकार परिवर्तन पाये जाते हैं—(1) स्वर परिवर्तन—पुत्र > पुत्रीयति, (2) शीघ्र—हति > ह्ययति, अप्पारम् > अप्पारायते, (3) उपधादीर्घ—राजन् > राजायति, पवित्र > पवीर्यति, घन > घनायति पत्रीयति।

गोपमार्ग निरुद्ध पद रचना—सकृत् की निरुद्ध पदरचना के उपर्युक्त विवरण के उपरान्त महा पर मन्दात्त में त्रियाद रचना के सम्बन्ध में इनका और भी बताना देना उपयुक्त होगा कि इसमें धूम धातु, प्रगदयान् धातु तथा नाम धातु में बनने वाले सभी क्रिया रूपों के साथ उपर्युक्त का भी प्रयोग किया

जा सकता है। इनमें से कुछ धातु मूल ऐसे भी हैं जिनके माथ उपसर्गों का प्रयोग नित्य रूप से होता है, यथा— $\sqrt{\text{इ}}$ अध्ययने तथा $\sqrt{\text{इ}}$ स्मरणे इन दो धातुओं के माथ अधि उपसर्ग का प्रयोग अवश्य ही किया जाता है तथा अन्य ऐसे हैं जिनके साथ उपसर्गों का प्रयोग वक्ता की इच्छा पर निर्भर करता है। ऐसे प्रयोग सप्रयोजन भी हो सकते हैं तथा निष्प्रयोजन भी। जब सप्रयोजन उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है तो वहा पर उपसर्ग के अनुसार क्रिया के मूल अर्थ में परिवर्तन हो जाता है यथा— $\sqrt{\text{हृ}}$ —‘ले जाना’ > प्रहरति ‘चोट करता है’, आहरति ‘लाता है’, विहरति ‘विहार करता है’; संहरति ‘इकट्ठा करता है’, परिहरति ‘बचता है’ आदि। इसी प्रकार गच्छति ‘जाता है’ < $\sqrt{\text{गम्}}$, पर आगच्छति ‘आता है’ आ + $\sqrt{\text{गम्}}$ ।

धातु रूपों के साथ प्रयुक्त होने वाले उपसर्गों की नियत संख्या के विषय में यद्यपि कोई विशेष विधान नहीं पाया जाता है, किन्तु सामान्य प्रयोग में कम से कम एक तथा अधिक में अधिक तीन उपसर्गों का प्रयोग पाया जाता है, यथा $\sqrt{\text{गम्}}$ > आगच्छति (आ-), प्रत्यागच्छति (प्रति + आ) तथा सम्प्रत्यागच्छति (सम् + प्रति + आ) आदि। यद्यपि वैयाकरणों ने प्रसमभिव्याहरति (प्र + सम् + अभि + वि + आ + $\sqrt{\text{हृ}}$), जैसे प्रयोगों के द्वारा पाच उपसर्गों की एक साथ प्रयोगाहता का निर्देश किया है, पर सामान्य भाषा प्रयोग में ऐसा होता नहीं।

कृत् प्रत्ययान्त आख्यात पदरचना

कृत् प्रत्ययों के योग से बनने वाली आख्यात पदरचना की विशेषता यह है कि इन पदों का प्रयोग विशेषण तथा संज्ञा पदों के रूप में भी किया जा सकता है। इस रूप में जब इनका प्रयोग विशेषणों के रूप में होता है तो इन्हें ‘धातुज विशेषण’ कहते हैं तथा जब संज्ञा के रूप में होता है तो इन्हें ‘धातुज संज्ञा’ कहते हैं। क्रिया पदों के रूप में इनका प्रयोग असमापिका क्रियाओं के रूप में होता है। इन रूप में समापिका क्रियाओं के समान ये पद भी काल, विग, वचन तथा वाच्य में युक्त होते हैं। अर्थाभिव्यक्ति की दृष्टि से इन कृदन्त क्रियापदों को निम्नलिखित रूपों में वर्गीकृत किया जाता है—

1. वर्तमान कालिक, 2. भूत कालिक, 3. भविष्यत् कालिक या विध्यर्थक, 4. भावार्थक या त्रियार्थक, 5. पूर्व कालिक। इनकी रूप-रचना का विवरण इस प्रकार है—

1. वर्तमान कालिक कृदन्त—वर्तमान कालिक कृदन्त क्रियापदों की रचना करने वाले प्रत्यय हैं—अत् (अन्त) < शत्, आन (शानच्), मान (मानच्) तथा षत्। रूप रचना की दृष्टि से इनका वितरण इस प्रकार है—

जुगोप्यादि गण की सभी धातुओं तथा अदादि गण की $\sqrt{\text{जश्}}$ आदि धातुओं को छोड़कर शेष सभी परस्मैस्यदी धातुओं के मध्य अन्त का प्रयोग होता है, किन्तु एकवचन में तु का लोप हो जाता है— $\sqrt{\text{पठ्}}$ —पठन्, पठन्तौ, पठन्त आदि।

आन तथा मान दोनों का प्रयोग आत्मनेपदी धातुओं के साथ किया जाता है। इनमें से आन का प्रयोग अविकरणहीन धातु मूलों के साथ, मान का अविकरण युक्त धातुओं के साथ होता है, यथा $\sqrt{\text{गो}}$ —गयान्, $\sqrt{\text{हा}}$ —इवान् $\sqrt{\text{भाष्}}$ —भाषमाण, $\sqrt{\text{वृत्}}$ —वर्तमान।

यद्यपि साहित्यिक संस्कृत में वर्तमानकालिक कृदन्तों की रचना धातु के वर्तमानकालिक रूपों के आधार पर ही की जाती है, किन्तु वैदिक मसृज में इनके मुद्गलकार के रूपों पर आधारित रूप भी पाये जाते हैं, यथा—वन्त- \langle कृ 'करना', वन्त \langle $\sqrt{\text{गम्}}$ 'जाना', $\sqrt{\text{वृधन्त}}$ — \langle $\sqrt{\text{वृध}}$ 'बढ़ना' आदि।

2 भूतकालिक कृदन्त—भूतकालिक कृदन्त रूपों की रचना करने वाले प्रत्यय हैं—त् (वत्), और तवत् (वत्वत्)। त का एक उपरूप न भी है। इन दोनों में मुख्य अन्तर यह है कि त \sim त् का प्रयोग कर्म तथा भाव दोनों में होता है, किन्तु तवत् का केवल कर्ता में। प्रथम को भूतकालिक कर्मवाच्य कृदन्त तथा द्वितीय को भूतकालिक कर्तृवाच्य कृदन्त कहा जा सकता है। इन प्रत्ययों के योग में धातुमूलों में लोप, सम्प्रसारण, स्वर परिवर्तन आदि अनेक रूपस्थानिक परिवर्तन होते हैं, यथा $\sqrt{\text{गम्}}$ —गत, $\sqrt{\text{वच्}}$ —उक्त, $\sqrt{\text{मा}}$ —मीत, $\sqrt{\text{टिद्}}$ —टिम् $\sqrt{\text{शुष्}}$ —शुष्क, पच्—पच, $\sqrt{\text{तु}}$ —तीर्ण आदि। संस्कृत के उत्तरवर्ती काल में -त् वाले रूपों का प्रयोग पर्याप्त प्रचलित हो गया था, प्राश्न काल में तो इनमें भूतकालिक क्रिया का ही स्थान ले लिया था।

तवत् (त् + वन्त) का प्रयोग उपसृजन -त् वाले रूपों पर -वत् लगाकर किया जाता है, यथा $\sqrt{\text{कृ}}$ —कृतवत् (कृतवान्), $\sqrt{\text{वच्}}$ —उक्तवत् (उक्तवान्) आदि।

3. भविष्यकालिक या विष्यर्क कृदन्त—भविष्यत्कालिक कृदन्त रूपों की रचना करने वाले प्रत्ययों के दो वर्ग हैं—(1) -स्यन्, -स्यमान, (2) च (वत्, ष्यन्, ष्यन्), -तस्य, अनौष (त्)। इनमें से प्रथम वर्ग के प्रत्यय कर्तृवाच्य रूपों की रचना करते हैं तथा द्वितीय वर्ग के कर्मवाच्य, भाववाच्य तथा विष्यर्क रूपों की रचना करते हैं।

भविष्यत्कालिक कर्तृवाच्य कृदन्त—भविष्यत्कालिक कर्तृवाच्य रूपों की रचना स्यन् तथा स्यमान प्रत्ययों में की जाती है। परस्मैस्यदी धातुओं में स्यन् तथा आत्मनेपदी धातुओं में स्यमान लगाया जाता है, इसी रचना धातु के मद्गलकार के रूपों के समान होती है, यथा $\sqrt{\text{हृ}}$ —हृत्स्यन्—हृत्स्यमाण, वृत्स्यन्, और वृत्स्यमाण आदि।

भविष्यत्कालिक कर्मवाच्य या विध्यर्थक कृदन्त—भविष्यत् अर्थ का बोध कराने वाले कर्मवाच्य तथा भाववाच्य रूपों को विधि कृदन्त (Potential) भी कहा जाता है। रूप रचना की दृष्टि से घ कं योग से बनने वाले-रूपों में धातु के स्वर को गुण (घत् में) या वृद्धि (धत् में) हो जाती है—√जि>जेयम् √कृ>कार्यम्, किन्तु आ का ए हो जाता है, यथा—स्या>स्येयम्, पा>पेयम्। कुछ-धातुओं में -य (क्यप्) में पूर्व -त्- का मध्यागम भी हो जाता है—√स्तु>स्तुत्य, √कृ>कृत्य।

इसी प्रकार तव्य तथा अनीय में भी धातु के स्वर को गुण हो जाता है—जि√जेतव्य, क>कर्तव्य, विद्>वेदनीय, कृ>करणीय। सेट् धातुओं में ई का आगम हो जाता है—√भू>भवितव्य, वृत्—>वर्तितव्य। अर्थ की दृष्टि से इन तीनों में कोई अन्तर नहीं पाया जाता।

4. भावायंक या क्रियायंक कृदन्त—संस्कृत में क्रियायंक क्रिया के रूपों की रचना के लिए धातुमूल पर तुम् प्रत्यय का योग किया जाता है। क्योंकि ये पदरूप तुनुम् प्रत्यय के योग से बनते हैं इसलिए इन्हें तुमुन्त या तुमन्त भी कहते हैं। तुमन्त रूप अव्यय हो जाते हैं, अतः उनमें लिंग, वचन, सम्बन्धी कोई परिवर्तन नहीं होता। तुम् प्रत्यय लगने पर धातु के स्वर को गुण हो जाता है, यथा—√जि—जेतुम्, √नी>नेतुम्, √कृ-√कर्तुम्, √भुज्>भोश्तुम्, √भू>भवितुम्, √वृत् >वर्तितुम्। सेट् धातुओं में तुम् से पूर्व में इट् का आगम भी हो जाता है—पत्>पतितुम्, भवितुम्, वर्तितुम् आदि। √सह-तया √वह-धातुओं से तुम् प्रत्यय होने पर क्रमशः मोदुम्, मोदुम् रूप बन जाते हैं।

वैदिक संस्कृत में क्रियायंक क्रिया के रूपों को अभिव्यक्त करने वाले अनेक प्रत्यय थे, जो कि विभिन्न कारकीय रूपों में प्रयुक्त होते थे—दातुम् 'देना', दृशे 'दिखना', सम्पृच. 'सम्पर्क में आना', संवक्षि 'दिखने पर' आदि। किन्तु साहित्यिक संस्कृत में इसका एकमात्र रूप—तुम् ही अवशिष्ट रह गया। इसके अनुरूप तुमन्त रूप केवल लैटिन तथा लिथुआनियन में पाए जाते हैं—लै० दतुम् (=सं० दातुम्), लिथु० देतुम् (सं० धातुम्) आदि। लगता है कि वैदिक काल में अभी इसका रूप स्थिर नहीं हो पाया था तथा यह विभिन्न कारकीय रूपों का अभिव्यंजक था, किन्तु साहित्यिक संस्कृत में इसका रूप सम्प्रदान के अभिव्यंजक के रूप में स्थिर हो गया।

5. पूर्वकालिक क्रियायंक कृदन्त—जब किसी क्रिया के कर्ता के द्वारा एक क्रिया को समाप्त करके दूसरी क्रिया की जाती है तो पूर्वकालिक क्रिया के रूपों की रचना के लिए-त्वा (क्त्वा), -य (ल्यप्) तथा -अम् (णम्) प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। इनमें से प्रथम दो प्रत्ययों के योग से बनने वाले पद साधारण रूप से क्रिया की समाप्ति का बोध कराते हैं तथा तीसरे प्रत्यय से बने हुए पद पूर्व

क्रिया की आवृत्ति का बोध कराने हैं। प्रथम दो प्रत्ययों में वितरण की दृष्टि में यह अन्तर है कि रवा का प्रयोग शुद्ध मूल धातु रूपों के साथ होता है— $\sqrt{\text{क्}} >$ कृत्वा 'करके', $\sqrt{\text{भू}} >$ भूत्वा 'होके', $\sqrt{\text{नी}} >$ नीत्वा 'लिंकर', $\sqrt{\text{पा}} >$ पीत्वा 'पीकर', $\sqrt{\text{वा}} >$ वत्वा 'दिकर' आदि, किन्तु य के प्रयोग गोपगर्ग धातु मूलों तथा समस्त धातु रूपों के साथ होता है, यथा सम्भूय (गम् + $\sqrt{\text{भू}}$ + य), माह्वय $>$ ह्वे, विजित्य $<$ $\sqrt{\text{जि}}$, अवतीर्थ $<$ $\sqrt{\text{त्सु}}$ ।

संरचनात्मक दृष्टि में रवा के योग में धातु के अनुनासिक व्यंजन के लोप— $\sqrt{\text{हन्}} >$ हत्वा, $\sqrt{\text{गम्}} >$ गत्वा के अतिरिक्त धातु मूल में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता, किन्तु य के योग में ह्रस्व स्वरान्त धातुओं में य ने पूर्व स् वा आगम हो जाता है, यथा—विजित्य, संभृत्य, अधीत्य, आगम्य, अवचित्य आदि।

आवृत्ति बोध कर्म प्रत्यय के योग में धातु स्वर को गुण या वृद्धि हो जाती है तथा सम्पूर्ण प्रत्ययान्त रूप की आवृत्ति होती है, उदाहरणार्थ $\sqrt{\text{धृ}} >$ धाव धावम् 'गुन गुनकर', $\sqrt{\text{स्मृ}} >$ स्मारं स्मारम् 'गोच गोचकर', $\sqrt{\text{पठ्}} >$ पाठं पाठम् 'पढ़ पढ़कर'। सुमुन्नन्त रूपों की भाँति -व्या तथा -अम् में बनने वाले रूप भी अव्ययान्तक होते हैं।

भारोपीय की किसी अन्य भाषा की भाषा में इन प्रकार के रूपों की स्थिति नहीं पायी जाती है। यह भारत-आर्यमान की अपनी मवीन भाषाई उद्भावना प्रतीत होती है। इन रूपों की दृष्टि से वैदिक तथा लौकिक संस्कृत में जो मुख्य अन्तरे पाया जाता है वह यह कि लौकिक संस्कृत में -रवा तथा -य का वितरण निश्चित है पर ऋग्वेद में अधिकतर रूपों में य (वा) का ही प्रयोग किया गया है। इसके साथ ही ऋग्वेद में रवा के अतिरिक्त रवाय जैसे निश्चिन् प्रत्ययों तथा रवी, वा भी प्रयोग पाया जाता यथा 'छोडकर', है।

संस्कृत की आख्यात पदरचना के इतिहास पर दृष्टिपात करने पर हम देखने हैं कि इसका रूप व प्रयोग अपने विकास के प्रारम्भिक युगों में जितना विविध एवं समृद्ध था उतना परवर्ती युग में नहीं रह सका। अनेक क्रिया रूपों में से कुछ तो विन्दुन ही प्रयोगवाक्य हो गए थे तथा कुछ का प्रयोग अत्यन्त सीमित हो गया था। उदाहरण वैदिक काल तक पठं पठने-पठं पठते नेट् सकार का प्रयोग गर्भदा सम्पन्न हो चुका था तथा इसके बाद के काल में भूतकालिक लकारों के प्रयोगों का विभेद भी मूलतः ही हो चुका था, विशेषकर लट् और लृट् के मध्य की विभाजन रेखा मिट चली थी। त्रिजात्यों के स्थान पर वृद्धन् लृटो का प्रयोग उत्तरोत्तर अधिकाधिक प्रचलित हुआ करता था। इसी प्रकार धातुमूलों के स्थान पर लोकर लिजिज आको लृष् कुलियों के अभिव्यंजन क्रिया रूपों—विजित्य, सजित्य, यजित्य, यद्भुजित्य आदि का प्रयोग भी सीमिततर होता गया। इनमें से लिजित्यों एवं सजित्यों का प्रयोग तो किसी भी काल तक चलता रहा, किन्तु यद्-नों एवं यद्भुजित्यों का प्रयोग सम्पन्न ही हो गया।

वस्तुतः संस्कृत के क्रिया रूपों के प्रयोगों का ऐतिहासिक विश्लेषण करने पर यही कहा जाएगा कि भाषा के वास्तविक प्रयोग में इनका ह्रास ही होता रहा। सिद्धान्तिक रूप में यद्यपि परवर्ती वैयाकरणों के द्वारा इनके प्रारम्भिक रूपों एवं भेदों की मत्ता स्वीकार की जाती रही, पर आम प्रयोगों में इनमें से अनेक रूपों का प्रयोग केवल उदाहरण-प्रदर्शन के लिए या सिद्धान्त निर्वाह के लिए ही किया जाता रहा।

भाग : पांच

अर्थ-विज्ञान

अर्थ-विज्ञान

शब्द तथा अर्थ के स्वरूप तथा उनके पारस्परिक सम्बन्धों का विवेचन करने वाले शास्त्र को अर्थ-विज्ञान कहा जाता है। अर्थ-विज्ञान की आवश्यकता तथा उपयोगिता के विषय के मवं प्रथम अर्थ-विज्ञानी आचार्य यास्क ने निरुक्त में तथा सरकृन् के महावैयाकरण आचार्य पतंजलि ने महाभाष्य में बहुत गम्भीर शब्दों में कहा है कि अर्थ-विज्ञान से रटित शब्द-ज्ञान प्रतिभा की व्युत्पत्ति का साधन नहीं हो सकता है। जिस प्रकार अग्नि के अभाव में शुष्क ईंधन अग्नि को प्रचलित नहीं कर सकता उसी प्रकार अर्थ तत्त्व की उपेक्षा करके ममस्त शब्द-तत्त्व का अध्ययन भी प्रतिभा को कभी प्रदीप्त नहीं कर सकता है।¹

इसके साथ वे फिर आगे वैदिक ऋषियों के वचनों को उद्धृत करते हुए लिखते हैं कि जो मनुष्य ममस्त वेद अर्थात् ममस्त ज्ञान एवं विज्ञान का अध्ययन करने के पश्चात् भी अर्थतत्त्व की मिद्धि नहीं करता है उसका ममस्त अध्ययन उसी प्रकार निरर्थक है, जैसे वेदशास्त्रों के भार को ढोने वाले गदम का।

स्याशुरय भारहुरः किलाभूदधीत्य वेदं न विजानाति योऽर्थम् ।

शब्द—यद्यपि शब्द की सर्वथा निर्दोष तथा सर्वव्यापक सशिष्ट परिभाषा दे पाना एक कठिन कार्य है फिर भी यदि इसे पारिभाषित करना ही हों तो हम कह

1. यद् गृहीतमविज्ञात निगदेनैव शब्दवते ।

अमग्नाश्वि शुक्रेन्दो न तज्ज्वलति कर्हचित् ॥

सबने है कि 'मानव कठ से नि.मूत सार्थक ध्वनि समूह ही शब्द है।' किन्तु फिर भी यह कहना होगा कि शब्द के इतने आयाम तथा उसकी इतनी बहुमुखी प्रक्रिया होती है तथा उसमें अर्थाभिप्यक्ति की इतनी असीम शक्तियाँ निहित होती हैं कि उन सबका आभाम उपर्युक्त सरल एवं सपाट सी परिभाषा के द्वारा निदिष्ट नहीं किया जा सकता है।

शब्द का मानव-जीवन में बड़ा महत्व है। क्योंकि हमारे शरीर ही वायं-व्यवहार वाक् के माध्यम में चलते हैं और वाक् का व्यक्त रूप होता है शब्द। किन्तु अर्थ के बिना शब्द का कोई महत्त्व नहीं। वह तो अर्थाभिप्यक्ति का माध्यम मात्र है। कहा जा सकता है कि शब्द अमूर्त अर्थ का मूर्त रूप है। इसी में अर्थ का प्रत्यक्षीकरण होने से इसका भी अपना महत्त्व है। भारतीय चिन्तकों ने शब्द तथा अर्थ में 'अविनाभाव' सम्बन्ध माना है। शब्द ही परन्तु उसका अर्थ न हो यह सम्भव नहीं, इसी प्रकार अर्थ हो और शब्द न हो यह भी सम्भव नहीं। यों तो अर्थ की भी अनेक परिभाषाएं मिलती हैं किन्तु उसे यदि सरलतम शब्दों में प्रस्तुत करना हो तो कहा जा सकता है कि 'किसी शब्द के द्वारा जो प्रतीति होती है उसे उस शब्द का अर्थ कहा जा सकता है।' संस्कृत व्याकरण शास्त्र ने एक महान् आचार्य भर्तृहरि ने अपने 'वाक्यपदीय' नामक ग्रन्थ में अर्थ का जो लक्षण प्रस्तुत किया है वह इस प्रकार है—

यस्मिंस्तुष्वरिते शब्दे यदा योऽर्थे प्रतीयते ।

तमाहुरर्थं तस्यैव नान्यदर्धरम लक्षणम् ॥

अर्थात् जिस शब्द के उच्चारण में जब जिस अर्थ की प्रतीति होती है, वही उसका अर्थ है, अर्थ का कोई दूसरा लक्षण नहीं है।

शब्दार्थ-सम्बन्ध—यों तो परम्परावादी लोग शब्दार्थ सम्बन्ध को ईश्वरदत्त मानते हैं अर्थात् ईश्वर ने 'पुस्तक' शब्द कहा और उसका अर्थ पुस्तक वस्तु बतला दिया और मानव जाति ने उसे स्वीकार कर लिया। मोना-भासा आदिम मानव भले ही इस प्रकार की स्थिति को स्वीकार कर ले, किन्तु विचारणीय एवं तर्कशील मानव की बुद्धि इसे स्वीकार नहीं कर सकती। यदि ऐसा होता तो फिर बिम्ब में यह भाषा-भेद न होता। ईश्वर तो एक ही प्रकार के शब्दों का प्रयोग सभी के लिए करेगा। फिर जो वस्तुएं पहले नहीं थीं, नये निरंश आविष्कृत की जा रही हैं उनका नाम कौन रखेगा? ईश्वर तो उनका नाम रखने के लिए भागा नहीं है? फिर शब्द की ध्वनियाँ तो नश्वर हैं, बोलते ही नष्ट हो जाती हैं किन्तु उनका अर्थ अनश्वर है, स्थायी रहता है। किसी भी शब्द की प्रतीक ध्वनियों का गुनकर हमारे अतिशय में उसके द्वारा सचेतित वस्तु का जो बिम्ब उभर आता है वह बिम्ब ही उसका अर्थ होता है। एक बार 'घोड़ा' शब्द में अभिप्रेत वस्तु का ज्ञान होने पर फिर कभी भी उस ध्वनि समूह को सुनने ही उसमें सचेतित वस्तु का बिम्ब हमारे

मस्तिष्क में उभर पड़ता है। उच्चरित ध्वनिवा वायु में विलीन हो जाती है किन्तु उनके बना हुआ बिम्ब शाश्वत रूप से हमारे मस्तिष्क में स्थिर हो जाता है— 'रसमुत्प्ले' के नाम पर मुँह में पानी भर आना तथा 'बाहु' का नाम सुनते ही भ्रमभीत हो जाना इनका प्रत्यक्ष प्रमाण है।

शब्द तथा अर्थ के पारस्परिक सम्बन्धों के विषय में भारत में अति प्राचीन काल से ही बहुत विचार किया गया है। विगोचक वैयाकरणों एवं दार्शनिकों के द्वारा तो इन पर बहुत ही महत् चिन्तन किया गया है। उन सबका विवरण देना यहाँ पर अपेक्षित नहीं। किन्तु फिर भी हम यहाँ पर व्याकरण दर्शन के एक महान् चिन्तक भर्तृहरि का विचार अवश्य प्रस्तुत करना चाहेंगे, क्योंकि वह व्यावहारिक दृष्टि में अत्यन्त उपादेय एवं श्रेष्ठ है। अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ वाक्यरत्नरीप में वे बतलाते हैं—

अस्माद् वाचको वाच्य इति वक्ष्या प्रतीन्ते ।

योग शब्दाद्यंनोस्तत्त्वमप्यतो व्यभिचरन्ते ॥

'अर्थान् शब्द और अर्थ में यदि कोई सम्बन्ध मानना अनिवार्य हो तो वह सम्बन्ध वाच्य-वाचक सम्बन्ध ही हो सकता है। क्योंकि 'इन शब्द का यह अर्थ है' अथवा 'यह अर्थ इन शब्द का है' जैसे व्यवहार में इनके इसी सम्बन्ध का बोझ होता है।'

एक पारचात्य विद्वान् रसेन ने शब्द-प्रयोग तथा उनके उपलब्ध अर्थ को मानने रखकर अर्थ को 'किमी भाषा विगोच में व्यवहार निष्ठ तात्त्विक तथा निश्चित बोझ' कहा है।

संज्ञेय में कहा जा सकता है कि शब्द बोधक है और अर्थ बोधय अर्थान् ध्वनि प्रतीकात्मक शब्द में वास्तविक रूप से अभिप्रेत संकेतित वस्तु का बोझ होता है। इस रूप में शब्द तथा अर्थ के बीच बोध्य-बोध्यक भाव सम्बन्ध की स्थिति पानी जाती है। व्यावहारिक उपभोगिता की दृष्टि से अर्थ ही महत्वपूर्ण होता है, शब्द नहीं। वह तो एक ध्वनि-संघान मात्र होता है जिसे किसी अर्थ अथवा संकेतित वस्तु के साथ जोड़ दिया जाता है। होता यह है कि किमी भाषा में किमी ध्वनि संघान का कोई अर्थ स्वीकार कर लिये जाने पर फिर वह परान्त काल तक उनका बोझ करता रहता है और फिर वह पद जब तक उस भाषा में बहिष्कृत या अनदस्य नहीं हो जाता तब तक उनी अर्थ का बोझ करता रहता है। उनके स्थान पर किमी अन्य सार्थक पद-संघान का प्रयोग करने पर अर्थ में भी परिवर्तन आ जायेगा। जैसे 'बाघ' पद का प्रयोग संस्कृत में एक 'फन विगोच' के निरु होता है और 'कदवाँ' किमी अन्य फन विगोच' के निरु। एक के स्थान पर दूसरे का प्रयोग कर देने से अर्थ में भी परिवर्तन हो जाता।

जैसा कि वाक्य के प्रथम में बनता था गया है कि कोई भी वर्ग-संज्ञान स्वयं में पद की संज्ञा प्राप्त नहीं कर सकता है, उसके लिए आवश्यक है कि उन वर्णों का आगम में कोई अन्यप न बनता हो, वे सम्मिलित रूप से विभी अर्थ के बोधक माने गए हों तथा भाषा में उनका उम रूप में प्रयोग शिष्टवर्णों के द्वारा मान्य हो।

अब एक और प्रश्न उपस्थित होता है कि 'आम्र' पद में अथवा 'बदली' पद से फलों की किसी विशिष्ट जाति का ही बोध क्यों और कैसे होता है? अथवा 'आम्र' कहने से 'अमरुद' नामक फल का तथा 'बदली' कहने से 'मिर्च' नामक फल का बोध क्यों नहीं होता। संस्कृत के वाक्यशास्त्रियों एवं भाषाशास्त्रियों ने इस समस्या पर विस्तार के साथ विचार किया है। इसे उन्होंने 'अपनी पारिभाषिक शब्दावली में 'सनेतग्रह' अर्थात् 'किसी शब्द से किसी अर्थ विशेष का बोध' नाम दिया है तथा उसके आठ मादन माने हैं, जिनके नाम हैं—

1. व्यवहार, 2. आप्तवाक्य, 3. उपमान, 4. वाक्यशेष, 5. विवृति, 6. प्रसिद्ध पद का सान्निध्य, 7. व्याकरण तथा 8. वीक्षण। इन्हें निम्नलिखित रूप में स्पष्ट किया जा सकता है—

1. व्यवहार—यह सनेतग्रह का सबसे प्रमुख एवं मनोवैज्ञानिक आधार है। हम अधिक्तर इसी साधन से शब्दार्थ का सम्बन्ध स्थापित करते हैं। मान लीजिए किसी बच्चे ने कभी 'आम' का फल नहीं देखा। उसके पिता ने उसे आम का फल पकड़ाते हुए कहा 'लो आम द्या लो' बच्चा 'लो रंटी द्या लो' आदि वाक्यों में 'लो' 'द्या लो' वर्णों से पहले ही व्यवहार के माध्यम से परिचित है। अब उसे इन नये व्यवहार से बोध हो जाएगा कि 'आम' शब्द का अर्थ है वह फल विशेष है जो कि उसे दिया जा रहा है। उसे देखकर उसके मस्तिष्क में उस फल की आकृति-प्रकृति का एक 'बिम्ब' बन जाएगा तथा उसके स्मरण-शक्ति में उन छवियों का भी एक छवि बिम्ब बन जाएगा और वह उम छवि बिम्ब को उस फल की आकृति के साथ जोड़ेगा। इस स्थिरमाहर्षय के बन जाने के बाद वह जब कभी भी 'आम' शब्द को सुनेगा तो उसके मस्तिष्क में उम चम्पु का बिम्ब उतर आएगा। इस प्रकार वह निम्न रूप में उम शब्द का अर्थ के साथ सम्बन्ध जोड़ लेता है। हमने उम प्रत्यक्ष व्यावहारिक ज्ञान के अतिरिक्त और किसी साधन की आवश्यकता नहीं रहती है।

2. आप्त वाक्य—आप्त का अर्थ है 'पूर्ण रूप में विवृतीय'। प्रत्येक भाषा में अनेक शब्द ऐसे होते हैं जिनका अर्थ के साथ माहर्षय प्रत्यक्ष रूप में नहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति में श्रोता या शिक्षार्थी को उमके अर्थों को जानने के लिए ऐसे व्यक्ति की शरण मानी पड़ती है जिसे वह समझता है कि वह उम अर्थ को

1. शक्तिग्रह व्याकरणादमान को आप्तवाक्यान् व्यवहारतश्च ।

वाचयत गोवाद् विबुनेर्बद्धित्वात्तिष्ठान् । सिद्धपरम बुद्धा ॥

जानता है तथा उसे ठीक ही बताया। ऐसे शब्द प्रायः उन अर्थों के बोधक होते हैं जिनका कि चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता, जैसे ईश्वर, आत्मा, स्वर्ग, नरक आदि। इनके सम्बन्ध में ऋषियों, मुनियों, मित्रों, पीरों, पैगम्बरों को आप्त समझकर उनकी बातों पर विश्वास करके वे इनका जो रूप या अर्थ बताते हैं उसे ही स्वीकार कर लिया जाता है।

3 उपमान—उपमान को भी सकेतग्रह का एक साधन माना गया है। उपमान का अर्थ है अनुरूपी या मादृश्यात्मक। इसमें दृष्ट या अनुभूत पदार्थ के आधार पर अदृष्ट या अननुभूत पदार्थ का अर्थबोध किया जाता है। यदि किसी ध्वनि ने 'नील गाय' कभी न देखी हो और 'गाय' देखी हो तो उसे इस पद का अर्थ यह कहकर समझाया जा सकता है कि 'यह गाय की जाति की तथा वैसी ही आकृति का पशु होनी है। (गोसदृशो गवयः)।

4. वाक्यशेष—वाक्यशेष का अर्थ है 'प्रकरण या प्रसंग।' जब कोई पद एक ही ध्वनि-समूह से एक से अधिक अर्थों का बोध कराता है तो वहाँ किसी वाक्य में उसका अर्थ बोध करने के लिए उसके प्रकरण या प्रसंग को देखना आवश्यक हो जाता है। जैसे—'उसके हाथ में तीर कमान था' तथा 'बहु सरोवर के तीर पर घूम रहा था', इन दोनों वाक्यों में 'तीर' पद ऐसा है जिनमें कि वणों समूह या ध्वनि समूह को तो एकरूपता है किन्तु अर्थबोध की दृष्टि से पृथक्-पृथक् पदार्थों का बोध कराता है। अतः यहाँ पर दोनों वाक्यों में 'तीर' के पृथक्-पृथक् अर्थों का निर्धारण वाक्य के शेष अंशों के आधार पर हो सकेगा अर्थात् यहाँ पर प्रथम वाक्य में 'हाथ, कमान' आदि पदों ने तीर का अर्थ 'बाण' तथा दूसरे से 'सरोवर' 'घूमना' आदि पदों ने उसका अर्थ 'किनारा' निर्धारित करने में निर्धारक का काम किया है।

5. विवृति—विवृति का सामान्य अर्थ है—व्याख्या। सभी भाषाओं में अनेक शब्द ऐसे होते हैं जिनके अर्थों का बोध कराने के लिए उनका विवरण प्रस्तुत करना पड़ता है। जैसे तो यह भी 'आप्तवाक्य' का ही एक रूप होता है, पर इसमें उसकी अपेक्षा व्याख्या का स्वर विस्तृत होता है। दर्शनशास्त्र, तर्कशास्त्र अथवा देवशास्त्र आदि से सम्बद्ध अनेक शब्द ऐसे होते हैं जिनका अर्थ बोध कराने के लिए सम्बन्धी-चौड़ी व्याख्याओं की आवश्यकता हुआ करती है। साहित्य शास्त्र का 'रस' रीति, अलंकार आदि शब्द इसी प्रकार के हैं।

6 प्रसिद्ध पद का सान्निध्य—इसका अर्थ है जब किसी समस्त पद का एक अंश ऐसा हो कि एक से अधिक अर्थों का संकेत बोध कराता हो तो वहाँ पर अर्थ विशेष का निर्धारण उसके मह्यंगी पद के प्रसिद्ध अर्थ के आधार पर लगाया जा सकता है, जैसे 'मधुरिपु' तथा 'मधुमाम' दोनों ही शब्दों का प्रथम पद 'मधु' है किन्तु प्रथम में 'रिपु' शब्द के सान्निध्य में इसका अर्थ हो गया 'मधु' नामक 'राजम' तथा दूसरे में 'माम' के सान्निध्य से इसका अर्थ हो गया 'धैर्य'। ऐसे ही

‘मधुमाला’ में ‘माला’ के मान्निष्ठ्य में इसका अर्थ हो जाएगा ‘शराब’ ।

7 व्याकरण—प्रत्येक भाषा में ‘मूल’ शब्दों की संख्या सीमित ही हुआ करती है। इन्हीं मूल शब्दों पर प्रत्यय आदि जोड़कर एक ही शब्द में अनेक शब्दों की रचना की जाती है। ऐसी स्थिति में किसी शब्द का क्या स्वीकृत अर्थ होगा इसका निर्धारण व्याकरण के आधार पर किया जा सकता है। जैसे हिन्दी में ‘काल’ शब्द से ‘इक्’ प्रत्यय लगाकर ‘कालिक’ रूप बनता है तथा ‘ईन’ प्रत्यय लगाकर ‘कालीन’। इन दोनों रूपों के अर्थ का निर्धारण केवल व्याकरण के आधार पर ही किया जा सकता है। संस्कृत में व्याकरणिक ‘लिंग’ से भी अर्थ का निर्धारण हुआ करता है यथा—मित्र (सूयें) : मित्रम् (सय्या) ।

8 कोष—भाषा-ज्ञान के विकसित स्तर पर कोष भी शब्दों के अर्थों का बोध कराने में एक महत्वपूर्ण साधन बन जाता है। वैसे इसका स्थान भी एक प्रकार से ‘आप्त वचन’ में ही आ जाता है। क्योंकि हम कोष में दिये गये अर्थों को विश्वसनीय समझकर ही ग्रहण करते हैं। दूसरे कोष में एक शब्द के कई अर्थ दिये होते हैं। यथा—गो = ‘गो, पृथ्वी, वाणी’ आदि। इसी प्रकार बाल भेद से या प्रयोग भेद से एक ही पदार्थ के अनेक पर्यायों का विकास हो जाता है। सभी व्यक्तियों का सभी पर्यायों में परिचय नहीं होता, पर बोध में सबका संघट्ट होता है। अतः कोष विहित समाज में अर्थज्ञान का एक साधन ही माना जाएगा।

आधुनिक मदर्श में अर्थबोध की जो एक और विधा मानी जा सकती है वह है अनुवाद, किन्तु इसका क्षेत्र केवल द्वितीय भाषा शिक्षण तक ही सीमित हुआ करता है। अतः यह अर्थज्ञान के आवश्यक साधनों में स्थान नहीं पा सकता। जिन लोगों को दूसरी भाषा सीखने की आवश्यकता नहीं उन्हें अर्थज्ञान के इस साधन की भी आवश्यकता नहीं।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि किसी भी भाषा में शब्दों अथवा पदों का अर्थ बोध या सबत ग्रहण करने के लिए एकाधिक साधनों की अपेक्षा हुआ करती है। सादृश्यीय रूप से शब्द तथा अर्थ के सम्बन्धों की निश्चिन्ता काय विशेष तथा भाषा के रूप विशेष तक ही मानी जाती है। इस सम्बन्ध में कालान्तर तथा भाषान्तर के कारण परिवर्तन होते रहते हैं। शब्दों तथा उनके अर्थों में समय-समय पर होने वाले परिवर्तनों का विशेषण करने वाले विज्ञान को ही अर्थ-विज्ञान (Semantics) कहा जाता है। जिसके अन्तर्गत मुख्य रूप से शब्दों के स्वीकृत अर्थों में होने वाले परिवर्तनों के कारणों तथा उनकी दिशाओं पर विवेचनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया जाता है।

दूसरी ओर के अनुसार अर्थ परिवर्तन का अर्थ है ‘शब्दों के व्याकरणिक प्रयोगों में किसी प्रकार का अन्तर आये बिना उनके बोधोप अर्थों में परिवर्तन आ जाना।’ इसी प्रकार से यह कथन है—अर्थ विज्ञान का कार्य क्षेत्र है—‘शब्दों के अर्थों के

विकास का तथा उनके बने रहने, ह्रास को प्राप्त होने, लुप्त होने अथवा कभी-कभी पुनः प्रयोग में आने के कारणों तथा नये शब्दों के आधारों का विवेचन करना।'

अर्थ विकास के कारण

भाषा में उच्चारण, पदरचना तथा शब्द कोष का विकास भिन्न-भिन्न प्रकार से हुआ करता है। मानव की उच्चारणात्मक पद्धति बचपन से ही स्थिर हो जाती है और जीवन पर्यन्त बनी रहती है। इसी प्रकार पद-रचनात्मक पद्धति भी एक बार स्थिर हो जाने पर सुगम्यी हो जाती है। इसमें एक पीढ़ी में परिवर्तन की कोई सम्भावना नहीं रहनी और यही स्थिति ध्वन्यात्मक परिवर्तनों की भी होती है। किन्तु इसके विपरीत, शब्द कोष परिवर्तित होना रहता है। क्योंकि प्रत्येक वक्ता जीवन के प्रारम्भ से लेकर अन्त तक नवीन शब्दों को ग्रहण करता रहता है। इस प्रक्रिया में कभी-कभी नवीन शब्द पुराने शब्दों को विस्थापित कर देते हैं और कभी-कभी उनमें विकृति भी ला देते हैं। देखा जाता है कि एक ही स्रोत से आने वाले दो पर्यायवाची तद्भव शब्दों को बुद्धि ग्रहण तो कर लेती है परे उनका प्रयोग विभिन्न सन्दर्भों के लिए निश्चित कर लेती है, जैसे मंगकृत के 'पण' शब्द में विभक्त एक रूप 'पन्ना' को लोक भाषाओं ने एक अर्थ का बोध कराने के लिए, दूसरे रूप 'पान' को किसी अन्य अर्थ का बोध कराने के लिए निश्चित कर लिया। हम यह भी जानते हैं कि शब्दों का कोई स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं होता, वे सदा ही मानव के मस्तिष्क में द्रिद्यमान रहा करते हैं और ये मानव मस्तिष्क के व्यापार के विभिन्न रूपों का प्रतिबिम्बन करते रहते हैं। फ्रांसीसी लेखक जे० वन्द्रेये का कथन है कि मस्तिष्क में शब्दों की व्यवस्था उसको निरपेक्ष मानकर नहीं होती। मस्तिष्क में उसके बगैरे बनाने की प्रवृत्ति रहती है जिसमें कभी-कभी शब्दों में परिवर्तन हो जाते हैं। यथा लौकिक शब्द-व्युत्पत्ति के कारण कई शब्दों के रूप विकृत हो जाते हैं, वर्ग निर्माण का सबसे प्रबल प्रभाव शब्दों के अर्थ पर पड़ता है।

अर्थ वैज्ञानिक परिवार के बन्धन से प्रत्येक शब्द का रुढिगत अर्थ सुरक्षित रहता है, किन्तु इस परिवार के किसी प्रमुख शब्द में यदि किसी कारण वश कोई अर्थ परिवर्तन हो गया तो परिवार के अन्य शब्द भी उसके नये अर्थ की ओर वाकृष्ट होते हैं। साथ ही जब परिवार के बन्धन शिथिल हो जाते हैं अथवा टूट जाते हैं तो शब्दों का मुख्य अर्थ भी सुगमता से पृथक् हो जाता है।

इसी प्रकार पदरचनात्मक वर्गीकरण के कारण भी अनेक शब्दों में अर्थ परिवर्तन हो जाया करता है। देखा गया है कि कभी-कभी किसी शब्द पर किसी प्रत्यय आदि का इतना व्यापक प्रभाव पड़ता है कि उस प्रत्यय से युक्त अन्य शब्दों

के आधार पर इस शब्द में भी अर्थ-परिवर्तन हो जाता है।

यद्यपि वाक्यव्यवहार में प्रयोग करने समय प्रत्येक शब्द का एक ही प्रसंग-संगत अर्थ होता है तथा उस क्षण उसके अन्य अर्थों का व्यक्त रूप में कोई आभास नहीं होता, किन्तु मस्तिष्क में अप्रत्यक्ष रूप से उसके सभी ज्ञात अर्थों की विद्यमानता की स्थिति के कारण अन्य प्रयोगों से उसके अर्थ पर निरन्तर प्रभाव पड़ता रहता है। इस प्रकार में होने वाला प्रभाव दो रूपों में परिलक्षित होता है—एक तो किसी शब्द को बार-बार एक ही प्रसंग में प्रयोग करते रहने में उसका अर्थ उसी अर्थ में सीमित हो जाने की सम्भावना रहती है तथा दूसरे, इसके विपरीत, एक ही शब्द का विविध प्रयोगों में बार-बार प्रयोग करने में या तो उसका मूल अर्थ लुप्त हो जाता है या उसमें परिवर्तन आ जाता है, क्योंकि किसी शब्द को जितना ही अधिक भिन्न-भिन्न प्रयोगों में प्रयुक्त किया जायेगा उतनी ही अधिक उसके अर्थ-परिवर्तन की सम्भावना भी बढ़ जायेगी। वस्तुतः विविध प्रयोगों के अनुसार शब्दों के द्वारा विविध अर्थों को ग्रहण करने का सामर्थ्य तथा भाषा में उन विविध अर्थों को बनाये रखने का साधन ही शब्दों की 'अनेकार्थता' का मूल कारण हुआ करता है। इसका सबसे सुन्दर उदाहरण फ्रांसीसी शब्द ब्यूरो (bureau) है, इसका सर्व प्रथम अर्थ था जमीन या मेड़ पर गिछाने का 'मोटा कपड़ा', फिर इसका अर्थ हुआ 'लकड़ी की वह चीज' (मेड़) जिस पर कि यह कपड़ा बिछाया गया हो, फिर इसका अर्थ बना 'वह स्थान जहाँ पर मेड़ आदि रखी जाय', फिर अर्थ हुआ 'वे व्यक्ति जो इस मेड़ आदि के राग बैठकर काम करें' और अन्त में अर्थ हुआ 'ऐसे व्यक्तियों का समूह जो किसी प्रशासन या ऐंग ही किसी संगठन के संचालक हों।'

यहाँ पर यह स्मरणीय है कि नये अर्थों के आ जाने में मदा पुराने अर्थों का नाश हो जाता हो, ऐसी बात नहीं, दूसरे, अर्थ-परिवर्तनों की गति मदा ऋजुरेखीय भी नहीं होती है यह किसी भी दिशा में हो सकती है।

विज्ञान में अर्थ-परिवर्तनों को प्रभावित करने वाले बौद्धिक अथवा मनो-वैज्ञानिक कारणों को, जिन्हें 'बौद्धिक नियम' भी कहा जाता है, सीमित करने का यत्न किया है, 'बौद्धिक नियमों' की बात सर्व प्रथम फ्रेंच विद्वान् शील ने उठाई थी जिस पर भारतवर्ष में श्री हेमन्त कुमार सरकार ने विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया था। यद्यपि इस सिद्धान्त का कई क्षेत्रों में विरोध भी किया गया, किन्तु फिर भी अर्थ-परिवर्तन के विवेचनों में इसका उल्लेख किया जाता रहा है। सामान्यतः 'बौद्धिक नियमों' को इन रूपों में प्रस्तुत किया जाता है—

1. विशेष भाव का नियमन या विशेषीकरण—इसके विषय में शील का कथन है कि यदि प्रारम्भ में किसी एक अर्थ या भाव को कई शब्दों के द्वारा व्यक्त किया जाता रहा हो और पुनः उनकी अधिभक्ति कुछ सीमित शब्दों या एक ही शब्द के द्वारा होवे तब तो वही विशेषीकरण की प्रवृत्ति कार्यशील होती है। किन्तु विचार

करने पर देखा गया है कि इस प्रवृत्ति का सम्बन्ध माभात् रूप से अर्थ के साथ न होकर शब्दों के साथ होता है। संस्कृत के अतिशयता सूचक तमप् और ईष्टन् में से यदि एक का प्रचलन अधिक और दूसरे का अप्रचलन या लोप हो गया तो महा अर्थ की दृष्टि में कोई परिवर्तन नहीं माना जा सकता।

2. भेदीकरण—जब पर्यायवाची या समानार्थी बड़े जाने वाले शब्द एकार्थक के बोधक न रह कर अलग-अलग अर्थों के बोधक हो जाते हैं तो उन्हें शब्दार्थों का भेदीकरण कहा जाता है। जैसे हिन्दी में एक ही मूल से विकसित शब्दों—‘स्तन’ तथा ‘पन’ में, ‘गभिणी’ तथा ‘गभिन्’ में, बच्चा तथा ‘बछड़ा’ आदि में अर्थ की दृष्टि से भेदीकरण हो गया है। भेदीकरण का रूप विशेषकर विदेशी अथवा आगत शब्दों के सन्दर्भ में देखा जाता है, यथा ‘चिकित्सक’ के अर्थ में प्रयुक्त होने वाले डॉक्टर (ऐलोपैथिक), वैद्य (आयुर्वेदिक) तथा हकीम (यूनानी) का प्रयोग।

3. मिथ्या प्रतीति—कभी-कभी भ्रमवशात् किसी शब्द को उसके मूल रूप से भिन्न रूप में मानकर उसका नवीन अर्थ निकाल लिया जाता है। यथा—संस्कृत में ‘पश्चान्’ से ‘पश्चात्’ (पश्चिम के रहने वाले) बना जो कि प्रत्यय संज्ञना के अनुसार ठीक ही था, किन्तु बाद में इसमें ‘आन्त्य’ को प्रत्यय मानकर ‘निवासी’ अर्थ द्योतन करने के लिए ‘दक्षिण’ से ‘दाक्षिणात्’ तथा ‘पूर्व’ से ‘पूर्वात्’ रूप भी चल पड़े। इस रूप में हम देखते हैं कि यज्ञों पर प्रत्यय नये अर्थों का द्योतक बन गया है। (अपिच देखो पृ० 331)

इसका सबसे अच्छा उदाहरण है संस्कृत में ‘सुर’ एवं ‘असुर’ का प्रयोग। मूलतः यह शब्द ‘असुर’ था जिसका अर्थ था—‘शक्तिशाली’, ‘बलवान्’, किन्तु बाद में दो वर्गों के संघर्ष के बाद यह बुद्धि भ्रम हो गया कि असुर-भेद-निपेधारक-प्रत्यय है, अतः इसको हटा कर देवताओं के लिए ‘सुर’ शब्द का प्रयोग किया जाने लगा और जो देवता नहीं थे, उनके लिए ‘असुर’ (राक्षस) का।

4. अर्थोद्योतन—‘उद्योतन’ का अर्थ है ‘चमकना’, ‘प्रकाशित होना’ अर्थात् किसी शब्द में अपना उसके अंश में किसी नवीन अर्थ का प्रकाशन, यथा प्राचीन काल में साहमी का अर्थ था ‘कूर, हत्यारा’ आदि, किन्तु भ्रमवशात् इसे उल्टाहके साथ जोड़कर इसका अर्थ कर दिया गया—‘अदम्य दत्ताही’। ‘ज्ञान्त’ या ‘सम्मान्त’ शब्द की भी यही स्थिति है। (अपिच देखो पृ० 331)

इसके अतिरिक्त बौद्धिक नियम वादियों के अनुसार विभक्तियों के अवशेष का नियम, सादृश्य का नियम, नव प्राप्ति का नियम, अनुपयोगी रूपों के लोप का नियम आदि और भी नियम माने जाते हैं, किन्तु इसके रूपों पर विचार करने से स्पष्ट हो जाता है कि इनका सम्बन्ध मुख्यतः अर्थ के साथ न होकर शब्दों के साथ होता है। इसलिए अधिकतर आधुनिक भाषा-विज्ञानी इन नियमों को पृथक् रूप से महत्त्व देने के पक्ष में नहीं हैं। इन्हें शब्दार्थों से सम्बद्ध अन्त्याय नियमों में

अन्तर्भावित किया जा सकता है।

साक्षणिक प्रयोग—वस्तुतः अर्थ का विवेचन प्राचीन भारतीय आचार्यों एवं दार्शनिकों का एक प्रिय विवेच्य विषय रहा है। उन्होंने इस पर बड़ी गम्भीरता से एक विस्तार के साथ चिन्तन एवं मनन किया है। शब्द शक्तियों का तथा उनमें अभिव्यक्ति होने वाले विभिन्न अर्थों का जैसा सूक्ष्म विवेचन हमारे प्राचीन आचार्यों ने किया है वैसा अन्यत्र कम ही देखने को मिलता है। यदि विचारपूर्वक देखा जाए तो अर्थ-परिवर्तन के मूल में सबसे प्रबल कारण होता है साक्षणिक प्रयोग। साक्षणिक प्रयोगों के पीछे जो प्रवृत्ति बाधशील होती है वह यह है कि भावों की प्रमुख बाधिका होने पर भी कोई भी भाषा मानव मन के अनन्त एवं अटिम भावों को पूर्णतः शाब्दिक अभिव्यक्ति देने में असमर्थ होती है। भाषा की इसी असमर्थता की पूर्ति के लिए वक्ता अनेकशः लक्षणात्मक अथवा व्यंजनात्मक प्रयोगों का आश्रय लेता है। फलतः किसी शब्द के मुख्य अर्थ पर किसी अन्य अर्थ का आरोप कर दिया जाता है यद्यपि यह आरोपित अर्थ मुख्य अर्थ के साथ किमो-न-किमी सम्बन्ध में सम्बद्ध होता है। प्रारम्भ में ऐसे प्रयोग किसी विशेष प्रयोजनवशात् किए जाने हैं परन्तु बाद में ये रुढ़ हो जाने हैं और आम बोलचाल की भाषा के अंग बन आया करते हैं। यथा 'आरी के दात', 'कलम की जीभ', 'कुर्मी के पैर', 'नारियल की धांश्र' आदि। इसी प्रकार कभी-कभी विविध प्रकार के गुणों का भी आरोप करके 'मधुर संगीत', 'बकंश वाली', 'बट्टू अनुभव', 'मीठा बोल' आदि का भी साक्षणिक प्रयोग किया जाता है।

इसी प्रकार सात टोपी (कम्प्युनिस्ट), सफेद टोपी (कांग्रेसी), छात्री निरन्तर (अनमयी), कामी पगड़ी (अकाली), आम्नीन का माप, पीठ में छुरा मारना, गण (मूर्ख), राक्षस (दुष्ट), रऊ (मीठा), बमगादद (बिपक्षने वाला), आदि शब्दों में सक्षित होने वाला अर्थ-परिवर्तन लक्षणा शब्द शक्ति की ही देन है।

सुश्राव्यता—इसके अतिरिक्त अर्थ परिवर्तन का एक अन्य सर्वमान्य आधार है सुश्राव्यता (सुफेमिज्म)। यह भी साक्षणिक प्रयोगों के ही अन्तर्गत आ जाता है। बात यह है कि सम्पत्ता के विभाग के साथ-साथ भाषा के व्यवहार में भी विभाग या अन्तर आता रहता है। फलतः कुछ भावों को जिन्हें पहले भिन्न शब्दों में व्यक्त किया जाता था, उन्हें बाद में अधिक शिष्ट या शोभन समझे जाने वाले शब्दों में व्यक्त किया जाने लगता है। इसके अन्तर्गत अभिव्यक्ति के कई प्रकार आ जाते हैं जिन्हें पृथक् रूप में हम प्रकार व्यक्त किया जा सकता है।

अशुभ या अशोभन का परिहार—कोई भी मध्य मानव अशुभ बात को न तो सीधे कहता चाहता है और न गुनता ही चाहता है। अतः जब कभी उसे कोई अशुभ बात कहनी होती है तो वह उसे उगवे वाक्य शब्दों में न कहकर ऐसे

शब्दों के द्वारा व्यक्त करता है जो कि सुनने में कम से कम अशुभ लगे। जैसे 'मृत्यु' को सबसे अधिक अशुभ एवं भयंकर मानकर उसके लिए 'मरना' ऐसा न कहकर 'कैलाशवास', 'स्वर्गवास', 'बैकुण्ठलाभ', 'निधन' आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है, संस्कृत का 'पंचत्वगतः' इमी का रूप है।

अश्लीलता का आवरण—लगभग यही स्थिति उन शब्दों की भी है जिन्हें कि समाज विशेष में अश्लील या सामाजिक स्तर पर गहर्णीय समझा जाता है। प्रायः सभी सभ्य समाजों में शौचादि तथा यौन सम्बन्धों से सम्बद्ध क्रियाओं एवं अंगों का मूल शब्दों में उल्लेख करना अशोभनीय या अश्लील समझा जाता है। अतः शौच के लिए हिन्दी प्रदेशों में प्रायः 'दिशा', 'मैदान', 'शौच', 'लघु शंका', बाथरूम आदि का प्रयोग तथा जननन्द्रियो तथा जनन-प्रक्रियाओं के लिए भिन्न-भिन्न स्थानीय शब्दों का प्रयोग न करके सांकेतिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, यथा यौन सम्बन्धों के लिए 'सहवास', 'मंभोग', 'व्यभिचार', 'बलात्कार' आदि शिष्ट समस्त शब्दों का प्रयोग किया जाता है।

भय की भावना का परिहार—प्रत्येक समाज में कुछ शब्द तथा सभी समाजों में कुछ पदार्थ निश्चित रूप से भय की भावना को जागृत करने का सामर्थ्य रखते हैं। अतः उस समाज के व्यक्ति उनका संकेत बोध कराने के लिए उन मूल शब्दों के स्थान पर अन्य शब्दों का प्रयोग करके उस मूल अर्थ का संकेत किया करते हैं। ऊपर मृत्यु का उदाहरण दिया ही जा चुका है। इसके अतिरिक्त 'सर्प' को 'रस्सी' या 'कीड़ा' कहना, शेर को 'बड़ा मूंग' कहना तथा चूचक को 'माता', क्षय को 'राजरोग', कैसर को 'अमाशय रोग' कहना इमी भावना को द्योतित करता है।

कटुता का परिहार—कहते हैं सत्य हमेशा कटु होता है। शास्त्रों का आदेश है कि कड़वा सत्य नहीं बोलना चाहिए। शिष्ट लोग ऐसे सत्य को ऐसे शब्दों से व्यक्त करते हैं कि वह सुनने वाले को कटु प्रतीत न हो यथा 'अंधे को अंधा' कहना एक सत्य है, पर है कटु सत्य। अतः शिष्ट लोग उसे 'अंधा' न कहकर 'सूरदास', 'प्रज्ञाचक्षु' आदि कहते हैं। समाज में भभी, नाई, चमार, रसोइया, घोबी आदि का पद अधिक सम्मानित न होने के कारण लोग इन्हें क्रमशः जमादार, राजा या ठाकुर, चौधरी, महाराज, बरेठा आदि के नामों से सम्बोधित करते हैं।

अंधविश्वास या वर्जन—कभी-कभी कुछ समाजों में कुछ शब्दों के प्रयोगों के प्रति कई प्रकार के अंधविश्वासों तथा वर्जन (taboo) के कारण कुछ शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता तथा उनके अर्थों का संकेत-बोध किन्हीं अन्य शब्दों के द्वारा किया जाता है। प्राचीन काल में चोरी को बहुत बुरा समझा जाता था अतः उसका नाम लेना भी निषिद्ध था, इसलिए शिष्ट समाज में 'चोर' के लिए 'तस्कर' शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। कुछ समाजों में किसी खास 'महीने' या 'वार' का नाम नहीं लिया जाता। अतः उसने लिए या तो उससे पिछले महीने या वार

का नाम लेकर उसमें अगला मास या दिन कहा जाता है या अगले मास या वार का नाम लेकर उसमें पहला मास या दिन कहा जाता है। हिन्दू समाज में घुडी के साथ 'टूटना' या 'फूटना' क्रिया का प्रयोग केवल वैधव्य की स्थिति में स्वीकृत है अन्यथा ऐसा प्रयोग वज्रित होने के कारण 'टूटना' या 'फूटना' के स्थान पर 'मुकुलित होना' या 'मोलना' का प्रयोग किया जाता है।

अज्ञान—कभी-कभी अज्ञान के कारण भी शब्दों के अर्थों में परिवर्तन हो जाता है, यद्यपि यह प्रायेण आगत शब्दों में अर्थ-संकोच या अर्थ-विस्तार के रूप में देखा जाता है। फारसी के 'पश्री मात्र' के अर्थ में प्रयुक्त होने वाले 'मूर्ण' शब्द का हिन्दुस्तानी में मूर्ण (एक पश्री विशेष) के लिए प्रयुक्त होना तथा केवल काले रंग की 'ममि' के लिए प्रयुक्त होने वाले 'स्याही' का सभी रंगों की स्याही के अर्थ में प्रयुक्त होना या अंग्रेजी की 'मोटर' शब्द का एक प्रकार के यान विशेष के अर्थ में प्रयुक्त किया जाना, या 'ग्लान' (गोशा) को एक विशेष प्रकार 'पान पात्र' के रूप में प्रयुक्त किया जाना इसी प्रवृत्ति के परिचायक कहे जा सकते हैं।

परिवेश या वातावरण में परिवर्तन—उपरोक्त सभी कारणों का सम्बन्ध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में हमारे बुद्धि एवं चिन्तन के साथ होने से इन्हे बौद्धिक कारणों के ही अन्तर्गत रखा जा सकता है। किन्तु इसके अनिश्चित कुछ कारण ऐसे भी होते हैं जिनका सम्बन्ध हमारे आन्तरिक जगत् में न होकर बाह्य जगत् के साथ हुआ करता है। ये भौगोलिक भी हो सकते हैं तथा सामाजिक भी।

भौगोलिक—भौगोलिक परिवेशों की भिन्नता के कारण भी शब्दों के अर्थों में विभेद देखा जाता है, यथा—उत्तर प्रदेश में 'ठाकुर' शब्द का प्रयोग क्षत्रियों के लिए, बिहार में नाइबों के लिए, बंगाल में रमाइयों के लिए किया जाता है। 'उष्ट्र' शब्द का प्रयोग वैदिक काल में जगती भैंसे के लिए होता था किन्तु बाद में ऊट के लिए होने लगा।

सामाजिक—वस्तुतः भाषा के प्रयोग की आवश्यकता समाज में ही होती है। समाज के बिना भाषा की कोई आवश्यकता ही नहीं होती है। समाज में शुभाशुभ की बल्यता, आचार-विचार के रूप परिवर्तित होने रहते हैं और तदनुसार ही बदलता रहता है शब्दों का अर्थ भी। भाषा वर्ण में दीया बुझाने या दुबान बन्द करने के लिए 'बुझाना' या 'बन्द करना' क्रिया का प्रयोग न करके 'बझाना' क्रिया का प्रयोग किया जाता है। आज के सामाजिक परिवेश में स्त्री-पुरुषों के मूले गणक के कारण एन-डूगरे की सम्बोधित करने के लिए 'बहनजी', 'माई माहब' जैसे सम्बोधनों का प्रयोग निर्बाध रूप में किया जाता है। इन शब्दों में वह सामाजिक वाक्यता नहीं जो कि मूलतः इन शब्दों के मूल में निहित हुआ करती थी।

राजनीतिक—कभी-कभी राजनीतिक परिवर्तन भी अर्थ-परिवर्तन के कारण

बन जाते हैं। यथा—पहले 'क्रान्ति' का अर्थ था 'रक्तपात के साथ राजसत्ता में परिवर्तन।' फिर ऐतिहासिक क्रम में रक्तहीन अहिंसक क्रान्ति भी आयी। आजकल तो हरित क्रान्ति, श्वेत क्रान्ति, वैचारिक क्रान्ति आदि में 'क्रान्ति' का अर्थ 'परिवर्तन' मात्र रह गया है। इसी प्रकार 'कामरेड' का मूल अर्थ था मित्र, सहयोगी, किन्तु इसी कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा इसे अपनाए जाने के बाद इसका अर्थ हो गया है 'रूम के 'वामपंथी दल का सदस्य।' कभी बौद्ध धर्म की महत्ता के काल में 'देवानां प्रिय' विशेषण का प्रयोग अशोक महान् के लिए होता था, किन्तु उसका पतन हो जाने पर इसका अर्थ 'महामूर्ख' हो गया। ऐसे ही कभी 'नेता' शब्द इतने बड़े सम्मान का द्योतक था कि मुभाय चन्द्र बोस के नाम के साथ इसे सगौरव जोड़ा जाता था, किन्तु आज 'नेता' शब्द अपने उच्च पद से पतित होकर व्यंग्य एवं उपहास का अभिव्यजक बन गया है।

सांस्कृतिक—सांस्कृतिक परिवेश में परिवर्तन आ जाने पर भी शब्दों के अर्थों में परिवर्तन आ जाता है। अंग्रेजी में 'मिस' का अर्थ है 'कुमारी', किन्तु आजकल स्कूलों में विवाहिता, अविवाहिता सभी अध्यापिकाओं को 'मिस' कहा जाता है। आज आश्रम-व्यवस्था के छिन्न-भिन्न हो जाने पर पचास वर्ष का अविवाहित भी ब्रह्मचारी है और 'सासारिक' आसक्तियों का परित्याग न करने वाला गेरुआ वस्त्रधारी भी 'संन्यासी'। ऐसे ही अंग्रेजी में 'मदर' तथा 'सिस्टर' शब्दों का घर, गिरजाघर, स्कूल, अस्पताल, आदि भिन्न-भिन्न सन्दर्भों में भिन्न-भिन्न अर्थ होता है।

धार्मिक—धार्मिक परिवेश के बदल जाने पर किस प्रकार शब्दों के अर्थों में परिवर्तन आ जाता है, इसका एक अच्छा उदाहरण है, 'दक्षिणा'। दक्षिणा का मूल रूप यह था कि यजमान यज्ञ की समाप्ति पर यज्ञ वेदी का प्रदक्षिणा करके दक्षिणाभिमुख होकर यज्ञ कराने वाले पुरोहित को गाय आदि दान में दिया करता था। किन्तु बाद में यज्ञ की परम्परा के समाप्त हो जाने पर भी धार्मिक कार्य के बाद किसी भी ओर मुख करके दिया जाने वाला दान ही 'दक्षिणा' बनकर रह गया। आज वेदों का नाम भी न जानने वाले लोग चतुर्वेदी, त्रिवेदी कहलाते हैं और वेद मंत्रों के नाम पर संस्कृत का एक भी शब्द न जानने वाले लोग भी 'अग्निहोत्री' कहलाते हैं।

शिष्टाचार-प्रदर्शन—शिष्टाचार-प्रदर्शन का सम्बन्ध सामाजिक व्यवहार के साथ हुआ करता है। यह भी स्थान व काल-भेद से परिवर्तित होता रहता है। शिष्टाचार ही लोग अपने घर को 'कुटिया' या 'गरीबखाना', अपने लिए 'सेवक' या 'छाकसार' का प्रयोग करते सुने जाते हैं। पुराने रजवाड़े शिष्टाचार में राजाओं के लिए विशेष शिष्टाचार प्रदर्शक शब्दावली चलती थी। एक मुट्ठी भी अन्न का दान न करने वाले को 'अन्नदाता', दो-तीन गादों के स्वामी को 'पृथ्वीपति',

एक चूहे को भी रसा न कर सकने वाले को 'जहागनाह', कभी भूलकर भी धर्म का नाम न लेने वाले को 'धर्मावतार' कहना उस शिष्टाचार का अभिन्न अंग था ।

प्रयोग बाहुल्य—अतिशय प्रयोग के कारण भी कई शब्द अपना मूल अर्थ खो बैठते हैं । जैन आज जरा-ना भी कुछ काम करवाने पर लोग धन्यवाद (thank you) या किसी काम या बात के न बनने या बिगड़ने पर खेद है (sorry) कह डालते हैं । इस प्रकार कहने के पीछे न तो हार्दिक कृतज्ञता प्रकाशन का भाव होता है और न दुःख प्रकट करने का । मात्र अभ्यासवश इन शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है । जहाँ तक कि अनेक बार किसी की सफलता पर या शुभ समाचार मिलने पर मौखिक या लिखित रूप में 'मृते हार्दिक प्रसन्नता हुई,' कहना या लिखना मात्र शिष्टाचार रह गया है : ये शब्द अपना वास्तविक अर्थ खो चुके हैं ।

तत्सम तथा तद्भव शब्दों का साथ-साथ प्रयोग—अनेक बार ऐसा देखा जाता है कि किसी भाषा में ही मूल के दो शब्दों का प्रयोग दो भिन्न अर्थों को अभिव्यक्ति करता है । इनमें से एक तो मूल रूप में ही हो सकता है । तथा दूसरा विकसित रूप में, यथा—संस्कृत के 'पर्ण' शब्द का विकास हुआ है : एक ओर 'पन्ना' में तथा दूसरी ओर 'पान' में तथा साथ में पर्ण भी, यथा पर्णकुटी । इनमें से एक का अर्थ ही गया पुस्तक आदि का दृष्ट तथा दूसरे का अर्थ हो गया एक लता विज्ञेय का पत्ता (पान) । ऐंसे ही, भद्र > भद्रा एवं भला, गभिणी (मानवी) एवं गभिनि (पशु), स्तन एवं धन आदि को समझना चाहिए ।

वैज्ञानिक प्रगति - विज्ञान एवं टेक्नॉलॉजी की प्रगति के कारण भी अनेक शब्दों को उनके पुराने अर्थों के स्थान पर नये अर्थ दे दिए जाते हैं । गणना का अर्थ गिनना विद्यमान था किन्तु इससे ही बने गणक शब्द का अर्थ 'गिनने वाला' न होकर एक यंत्र (कम्प्यूटर) होना है । सव्या शब्द में बनाया गया माध्यिकी शब्द विज्ञान की एक शाखा स्टैटिस्टिक्स (Statistics) का बोध कराता है । इंजीनियर के लिए अभियन्ता अर्थ में बने 'अभियन्ता' तथा हार्डवेयर के लिए उद् (उत्) + जन (उत्पन्न) उद्जन अर्थात् उत्स से उत्पन्न, रेडियो के लिए 'आकाशवाणी', टी० वी० के लिए 'दूरदर्शन', तथा टेलिफोन के लिए 'दूरभाष' आदि शब्दों को दिए गए नवीन अर्थ विज्ञान की प्रगति की ही देन हैं ।

व्यय—व्यय करने की भावना में प्रयुक्त शब्द प्रायः दिवसीय अर्थ के अभिव्यक्ति के द्वारा करने हैं । किसी दुःख-खेद-व्यथने को भीषण, मूर्ख को बहुराशि, या झूठे को हरिश्चन्द्र, कहना या देर में आने पर 'अन्धी आ गए,' कहना सभी प्रकार की उक्तिवादी हैं जिनमें शब्द सर्वथा अपने विपरीत अर्थ को व्यक्त करते हैं । महात्मा गांधीजी ने इन 'विपरीत व्ययों' का उदाहरण देकर कहा है—'उधो तुम अति पर्याप्त प्रयोग देना जाना है—'इत गोदिया उडवा गे कहरी है—'उधो तुम अति

चतुर मुजान' यहा पर गोपिया उन्हें 'चतुर' एवं 'मुजान' शब्दों मे 'महामूर्ख' एव 'बुद्धिहीन' कहती हैं, क्योंकि वे इन कृष्ण प्रेम दीवानी अवलाभो को निर्गुण ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं ।

जातीय या धार्मिक द्वेष—जातीय या धार्मिक मनोमालिन्य के कारण भी शब्दों का अर्थ अन्यथा कर दिया जाता है । बौद्ध का बुद्ध, लुचित (नैन साधु) का लुच्चा, अहुर 'महान्' (ईगानी) का असुर (आर्य), देव (आर्य) का देव 'राक्षस' (ईरानी मे)। हिन्दू का काफिर तथा मुसलमान का म्लेच्छ अर्थ इसी प्रवृत्ति के सूचक हैं । आजकल कई लोग पारस्परिक मनोमालिन्य के कारण पाखाने के लिए 'पाकिस्तान' शब्द का प्रयोग करते हैं । स्वतन्त्रता आन्दोलन के काल मे इसे 'इंगलैंड' भी कहते थे ।

साहचर्य के कारण गौण अर्थ का प्राधान्य—पहले रेशम चीन से आता था अतः संस्कृत मे इसे 'चीनांशुक' कहा जाता है । बताया जाता है कि तम्बाकू का प्रसार सूरत के बन्दरगाह के माध्यम से हुआ अतः उसे 'सुरती' कहा जाने लगा । कश्मीर मे उत्पन्न होने के कारण केमर को 'काश्मीर' तथा सिन्धु प्रदेश से आने के कारण नमक को 'सैन्धव' कहा जाता है । फ्रासीसी मे ब्राण्डी को 'कोन्याक' इसीलिए कहा जाता है कि वह मुख्यतः कोन्याक नामक स्थान पर बनाई जाती है । रेल, मोटर, तार आदि शब्द इसी कोटि मे आते हैं ।

अर्थ परिवर्तन की दिशाएँ—लिखित रूप मे प्राप्त होने वाली जीवित भाषाओं के विभिन्न कालों के रूपों की तुलना करने पर पता चलता है कि उनके पदों मे ध्वन्यात्मक तथा अर्थात्मक परिवर्तन चलता रहता है । उन परिवर्तनों के विभिन्न कारण एवं दिशाएँ होती हैं । अर्थ सम्बन्धी परिवर्तनों के कारणों पर ऊपर विचार किया जा चुका है, अब हम संक्षेप मे उनकी दिशाओं का निर्देश करेंगे ।

विविध प्रयोगों वाले शब्दों का किस प्रकार एक विशिष्ट अर्थ मे विकास हो जाता है, इसे यो समझना चाहिए कि उस शब्द के अनेक प्रयोगों मे से एक अवश्य ही प्रधान होता है और कालान्तर मे वही अर्थ निर्धारित होकर मान्य हो जाता है । पर कभी-कभी प्रधान अर्थ के स्थायी होने का निश्चय नहीं हो पाता, सभी अर्थ प्रयोग मे आते रहते हैं तथा समय पाकर किन्ही विशेष स्थितियों मे एक अर्थ प्रबल हो उठता है और वही उसका मुख्य अर्थ मान लिया जाता है और अन्य अर्थ धीरे-धीरे क्षीण होते जाते हैं । फ्रासीसी विद्वान् वेन्नेये ने इसे एक उदाहरण से स्पष्ट करने का यत्न किया है । उसका कहना है कि जिस प्रकार जब किसी वृक्ष की एक शाखा सारा रस चूमने लगती है तो उसकी अन्य शाखाएँ मूखने लगती हैं उसी प्रकार नवीन अर्थ धीरे-धीरे विकसित होता रहता है एव अन्य अर्थों का स्थान ले लेता है । इस प्रकार शब्द का अर्थ परिवर्तित होता है ।

किसी शब्द के विभिन्न अर्थों में से केवल एक ही अर्थ बुद्धि में क्यों सुधारण होता है, इसे इस प्रश्न से भली-भाँति समझा जा सकता है। सभी जानते हैं कि किसी क्रिया के व्यापार के साथ किसी भी मंज्ञा के अनेक सम्बन्ध हो सकते हैं, पर किसी संज्ञा से क्रिया रूप बनाने पर प्रायः एक ही सम्बन्ध की अभिव्यक्ति हुआ करती है। अतः अनजाने में बुद्धि, आवश्यकतानुसार सभी सम्भाव्य व्यापारों में से प्रयोग के लिए किसी एक का निर्वचन कर लेती है, यदि और कोई बाधा न हो तो इस प्रकार से प्राप्त शब्दार्थ स्थायी हो जाता है और शब्दकोश में इसी रूप में स्थान पा जाता है।

सभी भाषाओं में न्यूनाधिक मात्रा में पाये जाने वाले अर्थ सम्बन्धी परिवर्तनों को मोटे तौर पर तीन रूपों में देखा जाता है—कुछ अर्थों की विशेषार्थ से सामान्यार्थ की ओर प्रवृत्ति देखी जाती है अर्थात् उसका प्रयोग पहले किसी विशेष अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए किया जाता था और बाद में सर्व सामान्य अर्थ की अभिव्यक्ति की जाने लगती है। इस प्रकार उसका मूल अर्थ विस्तृत हो जाता है। इसके विपरीत कभी ऐसा भी देखा जाता है कि मूलतः कोई सामान्यार्थ का बोधक अर्थ किसी विशेषार्थ का बोध कराने लगता है। इस प्रकार उसके मूल अर्थ का संकोच हो जाता है। पर कभी-कभी ऐसा भी देखा जाता है कि किसी शब्द के दो अर्थ समान रूप से स्थापित होने हैं पर बाद में कारणवश एक के स्थान पर दूसरे का आदेश हो जाता है। इन्हीं तीन प्रमुख स्थितियों के कारण शब्द परिवर्तन की दिशाओं को जिन तीन प्रमुख ढंगों में विभिन्न किया जाता है, वे हैं—

1. अर्थ-विस्तार (Expansion of Meaning)
2. अर्थ-संकोच (Contraction of Meaning)
3. अर्थान्तरण (Transference of Meaning)

अर्थ-विस्तार—अर्थ-विस्तार का अर्थ है 'प्रारम्भ में किसी एक सीमित अर्थ में प्रयुक्त किये जाने वाले शब्द का कालान्तर में उक्त अर्थ में सम्बद्ध सभी अर्थों का बोध कराने लगना, उदाहरणार्थ, प्रारम्भ में 'गवेषणा' का मूल अर्थान्तरण अर्थ था 'गायत्री की शोच करना', किन्तु कालान्तर में इसका प्रयोग किसी भी प्रकार की शोच के लिए किया जाने लगा। यही बात 'अनुसन्धान' की भी है। ऐसे ही 'तेल' शब्द का मूल अर्थ था 'निसों में निकलने वाला म्लिग्ध पदार्थ', किन्तु बाद में इसका प्रयोग किसी भी 'स्निग्ध पदार्थ' के लिए किया जाने लगा। यहाँ तक कि 'मटनी का तेल' और 'मिट्टी तेल' में भी इसका विस्तार हो गया। कुछ और बहुत प्रचलित उदाहरण हैं—'गर्जी' < शब्द 'हरा'। मूलतः इसका प्रयोग 'हरी गर्जी' के लिए किया गया, पर बाद में 'गर्जनी गर्जी', 'सात टमाटर', 'पौता बट्टू' सभी के लिए चल पड़ा। इस प्रकार गर्जी के मूल अर्थ का इनका विस्तार हुआ कि किसी भी रंग की गर्जी के लिए इसका प्रयोग किया जाने लगा। यही स्थिति

'स्याही' < स्याह अथवा मति 'काला' की भी है, यह शब्द जो कि मूलतः काये रंग की लेखन सामग्री के लिए प्रयुक्त किया जाता था, अब लाल, हरे, नीले, पीले, बैंगनी आदि सभी रंगों की लेखन सामग्री (स्याही) के लिए प्रयुक्त किया जाने लगा है। यही बात 'कुशल' < कुशा, प्रवीण < वीणा, निष्णात < स्नात, स्वया < रूप्य 'धादी' आदि अनेकों शब्दों के सम्बन्ध में भी सत्य है।

अर्थ-विस्तार का क्षेत्र केवल जाति वाचक संज्ञाओं तक ही सीमित न होकर व्यक्ति वाचक संज्ञाओं में भी पाया जाता है। अनेक व्यक्ति जो अपने चरित्र की किमी विशेषता के लिए विख्यात होते हैं उनके नामों का इतना अर्थ-विस्तार होता है कि विश्व के किसी कोने में रहने वाले तथा उसी प्रकार की चारित्रिक विशेषताओं को रखने वाले किमी भी व्यक्ति के लिए उनका प्रयोग किया जाता है, इनमें से अति प्रसिद्ध हैं, हरिश्चन्द्र, युधिष्ठिर, भीष्म पितामह, विभीषण, नारद, जयचन्द, जूडाज, प्रिन्स विस्मार्क, कालिदास, शेक्सपीयर आदि।

यहां यह भी स्मरणीय है कि अर्थ-विस्तार के मूल में लक्षणा शक्ति अवश्य ही रहती है। यही शब्द शक्ति मूलतः इस प्रकार के अर्थ-विस्तार का मूलधार हुआ करती है।

अर्थ-संकोच—अर्थ-संकोच की प्रवृत्ति विस्तार के विपरीत दिशा में होती है अर्थात् जब किसी विस्तृत अर्थ को द्योतित करने वाला कोई शब्द कालान्तर में केवल सीमित अर्थ का द्योतक मात्र रह जाता है तो उसे अर्थ संकोच की संज्ञा दी जाती है। भाषाविज्ञानी वील नं इसका सम्बन्ध सभ्यता के विकास के साथ जोड़ा है। उनका विचार है कि जो जाति जितनी अधिक सभ्य होगी उसकी भाषा में उतना ही अधिक अर्थ-संकोच मिलेगा। इसका कारण स्पष्ट है, प्रारम्भ में दौड़िक एव सांस्कृतिक विकास के अभाव में एक ही शब्द से कई भावों का बोध कर लिया जाता है और अधिक शब्दों की आवश्यकता भी नहीं रहती है, किन्तु ज्या-ज्यो बुद्धि एव व्यवहार में सूक्ष्मता आती है उनके पृथक्त्व के लिए अलग-अलग शब्दों की आवश्यकता प्रतीत होती है और उस मूल शब्द को उनमें से किसी एक का संकेत-बोध करने के लिए आरक्षित करके शेष भावों की अभिव्यक्ति के लिए नवीन शब्दों को गठ लिया जाता है।

भाषा की इस प्रवृत्ति को निम्नलिखित उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। पशु 'दूध', इसका व्युत्पत्तिलब्ध अर्थ है 'पीने की वस्तु'। इयोलिए प्राचीन संस्कृत में 'दूध' तथा 'पानी' दोनों को 'पय' कहा जाता है, किन्तु बाद में आकर 'पय' का अर्थ 'दूध' में सीमित हो गया, मृग 'जिते शिकार के लिए बूढ़ा जाए', (मृग्यते इति)। इस रूप में प्राचीन काल में कोई भी पशु जिनका शिकार किया जा सके 'मृग' कहलाता था, मृगेन्द्र, मृगराज 'मृगों का राजा' शब्द में इसे अब भी देखा जा सकता है, किन्तु बाद में इसका अर्थ 'हरिण' नामक पशु में सीमित

हो गया। 'पंकज' 'कीचड़ से पैदा होने वाला', जलज, अज्ज 'पानी से उत्पन्न होने वाला' का प्रयोग अब पानी या कीचड़ में उत्पन्न होने वाली घास या कीड़े-मकोड़े के लिए न होकर केवल 'कमल' के अर्थ में रूढ़ हो गया है। यही स्थिति है जो 'जो चलने वाला हो', घर 'जिसका वरण किया जाए', भार्या 'जिसका भरण पोषण किया जाए', सप 'रंगने वाला', बूक 'फाड़ने वाला', आद्य 'जो थड़ा पूर्वक किया जाए' आदिकी भी। ऐसे ही एक अन्य उदाहरण है पवंत अर्थात् 'पर्वों (पैरो) वाला', इसीलिए प्राचीन संस्कृत में इसका अर्थ मरकुल, मरकडा, गन्ना, बाम भी होता था, किन्तु बाद में पहाड़ के अर्थ में मकुचिन हो गया। केवल देशों या तद्भव शब्दों में ही नहीं अपितु विदेशी शब्दों में भी यह प्रवृत्ति कार्यशील दिखाई देती है, उदाहरणार्थ, फारसी के 'सुर्व' शब्द को लिया जा सकता है। इसका मूल अर्थ था 'पशी' जैसा कि अब भी 'शुतसुर्व' (उष्ट्राकार पशी), मुर्गबि (जल पशी) आदि में देखा जा सकता है। किन्तु भारत में इसका अर्थ 'कुक्कुट' पशी में सीमित होकर रह गया।

इस प्रकार हम देखते हैं कि 'अर्थ-संकोच' भाषाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यदि अर्थ-संकोच न हो और व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ के आधार पर ही मनेन-योष होता रहे तो एक ही शब्द अनेक पदार्थों का बोध कराता रहेगा। इससे नती नवीन शब्दों का निर्माण हो सकेगा और न अभिव्यक्ति में ही स्पष्टता आ सकेगी। संस्कृत के प्रारम्भिक काल में 'वास, पोत, शायक' आदि का अनियंत्रित प्रयोग 'बच्चे' के अर्थ में हुआ करता था, किन्तु बाद में अर्थ-संकोच के कारण इनका प्रयोग 'मानव', 'पशु', 'पशी' आदि के बच्चों के लिए सीमित हो गया।

अर्थान्तरण—अर्थान्तरण, जिसे कभी-कभी 'अर्थान्तरण' भी कहा जाता है, का अभिप्राय है 'अर्थ का बदल जाना', अर्थात् 'इसमें शब्द का मौलिक अर्थ बदलकर नवीन अर्थ धारण कर लेना है। यह स्थिति 'अर्थ-विस्तार' तथा 'अर्थ-संकोच' दोनों से सर्वथा भिन्न होती है। अर्थान्तरण प्रायः साहचर्य के कारण हुआ करता है। कारण यह है कि कभी-कभी शब्द के मुख्यार्थ के साथ एक-एक गौणार्थ का भी विकास हो जाता है, कुछ काल तक तो दोनों अर्थ साथ-साथ प्रयोग में चलते रहते हैं, किन्तु कालान्तर में अनेक कारणों से मुख्य अर्थ गौण होकर धीरे-धीरे मूल्य हो जाता है और गौण अर्थ उमका स्थान लेकर स्वयं मुख्यार्थ बन जाता है। इस प्रकार होने वाले अर्थान्तरण को दो दिशाओं पायी जाती हैं अर्थात् कभी ऐसा होता है कि अर्थान्तरण की प्रवृत्ति को दिखाने वाले शब्द का मूल अर्थ विशेष अच्छा नहीं होता या किसी हीन भाव का, घोरता हास्य है किन्तु उगका परिवर्तित अर्थ उगमें श्रेष्ठ होता है। इसे पारिभाषिक रूप में 'अर्थोत्थय' कहा जाता है। इसके विपरीत कभी ऐसा भी होता है कि शब्द का मूल अर्थ श्रेष्ठ भाव को प्रकट करने वाला होता है किन्तु उमका परिवर्तित अर्थ हीनभाव का घोरता बनता है। परिवर्तन के इस रूप

को 'अर्थापकर्ष' कहते हैं। इनको संक्षेप में इस प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है।

अर्थोत्कर्ष—अर्थोत्कर्ष के अनेक उदाहरण प्राप्त हो सकते हैं, यथा आजकल 'अदम्य उत्साह' के अर्थ में प्रचलित 'साहस' शब्द का प्राचीन काल में अर्थ था क्रूर, नृशंस, और इसका प्रयोग डाका, हत्या आदि कर्मों के सन्दर्भ में हुआ करता था। किन्तु इन नृशंस कार्यों के लिए भी मजबूत दिल, शक्ति आदि की आवश्यकता होने से उसी साहचर्य से इसका गौणार्थ विकसित होकर मुख्यार्थ बन गया और इसका प्रयोग 'हिम्मत के साथ किये जाने के कार्यों' के सन्दर्भ में किया जाने लगा। ऐसे ही संस्कृत में 'कपट' का अर्थ होता था 'चीपडा', 'जीर्णशीर्ण वस्त्र', किन्तु कपडे के साहचर्य के कारण बाद में इससे विकसित शब्द 'कपडा' का अर्थ हो गया 'वस्त्र मात्र', सामान्य तो क्या बहुमूल्य वस्त्र का भी इसी से संकेत-बोध होने लगा। इन दोनों ही उदाहरणों में शब्द अपने मौलिक हीन अर्थ को त्यागकर उत्कर्ष को प्राप्त हो गया है।

अर्थापकर्ष—अर्थोत्कर्ष के समान ही अर्थापकर्ष भी जीवित भाषाओं की एक सामान्य प्रवृत्ति का परिचायक हुआ करता है। इसमें कई बार मूलतः उदात्त भाव के अभिव्यंजन अर्थ का इतना पतन होता है कि कभी-कभी तो वह विपरीत भाव को व्यक्त करने लगता है। यथा वैदिक साहित्य में 'असुर' शब्द से 'देवता' या तत्सम शक्ति का बोध होता था। इसी का प्रतियोगी शब्द 'अहुर' अवेस्ता में अब भी इसी भाव का द्योतन करता है, किन्तु बाद के युगों में देवताओं और राक्षसों के संघर्ष के कारण उनकी प्रबल शारीरिक शक्ति के साहचर्य से यह शब्द उनका बोधक बन गया। फलतः यह अपने मूलार्थ से च्युत होकर 'दैत्य, राक्षस' आदि का बोधक बन गया। एक अन्य उदाहरण है 'हरिजन'। महात्मा गांधी जी के द्वारा इसका प्रयोग 'असवर्ण' या शूद्र जाति के लोगों के लिए किये जाने से पूर्व तक यह 'भगवान् के भक्तों' का बोधक था, किन्तु अब 'हरिजन' से हिन्दुओं के अन्तिम वर्णों के लोगों का ही संकेत बोध हुआ करता है। 'पाषण्ड' शब्द की भी यही स्थिति है। यह एक बौद्ध सम्प्रदाय था। अशोक के काल में इसे काफी सम्मान प्राप्त था और अशोक द्वारा इसे दानादि देने का भी उल्लेख पाया जाता है, किन्तु कालान्तर में अपनी आचरण-भ्रष्टता के कारण समाज में इसका पतन हो गया और फलस्वरूप इस शब्द के अर्थ का भी पतन हो गया।

संक्षेप में यही है अर्थ-परिवर्तन को प्रमुख दिशाएं। इन्हीं के अंतर्गत सभी प्रकार के अर्थ-परिवर्तनों को समाहित किया जा सकता है।

भाग : छ.

भारत में भाषा वैज्ञानिक अध्ययन की
परम्परा

भारत में भाषा-वैज्ञानिक अध्ययन की परम्परा

अभी गत शताब्दी तक यही समझा जाता था कि दर्शन, एवं राजनीति के समान भाषा-चिन्तन की दिशा में भी ग्रीक लोग ही अग्रणी थे, किन्तु जब से यूरोप में विश्लेषणात्मक एवं संरचनात्मक भाषाशास्त्र का अध्ययन होने लगा तथा यूरोपीय विद्वानों का संस्कृत एवं इसके प्राचीन भाषाशास्त्रीय ग्रन्थों से परिचय हुआ, तब से निर्विवाद रूप से यह माना जाने लगा है कि भाषा विश्लेषण एवं विवेचन का जो कार्य प्राचीन भारत में किया गया था वह विश्व में और वही नहीं हुआ। अब तो सर्वत्र इस बात को पूर्ण रूप से स्वीकार किया जा चुका है कि किसी भाषा के मूलभूत तत्वों एवं उसकी संरचना को समझने के लिए जिस विश्लेषणात्मक पद्धति एवं प्रक्रिया की आवश्यकता होती है उसकी पूर्ण परिणति ईसा से कई सौ वर्ष पूर्व भारत में हो चुकी थी।

ग्रीक दार्शनिकों के भाषा विषयक संकेतों से बहुत पूर्व ही ऋग्वेद में हमें भाषा चिन्तन की प्रवृत्ति के बीज दिखाई देने लगते हैं, जिनमें कि भाषा की महिमा पर

पूरे से मूल पाये जाते हैं।¹ इनमें भाषा विकास की तीन अवस्थाओं—अभ्यन्त भाषा, प्राथम व्यञ्जन-भाषा तथा वास्तविक भाषा—का निर्देश एवं निरूपण किया गया है।² इन भारतीय ऋषियों ने ही भाषा-विज्ञान के इतिहास में स्पष्टतया प्रथम बार शब्द के चार विभागों की बात कही थी।³ उन्होंने पूर्ण निश्चय के साथ कहा था कि व्यक्तिवाचक संज्ञाओं सहित सभी शब्दों की व्युत्पत्ति धातु मूलों (Verbal roots) में होती है।⁴

भारतीय मनीषियों की इस भाषा-वैज्ञानिक देन को हम इसके विकास-क्रम की दृष्टि में तीन भागों में विभक्त कर सकते हैं—(1) यास्कपूर्वकाल, (2) पाणिनिकाल, (3) उत्तरवर्ती काल।

यास्कपूर्वकाल

जैसा कि ऊपर संकेत किया जा चुका है, हमें भाषा विषयक चिन्तन की परंपरा ऋग्वेद काल से ही मिलने लगती है। उगमे भाषा की उत्पत्ति एवं स्वरूप के सम्बन्ध में अनेक मन्त्र मिलते हैं। जगत् की उत्पत्ति के साथ-साथ भाषा की उत्पत्ति का भी विवेचन पाया जाता है, वाणी की उत्पत्ति के विषय में कहा गया है—
गमाज के लिए वाणी की उत्पत्ति हृद्, देवताओं में इसे उत्पन्न किया⁵ आदि।

भाषा के शुद्ध प्रयोग के सम्बन्ध में बृहस्पति आगिरस ऋषि का बचन है कि 'जैसे बुद्धिमान लोग मत्सु को छाननी से छानकर काम में लाते हैं, वैसे ही वे लोग वाक् को मन में छानकर, सम्यक् विचार से निर्दोष बनाकर उसका प्रयोग करते हैं। ऐसी वाणी का प्रयोग करने वाले लोग सज्जन (मित्रवत्) होते हैं तथा इस प्रकार की वाणी ब्रह्मण्यकर होती है।'⁶ इसी प्रकार के और भी कई संकेत हैं—
त्रिनमं वि वाणी के गुणों, उच्चारण-प्रक्रिया आदि की ओर संकेत किया

1 दे०, ऋग्वे० X. 71; X. 125.4.

2 दे०, ऋग्वे० 1. 164, 43. सुरीय वाचो मनुष्या बभूविति ।

3 दे०, ऋग्वे० 1. 22. 161 अथारि वाक् परिमितानि पदानि ।

4 गु०, शांटापन, सर्वाणि नामानि आश्रयातमानि ।

5 तुन० (1) इयतिवाच जनदग्यज्ये, ऋग्वे० IV.2.21.

(11) देवी वाचमज्जनयन्त देवताः! विररुपा पताषो बभूविति । ऋग्वे०
VIII 100.11.

6 सत्यमिव नितज्जा पुन्यो यत्र धीरा मन्था वाचमकत ।

अत्रा तन्नाय सत्यानि जानते, भद्रं वा सध्मोनिहिताःपिवापि ॥ ऋग्वे०

X.71.2.

गया है।¹

इतना ही नहीं कुछ मंत्रों से तो इस बात का भी संकेत मिलता है कि उस काल की व्यवहृत भाषा में ऋषियों के द्वारा मंत्रों की रचना के लिए प्रयुक्त की जाने वाली भाषा को मानक मानकर उसका विश्लेषण भी किया जाता था तथा वैदिक स्तुतियों में उसी का प्रयोग किया जाता था। ऋग्वेद के एक मंत्र (3.34.10) पर भाष्य करते हुए वेंकट माधव का कथन है कि इन्द्र ने अव्याकृत भाषा का व्याकरण बनाया था।² इस बात की पुष्टि उत्तरवर्ती वैदिक साहित्य में पाये जाने वाले सन्दर्भों से भी होती है, कृष्ण-यजुर्वेद संहिता में कहा गया है कि देवताओं ने इन्द्र से प्रार्थना की कि इस वाक् तत्त्व को खटशा विभाजित कर दें।³ यह उक्ति इस बात की स्पष्ट संकेतक है कि उस काल के मनीषियों के समक्ष भाषा के अवयवों का रूप स्पष्ट हो चुका था तथा उनमें इसके विश्लेषण एवं सूक्ष्म अध्ययन की प्रवृत्ति आ चुकी थी। पदों का खडशा-विभाजन (व्याकरण) एवं शब्द व्युत्पत्ति के लिए मूल घात्वर्ष तक पहुँचने की प्रवृत्ति के भी पर्याप्त संकेत वैदिक साहित्य में प्राप्त होते हैं। उदाहरणार्थ, 'इन्द्र' के लिए 'पुरादत्ता', 'पुरादत्तः', 'पुरंदर', 'पुरादर्मा' जैसे प्रयोगों को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि वे लोग शब्द-रचना में पायी जाने वाली प्रकृति-प्रत्यय की परिकल्पना से पूर्णतः परिचित थे। इसी प्रकार भिन्न प्रत्ययों या कारकों के कारण एक ही मूल से निष्पन्न शब्दों के अर्थ में होने वाले अन्तरो की ओर भी कई संकेत पाये जाते हैं, यथा ऋग्वेद संहिता में √क्षि-धातु से अधिकरण में निष्पन्न 'क्षिति' को निवासायक (VII 88.7.) तथा काम में निष्पन्न 'क्षिति' को शासनार्थक कहा गया है (V.37.4)। व्युत्पत्तिपरक तत्त्वों का यह रूप वैदिक संहिताओं में उत्तरोत्तर स्पष्ट होता जाता है।

पदों की भाषा की अपार शब्दराशि, शब्दों का विविध रूपों एवं अर्थों में प्रयोग, स्वराघात की वारोक्तियों के कारण अर्थ-निर्बचन एवं रूप-रचना का चमत्कार, पद-रचना का सौन्दर्य आदि तत्त्व स्पष्ट रूप से बतलाते हैं कि इनके

1. तु०, ऋग्० I.182.4, V.63.6; VIII.100.11.
2. यज्ञेन वाच. पदवीयभायन्, तामन्वविदन्नुयिषु प्रविष्टाम्।
तामाभृत्या व्यदधु पुरत्रा तं सप्तरेभा अभिसन्नवन्ते। X.71.3।
3. अहं राष्ट्री, संगमनी वसुतां, चिकित्सी प्रयभा वक्षियानाम्। ऋग्० X.125.3
4. तु०, नुनुदे विवावः III 34.10. पर वेंकट भाष्य—वाचश्चाव्याकृता, वि-नुनुदे श्याचकार।
5. तु०, वाचं पराच्यव्याकृताऽभवत्, ते देवा इन्द्रमद्भूवग्निमां नो वाचं व्याकृवन्ति...तामिन्द्रो मध्यतोऽवक्रम्य व्याकरोत्समादियं व्याकृता-वागुच्यते। तैत्ति० संहिता, 6.4.7.

प्रयोक्ता ऋषियो ये भाषा विषयक दृष्टिकोण पर्याप्त विकास को प्राप्त हो चुका था ।

इसने बाद हम देखते हैं कि वेदों में सम्मिश्रण को रोकने एवं मूल उच्चारण को सुरक्षित रखने की दृष्टि में पदपाठ आदि के द्वारा वाक्यगत शब्दों को पृथक्-पृथक् करने का जो प्रयास किया गया वह भाषा-विश्लेषण का प्रारम्भिक प्रायोगिक रूप था, क्योंकि इसका आधार शब्दव्युत्पत्ति तथा मसाम-विग्रह था । भाषा के तत्त्वों के विश्लेषण की इस प्रवृत्ति का स्पष्ट एवं वैज्ञानिक विकास हमें 'शिक्षाओं' एवं 'प्रातिशाख्यों' में देखने को मिलता है । ये ग्रन्थ विश्व-साहित्य में ध्वनि-विज्ञान सम्बन्धी प्राचीनतम ग्रन्थ हैं । भारतीय आचार्यों ने शिक्षाओं की गणना प्रमुख वेदांगों में की है । वस्तुतः 6 वेदांगों—शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द, ज्योतिष—में से 4 का सम्बन्ध प्रत्यक्षतः भाषा के साथ है । इनमें से शिक्षा का स्थान प्रथम है तथा इसका सम्बन्ध वैदिक भाषा के उच्चारण के साथ माना गया है ।¹ ध्वनि-विज्ञान के अर्थ में 'शिक्षा' शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख 'ऐतरेय ब्राह्मण' में तथा इसके क्षेत्र का सर्वप्रथम व्याख्यान 'तैत्तिरीय उपनिषद्' में पाया जाता है ।² डॉ० सिद्धेश्वर वर्मा का कथन है कि तब 'शिक्षा' शब्द में सामान्य ध्वनि-विज्ञान (general phonetics) तथा 'प्रातिशाख्य' शब्द से व्यावहारिक ध्वनि-विज्ञान (applied phonetics) अभिप्रेत था ।³

प्रातिशाख्यों का समावेश शिक्षा एवं व्याकरण के अन्तर्गत किया जाता है । किन्तु व्याकरण के साथ इनका सम्बन्ध होने पर भी मुख्यतः इनका प्रतिपाद्य विषय भी वही है जो कि शिक्षाओं का है, अर्थात् ध्वनि-विज्ञान । हम देखते हैं कि प्रातिशाख्यों के समय तक ध्वनि-विज्ञान का पर्याप्त विकास हो चुका था तथा इस क्षेत्र में अनेक सम्प्रदाय बन चुके थे जो कि कई विषयों पर सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक दृष्टियों में मतभेद रखते थे । डॉ० वर्मा के अनुसार ध्वनि-विज्ञान विषयक भारतीय ध्वन्यात्मक वाङ्मय के मूलाधार की उच्च सीमा 700-800 ई० पूर्व तक जा सकती है जो कि ऐतरेय ब्राह्मण का रचना काल है तथा जिसमें ध्वनि-विज्ञान के अध्ययन की एक उन्नत एवं विकसित अवस्था का पता चलता है । किन्तु प्रातिशाख्यों की उच्च सीमा सम्भवतः सातक (500 ई० पूर्व) में पूर्व नहीं रखी जा सकती, क्योंकि सर्वप्रथम समाते जाने वाले प्रातिशाख्य अर्थात् ऋक् प्रातिशाख्य में इसे उद्धृत किया गया है । साथ ही पतंजलि के महाभाष्य में उनलघ्य तैत्तिरीय

1. सु०, ऋ० प्राति० (बनारस साह०) पृ० 10. शिक्षा श्वरवर्णोत्पत्तयं शास्त्रम् ।

2. ई०, पृ०, पृ० 3.

3. ई०, पृ० 6.

प्राति० के एक उद्धरण के आधार पर उन्होंने यह भी माना है कि विशिष्ट प्रातिशाख्यों का रचना काल 500-150 ई० पू० रहा होगा ।¹

शिक्षाओं एवं प्रातिशाख्यों से वैदिक साहित्य के शुद्ध रूप को बनाये रखने का महनीय प्रयास तो हुआ, किन्तु उसके मूलार्थ को बनाये रखने की दिशा में कोई प्रयास नहीं हुआ, वैदिक युग में शायद इसकी आवश्यकता भी नहीं थी, किन्तु ज्यों-ज्यों समय बीतता गया, शिक्षाओं में विहित नियमों के अनुरूप वेदों का पठन तो यथापूर्व रूप में चलता रहा, किन्तु उसके मूल अर्थों के विषय में अस्पष्टता आने लगी तथा उसका समझना कठिनतर होने लगा । फलतः उनके अर्थों को समझने में सहायता प्रदान करने के लिए निघण्टु नामक शब्दकोशों की रचना की जाने लगी । निघण्टु विश्व के उपलब्ध वाङ्मय में प्राचीनतम कोश समझे जाते हैं । शब्द-विज्ञान एवं अर्थ-विज्ञान के प्रथम आचार्य यास्क ने इन्हीं निघण्टुओं को आधार बनाकर अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ 'निरुक्त' की रचना की थी । यास्क से पूर्व कम से कम 12 निरुक्तकार हो चुके थे, जिनका उन्होंने स्वयं उल्लेख किया है । आचार्य यास्क इस शब्द-निर्वचन-परम्परा के अन्तिम आचार्य थे तथा उनकी यह कृति इस विज्ञान की प्रौढतम कृति है, इसे भारतीय भाषाशास्त्र का मेरुदण्ड माना जाता है । शब्दों के निर्वचन का ज्ञान कराने के कारण इसे व्याकरणशास्त्र का पूरक ग्रन्थ भी माना जाता है । आचार्य यास्क ने ही सर्वप्रथम अपनी कृति में भाषा-सम्बन्धी व्यापक दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया है । भाषा के क्रमिक विकास, उसकी उत्पत्ति तथा गठन पर इसी ग्रन्थ में प्रथम बार वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विचार किया गया है । इन्होंने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया था कि शब्द की व्युत्पत्ति घातु में है । इन्होंने शब्दों की निरुक्ति के लिए वर्णागम, वर्णविपर्यय, वर्णविकार, वर्णलोप, घातु से अर्थातिशय को प्रमुख आधार माना है ।² अपने ग्रन्थ के प्रारम्भ में ही इन्होंने निर्वचन सम्बन्धी कुछ महत्वपूर्ण तत्त्वों की स्थापना कर दी है तथा उन्हीं के आधार पर सम्पूर्ण विश्लेषण किया है ।

वेदों के मूल अर्थों को समझने में कठिनाई आ चुकी थी तथा उसे दूर करना ही यास्काचार्य का प्रथम उद्देश्य था । इसकी पुष्टि स्वयं इस बात से होती है कि उन्होंने किसी कौत्स नामक ऋषि के द्वारा वैदिक भाषा में निकाले अनेक दोषों का निराकरण किया है । कौत्स की आलोचना के अनुसार वैदिक ऋषि भाषा के विद्वान् नहीं थे, इसलिए उन्होंने कई साधारण शब्दों का समान रूप से कई देवताओं की प्रशंसा में प्रयोग किया है । यास्काचार्य ने इन दोषदर्शों ऋषि का खण्डन करके

1. दे०, वार्ता, पृ० 26.

2. वर्णागमो वर्णविपर्ययश्च द्वौ चापरो वर्णविकारनाशी ।

घातोस्तदर्यातिशयेन योगस्तदुच्यते पंचविधं निरुक्तम् ॥

बतलाया कि लौकिक तथा वैदिक सभी प्रकार के शब्द मध्युत्पत्तिक एवं मयुक्तिक होते हैं। 'प्रथमो प्रथमो बभूव' के द्वारा उन्होंने भाषा-विज्ञान का सर्व प्रथम पाठ पढ़ा कर बताया कि धिग-पिट जाने या ध्वन्यात्मक परिवर्तन आ जाने में नये शब्दों की सृष्टि होती है किन्तु भाषा-वैज्ञानिक विश्लेषण में हम उनके मूल रूप का पता लगा सकते हैं।

पाणिनिकाल

याज्ञवल्क्य के बाद महान् वैयाकरण 'शाकटायन' ने अपने प्रसिद्ध सिद्धान्त-सूत्र 'सर्वाणि नामानि आख्यातजानि' कहकर संस्कृत भाषा के शब्दों की व्युत्पत्ति एवं अर्थ का रहस्य खोल दिया। वस्तुतः यास्क के समय तक भाषा-विवेचन का कार्य वैदिक संस्कृत तक ही सीमित था, किन्तु उनके उपरान्त अनेक भाषाचिन्तक हुए जिन्होंने वैदिक भाषा के अतिरिक्त समकालीन भाषा पर विचार किया। यास्क से लेकर पाणिनि तक के युग में अवश्य ही पर्याप्त भाषा-विवेचन हुआ होगा, ऐसा अनुमान किया जाता है। इस अनुमान का आधार यह है कि पाणिनि ने अपनी कृति में ऐसे अनेक पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया है जिनकी कोई परिभाषा (स्पष्टीकरण) नहीं दी गई है। इसका अभिप्राय है कि ये पारिभाषिक शब्द सरलानुगत वैयाकरणों में पहले से ही प्रचलित थे। इसके अतिरिक्त पाणिनि-सूत्रों में संकेतित पूर्ववर्ती वैयाकरणों के नामों के आधार पर कहा जा सकता है कि इनसे पूर्व कम से कम इन आठ व्यकरण सम्प्रदायों का प्रचलन था—ऐन्द्र, चान्द्र, मारम्बन, शाकटायन, आपिशनि, वापिश, कोमार एवं काशकृष्ण।

भारतीय भाषाशास्त्र के इतिहास में आचार्य पाणिनि का अवतरण एक ध्रुवतारे के समान है। उन्हें भारत ही नहीं, अविश्व के भाषाशास्त्रीय अध्ययन की परम्परा में वर्णनात्मक भाषा-विज्ञान का सर्वप्रथम आचार्य कहा जा सकता है। उनके द्वारा प्रतिपादित नियमों का मूढ अध्ययन करने पर स्पष्ट हो जाता है कि वे व्यापुक्तिक विवरणात्मक भाषाशास्त्र की विश्लेषण-पद्धतियों में पूर्णतया परिचित थे। पाणिनि द्वारा प्रस्तुत संस्कृत भाषा का सूत्रबद्ध संरचनात्मक एवं विवरणात्मक विश्लेषण आज भी भाषाशास्त्रियों को आश्चर्य में डाल देता है। यद्यपि उन्होंने अपने समय में प्रचलित वैदिक रूपों पर भी विचार किया है, किन्तु उन्होंने अपने विवेचन का मुख्य आधार तत्कालीन शिष्ट समाज में व्यवहृत होने वाली संस्कृत भाषा को ही बनाया। यूरोप के अनेक मूर्ख भाषा-विज्ञानियों ने पाणिनि की देन की धुरि-धुरि प्रशंसा की है। प्रसिद्ध भाषाशास्त्री एन० स्पूमरीन्ड का कथन है कि पाणिनि का ग्रन्थ 'मानवीय प्रतिभा का एक सर्वोत्तम नमूना है।' इसी प्रकार प्रसिद्ध भाषाशास्त्री स्वर्गीय श्री बेन्जमिन सी हार्कें का कथन है—यद्यपि भाषा-

शास्त्र बहुत प्राचीन विज्ञान है तथापि इसका आधुनिक प्रयोगात्मक रूप, जो अलिखित भाषा के विश्लेषण पर जोर देता है, सर्वथा आधुनिक है। जहां तक हमें ज्ञात है, आज के रूप में ही, ईसा से कई शताब्दी पूर्व पाणिनि ने इस विज्ञान का शिलान्याम किया था। पाणिनि ने उस युग में वह ज्ञान प्राप्त कर लिया था, जो कि हमें आज उपलब्ध है। संस्कृत भाषा के वर्णन अथवा संस्कृत भाषा को नियम-बद्ध करने के लिए पाणिनि के मूत्र बीजगणित के जटिल सूत्रों (फार्मूलो) की भांति हैं। ग्रीक लोगों ने वस्तुतः इस विज्ञान (भाषाशास्त्र) की अधोगति कर रखी थी। इनकी कृतियों से ज्ञात होता है कि वैज्ञानिक विचारक के रूप में, हिन्दुओं के मुकाबले में, ये ग्रीक लोग कितने अधिक निम्न स्तर के थे। (सच तो यह है कि) उनकी भ्रान्तिपूर्ण विचारधारा का प्रभाव प्रायः दो सहस्र वर्षों तक चलता रहा। (वास्तव में) 19वीं शताब्दी के आरम्भ से, जब से पश्चिम ने पाणिनि को प्राप्त किया है, तभी से आधुनिक वैज्ञानिक भाषाशास्त्र का आरम्भ होता है।¹

हमारे प्रसिद्ध वैयाकरण जयादित्य ने भाषा विवेचन के कार्य में आचार्य की सूक्ष्मेक्षिका की प्रशंसा करते हुए कहा था—सूत्रकार (पाणिनि) की दृष्टि बड़ी सूक्ष्म है, वे साधारण स्वर की भी उपेक्षा नहीं कर सकते।

पाणिनि के उपरान्त और भी अनेक भाषाशास्त्री हुए जिन्होंने पाणिनि के कार्य को आगे बढ़ाया। यद्यपि संस्कृत भाषा के मौलिक ढांचे का विश्लेषण आचार्य पाणिनि कर चुके थे, किन्तु इन उत्तरवर्ती आचार्यों ने पाणिनि तथा उनके अपने समय के बीच भाषा में होने वाले परिवर्तनों की ओर हमारा ध्यान दिलाया, जो कि भाषा के विकास के इतिहास की दृष्टि से विशेष महत्त्वपूर्ण कहे जा सकते हैं।

इस परम्परा में पाणिनि के बाद हमारा महत्त्वपूर्ण नाम आता है वार्तिककार कात्यायन का। इनका समय लगभग 350 ई० पू० माना जाता है। यद्यपि पतंजलि ने अपने महाभाष्य में इनके अतिरिक्त भारद्वाज, सुनाम, क्रोष्टा आदि वार्तिककारों का भी उल्लेख किया है, किन्तु आचार्य कात्यायन के अतिरिक्त और किसी की कृति उपलब्ध नहीं होती। कैथ्यट इनके वार्तिकों को 'व्याख्यानसूत्र' कहते हैं। कात्यायन के कार्य के महत्त्व का बतलाते हुए 'पदमञ्जरी' में कहा गया है कि 'सूत्रकार के द्वारा जो विषय विस्मृत अथवा अदृष्ट रह गया है उसका वाक्यकार (वार्तिककार) ने स्पष्ट रीति से व्याख्यान कर दिया है और उसके द्वारा भी अदृष्ट (द्विषक्त) विषय का भाष्यकार ने'।² वार्तिक की परिभाषा ही है—जो बात कही गई है, या कहने से रह गई है या अदृष्ट रह गई है उस पर विचार-

1. उद्धृत—पाणिनि के उत्तराधिकारी, 1971. (इवाहाबाद) पृ० 6-7

2. यद् विस्मृतमदृष्टं वा सूत्रकारेण तत् स्फुटम् ।

वाक्यकारो ब्रवीत्येन तेनादृष्टं च भाष्यकृत् ॥

विमर्श करना ही वातिक है।¹ कहा जाता है कि वातिकार ने अष्टाध्यायी के 1500 सूत्रों में दोष दिखाया है और शुद्ध नियम निर्धारित किए हैं। विद्वानों का विश्वास है कि वातिककार ने अपने वातिक सूत्रों के द्वारा भाषा के उन रूपों को नियमबद्ध किया जो कि लगभग इन दो सौ वर्षों के बीच अनेक ध्वन्यात्मक परिवर्तनों एवं भाषायी सम्मिश्रणों के कारण संस्कृत भाषा के अग बन चुके थे।

इसके बाद भाषाशास्त्रीय विवेचन में सम्बद्ध जो महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ हमारे सामने आता है वह है पतंजलि का महाभाष्य। यद्यपि इसमें पहले 'व्याडि' अपना महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ, 'सग्रह' लिख चुके थे, पर वह अब उपलब्ध नहीं होता। पतंजलि का समय 150 ई० पू० माना जाता है। महाभाष्य में भाषा के सरचनात्मक एवं रूपात्मक पक्ष की उपेक्षा करके उसके दार्शनिक पक्ष पर अधिक गम्भीर चिन्तन किया गया है। इसमें वातिककार के द्वारा निहित दोषों का खंडन करते हुए पाणिनि के सूत्रों की सफाई का समर्थन किया गया है। इन्होंने व्याकरण-दशमं के मूल-भूत प्रश्नों— ध्वनि के स्वरूप, ध्वनिसमूह तथा अर्थ का सम्बन्ध, वाक्य के घटक विभिन्न अवयवों की स्थिति आदि पर गम्भीर विवेचन प्रस्तुत किया है। इन उत्तरवर्ती आचार्यों ने निश्चित ही पाणिनि द्वारा प्रतिपादित भाषा-विवेचन के कार्य को अधिक प्रामाणिक एवं वैज्ञानिक बनाया।

किन्तु पतंजलि के बाद भाषा-अध्ययन के क्षेत्र में कुछ स्थिरता-सी आ गई। इसके बाद जो भी कार्य हुए उनमें मौलिक चिन्तन की कमी पायी जाती है। अधिकतर कार्य में पाणिनि की ही पुष्टि एवं निर्वचन किया जाता रहा। मौलिक चिन्तन की परम्परा को आगे बढ़ाने वाले आचार्यों में 'वाक्यपदीय' के रचयिता भर्तृहरि का नाम अवश्य उल्लेखनीय है, इससे अनिश्चित अन्य उल्लेखनीय आचार्य हैं काशिकाकार वामन तथा जयादिन्य, न्यागकार जितेन्द्र बुद्धि, मजरीकार हरदत्त एवं सिद्धान्तकीमुदीकार भट्टोजी दीक्षित। यद्यपि इन सभी ने पाणिनि के सूत्रों की व्याख्या करने का यत्न किया है, फिर भी इनमें भाषा सामान्य पर विस्तृत धर्चाएँ, भाषा दशमं के अनेक पक्षों पर विचार, अर्थ विवेचन पर मौलिक एवं वैज्ञानिक चिन्तन प्रसंग सगति में अनेकत्र पाया जाता है, जो कि भारतीय आचार्यों के भाषा विधेयक चिन्तन के इतिहास पर महत्त्वपूर्ण प्रकाश डालता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में अत्यन्त प्राचीन काल से ही भाषा चिन्तन एवं भाषा विवेचन की एक अविच्छिन्न परम्परा रही है और यह परम्परा मध्यकाल में भी चलती रही और अभी भी चल रही है।

1. (i) उपनानुशादिरचनविन्ताकराव हि वातिकारवम् । — नागेश भट्ट ।

(ii) उपनानुशादिरचनानां विन्ता यत्र प्रचरन्ते ।

तं पञ्च वातिकं प्राहुर्वातिकज्ञा मनीषिणः ॥

पारिभाषिक शब्दावली

(हिन्दी-अंग्रेजी)

अक्षर syllable	अनुदात्त falling tone
अघोष voiceless/breathed	अनुनयार्थक pricative
अधोधीकरण devoicing	अनुनासिक nasal
अजन्त vowel ending	अनुनासिकीकरण nasalization
अतिशयकोटी superlative degree	अनुरूपी corresponding
अप्रत्यक्षकथन indirect speech	अन्विति concord/agreement
अन्तःस्थ semi-vowel	अन्यपदार्थ प्रधान possessive
अन्तर्निवेश insertion	अपाश offglide
अग stem	अभ्यास repetition/reduplication
अक्ष element	अभिनिधान incomplete articulation
अनाघातित unaccented	अर्धस्वर semi-vowel
अनियमित strong (form)	अर्थभेदक distinctive/significant
अनियमित परिवर्तन irregular variation	अल्पप्राण unaspirate
अनुतान intonation	अल्पप्राणीकरण de-aspiration

अवधारण emphasis	उद्देश्य subject vs. predicate
अवधारणार्थक emphatic	उपरूप allomorph
अवधि duration	उपसर्ग verbal prefix
अवरोध obstruction	उपास onglide
अवधुति ablaut/vowel gradation	उपान्त्य penultimate
अवस्थिति position	उभय पदार्थ प्रधान co-ordinative
अव्ययपद indeclinables	ऊष्म sibilant/spirant
अव्ययीभाव adverbial compound	वण्ड्य velar/guttural
अव्यवहित immediate/contiguous	कण्ठीकरण velarization
अविकरण athematic	कण्ठोष्ठ्य labio-velar
असम रूप heterochitic	करण articulator
असमापिका क्रिया infinite verb	करणाथक agentive/instrumental
आधारिक syllabic	कर्तृवाच्य active voice
आख्यात पद verb	कर्मप्रवचनीय postpositions
अङ्गम augment	कर्मवाच्य passive voice
अपान accent	कारक case
अपानहीन unaccented	कालबोधक temporal
आज्ञार्थक imperative	क्रमवाचक ordinal
आत्मनेपदी (क्रिया) middle verb	कान्तरूप past passive participle
आदेश replacement/substitute	क्रिया-काल tense
आनुपूर्विनी sequence/order	क्रियातिपत्ति conditional
आभ्यन्तर (प्रयत्न) intra-buccal processes	क्रियाथक सज्ञा gerund
इच्छार्थक optative	क्रियापदान्मरु निपात indeclinable gerunds and infinitives
ईपत् दिवृत् slight openness	क्रियात्मक प्रत्यय verbal suffixes
ईपत् स्पृष्ट slight contact	वृत् प्रत्यय primary suffixes
उच्चारण articulation	वृद्धन्तरूप verbal derivatives
उच्चारण स्थान place of articulation	कृदन्त नाभिक getundive nominals
उत्तिप्त flapped	कृदन्त विशेषण participles/verbal adjectives
उत्तरपद second component	कृदन्त सज्ञा participial noun
उत्तरपदार्थप्रधान determinative	सतिपूरक complementary
उत्पादक प्रत्यय productive suffix	शिप्र स्वर half-long vowel
उन्नत rising tone	सङ्गनावाचक cardinal

गुणात्मक qualitative	गुणन duplication
गुरु heavy/long	द्वित्व/द्वित्वीकरण doubling/ gemination
गौण तिङ् चिह्न secondary verbal terminations	द्वयोष्ठ्य bi-labial
घटक/तत्त्व constituents/ components	ध्वनिपरिवर्तन phonetic change
घोष voiced	ध्वनि-प्रक्रिया phonology
घोषीकरण voicing	ध्वनि-विज्ञान phonetics
णिजन्त causatives	ध्वनि युग्मान्त diphthong ending
चतुर्थी dative case	ध्वनि-सम्पर्कीय phonotactic
जिह्वामूल root of the tongue	ध्वन्यात्मक phonetic
तरल स्वन liquids	धातु verb root/base
तद्धित प्रत्यय secondary suffixes	धात्वग verb stem/root base
तद्धित रूप secondary derivatives	धातुमूल verbal root
तालव्य palatal	धातुज-संज्ञा verbal noun
तालव्यीकरण palatalization	धातुज विशेषण verbal adjective
तिङ् प्रत्यय verbal suffixes	नाद voice
तिङ् चिह्न verbal terminations	नामपद substantives
तुमर्थक infinitives	नामधातु denominatives
तुलना बोधक degree of comparison	नामिक प्रत्यय nominal suffix
तृतीया विभक्ति agentive/instru- mental case ending	नामजात विशेषण denominative adjectives
दन्तकूट teeth ridge	नासिका विवर nasal cavity
दन्तमूलीय (वत्स्य) alveolar/post- dental	नासिकीकरण nasalization
दन्तकीकरण dentalization	नासिक्य रजन nasal colouring
दन्तोष्ठ्य labio-dental	नासिक्य व्यजन nasal consonant
दृढ कथनादि बोधक अव्यय particles of asserveration	निघात low accent
दीर्घीकरण lengthening	निपात particle
द्वन्द्व समास copulative compound	निश्चयार्थक indicative
द्विगु समास numerative compound	निषेधार्थक injunctive
	निषेधात्मक negative
	निर्विभक्तिक un-inflected
	निर्देशात्मक demonstrative
	निरपेक्षक अधिकरण absolute locative.

पद word/inflected word/ morpheme	भाववाच्य impersonal voice
पदरचना morphology	भूतकालिक कृदन्त past passive participle
परमं postposition	महाप्राण aspirate
परिवर्त alternate	महाप्राणता aspiration
पश्चगामी regressive	मात्रात्मक quantitative
प्रकृति root	मिश्र complex
प्रकारता modality	मुक्त विकल्पन free variation
प्रगृह्य hiatus	मुख विवर oral cavity
प्रत्यक्ष कथन direct speech	मुख्य तिद् चिह्न primary verbal terminations
प्रत्यय affix/formative	मूर्धन्य cerebral
प्रत्येक वाचक distributive	मूर्धन्यीकरण cerebralization
प्रतिवेटित retroflexed	मूलरूप/प्रकृति stem/root
प्रयत्न process/manner of articulation	मुहुवाणु velum
प्रवाही continuant/continuative	मुहुतालबन्ध/तानवीय velar
प्राणन/प्राणवायु aspiration	मेरुदण्ड nucleus
प्रातिपदिक nominal stem	यङन्त/यङ्लुगन्त intensive
पुनर्गठन reconstruction	यम twin (sounds)
पुरुष वाचक personal	रञ्जन colouring
पूर्ण रूप strong form	रूपिम morpheme
पूर्वकालिक त्रिदायक कृदन्त indecli- nable gerunds	रूपरचना morphology
पूर्व पद first component	रूप विद्धि inflection
पूर्व पदार्थ प्रधान adverbial (compound)	रूपस्वनिमिक morphophonemic
पूर्व प्रत्यय prefix	रूपादली paradigm
पौनः पुन्यवाचक frequentative	सम् short
बह्वृद्धि सप्तम exocentric compound	सोप elision
बाह्य प्रयत्न extra-buccal processes	बणे phoneme
भविष्यन् कृदन्त future participle	बर्णममाप्ताय alphabets
भाषवाचक मजा abstract noun	वर्तमानकालिक कृदन्त present participle
	वर्ण्यं alveolar
	वाक् speech
	वाक्पदक organs of speech

वाच्य voice	- व्यवस्थित संवाद systematic
विकरण verbal infix	correspondence
विकरणयुक्त thematic	व्यंजनीकरण consonantalization
विकरणहीन athematic	व्यंजनीत्तर post-consonantal
विकरणीकरण thematisation	ध्याकरणिक रूप grammatical
विकल्पन variation	form
विकार change/mutation	व्यावहारिक ध्वनि विज्ञान applied
विकृति/विकार modification	phonetics
वितरण distribution	व्युत्पत्ति derivation
विधिकृदन्त potential passive	व्युत्पत्त्यात्मक etymological
participle	शिन् ध्वनि sibilant
विधिलिङ् potential	शून्य रूप zero morph
विध्यर्थक injunctive/optative	शून्य उपरूप zero allomorph
विधेय predicative	श्वाम breath
विधेयक्रिया finite verb	संघर्षी fricative
विधेय संज्ञा noun predicate	सद्योप अन्त.स्थ sonorant
विधेयात्मक प्रयोग predicative use	संध्यक्षर diphthong
विभक्ति case form/ending	सन्नन्त desiderative
विभक्ति प्रधान inflectional	संनिधि continuity
विभक्ति प्रत्यय case ending	सध्यात्मक prosodic
विभाषीय समिश्रण dialect mixture	संख्येय संज्ञा countable noun
विवृत open	सम्बन्ध भूत कृदन्त indclinable
विवरणात्मक descriptive	past participle त्वा
विश्लेषणात्मक analytical	सम्बन्ध वाचक relative
विशेषणात्मक क्रिया adverb of	सम्प्रसारण vocalization
manner	समानाधिकरण case in opposition
विसमीकरण dissimilation	समाप्तिक क्रिया finite verb
विसदृश dissimilar	सम्मिश्रण contamination
विसन्धि hiatus	समीकरण assimilation
विसरण diffusion	संभावनार्थक subjunctive
विस्तरण extension	संवृत close
विस्तारित रूप extended form	सवर्णी of the same class
वृत्ति mood	संलयित amalgamated
व्यक्त ध्वनि articulate sound	

समासान्त प्रत्यय compositional
suffixes

सविकरण thematic

सविभक्ति inflected

संरचनात्मक structural

संश्लेषणात्मक synthetic

संस्वन allophone

स्पर्श stops/plosives

सस्पर्श/स्पृष्ट contact/occlusion

स्पर्श सघर्षा affricate

स्थानान्तरण transfer

स्थानापन्न substitute

संवार closure

सर्वादेश suppletion

सातत्य continuative

सादृश्य analogy

सादृश्यात्मक analogical

साकेनाधिक विशेषण pronominal
adjective

सातत्य continuation

सामान्य ध्वनिविज्ञान general
phonetics

शोषाधिक रूप conditional
allomorph

शोष्म ध्वनि fricative

शोष्म सघर्षा spirant

स्वरभक्ति anaptyxis

स्वरहीन unaccented

रवर्ति rising-falling tone

स्वराघात accent

स्वराघातमक accentuated

स्वरहीन निपात enclitics

स्वरान्तवर्ती inter-vocalic

हलन्त consonant ending

ह्रस्वित रूप weak form

ह्रस्वीकरण shortening

हेत्वर्थक injunctive/subjunctive

हेत्वर्थकृदन्त infinitive of purpose

हेतुमद् वृत्ति conditional mood

हेतुहेतुमत् subjunctive

ग्रंथसूची (सन्दर्भित ग्रंथ)

अथर्वं प्रातिशाख्य	
अथर्ववेद	
अवेस्ता	
अष्टाध्यायी	पाणिनि
ऋक् प्रातिशाख्य	
ऋग्वेद	
काव्यादर्श	दण्डी
काव्यालंकार	मामह
कौशीतकी ब्राह्मण	
तैत्तिरीय संहिता	
निरुक्त	यास्क
परिभाषेन्दु शेषर	नागेश
परम लघुमंजूपा	नागेश
पाणिनीय शिक्षा	
महाभारत	ध्याम
महामाध्य	पतञ्जलि
मंत्रायणो संहिता	
रामायण	वाल्मीकि
साहित्यदर्पण	विश्वनाथ
सिद्धान्त कौमुदी	भट्टोजी दीक्षित

संदर्भ संकेत सूची

उल्हन वैक, मी० मी०	'ए मैंग्युभल ऑफ मस्टरन फोनेटिक्स', (पुनर्मुद्रित), ट्रि० मस्क० दिल्ली 1960 ।
उलमान, स्टीफन, ऋक् प्रसि०	मीमाण्डिकन, आक्सफोर्ड, 1962 । 'ऋक् प्रातिशाक्य'-मैक्समूलर, 1870 ।
एड्गर्टन, फ्रैंक रिचर्ड्स	'संस्कृत हिस्टोरिकल फोनोलॉजी', न्यूहैवन 1946 ।
ऐलन, डब्ल्यू० एम०	'फोनेटिक्स इन एंग्लो-इण्डियन इण्डिया', लन्दन, 1953 ।
बाम्बरेन, रेव, राबर्ट	'ए कम्प्रेटिव ग्रामर ऑफ इन्डियन लैंग्वेजेज', मद्रास यूनिवर्सिटी, मद्रास, 1961 (तृतीय संस्करण) ।
गुर्न, पाप्टरिंग, दामोदर	'गन इन्डो-इयन टु कम्प्रेटिव फिनोलॉजी', पूना, 1950 ।
पीप बटवुल्फ	'निगिस्टिक इन्डो-इयन टु संस्कृत' बसबत्ता, 1937

- चेटर्जी, सुनोतिकुमार 'भारतीय आर्यभाषा और हिन्दी',
दिल्ली, 1963 ।
- तिवारी, उदयनारायण 'पाणिनि के उत्तराधिकारी' इलाहाबाद,
1971 ।
- तैत्ति० प्राति० 'तैत्तिरीय प्रातिशाख्य' विब्लिओपिका
संस्कृतिका, 1907 ।
- नागेशभट्ट 'परिभाषेन्दुशेखर', बनारस, 1931 ।
- निरुक्त (यास्क) 'दुर्गाचार्यभाष्य सहित (वे० मुद्र०) बम्बई,
1969 ।
- पाणिनि अष्टाध्यायी,
बरो० टी० वाराणसी, 1964 ।
- ब्रुगमैन, वाल 'द संस्कृत लैंग्वेज' लन्दन (द्वितीय मुद्रण)
1965 ।
- ब्रुगमैन, वाल 'ए कम्पेरेटिव ग्रामर आफ द इण्डोजर्मेनिक
लैंग्वेजेज (इंग्लिश अनुवाद) चौखम्बा, वाराणसी
1972 (पुनर्मुद्रित) ।
- बीस, माइकेल 'सिमान्टिक्म' न्यूयार्क, 1900 ।
- ब्लाख जुल्स 'ल' इंदो आर्या, पेरिस, 1934 ।
- ब्लूमफील्ड, एल० 'लैंग्वेज, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली
1964 (पुनर्मुद्रित)
- भाषा (मासिक) केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, भा० स०,
दिल्ली ।
- भट्टाचार्य, विष्णुपाद 'ए स्टडी इन लैंग्वेज एण्ड मीनिंग' कलकत्ता
1962 ।
- महा० (पतंजलि) 'महाभाष्य' बम्बई, 1951-52 ।
- मूर्ति श्रीमन्नारायण, एम 'एन इण्ट्रोडक्शन टु संस्कृत लिग्विस्टिक्म',
दिल्ली, 1984 ।
- राविन्स, आर० एच० (अनु०) 'सामान्य भाषिकी' हरियाणा सा०
अका० चण्डीगड ।
- डिबट्ने, विलियम डिबट 'संस्कृत ग्रामर, मैमेच्यूसेट्म 1967' (11वां
संस्करण) ।
- ० लैंग्वेज (भाषा पत्रिका) अमेरिका, 1926 त्रिवृत्त ।
- वाच्य० (भतं हरि) 'वाच्यपदीय' (हेलाराज टीका) त्रिवेन्द्रम्
1942 ।

- वर्मा, मिडेश्वर
 'प्राचीन भारतीय व्याकरणों के द्वन्वात्मक विचारों का विवेचनात्मक अध्ययन',
 चण्डीगढ़, 1973 ।
- चाण्देव शास्त्री
 शर्मा, देवीदत्त,
 'शब्दापगच्छद विवेक' जालघर, सं० 2011 ।
 'संस्कृत का ऐतिहासिक एवं संरचनात्मक परिचय,' ह० सा० अका० चण्डीगढ़, 1973 ।
- शि० सं०
 सि० श्री० (सीधिर),
 'शिक्षा संग्रह' बनारस संस्कृत मीरीज, 1893 ।
 'मिथ्यात्वकीमुद्दी' श्रीशिवरुद्र बसु संस्कारण,
 (पुनर्मुद्रित), दिल्ली, 1962 ।
- सिंह, बलदेव
 सा० द०
 स्टेटेवन्ट, ई० एच० हान०
 'पदपदार्थ समीक्षा' कुरुक्षेत्र 1969 ।
 'साहित्यदर्पण' विश्वनाथ, लाहौर, 1938 ।
 'ए कम्परेटिव ग्रामर ऑफ हिट्टाइट लेग्वेज,
 थ्यूहैवन, 1951 ।

Select Bibliography

- Allen, W. Sidney, *Phonetics in Ancient India*, Oxford University Press, London, 1953.
- Ayengar, V. Krishnaswami, *Paniniya Vyakaran Ki Bhumika*, Prabhat Prakashan, Delhi, 1983.
- Bhattacharya, Harendra Kumar, *Language and Scripts of Ancient India*, Bani Prakashini Calcutta, 1959.
- Bloomfield, Leonard, *Language*, Motilal Banarasidas, Delhi 1964 (Indian reprint).
- Breall Michel, *Semantics* (Trans. by Mrs. Henry Cust), New York, 1900
- Burrow, T. *The Sanskrit Language*, Faber & Faber, London, 1965 (2nd ed.)
- Chatterji, S. K. *Select Writings*, Delhi 1960
- Edgerton, Franklin, *Sanskrit Historical Phonology* American oriental series (19), New Haven, 1946.
- Ghatage, A.M. *Historical Linguistics and Indo-Aryan Languages*, Uni. of Bombay, 1962.
- Ghosh Batakrishna, *Linguistic Introduction to Sanskrit*, Indian Research Institute, Calcutta. 1937.
- Gleason, Jr. H. A., *An Introduction to Descriptive Linguistics*, Oxford and IBH Publishing Company, Calcutta, 1970 (Indian reprint)
- Gray, Louis, H. *Foundation of Language*, Macmillan Company, New York, 1958.

- Gune, P.D. *An Introduction to Comparative Philology*, Oriental Book House, Poona, 1958.
- Hockett, Charles, F. *A Course in Modern Linguistics*, Oxford & IBH Publishing Co. Cal. New Delhi, 1970.
- Jagirdar, R.V. *An Introduction to Comparative Philology of Indo-Aryan Languages*, Dharwar, 1932.
- Jespersen, Otto *Language : Its Nature, Development and Origin*, George Allen & Unwin London, 1967.
- Jules Bloch, *Bharatiya Arya Bhasha* (Hindi trans) Hindi Samiti, Lucknow, 1972
- Katre, S.M. *Some Problems of Historical Linguistics in Indo-Aryan*, Deccan College, Poona, 1965.
- Kunjuni Raja, K. *Indian Theories of Meaning*, Adyar Library & Research Centre, Madras, 1969 (2nd ed.).
- Laddu, S.D. *Evolution of Sanskrit Language from Panini to Patanjali*, Centre for Adv-study in Sanskrit, Poona. 1974.
- Macdonell, A.A. *Vedic Grammar*, Strass burg, 1910.
- Misra, S.S. *A Comparative Grammar of Sanskrit Greek and Hittite*, World Press, Calcutta, 1968.
- Misra, V.N. *Bharatiya Bhasha Chintan*, (ed.) Rajasthan Hindi Academy, Jaipur, 1976
- Murthi, M. Srirannarayana, *An Introduction to Sanskrit*, D.K. Publication, Delhi, 1984.
- Robins R.H. *General Linguistics* (Hindi Translation) *Samanya Bhashiki* by D.D. Sharma) Haryana Sahitya Academy, Chandigarh.
- Sansure Ferdinand. de. *Course in gengal Linguistics*, Macgraw Hill, New York, 1966.
- Sharma, D.D. *Sanskrit ka Atithatik evam Samrachanatmak Parichay*, Haryana Sahitya Akademi, 1984 (2nd reprint).
- Singh, Baldeo, *Padapodantha Samiksha*, Kurukshetra University Kurukshetra, 1969.
- Sturtevant, Edgar Howard. *An Introduction to Linguistic Science*, Yale Uni-Press, 1960.

Traporewala, I J Sorabji, *Elements of Science of Language*, Calcutta, Uni 1962 (3rd ed).

Verma, Siddheswar, *Critical Studies in the Phonetic Observations of Indian Grammarians* Trans. by D.D. Sharma—*Prachin Bharatiy Vidyakaranon ke Dhvanyatmak Vicharon ka Vivechanatmak Adhyayan*, Haryana Sahitya Akademi, Chandigarh, (2nd reprint).

Vendryes, Joseph, *Language* (Trans by Paul Radin) Routledge and Kegan Paul, London, 1952.

Whitney, William Dwight, *Sanskrit Grammar* Harvard University Press, Massachasetts, 1967 (11th issue)

□□

•

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ	पंरा	पंकि।	मुद्रित रूप	शुद्ध रूप
4	4	3	शेषाश	—(शून्य)
8	2	7	अबोध	अबाध
8	2	7	अप्रसरित	अप्रेसरित
8	4	5	नासिका	नासिक्य
8	4	5	बालाघात	बलाघात
8	4	6	त्रिष्णमानता	विद्यमानता
9	1	5	स्टेट	स्ट्रेट
9	1	6	यह	पर
9	2	1	विश्लेषणीय	विश्लेषणीय सामग्री
9	4	5	या	यथा
10	2	17	बहुव्रीहो	बहुव्रीहो
11	2	1	cast	caste
14	1	4	बोनोतन	बोनातन
16	1	1	या, तथा	'या', या
16	4	10	हाय	हाथ
17	3	3	भाप	भाषण
23	2	9	ध्वनित	ध्वनि
25	1	1,5	शामन	शास्त्र
25	2	2	पडंगवेदो	पङ्गोवेदो
25	2	2	पस्पशाह्निक	पस्पशाह्निक
26	1	6	अधरत	अधीत